

सप्तदश माला, खंड 3, अंक 22

मंगलवार, 16 जुलाई 2019

25 आषाढ़, 1941(शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पहला सत्र

(सत्रहवीं लोक सभा)



(खंड 3 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

© 2019 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

अस्वीकरण

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रि मेधा (Artificial Intelligence) आधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि, हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 3, पहला सत्र, 2019 / 1941 (शक)

अंक 22, मंगलवार, 16 जुलाई 2019 / 25 आषाढ़, 1941(शक)

<u>विषय</u>	<u>पृष्ठ संख्या</u>
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
¹ तारांकित प्रश्न संख्या 321 से 324, 334 और 337	18-44
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 325 से 333, 335, 336 और 338 से 340	45
अतारांकित प्रश्न संख्या 3642 से 3871	

¹किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

46-61

मंत्री द्वारा वक्तव्य

गृह मंत्रालय से संबंधित “भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में सुरक्षा की स्थिति” पर गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 213^{वें} प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति के 219^{वें} प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री जी. किशन रेड्डी

62

समिति के लिए निर्वाचन

63-65

(एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम

64

(दो) भारतीय नर्सिंग परिषद

65

नियम 377 के अधीन मामले

66-93

(एक) उत्तर प्रदेश में 'शिक्षा मित्रों' की सेवाओं को विनियमित किए जाने के बारे में

श्री कौशल किशोर

66-67

(दो) मध्य प्रदेश के दतिया स्थित 'पीतांबरा देवी' मंदिर में सुविधाओं के विकास एवं सौंदर्यीकरण के बारे में

श्रीमती संध्या राय

68

(तीन) दिल्ली-शामली-सहारनपुर रेलमार्ग पर लंबी दूरी की रेलगाड़ियों के चलाए जाने की आवश्यकता

श्री प्रदीप कुमार चौधरी

69

(चार) उत्तर प्रदेश में 'आशा' कार्यकर्ताओं की शिकायतों के बारे में

श्री जगदम्बिका पाल

70

- (पांच) उत्तराखंड में जंगली पशुओं द्वारा फसलों को नुकसान से बचाने के लिए उपचारी उपायों के बारे में

श्री तीरथ सिंह रावत

71

- (छः) महाराष्ट्र के भिवंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल अंडर ब्रिज संख्या 98/2 को चौड़ा किए जाने के बारे में

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील

72

- (सात) महाराष्ट्र के मुंबई के झोपड़पट्टी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री गोपाल शेटी

73

- (आठ) ओडिशा के बारगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कैंसर के मामलों में असामान्य वृद्धि के बारे में

श्री सुरेश पुजारी

74

- (नौ) उत्तर प्रदेश में मेरठ के खेल उद्योग के लिए कश्मीर की विलो लकड़ी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

75

- (दस) राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में खनन गतिविधियों के कारण हुई क्षति के बारे में

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया

75

- (ग्यारह) झारखंड के बोकारो इस्पात संयंत्र की खाली पड़ी भूमि पर अवस्थित गांव के बारे में

श्री पशुपति नाथ सिंह

75

- (बारह) मध्य प्रदेश के देवास संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं प्रदान किए की आवश्यकता

श्री महेंद्र सिंह सोलंकी

76

- (तेरह) देश में विकास परियोजनाओं को समय पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री अजय मिश्र टेनी

76

- (चौदह) देश में पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के लिए नियम और विनियम बनाए जाने की आवश्यकता

श्री मनोज कोटक

77

- (पंद्रह) छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा संसदीय क्षेत्र में रेल सुविधाएं बनाए जाने की आवश्यकता

श्री गुहाराम अजगल्ले

78

- (सोलह) उत्तर प्रदेश के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित संरक्षित सोहगीबरवा वन्य जीव क्षेत्र को जंगल सफारी के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री पंकज चौधरी

81

- (सत्रह) नन्दुरबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आईएसबीआईजी योजना के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाएं/योजनाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत

82

- (अठ्ठारह) अखबारी कागजों के सीमा शुल्क में वृद्धि के बारे में

श्री टी.एन. प्रथापन

83

- (उन्नीस) तमिलनाडु को नय्यर नदी से जलापूर्ति के बारे में

श्री एच. वसंतकुमार

84

- (बीस) कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उन्नयन के बारे में

श्री हिबी ईडन

85

(इक्कीस) सभी किसानों को फसल बीमा योजना के दावे का भुगतान किए जाने की आवश्यकता

श्री ए. गणेशमूर्ति

86

(बाईस) आन्ध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में ग्रीनफील्ड विमानपत्तन के बारे में

श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर

87

(तेईस) देश में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के बारे में

प्रो. सौगत राय

88

(चौबीस) महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में एलईडी प्रकाश में मत्स्यन रोकने हेतु कदम उठाए जाने के बारे में

श्री विनायक भाऊराव राउत

89

(पच्चीस) बिहार के बांका जिले में ब्लड बैंक की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री गिरिधारी यादव

90

(छब्बीस) ओडिशा में सिंचाई परियोजनाओं में जमा हो रही गाद को हटाए जाने के बारे में

श्री चंद्रशेखर साहू

91

(सत्ताईस) देश में पट्टाधारी किसानों की दुर्दशा के बारे में

श्री जयदेव गल्ला

92

(अठ्ठाईस) तमिलनाडु के तिरुप्पुर में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के बारे में

श्री के. सुब्बारायण

93

(उनतीस) तमिलनाडु के थेनी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के बारे में

	श्री पी. रविन्द्रनाथ कुमार	94
(तीस)	एच.पी.सी.एल. की संपत्ति का उपयोग किए जाने के बारे में	
	श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन	95

केन्द्रीय बजट, 2019-2020

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	96-178
श्री एस. सी. उदासी	97-99
श्रीमती गीताबेन वी. राठवा	100-101
श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़	102
श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे	103-104
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत	105-108
डॉ. सुभाष रामराव भामरे	109-111
श्री संजय सेठ	112-113
श्रीमती शारदा अनिल पटेल	114-115
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल	116
श्री विष्णु दयाल राम	117-119
डॉ. भारतीबेन डी. श्याल	120-121
श्री सुनील कुमार सिंह	122-125
एडवोकेट अजय भट्ट	126-130
श्री सुनील बाबूराव मेंडे	131
श्री अजय टम्टा	132-133

श्री मितेष पटेल (बकाभाई)	134
श्री राकेश सिंह	135-136
श्री नितिन जयराम गडकरी	137-177
कटौती प्रस्ताव - वापस लिया गया	178
मांग-स्वीकृत हुई	178
ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	179-438
श्री उत्तम कुमार रेड्डी	177-189
कटौती प्रस्ताव	190
श्री रमापति राम त्रिपाठी	191-201
श्री एस.एस. पलानीमणिकम	202-207
श्रीमती प्रतिमा मंडल	207-212
श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी	213-217
श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले'	218-220
श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश	221-222
श्री नरेन्द्र कुमार	223-228
श्री भागीरथ चौधरी	229-231
श्रीमती रंजनबेन भट्ट	232-233
श्री के. सुब्बारायण	234-236
श्री एस. ज्ञानतिरावियम	237-239
श्री प्रतापराव जाधव	240-244
श्री कौशलेन्द्र कुमार	245-247

श्रीमती पूनमबेन माडम	248-255
डॉ. रामशंकर कठेरिया	256-261
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे	262-265
श्री विवेक नारायण शेजवलकर	266
श्री अनुराग शर्मा	267-270
श्री रितेश पाण्डेय	271-275
श्री जगदम्बिका पाल	276-278
श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी	279-281
श्री बी.वाई. राघवेन्द्र	282-288
श्रीमती रेखा अरुण वर्मा	289-292
श्री तालारी रंगय्या	293-294
श्री सप्तगिरि शंकर उलाका	295
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे	296-299
श्री मितेष पटेल (बकाभाई)	300-301
श्री राजू बिष्ट	302-304
डॉ. अमर सिंह	305-307
श्री उदय प्रताप सिंह	308-314
श्रीमती अपरूपा पोद्दार	315-317
श्री हसनैन मसूदी	318-321
श्री अशोक महादेवराव नेते	322-328
डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा	329-333

कुमारी शोभा कारान्दलाजे	334-340
श्री जयदेव गल्ला	341-344
श्री सी. पी. जोशी	345-352
श्री राकेश सिंह	353-356
श्री भर्तृहरि महताब	357-362
श्री गणेश सिंह	363-367
श्री तीरथ सिंह रावत	368-370
श्री रमेश चन्द्र माझी	371-373
श्री संजय काका पाटिल	374-369
डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर	377-379
श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर	380-382
श्री अजय कुमार	383
डॉ. वीरेन्द्र कुमार	384-386
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर	387-389
एडवोकेट ए. एम. आरिफ	390-393
डॉ. संघमित्रा मौर्य	394-398
श्री पी.पी. चौधरी	399-407
डॉ. डी. रविकुमार	408
सुश्री एस. जोतिमणि	409-412
श्रीमती कविता सिंह	413-415
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले	416-421

श्री सुनील कुमार मंडल	422-424
श्री संतोख सिंह चौधरी	425-436
श्री देवजी पटेल	438-443
श्री जी.एम. सिद्धेश्वर	444-447
श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील	448-451
डॉ. सुजय विखे पाटील	452-455
श्री हनुमान बेनीवाल	456-460
डॉ. निशिकान्त दुबे	461-468
श्री खगेन मुर्मू	469-471
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	472-475
श्री नारणभाई काछड़िया	476-470
श्रीमती रीती पाठक	480-481
श्री फ्रांसिस्को सर्दिन्हा	482-484
श्रीमती नवनीत रवि राणा	485-489
श्री मुकेश राजपूत	490-491
श्री दुष्यन्त सिंह	492-497
श्रीमती चिंता अनुराधा	498-502
श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया	503-506
श्री बैन्नी बेहनन	507-512
श्री जुगल किशोर शर्मा	513-515
श्री वी. वैथिलिंगम	516-517

श्रीमती वंगा गीता विश्वनाथ	518-519
श्री नलीन कुमार कटील	520-524
श्री सुनील कुमार सोनी	525-526
श्री बिद्युत बरन महतो	527-529
श्रीमती रमा देवी	530-532
श्री पी. रविन्द्रनाथ कुमार	533-536
श्रीमती अन्नपुर्णा देवी	536-538
श्री एंटो एन्टोनी	539-540
श्री एम. बदरुद्दीन अज़मल	541-546
श्री जनार्दन मिश्र	547-548
कुमारी अगाथा के. संगमा	549-551
श्री राहुल कस्वां	551-553
श्री जसबीर सिंह गिल	553-554
श्री कपिल मोरेश्वर पाटील	555-557
डॉ. थोल तिरुमावलवन	558-559
श्री देवुसिंह चौहान	560-561
श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़	562
श्री हाजी फजलुर रहमान	563-566
श्री आर.के. सिंह पटेल	567-569
श्री टी.एन. प्रतापन	570-574
श्री कुरुवा गोरान्तला माधव	575

श्री पल्लब लोचन दास	576-579
श्री राजकुमार चाहर	580-581
श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी	582-584
डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी	585-587
श्रीमती रंजीता कोली	588
डॉ. भारती प्रवीण पवार	589-591
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे	592-593
श्री भोला सिंह	594-596
श्री रघु राम कृष्ण राजू	597-598
श्री संतोष पाण्डेय	599-600
श्री वी.के. श्रीकंदन	601
श्री सुरेश कश्यप	602-604
डॉ. ए. चेल्लाकुमार	605-607
श्री परबतभाई सवाभाई पटेल	608-609
श्रीमती संगीता आजाद	610-611
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या)	612-602
श्री रोड़मल नागर	603-614
श्री गुरजीत सिंह औजला	615-616
डॉ. सुकान्त मजूमदार	616-618
श्री धर्मवीर सिंह	619-620
श्री बसंत कुमार पांडा	621-622

श्री गुहाराम अजगळे	623-624
श्री राजीव प्रताप रूडी	625-628
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी	629-633
श्री एच. वसंतकुमार	634
श्री रामकृपाल यादव	635-638
श्री अजय भट्ट	639
श्री सुशील कुमार सिंह	640-641
श्री रवनीत सिंह	642
श्री एस. मुनिस्वामी	643-650
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल	651
डॉ. उमेश जी. जाधव	652-656
श्री राम शिरोमणि वर्मा	657

कार्य मंत्रणा समिति

चौथा प्रतिवेदन	427

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ.(प्रो.) किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्रीमती मीनाक्षी लेखी

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिथुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

मंगलवार, 16 जुलाई, 2019 / 25 आषाढ़, 1941 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए]

*प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: अब प्रश्नकाल, श्री ओम पवन राजे निंबालकर।

(प्रश्न संख्या 321)

[अनुवाद]

श्री हिबी ईडन : महोदय, भारत में एक विशाल तटरेखा है। केरल राज्य में 590 कि.मी. का समुद्र तट है जहां बड़ी संख्या में लोग आय के प्रमुख स्रोत के रूप में मछली पकड़ने पर आश्रित हैं। केवल मछुआरे ही समुद्र, अनुप्रवाही जलमार्ग और आंतरिक जलमार्गों पर निर्भर नहीं हैं। इनके अतिरिक्त, बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी इन पर निर्भर हैं, जैसे वे जो इन उत्पादों का व्यापार या विक्रय करते हैं। संबंधित विभाग के मध्यस्थ भी इस पर निर्भर हैं। निर्यात आय का एक अन्य स्रोत है, यहाँ तक कि भारत सरकार के लिए भी, जिसमें केरल एक बड़ी भूमिका निभाता है।

आवास के संबंध में हमारे पास भारत सरकार की प्रधान मंत्री आवास योजना और केरल राज्य सरकार की एल.आई.एफ.ई. योजना जैसे विशिष्ट कार्यक्रम हैं। क्या मछुआरा समुदाय के लिए कोई विशेष योजना है? हम सामान्य रूप से भारत के मछुआरा समुदाय और विशेष रूप से केरल के लिए एक विशेष पैकेज और एक विशेष योजना चाहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रधान मंत्री आवास योजना और केरल राज्य सरकार की एल.आई.एफ.ई. योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि पर्याप्त संख्या में घर बनाने के लिए अपर्याप्त है। वर्तमान स्थिति यह है कि जिन लोगों को इन योजनाओं के तहत घर मिले हैं, वे उन्हें पूरा

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं। <https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers>

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

नहीं कर पा रहे हैं। ये घर अधूरे बने हुए हैं। पूरे केरल में बड़ी संख्या में लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं।

समुद्री कटाव जैसी कई चुनौतियां हैं। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मछुआरा समुदाय के सामने सबसे बड़ी समस्या जलवायु परिस्थितियां हैं। मछुआरे तटीय क्षेत्र से दूर नहीं जा सकते। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप संक्षेप में प्रश्न पूछिए। मैं प्रश्नकाल में सभी माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का मौका दूँगा, लेकिन आप संक्षेप में प्रश्न पूछिए।

[अनुवाद]

श्री हिबी ईडन : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।

उन्हें बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को इस समुदाय के लिए घर बनाने के लिए एक विशेष योजना लानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गिरिराज सिंह : महोदय, वर्ष 1991-92 से मछुआरों के आवास की योजना है, लेकिन पहले उसमें मात्र 50 हजार रुपये दिए जाते थे, फिर बढ़कर 75 हजार रुपये हुए, लेकिन प्रधान मंत्री जी ने इसे बढ़ाकर 1 लाख 20 हजार रुपये किया। मछुआरों के लिए क्लस्टर में आवास बनाने की हमारी एक विशेष योजना भी है। इसके अंदर हम उन्हें आवास देते हैं, पेयजल के लिए भी 50 हजार रुपये देते हैं। हिमालयी क्षेत्रों या नॉर्थ-ईस्ट में यह राशि 60 हजार रुपये की है। इसके साथ ही हम वहाँ 4 लाख रुपये का कम्युनिटी हॉल भी बनाकर देते हैं। हमारी यह योजना है... *(व्यवधान)*

डॉ. शशि थरूर : सर, अभी उनके घर टूट रहे हैं... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

यह समस्या विशेष रूप से मछुआरा समुदाय से जुड़ी है, खासकर केरल राज्य में। देश के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरे बेहद दयनीय और कठिन हालात में जीवन गुजार रहे हैं।

निर्माण के लिए आवास योजना के संबंध में, भारत सरकार द्वारा तटीय क्षेत्र में घर बनाने के लिए दी जाने वाली धनराशि मात्र 1.20 लाख रुपये है। जहाँ तक अन्य क्षेत्रों का सवाल है, पहाड़ी इलाकों के लिए यह धनराशि 1.30 लाख रुपये है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान केरल राज्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। 2016-17 और 2017-18 से हमने एक योजना बनाई जिसके तहत प्रत्येक मछुआरे को 10 लाख रुपये दिए जाएंगे जिनमें भूमि खरीदने के लिए 6 लाख रुपये और मकान के निर्माण के लिए 4 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। यह वह योजना है जिसे केरल राज्य में एक विशेष पैकेज के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है, जो केरल राज्य से योजना निधि से पूरी तरह से बाहर है।

माननीय मंत्री जी से मेरा विशेष प्रश्न दो भागों में है। सबसे पहले, क्या भारत सरकार इस योजना में सहायता पर विचार करेगी, क्योंकि यह एक बहुत ही सुंदर और अच्छी योजना है, ताकि केरल राज्य की मदद की जा सके जिसके माध्यम से मछुआरों को लाभ होगा।

दूसरा, भारत सरकार के निर्णय के कारण दिसंबर से मछुआरों को मिट्टी के तेल का आबंटन बंद कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मछुआरों को मिट्टी के तेल का आबंटन तत्काल प्रभाव से फिर से शुरू किया जाएगा। ये मेरे दो पूरक प्रश्न हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरिराज सिंह: महोदय, माननीय सदस्य का यह प्रश्न मछुआरों के आवास और वेलफेयर से जुड़ा हुआ है। मैंने सीधा कहा कि विभाग के द्वारा जो अभी योजना चलाई जा रही है, उस योजना में 1.2 लाख रुपये दिए जाते हैं। अगर वे क्लस्टर में होंगे तो उनकी पेयजल की भी व्यवस्था होगी और कम्युनिटी हॉल भी होगा।

जहां तक केरल का सवाल है, केरल राज्य इस पर एडिशनल टॉप-अप कर रहा है। कई राज्य सरकारें केन्द्रीय योजना के ऊपर टॉप-अप कर रही हैं। हमारी तरफ से अभी जो योजना है, यह पूरी योजना पूरे देश में समुद्री तट से लेकर नॉर्थ और साउथ, सब के लिए एक ही योजना है।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : सर, मेरे केरोसीन वाले प्रश्न का जवाब नहीं आया।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज, यह केरोसीन वाला मामला पहले आ चुका है।

[अनुवाद]

श्री टी. एन. प्रथापन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मछुआरा समुदाय भारत का सबसे दयनीय और पिछड़ा हुआ वर्ग है। ये जन्म से ही कर्ज के बोझ तले दबे होते हैं, जीवन भर कर्ज में रहते हैं और अंत में भी कर्ज में ही अपनी जिंदगी समाप्त करते हैं। इनमें से अधिकांश लोग भूख और गरीबी से जूझ रहे हैं। आदिवासी समुदाय के बाद यह देश का सबसे अधिक वंचित और दुर्बल समुदाय है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप शॉर्ट में क्वेश्चन पूछिए। मछुआरों की कंडीशंस तो पूरा देश जानता है।

[अनुवाद]

श्री टी. एन. प्रथापन: मैं मछुआरा समुदाय की भावना साझा कर रहा हूं। उनके पास एक उचित आश्रय भी नहीं है। अधिकांश मछुआरों की यही स्थिति है। यदि किसी के पास अपना घर भी हो, तो वह कोई राहत नहीं है क्योंकि अक्सर उनके घर तटीय कटाव और अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात में नष्ट हो जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पर्याप्त वित्तीय सहायता के साथ गरीब मछुआरों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए एक विशेष पैकेज पेश करेगी। वास्तव में, ऐसी स्थितियों में इन लोगों की मदद के लिए हमारे पास कोई योजना या परियोजना नहीं है।

[हिन्दी]

श्री गिरिराज सिंह: महोदय, मैंने पहले भी कहा, मछुआरे बेचारे बहुत-सी समस्याओं से घिरे हैं।

माननीय अध्यक्ष: आप यह भी तो बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने आपका विभाग अलग से बना दिया है।

श्री गिरिराज सिंह: महोदय, हम मछुआरों की दो लाख रुपये तक जीवन बीमा करते हैं। जो बैंन पीरियड होता है, उसमें भी हम उनको सपोर्ट करते हैं। उनके पूर्ण अपंगता की स्थिति में भी हम दो लाख रुपये तक का सपोर्ट करते हैं। उनके आवास के लिए जो माननीय सदस्य कह रहे हैं तो हमारी जो विशेष योजना है, वह आवास के लिए है, उसमें 1.2 लाख रुपये दिए जाएंगे। उनका इंश्योरेंस, कम्युनिटी हॉल, पीने का पानी आदि की सुविधाएं भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप निश्चित रहें, आप सभी माननीय सदस्य जिस बात के लिए इतने चिंतित हैं, अगले सत्र में समय निकाल कर इस विषय पर स्पेशल रूप से चर्चा कराई जाएगी।

डॉ. शशि थरूर : सर, मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनके लिए आवास योजना है, यह हम मानते हैं। लेकिन, उस आवास योजना में पैसे बहुत कम हैं। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि आप यह भी देख लीजिए कि जिनके पास घर हैं, ये घर तो समुद्र के आक्रमण से टूट रहे हैं। आप इसके लिए कोई पैकेज बनाइए, जिससे इनकी कुछ मदद हो सके। अगर आप सारा कुछ स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रखेंगे तो उनके पास इसके लिए सफिशिएंट पैसे नहीं होंगे। वैसे आजकल केरल में कुछ तो हो ही रहा है, पर यह काफी नहीं है।

सर, जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि वे एक लाख 20 हजार रुपये दे रहे हैं तो इससे कुछ होता नहीं है। केरल में, जहां लोगों की जमीनें और घर दोनों चले गए हैं तो आप कहां घर बनाएंगे? जमीन के लिए, घर के लिए, आप दो लाख रुपये की बीमा योजना की बात कह रहे थे। दो लाख रुपये में तो घर भी नहीं बनाया जा सकता है और जमीन तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मछुआरों के लिए एक सीरियस स्कीम बनानी चाहिए।

श्री गिरिराज सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, मैं इनका सम्मान करता हूँ कि उन्होंने एक मानवीय पक्ष रखा है। अभी जो स्कीम है, उसे मैंने इनके सामने रखने का काम किया है। अगर आगे कुछ होगा तो मैं इनसे बात करूँगा।

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने एक नया शब्द 'ब्लू रिवॉल्यूशन' दिया। अभी तक हमने 'व्हाइट रिवॉल्यूशन' और 'ग्रीन रिवॉल्यूशन' शब्द सुना था। हमारे झंडे में जो चक्र होता है, वह प्रगति का सूचक होता है और उसका रंग नीला होता है। पानी का रंग भी नीला होता है। मैं दूसरा आभार इसके बारे में व्यक्त करना चाहता हूँ कि 'एनीमल हस्बैण्ड्री एण्ड फिशरीज़' को एक नया मंत्रालय बना दिया गया। मैं तीसरा आभार इसके लिए प्रकट करना चाहूँगा कि फिशरीज़ को एग्रीकल्चर का दर्जा दे दिया गया।

महोदय, अब मैं लम्बी कमेन्ट्री न करते हुए सीधे मूल प्रश्न पर आता हूँ। 'प्रधान मंत्री आवास योजना' में भी एक लाख बीस हजार रुपये मिलते हैं।²

माननीय अध्यक्ष: कोई माननीय सदस्य किसी सदस्य पर टिप्पणी नहीं करेगा। इसे रिकॉर्ड से निकाल दिया जाए।

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल : सर, इस योजना में एक लाख बीस हजार रुपये मिलते हैं। संयोग से, अभी बीस दिनों पहले मैं उत्तर प्रदेश में 'एनीमल हस्बैण्ड्री एण्ड फिशरीज़' विभाग का कैबिनेट मिनिस्टर था। इसमें एक लाख बीस हजार रुपये दिए जा रहे हैं, वह तो ठीक है, लेकिन इसमें एक शर्त है, जो हमारे लिए व्यावहारिक नहीं है कि ये जो आप 20 आवास देंगे, वे एक ही जिले में बनेंगे और एक ही जगह पर बनेंगे। [अनुवाद] इसका मतलब है कि जिस गांव में ये बनेंगे, उसमें वही ग्राम सभा हो गयी, वही ग्राम पंचायत हो गया, वही ब्लॉक हो गया और वही पार्लियामेंट की कंस्टीट्यून्सी हो गयी। [हिन्दी] अगर आप इन्हीं 20 आवासों को पात्र व्यक्तियों को ही बीस अलग-अलग जगहों पर, जैसे चार गांवों में या पाँच गांवों में या हर विधान सभा क्षेत्र में दो-दो दे

² कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

देंगे तो यह सही होगा और आपको इसके लिए एक रुपये का भी अलग से वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक समस्या है कि मेरठ, मुज़फ़्फ़रनगर, गाज़ियाबाद, नोएडा में निषाद समाज के बीस भवनहीन लोग मिलते ही नहीं हैं। उस जिले में एक, दो, तीन, पाँच की संख्या में वे मिल जाएंगे। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए लिख दिया जाता है कि हमारे यहां पात्र व्यक्ति नहीं हैं। इसलिए इस पूरे जिले में जहां पात्र व्यक्ति हों, उन्हें दे दें। आप पर एक रुपये का भी अलग से वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। अगर इसके लिए वहां के एम.एल.ए. और एम.पी. की सहायता ले लेंगे तो वे आपको एक मिनट में पात्र व्यक्तियों के बारे में बता देंगे।

सर, मेरी दूसरी बात है कि इस योजना का नाम 'राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना' है। उत्तर प्रदेश में लोग 'मछुआरा' शब्द सुनना पसन्द नहीं करते हैं। इसे अंग्रेजी में 'फिशरमैन' कहते हैं। अगर आप इसका नाम बदलकर 'राष्ट्रीय निषाद राज गुहा आवासीय योजना' कर दें तो हमारे निषाद समाज के लोगों को आप बहुत मान-सम्मान देंगे। इसमें भी आपको एक रुपये का वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। आप उन्हें मकान दे रहे हैं। जैसे माननीय प्रधान मंत्री जी ने शौचालय को केवल 'इज्जतघर' कहा है, उसी के साथ यह अच्छा लगने लगा है। 'मछुआरा' शब्द को लोग उत्तर प्रदेश में पसन्द नहीं करते हैं। आप केवट जी के नाम पर इसे रख दें, जिन्होंने भगवान राम को सरयू पार कराई थी अथवा उनके राजा हुए, जिन्हें पूरे देश में लोग मानते हैं, आप उनके नाम पर इसे रख दें। आप इसे 'राष्ट्रीय निषाद राज गुहा आवासीय योजना' कर दें।

महोदय, इसमें जो एक ही गांव में 20 क्लस्टर्स की बाध्यता रख दी है, इसे हटा दीजिए। आप पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गिरिराज सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, बघेल साहब इस विभाग को अपने राज्य में देख चुके हैं और वे अनुभवी भी हैं। इन्होंने जो एक परिवार को घर देने की बात कही है तो मैं यह सदन में कह रहा हूं कि एक परिवार को भी यह मिलेगा।

[अनुवाद]

एडवोकेट ए.एम. आरिफ: महोदय, मछुआरा समुदाय के कल्याण के लिए राष्ट्रीय योजना के अनुसार, केन्द्रीय सरकार आवास निर्माण के लिए अपने हिस्से के रूप में केवल 60,000 रुपये दे रही है। इकाई की कुल लागत 1,20,000 रुपये है। आप केवल 60,000 रुपये दे रहे हैं।

दूसरी ओर, केरल सरकार 4,00,000 रुपये में से 3,40,000 रुपये दे रही है। केरल में, 5600 आवासहीन लाभार्थियों का चयन किया गया है; 4,000 घरों का निर्माण हो चुका है और लाभार्थियों को वितरित किया जा चुके हैं। माननीय सदस्य, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी ने एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान दिलाया है कि 12,600 मछुआरों को भूमिहीन और आवासहीन के रूप में चिन्हित किया गया है।

केरल सरकार उन्हें 6 लाख रुपये भूमि खरीदने के लिए और 4 लाख रुपये मकान बनाने के लिए दे रही है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ। क्या केंद्र सरकार इस धनराशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है? कृपया यहाँ दिए गए उत्तर के भाग (ड) की पूरी तरह से जांच करें। मुझे राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हुई है कि उन्होंने उक्त धनराशि बढ़ाने हेतु केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसलिए, मैं केंद्र सरकार से इस धनराशि को बढ़ाने का अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्री गिरिराज सिंह: महोदय, केरल सरकार से कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास नहीं आया है। मैंने पहले भी कहा कि हमारी जो योजना है, उस योजना तथा फेडरल स्ट्रक्चर में सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि राज्यों की कई योजनाएं होती हैं। उनमें से कई योजनाएं 90:10 की रहती हैं, कई योजनाएं 50:50 की होती हैं, कई योजनाएं 60:40 की होती हैं, उस शेयर के अनुसार फेडरल स्ट्रक्चर में योजनाएं चलती हैं और सभी माननीय सदस्य भी इससे अवगत हैं। हमारी जो योजना है, उसको मैंने आपके सामने रखा है। अभी केरल सरकार की ओर से हमारे पास कोई योजना नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 322 और 337 एक ही नेचर के हैं, इसलिए मैं इन दोनों को क्लब कर रहा हूँ।

(प्रश्न संख्या 322 और 337)

[हिन्दी]

श्री सुनील कुमार पिंटू : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा क्वेश्चन इस बात पर था, हम सभी सदस्य यहां बैठे हैं, हममें से ज्यादातर सदस्य ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, आज भी ब्लॉकों में प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत जिनके घरों का चयन होता है, अगर पंचायतों की वेबसाइट पर उनकी सूची उपलब्ध हो जाएगी, तो आज जो बिचौलिए गांवों में जाकर लोगों से कहते हैं कि आपका नाम प्रधान मंत्री आवास योजना में जुड़वा देंगे, आपका नाम सूची में आ जाएगा, यह कहकर आज भी बिचौलिए लोगों से ठगी का काम करते हैं, उस पर रोक लग सकती है। मेरा क्वेश्चन यह था।

माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि यह राज्य से संबंधित मामला है। परंतु, जो केन्द्र के पैसे जा रहे हैं, जैसा हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं कि हम जो एक रुपया भेजना चाहते हैं, वह डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में जाए। जब तक लाभार्थियों की सूची वहां की पंचायतों की वेबसाइट पर अपलोड नहीं होगी, उसकी डिटेल्ड जानकारी सभी को नहीं मिलेगी, तब तक यह संभव नहीं है कि हम बिचौलियों को बीच से रोक सकें, इसलिए मेरा सीधा प्रश्न आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पंचायत एंटरप्राइज सूइट (पीईएस) बनाकर योजनाओं को उसमें डालने का काम किया गया है। अब तक उनकी सारी सूची किन-किन लाभार्थियों को दी गई, अगली किस्त किनको मिलने वाली है, क्या आप इस प्रकार की जानकारी वेबसाइट पर रखने का विचार रखते हैं?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न था कि प्रत्येक पंचायत या स्थानीय निकाय को अपनी वेबसाइटों को बनाने अथवा जो कार्यकलाप हैं, उनको अपलोड करने के लिए अनुमति दी जाएगी या इस प्रणाली को पारदर्शी बनाने का कोई विचार किया जाएगा।

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि भारत सरकार देश की हर पंचायत को डिजिटल इंडिया से जोड़ने के लिए प्रयत्नशील है। हर पंचायत में कनेक्टिविटी उपलब्ध हो, यह

हमने सुनिश्चित करने की कोशिश की है। भारत नेट के द्वारा वर्ष 2014 में 59 पंचायत ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी थीं और आज हम 1,28,118 ग्राम पंचायतों को जोड़ देंगे।

जहां तक पंचायत मंत्रालय का सवाल है, तो पंचायत मंत्रालय भी लगातार इस बात के लिए प्रयत्न कर रहा है, चाहे वह फाइनैन्शियल हिसाब-किताब का मामला हो, चाहे जी.पी.डी.पी. बनाने का मामला हो, उसको पब्लिक डोमेन में डालने का मामला हो, चाहे निगरानी की व्यवस्था हो, हर दृष्टि से पंचायतों को अपनी वेबसाइट बनाने की आजादी है। अगर पंचायतें हमारे पोर्टल पर जुड़ना चाहती हैं, तो निश्चित रूप से हमने उनको सारी सर्विस प्रोवाइड कर रखी हैं और वे अपना हिसाब-किताब रख सकते हैं।

जहां तक प्रधान मंत्री आवास का सवाल है, तो मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का बिचौलिया या किसी भी प्रकार के बीच के व्यक्ति को यह भारत सरकार नहीं रहने देगी, इसके लिए उसकी प्रतिबद्धता है। हमने कोशिश की है कि आवास या अन्य योजनाओं के लिए जो एसईसीसी सर्वे, 2011 है, उसमें जो गरीब व्यक्ति है, उससे हमने सूची को उठाया है। ग्राम सभा में उसके अनुसार सुधार करवाया है और उसके बाद उसको आवास देने की स्थिति बनती है। जो आवास दिया जाता है, उसका पुराने घर के साथ फोटो भी खींचा जाता है। वह हमारी आवास वेबसाइट पर लोड होती है। माननीय सदस्य कभी भी ग्रामीण विकास मंत्रालय में आएंगे, तो उनके क्षेत्र के हर गांव के पात्र हितग्राही का हिसाब-किताब, फोटो, जियो टैगिंग आदि सारी चीजें उनको उपलब्ध होंगी।

श्री सुनील कुमार पिंटू : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने इसके बारे में बड़े विस्तार से बताया। मंत्री जी ने बताया कि फोटो अपलोड होती हैं और उसकी सारी जानकारी दी जाती है। यह उनकी जानकारी होती है, जिनको आप किस्त देते हैं। बिचौलिये सूची में नाम जुड़वाने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। आप जो सूची प्रकाशित कर रहे हैं, आप उस सूची को तब प्रकाशित करते हैं, जब आप उनको लाभार्थी मानकर किस्त देते हैं, तब लोड करते हैं। अध्यक्ष जी की के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि उनकी सूची, आप जिन्हें चयनित करते हैं, उनको पहले लोड करें। उनकी पूरी सूचना आपके पोर्टल पर हो। आपके मंत्रालय द्वारा सभी पंचायतों को

इस बात के लिए इंस्ट्रक्शन हो कि हर हालत में सबकी वेबसाइट बने और जितने भी लाभार्थी हैं, उनके नाम उस वेबसाइट पर दर्ज हों। ... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता निश्चित रूप से सही है। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि नीचे तक पारदर्शिता होनी चाहिए। भारत सरकार ने गत पांच वर्षों में पारदर्शिता और शुचिता को बढ़ाने के लिए समग्र प्रयास किए हैं। मैं पुनः आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जो प्रधान मंत्री आवास का सवाल है, उस प्रक्रिया को एक बार आप हमारे साथ बैठकर समझ लें। उसके बाद आपको कोई खामी दिखे, तो निश्चित रूप से उसमें सुधार किया जाएगा। हमने भारत सरकार की ओर से प्रत्येक पंचायत को यह भी निर्देश दिया है कि जो चयनित हितग्राही हैं, उनकी सूची ग्राम पंचायत के कार्यालय में सूचना-पट्ट पर लगनी चाहिए। अगर यह सूची नहीं लगी है, तो आप उस स्पेसिफिक पंचायत और जिले के बारे में बताइए। हम निश्चित रूप से राज्य सरकार से इस बारे में पत्राचार करेंगे।

श्री पिनाकी मिश्रा : अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आप जो ये प्रश्न क्लब कर लेते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और सारा हाउस इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहेगा। यह बहुत अच्छी प्रक्रिया आपने शुरू की है।

महिला सरपंच के लिए रिजर्वेशन की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष जी, आपको शायद पता होगा कि ओडिशा ने उनको 50 प्रतिशत रिजर्वेशन दे रखा है। नवीन पटनायक जी ने यह पहली बार दिया। इसके पहले बीजू पटनायक जी ने उनको एक-तिहाई रिजर्वेशन दिया था, जिसे नवीन पटनायक जी ने बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया। कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 243 (डी) में महिलाओं को रिजर्वेशन देने की पॉवर पार्लियामेंट के पास है। यह बहुत ही इंपोर्टेंट इश्यू है। क्या सरकार इसको कंसिडर करेगी कि सारे देश में यह 50 प्रतिशत होना चाहिए? आज भी यह बहुत से स्टेट्स में नहीं है। अध्यक्ष जी, यह बेडरॉक है। जो महिलाएं आ रही हैं, आज इस हाउस के अंदर 78 महिलाएं हैं, हम चाहते हैं कि 200-250 महिलाएं इस हाउस में आएँ। इसका बेडरॉक है पंचायती राज सिस्टम में महिलाओं का रिजर्वेशन। क्या सरकार चाहेगी

कि इसको हाउस में जल्द से जल्द लाया जाए? बिना किसी डिबेट के बाई पार्टिजन बेसिस पर इसको पास कराना चाहिए। साथ में, ऑफ कोर्स एक-तिहाई महिला विधेयक बिल भी लाना चाहिए।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: अध्यक्ष महोदय, देश में 2,53,380 ग्राम पंचायतें हैं और इनमें 31 लाख जन प्रतिनिधि चुन कर आते हैं। 31 लाख में से 14.39 लाख लगभग 46 परसेंट महिला प्रतिनिधि चुन कर आती हैं। वे निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वे जिस क्षेत्र में चुन कर आती हैं, मैंने देखा कि अनेक ग्राम पंचायतों की अधोसंरचना से हट कर सामाजिक क्षेत्र के समावेशन के कार्यक्रम हैं, उनमें महिला सरपंचों का बहुत योगदान रहता है। मिश्रा जी की बात अपने स्थान पर सही है लेकिन मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि देश में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में महिलाओं के लिए 50 परसेंट महिलाओं के लिए आरक्षण है। हम निश्चित रूप से इस दिशा में चर्चार्त हैं।

श्री पिनाकी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, प्रैक्टिकल स्तर पर एक समस्या होती है, इसमें महिलाओं को थोड़ी हैंड होल्डिंग की जरूरत है। मेरा केन्द्र सरकार से प्रश्न यह था, उन्होंने कहा है कि सेक्रेटरी लेवल पर पोजिशनिंग करते हैं। केन्द्र सरकार हैंड होल्डिंग के लिए कंस्टीट्यूशनली कुछ करे ताकि महिलाओं को ज्यादा सशक्तीकरण मिले और वह इंडिपेन्डेंटली काम कर सकें। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इसके कोई इंडिपेन्डेंटली प्रोविजनिंग करें।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: अध्यक्ष महोदय, जैसा पहले माननीय सदस्य ने बताया कि पंचायत राज्य का विषय है, निश्चित रूप से पंचायत राज्य का ही विषय है। केन्द्र सरकार पंचायतों को आगे बढ़ने और अधोसंरचना निर्मित करने, पैसा देने, निगरानी करने, जीपीडीपी और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सहयोग करती है। अभी तक जो दृष्टिगोचर हो रहा है, देश में सभी पंचायतों में लगभग सभी जगह पंचायत सचिवों की व्यवस्था है। यह व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से की जाती है, जो पैसा फाइनेंस कमीशन का हम लोग देते हैं, उसमें प्रावधान है कि दस परसेंट रखरखाव और प्रशासनिक व्यवस्था में खर्च कर सकते हैं। मुझे बताते हुए

प्रसन्नता है कि जब 13वाँ वित्त आयोग था, उसमें ढाई लाख पंचायतों को 65 हजार करोड़ रुपये दिए जाते थे। जब 14वें फाइनेंस कमीशन की रिक्मण्डेशन आई तो फाइनेंस कमीशन ने कहा कि 2,00,292 करोड़ रुपये ग्राम पंचायतों को देने चाहिए। मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, गांव को आगे बढ़ाने की दृष्टि से कि गांव आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, इस कल्पना को साकार करने के लिए 2,00,292 करोड़ रुपये देना स्वीकार किया। यह 13वें फाइनेंस कमीशन से लगभग तीन गुना है, इसका बहुत उपयोग हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर इसकी आवश्यकता पंचायतों में है तो आप राज्य सरकार से बात करेंगे। इसमें राज्य सरकार सक्षम है वह निर्णय कर सकती है।

[अनुवाद]

श्री शिशिर कुमार अधिकारी: महोदय, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। माननीय पंचायती राज मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। [हिन्दी] देश बढ़ रहा है, गांधी जी सड़क चाहते हैं। हमने खुद वर्ष 1963 में पंचायत चुनाव जीता था। हमारी एक रिक्वेस्ट है। मैं केन्द्र में भी रूरल डेवलपमेंट स्टेट मिनिस्टर था। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट गांव के डेवलपमेंट के लिए पंचायत को पैसा देते हैं। [अनुवाद] मेरा मछुआरा समुदाय के संबंध में एक प्रश्न है। माननीय गृहमंत्री यहाँ उपस्थित नहीं हैं लेकिन कुछ जिम्मेदार मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूँ कि जो तटीय सीमा पर रहने वाले लोग मुख्य रूप से मछुआरे हैं, उनके संबंध में एक आयोग बनाया जाना चाहिए। सभी तटीय राज्यों को मिलाकर कुल समुद्र तट लगभग 7,800 किमी है और वहाँ मुख्य रूप से मछुआरे रहते हैं। माननीय मत्स्य पालन मंत्री बिहार से हैं, मुझे लगता है कि वे इस पर बोलेंगे। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पंचायती राज मंत्री और माननीय मत्स्य पालन मंत्री दोनों का ध्यान इस सहसंबद्ध मामले की ओर आकर्षित करता हूँ।

मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जैसा कि अध्यक्ष महोदय चाहते हैं, इस मामले पर गंभीरता से चर्चा करने के लिए तटीय क्षेत्रों से आने वाले संसद सदस्यों की एक बैठक बुलाएं। मैं माननीय पंचायत राज मंत्री और आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पर गौर करने के लिए एक आयोग का गठन करें। [हिन्दी] एक कमीशन

बनना चाहिए। पंचायत को इतनी राशि दी जाती है, लेकिन पंचायत का कोई इरादा नहीं लगता है। उन्होंने कितनी संपत्ति क्रिएट की है, यह अप टू डेट होना चाहिए। कितना पैसा है और कहां जाता है, इसके बारे में बहुत प्रश्न आते हैं। [अनुवाद] मैं इस प्रश्न पर नहीं जाऊंगा। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे हमें सूचित करें कि अब तक कितनी धनराशि वितरित की गई है और इसके परिणामस्वरूप कितनी संपत्ति तथा स्थायी परिसंपत्तियां निर्मित हुई हैं। इसका रिकॉर्ड होना चाहिए और इसे ऑडिट में दिखाना चाहिए। जैसा कि हमने लेखा परीक्षा में देखा है, कोई संपत्ति पंजीकरण मौजूद नहीं है। यह प्रावधान नगर निगम कानून और स्थानीय निकाय कानून में होता है। [हिन्दी] लोकल बॉडी के पास परमानेंट प्रापर्टी की लिस्ट रहती है कि पंचायत के पास कितनी संपत्ति है।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य की चिंता से आप भी पूरी तरह से वाकिफ हैं। सदस्य ने पहला प्रश्न कमीशन बनाने के बारे में कहा और मछुआरों के बारे में चिंता व्यक्त की। आपने स्वयं ही व्यवस्था दी कि अगले सत्र में इस पर विस्तार से चर्चा होगी। ... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी की व्यवस्था से बड़ी कोई व्यवस्था नहीं होती है। इस पर निश्चित रूप से बातचीत होगी। यहां गिरिराज सिंह जी बैठे हैं, निश्चित रूप से वह इससे अवगत हो ही रहे हैं।

जहां तक माननीय सदस्य का दूसरा प्रश्न है कि पंचायतों में पैसा जाता है लेकिन दिखाई नहीं देता, मैं समझता हूँ कि यह बात बीते हुए कल की बात हो सकती है। जब से हम लोग आए हैं, तब से हम लोगों ने कोशिश की है कि ग्राम पंचायत का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आना चाहिए। जब तक यूसी नहीं आता, तब तक हम कोई भी पैसा ग्राम पंचायत को रिलीज नहीं करते हैं।

हमने पंचायतों में विकास के काम में सुनिश्चित किया है कि पहले ग्राम पंचायत डैवलपमेंट प्लान बनना चाहिए। तीन साल तो ग्राम पंचायत डैवलपमेंट प्लान बनकर आए, लेकिन वे ठीक प्रकार से नहीं थे, फिर हमने उनको एक व्यवस्था दी। मुझे प्रसन्नता है कि इसके अंतर्गत 2 लाख 19 हजार ग्राम पंचायत डैवलपमेंट प्लान बनाकर ग्राम पंचायतों ने केंद्र सरकार को सबमिट किए हैं। मैं समझता हूँ अभी 16 लाख से अधिक

कार्य चल रहे हैं। इनको आप तकनीकी प्रयोग द्वारा स्वयं भी देख सकते हैं और मेरे कार्यालय में आए तो मैं भी आपको दिखा सकता हूँ।

श्रीमती गीता कोडा: माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैं इसके लिए माननीय सदस्य पिनाकी जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने महिला सरपंचों के अधिकारों के बारे में प्रश्न किया। मैं एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते निचले पायदान की महिला जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को सदन में रखना चाहती हूँ। मैं जिस राज्य से आती हूँ, यह नया राज्य है। यहां वर्ष 2010 से पंचायत चुनाव हो रहे हैं। आज वहां की महिलाएं, सरपंच, मुखियागण डर के माहौल में जी रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष: आपका प्रश्न क्या है?

...(व्यवधान)

श्रीमती गीता कोडा : महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए, मैं उसी प्रश्न पर आ रही हूँ। आज वहां लोग डर के माहौल में जी रहे हैं क्योंकि जो भी योजनाएं हैं, सचिव उनको नहीं दे रहे हैं, वहां इंजीनियर नहीं हैं। वे जो भी योजनाएं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सभी जांच के घेरे में हैं, आधे से अधिक मुखिया और सरपंच जेल में हैं। ऐसे में कैसे पंचायतों का काम होगा? सरकार द्वारा जारी योजनाएं कैसे इम्प्लीमेंट होंगी? बकरी शैड के नाम पर कई मुखिया जेल के अंदर हैं। छोटी-छोटी योजनाओं पर जांच बिठाकर, बड़े अधिकारी, चाहे ब्लॉक स्तर के बीडीओ हों या सीईओ, मस्ती कर रहे हैं लेकिन मुखियागण जेल के अंदर हैं।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि इनको पूर्ण अधिकार दिए जाएं। वहां के अधिकारी, चाहे सचिव हों या इंजीनियर, उनको पूर्ण हैंड दिया जाए।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय अध्यक्ष जी, हमारी बहन सदस्य की चिंता है, उनके क्षेत्र में थोड़ा भयमुक्त माहौल होना चाहिए। मैं उन्हें आश्वासन करना चाहता हूँ कि भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भयभीत उन लोगों को होना चाहिए जो अमानत में खयानत करते हैं या गरीब का पैसा खाने की कोशिश करते हैं। भारत सरकार पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया से काम कर रही है। हम 2 लाख 53 हजार पंचायतों को सीधा उनके एकाउंट में पैसा दे रहे हैं। आप ग्राम पंचायत डैवलपमेंट प्लान बनाइए, उसकी प्रियारिटी ग्राम सभा में

फिक्स कीजिए और तदनुसार काम करने के लिए आगे बढ़िए और अगर इसके बाद भी आपको कोई शिकायत हो तो मुझे शिकायत कीजिए, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा।

[अनुवाद]

श्री ए. राजा: महोदय, हम पंचायत स्तर पर पारदर्शिता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। संविधान के 73^{वें} संशोधन के बाद, सभी पंचायतों को लघु गणराज्य के रूप में सशक्त बनाया गया था। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लोगों द्वारा विधिवत निर्वाचित तीन स्तर -पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर हैं।

चूँकि, हम पारदर्शिता के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मैं माननीय मंत्री जी से एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कुछ राज्य स्थानीय निकाय चुनाव कराने के इच्छुक नहीं हैं। जब तक स्थानीय निकाय चुनाव नहीं होते हैं, तब तक हम पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री जी को अधिक स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ कि तमिलनाडु में, कई वर्षों से, कोई स्थानीय निकाय चुनाव नहीं हुआ है। सभी स्तरों पर, हर जगह वसूली, कमीशन और भ्रष्टाचार व्याप्त है। क्या माननीय मंत्री इस संबंध में कोई कदम उठाएंगे? मैं माननीय मंत्री से यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या वे स्थानीय निकाय चुनावों के आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए कोई कठोर कानून लागू करने वाले हैं?

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि तमिलनाडु राज्य में ग्राम पंचायत का चुनाव होना चाहिए, यह बहुत आवश्यक है। इसके लिए केंद्र सरकार ने उनसे बार-बार आग्रह किया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ जहां ग्राम पंचायत का निर्वाचन नहीं होता, उन राज्यों को हम फाइनैस कमीशन का कोई भी रुपया केंद्र सरकार से रिलीज ही नहीं करते हैं। हमने उनसे आग्रह किया कि वे चुनाव कराएं, हमारे पास पैसा है, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका कोई प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, वह बार-बार यही कहते हैं इसलिए चुनाव नहीं हो रहा है। मैं बताना चाहता हूँ जहां चुनाव नहीं होता है, हम कोई भी राशि रिलीज नहीं करते हैं।

श्री अधीर रंजन चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, बघेल जी ने नीली क्रांति की बात कही है, ब्लू रिवाल्युशन 7वें फाइव ईयर प्लान में हुआ था। तोमर जी विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, मैं दो चीजें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। 73वें संशोधन के कारण पंचायतों को बहुत किस्म के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन ये अधिकार मँडेटेड तो नहीं हैं। अगर मँडेटेड नहीं है तो आप कैसे पंचायत को अधिकार दे सकते हैं? अगर कोई राज्य नहीं चाहता कि हम अधिकार न दें तो आप क्या कर सकते हैं?

आपने कहा कि 13वें फाइनेंस कमीशन ने डिवाल्युशन ऑफ फंड किया। हर स्टेट में फाइनेंस कमीशन होता है, वह भी डिवाल्युशन करता है। अगर कोई राज्य फाइनेंस की रिकमेंडेशन न माने तो आप क्या करेंगे? यह तो रिकमेंडरी कैरेक्टर है। फाइनेंस कमीशन चाहता है कि इतने परसेंट डिवाल्युशन हो, अगर राज्य न माने तो आप क्या करेंगे? इसके ऊपर क्या कोई निगरानी या मॉनिटरिंग है? पंचायत जिसके लिए बनाया गया है, सही अधिकार पंचायत को मिले, फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरी। क्या आप कोई नई चीज लाना चाहते हैं?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय अध्यक्ष महोदय, अधीर रंजन जी इस सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायतें सशक्त हों, यह केंद्र और राज्य दोनों की इच्छा है। हम लोकतांत्रिक देश हैं तो निश्चित रूप से हमारे यहां संघीय व्यवस्था है। कुछ चीजें केंद्र करता है और कुछ चीजें राज्यों को करनी होती हैं। संघीय व्यवस्था में राज्यों पर अविश्वास करना, मैं समझता हूँ उपयुक्त नहीं होता। अभी अनेक राज्यों ने बहुत-सारे अधिकार ग्राम पंचायतों को प्रत्यायोजित किए हैं और मैंने पिछले सत्र में पंचायत मंत्रियों के साथ काफी लम्बी बैठक की थी। मैंने उनसे आग्रह किया था कि इसमें कुछ और बढ़ोतरी होनी चाहिए। शनैः शनैः राज्य सरकार की पंचायतें जिस प्रकार से क्षमतावान होती जा रही है, उस दिशा में वे कार्रवाई कर रहे हैं। जहां तक फंड और फंक्शनरी का विषय है, आज इसकी पूर्ति करने का प्रयत्न पूरी ताकत से हो रहा है। जैसा मैंने बताया कि हम फाइनेंस कमीशन द्वारा 2 लाख 292 करोड़ रुपये उपलब्ध करा रहे हैं, राज्य के फाइनेंस कमीशन का पैसा भी उन्हें मिलता है। आज मनरेगा श्रू पंचायत ही मूव कर रहा है, प्रधान मंत्री आवास योजना में भी उन्हीं के श्रू काम हो रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, वे ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही रूट होती हैं और ग्राम पंचायतों में तकनीकी

सपोर्ट हो, ग्राम पंचायतों में सचिव की व्यवस्था हो, यह सुनिश्चित करने का प्रयास हो रहा है। मैं समझता हूं कि अधिकांश पंचायतों में हो चुका है।

[अनुवाद]

श्रीमती लॉकेट चटर्जी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रालय से अनुरोध करूंगी कि वे आंकड़े उपलब्ध कराएं कि पश्चिम बंगाल में कितनी पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी दी गई है और कितनी को अभी भी जोड़ा जाना बाकी है और कार्य कब पूरा होगा। पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: यह सब्जेक्ट तो अन्य माननीय मंत्री जी का है।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने पूर्व में माननीय सदस्य के उत्तर में बताया था कि ऑप्टिकल फाइबर का काम सैद्धांतिक रूप से वर्ष 2011 में अनुमोदित हुआ था, लेकिन वर्ष 2014 में 59 ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी से जुड़ गई थीं, आज यह संख्या बढ़कर 1,28,000 ग्राम पंचायतें हो गयी हैं और आगे जो शेष 81,000 ग्राम पंचायतें हैं, वे भी शीघ्रता से कनेक्टिविटी से जोड़ी जाएं, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। हम माननीय सदस्य को इसकी सूची उपलब्ध करा देंगे।

(प्रश्न संख्या 323)

[अनुवाद]

श्री एस.आर. पार्थिवन: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सलेम में 45,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि है। सलेम आम, टमाटर, अन्य फलों और सब्जियों के लिए प्रसिद्ध है। उत्पादन मौसम में, किसानों को अपने उत्पादों की उत्पादन लागत भी नहीं मिल पाती है और अपर्याप्त शीतागार सुविधाओं के कारण उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जहाँ किसानों को अपनी उपज सड़कों पर फेंकनी पड़ती है। क्या सरकार द्वारा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एडप्पादी, ओमालुर, वीरापंडी और कन्ननकुरीची में से प्रत्येक में कम से कम 200 मीट्रिक टन की एक शीत भंडारण इकाई स्थापित की जाएगी?

[हिन्दी]

श्री परषोत्तम रूपाला: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कोल्ड स्टोरेज के बारे में चिंता जतायी है, वह सही है और उन्होंने अपने क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज प्रस्थापित करने के लिए भारत सरकार की ओर से कोई व्यवस्था होगी, ऐसा जानना चाहा है। आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हमारे विभाग में जो एक एमआईडीएच योजना है, इसके अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से और इंटरप्रेन्योर की ओर से यदि प्रोजेक्ट्स हमारे संज्ञान में लाए जाएंगे तो इनको मंजूर करने के प्रावधान हमारे पास हैं।

मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूंगा कि आपके स्टेट तमिलनाडु में इस साल 163 करोड़ के प्रावधान हमने किए हुए हैं और यदि स्टेट के शेयर भी वहां से आएंगे तो हम इस दरखास्त पर जरूर गौर करेंगे।

[अनुवाद]

श्री एस.आर. पार्थिवन: खाद्य और कृषि संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रति वर्ष 14 बिलियन डॉलर मूल्य के अन्न अनाज नष्ट हो जाते हैं। 2013-14 से 2017-18 के बीच लगभग 60,000 टन अन्न अनाज खराब हो गए और मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो गए। यह विडंबना है कि भारत में प्रतिदिन 27 करोड़

से अधिक लोग भूखे रहते हैं, जबकि बड़ी मात्रा में अन्न अनाज बर्बाद हो जाता है। माननीय मंत्री जी कृपया बताएं कि क्या सरकार अन्न अनाज की बर्बादी पर एक श्वेत पत्र प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखती है।

[हिन्दी]

श्री परषोत्तम रूपाला : सर, यह प्रश्न वैसे तो फूड एण्ड सिविल सप्लाय डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। इस सवाल में दो डिवीजन थे। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बता दूं कि एक ड्राय स्टोरेज का है और दूसरा कॉल्ड स्टोरेज का है। ड्राय स्टोरेज का डिपार्टमेंट मेनली फूड एण्ड सप्लाय डिवीजन की ओर से हो रहा है और गत सप्ताह में फूड एण्ड सिविल सप्लाय मिनिस्टर ने बताया था कि इनके पास जितनी आवश्यकता व जरूरत है, उतनी ही मात्रा में गोडाउन उपलब्ध हैं।

श्री देवसिंह चौहान : स्पीकर सर, धन्यवाद। जिस तरीके से मंत्री जी ने डिटेल में उत्तर दिया है, उसको पढ़कर लगता है कि हमारी सरकार ने जो लक्ष्य रखा है कि किसान की आय को वर्ष 2022 तक डबल करना है और डबल करने के लिए किसान को और किसान की उपज को जिस तरीके से हमारी सरकार ने स्कीम्स चलाई हैं, जैसे प्रोडक्शन टू पोस्ट हार्वेस्टिंग और प्रोडक्शन के बाद मार्केटिंग के लिए, तो जो कोल्ड स्टोरेज की शोर्टेज थी, उस शोर्टेज को काफी डाउन किया है। कोल्ड स्टोरेज की और परमिशन दी है। वैसे ही वैल्यू एडिशन के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनवाया है। पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद और मार्केटिंग के लिए भी इन्फ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी स्कीम्स सरकार ने चलाई हैं। मेरा प्रश्न यह है कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनको देखने के लिए कोई मैकेनिज्म है, जो इस प्रोग्रेस पर निगरानी रखे? एक और सवाल है कि गुजरात में जो प्रोजेक्ट सेंक्शन किया है, उसको आप कब तक पूरा करेंगे?

श्री परषोत्तम रूपाला: माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय देवसिंह जी हमारे खेड़ा जिला जो गुजरात का डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है, वहां से प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कोल्ड स्टोरेज के बारे में अपनी ओर से जिज्ञासा रखी है और गुजरात के बारे में जानना चाहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि गुजरात में इस साल के बजट में हमने 211 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। अभी तक गुजरात सरकार के पास जो गत साल के 377 करोड़ रुपये अनस्पेंड हैं, वह अभी भी अनस्पेंड हैं। आप राज्य सरकार के

साथ परामर्श करके इस साल के भी जो पैसे उपलब्ध हैं, वहां से कार्य योजना बनाकर यदि यहां आएंगे तो हम जरूर इसको मंजूर करने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण। कई माननीय सदस्यगण इस पर सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास पर बहुत डिटेल् में चर्चा है। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि अन्य मंत्रालयों के भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि सदन उचित समझेगा। इसलिए मैं अधिकतम सप्लीमेंट्री को मौका नहीं दे पा रहा हूं।

(प्रश्न संख्या 324 और 334)

श्री प्रतापराव जाधव : माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने इस प्रश्न के सन्दर्भ में माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग से मिट्टी की उर्वरता तेजी से कम हो रही है। क्या इस बारे में सरकार ने राज्य सरकार को खेती की सही तकनीक का उपयोग किए जाने का तथा रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बजाय अन्य जिन उर्वरकों उपयोग किए जाने के बारे में कोई प्रोग्राम बनाया है, जिससे किसानों को उचित फसल मिले और मुनाफा भी अधिक होगा? क्या इसका कोई आकलन आज तक कराया गया है? इस बारे में विशेषतः महाराष्ट्र सरकार को विगत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी सहायता राशि दी गई है और उसका विवरण क्या है?

श्री परषोत्तम रूपाला: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल उपस्थित किया है, वह किसानों की एक बहुत ही गंभीर समस्या के साथ जुड़ा हुआ विषय है। मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को बताना चाहूंगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक डिवीजन है, जिसके कोऑर्डिनेटर सेंटर्स हर रीजन में चलते हैं। ऐसे 18 सेंटर्स पर लॉग टर्म फर्टिलाइजर यूजेज पर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। उन सभी 18 सेंटर्स के नाम मैं यहां पढ़ना जरूरी नहीं समझता हूँ। जो अपने 15 क्लाइमैटिक जोन्स हैं, उन सभी विभागों में ये प्रयोग चल रहे हैं। उनके निष्कर्ष के रूप में अभी तक यह हमारे सामने आया है और यह एक बार किया हुआ नहीं है, हर साल इस प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं और इनका रिकॉर्ड भी मेनटेन किया जा रहा है कि किस जिले में किस प्रकार के खनिजों या पोषक तत्वों की कमी पाई जा रही है। उसी के अनुरूप उन राज्यों के किसानों को परामर्श भी दिया जा रहा है। अब हम गांवों तक इस प्रयोग को आगे बढ़ाकर, सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप से किसानों को इस प्रकार का मार्गदर्शन देने की व्यवस्था का पूरा कार्यक्रम पूरे देश में चला रहे हैं।

श्री प्रतापराव जाधव : माननीय अध्यक्ष जी, आप सभी को मालूम है कि 1972 के पहले, जब हमारे देश के सभी किसान ज़ीरो बजट खेती करते थे, तब उस टाइम हमारे देश की जितनी लोकसंख्या थी, उस पूरी लोकसंख्या को खाने के लिए पूर्ण होने वाला अनाज भी उत्पन्न नहीं होता था। उसके बाद सरकार ने कहा कि किसानों को हाईब्रिड सीड की बुआई करनी चाहिए, खाद देना चाहिए, इनसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का ज्यादा उपयोग करना चाहिए और ज्यादा अनाज का उत्पादन होना चाहिए। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि हमारा किसान इस आधुनिक तकनीक से इतना अनाज पैदा कर रहा है कि उसे रखने के लिए जगह भी हमारी सरकार के कम पड़ रही है। यह पहला ही प्रश्न था कि भण्डारों की संख्या बहुत कम है। आज हम किसानों को यह बता रहे हैं कि ज़ीरो बजट की खेती करो। मेरा एक ही प्रश्न है कि ज़ीरो बजट खेती करने के बाद क्या किसानों को अच्छा मुनाफा मिलेगा? क्या किसान अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर सकेगा और किसानों को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी? क्या इसके लिए कोई आकलन हुआ है? अगर हुआ है तो उसके क्या परिणाम हैं, इस बारे में बताने का मंत्री जी कष्ट करें।

श्री परषोत्तम रूपाला: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद ने अपने सवाल को बहुत व्यापक रूप दे दिया है। ज़ीरो बजट खेती करने के बारे में किसानों में हमें प्रयास करना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूंगा कि हमारे वित्त मंत्री जी के इस बजट भाषण में ज़ीरो बजट खेती का पहली बार उल्लेख हुआ है। परम्परागत कृषि का जो हमारा प्रोग्राम है, उसके चलते हम ज़ीरो बजट खेती के लिए दो हेक्टेयर तक 50,000 रुपये की मदद तीन साल तक करते हैं ताकि वे सस्टेन कर सकें। परम्परागत कृषि में उत्पादन के बारे में उन्होंने बताया है कि फिर किसानों का हाल क्या होगा। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अभी तक हमारी कृषि नीति का उद्देश्य रहता था कि उत्पादन कैसे बढ़ाएं, माननीय सदस्य ने भी बताया है कि जब हम परम्परागत कृषि कर रहे थे, तब तक हमारे पास अनाज की कमी रहती थी, अब हमारे पास अनाज बहुत बड़ी मात्रा में है। हम पूरे देश को भर पेट भोजन करा ही सकते हैं, दूसरे देशों को भी निर्यात करने की स्थिति में आ गए हैं, मगर उसी के चलते उनको अच्छे दाम मिलें। किसानों की स्थिति को ठीक करने के लिए प्रधान मंत्री जी ने प्रोडक्शन के साथ आय को जोड़कर,

किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य सरकार के सामने रखा है। इसके चलते प्रत्येक किसान को 6,000 रुपये की मदद, प्रथम बार सारे किसानों को देने का निर्णय हो गया है। अभी तक सात करोड़ किसानों के खाते में वह पैसे पहुंचा दिए गए हैं। जब किसान की आयु 60 वर्ष हो जाए और उसे काम करने में दिक्कत आने लगे तो उनके लिए पेंशन की व्यवस्था भी किसान पेंशन निधि के माध्यम से देने का काम, हमारे प्रधान मंत्री जी ने बहुत दूरदर्शिता दिखाते हुए, किया है। जो 6,000 रुपये किसानों को मिल रहे हैं, उसमें से भी वे पेंशन के लिए अपना हिस्सा कटवा सकें, ऐसी व्यवस्था भी कर दी गई है।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 334, श्री जनार्दन सिंह सिंग्रीवाल जी, आपका प्रश्न भी इससे क्लब कर दिया गया है। आप प्रश्न पूछिए।

श्री जनार्दन सिंह सिंग्रीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि रासायनिक खादों के उपयोग से खेत बंजर हो रहे हैं। उसके लिए सरकार ने कई योजनाएं जैसे मृदा कार्ड, मिट्टी की जांच के लिए प्रयोगशालाएं बनाना इत्यादि भी चलाई हैं और इनके माध्यम से बहुत-से किसानों को इसमें राहत भी मिली है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं कि मृदा कार्ड देकर किसानों का इसके प्रति जागरूक करने का काम किया है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी प्रयोगशालाओं को हर पंचायत स्तर पर सुदृढ़ करने का काम करेंगे, जिससे उनमें यह जागरूकता भी आए कि आप रासायनिक खादों का उपयोग ज्यादा न करें? मृदा कार्ड के माध्यम से जांच के लिए, जांच कराकर किसानों को उससे अवगत कराएं कि अगर आप ज्यादा खाद देंगे तो आपकी जमीन बंजर हो जाएगी, इसलिए संतुलित मात्रा में रासायनिक खाद का प्रयोग करें और जैविक खाद का भी उपयोग करके अपनी फसल का उत्पादन करें। क्या माननीय मंत्री जी राज्यों को निर्देश देकर, नीचे पंचायत स्तर पर ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं? यदि करना चाहते हैं, तो कब तक करेंगे?

श्री परषोत्तम रूपाला: माननीय अध्यक्ष जी, किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड की जो व्यवस्था भारत सरकार ने बनाई है, उसको विलेज लेवल तक ले जाने की डिमाण्ड आदरणीय सदस्य ने की है। मैं आपके

माध्यम से माननीय सदस्य की जानकारी में लाना चाहूंगा कि सॉइल टेस्टिंग लैब्स, जो स्थायी स्वरूप में बनाई जाती हैं, उनके अतिरिक्त 100 न्यू मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लेबोरेट्रीज हमने इंटरोड्यूस की हैं, जो मोबाइल वैन की तरह इंटीरियर एरियाज में भी जाकर किसानों की सहायता करेंगी। 8752 मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब्स एस्टैबलिश करने की मंजूरी हमने दे दी है और 1562 विलेज लेवल स्वाइल टेस्टिंग लैब्स हमने प्रस्थापित कर दी हैं। जहां से भी हमारे पास डिमाण्ड आएगी और व्यवस्था करने की दरखास्त राज्य सरकार की ओर से आएगी, वहां हम करें। इस तरह से इसे व्यापक बनाने की पूरी व्यवस्था है।

माननीय अध्यक्ष: श्री जनार्दन सिंह सिंग्रीवाल जी, क्या आप दूसरा सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? आप जवाब से संतुष्ट हैं?

श्री जनार्दन सिंह सिंग्रीवाल : जी, हां।

डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

हमारी सरकार ने, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना शुरू की है। यह बहुत संवेदनशील बात है कि नरेन्द्र मोदी जी ने एनिमल्स के लिए भी ऐसा कार्ड बनवाया है।

मध्याह्न 12.00 बजे

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हजारों-लाखों हेक्टेयर जमीन बंजर पड़ी हुई है, क्या इस बंजर भूमि को सॉइल हेल्थ कार्ड योजना से उसकी जांच करवा कर, उस भूमि को फर्टाइल बनवाया जाएगा और गरीब एवं दलितों को बांटा जाएगा?

श्री परषोत्तम रूपाला : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य पेशे से डॉक्टर हैं और वह आदमियों की हेल्थ का ख्याल रखते हैं। इसके साथ-साथ किसानों की हेल्थ और हमारी भूमि की हेल्थ का भी उन्होंने कंसर्न किया है, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं।

इनका सवाल है कि हमारी जो बंजर जमीन है, उसको फर्टाइल करने का कार्यक्रम भारत सरकार की ओर से चल रहा है और जब वह कृषि करने लायक हो जाती है तो फिर यह राज्य सरकार का विषय बनता है कि वह किसको एलॉट करे।

3*प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 327 से 333, 335 से 337, 339 और 340
अतारांकित प्रश्न संख्या 3681 से 3910)

3*प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं <https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers> इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कई स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, लेकिन स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना को अनुमति नहीं दी गई है।

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री (श्री गिरिराज सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2019-2020 के लिए मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 298/17/19]

[अनुवाद]

पोत परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल. मांडविया): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फार्मूलेशन टेक्नोलॉजी, गुड़गांव के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेख।
- (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फार्मूलेशन टेक्नोलॉजी, गुड़गांव के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 299/17/19]

- (3) वर्ष 2019-2020 के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 300/17/19]

- (4) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड तथा रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 301/17/19]

(दो) एच.आई.एल. (इंडिया) लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 302/17/19]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

- (1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 303/17/19]

(दो) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 304/17/19]

(तीन) द ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (आई) लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 305/17/19]

(चार) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 306/17/19]

(पांच) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 307/17/19]

(छह) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 308/17/19]

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के तहत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) में से प्रत्येक की एक प्रति -

(एक) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तुंगभद्रा डैम के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

- (दो) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तुंगभद्रा डैम का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक को टिप्पणियां।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 309/17/19]

- (4) वर्ष 2019-2020 के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 310/17/19]

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

- (1) (एक) इंडियन एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, मदुरई के वर्ष 2010-2011 से 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, मदुरई के वर्ष 2010-2011 से 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 311/17/19]

(3) (एक) देवनार फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, सिकंदराबाद के वर्ष 2010-2011, 2013-2014 और 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) देवनार फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, सिकंदराबाद के वर्ष 2010-2011, 2013-2014 और 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 312/17/19]

(5) (एक) ठाकुर हरि प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एण्ड रिहैबिलिटेशन फॉर द मेंटली हैंडीकेप्ड, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012, 2013-2014 और 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ठाकुर हरि प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एण्ड रिहैबिलिटेशन फॉर द मेंटली हैंडीकेप्ड, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012, 2013-2014 और 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 313/17/19]

(7) (एक) सूर्य किरण पैरेंट्स एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैन्टली हैण्डीकेप्ड चिल्ड्रन मचेरला, गुंटूर के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सूर्य किरण पैरेंट्स एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैन्टली हैण्डीकेप्ड चिल्ड्रन मचेरला, गुंटूर के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 314/17/19]

(9) (एक) नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान, पुरी के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान, पुरी के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 315/17/19]

(11) (एक) इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 316/17/19]

(13) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसएबिलिटीज (दिव्यांगजन), देहरादून के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसएबिलिटीज (दिव्यांगजन), देहरादून के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 317/17/19]

(15) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलैक्चुअल डिसएबिलिटीज (दिव्यांगजन), सिंकदराबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज (दिव्यांगजन), सिंददराबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 318/17/19]

(17) (एक) सोसाइटी ऑफ हैण्डीकैप्ड ओरिएंटेशन प्रोग्राम एण्ड एजुकेशन, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसाइटी ऑफ हैण्डीकैप्ड ओरिएंटेशन प्रोग्राम एण्ड एजुकेशन, कोलकाता के वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 319/17/19]

(19) (एक) रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 320/17/19]

(21) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसएबिलिटीज (दिव्यांगजन), चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसएबिलिटीज (दिव्यांगजन), चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 321/17/19]

(23) (एक) पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिसएबिलिटीज (दिव्यांगजन), नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिसएबिलिटीज (दिव्यांगजन), नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 322/17/19]

(25) आर्टिफीशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 323/17/19]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) वर्ष 2019-2020 के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 324/17/19]

(2) अधिसूचना सं. का. आ. 2135(अ) जो 26 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं एवं सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत दिनांक 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ.371(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 325/17/19]

(3) (एक) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 326/17/19]

[अनुवाद]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 327/17/19]

(ख) (एक) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 328/17/19]

(ग) (एक) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 329/17/19]

(घ) (एक) बिहार एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिहार एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 330/17/19]

(ड.) (एक) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 331/17/19]

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत गृह मंत्रालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, पशु चिकित्सा काड समूह 'ख' और 'ग' (लड़ाकू) पद भर्ती नियम, 2019 जो 16 मार्च, 2019 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 75 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 332/17/19]

(2) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत गृह मंत्रालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा विंग, हेड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन), समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2019 जो 2 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.[हिन्दी] नि. 280(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 333/17/19]

(3) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, इंस्पेक्टर (लाइब्रेरियन), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2019, जो 13 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 112(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, आर्मर काडर (समूह 'क' पद,) भर्ती नियम, 2019, जो 4 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 84(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, आर्मर काडर (समूह 'ख' और 'ग' पद,) भर्ती नियम, 2019, जो 4 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 85(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पब्लिकेशन एण्ड प्रिंटिंग काडर, समूह 'ख' और 'ग' पद,, भर्ती नियम, 2018, जो 16 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1119(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, निजी सचिव, अनुभाग अधिकारी और सहायक, समूह 'ख' पद,, भर्ती नियम, 2018, जो 16 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1120(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, वाटर विंग (समूह 'क' और 'ख' तकनीकी पद), भर्ती नियम, 2019, जो 29 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 248(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 334/17/19]

(4) संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रसार और विकास तथा उसके प्रगामी प्रयोग को संवर्धित करने के लिए कार्यक्रम और वर्ष 2017-2018 के लिए इसके क्रियान्वयन के बारे में 49वें वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 335/17/19]

(5) (एक) लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 336/17/19]

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन पर व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 337/17/19]

(3) (एक) सीनियर सिटिजन्स वेलफेयर फंड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सीनियर सिटिजन्स वेलफेयर फंड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 338/17/19]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली): अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019-20 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 339/17/19]

अपराह्न 12.03 बजे**मंत्री द्वारा वक्तव्य**

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय से संबंधित “भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में सुरक्षा की स्थिति” पर गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 213^{वें} प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति के 219^{वें} प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति^{4*}

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी): मैं गृह मंत्रालय से संबंधित “भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में सुरक्षा की स्थिति” पर गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 213^{वें} प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 219^{वें} प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

⁴ सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 340/17/19

अपराह्न 12.04 बजे**समिति के लिए निर्वाचन****(एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम**

[हिन्दी]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 2क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा (4) के खंड (झ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्याधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 2क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा (4) के खंड (झ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्याधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) भारतीय नर्सिंग परिषद

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): महोदय, मैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉ. हर्ष वर्धन की ओर से, निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ: -

"कि भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 की धारा (3) की उप-धारा (1) के खंड (ण) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 की धारा (3) की उप-धारा (1) के खंड (ण) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.06 बजे**नियम-377^{5*} के अधीन मामले**

माननीय अध्यक्ष : नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाते हैं। माननीय सदस्य अपना वक्तव्य सभा पटल पर 20 मिनट तक दे सकते हैं।

(एक) उत्तर प्रदेश में 'शिक्षा मित्रों' की सेवाओं को विनियमित किए जाने के बारे में

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज): मैं सरकार का ध्यान देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षामित्रों की रोजगार की समस्या जो कई वर्षों से न्याय के इन्तजार में हैं, शिक्षा मित्रों को अस्थायी से। नियमित किए जाने, शिक्षा मित्रों के मृतक आश्रित को स्थायी रोजगार दिलाये जाने और शिक्षा मित्रों का वेतनमान नियमित शिक्षक के समान रूप में समायोजित किए जाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। चुनाव के समय में भी शिक्षा मित्रों का मुद्दा चरम सीमा में था। जो कई वर्षों से केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं क्योंकि वह बहुत ही अल्प आय में कार्य कर रहे हैं और बहुत ही दयनीय स्थिति में इनका परिवार अपना भरण-पोषण कर रहे हैं और बहुत ही दयनीय स्थिति से इनके परिवार अपना भरण पोषण कर रहे हैं। इस संबंध में लखनऊ की 'आदर्श समायोजित शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश द्वारा कई बार शिक्षा मित्रों को शिक्षक के रूप में समायोजित करने हेतु अनुरोध के साथ-साथ आन्दोलन तक किया जा चुका है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बहुत ही गंभीरता के साथ उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के इस निवेदन को स्वीकार करने हेतु अध्यादेश लाकर सभी शिक्षा मित्रों को नियमित किया जाये, उनके मृतक

^{5*} सभा पटल पर रखा माना गया।

आश्रित को स्थायी रूप से रोजगार दिया जाए और उनका वेतनमान नियमित शिक्षक के समान समायोजित किये जाएं।

(दो) मध्य प्रदेश के दतिया स्थित 'पीतांबरा देवी' मंदिर में सुविधाओं के विकास एवं सौंदर्यीकरण के बारे में

श्रीमती संध्या राय (भिंड): मैं माँ पीताम्बरा पीठ अंतर्गत (पीताम्बरा माई) की भूमि दतिया, भिण्ड लोकसभा से आती हैं। यह वर्ष 1935 में मध्य प्रदेश राज्य के दतिया शहर में स्थापित एक प्रसिद्ध दिव्य हिन्दू मंदिर परिसर है। यह पीठ 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना है, जो मध्य प्रदेश सरकार के पुरातत्व विभाग में शामिल है। यह मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था एवं विश्वास से जुड़ा हुआ है। यहाँ लाखों-करोड़ों की संख्या में दर्शनार्थी एवं साधक माता के दिव्य दर्शन हेतु आते हैं। जहां आम सुविधाओं का घोर अभाव है।

मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि इस पवित्र धार्मिक स्थल में दर्शनार्थियों हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जायें एवं इस धार्मिक स्थल का सौंदर्यीकरण कार्य किया जाए।

**(तीन) दिल्ली-शामली-सहारनपुर रेल मार्ग पर लंबी दूरी की रेलगाड़ियों के चलाए जाने की
आवश्यकता**

श्री प्रदीप कुमार चौधरी (कैराना): मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में जनपद शामली का रेलवे स्टेशन एक मुख्य स्टेशन है जहाँ से प्रतिदिन हजारों यात्रियों का आना-जाना रहता है। दिल्ली-शामली-सहारनपुर यह जनपद शामली का मुख्य रूट है। इस रूट से होते हुए कोई भी लंबी दूरी की ट्रेन उपलब्ध नहीं है। जिससे जनपद शामली के यात्रियों को लखनऊ, देहरादून, माता वैष्णो देवी (कटरा), जयपुर, झांसी आदि जगहों पर जाने के लिए दूसरे जनपद या राज्य में जाकर यात्रा करनी पड़ती है, जिसके कारण सभी यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि जनपद शामली के यात्रियों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए दिल्ली-शामली-सहारनपुर रेल मार्ग पर लंबी दूरी तय करनी वाली ट्रेनों का संचालन अविलंब किया जाये।

(चार) उत्तर प्रदेश में 'आशा' कार्यकर्ताओं की शिकायतों के बारे में

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक महिलाओं को मातृत्व लाभ की योजना आशा बहुओं के माध्यम से केन्द्र सरकार पूरे देश में चला रखी है जिसके परिणाम स्वरूप मातृत्व एवं शिशु के मृत्यु दर में काफी कमी आयी है। पूरे देश में लगभग आठ लाख आशा बहुएं जच्चा एवं बच्चा की सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को आशा बहुओं द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा जिला अस्पताल ले जाकर के प्रसव से पूर्व कम से कम तीन बार उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराने का कार्य करती हैं उसके उपरान्त सुरक्षित प्रसव कराने के लिए अस्पताल ले जाती हैं। आशा बहुओं द्वारा जननी शिशु स्वास्थ्य सुविधाओं को जिम्मेदारी से निभाने के बावजूद मात्र 600 रुपये प्रति केस अनुमन्य है वह भी उत्तर प्रदेश में काफी दिनों से आशा बहुओं को प्रोत्साहन राशि मिलने में कठिनाई हो रही है जिसके कारण उनके समक्ष काफी गंभीर संकट पैदा हो गया है जबकि आशा बहुओं के द्वारा लगातार प्रोत्साहन राशि की जगह पर 3000 रुपये प्रतिमाह मानदेय की मांग को लेकर संघर्ष कर रही हैं। अपनी समस्याओं के निदान के लिए इन लोगों ने कई बार जन्तर मन्तर पर धरना प्रदर्शन भी किया। जिसके कारण जनता में काफी रोष एवं क्षोभ है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न को सदन में उठाने की अनुमति चाहता हूं।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि आशा बहुओं की समस्याओं एवं उनकी मांग का शीघ्र समाधान किया जाए।

(पांच) उत्तराखंड में जंगली पशुओं द्वारा फसलों को नुकसान से बचाने के लिए उपचारी उपायों के बारे में

श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल): मैं माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जी का ध्यान उत्तराखण्ड में वन्य जीवों द्वारा हो रहे नुकसान से संबंधित विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

उत्तराखण्ड प्रदेश के पर्वतीय जिलों में जंगली जानवरों सुअर, भालू, बन्दर आदि द्वारा बागवानी एवं कृषि उपज को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है जिसके कारण वहां का लघु सीमांत किसान कृषि कार्य छोड़कर अन्य रोजगार की तरफ जाने के लिए मजबूरन क्षेत्र से पलायन कर रहा है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में कृषि एवं बागवानी को वन्य जीवों, विशेष कर बन्दरों से जो नुकसान हो रहा है इसे रोकने के लिए कोई नीति एवं योजना बना कर इस समस्या से निजात दिलाएं।

(छः) महाराष्ट्र के भिवंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल अंडर ब्रिज संख्या 98/2 को चौड़ा किए जाने के बारे में

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी): मेरे भिवंडी लोक सभा क्षेत्र के शहापुर क्षेत्र में आठगाँव और तानशेत यह दो मध्य रेल के स्थानक हैं। इन दो स्थानको के बीच आर.यू.बी. क्र. 18/2 रेल अंडरब्रिज है। जहाँ से 4 गाँव और 8 आदिवासी बस्ती के निवासी अपनी रोज की दिनचर्या/यातायात प्रारंभ करते हैं। यह आर.यू.बी. 2008 से पहले 4 मीटर चौड़ा था, परन्तु वर्ष 2008 में कंस्ट्रक्शन कर इस आर.यू.बी. की चौड़ाई 2.3 मीटर कर दी गयी। जिस कारण गाँवों में न कोई बड़ी गाड़ी आ सकती है, न ही कोई एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड इमरजेन्सी में गाँव तक पहुँच सकती है। दूसरी ओर, बारिश के वक्त इस आर.यू.बी. में पानी भरने के कारण 4 गाँव तथा 8 आदिवासी बस्तियों से पूरा सम्पर्क ही टूट जाता है।

अतः रेल मंत्री तथा रेल प्रशासन से मांग है कि आठगाँव और तानशेत के बीच रेल अंडरब्रिज को चौड़ा कराया जाये।

(सात) महाराष्ट्र के मुंबई के झोपड़पट्टी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर): देश में विशेषतः महाराष्ट्र राज्य के मुम्बई में केन्द्र सरकार और उसके अधीन केन्द्रीय विभागों के स्वामित्व वाली नमक क्षेत्र भूमि या रेलवे, पोत न्यास और रक्षा के स्वामित्व वाली जमीन के साथ-साथ राज्य सरकार के वन विभाग एवं अन्य विभागों के स्वामित्व वाली भूमि पर विगत कई वर्षों से भी अधिक समय से गरीब लोग बसे हुए हैं।

इन बस्तियों में शौचालय, सीवर पाइप लाइन, पेयजल, विद्युत इत्यादि जरूरी नागरिक मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों की मरम्मत कराने में भी इनको अनेकों प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिस कारण इनमें रहने वाले लोग नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2022 तक देश के सभी गरीब लोगों को आवास सुलभ कराये जाने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

अतः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की वर्ष 2022 तक देश के सभी गरीब लोगों को आवास सुलभ कराये जाने की महत्वाकांक्षी योजना एवं देश की 75वीं स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह राज्य सरकारों विशेषतः महाराष्ट्र सरकार को सरकारी भूमि पर स्थापित सभी बस्तियों में शौचालय, सीवर पाइप लाइन, पेयजल, विद्युत, मकान मरम्मत इत्यादि की सुविधायें वर्ष 2022 तक उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

ऐसा करने से न केवल गरीबों को स्थायी आवास और जरूरी मूलभूत नागरिक सुविधायें मिल सकेंगी बल्कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश और विदेश की धरती से गरीबों के प्रति व्यक्त किये गये बयान और भावना तथा उनकी वर्ष 2022 तक सभी को पक्के घर उपलब्ध कराये जाने की महत्वाकांक्षी योजना को भी साकार करने में पूर्णतः सफलता मिलेगी।

(आठ) ओडिशा के बारगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कैंसर के मामलों में असामान्य वृद्धि के बारे में

[अनुवाद]

श्री सुरेश पुजारी (बारगढ़): ओडिशा के डॉक्टरों ने बारगढ़ जिले में कैंसर के मामलों में असामान्य वृद्धि पर गंभीर चिंता जताई है। यह जिला मेरे निर्वाचन क्षेत्र का एक प्रमुख भाग है और ओडिशा का धान कटोरा होने के साथ-साथ राज्य के दस लाख मीट्रिक टन धान उत्पादन का लगभग एक-चौथाई हिस्सा प्रदान करता है। ऐसे मामलों में से, पेट और रक्त कैंसर के उच्च मामले हर दिन दर्ज किए जाते हैं, विशेषज्ञों का मानना है कि कैंसर के मामलों में वृद्धि कृषि में कीटनाशकों के भारी उपयोग के कारण हो सकती है। अभी तक इस जिले में इस बीमारी की संवेदनशीलता का कोई अध्ययन नहीं किया गया है, जिसे श्रेणी 2 की कीटनाशकों के कारण होने का संदेह है। इस संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकार दोनों का त्वरित ध्यान आवश्यक है। अतः मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह करता हूँ कि वे कैंसर के मामलों में इस असामान्य वृद्धि के कारणों की विस्तृत जांच का आदेश दें, मेरे संसदीय क्षेत्र में एक उच्च गुणवत्ता वाले कैंसर अस्पताल-सह अनुसंधान केंद्र की स्थापना करें तथा ओडिशा के जनहित में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करें।

**(नौ) उत्तर प्रदेश में मेरठ के खेल उद्योग के लिए कश्मीर की विलो लकड़ी उपलब्ध कराए जाने की
आवश्यकता**

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): मेरठ खेल सामग्री निर्माण में पूरे विश्व में सर्वोत्कृष्ट खेल सामग्री निर्माण के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी 'एक जिला एक उद्योग नीति के अंतर्गत मेरठ जिले के विकास के लिए खेल उद्योग को चुना है। हमारी टीम के अधिकांश सदस्य मेरठ में बनाए गए बल्लों से चौके-छक्के लगाते हैं, परंतु मेरठ का खेल सामग्री निर्माण उद्योग क्रिकेट बल्ले के लिए आवश्यक कश्मीर विलो की अनुपलब्धता की समस्या से जूझ रहा है। इंग्लैंड से इंग्लिश विलो का आयात करना आसान है, परंतु कश्मीर से कश्मीर विलो मंगवाना आसान नहीं है। कश्मीर विलो पाकिस्तान को उपलब्ध है परंतु मेरठ को उपलब्ध नहीं है जिसके कारण मेरठ का उद्योग प्रभावित हो रहा है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि उत्कृष्ट बल्ले बनाने वाले तथा बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले इस उद्योग को मांग के अनुसार कश्मीर विलो उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(दस) राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में खनन गतिविधियों के कारण हुई क्षति के बारे में

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में लौह अयस्क खनन के लिए भारत सरकार द्वारा भूमि आबंटित की गई है, जिस पर लम्बे समय से खनन कार्य किया जा रहा है। जिला मुख्यालय के उपनगर पुर में खनन के लिए किये जा रहे विस्फोटकों से हजारों आवासीय भवनों एवं धार्मिक भवन क्षतिग्रस्त हो गये हैं। पुर वासियों में इस विषय को लेकर भारी आक्रोश है तथा इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि तत्काल विस्फोटों को रोका जाये तथा जो भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनकी मरम्मत खननकर्ता द्वारा की जाये। खननकर्ता का पट्टा निरस्त करके खनन को रोका जाये अन्यथा भविष्य में खनन के लिए किये जा रहे अवैध विस्फोटों से जन-हानि की होने की संभावना है।

(ग्यारह) झारखंड के बोकारो इस्पात संयंत्र की खाली पड़ी भूमि पर अवस्थित गांव के बारे में

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद): बोकारो स्टील प्लांट के खाली पड़ी हुई जमीन में 19 गांव काफी समय से बसे हुए हैं। इन गांवों को पंचायत का दर्जा नहीं रहने के कारण वहां के लोग पंचायतों में प्राप्त सुविधा से वंचित रह जाते हैं। उस क्षेत्र का विकास न राज्य सरकार करती है न बोकारो स्टील प्लांट करती है।

अतः जनहित में उन गांवों को जिसका जमीन का उपयोग नहीं किया गया न ही निकट भविष्य में उपयोग करने की संभावना दिख रही है। उन्हें बोकारो स्टील प्लांट मुक्त करे ताकि वहां राज्य सरकार पंचायत व्यवस्था कर सके तथा वहां के लोगों को सरकार से प्राप्त सुविधा मिल सके।

(बारह) मध्य प्रदेश के देवास संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री महेंद्र सिंह सोलंकी (देवास): मेरे लोक सभा क्षेत्र की 80 प्रतिशत आबादी कृषि एवं कृषि कार्य पर निर्भर है, परन्तु मेरे लोक सभा क्षेत्र के पचास प्रतिशत हिस्से में, किसानों के पास सिंचाई हेतु वर्षा के अतिरिक्त कोई साधन नहीं है। यदि मेरे लोक सभा क्षेत्र में सर्वे करवाकर बांध व नहर का निर्माण करवाया जाए तो कृषकों को राहत मिलेगी, जिससे वह उपरोक्त नहर व बांध के पानी से उन्नत कृषि कर सकेंगे।

(तेरह) देश में विकास परियोजनाओं को समय पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी): केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत लगभग 500 से अधिक योजनाओं पर वन विभाग सहित अन्य विभागों के एनओसी व भूमि अधिग्रहण का मसला हल न हो पाने के कारण काम नहीं हो पा रहा है। ऐसे कारणों से न केवल विकास प्रभावित होता है, बल्कि असमंजस व वित्तीय कठिनाइयाँ भी आ जाती हैं जिसके कारण लंबा अरसा बीतने पर काम की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है तथा कभी-कभी काम पूरा नहीं हो पाता है और लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश भी उत्पन्न होता है।

देश में औद्योगिक परियोजनाओं सहित 100 से अधिक सड़कें, रक्षा, ग्रामीण परियोजनाएँ व ढांचागत बुनियादी काम भी प्रभावित हो रहे हैं।

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस विषय पर एक स्पष्ट कानून बनाया जाये तथा विभिन्न विभागों की अनापत्ति सहित सभी बाधाओं को योजना की घोषणा से पूर्व दूर कर लिया जाये तथा योजना समय पर प्रारंभ तथा पूरी हो इसके लिए नयी कार्यविधि को विकसित किया जाये।

(चौदह) देश में पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के लिए नियम और विनियम बनाए जाने की आवश्यकता

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): मैं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि भारत में प्री-प्राइमरी स्कूल के शुरू करने एवं संचालित करने के लिए कोई विशेष संशोधित कानून की व्यवस्था की जाए। [हिन्दी] इन स्कूलों में 3 वर्ष से 6 वर्ष के छोटे-छोटे बच्चे पढ़ते हैं और इनके भविष्य की शिक्षा का आधार इन्हीं स्कूलों में तैयार होता है। यदि हम छोटे बड़े शहरों में जाए तो इस तरह के प्री-प्राइमरी स्कूल बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। इन स्कूलों में बच्चों के मार्गदर्शन हेतु सरकार को उचित कानून बनाने की आवश्यकता है। सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि प्री-प्राइमरी स्कूल को भी सरकारी संगठनों से एफिलेएशन लेने की आवश्यकता हो। इससे इन स्कूलों की जिम्मेवारी बढ़ेगी और शिक्षा के प्रति अधिक सजग रहेंगे। कई बार देखा गया है कि बड़े एजुकेशनल ग्रुप जो इन स्कूलों के लिए फ्रेंचाइज देते हैं उनमें फीस लेने की भी कोई सीमा निर्धारित नहीं की होती है। कई स्थानों में डे-बोर्डिंग व्यवस्था है जिसमें बच्चों को नाश्ता और खाना दिया जाता है। कई बार सुनने में आता है कि बच्चे स्कूल का खाना खाकर बीमार पड़ गए हैं। मेरा माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है कि प्री-प्राइमरी स्कूल को शुरू करने, संचालित करने, फीस और डे-बोर्डिंग है तो उसके तहत सरकार एक विशेष कानून बनाएं जिसमें व्यवस्था हो कि जो प्री-प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं वह सरकार के नियमों के तहत संचालित हो और बच्चों के भविष्य को एक नया आधार मिले। अच्छा होगा यदि नई शिक्षा नीति में इस विषय को शामिल कर लिया जाए और पूरे देश में एक जैसा कानून हो।

(पंद्रह) छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा संसदीय क्षेत्र में रेल सुविधाएं बनाए जाने की आवश्यकता

श्री गुहाराम अजगल्ले (जांजगीर-चांपा): मेरा विषय रेल मंत्रालय से संबन्धित है, मेरे संसदीय क्षेत्र अन्तर्गत, जिला जांजगीर-चांपा छ.ग., चाम्पा यार्ड (रा.रा.मार्ग क्र.-200) पर ओवर ब्रिज निर्माण, एल.सी. संख्या-337 प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 18.13.2013 और चाम्पा यार्ड (रा.रा.मार्ग क्र.-200) पर ओवर ब्रिज निर्माण, एल.सी.- संख्या-342 प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 25.07.2012

उक्त दोनो ओवर ब्रिज निर्माण के लिये रेल्वे विभाग द्वारा समपार बंद करने हेतु सहमति पत्र, दिनांक - 03.07.2013 और दिनांक 04.07.2013 को जारी किया गया है।

राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग ने अपनी अपेक्षित कार्य लगभग पूर्ण कर लिया है जबकि केन्द्र सरकार के रेलवे विभाग ने अपनी अपेक्षित निर्माण कार्य, अभी तक प्रारंभ नहीं किया है।

माननीय रेल मंत्री जी से मेरा विशेष निवेदन है कि क्षेत्रीय आमजन के परेशानी और जन आक्रोश को ध्यान रखते हुये, रेल्वे ओवर ब्रिज निर्माण के लिये आवश्यक आदेश / निर्देश जारी करने की कृपा करें।

(सोलह) उत्तर प्रदेश के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित संरक्षित सोहगीबरवा वन्य जीव क्षेत्र को जंगल सफारी के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज): मेरे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज में सोहगीबरवा संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र है। इस प्राकृतिक वन में अनेक दुर्लभ वनस्पतियां, औषधीय पौधे तथा अनेक प्रकार के छोटे बड़े जानवरों का प्रवास है। इस वन्य क्षेत्र में 5 हेक्टेयर से 200 हेक्टेयर क्षेत्रफल के 28 प्राकृतिक ताल हैं। इन प्राकृतिक तालों से जंगलों में रहने वाले जानवरों को वर्षभर पीने का पानी उपलब्ध होता है। ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज होता रहता है। यह जिला नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र है। बरसात के दिनों में नेपाल की ओर से आने वाले जल को इन प्राकृतिक तालों में इकट्ठा होने से बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिलती है। इन प्राकृतिक तालों में अनेक प्रकार के देशी-विदेशी पक्षियों का प्रवास होता है। दर्जानिया ताल में मगरमच्छ, निवास करते हैं। अंग्रेजों के समय के बने अनेकों डाकबंगले हैं।

मेरा अनुरोध है कि सोहगीबरवा वन्य जीव संरक्षित वन क्षेत्र को जंगल सफारी के रूप में विकसित किया जाए।

(सत्रह) नन्दुरबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आईएसबीआईजी योजना के अंतर्गत सिंचाई

परियोजनाएं / योजनाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत (नन्दुरबार): यह सभी के समक्ष स्पष्ट तथ्य है कि परंपरागत कृषि में सूखा और वर्षा की कमी की समस्याओं से निपटने हेतु सिंचाई आवश्यक है। साथ ही, यह भी सत्य है कि सिंचाई ने फसल की खेती में उल्लेखनीय परिवर्तन लाने और उत्पादन में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेरा संसदीय क्षेत्र नन्दुरबार भौगोलिक रूप से नर्मदा और तापी नदी के जलक्षेत्रों में स्थित है। सरकार ने विभिन्न बैराज, बांधों का निर्माण किया है और प्रकाशा बैराज, सारंगखेड़ा बैराज, शिवम मध्यम परियोजना, नागन मध्यम परियोजना, लिफ्ट सिंचाई योजनाएँ आदि जैसे कई परियोजनाओं की शुरुआत की है, जो वर्षों से जल संचयन कर रही हैं। लेकिन अपर्याप्त धनराशि के कारण नहरों और वितरण चैनलों का निर्माण पूरा नहीं हो सका। हम कई वर्षों से सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। इस क्षेत्र में अधिकांश आदिवासी लोग रहते हैं और यहां के लोगों के पास ज़मीन का मालिकाना अधिकार बहुत कम है। नन्दुरबार के सभी ब्लॉकों में उचित सिंचाई सुविधाएं जबरदस्त परिवर्तन ला सकती हैं। इसलिए, मैं माननीय जल शक्ति मंत्री, भारत सरकार से अनुरोध करती हूँ कि कृपया सिंचाई की कमी को दूर करने के लिए प्रोत्साहन योजना में शामिल की जाने वाली सभी सूचीबद्ध परियोजनाओं/सिंचाई योजनाओं को एक विशेष मामले के रूप में शामिल करने पर विचार करें और यथाशीघ्र निधियों की मंजूरी के लिए संबंधित व्यक्तियों को आवश्यक निर्देश जारी करें।

(अट्टारह) अखबारी कागजों के सीमा शुल्क में वृद्धि के बारे में

श्री टी. एन. प्रतापन (त्रिस्सूर): भारत के अधिकांश समाचारपत्र अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। इसके बावजूद, वे संवाद प्रक्रिया के माध्यम से समाज की सेवा करने के अपने महत्वपूर्ण दायित्व को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। समाचारपत्र आज भी सभी मीडिया माध्यमों के बीच लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। हालाँकि, वर्तमान केन्द्रीय बजट में समाचारपत्र कागज के आयात पर सीमा शुल्क में 10% की वृद्धि ने समाचारपत्र उद्योग को गंभीर चुनौती से जूझने पर मजबूर कर दिया है। एक और निन्दनीय स्थिति यह हुई कि मीडिया कर्मियों को कथित तौर पर वित्त मंत्रालय के अंदर प्रवेश से वंचित किया गया, जो इन सभी निर्णयों को निर्धारित करता है। ईंधन की कीमतों में वृद्धि समाचारपत्र उद्योग को भारी नुकसान पहुंचाएगी। असल में, जनता यह जानना चाहती है कि क्या सरकार की ओर से मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कोई गुप्त उद्देश्य है, जिसके तहत उन्हें महंगे उत्पादन और मुद्रण के सभी भार उठाने के लिए छोड़ दिया गया है। देश में 17,000 समाचारपत्र और 30,000 से अधिक पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। इनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले समाचारपत्र कागज और मुद्रण सामग्री की कुल मात्रा लगभग 25,00,000 टन है, जबकि घरेलू उत्पादन केवल 40% ही है। यह स्थिति समाचारपत्र और पत्रिकाओं के प्रकाशकों को समाचारपत्र कागज और मुद्रण सामग्री आयात करने के लिए बाध्य करती है। उच्च गुणवत्ता वाले कागज जैसे ग्लेज़्ड और हल्के वजन वाले कागज प्राप्त करने का एकमात्र विकल्प आयात ही है। इन सभी परिस्थितियों को जानते हुए भी, सरकार ने समाचारपत्र कागज के आयात शुल्क में वृद्धि क्यों की? यदि हम जीएसटी को भी जोड़ें तो यह 10.5% के आसपास होगा। यह अत्यंत निराशाजनक है कि इस पर अधिभार (सर्चार्ज) भी लगाया जाएगा। ऐसी स्थिति में समाचारपत्र उद्योग की दशा बहुत ही दयनीय हो जाती है। जीएसटी और नोटबंदी की समस्याओं के कारण देश की आर्थिक वृद्धि में गिरावट ने समाचारपत्रों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। कई समाचारपत्र और पत्रिकाएं वित्तीय संकट के कारण बंद होने की कगार पर हैं।

(उन्नीस) तमिलनाडु को नय्यर नदी से जलापूर्ति के बारे में

श्री एच. वसंतकुमार (कन्याकुमारी): नय्यर नदी के बायें किनारे की नहर कन्याकुमारी जिले के विलवाकोंडे तालुका में 9,200 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई में सहायक होगी। वर्ष 2012 में तमिलनाडु सरकार ने केरल सरकार के विरुद्ध नेय्यार नदी से निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु याचिका दायर की थी, जो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। तमिलनाडु सरकार ने तर्क दिया है कि नय्यर एक अंतरराज्यीय नदी है क्योंकि नदी के जलग्रहण क्षेत्र का एक हिस्सा तमिलनाडु के क्षेत्र में स्थित है। तमिलनाडु सरकार को 2004 से पानी नहीं मिला है, जिससे कृषक समुदाय को गंभीर कठिनाई का सामना करना पड़ा है। इससे पहले 1999 में, केरल सरकार ने यह रुख अपनाया था की नय्यर एक अंतरराज्यीय नदी नहीं है। हालांकि, अपने प्रारूप समझौते में केरल ने तमिलनाडु को सूचित किया है कि जल आपूर्ति जल शुल्क की प्राप्ति और वितरण शुल्क के भुगतान के अधीन होगी तथा यह समझौता पाँच वर्षों के लिए मान्य होगा, जिसे परस्पर सहमति से नवीनीकृत किया जाएगा।

(बीस) कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उन्नयन के बारे में

श्री हिबी ईडन (एनकुलम): कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी केरल के कोच्चि में स्थित एक सरकार-स्वामित्व वाली स्वायत्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। 2007 में सी.यू.एस.ए.टी. को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.ई.एस.टी.) के रूप में उन्नयन के लिए पांच संस्थानों में शामिल किया गया था। इसके पूर्व, विश्वविद्यालय को एक आईआईटी के रूप में उन्नत करने की योजना थी, जो साकार नहीं हो पाई। सी.यू.एस.ए.टी. अपनी उत्कृष्ट प्रतिष्ठा के कारण इस उन्नयन का हकदार है। 2018 के टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सी.यू.एस.ए.टी. को विश्व स्तर पर 801-1000 और एशिया में 251-300 रैंकिंग प्राप्त हुई थी, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि इस प्रक्रिया में इसने कुछ आईआईटी और एनआईटी संस्थानों को पीछे छोड़ दिया। विश्वविद्यालय में रैंकिंग में आगे बढ़ने की अपार क्षमता है और इसके उन्नयन से ही इस सपने को साकार किया जा सकता है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वे शीघ्रातिशीघ्र सी.यू.एस.ए.टी. को आई.आई.ई.एस.टी. में उन्नत करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

(इक्कीस) सभी किसानों को फसल बीमा योजना के दावे का भुगतान किए जाने की आवश्यकता

श्री ए. गणेशमूर्ति (इरोड): फसली बीमा का किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। फसली बीमा योजनाएँ फसल हानि या विफलता के दौरान आय और उपभोग आवश्यकताओं के बीच अंतर को पाटने हेतु आवश्यक हैं। भारत के किसानों के लिए फसल विफलता एक सामान्य समस्या है और सरकार फसली बीमा के माध्यम से किसानों के जोखिम को कम करने का प्रयास करती है। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना ((पी.एम.एफ.बी.आई.), जो 2016 में शुरू की गई थी, किसानों की फसलों के लिए एक सेवा है। इसका उद्देश्य किसानों के प्रीमियम बोझ को कम करना और पूरी बीमित धनराशि के लिए फसल बीमा दावे का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना है। हालांकि, बीमा मुआवजा अक्सर विलंबित होता है, अपर्याप्त होता है और कई बार अस्वीकृत भी कर दिया जाता है। किसान अपनी ऋण राशि का भुगतान करने में असमर्थ होते हैं, जिससे वे मानसिक दबाव में आ जाते हैं और कुछ मामलों में आत्महत्या तक का रास्ता अपनाते हैं। ये सभी कारण किसानों को अगले फसल चक्र की शुरुआत के लिए आवश्यक धन की गंभीर कमी का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण सूखे की घटनाएँ अधिक बार होने लगी हैं। भारत सरकार इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह आवश्यक कानूनी ढांचा प्रदान करती है, फसल बीमा योजना को राष्ट्रीय कृषि नीति का हिस्सा बनाती है, कृषि प्रीमियम के सह-वित्तपोषण का कार्य करती है और किसानों के लिए बीमा की शर्तों को सहज और सुलभ बनाती है। यह उल्लेखनीय है कि यदि कोई व्यक्तिगत किसान किसी अन्य कारण से फसल विफलता का सामना करता है, तो वह फसल बीमा कंपनी से दावा करने का अधिकारी नहीं होता, जब तक कि उसकी भूमि उस फसल विफलता प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत न हो, जिसे सरकार द्वारा घोषित किया गया हो। अतः मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि फसल बीमा दावा सभी व्यक्तिगत कृषि किसानों को उनके भूमि क्षेत्र की परवाह किए बिना प्रदान किया जाए।

(बाईस) आन्ध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में ग्रीनफील्ड विमानपत्तन के बारे में

श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर (विजयनगरम): 31 अगस्त, 2015 की मध्यरात्रि को आंध्र प्रदेश सरकार ने विजयनगरम जिले के भोगापुरम मंडल के मराडापलम, बोलिनकापालम, और रेलिपेटा गांवों में 5,311 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने का अधिसूचना जारी की। उसके बाद किसानों का आंदोलन शुरू हो गया। इसलिए, सरकार ने इसे केवल 2650 एकड़ तक सीमित कर दिया था। 2650 एकड़ में से, 124 एकड़ का अधिग्रहण किया जाना बाकी है।

5,311 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए जारी अधिसूचना के अंतर्गत केवल 2,650 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना था। शेष 2,661 एकड़ भूमि की अधिसूचना रद्द नहीं की गई है, जिसके कारण लगभग 1,000 किसान परिवार समस्याओं का सामना कर रहे हैं क्योंकि वे अपनी भूमि को बच्चों की शिक्षा, बेटियों की शादी और अपने घर के निर्माण जैसी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए बेच पाने में असमर्थ हैं।

मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वे 2,661 एकड़ भूमि की अधिसूचना तुरंत रद्द करें, ताकि किसान अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

दूसरा, भू-अधिग्रहित मराडापलम, बोलिनकापलेम, रेलिपेटा के गांवों के निवासियों को अभी भोगापुरम मंडल के लिंगलावास और गुदेपुवालसा पंचायतों में स्थानांतरित नहीं किया गया है। सड़क और भवन विभाग ने अभी तक सड़कों और जल निकासी प्रणाली जैसे प्रारंभिक काम शुरू नहीं किए हैं। अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि अधिग्रहित न की गई जमीनों की अधिसूचना तुरंत रद्द की जाए और विस्थापित लोगों के पुनर्वास की उचित व्यवस्था की जाए। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि विमानपत्तन पर कार्य कब शुरू होगा और ग्रीनफील्ड विमानपत्तन की स्थिति क्या है।

(तेईस) देश में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के बारे में

प्रो. सौगत राय (दम दम): बेरोजगारी को भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक माना गया है। देश में इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं के साथ एक बेहतर भारत की कल्पना करना असंभव है। इस बेरोजगारी के परिदृश्य के कारण हैं: उच्च जनसंख्या, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, कृषि पर अत्यधिक बोझ, कृषि क्षेत्र में कम उत्पादकता के साथ कृषि कामगारों, अकुशल कार्यबल आदि के लिए वैकल्पिक अवसरों की कमी। हालांकि हाल के वर्षों में शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है, कौशल विकास अभी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। विश्व में युवाओं की सबसे बड़ी आबादी भारत में है। देश की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है, इसलिए वित्तीय बाजार में गिरावट और रोजगार के अवसरों की कमी का सबसे बुरा असर देश पर पड़ रहा है। सरकार को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगीकरण और कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित और विकसित करना चाहिए ताकि ग्रामीण उम्मीदवार शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन न करें। लेकिन बेरोजगारी का सबसे अच्छा समाधान देश के युवाओं में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना है। उद्यमी एक देश में कई लोगों के लिए रोजगार पैदा करते हैं। मैं सरकार से देश की बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह करता हूँ; अन्यथा युवा अपनी आजीविका के लिए असामाजिक गतिविधियों की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

(चौबीस) महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में एलईडी प्रकाश में मत्स्यन रोकने हेतु कदम उठाए जाने के बारे में

श्री विनायक भाऊराव राउत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): केंद्र सरकार ने प्रादेशिक जल क्षेत्र से बाहर भारतीय ई.ई.जेड. में एलईडी प्रकाश के उपयोग से मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत सरकार द्वारा भारतीय तटरक्षक को एल.ई.डी. प्रकाश फिशिंग के उपयोग को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है। हालांकि, मछली पकड़ने के लिए एल.ई.डी. प्रकाश के उपयोग पर प्रतिबंध के बावजूद, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र विशेष रूप से रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में एल.ई.डी. प्रकाश से मछली पकड़ने का सिलसिला जारी है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र राज्य के बाहर से आने वाले एलईडी लाइट मछली पकड़ने वाले जहाज भी इस क्षेत्र में, यहां तक कि 12 एन.एम. के भीतर, अतिक्रमण कर अवैध रूप से रात में एलईडी प्रकाश में मत्स्यन में संलिप्त हैं। इससे आगामी मौसम के मछली संसाधनों को भारी नुकसान हो रहा है और स्थानीय पारंपरिक मछुआरों के आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। भारतीय तटरक्षक और महाराष्ट्र सरकार अवैध एलईडी प्रकाश में मत्स्यन रोकने तथा अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रभावी और ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह भारतीय तटरक्षक बल और महाराष्ट्र सरकार को महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में एल.ई.डी. प्रकाश से मछली पकड़ने को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश जारी करें। इसके अलावा, अपराधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है।

(पच्चीस) बिहार के बांका जिले में ब्लड बैंक की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गिरिधारी यादव (बांका): सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र बांका में अभी तक ब्लड बैंक के न होने की तरफ दिलाना पड़ रहा है। केन्द्र सरकार की नीति है कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक ब्लड बैंक स्थापित किया जाये। यह बताते हुए खेद हो रहा है कि देश में 79 ऐसे जिले हैं जहां पर ब्लड बैंक नहीं है जिसमें बिहार का मेरा संसदीय क्षेत्र बांका भी हैं। ब्लड बैंक के न होने से दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को समय पर खून नहीं मिल पाता है ऐसी कितनी मौतें मेरे जिले बांका में हुई है।

सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र बांका जिले में जल्द ब्लड बैंक की स्थापना की जाए।

(छब्बीस) ओडिशा में सिंचाई परियोजनाओं में जमा हो रही गाद को हटाए जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री चंद्रशेखर साहू (बरहामपुर): मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं। गजापति जिले में मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, छोटी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं जिनका निर्माण स्वतंत्रता-पूर्व के युग में सिंचाई और पेयजल उद्देश्य के लिए महाराजा कृष्ण चंद्र गजपति द्वारा किया गया था। महोदय, यह विषय अब पूरे देश में एक गंभीर समस्या बन चुका है। यदि हम जल संरक्षण की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाएंगे, तो भविष्य में हमें अत्यंत गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। गजपति सागर, राम सागर, सीता सागर, कृष्ण सागर, ज़ेगो डैम आदि सभी परियोजनाएं अब कूड़े और मिट्टी के जमाव से भर चुकी हैं, जिससे उनकी जल संग्रहण क्षमता मूल अयाकुट क्षेत्र की मात्र 1/4 रह गई है। इसलिए, मैं माननीय जल शक्ति मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे विशेष अनुदान के साथ उपरोक्त परियोजनाओं की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनर्निर्माण के लिए कुछ विशेष पायलट परियोजना शुरू करें।

(सत्ताईस) देश में पट्टाधारी किसानों की दुर्दशा के बारे में

श्री जयदेव गल्ला (गुंटूर): देश में काश्तकारों की दुर्दशा दयनीय है और आंध्र प्रदेश भी इससे अपवाद नहीं है। इसी प्रकार, मेरा गुंटूर जिला भी इसी परिस्थिति का सामना कर रहा है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बटाईदार किसानों को बैंक ऋण नहीं मिलता, उन्हें कोई सब्सिडी नहीं मिलती, आदि। इसका फायदा उठाकर साहूकार उनसे पैसे कमाते हैं, क्योंकि उनका ऋण माफ नहीं किया जा सकता। इसके परिणामस्वरूप देश में कुल कृषि आत्महत्याओं में से काश्तकारों द्वारा 80% आत्महत्या हो रही हैं। अकेले मेरे गुंटूर जिले में 3.5 लाख काश्तकार हैं। लेकिन, जब आप देखते हैं कि काश्तकारों को कितने आई.डी. जारी किए गए हैं, तो यह केवल 60,000 से 85,000 है। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि काश्तकारों के साथ न केवल ऋण आदि देने में भेदभाव किया जाता है, बल्कि पहचान पत्र जारी करने में भी भेदभाव किया जाता है। यह प्रस्ताव है कि यदि किसी काश्तकार को पहचान पत्र जारी किया जाता है, तो उसे बैंक ऋण और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। दूसरी बात किसान योजना का विस्तार भी उन्हें नहीं किया गया है। सरकार कह रही है कि उसके पास काश्तकारों का आंकड़ा नहीं है। उपरोक्त के मद्देनजर, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह काश्तकार किसानों के संबंध में तत्काल आंकड़े एकत्र और संकलित करे, प्रधान मंत्री किसान योजना का विस्तार काश्तकार किसानों तक करे, नाबार्ड को काश्तकार किसानों की सहायता के लिए काश्तकार किसान विकास निधि की स्थापना करनी चाहिए और गुंटूर सहित देश के सभी काश्तकार किसानों को तत्काल पहचान पत्र जारी करने चाहिए।

(अट्टाईस) तमिलनाडु के तिरुप्पुर में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के बारे में

श्री के. सुब्बारायण (तिरुप्पुर): तिरुप्पुर तमिलनाडु राज्य का चौथा सबसे बड़ा शहर है जिसकी निगम सीमा के भीतर आबादी 10 लाख से अधिक है। जो आबादी अच्छे स्कूलों के लिए तिरुप्पुर पर निर्भर करती है, उसमें इरोड, करूर आदि जिले शामिल हैं जो मिलकर 18 लाख से अधिक की आबादी का निर्माण करेंगे। हालाँकि तिरुप्पुर जिले में काफी संख्या में विद्यालय हैं, फिर भी यहाँ केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। तिरुप्पुर भारत में बुने हुए कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। अपने औद्योगिक विकास के कारण शहर तेजी से विकास पथ का अनुभव कर रहा है। औद्योगिक विकास से जनसंख्या विस्तार भी होता है जो आने वाले वर्षों में बढ़ने वाला है। व्यवसाय और रोजगार के अवसरों के परिणामस्वरूप कई बैंक शाखाएँ, बीमा कंपनियाँ, केंद्र सरकार के कार्यालय, नए बैंक, सहायक उद्योग आदि खुल गए हैं। तिरुप्पुर के अंदर और बाहर श्रमिकों की आवाजाही की वजह से केन्द्रीय पाठ्यक्रम और स्कूलों में प्रवेश की निर्बाध निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए केवी स्कूलों को अपरिहार्य बनाती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण तिरुप्पुर में दो केवी विद्यालय की स्थापना उचित है। अतः तिरुप्पुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद होने के नाते, मैं सरकार से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि वे इस अपील पर सकारात्मक निर्णय लें और तिरुप्पुर में दो केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करें, जिन्हें शैक्षणिक वर्ष 2020 के लिए प्रवेश हेतु तैयार किया जाए।

(उनतीस) तमिलनाडु के थेनी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के बारे में

श्री पी. रविन्द्रनाथ कुमार (थेनी): मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि तमिलनाडु के थेनी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में एक नया केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने में तेजी लाई जाए। इस निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या 15000 से अधिक है। इसलिए केन्द्रीय विद्यालय की आवश्यकता है। यह प्रस्ताव काफी समय से लंबित है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई के उपायुक्त के अनुरोध के अनुसार, थेनी जिले के पेरियाकुलम तालुके के वडावेरनैकेनपट्टी गांव में 8.00 एकड़ भूमि की पहचान की गई थी। इस विद्यालय की स्थापना के लिए आवश्यक बाध्यताएं राज्य सरकार द्वारा पहले ही पूरी कर ली गई हैं और केन्द्रीय विद्यालय संगठन को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि थेनी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(तीस) एच.पी.सी.एल. की संपत्ति का उपयोग किए जाने के बारे में

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): कोल्लम के एडाप्पल्लीकोट्टा में 27 एकड़ और 6 एकड़ जमीनी संपत्ति एच.पी.सी.एल. के पास निहित है। यह संपत्ति राष्ट्रीय राजमार्ग के निकटवर्ती प्रमुख स्थान पर स्थित है। हालांकि संपत्ति को ठीक से संरक्षित नहीं किया गया है और इसके अतिक्रमण की पूरी संभावना है। एच.पी.सी.एल. की प्रमुख संपत्ति को छोड़ना उचित नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को उनके विकास के लिए भूमि का पता लगाने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भूमि के उपयोग के लिए एक उचित परियोजना अत्यंत आवश्यक है। यदि एच.पी.सी.एल. विकास के लिए भूमि का उपयोग करने की स्थिति में नहीं है, तो केंद्र सरकार की परियोजना के लिए भूमि सौंपना उचित है। इसलिए, मैं सरकार से एच.पी.सी.एल. या केंद्र सरकार की कुछ अन्य एजेंसियों के माध्यम से एडाप्पल्लीकोट्टा कोल्लम में एच.पी.सी.एल. के साथ निहित भूमि का उपयोग करने के लिए तुरंत एक परियोजना लागू करने का आग्रह करता हूं।

अपराह्न 12.07 बजे

केन्द्रीय बजट, वर्ष 2019-20 ... जारी...

अनुदान की मांगे

सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, कृपया मुझे एक मिनट दीजिए। ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

^{6*}श्री एस. सी. उदासी (हावेरी): मैं वर्ष 2019-20 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा।

मैं सरकार का ध्यान कर्नाटक राज्य के हावेरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हाल ही में उन्नत किए गए निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों की स्वीकृति से संबंधित लंबे समय से लंबित मामलों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जिनकी स्थिति क्रमवार विवरण में प्रस्तुत की जा रही है।

माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने वर्ष 2018 में बीजापुर से हुबली तक एनएच-218 के विस्तारीकरण हेतु शिलान्यास किया था, जिस पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। साथ ही, उन्होंने निम्नलिखित नए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति की भी घोषणा की थी।

राजमार्ग अधिकारियों और परामर्शदाताओं के साथ आयोजित बैठक के दौरान प्रगति की समीक्षा करते समय यह आकलन किया गया कि हाल ही में उन्नत किए गए इन राष्ट्रीय राजमार्गों की स्वीकृति अब तक प्रदान नहीं की गई है। यह प्रक्रिया अभी मंत्रालय में लंबित है और संबंधित निर्णय एवं अनुमोदन अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। चूंकि केन्द्रीय मंत्री की घोषणा के बाद पहले ही एक वर्ष से अधिक का समय समाप्त हो चुका है, इसलिए जनता बार-बार स्थिति के बारे में पूछ रही है और इस देरी के कारण ठोस जवाब नहीं दिया जा सकता है। सलाहकारों और राजमार्ग अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति ध्यान देने के लिए नीचे प्रस्तुत की गई है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सैद्धांतिक रूप से संकटेश्वर – यरगट्टी – मुनावल्ली– नारगुंड सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मंजूरी प्रदान की है। यह मार्ग संकटेश्वर के पास एनएच-48 (पुराना एनएच-4) के जंक्शन से प्रारंभ होकर गोकक, यरगट्टी, मुनावल्ली होते हुए एनएच-52 (पुराना एनएच-218) के नारगुंड के पास स्थित जंक्शन तक जाता है।

^{6*}भाषण सभा पटल पर रखा गया।

"नारगुंड – बेलवांकी – गजेंद्रगढ़ – कुश्ताजी – टवर्गेरे – सिंधनूर" मार्ग को एनएच-150 ए के अंतर्गत, एनएच डिवीजन हुब्लल्ली द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

कर्नाटक राज्य में नारागुण्ड-गाडग-मुण्डारागी-इतागी-जागालुर सड़क;

कर्नाटक राज्य में कारवार-कैगा-मुण्डागोड-सावानुर-गुड़ग-गजेन्द्रघाड सड़क की घोषणाओं को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दी है।

जैसा कि इन परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया एक वर्ष से अधिक समय से लंबित है, अब समय आ गया है कि इस दिशा में ठोस कार्रवाई की जाए। अतः मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूँ कि कृपया इस विषय पर ध्यान दें और शीघ्रतम समय में इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने हेतु सकारात्मक कदम उठाएं।

सरकार से अनुरोध है कि छतरा गांव के निकट एनएच-4 (एएच-47) के चेनेज 313+473 पर चल रहे अंडरपास के कार्य में रानीबेन्नूर की ओर से संपर्क तटबंध की लंबाई घटाई जाए। कर्नाटक राज्य के हावेरी जिले में अनुमोदित योजना के अनुसार तटबंध तक पहुंचने की लंबाई अब लगभग 1000.00 मीटर है।

सरकार से अनुरोध है, हावेरी जिले में 305 किलोमीटर चेनेज पर इलीटाली-कुवेव जिला मार्ग पर 12 मीटर चौड़ाई की दो खंडों वाला एक अंडरपास निर्माण किया जाए। इसके अलावा इस चेनेज पर रानीबेन्नूर शहर की ए.पी.एम.सी. मेगा मार्केट भी बन रही है। प्रतिदिन इस स्थान पर स्थित एनएच-4 पर स्थित एपीएमसी मेगा मार्केट में हजारों भारी वाहन, ट्रैक्टर और बैलगाड़ियां आवागमन करेंगी। आगामी छह से आठ महीनों की विकासात्मक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, साथ ही यातायात जाम और दुर्घटनाओं से बचाव हेतु उपर्युक्त विवरणानुसार एक अंडरपास का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। यह अंडरपास न केवल गांव को बेहतर संपर्क प्रदान करेगा, बल्कि किसानों को अपने खेतों और विपणन केंद्र (मार्केटिंग सेंटर) तक सुगमता से पहुंचने की सुविधा भी देगा।

हावेरी जिले के चालागेरी गांव में जो वाहन अंडरपास (किमी 285+560 पर) है, उसका पुनर्निर्माण नए मानकों के अनुसार किया जाना चाहिए। इसमें अंडरपास की ऊँचाई कम से कम 5.5 मीटर होनी चाहिए।

और नीचे का स्तर ऐसा उठाया जाए कि वह पास के सड़कों के स्तर के बराबर हो जाए। इससे वहां जमा होने वाले पानी की समस्या खत्म होगी।

एन.एच.-4 के 335.00 कि.मी. क्षेत्र (जे.एच. कॉलेज, हावेरी के पास) में एजारेलकमापुर, देवीहोसुर रोड, हावेरी में एक अंडरपास का निर्माण।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त सभी कार्यों को चालू वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान जल्द से जल्द सर्वोच्च प्राथमिकता पर शामिल किया जाए।

[हिन्दी]

7* श्रीमती गीताबेन वी. राठवा (छोटा उदयपुर): वर्ष 2014 से अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से पूरे भारत देश के सभी ग्रामीण, आदिवासी, पहाड़ी और रेगिस्तान जैसे कई विकट मार्गों को मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ने का काम चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी और माननीया वित्त मंत्री जी के साथ गडकरी जी का भी विशेष रूप से योगदान है, देश में नेशनल हाइवे के साथ मुख्य सड़क मार्ग को प्रत्येक गांव से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। इसलिए मैं अपने संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूं और हमारे आदिवासी क्षेत्र में भी सड़कों का कार्य चल रहा है और कहीं-कहीं पूरा भी हो चुका है। हमारे लोकसभा संसदीय आदिवासी क्षेत्र में नेशनल हाइवे नहीं है जिसकी कई वर्षों से मांग रही है। मेरा संसदीय क्षेत्र छोटा उदयपुर (वडोदरा) गुजरात राज्य का आदिवासी बहुल क्षेत्र है, पावागढ़ स्थित सिद्ध पीठ माता काली का प्रसिद्ध मंदिर और 'स्टेचू ऑफ यूनिटी' पर्यटन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिसमें देश-विदेश से टूरिस्ट यहां आ रहे हैं। वह दोनों प्रवासन स्थल है। अतः माननीय मंत्री जी से विनती है कि जनता की भारी मांग पर हमारे विस्तार को भी नेशनल हाइवे नंबर 8 से जोड़ दिया जाए।

अंकलेश्वर नेशनल हाइवे नंबर 8 से राजपिपला तक सड़क बन रही है उसे स्टेचू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर होके तंखला कवाट और मध्य प्रदेश का कुक्षी नेशनल हाइवे में जोड़ दिया जाए जो कि 200 कि.मी. है। नेशनल हाइवे 8 हालोल से पावागढ़ शिवराजपुर बोडेली छोटा उदयपुर मध्य प्रदेश का अलीराजपुर नेशनल हाइवे में परिवर्तन किया जाए जो कि 200 कि.मी. है। वडोदरा से पादरा सड़क बन गयी है उसमें पादरा से जम्मू तक 35 कि.मी. बाकी है उसके चौड़ीकरण का कार्य बाकी है, उसे शीघ्र पूरा किया जाए। इस रोड पर बहुत सारे बड़े उद्योगों का कार्य चल रहा है इसलिए स्थानीय लोगों और वाहनों का आवागमन ज्यादा है। ऐसी हमारी मांग के साथ-साथ सरकार का धन्यवाद करती हूं, आभार अभिनंदन करती हूं। वर्ष 2019-20 का बजट का समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

7* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

8* श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़ (पंचमहल): मैं केन्द्रीय बजट 2019-20 के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा के अधीन विवरण सभा पटल पर रखता हूँ। जब से माननीय नरेन्द्रभाई मोदी जी की सरकार बनी है, तब से राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्यों में काफी

8* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

तेजी आई है। इसके लिए मैं माननीय मोदी जी एवं माननीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जी को बधाई देता हूँ एवं सरकार से अपेक्षा करता हूँ कि सरकार इस गति को निरंतर जारी रखेगी।

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (अहमदाबाद-इंदौर हाइवे) जिस पर अहमदाबाद से गोधरा के बीच में दो टोल प्लाजा कठलाल एवं सेवालिया में होने के बावजूद भी यह राजमार्ग अहमदाबाद से गोधरा के बीच काफी जर्जर स्थिति में है। जिस पर दुर्घटना होने की काफी संभावना रहती है। मैं माननीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जी से मांग करता हूँ कि जनहित में मरम्मत करवाकर आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं पर पूर्ण विराम लगाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

९* श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे (नासिक): मैं आज आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेन्द्र मोदी जी और आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस साल के बजट में उन्होंने रस्तों से देश जोड़ने के लिए एक अच्छा प्रयास करने की कोशिश की है। पिछले 5 सालों में श्री. नितिन गडकरी जी ने बहुत तेज रफ्तार से रास्ते बनाए हैं। किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर उस देश के विकास की गति बढ़ाता है और हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से हम नए और एक मजबूत भारत की ओर जा रहे हैं।

मैं अपने क्षेत्र नासिक के बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। नासिक शहर में के.के. वाघ. कॉलेज से लेकर जत्रा होटल क्रॉसिंग तक का फ्लाईओवर का काम तेज गति से हो रहा है। निश्चित रूप से इससे नासिक शहर में होने वाले अपघात कम होंगे। सिन्नर शिर्डी रस्ते को फोर लेन बनाने की भी मान्यता मिल चुकी है। उसके साथ 59 किमी. पालखी मार्ग पहली बार इतने लंबाई का होने वाला है। उसके लिए मैं माननीय गडकरी साहब को धन्यवाद देता हूँ की पूरे विश्व से शिर्डी साईं बाबा के दर्शन के लिए भक्त आते हैं और उनको अधिक सुविधा मिल जाएगी।

नासिक को लेकर जो काम धीमी गति से हो रहा है उसे गति देने का काम रस्ते एवं ट्रांसपोर्ट मंत्रालय करें यह अनुरोध करता हूँ।

वडपे से गोंदे (99 किमी.) यह सिक्स लेन को तीन साल पहले मान्यता दी गयी है। उसका डी.पी.आर. भी बन चुका है सिक्स लेन की जगह भी एन.एच.ए.आई. के पास है। उस काम की शुरुआत जल्द से जल्द हो यह अपेक्षा है।

द्वारका से दत्त मंदिर तक राष्ट्रीय मार्ग 3 और पुराना राष्ट्रीय महामार्ग 50 इनके मिस्रिसंग लेंथ है। श्री. गडकरी जी ने नासिक के एक कार्यक्रम में इस 5.9 किमी. की मिस्रिसंग लेंथ को राष्ट्रीय महामार्ग का दर्जा देकर वह फ्लाईओवर बना देने की घोषणा भी की है। इस काम को भारत माला कार्यक्रम में प्रायोरिटी में समावेश करके इसे जल्द से जल्द मान्यता दे यह आशा करता हूँ।

९. भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सिन्नर-घोटी-त्रम्बकेश्वर-जवहर-मोखाडा-पालघर इस राज्य मार्ग को वर्ग करके इसे राष्ट्रीय महामार्ग 160 की उपमा दी गयी है। इसका भी डी.पी.आर. बन चुका है। इस रास्ते पर राज्य भी काम ठीक से राष्ट्रीय महामार्ग घोषित होने की वजह से मेंटेन नहीं कर रहा है। इसलिए इसके डी.पी.आर. को मान्यता देकर इसका भी काम जल्द से जल्द शुरू होने की उम्मीद करता हूं।

राष्ट्रीय महामार्ग 848 नासिक-पेठ में बदलाव किया गया है। उसका धागुरगिनरि-महिरवनी से वाडीवर्हे इस राज्यमार्ग 37 का वर्गीकरण राष्ट्रीय महामार्ग 848 में करने की तत्त्वता: मान्यता मिल गयी है। उसको भी जल्द से जल्द डी.पी.आर. बनाकर मान्यता दी जाए।

उसी तरह वाडीवर्हे से साकुर-शिंदे-सय्यद पिंपरी को इस राज्य मार्ग 37 को राष्ट्रीय महामार्ग में वर्ग करने का भी प्रस्ताव राजमार्ग और परिवहन मंत्रालय में आ चुका है। उसे भी राष्ट्रीय महामार्ग 848 के रूप में उन्नत किया जाए और मान्यता दी जाए। मांग क्र. 4 और 5 के माध्यम से नासिक शहर की बाहरी हिस्से में राष्ट्रीय महामार्ग 848 का रिंग रोड बन जाएगा। इसकी वजह से नासिक शहर में कोई भी भारी वाहन नहीं आने से ट्रैफिक सही होगा और नासिक शहर में प्रदूषण भी कम होगा।

[अनुवाद]

^{10*} **डॉ. हिना विजयकुमार गावीत (नंदुरबार):** मैं सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वर्ष 2019-20 की अनुदान मांगों का समर्थन करती हूँ।

मोदी 1.0 सरकार स्वतंत्रता के बाद से सभी सरकारों में पहली सरकार रही है जिसका ध्यान सड़क और बुनियादी ढांचे पर था।

सड़कें परिवहन की एक समेकित बहु-मॉडल प्रणाली का हिस्सा होती हैं, जो हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बंदरगाहों और अन्य लॉजिस्टिक केंद्रों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ियाँ प्रदान करती हैं। ये आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में अहम भूमिका निभाते हुए आर्थिक विकास के लिए एक प्रेरक तत्व के रूप में कार्य करती हैं। भारत में सड़क परिवहन प्रमुख और सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला परिवहन माध्यम है।

किसी भी देश के विकास के लिए उसका सड़कों का नेटवर्क सशक्त होना चाहिए, और देश के प्रत्येक क्षेत्र में सड़क नेटवर्क की सुलभता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 को 'निर्माण वर्ष' घोषित किया और वह राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क का विस्तार और उन्नयन करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, परिणामस्वरूप वर्ष 2014-15 में 12 कि.मी. प्रति दिन की तुलना में वर्ष 2018-19 में प्रति दिन 30 कि.मी. की दर से सड़क निर्माण का कार्य हुआ है।

यह श्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और श्री नितिन गडकरी जी के कुशल नेतृत्व के कारण ही संभव हो पाया है।

^{10*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जब गडकरी जी महाराष्ट्र में सड़क परिवहन मंत्री थे, उन्होंने राज्य में सड़कों और पुलों को बनाने की पहल की, जिससे यातायात जाम को कम करने और सड़क यात्रा को आरामदायक बनाने में मदद मिली।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र एक आदिवासी क्षेत्र है और इस सरकार ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों को मंजूरी दी है।

भारतमाला परियोजना के तहत एक राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत किया गया है जो धुले को नन्दुरबार से जोड़ता है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया इस सड़क को शहादा-धड़गांव-मोलगी-पिंपलखुटा-वडफली-डेडियापाड़ा-बड़ौदा के क्षेत्र तक बढ़ा दिया जाए।

उपरोक्त उल्लिखित नाम एवं मार्ग सतपुड़ा पर्वतमाला के गांवों से संबंधित हैं, जहाँ जनजातीय समुदाय निवास करते हैं। यह सड़क इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी और इस जनजातीय जिले के विकास में सहायक होगी, जो एक आकांक्षी जिला भी है।

मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहती हूँ कि कृपया अंकलेश्वर-बुरहानपुर सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में मंजूरी दें क्योंकि यह मेरे क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांग है। यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र के चार ब्लॉकों से होकर गुजरती है और एकमात्र सड़क है जो गुजरात और मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र से जोड़ती है। यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए और रावेर, बुरहानपुर, भरुच निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण सड़क है।

मैं आपसे यह भी अनुरोध करना चाहती हूँ कि कृपया नंदुरबार शहर के लिए चार-लेन वाली बाईपास रोड स्वीकृत करें क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग जो नंदुरबार शहर से गुजरता है, वह बहुत व्यस्त है और इसमें 15,000 से अधिक वाहनों का आवागमन होता है।

हम आज जिस सबसे बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं, वह है शहर से होकर गुजरने वाले भारी वाहनों का यातायात, जिसके कारण प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। दुर्भाग्य से, इस सड़क पर आर.टी.ए. (सड़क यातायात दुर्घटनाएं) के कारण कई लोगों की मौत हो गई और जान गंवाने वालों में ज्यादातर युवा,

महिलाएं और कॉलेज के छात्र हैं जो बाइक और दोपहिया वाहन चलाते थे। इसलिए, मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया इस मांग पर विचार करें।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मोदी 1.0 सरकार के दौरान जो सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में स्वीकृत की गई हैं, वे आज एस.एफ.सी. बैठक के अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रही हैं ताकि सड़क निर्माण शुरू किया जा सके। इन सड़कों में शामिल हैं-

1. शेवाली - नंदुरबार - तलोदा - अंकलेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग
2. विसारवाडी - कालम्बा
3. कालम्बा - कोल्डे
4. साकरी - पिंपलनेर - सतना

उपर्युक्त सभी सड़कें पहले से ही घोषित व स्वीकृत हैं, लेकिन इन सड़कों को पहले की एस.एफ.सी. में शामिल न किए जाने के कारण राजमार्ग का काम अभी भी लंबित है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि कृपया इस मामले पर गौर करें और अगले एस.एफ.सी. के दौरान इन सड़कों पर विचार करें।

सूरत-अमरावती राष्ट्रीय राजमार्ग का काम तीन साल पहले शुरू किया गया था और यह काम आईएलएंडएफएस कंपनी को आबंटित किया गया था। पिछले एक साल से आईएलएंडएफएस कंपनी के दिवालिया होने के बाद से निर्माण कार्य रोक दिया गया है। सड़क की स्थिति बहुत खराब है - आधी निर्मित है और आधी बची है। बरसात के दिनों में गड्ढों में जलभराव हो जाता है, जिसके कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि वह शीघ्रातिशीघ्र इस मुद्दे का समाधान करे और कृपया यह सुनिश्चित करे कि कम से कम तब तक गड्ढों की मरम्मत की जाए जब तक कि यह कार्य किसी अन्य कंपनी को आबंटित न कर दिया जाए।

मेरा यह भी अनुरोध है कि कृपया मेरे निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) योजना के तहत सड़कों को मंजूरी दें ताकि नन्दुरबार निर्वाचन क्षेत्र में हमारी अच्छी कनेक्टिविटी हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार मंत्री जी और सरकार को बधाई देती हूँ और इस बजट का समर्थन करती हूँ।

11*डॉ. सुभाष रामराव भामरे (धुले): सड़क परिवहन भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्षों के दौरान, अंतरराज्यीय माल और यात्री परिवहन में रेलवे और विमान सेवाओं की तुलना में अनेक बाधाओं और अक्षमताओं के बावजूद, सड़क परिवहन ने अपनी महत्ता और उपयोगिता में निरंतर वृद्धि की है। भारत में सड़क नेटवर्क देश के विकास, सामाजिक एकीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय सड़क नेटवर्क का प्रबंधन विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है। भारत के पास 54.83 लाख किलोमीटर से अधिक लंबाई वाला विश्व का एक सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। सड़क क्षेत्र, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों और परिवहन क्षेत्र की जिम्मेदारी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इस संदर्भ में बजट में निम्नलिखित घोषणाएँ की गई थीं:

- राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम का व्यापक पुनर्गठन किया जाएगा, ताकि वांछित क्षमता वाला एक सुसंगठित राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड तैयार किया जा सके।
- वर्ष 2019-20 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पर कुल व्यय 83,016 करोड़ रुपये अनुमानित है। यह 2018-19 के संशोधित अनुमानों से 6% अधिक है। वर्ष 2019-20 में जहां मंत्रालय का राजस्व व्यय 10,957 करोड़ रुपये अनुमानित है, वहीं पूंजीगत व्यय 72,059 करोड़ रुपये अनुमानित है। 2014-15 में राजस्व और पूंजीगत व्यय के बीच अनुपात 50:50 था। 2015-16 में यह अनुपात बदल गया, मंत्रालय ने पूंजीगत व्यय पर अधिक धन खर्च किया। तब से, मंत्रालय ने अपने पूंजीगत व्यय में काफी वृद्धि की है। वर्ष 2019-20 में मंत्रालय के पूंजीगत व्यय का 87% व्यय होने का अनुमान है।

^{11*}भाषण सभा पटल पर रखा गया था

- इसके अलावा, अवसंरचना क्षेत्र के लिए संसाधन जुटाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क और अवसंरचना उपकरण में एक-एक रुपये प्रति लीटर की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे अवसंरचना निवेश के लिए और अधिक निधि सृजित होगी। आई.सी.आर.ए. रेटिंग्स द्वारा प्रदान की गई गणना से पता चलता है कि इसके साथ, कुल सड़क और बुनियादी ढांचा उपकरण 2019-20 में बढ़कर 1.27 लाख करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है, जो 2018-19 में 1.13 लाख करोड़ रुपये था, यानी 12.4% की वृद्धि।
- एन.एच.ए.आई. से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मार्गों (परिपक्व परिसंपत्तियों को एस.पी.वी. को हस्तांतरित करके) के माध्यम से अधिक परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करके इक्विटी जुटाएगा।
- इस वित्तीय वर्ष में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत प्रमुख कार्यों के लिए एन.एच.ए.आई. को धनराशि आबंटित की गई है, जिसे क्रियान्वयन हेतु संगठन को सौंपा गया है। यह धनराशि केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सी.आर.आई.एफ.), स्थायी पुल शुल्क निधि (पी.बी.एफ.एफ.) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग मुद्रीकरण निधि (एम.एन.एच.एफ.) से आएगी।
- भारतमाला का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राष्ट्रीय सड़क गलियारों और राजमार्गों को विकसित करने में मदद करेगा और इन पहलों से रसद में काफी सुधार होगा, परिवहन की लागत कम होगी और घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

मंत्रालय ने निम्नलिखित कार्य किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2017-18 में सरकार ने 9,829 किमी; वित्तीय वर्ष 2016-17 में 8,231 किमी; वित्तीय वर्ष 2015-16 में 6,061 किमी; और वित्तीय वर्ष 2014-15 में 4,410 किमी सड़क नेटवर्क तैयार किया।

- सरकार राजमार्ग के विकास में बाधा डालने वाले नीतिगत मुद्दों को सक्रिय रूप से संबोधित कर रही है। इसने मौजूदा नीति को सुव्यवस्थित किया है जो डेवलपर्स को नई परियोजनाओं में निवेश करने में सक्षम बनाएगी, भूमि अधिग्रहण में तेजी लाई गई है, और एकमुश्त पूंजी निवेश योजना शुरू की गई है जो सुस्त परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने में सहायता करती है।
- एनडीए सरकार की महत्वाकांक्षा में कोई कमी नहीं रही, जैसा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिदिन 45 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किए जाने से स्पष्ट होता है, जो कि 2017-18 में प्राप्त प्रतिदिन 27 किलोमीटर की उपलब्धि से कहीं अधिक है। राजमार्ग निर्माण की औसत गति को भी प्रतिदिन 14 किलोमीटर से बढ़ाया गया है, जिसमें भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
- इस प्रक्रिया में, सरकार ने राजमार्ग क्षेत्र को पुनर्जीवित किया है, जो दबाव और निजी निवेश की कमी से जूझ रहा था। नितिन गडकरी के अधीन सड़क मंत्रालय ने परियोजनाओं को समाप्त करने, उन्हें जोखिम से मुक्त करने और हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (एच.ए.एम.) शुरू करने सहित कई कदम उठाए, जिसमें सरकार ने काम शुरू करने के लिए डेवलपर को परियोजना लागत का 40% प्रदान किया, जबकि शेष निवेश डेवलपर द्वारा किया जाना था।
- सरकार ने परिवहन अवसंरचना में सुधार के लिए सागरमाला (बंदरगाह) और भारतमाला (सड़क) जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं भी बनाई हैं। जबकि भारतमाला परियोजना के लिए कुल निवेश 10 ट्रिलियन रुपये आंका गया था - जो किसी सरकारी सड़क निर्माण योजना के लिए अब तक का सबसे बड़ा परिचय है - देश ने सागरमाला कार्यक्रम के तहत 2035 तक 8 ट्रिलियन रुपये के निवेश की परिकल्पना की है।

[हिन्दी]

^{12*} **श्री संजय सेठ (राँची):** देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में राष्ट्रीय राजमार्ग की महत्वपूर्ण भूमिका है। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने पहले दिन से ही बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया है। पिछले पांच साल में चाहे रेलवे हो, सड़क हो या शिपिंग, सरकार संपर्क बढ़ाने के लिए बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने में लगी है। अपने 5 साल के कार्यकाल में एनडीए सरकार ने लगभग 33,361 किमी. के राजमार्ग बनाए हैं। पिछले दिसम्बर के दौरान 31.87 किमी. प्रतिदिन दर से राजमार्ग बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। 2014-2019 के कार्यकाल में माननीय मंत्री जी द्वारा किए गए कार्य सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के लिए निश्चित ही मील का पत्थर साबित होंगे।

चूंकि 2019 में भी सरकार द्वारा निर्देशित व प्रस्तावित भिन्न-भिन्न योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाना है। इस हेतु मैं सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र राँची से जुड़े निम्नलिखित राजमार्ग की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ जिससे क्षेत्र के औद्योगिक एवं व्यवसायिक विकास को बढ़ावा मिल सके।

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) के द्वारा एनएच 75 पर राँची से कुडू तक का फोर लेनिंग का कार्य 70 प्रतिशत पूरा हो गया है। अधूरे कार्य को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कुडू से लातेहार, लातेहार से पद्मामोड़, पद्मामोड़ से गढ़वा एवं गढ़वा से विठमगंज तक फोर लेनिंग बनाने की कृपा की जाए।
- एनएच 75 झारखण्ड को बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं ओडिशा को सड़क मार्ग से जोड़ती है। अतः आग्रह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-75 के महत्व को देखते हुए जनहित में इसे चारपथीय सड़क (फोर लेन) बनाने की महती कृपा की जाये।
- राँची शहर में हेहल से जाकिर हुसैन पार्क तक एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाए।

^{12*} भाषण सभा पटल पर रखा गया

- झारखण्ड में राष्ट्रीय राजमार्ग-33 को चार लेन मार्ग बनाने की प्रक्रिया के कार्य में तेजी लाई जाए।

अतः आशा है कि झारखण्ड के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने हेतु उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करेंगे।

13*श्रीमती शारदा अनिल पटेल (महेसाणा): मुझे बोलने का समय नहीं मिला इसलिए मैं निम्नलिखित विचार आपकी इजाजत ले कर रख रही हूँ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश की बागडोर थामते ही इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाने का बीड़ा उठा लिया था। सड़क, राजमार्ग, जलमार्ग, वायुमार्ग से जुड़ी परियोजनाओं से लेकर आवास योजना तक में सरकार ने जा तेजी दिखायी है वह एक सक्षम एवं समर्थ भारत का भरोसा देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का सबसे ताजा उदाहरण 2 किलोमीटर लंबा जोजिला टनल है जिसका प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया था।

3100 मीटर की ऊंचाई पर बनने वाली सुरंग से श्रीनगर-कारगिल एवं लेह-लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क बना रहेगा जो अच्छी सड़कें, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण होती हैं। मोदी जी और उनकी सरकार का हाइवे के निर्माण पर शुरू से ही जोर रहा है। यह इससे पता चलता है कि 2013-14 में यूपीए सरकार के सड़कों के निर्माण का बजट जहां 32,483 करोड़ रुपए था वो मोदी सरकार में 2017-18 में बढ़कर 1,16,324 करोड़ रुपए हो गया।

2013-14 के दौरान राजमार्गों के निर्माण की गति 12 किलोमीटर प्रतिदिन थी जबकि 2017-18 में 27 किलोमीटर प्रतिदिन हो गयी।

नक्सल प्रभावित ऐसी जगहों पर सड़कें बनायीं जा रही हैं जहां अभी तक किसी की भी जाने की हिम्मत नहीं होती थी। भारतमाला 2 के तहत राज्यों के राजमार्गों के विकास पर फोकस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अगले 5 सालों में 1,25,000 किलोमीटर सड़कों के विस्तार एवं विकास का लक्ष्य तय किया जाना विकास के प्रति मोदी जी की दृढ़ता को दिखाता है।

^{13*}भाषण सभा पटल पर रखा गया था

मैं अपनी तरफ से सरकार से दो बातों पर ध्यान देने तथा विचार करने का अनुरोध करती हूँ।

1. निर्माण की टेक्नोलॉजी ऐसी हो जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हों।
2. राजमार्गों पर वाहन चालकों के लिए सस्ते, सुव्यवस्थित विश्रामगृह बनाए जाए इससे सड़क दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी हो सकती है।

^{14*}श्री जनार्दन सिंह सिंग्रीवाल (महाराजगंज): मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए अपने संसदीय क्षेत्र महाराजगंज बिहार से संबंधित कुछ सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग में जोड़ते हुए, उनके शीघ्र निर्माण कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह करता हूँ:-

1. पथ-सीवान से पैगम्बरपुर तक के सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग करते हुए, इसका निर्माण शीघ्र कराने का कष्ट करेंगे।
2. मांझी से बरौली पथ को राष्ट्रीय राजमार्ग करते हुए, इसका निर्माण जनहित में शीघ्र कराने का कष्ट करेंगे।
3. ताजपुर से एकमा होते हुए मशरक तक के सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग करते हुए, उसका निर्माण शीघ्र कराने का कष्ट करेंगे।
4. तरैया से पानापुर होते हुए सतजोड़ा तक के सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देते हुए, शीघ्र निर्माण कराने का कष्ट करेंगे।
5. राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 101 (पुराना नं.) के घटिया कार्य को उच्च स्तरीय टीम द्वारा जांच कराकर संबंधित संवेदक + अभियंताओं के ऊपर कठोर कार्रवाई करने का कष्ट करेंगे।

^{14*}भाषण सभा पटल पर रखा गया

15* श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): मैं वर्ष 2019-20 के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय संबंधी अनुदान मांगों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ।

भारत में विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच), एक्सप्रेसवे, राज्य राजमार्ग (एसएच), जिला सड़कें, पीडब्ल्यूडी सड़कें और प्रोजेक्ट सड़कें शामिल हैं। भारत में 60 प्रतिशत से अधिक वस्तुओं को लाने-जाने के लिए सड़कों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि 85 प्रतिशत यात्री परिवहन के लिए भी सड़कों का इस्तेमाल किया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सड़क परिवहन और परिवहन अनुसंधान संबंधी नीतियों को बनाती और प्रबंधित करती है। मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के निर्माण और रखरखाव में भी शामिल है। वह सड़क परिवहन से जुड़े मामलों जैसे प्रमुख केन्द्रीय कानून, मोटरवाहन एक्ट, 1988 का कार्यान्वयन के संबंध में भी कार्य करता है। तेज और समावेशी विकास वाली मेरी सरकार ने पहले बजट में देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 100 ट्रिलियन रुपए निवेश करने का ऐलान किया। इसके तहत केन्द्र सरकार का सबसे ज्यादा जोर सड़कों और मेट्रो का जाल बिछाने और रेल नेटवर्क को दुरुस्त करने पर है।

लोकसभा में वर्ष 2019 के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि भारतमाला के दूसरे चरण में राज्यों को राज्यस्तरीय सड़कों के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राष्ट्रीय गैस ग्रिड, जल ग्रिड, सूचना-मार्ग और हवाई अड्डों के विकास के लिए खाका तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा की चार सालों में गंगा में माल परिवहन में चार गुने वृद्धि होगी। भारतमाला, सागरमाला और उड़ान जैसी योजनाएं ग्रामीण-शहरी क्षेत्र के बीच के अंतर को पाटने का काम कर रही हैं और परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार कर रही हैं। भारतमाला परियोजना से राज्यों को रोडवेज विकसित करने में मदद मिलेगी। देश में 657 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क परिचालन में आ गया है और 300 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन को मंजूरी दी गई है और इलैक्ट्रिक वाहनों में विशेष छूट भी दी गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 80,250 करोड़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण तीन के तहत 80,250 करोड़ रुपये की लागत से

15. भाषण सभा पटल पर रखा गया

1.25 लाख किलोमीटर सड़क को उन्नत बनाया जाएगा। सरकार नेशनल हाइवे प्रोग्राम को पुर्नगठित करेगी ताकि नेशनल हाइवे ग्रीड को उसकी क्षमता के मुताबिक बनाया जा सके। सरकार ने पहले ही एक अप्रैल को 10,000 करोड़ रुपये की फेम-दो योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत उचित प्रोत्साहनों और चार्जिंग ढांचा उपलब्ध कराकर बिजली चालित वाहनों (ईवी) का चलन तेजी से बढ़ाया जा सकेगा। भारत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3 ट्रिलियन अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यही नहीं आने वाले कुछ वर्षों में यह 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बजट में पूरा जोर भारत आधारभूत ढांचे के विकास और जॉब पैदा करने पर रहा। राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम का वृहद पुनर्गठन किया जाएगा। इससे एक वांछित क्षमता के राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रीड का सृजन सुनिश्चित हो सकेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, औद्योगिक गलियारे, समर्पित भाड़ा गलियारे और भारतमाला परियोजना के तहत सड़कों को दुरुस्त किया गया है। सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है और एनएचआई के जरिए इन कार्यों को करती है। राष्ट्रीय राजमार्ग कुछ सड़क नेटवर्क का 2 प्रतिशत हैं, लेकिन कुल सड़क यातायात का 40 प्रतिशत भार उठाते हैं। एनएचआई के व्यय में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्रोजेक्ट (एनएचडीपी) के अंतर्गत आने वाले प्रॉजेक्ट्स का वित्त पोषण शामिल है। एनएचडीपी के अंतर्गत आने वाले प्रॉजेक्ट्स में निम्नलिखित शामिल हैं : 1. स्वर्ण चतुर्भुज (गोल्डन क्वाड्रिलेटरल), 2. उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर, और 3. चरण -तीन के अंतर्गत आने वाले 12109 कि.मी. राजमार्ग की फोर-लेनिंग।

मैं अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाली सड़कों की स्थिति का जिक्र करना चाहूंगा। एन.एच.75 जो मेरे क्षेत्र में पडवा मोड़ से लेकर विदमगंज तक जाती है कि स्थिति अत्यंत जर्जर है हालांकि इसे बने हुए मात्र दो वर्ष हुए हैं। उपरोक्त परिस्थिति में मेरा अनुरोध है कि इसकी मरम्मत की अतिशीघ्र व्यवस्था की जाए।

इसी तरह गढ़वा बाईपास का भी उल्लेख करना चाहूंगा। इस सड़क की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। टेंडर भी निकल चुका है परन्तु पैसे के अभाव में कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है, अतः अनुरोध है कि इसका शीघ्र निर्माण प्रारंभ कराया जाए।

एन.एच.98 में सिलदाग से हरिहरगंज तक फोर लेन सड़क निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत अधिगृहित की गई जमीन एवं मकानों के मुआवजा का भुगतान किया जाए। विदित है कि उक्त प्रोजेक्ट को भारत माला प्रोजेक्ट/योजना से अलग कर दिया गया है जिसके चलते उपरोक्त परेशानियों ग्रामीणों को झेलनी पड़ रही है और एन.एच.[हिन्दी] 98 के फोन लेन निर्माण की कार्यवाही बंद पड़ गई है। उक्त परिस्थिति में ग्रामीणों की परेशानियों को एवं प्रोजेक्ट की महत्ता को समझते हुए इसे भारत माला प्रोजेक्ट से अलग नहीं किया जाए एवं इसका शीघ्र निर्माण कार्य शुरू कराया जाए।

उल्लेखनीय है कि यह अकेली वैकल्पिक सड़क है जो बिहार, यूपी एवं अन्य प्रांतों को झारखंड की राजधानी रांची तथा अन्य जिलों यथा लातेहार, एवं पलामू को जोड़ती है।

अंत में, मैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय संबंधी मांग का अनुमोदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जयहिन्द।

16*डॉ. भारतीबेन डी. श्याल (भावनगर): सड़क निर्माण देश के विकास में अहम भूमिका निभाता है, यदि मार्ग अच्छा है तो व्यापार और रोजगार के साधन बढ़ेंगे, आज देश में हाईवे का जाल चारों तरफ फैल गया है। जहां भी जाओ राजमार्गों पर निर्माण कार्य लगा हुआ है, इस देश के नागरिकों ने इतनी अच्छी सड़कों की कल्पना कभी नहीं की होगी। वर्ष 2014 से देश के राजमार्ग निर्माण में जिस तरह की ऐतिहासिक गति आई है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय नितिन गडकरी जी को बधाई देती हूं।

आज से पांच वर्ष पूर्व सड़क परिवहन मंत्रालय का नाम सुना था लेकिन राजमार्ग निर्माण का कार्य बहुत ही कम देखने को मिलता था। मुझे खुशी है कि आज हमारा सड़क मार्ग दुनिया के बड़े राजमार्ग नेटवर्क में शामिल है, जिस गति से हमारी सरकार ने सड़क निर्माण करवाए हैं वह अभूतपूर्व है, इससे देश विकास की ओर बढ़ रहा है। मैं माननीय मंत्री जी की आभारी हूं कि उन्होंने मेरे संसदीय क्षेत्र भावनगर में 6 राजमार्ग स्वीकृत किए जिसमें से 1. भावनगर-वेरावल-सोमनाथ, 2. भावनगर-राजकोट, 3. भावनगर- अहमदाबाद तथा 4. तलाजा-पालीताना मार्ग निर्माणाधीन है एवं 5. भावनगर-कोलियाक, 6. अहमदाबाद-बोटाद-ढेसा अभी टेण्डरिंग व्यवस्था में हैं।

मैं केन्द्र के साथ-साथ हमारी गुजरात सरकार को भी धन्यवाद देती हूं जिन्होंने भावनगर के घोघा बन्दर से दहेज रो-रो फेरी (जलमार्ग) का निर्माण करवाया है, भावनगर से सूरत या मुम्बई जाने के लिए लगभग क्रमशः 450-600 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, यदि सरकार भावनगर के घोघा पोर्ट से समुद्री मार्ग (वाटरवे) का निर्माण सूरत और मुम्बई के लिए करवा दे तो यह दूरी मात्र 35 किलोमीटर हो जाएगी, इस क्षेत्र में व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे, समय और धन की बचत होगी इसके साथ ही वाटरवे से देश की सीमा की ओर के पानी का सदुपयोग भी हो सकेगा।

मेरा माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से अनुरोध है कि पूरे देश में राजमार्ग निर्माण का कार्य काफी तीव्र गति से हो रहा है लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत भावनगर से सोमनाथ के लिए राजमार्ग

¹⁶*भाषण सभा पटल पर रखा गया

निर्माण का कार्य काफी धीमी चल रहा है, इसके लिए मेरा अनुरोध है कि इस राजमार्ग के जल्द निर्माण के लिए संबंधित कंपनी को आवश्यक निर्देश दिया जाए।

धन्यवाद।

17* श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): मैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के 2019-2020 अनुदानों की मांग का समर्थन करते हुये अपनी बात रखना चाहता हूँ। हमारी सरकार ने बजट में सड़कों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम का बड़े स्तर पर पुनर्गठन करने की कार्ययोजना पेश की है। इससे एक राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड का निर्माण होगा, जो देश के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ेगा। सरकार ने बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 80,250 करोड़ की लागत से 1.25 लाख किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा है। भारतमाला परियोजना से राज्यों को रोडवेज विकसित करने में मदद मिलेगी। सरकार ने बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों को लोगों के लिए किफायती बनाने के लिए जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर लिए गए लोन पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर 1.5 लाख की अतिरिक्त इनकम टैक्स छूट भी दी जाएगी। सड़क क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाया जायेगा। सड़क के निर्माण की गति का लक्ष्य 40 किलोमीटर प्रतिदिन रखा गया है, जो वर्तमान में 32 किलोमीटर प्रतिदिन है। इस लक्ष्य को सरकार माननीय श्री नितिन गडकरी जी के प्रयासों से अवश्य पूरा करेगी।

मेरा लोक सभा क्षेत्र चतरा भौगोलिक दृष्टि से अत्यन्त विस्तृत एवं दुर्गम क्षेत्र है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सिर्फ झारखंड राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस लोकसभा क्षेत्र में चतरा और लातेहार जिला के साथ पलामू जिला का पांकी विधान सभा क्षेत्र भी आता है। इस क्षेत्र के विकास की दृष्टि से पथों की संरचना, उनका उन्नयन, संवर्द्धन, सुदृढ़ीकरण और राज्य स्तरीय और अंतर्राज्यीय जुड़ाव अत्यंत आवश्यक है। भारत सरकार ने पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ने वाले पथों को प्राथमिकता देने के साथ ही वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में भी सड़क नेटवर्क के उन्नयन को प्रमुखता दी है।

17* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

श्री नितिन गडकरी जी, माननीय केन्द्रीय मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लोक सभा क्षेत्र चतरा में सड़कों के निर्माण के लिए बहुत सराहनीय कार्य किया गया है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय उच्च पथों की घोषणा, पुलों का निर्माण, नए राष्ट्रीय उच्च पथों की सैद्धांतिक मंजूरी आदि कार्य हुए हैं जिनमें

- दुबियाखांड (एन.एच.75) से बेतला, गारु, महुआडांड, कुसुमी, राजपुर, अंबिकापुर (छत्तीसगढ़) नए एनएच को मंजूरी।
- घाघरा-बिसनपुर-नेतरहाट-महुआडांड, नए एनएच को मंजूरी।
- जसपुर-गोविंदपुर-डुमरी-महुआडांड नए एनएच को मंजूरी।
- डाल्टेनगंज (एन.एच.75) - सगालिम-तरहसी-मनातु - चक - रानीगंज - इमामगंज - शेरघाटी (एन.एच.2 बिहार) नए एनएच घोषित।
- बगरा (एन.एच.22) - लावालोंग-रामपुर रिमी द्वारिका पांकी - सगालिम - लेस्लीगंज नए एनएच घोषित।
- चतरा (एन.एच.99) - ईटखोरी-चौपारन (एन.एच.2) नए एनएच घोषित।
- जीहू (एन.एच.22) - ईटखोरी नए एनएच घोषित।
- पांकी - हेरहंज - बालूमाथ तक विस्तार नए एनएच घोषित।
- डाल्टेनगंज (एन.एच.75) - पांडेपुरा - रानीगंज- इमामगंज- डुमरिया- बेला- सुल्तान घाटी एनएच 39 नए एनएच घोषित।
- एनएच22 पर 4 पुलों का निर्माण (जबड़ा ओर गोनिया) तथा एन.एच. 522 पीरी में पुल का निर्माण
- एनएच 22 पर 2 पुलों का निर्माण (संघरी घाटी) तथा एन.एच. 22 पर 3 पुलों का निर्माण (हंटरगंज में) तथा एन.एच. 39 पर 3 पुलों का निर्माण (उदयपुरा एवं लातेहार में) तथा एन.एच.39 पर 2 पुलों का निर्माण (दोमुहान एवं लातेहार में) तथा एन.एच.22 पर 3 पुलों का निर्माण तथा एन.एच. 22 पर जोरी से

लमटा वाया चतरा तक सड़क का पुर्ननिर्माण एवं पुलिया का निर्माण तथा एन.एच. 39 में दुसंगी नाला पर नए पुल का निर्माण आदि प्रमुख है।

उपरोक्त वर्णित परियोजनाओं पर कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है। निर्धारित समय सीमा पर काम पूर्ण नहीं हो रहा है। इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में घोषित एन.एच. सड़क परियोजनाओं को ससमय पूर्ण करने की दिशा में ठोस कार्यवाही की जाये।

साथ ही मेरे लोक सभा क्षेत्र के लातेहार जिला में एन.एच.75 पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) द्वारा बाईपास प्रस्तावित है। प्रस्तावित बाइपास रोड औरंगा नदी, खीखीर नदी और माला नदी पड़ती है। उपायुक्त लातेहार द्वारा दिनांक 09.02.2015 तथा मेरे द्वारा भी दिनांक 2.04.2016 को परियोजना निदेशक, एन.एच.ए.आई. रांची को पत्र लिखा गया था। वैकल्पिक प्रस्ताव के अनुसार एन.एच. 75 पर कीनामाड से होटबाग तक बाईपास का निर्माण कराया जा सकता है। इसमें कोई बड़ी नदी और रेलवे लाईन नहीं पड़ रही है। अतः मेरा आपके माध्यम से केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से आग्रह है कि लातेहार में बाईपास निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाये।

इसके साथ-साथ चतरा जिला मुख्यालय पर भी एक बाईपास के निर्माण की आवश्यकता है जिसकी स्वीकृति भी प्रदान की जाये।

इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार, के पत्र दिनांक 06.08.2015 द्वारा राज्य की ओर से भेजे गये प्रस्तावों में रांची रिंग रोड रातू- ठाकुरगांव - पिपरवार-टण्डवा-सिमरिया पथ के निर्माण की अनुशंसा की गई थी। परन्तु इसके रूट में बदलाव कर बिजुपारा-खेलारी-टंडवा-सिमरिया मार्ग लम्बाई 101 कि.मी. स्वीकृति किया गया है। इस संबंध में आपको तथ्यों से अवगत करवाते हुये आग्रह होगा कि इस रूट में बदलाव नहीं किया जाये। नये प्रस्तावित पथ बिजुपारा-खेलारी-टंडवा-करेडारी पहले से ही एन.टी.पी.सी. के माध्यम से हजारीबाग तक बनाया जा रहा है। पूर्व में भेज गये रांची रिंग रोड रातू- ठाकुरगांव- पिपरवार- टण्डवा- सिमरिया पथ के निर्माण से दो लोकसभा क्षेत्रों रांची व चतरा को लाभ मिलेगा। केन्द्र सरकार की नीति के अनुसार ऐसे पथ जिनमें राज्यों की राजधानी व देश की राजधानी से नजदीक रूट तय होता है,

उसे प्राथमिकता देना है। इसलिए इस पथ के निर्माण से रांची की दूरी दिल्ली व अन्य राज्यों की राजधानियों से कम हो जायेगी। आपको अवगत करवाना है चतरा में स्टील प्लांट का निर्माण प्रस्तावित हैं। चतरा एवं टण्डवा एक औद्योगिक शहर के रूप में विकसित होने वाला है। इस दृष्टि से भी इस रोड़ का निर्माण आवश्यक हैं। अतः मेरा आग्रह है कि रांची रिंग रोड़ रातू- ठाकुरगांव- पिपरवार- टण्डवा- सिमरिया पथ के रूट में कोई बदलाव नहीं किया जाये। अगर बदलाव किया गया है तो उसे वापस कर पूर्व में प्रस्तावित रूट को ही स्वीकृति प्रदान करें।

एक अन्य महत्वपूर्ण विषय हैं। रेलवे ने जानकारी प्रदान की है कि दिनांक 10.11.2014 को रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। इसके अनुसार वर्ष 2019 तक सभी रेल फाटकों को रोड ओवर/रोड अंडर ब्रिज से बदलने का कार्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करेगा। मेरे संसदीय क्षेत्र में पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति एवं राशि मिली हुई है। रेलवे द्वारा भी स्वीकृति हो चुकी है। इसमें विलम्ब के कारण जनता में बहुत आक्रोश है और कई बार उग्र प्रदर्शन हो चुका हैं। यह बहुत व्यस्त मार्ग है। इसके निर्माण को शीघ्र करवाने की आवश्यकता है। परन्तु यह भी ध्यान रखना होगा कि चंदवा बाजार को नुकसान नहीं हो। चंदवा के बाजार का बचाव करते हुये इसका विकल्प तलाश किया जाये। इसके लिए बाईपास का निर्माण, या रेलवे अण्डर पास का निर्माण भी किया जा सकता हैं। अतः लातेहार जिला में टोरी स्टेशन के निकट टोरी-चतरा, डोभी पथ पर रेल ओवरब्रिज (आरओबी) का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाये।

इसके साथ मैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के 2019-20 अनुदानों की मांग का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

^{18*} **श्री अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर):** जब से माननीय मोदी जी ने देश के प्रधान सेवक रूप में कार्यभार सम्भाला तब से लगातार देश नई ऊंचाइयां छू रहा है जो काम पूर्ववर्ती सरकारें आजादी के बाद से आज तक नहीं कर पाई मोदी जी की सरकार ने 5 वर्षों में करके सिद्ध कर दिया कि उनकी सरकार का एक मात्र लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ भारत को दुनिया में नम्बर एक पर लाना है। मोदी जी के नेतृत्व में सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी जी ने जो कार्य किया वह अकल्पनीय है। श्री गडकरी जी देश में निर्धारित लक्ष्य के विपरीत कई गुना अधिक एन.एच.-एन.एच.ए.आई., स्टेट पी.डब्ल्यू.डी. एवं एन.एच.आई.डी.सी.एल. की सड़कों का निर्माण कर, कार्य करने की सर्वोच्च क्षमता का परिचय दिया है।

श्री नितिन गडकरी जी की डिक्शनरी में असम्भव शब्द नहीं है, श्री गडकरी जी की कार्यशैली हम सब को कार्य के प्रति समर्पित भावना से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है।

माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से 18-20 घंटे तक प्रतिदिन कार्य कर हर क्षेत्र में देश को 2013-14 से काफी आगे ले आये हैं, तथा उनके कठिन कार्य-क्षमता को श्री नितिन गडकरी भी बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं।

गडकरी जी ने देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों, सीमान्त क्षेत्रों एवं सामरिक महत्व के क्षेत्रों में सड़क पहुंचाने का कार्य किया है, वह अविस्मरणीय है। परिवहन का सही उपयोग, गडकरी जी ने हर क्षेत्र में सफलतापूर्वक करके दिखाया है। कुछ समय बाद हम कैलाश मानसरोवर सड़क मार्ग से जा पायेंगे, जो लोग कैलाश मानसरोवर के पवित्र दर्शन करने की इच्छा मात्र रखते थे तथा कठिन मार्ग के कारण जा नहीं सकते थे, अब सड़क का निर्माण प्रारंभ होने से आशा जगी है कि कुछ समय बाद हम सड़क मार्ग से करोड़ों सनातन धर्मियों के पवित्र स्थल, कैलाश मानसरोवर के दर्शन एवं पवित्र जल से "आचमन" एवं स्नान कर पायेंगे। सड़कों, नदियों, पहाड़ों मैदानी क्षेत्रों में अकल्पनीय पुलों का निर्माण कर सरकार ने लोगों की बरसों की मांग को पूरा किया है।

^{18*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हमारे प्रदेश उत्तराखण्ड में माननीय प्रधानमंत्री जी ने "आल वैदर" सड़क का कार्य "चारधाम" की सुगम यात्रा के लिए जो नितिन गडकरी जी की देख-रेख में प्रारम्भ किया था, आज तेज गति से चल रहा है। माननीय गडकरी जी ने उत्तराखण्ड की जिन कई सड़कों को एन.एच. बनाने की घोषणा की थी, उनका निर्माण चल रहा है।

आज शहरों में जाम की बड़ी समस्या है, मेरी लोक सभा नैनीताल-ऊधम सिंह नगर के अंदर हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, लालकुआं, भवाली, भीमताल, नैनीताल में जबरदस्त जाम लगता है। जिसके कारण, जन जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। हल्द्वानी से नैनीताल जहां सामान्यतः 1 से लेकर डेढ़ घंटे तक का समय लगता है, पर्यटन सीजन में 7 से लेकर 8 घंटे तक का समय लगा और जनता पानी एवं लघुशंका के लिए तथा भोजन के लिए परेशान हो गई तथा छोटे-2 बच्चों को दूध एवं बिस्कुट तक नहीं मिले। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि शहरों में जाम न लगे, ऐसी योजना बने और ऐसे शहरों में "बाईपास" बनाने के लिए केन्द्र से सी.आर.एफ. अथवा किसी अन्य मद से धनराशि अवमुक्त की जानी चाहिये, क्योंकि राज्य सरकारों के पास धन की कमी होती है, यद्यपि एन.एच. पर बसे शहरों में "बाईपास" के लिए धनराशि केन्द्र सरकार ही देती है।

कई पर्यटक शहरों में आज पार्किंग की गंभीर समस्या है, इसका उदाहरण मैंने नैनीताल पर्यटक नगरी का ऊपर दिया है जहां पार्किंग न होने के कारण 7-8 घंटे तक जाम लगा रहा।

मैं उत्तराखण्ड की कुछ सड़कों के संबंध में सरकार को अवगत कराना चाहता हूं। धर्मनगरी हरिद्वार के लिए लम्बे समय से बन रही सड़क का मार्ग आज तक पूर्ण नहीं हुआ। जिससे कई बार गंभीर दुर्घटना हो चुकी है, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इस मार्ग के न बनने से सरकार की काफी बदनामी हो रही है। मेरा आग्रह है कि सरकार ऐसे ठेकेदारों को "ब्लैक लिस्ट" कर दे, ताकि सरकारी धन की एवं समय की बर्बादी न होने पाये।

मैं सरकार को बधाई देता हूँ कि भारत में सबसे पहले "ऑलवेदर" रोड़ उत्तराखण्ड को दी गई, आज चार धाम एवं टनकपुर से पिथौरागढ़ तक "ऑलवेदर" रोड़ का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, परन्तु कार्य की गति बहुत धीमी है, सरकार कार्य की गति बढ़ायेगी तो अगले वर्ष चार धाम यात्रा और अधिक सुगमता से हो जायेगी।

उत्तराखण्ड के दो मण्डलों कुमाऊं एवं गढ़वाल को जोड़ने के लिए कार्बेट पार्क से एक कण्डी रोड़ की मांग लम्बे समय से चल रही है। इसका निर्माण होने के बाद उत्तर प्रदेश से नहीं आना पड़ेगा और रामनगर से सीधे कालागढ़ होते हुए कोटद्वार पहुंच जायेंगे। मेरा अनुरोध है कि सरकार इसकी स्वीकृति जारी करें।

मेरी लोक सभा नैनीताल - ऊधम सिंह नगर के अंतर्गत खटीमा - पानीपत राष्ट्रीय राज मार्ग पर जनपद ऊधम सिंह नगर में स्थित (एन.एच. 74) का निर्माण कार्य गल्फार कम्पनी को मिला था। निर्माण कार्य नहीं किया गया। रुद्रपुर से काशीपुर की ओर स्थित रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर निर्मित फ्लाईओवर के दोनों ओर गल्फार कम्पनी के द्वार कोई सर्विस लेन का निर्माण नहीं किया गया है। इस फ्लाईओवर के दोनों ओर आवासीय क्षेत्र, मॉडल कॉलोनी सूर्या इन्क्लेव, फ्रेड्रान सर्किल, सोढ़ी कॉलोनी एवं अनेक प्रतिष्ठानों के हजारों नागरिकों की आवाजाही मुख्य मार्ग से बन्द है, क्योंकि राष्ट्रीय मार्ग में सर्विस लेन नहीं है।

एलायंस आवासीय कॉलोनी द्वार से, ग्रीन पार्क सोब्टी कॉलोनी द्वार तक एन.एच. पर सड़क, गल्फार कम्पनी के द्वारा न बनाये जाने के कारण आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक पर अत्यंत बड़ा व गहरा नाला होने से अनेक छोटे व बड़े वाहन व नागरिक इन नालों में गिर चुके हैं।

उक्त कम्पनी द्वारा यहां पर नाले पर स्लैब निर्माण व सड़क न बनाने से अनेक वाहन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं एवं कई नागरिक घायल हो चुके हैं।

रुद्रपुर के शमशान घाट व दुधिया बाबा मन्दिर से किच्छा मार्ग पर स्थित श्री शुक्ला जी (विधायक किच्छा) आवास तक यानि तीन पानी तक लम्बा मार्ग उपरोक्त कम्पनी द्वारा न बनाये जाने के कारण, भदईपुरा, शान्ति कॉलोनी, विम स्वायर कालोनी, दूधिया नगर, उत्तरांचल कालोनी, पहाड़गंज, अग्रसेन

अस्पताल क्षेत्र, रेशम वाड़ी व अन्य क्षेत्रों का जन-जीवन ठप्प हो चुका है। दिन भर धूल उड़ने से कई लोग फेफड़ों की बीमारी के शिकार हो चुके हैं। साथ ही बड़े-बड़े गड्ढों से दुर्घटनायें हो रही हैं।

किच्छा मेडीसिटी अस्पताल के बाहर पुलिया अत्यंत सकीर्ण होने से हमेशा जाम लगा रहता है। उपरोक्त कम्पनी द्वारा पुलिया का निर्माण आज तक न करने के कारण लम्बे समय तक जाम में फंस कर, लोग मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं।

यह अत्यंत गंभीर बात है कि ऊधम सिंह नगर में जहां-जहां भी गल्फार कम्पनी द्वारा काम किया गया है कहीं भी पैदल चलने अथवा दुपहिया वाहनों तक के लिए सर्विस लाईनों का निर्माण नहीं कराया है। साथ ही कहीं भी योजनाबद्ध तरीके से नालों का निर्माण न होने से गड्ढों में पानी भरने के कारण कई बार छोटे वाहन उसमें डूब जाते हैं तथा दुर्घटना होती है। इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाये जा रहे फ्लाईओवर का निर्माण कार्य कम्पनी ने रोक दिया है, जिसमें एक छोटा कच्चा मार्ग से ही वाहन आते - जाते रहते हैं। यह भी गम्भीर बात गल्फार कम्पनी द्वारा सर्विस लेन तो पूरी सड़क में कहीं भी नहीं बनाई है।

अत्यंत कष्ट के साथ सरकार को अवगत कराना है कि गल्फार कम्पनी की घोर लापरवाही एवं अधिकारियों की अकर्मण्यता से एक दर्जन यात्रियों की जान जा चुकी है और कई घायल हो चुके हैं।

यह और भी गम्भीर बात है कि गल्फार कम्पनी घड़ल्ले से इस राष्ट्रीय राजमार्ग किच्छा रोड पर टोल वसूली कर रही है जब 50 प्रतिशत भी काम पूरा नहीं हुआ तो फिर टोल लेने का कोई कारण नहीं होता है। यह अवैध वसूली है।

यह और भी गंभीर बात है कि अधूरी सड़क, जो 50 प्रतिशत भी नहीं बनी है उसको अनापत्ति प्रमाण पत्र किसके द्वारा और क्यों दिया गया।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच की जाये एवं उन अधिकारियों व संबंधित सभी लोगों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाये, जिनकी वजह से एक दर्जन से भी अधिक लोगों की जानें चली गई हैं।

इस संबंध में स्थानीय जनता एवं स्थानीय माननीय विधायक जी द्वारा अपना रोष व्यक्त किया गया है और हर बार स्थानीय प्रशासन, गल्फार कम्पनी, जनता के बीच में एग्रीमेंट तो हुआ है किन्तु कार्य आज तक नहीं हुआ है इसलिए इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए कठोर कार्यवाही सरकार करे।

रुद्रपुर में ट्रांजिट कैम्प जो बंगाली बहुल इलाका है लगभग दो कि०मी० सड़क में बड़े-बड़े गड्ढे बन गये हैं, यह क्षेत्र किसी भी निर्माण एजेंसी के पास न होकर महानगर निगम के अंदर आता है और महानगर निगम के पास धन की कमी के कारण निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसे मामलों में सड़क परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पैसा दिया जाना चाहिए।

इस बजट का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

^{19*}श्री सुनील बाबूराव मेंढे (भंडारा-गोंदिया): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वर्ष 2019-20 के इस बजट में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में निम्नलिखित सड़कें जोड़ी जाएंगी।

- भंडारो-तुमसर अब एक राज्यीय राजमार्ग है जिसे एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाएगा क्योंकि यह बहुत अधिक यातायात घनत्व वाली सड़क है।
- परनी (सिंदपुर) से लखनदरे रोड़ (एम.डी.के.) को राज्य राजमार्ग के रूप में घोषित किया जाएगा और इसका निर्माण तीन लेन सड़क के रूप में किया जाएगा क्योंकि यह दो नए राष्ट्रीय राजमार्गों का सड़क संपर्क है जो निर्माणाधीन हैं। (भंडारो-परनी नीलोग फाटा रोड और सकाली-लखनदरे-वादसी रोड)।

कृपया उपरोक्त पर विचार करें।

^{19*}भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[हिन्दी]

^{20*}श्री अजय टम्टा (अल्मोड़ा): मुझे वर्ष 2019-20 की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों पर अपनी बात रखने का अवसर दिया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मोदी जी की सरकार के दूसरे बजट में सबसे ज्यादा जोर सड़कों का जाल बुनने के ऊपर है। इस क्षेत्र में सरकार टॉप गियर पर चल रही है। कभी सोचा करते थे कि विदेशों की तर्ज पर अपने देश में भी राजमार्ग बनेंगे या नहीं, यह सम्भव हुआ और अटल जी की सरकार के समय स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से देखने को मिला। आज पुनः जब मोदी जी की सरकार बनी तो उस कैबिनेट में बहुत अनुभवी मंत्री श्रीमान् नितिन गडकरी जी ने सड़कों और राजमार्गों के प्रति अपनी सोच और दूरदर्शिता प्रकट की और राजमार्गों की स्थिति देखने लायक है, जहां एक्सप्रेसवे जैसे मोटर मार्ग बनें।

जब हम अपने क्षेत्र उत्तराखण्ड से दिल्ली या लखनऊ आते थे तो आने के बाद एक दिन पूरा आराम करना होता था। आज इसके ठीक उलट उत्तराखण्ड से दिल्ली आते वक्त जो राजमार्गों में परिवर्तन देखने को मिला है, सब उसकी वाहवाही करते हैं। कार्य कागजों में नहीं, धरातल पर दिखता है।

मैं अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से दूसरी बार सांसद निर्वाचित हुआ हूँ जिसमें बहुत बड़ी भूमिका सड़क परिवहन एवं राजमार्ग की भी है। मेरे क्षेत्र का बहुत-सा भू-भाग चीन और नेपाल की सीमा पर आता है। आज वहां भी भारतमाला परियोजना के तहत

(एक) बैजनाथ-थराली-कर्णप्रयाग मोटर मार्ग - 94 कि.मी., लागत - 2,000 करोड़ रुपये

(दो) बैजनाथ-बागेश्वर-कपकोट-मुनस्यारी मोटर मार्ग - 216 कि.मी., लागत - 4,500 करोड़ रुपये।

(तीन) अस्कोट-धारचूला-पालपा-लिपुलेख मोटर मार्ग - 147 कि.मी., लागत - 12 करोड़ रुपये

^{20*}भाषण सभा पटल पर रखा गया।

लगभग 7700 करोड़ रुपये की घोषणा एवं कार्यों की स्वीकृति से क्षेत्र में काफी हर्ष व्याप्त हुआ और जनता ने मोदी जी और भूतल परिवहन मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया।

राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के संबंध में पूर्व से काफी मांगें क्षेत्र से आती रहती थीं। मोदी जी की सरकार में माननीय भूतल परिवहन मंत्री जी द्वारा वर्ष 2016-17 में (1) एन.एच. 309 ए, धार-गंगोत्रीहाट-बेरीनाग-बागेश्वर-ताकुला, अल्मोड़ा को और, (2) एन.एच. 309 बी, अल्मोड़ा-पनार 77 किलोमीटर के दो मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया।

(1) रानीखेत, भतरौजखान, मोहान, (2) रानीखेत, खैरना, जिसमें सैद्धांतिक स्वीकृति एन.एच. घोषित करने हेतु हुई है। अतः विधिवत स्वीकृति की शीघ्र आवश्यकता क्षेत्र के लिए है। हम आपके आभारी होंगे।

वर्ष 2016-17 में माननीय प्रधान मंत्री जी और भूतल परिवहन मंत्री जी श्रीमान् नितिन गडकरी जी द्वारा चार धाम प्रोजेक्ट में अपना संसदीय क्षेत्र टनकपुर से पिथौरागढ़ एन.एच.-09 पर 1200 करोड़ रुपये से अधिक लागत से सुन्दर ऑलवेदर रोड का निर्माण हो रहा है, जो मेरे संसदीय क्षेत्र के लिए केन्द्र का उपहार है। मैं कहना चाहूंगा कि उक्त ऑल वेदर रोड में तीन बाइपास निर्माण की भी तत्काल आवश्यकता है - चम्पावत बाइपास, लोहाघाट बाइपास और पिथौरागढ़ बाइपास। इसके लागत हेतु प्रस्ताव व डी.पी.आर. भारत सरकार में अभी लम्बित है। इसके लिए शीघ्र ही धनराशि मुक्त होनी चाहिए। उक्त मार्ग में बाइपास का निर्माण आवश्यक है।

मेरे संसदीय क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 109 में चौंसली से कोसी बाइपास का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग 109 में लोधिया से पाण्डेखोला, जहां घनी आबादी के कारण काफी जाम की स्थिति बनी रहती है, जिस कारण उक्त राजमार्ग के कुछ भाग को राज्य सरकार द्वारा निर्मित बाइपास को सम्मिलित करना भी अपरिहार्य होगा।

एन.एच. 309 बी अल्मोड़ा से धार, एन.एच. 109 क्वाख से द्वारसों, एन.एच. 109 चौखुटिया से पाण्डुवाखाल - इन मार्गों के सुदृढीकरण और चौड़ीकरण के प्रस्ताव व डी.पी.आर. भारत सरकार के स्तर पर लम्बित हैं। इसकी स्वीकृति प्रदान हो।

एन.एच. 121 - रामनगर गर्सिया के पास धनगड़ी नाला और पनोर नाला के स्थान पर पुल की आवश्यकता है क्योंकि नालों में बरसात का पानी आने से हर वर्ष यहां जनहानि हो जाती है। इसका प्रस्ताव भी भारत सरकार को प्रेषित है। इसकी स्वीकृति प्रदान करें।

बजट में हर्ष का विषय है कि अब राज्यमार्गों पर भी राष्ट्रीय राजमार्ग कार्य करेगा। अपने संसदीय क्षेत्र में अनेक ऐसे मार्ग हैं जो काफी जर्जर हो चुके हैं और उनकी क्षेत्र में काफी आवश्यकता है। इस पर केन्द्र द्वारा ध्यान दिया जाना बहुत प्रशंसनीय है। भूतल परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जी का आभार कि आपके द्वारा देश में सड़कों के माध्यम से अंतिम छोर के व्यक्ति के विकास की सोच व्याप्त होगी।

धन्यवाद।

[अनुवाद]

^{21*} **श्री मितेष पटेल (बकाभाई) (आनंद):** अधिसूचना के संदर्भ में भावनगर (एन.एच.-51 पर) धोलेरा-वटामन जंक्शन-फतेहपुरा-खमहाट-गंभीरा ब्रिज-कर्जन (एन.एच.-48 पर) 200 किलोमीटर लंबाई वाली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, जो दक्षिण गुजरात को सौराष्ट्र क्षेत्र से जोड़ती है।

सौराष्ट्र क्षेत्र को दक्षिण गुजरात से जोड़ने के लिए सबसे छोटा मार्ग वटामन चौराहा-फतेहपुरा-खंभात-कावी-जंबूसर है, जिसके लिए 8.50 किलोमीटर लंबा एक ऊंचा पुल और 1.50 किलोमीटर की अन्य संरचनाएं निर्माणाधीन हैं।

खंभात से कावी के बीच संपर्क मार्ग के निर्माण से दूरी में 46 किलोमीटर की कमी आएगी। वर्तमान में सौराष्ट्र क्षेत्र से दक्षिण गुजरात और मुंबई के लिए यातायात वटामन चौराहा – तारापुर – धरमज – बोर्सद – जंबूसर मार्ग से होकर गुजरता है, जिसकी लंबाई 115 किलोमीटर है।

खंभात खाड़ी पर अनुमानित 8.100 किलोमीटर लंबा पुल एवं 1.50 किलोमीटर के संपर्क मार्गों के निर्माण के बाद, यातायात वटामन चौराहा – फतेहपुरा – गलियाना – गोलाना – खंभात – कावी – जंबूसर तक की दूरी केवल 69 किलोमीटर हो जाएगी।

इस प्रकार, यह मार्ग 46 किलोमीटर की यात्रा दूरी कम करेगा, जिससे भाल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसी पुल और राजमार्ग के निर्माण से प्रदूषण में कमी आएगी, जिससे प्रति वर्ष लगभग 200 करोड़ रुपये के ईंधन की बचत होगी। साथ ही, सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को विकास मिलेगा। अतः सरकार से अनुरोध है कि खंभात-गंभीरा ब्रिज-कर्जन (राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर) के स्थान पर खंभात-कावी-जंबूसर का मार्ग परिवर्तित किया जाए तथा तटीय राजमार्ग से जुड़ने वाले उसी पुल को मंजूरी दी जाए।

^{21*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[हिन्दी]

^{22*} **श्री राकेश सिंह (जबलपुर):** मैं सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के बजट अनुदान पर अपनी बात व्यक्त करना चाहता हूँ।

आज यदि सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो हम सभी सांसद अपनी सरकार के प्रति गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसका कारण है कि देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे विजनरी लीडर और सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के मंत्रीत्व काल में इस मंत्रालय द्वारा सड़क निर्माण और राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किया है।

पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत दयनीय थी, यह पता ही नहीं चलता था कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे। राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन हेतु सांसदों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा आंदोलन किया जाता रहा है, किंतु कांग्रेस की सरकार ने कभी उन आवाजों को तवज्जो नहीं दी।

आज हमें बताते हुए गर्व होता है कि माननीय श्री गडकरी जी के नेतृत्व में मात्र 5 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों का कार्य जिस तेज गति से किया जा रहा है, वो बेशक एक ऐतिहासिक और हमारी सरकार की अभूतपूर्व सफलताओं में से एक है।

काम करने वालों के लिए इस देश में संभावनाओं की कमी नहीं है। किंतु उसके लिए एक मजबूत नेतृत्व और राजनैतिक इच्छा शक्ति जरूरी है, जो केवल और केवल इस देश को हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देखने को मिला है।

पूर्ववर्ती सरकारों में कार्य तो होते थे, किंतु पार्टी के आधार पर आज मुझे यह कहते हुए गर्व है कि आज देश कोई भी मेरे सांसद मित्र चाहे किसी भी दल से हो, आज निर्भीक होकर और दलगत राजनीति से उपर उठकर हक से अपने क्षेत्र संबंधित विकास कार्यों के लिए मदद मांग सकते हैं।

^{22*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हमारी सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की प्रक्रिया में अभूतपूर्व तेजी लाई गई है। पूर्ववर्ती सरकार में जो प्रतिदिन 10 से 12 कि०मी० निर्माण कार्य होता था, आज हमारी सरकार के दौरान 28 से 30 कि०मी० के आसपास प्रतिदिन राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद भी हमारी सरकार द्वारा इस लक्ष्य को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

मैं अपनी बात को बहुत विस्तार में न ले जाते हुए अपने संसदीय क्षेत्र जबलपुर से निकलने वाले तीनों राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जबलपुर से निकलने वाली एन.एच.-7, एन.एच.-12 एवं एन.एच.-12ए के फोर लेन निर्माण प्रगति पर है। आपसे आग्रह है कि समय सीमा के अंतर्गत तीनों सड़कों के निर्माण कार्य को पूरा किया जाये, इस हेतु संबंधित विभाग को निर्देशित किया जाये और साथ ही मेरे द्वारा संसदीय क्षेत्र जबलपुर की प्रमुख सड़कों के उन्नयन हेतु सी.आर.एफ. फण्ड हेतु आपसे पत्राचार भी किया गया है। अतः उक्त सड़कों के उन्नयन हेतु फण्ड उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

माननीय मंत्री से यह भी मांग करता हूं कि उनके द्वारा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिंग रोड जो 112 कि०मी० की प्रस्तावित है, को उनके द्वारा पूर्व में स्वीकृत कर दिया गया है। अतः प्रदेश सरकार को निर्देशित किया जाये कि उक्त रिंग रोड की आवश्यक औपचारिकता को पूरा किया जाये ताकि उसके निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा सके।

माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मेरी मांगों पर पुनः विचार कर यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। जयहिन्द।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री नितिन जयराम गडकरी): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विभाग से संबंधित जो फाइनेंशियल डिमांड्स थीं, उनके ऊपर कल करीब 62 सदस्यों ने अपने विचार रखे। ... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): आप मंत्री जी का रिप्लाइ सुनिए। ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। ... (व्यवधान)

श्री नितिन जयराम गडकरी : अनेक माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव भी दिए... (व्यवधान) मैं उन सभी माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन भी करता।[हिन्दी] हूं। ... (व्यवधान) मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा प्राइोरिटी दी है। ... [अनुवाद] (व्यवधान) मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे पांच साल के कार्यकाल में प्रधान मंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को प्राइोरिटी दी थी, उसके बहुत अच्छे परिणाम निकले हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपसे कहा है कि बजट की प्रक्रिया होने के बाद आपने जो-जो विषय लगाए हैं, उन पर बोलने का मौका दूंगा। अभी माननीय मंत्री जी का रिप्लाइ सुनिए।
...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अधीर रंजन जी, आप जो मुद्दा उठाना चाहते हैं, वह बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, लेकिन मंत्री जी का रिप्लाइ शुरू हो गया है, आप इसे सुनिए। ... (व्यवधान)

श्री नितिन जयराम गडकरी : महोदय, पिछले पांच साल में हमारे प्रधान मंत्री 21वीं सदी का भारत कैसा होगा और कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इसकी कल्पना भी इसमें की गई है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी गंभीर वक्तव्य दे रहे हैं। [अनुवाद] आप सभी ने जो भी सवाल उठाए हैं, माननीय मंत्री जी उनका जवाब देंगे।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : हम सदन से वॉक आउट करते हैं। ... (व्यवधान)

अपराह्न 12.10 बजे

*इस समय श्री अधीर रंजन चौधरी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन
से बाहर चले गए।*

श्री नितिन जयराम गडकरी : महोदय, इसमें बहुत अच्छे-अच्छे निर्णय भी किए गए हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कल सम्माननीय सदस्यों ने, जिनमें सभी सदस्य शामिल हैं, उन्होंने मेरे विभाग की और विशेष रूप से सरकार की इन सब बातों के लिए और सरकार के इनिशिएटिव का समर्थन भी किया है। इसके लिए मैं सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।

माननीय स्पीकर महोदय, माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का जो मुझे अवसर मिला है, उसमें केवल मेरे विभाग में करीब 17 लाख करोड़ रुपये के काम पाँच वर्षों में अवार्ड हुए। उनमें से 11 लाख करोड़ रुपये के काम रोड सेक्टर में अवार्ड हुए, जिनमें से कुछ काम पूरे भी हुए। करीब पाँच लाख करोड़ रुपये के काम शिपिंग, पोर्ट्स और इनलैंड वाटरवेज में हुए और एक लाख करोड़ रुपये के काम वाटर रिसोर्स में हुए। उस समय मेरे विभाग ने देश की जीडीपी में पौने तीन-तीन पर्सेंट कंट्रीब्यूशन किया।

[अनुवाद]

मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले पांच वर्षों में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लगभग 40,000 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं और विश्व स्तरीय राजमार्ग नेटवर्क बनाने के लिए 4,31,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। यह 2009-14 के दौरान पाँच वर्षों की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत अधिक है, जो उस दौरान केवल 25,000 किलोमीटर थी। हमने 2014-19 के दौरान 57,000 किलोमीटर का काम सौंपा है, जिसकी लागत लगभग 6 लाख करोड़ रुपये है, जो 2009-14 में दिए गए

28,500 किलोमीटर से लगभग दोगुना है। मंत्रालय ने एन.एच. निर्माण के लिए आबंटित निधियों का इस्तेमाल करने की जबरदस्त क्षमता का प्रदर्शन किया है, जो अर्थव्यवस्था की नींव है।

आज हम आबंटन का 80 प्रतिशत से अधिक पूंजीगत व्यय पर खर्च करते हैं। हम विकास दर में योगदान दे रहे हैं। मंत्रालय के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम रोजगार की अधिक संभावनाएं पैदा कर रहे हैं। मैं आपको केवल उदाहरण दे रहा हूँ। पिछले पांच वर्षों में भवन और सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मशीनों का कारोबार दोगुना हो गया है। यह देश के बुनियादी ढांचे और आर्थिक प्रगति के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है।

बहुत से सदस्यों को भारतमाला पर मुझसे सवाल पूछने में बहुत दिलचस्पी थी। भारतमाला परियोजना के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में 65,000 किलोमीटर से अधिक की सड़कों का विकास होगा जिस पर मेरे मंत्रालय ने पहले ही काम शुरू कर दिया है। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई प्राथमिकता नहीं है। किसी बात की चिन्ता न करें। प्रत्येक परियोजना एक प्राथमिकता वाली परियोजना है। आचार संहिता के समय एक परिपत्र जारी किया गया था। जब मैंने मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला तो मैंने तुरंत उस आदेश को संशोधित किया और इसमें कोई प्राथमिकता नहीं है। यह सभी के लिए समान रूप से सुलभ है और सरकार इसे निष्पक्ष रूप से क्रियान्वित करेगी।

भारतमाला परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत 24,800 किलोमीटर सड़कों को उन्नत करने की योजना है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के शेष 10,000 किलोमीटर मार्ग भी भारतमाला योजना का हिस्सा बनाए जाएंगे। भारतमाला को 5,35,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर मंजूरी दी गई थी, जिसे उपकर, टोल राजस्व, बाजार उधार, निजी क्षेत्र की भागीदारी, बीमा निधि, पेंशन निधि, मसाला बॉन्ड्स के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। अब हम पूंजी बाजार में भी जाने पर विचार कर रहे हैं, ताकि आम नागरिकों जैसे शिक्षक, कांस्टेबल और गरीब वर्ग—से निवेश के रूप में धन प्राप्त किया जा सके, और उन्हें इस पर आकर्षक ब्याज दर प्रदान की जा सके। वास्तव में, यह पूरी तरह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि निवेशकों को 7.5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत से अधिक ब्याज दिया

जा सके। इस धन का उपयोग सड़कों के निर्माण हेतु किया जाएगा। एक ओर हम देश में सड़कों का निर्माण करेंगे, और दूसरी ओर, हम देश के गरीब नागरिकों को उनके निवेश पर अच्छा ब्याज प्रदान करेंगे। हम उनके सहयोग से देश में सड़कों की बुनियादी संरचना को मजबूत बनाना चाहते हैं।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कोलकाता उत्तर): क्या आपने परियोजना पहले ही शुरू कर दी है?

श्री नितिन जयराम गडकरी: जी महोदय। मैं आपको बता रहा हूँ। लागत में संशोधन किया गया है, जो मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण में वृद्धि और इस बीच निर्माण लागत में बढ़ोतरी के कारण हुआ है। परियोजना की संशोधित लागत लगभग 8,41,000 करोड़ रुपये है। लागत बढ़ गई है। जब हमने इसे शुरू किया, इसकी कल्पना की, तब लागत 5,35,000 करोड़ रुपये थी।

अब यह 8,41,000 करोड़ तक बढ़ गई है।

प्रो. सौगत राय (दम दम): लेकिन पैसों के विषय में क्या? ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नितिन जयराम गडकरी : प्रोफेसर साहब, मैं आपको बता रहा हूँ। ... (व्यवधान) मैं आज फाइनेंशियल मॉडल पर ही चर्चा करूंगा। ... (व्यवधान) मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पैसे की कोई कमी नहीं है। ... (व्यवधान) मैं यह पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पर बोल रहा हूँ। ... (व्यवधान) एक भी काम नहीं हुआ तो आप मेरे ऊपर हक भंग लाइए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। ... (व्यवधान) मैं हर काम कर के दिखाऊंगा। ... (व्यवधान) [अनुवाद] संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए बहुआयामी रणनीतियां अपनाई गई हैं। भूमि अधिग्रहण का अनुकूलन और हरित मार्ग निर्धारण लागत को कम करेगा।

[हिन्दी]

माननीय स्पीकर महोदय, आप राजस्थान से हैं। हम 22 ग्रीन एक्सप्रेस हाइवेज़ बना रहे हैं। मैं इस सदन के सदस्यों को बड़े अभिमान के साथ बताना चाहूंगा कि मेरे विभाग के इंजीनियर्स ने मिलकर जो काम किया है, उसके लिए मैं उनको बधाई दूंगा और आपसे भी कहूंगा कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया है।

इन 22 ग्रीन एक्सप्रेस हाइवेज में से मुंबई-दिल्ली हाइवे उनमें एक एक है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि इन एक्सप्रेस हाइवेज के कारण डिस्टेंस कम होगा। यह एक्सप्रेस गुड़गांव से शुरू होगा और सवाई माधोपुर, अलवर से होकर रतलाम, झाबुआ से होते हुए वडोदरा से मुंबई जाएगा। इसकी कीमत अगर हम लोग दिल्ली से अहमदाबाद, वडोदरा और मुंबई के एग्जिस्टिंग हाइवे के नज़दीक करते तो इसकी लैण्ड एक्वूजिशन कॉस्ट 6 करोड़ रुपये प्रति क्टेयर आती। हमारे डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स और कंसलटेन्ट्स ने गूगल पर जाकर बहुत अच्छा मार्ग निकाला। उन्होंने बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ ऑफ राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के बारे में कहा। सर, यह पहला ग्रीन हाइवे है, जो पूरा ट्राइबल एरिया से जा रहा है।

इसके कारण रतलाम हो, झाबुआ हो, हमारे यहां से अलवर हो, सवाई माधोपुर हो या ठाणे डिस्ट्रिक्ट हो, या वडोदरा का ट्राइबल एरिया हो, माननीय स्पीकर महोदय, मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि केवल लैण्ड एक्वूजिशन कॉस्ट में 16 हजार करोड़ रुपये की बचत की गई है। इससे दिल्ली से मुंबई डिस्टेंस 120 किलोमीटर कम हुआ है और 160 परसेंट कॉन्ट्रैक्ट्स अवॉर्ड किये गए हैं। ढाई-तीन साल के अंदर 12 घंटों के अंदर मुंबई से दिल्ली जाना मुमकिन हो जाएगा, यह विश्वास मैं सदन को देना चाहता हूँ।

मैंने कल ही हमारे हैवी-इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर सावंत साहब से बात की है। इसमें पहली बार हम एक दस किलोमीटर का पायलट प्रोजेक्ट उनके सहयोग से करने के लिए सोच रहे हैं। यह 80 टन का ट्रक होगा, जिसमें इलैक्ट्रिक केबल होगी। मैंने वर्ल्ड में प्रेजेंटेशन ली हैं। अमेरिका, सैन-फ्रांसिस्को में यह हुआ है और जर्मनी में भी ऑलरेडी शुरू हो चुका है, स्वीडन में है, मैं देखकर आया हूँ। रेलवे के इंजन की तरह उस केबल से ट्रक के ऊपर तक करंट पहुंचेगा। दो ट्रक्स में दो कंटेनर्स 100 किलोमीटर की स्पीड से हाइवे पर एक साइड से दौड़ेंगे। दिल्ली से मुंबई जाने की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, जो आज 85 रुपये का पेट्रोल और 65 रुपये का डीजल है, उसमें 12 से 15 रुपये की बिजली लगेगी और कॉस्ट कम हो जाएगी। उसके बाजू में लॉजिस्टिक्स पार्क बने रहे हैं। वह 20 किलोमीटर तक करंट से चलेगा और फिर बैटरी चार्ज करके फिर दौड़ेगा और करंट से दौड़ेगा। यह बहुत इनोवेटिव मॉडल है। प्रधान मंत्री जी की सोच है कि नए भारत के 21वीं सदी के इंफ्रास्ट्रक्चर में यह रोड होगी।

एक और इंपॉर्टेंट बात है कि लैण्ड एक्वूजिशन की थोड़ी समस्या है। मैं सम्माननीय सदस्यों से एक अनुरोध करूंगा कि हमारे द्वारा कोई भी रोड शुरू करने से पहले आपकी कांस्ट्रिक्ट्यूएन्सी में जो रोड हम मंजूर करते हैं, उसका 80 परसेंट लैण्ड एक्वॉयर किये बिना हम अपॉइंटमेंट डेट नहीं देते हैं। आप मेरे पास आते हैं, मैं भी पीछे पड़ता हूं, लेकिन काम नहीं हो पाता। यह कठोर नियम इसलिए बनाया है, क्योंकि पुरानी सरकार से जब मैंने चार्ज लिया तो करीब 3 लाख 85 हजार करोड़ रुपये के 403 प्रोजेक्ट्स बंद पड़े हुए थे। सारा काम बंद पड़ा हुआ था। बैंक्स ने अकाउंट्स सीज़ कर दिये थे, कुछ सदस्य कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं, उनको पता है। ... (व्यवधान) इसमें हमारे सम्माननीय सदस्यों का दोष नहीं है, ये हजारों-करोड़ों रुपयों की प्रॉब्लम्स में फंसे हुए थे। ... (व्यवधान)

स्पीकर महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि हमने 95 परसेंट प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कीं और भारतीय बैंक्स को तीन लाख करोड़ रुपये के एनपीए से हमारे विभाग ने बचाया। ... (व्यवधान) सर, अब ये प्रोजेक्ट्स चलने लगे हैं। ... (व्यवधान) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बहुत से लोग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको इस बात का पता है। ... (व्यवधान) मैं हर्ष से एक बात और कहूंगा। इनके 17 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स के सब काम हुए, लेकिन इस सरकार की यह विशेषता रही कि सरकार पर कोई एक पैसे के करप्शन का आरोप नहीं लगा सकता, सरकार ने पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया है। ... (व्यवधान) किसी कॉन्ट्रैक्टर को अपने वर्क-ऑर्डर के लिए ऑफिस में नहीं आना पड़ा, एक रुपये का करप्शन नहीं हुआ। एक बात ज़रूर है कि अगर उसने ठीक काम नहीं किया तो उसके ऊपर लाठी चली है और गालियां पड़ी हैं। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

ये हमारे देश की संपत्तियां हैं। हम किसी भी प्रकार का गलत काम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसके लिए बहुत प्रतिबद्ध हैं। [हिन्दी] मैं भारतमाला योजना के बारे में एक बात कहना चाहूंगा, जिसका उल्लेख माननीय प्रोफेसर साहब कर रहे हैं। यह थोड़ा सा फाइनेंशियल सब्जेक्ट है, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी मुझे सुझाव दीजिए। हमारी टोल से इनकम दस हजार करोड़ रुपये है। हम पहले बीओटी, बिल्ट, ऑपरेट

एंड ट्रांसफर में प्रोजेक्ट बनाते थे, लेकिन मैं जब मंत्री बना तो बीओटी में काम करने वाले सब कांट्रैक्टर्स कोलैप्स हो गए, खत्म हो गए थे।

प्रो. सौगत राय : वे भाग गए थे? ... (व्यवधान)

श्री नितिन जयराम गडकरी : सर, वे भागे नहीं थे, उनका दिवाला पिट चुका था। ... (व्यवधान) प्रोफेसर साहब आपने अपने कल के भाषण में जिस बात का उल्लेख किया, आप अन्यथा मत लीजिएगा, आपने बंगाल के हाइवे के बारे में कहा था, संजय मित्रा जी चीफ सेक्रेट्री थे, जो मेरे डिपार्टमेंट में सेक्रेट्री बने। वहां अतिक्रमण हटाना था, हाइवे का काम करना था। मैंने खुद कोलकाता में दो बार मीटिंग्स कीं। मैंने एक बार मुख्य मंत्री के साथ भी मीटिंग की, उनका भी दोष नहीं था, क्योंकि वहां पूरी तरह अतिक्रमण था। आखिर तंग आकर - आप जिस प्रोजेक्ट का उल्लेख कर रहे थे - हमने वह प्रोजेक्ट स्टेट पीडब्ल्यूडी को दे दिया कि वह अतिक्रमण हटाए। वह अभी तक नहीं हो पाया है। अगर रोड पर लैण्ड एक्वायर नहीं होगा, अतिक्रमण नहीं हटेगा तो हम क्या आसमान में रोड बनाएंगे?

मैं सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि आप सब मेरे पास आने से पहले अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एनएचएआई के पीडी के साथ मीटिंग बुलाइए। मीटिंग में आप उनसे पूछिए कि रोड के काम के लिए कितना लैण्ड एक्वायजिशन हुआ, यूटिलिटी शिफ्टिंग का क्या काम हुआ, फॉरेस्ट एनवायर्नमेंट क्लियरेंस हुआ या नहीं हुआ, ये सारे स्टेट के काम होते हैं। ये तीनों बातें आपके लेवल पर कर के जब 80 परसेंट लैण्ड एक्वायर होगी और क्लियरेंसेज मिलेंगे, तब आप मेरे पास आइए, मैं तुरंत उसको क्लियर कर दूंगा। मेरी प्रॉब्लम यह है कि स्टेट गवर्नमेंट्स सहयोग करती हैं, लेकिन इसमें देरी होती है। इसलिए हमारे सभी एमपीज़ अपनी-अपनी कांस्टिट्यूएंसीज़ में मीटिंग करें। मैं तुरंत ऑर्डर इश्यू कर देता हूं कि आपकी मीटिंग में हमारे पीडी आएंगे। आप अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी मीटिंग में बुलाइए, लैण्ड एक्वायजिशन ऑफिसर को बुलाइए और यह जानिए कि क्या हुआ, काम क्यों नहीं हुआ। अगर आपने वह फेज़ पूरा कर दिया तो आप मेरे पास आइए। मैं तुरंत टेंडर निकालकर वर्क-ऑर्डर इश्यू करने का काम कर दूंगा। इसमें कई दिक्कतें और प्रॉबलम्स हैं।

अब फाइनेंस की बात है। बीओटी - बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफर में ऐसा होता है कि पूरा वर्क प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर करता है, पूरी रोड बनाता है और टेंडर में लिखता है कि वह पंद्रह साल आठ महीने तक टोल लेगा, फिर दूसरा बोलता है कि वह चौदह साल तीन महीने टोल लेगा। जिसकी ऑफर सबसे अट्रैक्टिव होती है, उसको अवॉर्ड मिलता है। यह जो टोल लगता है, आप चाहे मुझे अच्छा कहें या बुरा कहें, इस टोल का जन्मदाता मैं हूँ। इसलिए मैं इसके लिए गाली भी खाता हूँ। ... (व्यवधान) आप मेरी बात को समझ लीजिए। ... (व्यवधान) मैं जब मुंबई में मंत्री थी तो मैंने एनएचआई का महाराष्ट्र का पहला प्रोजेक्ट ठाणे-भिवंडी बाईपास टोल रोड बनाया था। जो लोग मुंबई और ठाणे के बीच में रहते हैं, उनको पता होगा कि कितना ट्रैफिक जाम था। यह मुंबई-नासिक रोड का पार्ट है। उसके बाद मुंबई-पुणे एक्सप्रेस हाइवे, वर्ली-बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट, 55 फ्लाईओवर्स, ये सब बने। ये सब प्राइवेट इनवेस्टमेंट से हुआ। यह खुशी से नहीं हुआ। हमारी सरकार के पास पैसे नहीं थे। मुंबई में 55 पुलों का काम करने के लिए पैसे कहां से लाएंगे। इस पर मैंने कहा मैं पहला काम महाराष्ट्र के 16 हजार गांवों के लिए रोड बनाने के लिए पूरा बजट दे दूंगा। मैं मुंबई शहर के लिए पैसे नहीं दूंगा। मुंबई शहर में जब हमने फ्लाईओवर्स बनाए तो उन पर टोल लगाया। मुंबई-पुणे एक्सप्रेस हाइवे बनाया तो टोल लगाया। आप मुझे बताइए कि मुंबई-पुणे के बीच जाने के लिए, आप सबको याद होगा कि 8, 9 से 11 घंटे तक लगते थे, अब आप दो घंटे में आते हैं। तटकरे जी यहां बैठे हैं, सुप्रिया जी भी बैठी हैं। आप कितने घंटे में आती हैं? दो घंटे में आती हैं। उस समय सुप्रिया जी छोटी होंगी, तब पवार साहब थे। उस समय मुंबई-पुणे असेंबली में हर समय डिस्कशन होता था कि यह रोड कब बनेगी। हमारे पास उसके लिए पैसे नहीं थे।

अब हमने कर्जा निकालकर पैसे निकाले तो टोल लगाया। मैं पूछता हूँ कि जब आप 11 घण्टे के बजाय 2 घण्टे में आएंगे तो आपका डीजल बचेगा और टाइम भी बचेगा। अगर इस सबकी सेविंग होगी तो आप टोल भी दीजिए। आप कुछ भी कहते रहिए, सरकार के पास पैसे नहीं हैं। यदि आप अच्छी सेवाएं चाहते हैं, तो आपको उनके लिए भुगतान करना होगा। मैं परसों ताज मानसिंह में एक कार्यक्रम में गया था और मुझे बोला गया कि आप टोल रद्द कीजिए। मैंने कहा आपने मानसिंह में कार्यक्रम क्यों रखा है? अगर आपने मानसिंह में कार्यक्रम रखा है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर फोकट में कार्यक्रम रखते तो रामलीला

मैदान में बैठ जाते। आपको किसने मना किया है? एक पण्डाल डालो और वहां एक लाउड स्पीकर लगाकर वहां बैठ जाइए। जब आपको अच्छी जगह एयरकण्डीशन में बैठना है, अच्छी चेयर चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे। यह काम फोकट में कैसे होगा? सरकार के पास पैसे नहीं हैं, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो। यहां सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट तीनों थिंकिंग के आदरणीय मुलायम सिंह जी बैठे हैं। मैं जॉर्ज फर्नांडिस को अपने जीवन का आइकन मानता हूं। मैं डॉ. लोहिया जी के पैर पड़ चुका हूं। मैं यह मानता हूं कि यह सच्चाई भी है और चीन तथा रशिया ने भी कम्युनिज्म को छोड़ दिया है। वे लिबरल इकॉनोमी की तरफ चले गए, क्योंकि किसी को दोष नहीं देना है। वे सब बड़े लोग थे। यह व्यावहारिक दृष्टिकोण है। जो दे सकता है, उससे लीजिए। जो गरीब लोग हैं और विलेज कनेक्टिविटी प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना आदि पर टोल नहीं लगता है तो वहां ज्यादा खर्च करके गरीबों को न्याय दीजिए। अगर बड़े शहर यानी दिल्ली के रिंग रोड को मैं 15,000 करोड़ रुपये से अपने बजट से बनाऊंगा तो हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा आदि में जहां टोल नहीं मिलता है, वहां रोड बनाने के लिए पैसा कहां से आएगा? अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में 2 लाख करोड़ रुपये खर्च करना चाहता हूं तो मैं दिल्ली, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, कोलकाता में टोल लगाऊंगा। सिक्किम में टोल नहीं लगता है। वहां पर वायेबिलिटी नहीं है। प्रोफेसर साहब, इसको इण्टरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्लस इण्ट्रेस्ट कॉस्ट प्लस उसके रिटर्न में आई.आर.आर. निकाला जाता है। आई.आर.आर. तमिलनाडु में अच्छा है, जहां ट्रैफिक डेंसिटी ज्यादा है। आई.आर.आर. गुजरात में अच्छा है, महाराष्ट्र में अच्छा है, तेलंगाना में अच्छा है, आन्ध्र प्रदेश में अच्छा है, पंजाब और हरियाणा में अच्छा, दिल्ली में अच्छा है, राजस्थान में अच्छा है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में अच्छा नहीं है, क्योंकि वहां की प्रोग्रेस अच्छी नहीं है। मैंने पांच साल में सबसे ज्यादा पैसा उत्तर प्रदेश को दिया है।

सर, हमारा काम है जो राज्य कमजोर हैं, उनको ज्यादा पैसा देना और जो राज्य धनवान हैं, वहां से पैसा इकट्ठा करना है। इसमें गलत क्या है? मुलायम सिंह जी कहेंगे कि समाजवादी थिंकिंग तो यही है। जो दे सकता है, उससे लीजिए और जो गरीब है, उसको दीजिए। आप एक बात बिल्कुल समझ लीजिए और मैं बहुत साफ बोलता हूं और कभी-कभी मुझे इससे तकलीफ भी होती है कि टोल जिन्दगी भर रद्द नहीं हो

सकता है। उसमें कम-ज्यादा या कंसेशन हो सकता है। हम लोग 22 ग्रीन हाइवे बना रहे हैं। इससे डिस्टेंस कम हो रहा है। आप कटरा से दिल्ली साढ़े चार घण्टे या पांच घण्टे में जाएंगे, हम यह सपना देख रहे हैं। हैदराबाद से बंगलुरु, बंगलुरु से चेन्नई हाइवे का लैण्ड एक्विजिशन पूरा हो गया है। अमरावती से हैदराबाद हाइवे आदि ऐसे बड़े-बड़े रोड बनाए जा रहे हैं तो इनके लैण्ड एक्विजिशन के लिए पैसा कहां से आएगा? निर्मला जी ने हमें 83,000 करोड़ रुपये का बजट दिया है। इसमें उन्होंने 5,000 हजार करोड़ रुपये बढ़ाकर दिया है। लेकिन हम 8 लाख करोड़ या 10 लाख करोड़ का काम कर रहे हैं। ये पैसा हम लैण्ड एक्विजिशन में खर्च करते हैं। स्टेट में जो काम होते हैं, हम कुछ पैसा उनके लिए खर्च करते हैं।

हमारा तीसरा मॉडल बी.ओ.टी. का था। आज देश में वह स्थिति नहीं है, फिर भी हम 3 हजार किलोमीटर बी.ओ.टी. मॉडल में निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमने हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एच.ए.एम.) निकाला। हैम का मतलब है कि हम लैण्ड एक्विजिशन करेंगे, यूटिलिटी शिफ्टिंग करेंगे, उसके बाद 40 परसेंट ग्राण्ट इन एड देंगे। हम टोल भी कलेक्ट करेंगे और एन्युटी बेसिस पर जो कॉन्ट्रैक्टर, इन्वेस्टर, 60 परसेंट लाएगा, उसमें से 30 परसेंट उसका होगा तथा 70 परसेंट बैंक कर्ज देगी। वह पैसा एन्युटी बेसिस पर 10 साल, 12 साल, 13 साल, 15 साल इण्ट्रैस्ट और उसके प्रॉफिट के साथ, उसमें 11-12 परसेंट इण्ट्रैस्ट प्लस 3 परसेंट प्रॉफिट करके हम 12 साल में बैंक को वापस कर देंगे।

अध्यक्ष जी, मैं सदन में यह कहना चाहूंगा कि 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैम के अंतर्गत मंजूर हो गए हैं। प्रोफेसर साहब, आश्चर्य की बात यह है कि जब मैं वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर था तो मुझे लगा कि मथुरा में हाइब्रिड एन्युटी लानी चाहिए। मुझे लगा नहीं था कि यह सक्सेसफुल रहेगा। वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री में हाइब्रिड एन्युटी में 17 प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। मथुरा का प्रोजेक्ट त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी ने लिया है। वह 80 एम.एल.डी. गन्दा पानी साफ करेगी और इण्डियन ऑयल की रिफायनरी को देगी। वह रिफायनरी इसके लिए 20 करोड़ रुपये साल की रॉयल्टी देगी, यानी गन्दा पानी बेचकर जो पैसा आएगा, वह मेन्टेनेंस में खर्च होगा। उसमें भी हाइब्रिड एन्युटी सक्सेसफुल हुई। हमने उसमें दो लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स किए। यह हाइब्रिड एन्युटी दूसरा मार्ग है।

तीसरा मार्ग है, परसों एक बड़े बैंक के चेयरमैन मेरे पास आए और उन्होंने मुझे 25 हजार करोड़ रुपये का चैक दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि सर आपको जितना पैसा चाहिए, मैं देता हूँ, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्टर को देने के लिए मत कहिए। अभी ऐसी पॉजिशन नहीं है। परसों मेरे मन में एक आइडिया आया कि 50 प्रोजेक्ट्स को मोनिटाइज कर दीजिए। फोरेन कंट्रीज में टोल मोनिटाइज 30 साल के लिए होता है, लेकिन हमारे इण्डियन बैंकर्स कहते हैं कि हम 15 साल से ऊपर नहीं करेंगे। मैंने जो 50 प्रोजेक्ट्स पूरे हैं, उनकी यादी निकालकर भेज दी है। वे मुझे 50 हजार करोड़ रुपये 8-10 दिन में दे देंगे। मैंने यह प्रोजेक्ट मोनिटाइज किया है। हमने टी.ओ.टी. मॉडल निकाला। टी.ओ.टी. मॉडल में पहला मॉडल इतना अच्छा हुआ, जो आस्ट्रेलियन कंपनी ने लिया था। टी.ओ.टी. यानी एक बण्डल था। वह बण्डल अच्छा मिला, जिसमें हमें 6,400 करोड़ रुपये मिलने थे, उसमें हमें 9,400 करोड़ रुपये मिले। वह राशि ओवर मिली, यानी 150 परसेंट मिली। हमने उसको मोनिटाइज किया था। यह टी.ओ.टी. मॉडल था। टी.ओ.टी. मॉडल होता है, जैसे 7-8 प्रोजेक्ट्स का एक बण्डल बनाते हैं। उसमें पूरे बण्डल के रोड्स मेंटेनेंस करने की उसकी जिम्मेदारी है, टोल कलेक्ट करना उसकी जिम्मेदारी होती है। उसको 15 साल का अधिकार मिल जाता है। इसके बदले वह उसको पूरी तरह स्कूटिनाइज करके मोनिटाइज करता है और हमें एडवांस में एन.पी.ए. वैल्यू निकालकर देता है। यह टी.ओ.टी. मॉडल है। इसमें एक गड़बड़ हो गई। जब दूसरा मॉडल निकाला गया तो उसमें बंगाल के 4 प्रोजेक्ट डाल दिए और बाहर के भी कुछ प्रोजेक्ट्स डाल दिए, इसे एक भी आदमी लेने नहीं आया। मैंने उनको कहा कि होशियार लड़कों की एक क्लास खोलिए, सेकण्ड क्लास वालों की अलग क्लास खेलिए और जो फेल हुए हैं, उनको अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए अलग से क्लास लगाइए। सबको मिक्स मत कीजिए। हमने दूसरे टी.ओ.टी. मॉडल में कुछ चेंजेज किए। उसके बाद हम मसाला बॉण्ड्स में गए। मैं सिंगापुर और लंदन गया था। लंदन एक्सचेंज में हमें 5000 करोड़ रुपये मिले। हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 70,000 करोड़ रुपये के बॉण्ड्स खड़े करने की अनुमति दी है। इसके बाद एन.आई.एफ. है। आपको मालूम होगा कि वर्ष 2014 के बजट में जेटली जी ने इसका ऐलान किया था। कल हमने उनसे एम.ओ.यू. साइन किया है। वह हमको 40 हजार करोड़ रुपये और 60 हजार करोड़ रुपये दिल्ली तथा मुम्बई के लिए देने को तैयार हैं। हमने स्वाभाविक रूप से पैसा खड़ा करने का इनोवेटिव मैथड तैयार किया है। हम एसेट्स को मोनिटाइज

कर रहे हैं। यह और सरकार का बजट दोनों जोड़कर काम करते हैं। जो प्रोजेक्ट पूरा होता है, उसको फिर से मोनिटाइज करते हैं और दूसरे प्रोजेक्ट में डालते हैं। उसको पूरा करने के बाद तीसरे प्रोजेक्ट में डालते हैं। ऐसा करते हुए हम बिहार, यू.पी., गुजरात, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश और गुजरात के प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, जब हम वहां जाते हैं तो उनको लेने वाला 300-400 करोड़ रुपये एडवांस देता है। जब हम यू.पी. और बिहार जाते हैं, तो वहां स्वाभाविक रूप से ट्रैफिक डेंसिटी और ग्रोथ रेट कम है। इसमें फॉरेन फण्ड भी आ रहा है। जो प्रोजेक्ट मोनिटाइज हुए, उनमें ऑस्ट्रेलियन कंपनी आ रही है, यू.के. के फण्ड्स आ रहे हैं, अमेरिकन फण्ड्स आ रहे हैं, पेंशन फण्ड्स आ रहे हैं, सिंगापुर की कंपनी आई, हांगकांग की कंपनी भी आई। मैं थोड़ा नेशनलिज्म फीलिंग्स का हूँ। मैंने अपने विभाग को कहा कि फॉरेन वालों को क्यों लाते हो? हमारा गरीब पत्रकार होगा, गरीब टीचर होगा, गरीब कुली होगा, छोटा आदमी होगा वे बैंक में जाते हैं तो उनको 5.5-6 परसेंट इंटरैस्ट मिलता है।

आप उसको 8 परसेंट इंटरैस्ट दीजिए। उसको बोलिए कि मंथली चाहिए, तो मंथली इंटरैस्ट, वीकली चाहिए तो वीकली इंटरैस्ट, डेली चाहिए तो डेली इंटरैस्ट, ईयरली चाहिए तो ईयरली इंटरैस्ट मिलेगा। हम टोल का पैसे लेंगे तो उसको देंगे। गरीब आदमी के पैसे से टोल क्यों न बनाएं, काहे के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट? उसे बाद में लाएंगे। पहले हम अपने लोगों को यह चांस देंगे, तो यह भी मॉडल आ गया। अगर आपको मैं एक बात बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा। जब मैं शिपिंग मिनिस्टर था तो कोचीन शिप यार्ड के लिए मैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज गया था। जब साढ़े नौ बजे पहुंचा तो पूरा इंडेक्स 150 प्वाइंट्स से डाउन हो गया था। मेरे एडवाइजर, इन्कम टैक्स कमिश्नर मेरे पी.एस. थे। उन्होंने बोला कि सर, आज का दिन खराब है, आज पोस्टपोन कर दीजिए। मेरे स्वभाव में एक खोट है, मैंने कहा कि एक बार बोला, होगा तो होगा, जो होगा देखा जाएगा, हम जाएंगे। हम गए तो मुझे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के बुल के साथ मेरा फोटो निकालने के लिए बोला गया, तो मैं डर गया। मैंने बोला कि आज तो यह बुल अपने को लम्बा करेगा। मैं साढ़े नौ बजे ऊपर गया, 10:00 बजे मैंने बेल बजाई। प्रोफेसर साहब, यह भारत सरकार की रैपोटेशन है कि 1600 करोड़ रुपये कोचीन शिप यार्ड के लिए मुझे चाहिए थे और 10 बजकर 36 मिनट पर 1600 करोड़ रुपये की बजाय 1

लाख 26 हजार करोड़ मिले, मतलब ओवर सब्सक्राइड। फिर भी, कोचीन शिपयार्ड की तुलना में एनएचआई को ट्रिपल ए रेटिंग वर्ल्ड कंपनीज़ से मिली है। इसकी पूरे वर्ल्ड में रिकगनिशन है।

अध्यक्ष महोदय, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एनएचआई पर भाषण देने के लिए मुझे निमंत्रित किया है। इसकी अमरीका में स्टडी हो रही है, इसका मतलब यह एक सक्सेसफुल मॉडल है। यह स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में शुरू हुआ था। हम धनवान देश नहीं हैं। जो गाड़ी खरीदता है, उससे टोल लेना चाहिए। हम स्कूटर वाले से, ट्रैक्टर वाले से टोल नहीं लेते हैं। मैं भी किसान हूँ, मैंने बोला है कि गन्ना रखने वाले ट्रैक्टर से टोल नहीं लेना है, किसान की ट्रैक्टर में अनाज होगा, उससे टोल नहीं लेना है, ऑटो रिक्षा से टोल नहीं लेना है। हम फोर व्हीलर वाले से, ट्रेलर से, ट्रक वाले से टोल टैक्स लेते हैं। इस पर अभी भी विचार चल रहा है। बहुत सारे सुझाव आए हैं। यह निर्णय स्वाभाविक रूप से माननीय प्रधान मंत्री जी, वित्त मंत्री जी के मार्गदर्शन में होगा। जो स्कूल बसें हैं, उनको टोल देना पड़ता है, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें हैं, उनको टोल देना पड़ता है और स्टेट ट्रांसपोर्ट की हालत कैसी है, आपको पता है। मैं आज भी भूल नहीं पाया हूँ कि एक बार मैं अपनी गाड़ी के पास खड़ा था, जिसमें पेट्रोल भरवाया जा रहा था। वहां एक छोटा सा बच्चा था, तभी एक स्टेट ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ी आई। उसने जोर से हाथ उठाकर कहा कि चलो जाओ यहां से। मुझे काफी आश्चर्य हुआ। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे पास डीज़ल है, फिर उसको क्यों भगा रहे हो? उसने कहा कि साहब, इनकी गाड़ी में डीज़ल भरने के बाद ये पैसे ही नहीं देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, स्टेट ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों की ऐसी स्थिति है, इसलिए क्या उनको कंसेशन दिया जा सकता है? भविष्य में इस पर विचार होगा। एम.पीज़ के लिए फासटैग की सुविधा है। एक अड़चन सही है, जो आपने इसमें कही है कि टोल नाके पर आपको रुकना पड़ता है। मैंने उनको बोला है कि अगर आप टोल लेते हैं तो रोड अच्छी बनाइए, नहीं तो काँट्रैक्टर पर पैनल्टी लगाइए। आप गड़बे भी रखेंगे और टोल भी वसूलेंगे, तो यह नहीं चलेगा। जो टोल देने वाली बात है, जैसे कि जयपुर वाली एक रोड है, जहां बहुत लाइन लगती है, जो दिल्ली से नजदीक है और कठपुतली से आगे है। वहां बहुत तकलीफ होती है। आज आपके इस डिस्कशन के पहले ही मैंने अपने डिपार्टमेंट को कहा कि बहुत हो गया। 4 महीनों के अंदर हमारे पूरे टोल फासटैग में कनवर्ट होंगे और एक भी व्यक्ति टोल नाके पर नहीं रुकेगा। अब यह समस्या खत्म हो

जाएगी। अभी तक हमने 58 लाख फासटैग दिए हैं। मैं आपको भी कहूंगा कि आप अपनी गाड़ी में वह स्टिकर लगवा लें, आपको तो टोल देना नहीं है। इसीलिए अब 4 महीने के अंदर हर आदमी को फासटैग का स्टिकर खरीदना होगा। यह नई गाड़ियों में लगकर आता है और जो यह स्टिकर 4 महीने में नहीं लेगा, उसकी गाड़ी टोल पार करके नहीं जा सकेगी। यह मैनडेटरी हो जाएगा। अभी यह दिल्ली के हाईवे रिंग रोड पर है कि आप जहां से जाते हैं, और जहां से बाहर निकलते हैं, वहां पर नोटिंग होती है और मोबाइल फोन जैसा यह चार्ज होता है। एक और सिस्टम है कि आपके मोबाइल फोन से आप टोल नाका आने से पहले फोन करिए और बात करिए और टोल नाके का टोल ट्रांसफर कर दीजिए, आपकी गाड़ी का नंबर आएगा, बैरियर खड़ा हो जाएगा और आप आगे चले जाएंगे। यह भी सिस्टम है। जो भी सोफिस्टिकेटेड, बेस्ट सिस्टम्स या टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनका उपयोग करके इसमें करेंगे।

सम्माननीय सदस्यों को सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं बताना चाहूंगा कि बहुत से लोगों ने सड़क सुरक्षा को लेकर बहुत सी बातें कही हैं।

[अनुवाद]

माननीय सदस्यों ने सड़क सुरक्षा को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। उन्होंने सुरक्षित सड़कों के निर्माण का भी सुझाव दिया है। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूँ कि हमने परियोजना की तैयारी में ऐसा दृष्टिकोण अपनाया है जहाँ दुर्घटनाओं की संभावनाओं को समाप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। [हिन्दी] मैं इस बारे में एक बात साफ बताना चाहता हूँ कि मैं अधिकारियों को चेता चुका हूँ। ये लोग जो मर रहे हैं, उसके लिए हमारे रोड जिम्मेदार है, रोड इंजीनियरिंग जिम्मेदार है। इनकी डीपीआर डिफेक्टिव है। मैंने उनको कहा है कि इसके बाद अगर कोई मरेगा तो आप पर क्रिमिनल केस होगा और आपको पीडीपी जाना पड़ेगा। पहली बार हमने 786 ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें से लगभग 300 पूरे हो चुके हैं। आपकी कंसर्न थी कि बहुत कम पैसे हैं। आज 11 बजे वर्ल्ड बैंक के साथ दिल्ली में मीटिंग है। ... (व्यवधान) सर, उसके लिए हमने दस टन के ट्रक को साढ़े 12 टन तक अलाऊ कर दिया है ताकि कोई पैसे न ले।

हमने 15 हजार करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट बनाया है और उसे एडीबी और वर्ल्ड बैंक को दिया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने प्रिंसीपली सपोर्ट किया है। केवल भारत सरकार के ही नहीं बल्कि राज्यों के रोड के ब्लैक स्पॉट को इम्प्रूव करने के लिए पैसा खर्च करेंगे। मैं कल कह चुका हूँ कि तमिलनाडु ऐसा पहला स्टेट है, जिसने 15 परसेंट एक्सीडेंटल डेथ कम की हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी अध्यक्षता में, कुछ माननीय सदस्य नये आए हैं, आप मेरे डिपार्टमेंट से फॉलोअप कीजिए। आपकी अध्यक्षता में अपघात निवारण समिति आपके क्षेत्र में फॉर्म की गई है जो एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए है। आपको अधिकार दिया गया है और उसमें जिलाधिकारी भी है। आप एक्सीडेंट स्पॉट्स पर जाइए, विजिट कीजिए कि कौन जिम्मेदार है, उसकी रिपोर्ट तैयार कीजिए। कार्पोरेशन जिम्मेदार होगा, स्टेट गवर्नमेंट या भारत सरकार होगी, एक रिपोर्ट भेजिए कि क्यों नहीं हुआ, उसके लिए आपको अधिकार दिए गए हैं। आप उसकी इनक्वायरी कर सकते हैं। आप इस कमेटी को आप फॉर्म कर लीजिए।

मुझे एक बात स्वीकारते हुए दर्द हो रहा है कि हमारे डिपार्टमेंट की हर चीज सक्सैसफुल हो रही है। मैंने कहा था कि पचास परसेंट एक्सीडेंट्स कम करेंगे और मैं 4-4.5 परसेंट कम कर चुका हूँ। रोड सेफ्टी के बिल के बारे में मैंने कल भी कहा था कि मैं तैयार हूँ। रोड सेफ्टी बिल को 18 राज्यों के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कांग्रेस राज्य कर्नाटक के उस समय के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। 18 ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स ने बिल तैयार करके मंजूरी दी थी। [हिन्दी] उसके बाद उसे राज्य सभा की सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया, उसने क्लीयर किया। उसके बाद लोक सभा की स्टैंडिंग कमेटी ने क्लीयर किया। उस समय अनंत कुमार जी थे, मैंने उनसे कहा कि आप इसे देखिए, उन्होंने कहा कि लोग मानते नहीं हैं, फिर उसने भी क्लीयर किया। अब दोनों कमेटियों ने क्लीयर किया, 18 राज्यों के मंत्रियों ने क्लीयर किया तो क्या अब यह करप्शन कम नहीं होना चाहिए? फारुख साहब सही कह रहे हैं कि हमें बाकी बातों में भी सुधार करना है, जिसमें रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम और हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, जिसमें लाइसेंस इत्यादि आते हैं।

महोदय, मैं सम्माननीय सदन को बताना चाहता हूँ कि देश में 25 लाख ड्राइवर्स की कमी है। [हिन्दी] मैंने ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की एक योजना बनायी है। मैं सभी सांसदों को कहता हूँ कि आपके निर्वाचन क्षेत्र

में एक ड्राइविंग सेंटर देने के लिए मैं तैयार हूं। खास तौर से आपका जो ट्राइबल एरिया और बैकवर्ड एरिया है, जहां पढ़े-लिखे लड़के कम हैं, वहां के लिए आप कीजिए। मुम्बई, कोलकता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां रोजगार नहीं है वहां के लिए आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा और ड्राइवर्स की कमी दूर होगी।

दूसरी बात, ड्राइविंग लाइसेंस की है। हमने वाहन सॉफ्टवेयर बनाया है और सारा डेटा हमारे पास आ गया है। नेम प्लेट्स का भी हो गया है अब सब पता चल जाता है। लेकिन समस्या यह है कि एक व्यक्ति तीन-तीन, चार-चार लाइसेंस लेता है। अमेरिका और यूके में आप जाएंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता है। बहुत कठिन है। लेकिन हमारे यहां तो लोग आरटीओ ऑफिस नहीं जाते हैं, परीक्षा नहीं देते हैं और लाइसेंस लेकर आ जाते हैं।

आप मुझे बताइए कि क्या इसी प्रकार से लाइसेंस मिलते रहेंगे? ट्रक का जो ड्राइवर होता है, वह पहले हेल्पर होता है और सामान इत्यादि उठाता है। जब ड्राइवर चलता है तो वह भी बैठ जाता है और ड्राइविंग करता है और ड्राइवर बन जाता है। रात को वह भी चलाता है। आपने सही कहा कि रात को ढाबे के बाजू में रोड पर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। मैं इसका भुक्तभोगी हूं। हमने तय किया है कि अगर आप नये बिल को मंजूरी देते हैं तो हमें अधिकार मिलेंगे। आज हमारे पास अधिकार ही नहीं हैं। अगर अधिकार मिलेंगे तो हम कुछ कार्रवाई कर पाएंगे और इससे लोग जागरूक होंगे।

अब तो इनोवेशन यहां तक हो चुका है कि अगर कोई दारू पीकर गाड़ी में बैठता है तो उसकी स्मैल से गाड़ी चालू नहीं होती है। बेल्ट नहीं लगाता है तो पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में बेल बजती है कि इस गाड़ी का यह नंबर है और इसने बेल्ट नहीं लगाया है। उसके पास तुरन्त चालान पहुंच जाता है। हमें कुछ बातें करनी पड़ेंगी। बहुत से नियमों के बारे में उदासीनता है, नॉन सीरियसनेस है, उसके लिए हमें कहीं न कहीं कठोर होना होगा। अगर हम नहीं होंगे तो लोग मरते रहेंगे। मुझे बताइए कि हमारे देश में डेढ़ लाख लोग साल में मर रहे हैं। क्या वे किसी लड़ाई में मरते हैं, क्या वे आतंकवादी हमलों में मरते हैं? ... (व्यवधान)

डॉ. फारुख अब्दुल्ला (श्रीनगर): सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। मंत्री जी, आप जो बिल ला रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हममें से किसी को कोई आपत्ति होगी। आप बिल जल्दी लाइए, फिर देखते हैं कौन साथ है और कौन नहीं?

श्री नितिन जयराम गडकरी : फारुख साहब, आपने बिलकुल सही बात कही है। मैंने कल ही प्रजेंट किया है। आपकी बात से मैं सहमत हूं। मैं एक-डेढ़ साल नहीं कर सका, उस इतिहास को भूल जाता हूं। मुझे लगता है कि नई संसद में आप लोग सहयोग करेंगे, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। ... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: गडकरी जी, पिछले सात सालों में यमुना एक्सप्रेस वे पर सात सौ लोग एक्सीडेंट्स में मर चुके हैं ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का अभी जवाब मत दीजिएगा, जब क्लैरिफिकेशन्स होंगी, तब जवाब दीजिएगा।

श्री नितिन जयराम गडकरी : हमने टायर्स के लिए स्टैंडर्ड्स तय नहीं किए हैं। अमेरिका में टायर्स में सीलिका एड होती है। हम टायर में हवा भरते हैं, जबकि नाइट्रोजन भरनी चाहिए क्योंकि जब हवा गर्म हो जाती है तो टायर फट जाता है। छोटी-छोटी बातों को करने के लिए उपाय और टेक्नोलॉजी दोनों हैं। अगर लोग नहीं मानते हैं तो लोगों की जान बचाने के लिए इनफोर्समेंट करना होगा। आप बिलकुल सही कह रहे हैं। इसलिए आप जो भी बताएं, उसका हम जरूर उपयोग करेंगे।

महोदय, मुरलीधरन जी को मैं बताना चाहूंगा कि सड़क दुर्घटना का मुआवजा मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत दिया जाता है। इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल थी और मुआवजा भी बहुत कम था। इस कारण हर पीड़ित को अदालतों में जाकर इंतजार करना पड़ता था। नये बिल में यह प्रोविजन है कि सभी लोगों को कम से कम तीन महीने में पांच लाख रुपये मिलेंगे। यह उनके भलाई की बात है। अगर किसी व्यक्ति को अधिक मुआवजा चाहिए तो वह अदालत जा सकता है। इसी के साथ गोल्डन ओवर में कैशलेस ट्रीटमेंट का भी प्रावधान किया गया है।

सम्माननीय सदस्य डॉ. जी. रणजीत रेड्डी, पिनाकी मिश्रा जी और दानिश अली जी ने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए केवल दो सौ करोड़ रुपये दिए हैं। एनएचआई अभी तक इस पर तीन हजार करोड़ रुपये खर्च कर चुका है और 15000 करोड़ रुपये का वर्ल्ड बैंक और एडीबी के साथ करार किया है। वर्ल्ड बैंक के साथ मेरी 11 बजे मीटिंग है। मेरा भाषण समाप्त होने से पहले ही शायद सूचना आ जाएगी कि वह क्लीयर होने की सम्भावना है। वह पैसा भी हम उसमें देंगे। पैसे की हमारे पास कमी नहीं है। नेशनल हाईवेज को सुरक्षा की दृष्टि से आईआरसी स्टैंडर्ड्स का पालन करके ही बनाया है। मल्टीलेटरल एजेंसीज के साथ राज्यों में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमने प्रोग्राम की रूपरेखा बनाई है।

सर, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एडीबी ने सात हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को इन-प्रिंसीपल आज अप्रूवल दे दिया है।

अगले कुछ दिनों में वर्ल्ड बैंक का भी क्लीयरेंस मिल जाएगा। आपके राज्यों में भी इसका काम हो जाएगा। कुरियाकोस और दामोर जी ने ट्रॉमा सेंटर की बात कही है। मेरे पास ट्रॉमा सेंटर नहीं आता है। वह हेल्थ मिनिस्ट्री में आता है, लेकिन मैं आपकी बात को उन तक पहुंचाऊंगा। हमने एक बात एम्बुलेंस की कही है। अभी मेरे पास रिकार्ड हैं कि कितनी एम्बुलेंस हैं। हम 203 एम्बुलेंसेज पहली बार एक महीने के अंदर दे रहे हैं। इससे पहले 350 एम्बुलेंसेज चल रही हैं। उन एम्बुलेंसों में कटिंग्स टूल्स भी हैं। तीन लोग हैं, चार पेशेन्ट्स स्ट्रेचर पर जा सकते हैं और दो लोग बैठ सकते हैं। उसको और ड्राइवर को भी ट्रेनिंग दी गई है कि वह दोनों काम करेंगे। वह स्लाइन भी दे सकता है और बस की कटिंग भी कर सकता है। ऐसी 203 एम्बुलेंसेज हम लोग लगा रहे हैं।

अभी हमने हिमाचल प्रदेश में रोड साइड में क्रेश बैरियर लगाया है। आपका संरक्षण चाहिए, उसको लोगों ने उखाड़कर फेंक दिया और उसके ऊपर अपनी दुकान और टपरी डाल दी है। अब, इसमें थोड़ा-सा सहयोग चाहिए कि कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मैंने रेट कॉन्ट्रैक्ट करके कहा कि जितना लगता है, उतना लगाइए, लेकिन एक भी बस नीचे नहीं जानी चाहिए। अब समस्या यह है कि उसमें जनता का भी सहयोग चाहिए और इस अतिक्रमण को भी हटाना होगा। अगर उसको नहीं हटाएंगे, तो फिर बसें नीचे

जाएंगी, फिर लोग मरेंगे। आज कितना बड़ा हादसा हुआ है, उसमें हमारे जवान-सैनिक और सात-आठ लोग मरे हैं, कई लोग जखमी हुए हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत सीरियस इशू है। इसलिए, मैं इसके बारे में आपकी भावना से बिल्कुल सहमत हूँ।

मैं किरण जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि मोटर व्हीकल एक्ट बिल पर विलंब की वजह से उन्होंने जो कहा था कि मौतें हो रही हैं, आपने मेरी भावनाएं बताई हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूँ और मुझे लगता है कि अब सदन की जो भावना बनी है, यहां पर भी और राज्य सभा में भी, यह दोनों सदन में मंजूर हो जाएगा। मैंने कल आपसे यह भी कहा था कि अगर इसके बाद भी आपका कोई सुझाव होगा, तो आप मेरे पास आइए और मुझे बताइए। हम इतने लोगों के सुझावों को लेकर आए हैं, वह भी करेंगे। उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी और वह आपके सहयोग से मंजूर हो जाएगा।

हमारी सरकार की एक सबसे बड़ी अचीवमेंट यह है कि यूरो बीएस फोर के हमारे इमिशन के स्टैंडर्ड हैं। इस पर पांच मंत्रियों ने मीटिंग ली और सभी मैन्युफ्रेक्चर्स हमारे पास आए थे। मैंने कहा कि आप बीएस फोर से जंप मारिए और सिक्स में जाइए। महोदय, यह संभव नहीं है। सब मैन्युफ्रेक्चर्स नाराज हो गए, कहा कि ऐसे डंडा चलाएंगे, तो हम नहीं मानेंगे। मैंने कहा ठीक है। महोदय, हमने जबरदस्ती निर्णय किया। मैंने कहा कि करेंगे, तो तुम्हारे साथ, नहीं आओगे, तो तुम्हारे बिना, अगर नहीं आओगे, तो घिसटते हुए लेकर जाऊंगा, देश में प्रदूषण की स्थिति गंभीर है। अब हमने निर्णय ले लिया है कि किसी भी कीमत पर 1 अप्रैल, 2020 से यूरो सिक्स यानी बीएस सिक्स के इमिशन नार्म्स को अलाऊ करेंगे। मुझे खुशी है कि आज सब लोगों ने इसे अपनाया है और यह सक्सेसफुली हुआ है। आज देश का प्रदूषण कम हो रहा है। दिल्ली में 32 प्रतिशत प्रदूषण कम हुआ है। जब इलेक्ट्रिक बसे आएंगी और नए रोड बन जाएंगे। अभी दिल्ली से 60,000 ट्रक बाहर चले गए हैं। इसके बाद कोई नहीं आएगा। मैं यह भी मानता हूँ कि आप सबके सहयोग से दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना है। मुझे लगता है कि यह एक अच्छी बात हुई है। यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। हमने जो इनोवेटिव स्टैंडर्ड्स तैयार किए हैं, ग्लोबल एनसीएपी करके ह। आप यूरोप में जाइए। फारूख साहब, आप लंदन में डबल डेकर बस में बैठे होंगे, कितनी सुंदर बसें हैं। मुझे समझ में नहीं आया, मैं टेक्निकली कम जानता था। मैं सोचता था कि लंदन की बस अच्छी है, स्वीडन की बस अच्छी है, यूके की अच्छी है, अमेरिका

की अच्छी है और हमारे यहां की टीन वाली बसें, इस बस में हार्न छोड़कर सब कुछ बजता है। आप इसको किस स्टैंडर्ड में रखते हैं, मुझे बताइए। मैंने एक दिन कहा कि इसको छोड़ दीजिए, आप यूके का स्टैंडर्ड अलाउ कर दीजिए। क्या होता है कि पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में हथौड़ा और कील लेकर कोई भी बैठ जाता है और बस की बॉडी बनाने लगता है। मैंने उनको कहा कि यह सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। वह लकड़ी काटता है, ट्रक की चेसिस लाता है, लाइट लगाता है और बॉडी बनाता है। आपके कश्मीर में भी बहुत है। वह सुरक्षित नहीं है। मैंने उनसे कहा कि मैं एमएसएमई का मंत्री हूँ। फारुख साहब, मैं उनको लोन देने के लिए तैयार हूँ। उनको कहिए कि अब वर्ल्ड स्टैंडर्ड की सुरक्षा के हिसाब से अच्छी बसें होनी चाहिए। आप इससे खिलवाड़ मत करिए। एक बस में कितने लोग मरते हैं। ... (व्यवधान)

डॉ. फारुख अब्दुल्ला : 25-25 साल और 30-30 साल पुरानी बसें हैं। ... (व्यवधान)

श्री नितिन जयराम गडकरी : इसीलिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह हुई है कि हम डीज़ल को बॉयो सीएनजी में कन्वर्ट करने की योजना लाए हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 400 बसें हैं, जो गंदा पानी था, उससे मीथेन निकालकर सीओटू अलग करके उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। उसका अगले महीने में उद्घाटन है। 400 बसें, 150 कारें और 150 ट्रक्स हैं। ये सब जो स्लज है, मटन-मछली मार्केट और वेजीटेबल्स मार्केट का जो वेस्ट है, उसको बॉयो डाइजेस्टर में डालकर उसे सीएनजी बनाकर प्रदूषण फ्री किया गया है।

इंपोर्ट सब्सिड्यूट, कॉस्ट इफैक्टिव पॉल्यूशन फ्री है। आप अपनी जगहों पर यह सब कीजिए। फारुख साहब, ये बसें इतनी सुंदर हैं कि उनमें स्मैल नहीं है, आवाज़ नहीं आती है, ऐसा लगता है कि आप इलैक्ट्रिक बस में बैठे हैं। 20-20 साल पुरानी बसों को हमने नई ग्रीन बसों में कन्वर्ट किया है। यह बहुत जरूरी है। डीज़ल बहुत हानिकारक है। डीज़ल का उपयोग कम करना चाहिए। इसलिए एलपीजी, एलएनजी, सीएनजी, बायो-सीएनजी, बायो-इथेनॉल, जो किसान तैयार करता है, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं 12 साल से इसके लिए काम कर रहा हूँ। दो दिन पहले टीवीएस कंपनी और बजाज कंपनी को मैंने कहा था कि जब तक तुम शत प्रतिशत बायो-इथेनॉल पर बाइक तैयार नहीं करोगे, तब तक मेरे यहां मत आना और न ही किसी

काम के लिए बात करना। उस यंग लड़के ने, जो टीवीएस का एमडी है, उसने बाइक बनाई। सर, मैंने उसको लॉन्च किया है। शत प्रतिशत किसानों के चलाए हुए बायो-इथेनॉल पर वह बाइक चल रही है। अब कोई इंपोर्ट डीजल-पेट्रोल की जरूरत नहीं है। अब इतना ही नहीं है, जो कनाडा, अमरीका और ब्राज़ील में फ्लैक्स-इंजन है, मैंने धर्मेन्द्र प्रधान जी को कल ही पत्र लिखा है कि अब इथेनॉल की बाइक आ गयी है कि अब ऐसी वहां चाइस है कि आपकी गाड़ी अगर ले जाएंगे, वहां टोयोटा, फॉर्ड और ह्युंडई आदि सब का यही है। यह फैसिलिटी है कि आप 100 प्रतिशत पेट्रोल डालो या 100 प्रतिशत बायो-इथेनॉल डालो, यह उपभोक्ता की पसंद है। मैंने कहा कि इस पॉलिसी के लिए आप पंप खोलने के लिए हमें परमिशन दीजिए। इस देश का किसान भी खुश होगा। पॉल्युशन भी कम होगा। इंपोर्ट भी बचेगा। इकोनॉमी भी अच्छी होगी और रोज़गार का भी निर्माण होगा। यह प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि यह भी काम इसके साथ हुआ है। कई माननीय सदस्यों ने वाहन प्रदूषण तथा इलैक्ट्रिक वाहनों के बारे में बताया है। एक बात सच है कि इलैक्ट्रिक हमारे लिए फ्यूचर है। अब इलैक्ट्रिक में काफी गाड़िया आ रही हैं, सभी बसें आ रही हैं। अभी पुणे कार्पोरेशन में डेढ़ सौ बसें इलैक्ट्रिक की खरीदी हैं। मुंबई में बेस्ट द्वारा डीजल की बसें चलती हैं, उसका खर्चा 115 रुपये प्रति किलोमीटर है। 100 प्रतिशत बायो-इथेनॉल पर हम बस चलाते हैं, उसका खर्चा 69 रुपये प्रति किलोमीटर है। यह जो इलैक्ट्रिक एयर कंडीशंड बस है, इसका खर्चा 50 रुपये प्रति किलोमीटर है। हम लोग 25 प्रतिशत टिकट कम कर के देश के सभी गरीबों को इलैक्ट्रिक एयर कंडीशंड बसों में घूमा सकते हैं। अब उसका मॉडल हम लाए हैं। जो लंदन का मॉडल है, जो वर्ल्ड बैंक ने दिया है, उसमें नौ ऑपरेटर्स हैं, वही बसें खरीदते हैं, ड्राइवर उसका होता है, कंडक्टर कॉर्पोरेशन का होता है। 225 किलोमीटर की गारंटी दी जाती है। बसें मॉडल से सभी देश में जाती हैं। इससे हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉल्युशन फ्री और कम्फर्टेबल होगा और गरीबों को राहत मिलेगी। यह लंदन ट्रांसपोर्ट के मॉडल को हम पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। मैं देश के सभी ट्रांसपोर्ट मंत्री जी को, मैंने प्रधान मंत्री जी को उनकी अनुमति के लिए लिखा है, मैं लंदन ट्रांसपोर्ट का मॉडल उनको दिखाना चाहता हूँ ताकि हमारे देश में सभी जगहों पर इसका उपयोग हो।

सर, सड़क सुरक्षा के लिए जो इलैक्ट्रिक का डर महसूस किया गया है कि हम लोग गाड़िया बंद कर देंगे। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 2,45,000 करोड़ रुपये की है। एक समय हमारी पार्टी ने मारुति का विरोध किया था। आज मैं मानता हूँ कि भारत ऑटोमोबाइल क्षेत्र का विनिर्माण केन्द्र बनता जा रहा है। जब मैं मुंबई पोर्ट में जाता हूँ, तूतीकोरिन जाता था, तो मुझे हजारों गाड़िया लाइन में शिप पर चढ़ती हुई दिखती थीं। अब हमारी गाड़ियां इंपोर्ट हो रही हैं। 45 हजार करोड़ रुपये का हमारा एक्सपोर्ट है। मैं आज सदन में विश्वास से बताना चाहता हूँ कि आने वाले पांच सालों में हमारा हिंदुस्तान वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग का नंबर वन तो बनेगा ही, परंतु उसके साथ-साथ इलैक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल का भी हब बनेगा। हम देश को लीड करेंगे। हमारे प्रधान मंत्री जी ने इसके लिए, विशेष तौर पर लीथियम-आयन बैट्री के लिए नीति आयोग के साथ एक स्पेशल स्कीम बनाई है। अब इलैक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इलैक्ट्रिक बस, इलैक्ट्रिक कार आदि सपना नहीं है। अब छह महीने के बाद वह गाड़ी आपके पास आएगी और इंपोर्ट सब्सिड्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पॉल्युशन फ्री और इंडीजीनियस होगी। मुझे लगता है कि अनेक लोगों ने जो शंका व्यक्त की है कि हम एग्जिस्टिंग को बैन लगा कर खत्म कर देंगे, ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले हैं। हम लोग अभी यह समझते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट हैं, हमारे रोजगार में उसका योगदान है। परंतु एक बात भी जरूरी है कि जल्दी से जल्दी वह स्विच ओवर हो, और इलैक्ट्रिक, बायोफ्यूल आदि पर जाए तो अच्छा होगा। अगर नहीं जाएंगे तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि कंज्यूमर का ही प्रेशर इतना होगा कि उनकी सेल कम होगी।

अपराह्न 1.00 बजे

इसलिए नेचुरल कोर्स में यह होगा। मैंने एक पत्रकार को प्रश्न पूछा कि आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है, आप महीने भर में 6500-7000 रुपये खर्चा करते हो। कल अगर इलैक्ट्रिक गाड़ी पॉल्यूशन फ्री और आपका खर्चा 1200 से 1500 रुपये होगा तो मुझे आपके पास आकर यह कहने की ज़रूरत है कि आप इलैक्ट्रिक गाड़ी लें। जब 4000-4500 रुपये महीने की सेविंग है तो आप लेने ही वाले हो। इलैक्ट्रिक बाइक में भी यही है। इथेनॉल सस्ता है और इतना ही नहीं, अभी हमारे डॉ. सारस्वत नीति आयोग में हैं। वे कोल बेस्ड मिथेनॉल बनाने की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ असम पेट्रोलियम और आर.सी.एफ. मुम्बई, ये मिथेनॉल बनाते हैं। उनका मिथेनॉल 22 रुपये लीटर है। इजरायल में 12 रुपये लीटर, चाइना में 17 रुपये लीटर है और डीजल 65 रुपये लीटर है तो मिथेनॉल को भी फ्यूल के रूप में विकसित करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्ट मंत्री के नाते एक तरफ इम्पोर्ट कम हो, दूसरी तरफ पॉल्यूशन कम हो, तीसरी तरफ लोगों की सेफ्टी का ध्यान हो और चौथी तरफ कम्फर्ट अच्छा मिले एवं कॉस्ट कम हो। उसके कारण देश के युवाओं को रोज़गार मिले, यही इसमें हमने किया है।

एक बात जो बहुत से सदस्यों ने कही है, उनके यहाँ 62 लोगों ने प्रोजेक्ट्स रखे। मैं सभी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि समय जाएगा। अभी मैंने एक सिस्टम शुरू किया है, कुछ लोग आए भी हैं कि हर स्टेट के एम.पी. क्वेश्चन अवर के बाद मेरे चैम्बर में आते हैं और अधिकारी और वे बैठ कर चर्चा करते हैं। मैंने तीन-चार स्टेट्स पूरे किए हैं। आज मैंने सेक्रेटरी को कहा कि जिन-जिन सदस्यों ने प्रोजेक्ट्स के बारे में कहा है, उन सब के प्रोजेक्ट्स की लिस्ट लेकर 15 दिन के अंदर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कीजिए और मुझे रिपोर्ट कीजिए। जो आपसे नहीं होता है, वह मुझे दीजिए और विशेष रूप से डिले हो रहे हैं, रुडी जी ने बताया, वे मेरे पास चार बार आए, वे बोले मंत्री जी चाहते हैं, पर ...²³ में बैठे हुए लोग नहीं चाहते हैं। ... (व्यवधान) मैंने सुन लिया। इस देश में माहौल ही ऐसा है, कोई तक़ारार करता है और सीरियस फ़ॉइंडेस्टिगेशन में कोई कम्पनी जाती है तो हमारे लोग पैसे देने के लिए डरते हैं। कोई बैंक के पास जाता है

²³ कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

तो बैंक दिया हुआ पैसा वापस लेकर, वह सब रुक जाता है। इसमें समस्याएँ हैं। समस्याएँ हैं, सब आसान नहीं हैं। इसमें फाइनेंशियल तकलीफें हैं, पर रूडी जी से मैं एक बात कहता हूँ कि पॉजिटिव एप्रोच, ट्रांसपेरेंट एप्रोच, टाइम बाउंड डिसिजन मेकिंग प्रोसेस, टीम वर्क, आप सब का सहयोग हम कर पाएँगे।

मैं बहुत बार एक बात कहता हूँ, आप नाराज मत होइए कि [अनुवाद] कुछ लोग होते हैं जो समस्याओं को अवसर में बदल देते हैं और कुछ लोग होते हैं जो अवसरों को समस्याओं में बदल देते हैं। तो हम इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। [हिन्दी] इसलिए आप सब की समस्याएँ हैं, वे कठिन हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): आपको वीडियो भी बहुत दिखाया है।

श्री नितिन जयराम गडकरी : हाँ, दिखाया है। अब आप जिस कम्पनी की बात कर रहे हैं, वह कम्पनी रांची से टाटानगर रोड बनाती थी। फिर एक ने पी.आई.एल. डाली, फिर हाई कोर्ट जज ने उसको बोला कि इनवेस्टिगेशन करो। पचास टके के ऊपर काम हुआ तो मैंने उसका पैसा मंजूर किया। फिर वह सीरियस फ्रॉड इनवेस्टिगेशन में गया। हमारे अधिकारियों ने कहा कि यह उधर गया, हाई कोर्ट ने भेजा, हम पैसा कैसे दें। दिया हुआ पैसा उसने वापस ले लिया। कम्पनी का पूरा बैंड-बाजा बज गया। अब उसके पास पैसे नहीं। आपको पता है कि मैं पी.डी. का एकाउंट खोल कर उससे धीरे-धीरे पैसा लेकर काम करवा रहा हूँ। अब प्रॉब्लम यह है कि किया तो अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करो, बैंक ने नहीं दिया तो बैंक के ऊपर कार्रवाई होती है। अब लोग भी बोलते हैं कि दिया तो भी तकलीफ, नहीं दिया तो भी तकलीफ। अब ऐसी स्थिति में हमें मुद्दों को हल करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और विकासोन्मुख दृष्टिकोण के साथ रास्ता खोजना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमें इसका समाधान मिल जाएगा। इसलिए 3,85,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स सॉल्व हो गए तो ये भी निकल जाएँगे। यह आखिरी का है। हाथी निकल गया, दुम बची हुई है। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि इन प्रोजेक्ट्स की पूरी डिटेल्स मैंने अपने पास ले ली हैं। आप मुझे 15 दिन का टाइम दीजिए, उसके बाद 15 दिन सेक्रेटरी के, 8 दिन मेरे और एक महीने के अन्दर आप जितने प्रोजेक्ट्स के लिए बोलें, आप मेरे पास आओ, मैं आपको उसका पूरा समाधान करके दूँगा। हम सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये जो आपकी तकलीफें हैं, मैं ऐसा सेशन एक बार अपने सपने में देख रहा हूँ कि जिस सेशन

में मेरे पास कोई एम.पी. अपनी प्रॉब्लम के लिए आए नहीं। पर एक बात जरूर है कि जैसा इकनॉमिक्स का सिद्धांत है कि जितने नए नोट छापे जाते हैं, उतने फटे नोट बाजार में दिखते हैं। आप जितना काम करो, उतनी लोगों की अपेक्षा बढ़ जाती है। लोग बोलते हैं कि यह भी कर दो। अभी प्रिंसिपल हाइवे, हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम लोग डबल करेंगे। बीच में फाइनेंस वालों ने कहा कि यह हाइवे हम लोग शायद बढ़ाएँ तो पैसा कहाँ से आएगा। जैसा आपने शंका व्यक्त की।

मैंने कहा कि मैं फाइनेंस वाला हूँ, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन शायद मैं कॉन्फिडेंस देने में कम पड़ा, तो थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं। आप चिंता मत कीजिए, इनको हम डिजॉल्व करेंगे।

एक बात सीआरएफ फंड की आई। ... (व्यवधान) सीआरएफ के संबंध में आप लोग मेरे पास आते हैं। ... (व्यवधान)

महोदय, पेट्रोल और डीजल पर जो सेस लगा, उसमें से कुछ पैसा एनएचएआई को जाता है, कुछ हमें सीआरएफ में मिलता है, आप हमारे पास आते हैं, आखिर वह पैसा राज्य सरकारों को ही जाता है, लेकिन उसे मंजूर करने का अधिकार हमें होता है। ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, अभी तो सीआरएफ फंड खत्म हो गया है। अभी तो रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया है।

श्री नितिन जयराम गडकरी : नहीं, वह जो फंड है, अभी वह पूरा फंड फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने साथ लिया है, वह बजट में रखा गया था और उसमें एक प्रोविजन किया गया कि वह पूरा पैसा आप राज्य सरकार को देंगे। ... (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सर, आपने 10 हजार करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को दिया है। ... (व्यवधान)

श्री नितिन जयराम गडकरी : महोदय, जो लोग जो कुछ बोल रहे हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते मैं उनकी भावना से शत-प्रतिशत सहमत हूँ। मैंने आप सबकी बात निर्मला सीतारमण जी के कान में डाली है। मैं उनसे फिर से बात करूँगा। मैंने स्पीकर से भी बात की है। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि हमारे

एम.पी. के अधिकार का यह फंड है, उनके आधे काम इस फंड के कारण होते हैं। इस फंड को एलोकेट आप कीजिए। आपको किसको कितना देना है, उतना परसेंट उसको दीजिए, लेकिन एम. पी. की यह बहुत महत्वपूर्ण माँग है। मैं उनसे इसके लिए अनुरोध करूँगा कि वे इसे फिर से एक बार देखें और आपकी बात को महत्व मिला। इसके लिए निश्चित रूप से उनसे बात करूँगा।

महोदय, रोड साइड एमेनिटीज के बारे में भी कुछ देरी हुई, कुछ काम नहीं हो पाया। अभी हमने मॉडल बदल दिया है। पहले हम 7 एकड़ जगह लेते थे, अब 10 एकड़ जगह ली, बहुत सुन्दर मॉडल बना है और टू लेन पेव्ड शोल्डर पर किया है। रोड के दोनों तरफ 10-10 एकड़ जगह ली गई है और रोड के बीच में एक ग्लास की बिल्डिंग होगी, 30-40 हजार स्कवायर फीट का एरिया होगा। ऊपर रेस्टोरेंट में लोग खाएंगे, उधर लैंडस्केपिंग होगी, गार्डन होगा, पार्किंग होगी, हेलीपैड होगा, इधर फूड मॉल होगा और 40 परसेंट शॉप्स उस एरिया के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हैंडलूम, हैंडीक्रॉफ्ट से जुड़ी हुई होंगी। अगर कश्मीर में जाएंगे, तो कश्मीर के अखरोट और शॉल उन हाइवेज की रोड साइड की दुकानों में मिलेंगे, वहाँ के लोगों को काम मिलेगा। हर जिले में हम ऐसा बना रहे हैं। टू लेन पेव्ड शोल्डर के डिजाइन तैयार हो गए हैं, फोर लेन के हो गए हैं, सिक्स लेन के हुए हैं, एक्सप्रेस हाइवे के भी हुए हैं। हम इसके टेंडर निकालेंगे, इससे रोजगार मिलेगा। इसमें बहुत अच्छी बात हुई है कि हमने हमारी पेट्रोल पम्प की जगह ले ली और मैंने विभाग को कहा कि हमें पैसे मिलने चाहिए। अब हमें मुम्बई-दिल्ली एक्सप्रेस हाइवे पर 300 पेट्रोल पम्प डालने हैं। मैंने कहा कि टेंडर निकालो, जगह हमारी और मशीन आपकी। प्रति लीटर पेट्रोल, प्रति लीटर डीजल आप कितना कमीशन लेते हैं बोलिए। वहाँ टॉयलेट को भी मेनटेन करना पड़ेगा और पार्किंग को भी देखना होगा। अब टेंडर निकल रहा है।

महोदय, हम लोगों को केवल मुम्बई-पुणे हाइवे पर ही 200 करोड़ रुपये पेट्रोल-डीजल बेचकर मिल जाएंगे। एक माननीय सदस्य बोलते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। लोग टॉयलेट में जाएंगे, तो टॉयलेट की साफ-सफाई रखने के लिए उनसे दो-पाँच रुपये लिए जाएंगे, उससे भी हमें दो-चार-दस करोड़ रुपये मिल जाएंगे। वह पैसा रोड के काम में आएगा और उस पैसे का उपयोग फिर से रोड के डेवलपमेंट के लिए होगा। जो दे सकता है, उससे लेना चाहिए और जो गरीब है, उसे फोकट में देना चाहिए। इसी तत्व के आधार पर

यह डेवलपमेंट होगा, पैसे की कोई कमी नहीं है। मैंने मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट भी किया है, मैं फाइनेंस को भी जानता हूँ। जितना काम करोगे, उतना पैसा मिलेगा। आप मेरी सभी बातों को रिकॉर्ड के रूप में लिखकर रखना और अगर मेरी कही हुई एक भी बात नहीं हुई तो आप मेरे खिलाफ जरूर प्रस्ताव लाइए। मैं विश्वास देता हूँ, वचन देता हूँ कि जो बात कहेंगे, वह हम करके दिखाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में, आप रुक जाइए, अभी लगभग 40 हजार किलोमीटर का काम हुआ है, 96 हजार किलोमीटर नेशनल हाइवे था, अब 1 लाख 37 हजार किलोमीटर नेशनल हाइवे हुआ है और करीब 50-55 हजार किलोमीटर प्रिंसिपल में अटका हुआ है। मैं उसके लिए आपसे बात करूँगा। यह देश बदल जाएगा। देश बदल जाएगा, पर्यटन को महत्व मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं जी, जैसे दिल्ली-मुम्बई 12 घंटे में हुआ। मेरठ-दिल्ली, यहाँ मेरठ के हमारे माननीय सदस्य हैं, मेरठ-दिल्ली 4.5 घंटे लगते थे, अग्रवाल जी 3 महीने के अंदर आप 45 मिनट में आएंगे। हम लोग डासना से कानपुर तक हाइवे बनाने वाले हैं और कानपुर से लखनऊ का अभी टेंडर हो जाएगा, तो पूरा दिल्ली से लखनऊ हाइवे बन जाएगा।

माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च के माध्यम से देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएंगे।

[अनुवाद]

हम इसे 'ज्ञान' कहते हैं। ज्ञान और प्रौद्योगिकी बहुत महत्वपूर्ण हैं, और प्रौद्योगिकी को धन में परिवर्तित करना देश का भविष्य है। [हिन्दी] इस देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करते हुए और बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम काम करेंगे, जैसे अमेरिका में रोड्स हैं।

कल राजस्थान के हमारे सांसद दुष्यंत जी ने बात कही। मैंने अपने ऑफिस में भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ. केनेडी का वाक्य लिख कर रखा है। उन्होंने कहा था - [अनुवाद] "अमेरिकी सड़कें इसलिए अच्छी नहीं हैं क्योंकि अमेरिका अमीर है, बल्कि अमेरिका इसलिए अमीर है क्योंकि अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं।" [हिन्दी] बिल्कुल उसी प्रकार से, प्रधान मंत्री जी की इक्कीसवीं सदी का 'नया भारत'

होगा। नए रोड्स, नए एक्सप्रेस हाईवेज होंगे और हवा में चलने वाली डबल डेकर बसेज भी होंगी। इससे नए भारत का निर्माण होगा। रोप-वे केबल कार की टेक्नोलॉजी भी हम लाए हैं।

मैं जब अभी वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री में था तो उस समय मैंने वैपकोस का ज्वायंट वेन्चर करके दिया। आप सभी लोग अपने-अपने शहरों में उसे बनाइए। वह बहुत सस्ता है। आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो-डीज़ल, बायो-सी.एन.जी. इत्यादि का इम्पोर्ट कम होगा। रोड्स बड़े बनेंगे। रोड्स से जाना एक बहुत अच्छा सुखद अनुभव होगा, ऐसे भविष्य के हिन्दुस्तान का निर्माण ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की ओर से लक्षित होगा।

आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से हमें, एक प्रकार से पॉज़ीटिव सपोर्ट दिया है। आप सबका सहयोग और आपका मार्गदर्शन लेते हुए और आपके जो भी सुझाव हैं, उन्हें सीरियसली स्वीकार करते हुए हम आगे जाएंगे, यही हमारा विश्वास है। आप 62 माननीय सदस्यों ने जो-जो कहा है, जो सुझाव दिए हैं, उनके ऊपर हम लोग अपने विभाग में सीरियसली विचार करेंगे। यह विश्वास देते हुए फिर से एक बार आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आप इन मांगों को पूरा करें, ऐसी प्रार्थना करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं माननीय सदस्यों को क्लैरिफिकेशन के लिए अनुमति दे रहा हूँ, लेकिन दोबारा से चर्चा करने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। इसलिए मुझे टोकना न पड़े। अगर आपके पास कोई विशेष विषय हो तो क्लैरिफिकेशन देने के लिए मंत्री जी सक्षम हैं। आप उनसे क्लैरिफिकेशन ले लें।
अधीर रंजन चौधरी जी।

श्री अधीर रंजन चौधरी: गडकरी जी, आप एक इन्नोवेटिव एण्ड इन्फॉर्मेटिव पर्सनैलिटी हैं। हम सब आपको मानते हैं। आप एक मंत्री हैं। हमारी तरफ से जो मांग आपसे की जाती है, उस मांग को पूरा करने में आप कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन, मैं अपनी जानकारी के लिए आपसे एक छोटी-सी बात पूछना चाहता हूँ। आपने अभी इलेक्ट्रिक वेहिकल्स की बात की है। इलेक्ट्रिक वेहिकल्स की जो बैट्री है, वह बैट्री लीथियम और कोबाल्ट से बनती है। लीथियम और कोबाल्ट, बोलीविया और चिली में मिलते हैं। लीथियम और

कोबाल्ट की सारी माइन्स को चीन ने खरीद लिया। अगर अभी हम यहां उसकी बैट्री बनाएंगे तो क्या हमें वह सस्ता मिलेगा या हमें इसके लिए चीन के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा क्योंकि सारी इलेक्ट्रिक वेहिकल्स की जितनी बैट्रीज हैं, वे ही उसे बनाते हैं, तो क्या ये हमारे लिए एक्सपेन्सिव होंगे या इनएक्सपेन्सिव होंगे?

सर, मेरी दूसरी बात यह है कि इसके लिए जो स्किलिंग होनी चाहिए, वह स्किलिंग कैसे होगी?

महोदय, आर्थिक सर्वेक्षण बता रहा है कि आपके निवेश तीन प्रकार के हैं - बजटीय समर्थन, आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधन और निजी निवेश। बजटरी सपोर्ट आपको 48 पर्सेंट मिलता है, इंटरनल एण्ड एक्सटर्नल बजटरी रिसोर्सेज 39 पर्सेंट है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 14 पर्सेंट है। इस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का टारगेट क्या है? आपने तो हमें सुनहरा सपना दिखा दिया। हम सब उड़ने लगे हैं, लेकिन आप इसके लिए पैसे कहां से लाएंगे? आप कहते हैं कि पैसे की कोई फिक्र मत कीजिए, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के आपके टारगेट्स क्या हैं? आप प्राइवेट इन्वेस्टर्स को क्या इन्सेंटिव्स दे रहे हैं, ताकि वे हमारे देश में आएँ?

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा।

श्री नितिन जयराम गडकरी: स्पीकर महोदय, यह टेक्नीकल सब्जेक्ट है। मैं भूल जाऊंगा। इसलिए इसके साथ ही जवाब दे देता हूं।

स्पीकर महोदय, माननीय चौधरी जी ने जो बात रखी, वह सच है। लीथियम आयन हमारे देश में नहीं हैं और इसकी मैनुफैक्चरिंग करने के लिए आज टेक्नोलॉजी भी नहीं है। अभी टोयोटा और मारुति ने एक एग्रीमेंट किया है और शायद वे इसे यहां बनाने की बात कर रहे हैं। हम लोग प्रिलिमिनरी स्टेज में हैं और लीथियम आयन हमारे देश में नहीं हैं। हमारा जो सैटेलाइट गया था, तो उस समय मैं हवाई जहाज में पढ़ रहा था तो मुझे मालूम हुआ कि सैटेलाइट में लीथियम आयन बैट्री यूज की गई। मैंने वापस आकर इसरो के चेयरमैन और साइंटिस्ट्स को बुलाया। डॉक्टर साहब को शायद इसके बारे में पता है। ये भी उस मीटिंग में आए थे। मैंने उनसे कहा कि जब आप सैटेलाइट के लिए लीथियम आयन बैट्री बनाते हैं तो आप हमारी कारों के लिए क्यों नहीं बनाते हैं? फिर उन्होंने भी रिसर्च करके कुछ मॉडल्स बनाए। फिर ए.आर.ए.आई. ने उसकी टेस्टिंग की और उसके बारे में कोशिश कर रहे हैं।

स्पीकर सर, सम्माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वह सही है कि लिथियम आयन हमारे देश में नहीं हैं। इसमें बस के लिए उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, यह बात भी बिल्कुल सही है। अभी हमने उसके लिए एक नया काम किया है, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसके लिए नीति आयोग ने एक प्रस्ताव दिया है। उस पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। उसमें बहुत-सी बातें हैं। हमारे देश में इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने वाली है। मैं आपको एक सिम्पल उदाहरण देता हूँ। जब मोबाइल फोन आया, तो मैंने मुम्बई में पहली बार शायद एरिक्सन का मोबाइल लिया था। उस समय वह सवा लाख रुपये का मिलता था। अब मोबाइल फोन चार हजार रुपये में भी आता है। जब इसका भी प्रोडक्शन काफी बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसकी कीमत कम होगी। इसमें इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को एनकरेज करने के लिए सरकार पॉलिसी ला रही है। चार्जिंग स्टेशन में भी ऐसा ही है। कुल मिलाकर, बाद में बैट्री के बारे में ऐसा कहा गया कि यह बैट्री बहुत वजनी है। उससे बस का वजन भी बढ़ता है। अभी इंडिया में स्टार्ट अप है, धीरे-धीरे टेक्नोलॉजी की भी डेवलपमेंट हो रही है, नए-नए लोग आ रहे हैं और हमारे लड़के शोध कर रहे हैं। हमारे यहां प्रॉब्लम्स हैं और आप लोग जो कह रहे हैं, वह भी सही है, परंतु आने वाले तीन-चार साल के अंदर हम लिथियम ऑयन बैट्री की मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। फिलहाल हमें कुछ कृशियल पार्ट इम्पोर्ट करने पड़ेंगे और यह भी सही है कि चाइना से आने की संभावना ज्यादा है। चाइना ने क्या किया है, आपने जिन देशों का नाम लिया है, वहां की माइन को चाइना ने अक्वायर कर लिया है। अगर हम स्वाभाविक रूप से इसे नहीं कर पाए, तो हमने उसके लिए अवसर गंवाया है। मुझे लगता है कि धीरे-धीरे इसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। इससे बैट्री की कीमत धीरे-धीरे कम होती जाएगी।

आज इतनी रिसर्च हो रही है, इतने पेटेंट रजिस्टर हो रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आने वाले साल-डेढ़ साल में लिथियम का भी कोई नया विकल्प हमारे भारतीय वैज्ञानिक ढूंढ कर लाएंगे और वह सस्ता हो जाएगा।

महोदय, दूसरी बात ये है कि जो लोग निवेश की बात करते थे, यह हर प्रोजेक्ट के हिसाब से अलग-अलग होता है। अभी भारतमाला प्रोजेक्ट 8.5 लाख करोड़ रुपये का है। अब 40 परसेंट हाईब्रिड प्रोजेक्ट है, उसमें 60 परसेंट बैंक लेकर आएंगे। अगर कोई प्रोजेक्ट बी.ओ.टी. में होगा, तो वह 100 परसेंट लगाएगा।

अगर हम कोई प्रोजेक्ट ई.पी.सी. में करेंगे, तो पैसा रोज करके उसको देंगे। ओवरॉल सब मेटाडॉलजी क्लियर हैं। हमने बैंकों के लिए नया मॉडल तैयार किया है। आठ-दस दिन में ही हमारे पास करीब 50,000 करोड़ रुपये आ जाएंगे। कल पांच बजे एल.आई.सी. के चेयरमैन के साथ मेरी मीटिंग है, उनका भी पैसा मिलेगा। लेबर मिनिस्ट्री के पास पैसा पड़ा हुआ है, वह पैसा हमको मिल सकता है। फिर पेंशन तथा इंश्योरेंस फंड का पैसा मिल सकता है। वर्ल्ड के बहुत से लोग मुझसे बार-बार मिलते हैं। सिंगापुर गवर्नमेंट का फंड मिलता है। फंड लेकर बैंक में रखना कोई उपयोगी काम नहीं है। जैसे-जैसे हमें जरूरत पड़ेगी, उस फंड का हम उपयोग करेंगे। भारतमाला प्रोजेक्ट 5.35 हजार करोड़ रुपये का था। अभी वह 8.20 हजार करोड़ रुपये का हो गया है। इसमें प्राइवेट इनवेस्टमेंट का जो प्लान है, वह 1,06,000 करोड़ रुपये का है। बैंकों तथा फाइनेंशियल संस्थाओं के साथ हमारा डिस्कशन चल रहा है। अभी भारत सरकार के एन.आई.एफ से जो फंड आया है, वह 60,000 करोड़ रुपये दे रहे हैं। बैंक्स भी पैसे दे रहे हैं। हमारे यहां पैसे की कोई अड़चन नहीं है, बल्कि काम करने की कमी है। [अनुवाद] यदि इच्छा होगी, तो मार्ग भी होगा। और यदि इच्छा नहीं होगी, तो केवल सर्वेक्षण, चर्चा, संगोष्ठी, समिति, उप-समिति और अनुसंधान समूह ही होंगे। माननीय प्रधानमंत्री की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और देश की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति निश्चित रूप से हमारी मदद करेगी, और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और सफल होंगे।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप एक साथ ही जवाब दे दीजिए। मैं माननीय सदस्यों से भी आग्रह करूंगा कि अभी हमें नए डिबेट पर चर्चा नहीं करनी है। मैं किसी भी माननीय सदस्य को टोकना नहीं चाहता हूं। अगर आपके पास क्लैरिफिकेशन का कोई विषय है, तो आप उसे दें।

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): गडकरी जी, आप तो सपनों के सौदागर हैं। ... (व्यवधान) आपने बहुत से एंशोरेंस भी दिए हैं। हम लोग अपोजिशन की तरफ से इस पर जरूर नज़र रखेंगे। संसद में जो एंशोरेंस दिया जाता है, उसके ऊपर हम लोग एक एंशोरेंस कमेटी के मार्फत नज़र भी रख सकते हैं। हम देश के पूर्वी क्षेत्र में रहते हैं और महसूस करते हैं कि आज़ादी के बाद पूर्वी क्षेत्र सबसे ज्यादा पीड़ित रहा

है। आपने कहा कि हम किसी प्लेस को कोई प्राइऑरिटी नहीं देंगे, लेकिन जिस प्रकार से हम लोग रीजनल इम्बैलेन्स के विक्टिम होते हैं, उसमें बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा तथा त्रिपुरा स्टेट हैं। ये सभी स्टेट्स डेवलपमेंट के मामले में एक तरफ हो जाते हैं और मुम्बई, पुणे, गुजरात, हैदराबाद दूसरी तरफ हो जाते हैं। यह विषय आपके भाषण में भी आया है।

[अनुवाद]

उससे यह प्रतीत होता है कि हम इन राज्यों से बहुत पीछे हैं। इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र का प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाए। आपने यहाँ जिन परियोजनाओं का उल्लेख किया है, उन्हें भी पूर्वी क्षेत्र में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में लागू किया जाना चाहिए।

श्री पी.वी. मिथुन रेड्डी (राजमपेट): महोदय, सबसे पहले मैं हमें ढेर सारी उम्मीदें देने के लिए हमारे माननीय मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं मंत्री जी से हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के बारे में पूछना चाहूंगा। यह उन वित्तीय मॉडलों में से एक है जिन पर उन्होंने चर्चा की है।

बैंकिंग प्रणाली स्वयं सभी एनपीए के कारण भारी दबाव में है। सभी राज्य भी गंभीर वित्तीय दबाव का सामना कर रहे हैं। अधिकांश ठेकेदारों की क्रेडिट रेटिंग असंतोषजनक है। इस वित्तीय एन्युटी मॉडल के तहत आवश्यक 60 प्रतिशत राशि जुटाना उनके लिए वर्तमान समय में अत्यंत कठिन सिद्ध हो रहा है। तो, मंत्री इस स्थिति से कैसे निपटने वाले हैं? इन सभी हाइब्रिड एन्युटी मॉडलों के लिए प्रतिस्पर्धा कम हो रही है और ईपीसी की तुलना में सरकार को 10 से 15 प्रतिशत अधिक नुकसान हो रहा है।

[हिन्दी]

डॉ. फारुख अब्दुल्ला (श्रीनगर): थैंक यू सर। मैं मंत्री जी से गुजारिश करता हूँ कि वह और जनरल साहब जो इनके साथ स्टेट मिनिस्टर हैं, ये हमारे यहां कश्मीर आएँ और हमारे साथ वहां बैठें। [अनुवाद] आजकल दिन भी अच्छे हैं। ये अमरनाथ जी की यात्रा भी कर लेंगे और हमारी मुश्किलात भी दूर करेंगे। मैं इन्हें निमंत्रण देता हूँ कि हमारे यहां आएँ। हम लोग कई मसले बैठकर वहां पर हल कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको दावत देता हूँ।

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन (चेन्नई केन्द्रीय): महोदय, मुझे माननीय मंत्री जी की उनके सर्वोत्तम कार्य के लिए सराहना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, मैं यह बताना चाहूंगा कि श्री बालू जी के अधीन वर्ष 2004-09, राजमार्गों के लिए एक स्वर्ण युग था। तमिलनाडु को कई अच्छे परियोजनाएं मिली हैं, लेकिन उसके बाद कोई नई परियोजनाएं नहीं आई हैं, जबकि आप ग्रीन हाइवे परियोजना लाने का प्रयास कर रहे हैं।

महोदय, तमिलनाडु में चेन्नई-सलेम एक्सप्रेसवे को लेकर एक विवादित समस्या है। यह देखा गया है कि चेन्नई से बाहर निकलने में दो घंटे लग जाते हैं...*(व्यवधान)* मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए, महोदय। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक विवादास्पद विषय है। चेन्नई से बाहर निकलने में आने वाली बाधाओं को सही तरीके से संभाला नहीं जा रहा है। वास्तविक समस्या को हल किए बिना हम अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

इसलिए, हम चाहेंगे कि आप इस पर विचार करें और तमिलनाडु पर भी ध्यान दें। तमिलनाडु की पूरी तरह उपेक्षा की जा रही है। कृपया तमिलनाडु पर ध्यान केंद्रित करें और वहाँ भीड़भाड़ कम करने पर भी ध्यान दें।

[हिन्दी]

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): महोदय, कल से जिस तरह से हाउस में बातचीत हो रही है, अभी मंत्री जी ने उसी तरह हाउस और देश में एक कॉन्फिडेंस क्रिएट किया। स्पेशियली फाइनेंशियल मॉडल्स के बारे में, ब्लैक स्पॉट्स के बारे में, रोड सेफ्टी का बिल अभी नहीं आया है, लेकिन पूरा हाउस उसमें मदद करने के लिए रेडी है।

अगर हम बिगेस्ट सिटीज में देखें, तो इंडिया में एक ही सिटी है। मुंबई में एक साइड सी है, कोलकाता में सी है, मद्रास में भी सी है, नदी है, उसी तरह से दिल्ली में और डिफरेंट स्टेट्स में स्थिति है। केवल हैदराबाद में चारों तरफ सिटी बढ़ने के चांसेज़ हैं। इसके लिए हमने एक रीजनल रिंग प्रपोज की थी। यह रीजनल रिंग रोड बहुत ही इंपोर्टेंट है। हर एक हाइवे आकर सिटी में टच कर रहा है। इसकी वजह से पोल्यूशन

भी बढ़ता है। तेलंगाना जो नया स्टेट है, उसके लिए मंत्री जी ने काफी रोड्स दी हैं, लेकिन कुछ अभी पेंडिंग हैं। इसके साथ-साथ मैं मंत्री जी से रीजनल रिंग रोड्स के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : आप क्लेरिफिकेशन नहीं मांग रहे हैं। आप डिमांड करने लगे।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): अध्यक्ष जी, धन्यवाद। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट के इतने ग्रेसिअस मंत्री यहां पर बैठे हैं, तो सभी माननीय सदस्यों की अपेक्षा रहती है कि उनसे मांगेंगे, तो उनको मिल जाएगा। मंत्री जी ने ट्रामा सेंटर की एक बात कही थी। अपनी बातचीत में मैंने वह इश्यू उठाया था। मेरी कांस्टीट्यूएन्सी में, गढ़मुक्तेश्वर, ब्रजघाट में ट्रामा सेंटर बन रहा था। ट्रामा सेंटर में करीब एक करोड़ रुपये का काम भी हो गया था। बाई दि टाइम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने उसको एक्वायर किया है। वहां पर कार्तिक मेला लगता है। दिल्ली से लखनऊ तक का एनएच 9 ही एक मेन रास्ता है।

अभी इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं अभी भी वहां लंबा जाम लगा हुआ है। मेरी मंत्री जी से इतनी ही प्रार्थना है कि गंगा पर एनएच-9 पर एक नया पुल बनवाने का कष्ट करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: मांग नहीं करना है।

श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया): अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के मंत्री जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि इलेक्ट्रिक मोटर या इलेक्ट्रिक गाड़ी चलेगी। मैं किसान हूँ और देश कृषि प्रधान देश है। मेरा संसदीय क्षेत्र बलिया है। यह दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृषि क्षेत्र में काम करने वाली छोटे-छोटी मशीन जैसे, ट्रैक्टर या पॉवर टिलर है। इसे इलेक्ट्रिक से चलाने की व्यवस्था कंपनी निर्माताओं से कर देंगे। मोटरसाइकिल या अन्य वाहन वालों से कह दें कि इलेक्ट्रिक मोटर बनाओ, इससे खेती की लागत कम हो जाएगी। वर्ष 2022 तक भारत सरकार की किसानों की आमदनी दोगुना करने का संकल्प भी पूरा हो जाएगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे बलिया संसदीय क्षेत्र में आप शुरू करेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन करइल से दोआबा मेरे संसदीय क्षेत्र में है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इलेक्ट्रिक चालित खेती की छोटी-छोटी मशीनों को बना कर वहीं से शुरू करेंगे तो बड़ी कृपा होगी।

[अनुवाद]

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री नितिन गडकरी जी सरकार में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले मंत्री हैं और हमें उनके असाधारण प्रदर्शन की सराहना करने में कोई आपत्ति नहीं है और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं।

मैं पहले ही 21 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुका हूँ। मंत्रालय के उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन और माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए, मैं सदन से सभी कटौती प्रस्तावों को वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

मेरे पास दो स्पष्टीकरण हैं। पहला विषय केंद्रीय सड़क कोष से संबंधित है, जिसे अब केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष के नाम से जाना जाता है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के चयन में स्थानीय सांसद की एक विशिष्ट भूमिका होती है। दुर्भाग्यवश, केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष के मामले में, सड़कों के चयन में स्थानीय सांसद की कोई भूमिका नहीं होती है। लोक सभा के स्थानीय सदस्यों को सड़क चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए, मैं माननीय मंत्री जी से इस संबंध में निर्देश जारी करने का अनुरोध करूँगा। हम सभी इस मामले में माननीय अध्यक्ष से पहल की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार के मंत्री योजनाओं का उद्घाटन करते हुए खुले तौर पर यह अभिव्यक्त कर रहे हैं कि सड़कों के चयन में स्थानीय सांसद की कोई भूमिका नहीं है। यह हमारे लिए अत्यंत निन्दनीय और अस्वीकृत अनुभव है। अतः, इस संदर्भ में हम अध्यक्षपीठ से सुरक्षा एवं संरक्षण की प्रार्थना करते हैं।

मेरा दूसरा स्पष्टीकरण यह है कि केरल की भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या घनत्व को देखते हुए, भूमि अधिग्रहण एक बड़ी समस्या है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार केरल और गोवा जैसे राज्यों की स्थिति को देखते हुए भूमि अधिग्रहण पर खर्च साझा करने या ऐसी प्रतिबद्धता व्यक्त करने पर विचार करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: सभी माननीय सदस्यगण को माननीय मंत्री जी ने सदन के माध्यम से कहा है कि एक महीने में आपने जो भी मुद्दे सदन में उठाए हैं या अपने मुद्दों को लेकर आए हैं। उन सभी का जवाब देंगे और उसके बाद भी कोई भी माननीय सदस्य आना चाहेगा तो निश्चित रूप से चैम्बर में आए, सभी की समस्याओं का समाधान करेंगे। आप सुझाव चैम्बर में जाकर दीजिएगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री नितिन जयराम गडकरी: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा दिए गए सुझाव के संबंध में ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान) ...^{24*}

[अनुवाद]

श्री नितिन जयराम गडकरी: मैं आपके मुद्दे को हल करूँगा....(व्यवधान) [हिन्दी] मैं आदरणीय सदस्य प्रेमचन्द्रन जी को आश्चस्त करना चाहता हूँ, मुझे पार्टियों का नाम मालूम नहीं, क्योंकि मैं सोचता नहीं। पिछली बार सीपीएम की एक महिला सदस्य थीं, टीचर जी थीं, उनका सीआरएफ मंजूर नहीं होता था, उस समय कांग्रेस सरकार थी। मैंने उनसे कहा कि अगर इनका मंजूर नहीं होगा तो मैं आपकी लिस्ट मंजूर नहीं करूँगा। मैंने, जितने यहां मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट देते हैं, सबका मंजूर कर लिया। अब सीपीएम की सरकार है, जब कांग्रेस के मैम्बर्स को अड़चन आती है, वे मुझे कहते हैं तो मैं कहता हूँ कि यह होगा। सीआरएफ में जो सदस्य हैं, उन्होंने कहा और हमने लगभग उनके काम मंजूर कर दिए। आप भी मेरे पास आए, मैंने सीआरएफ मंजूर कर दिया, वहां से बुला लिया।

^{24*} कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैं इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसमें एमपी का रोल होना चाहिए, यह मैं मानता हूँ। एमपी का यही तो अधिकार है, स्टेट की कांस्टीट्यूंसी में सीआरएफ से चार काम हो जाते हैं। मैं यह बात माननीय वित्त मंत्री जी से करूंगा। गाइडलाइन अंडर फाइनेलाइजेशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ है, उनके साथ जाऊंगा। एलए कास्ट बिग प्रॉब्लम है। केरल में सबसे ज्यादा है, इसलिए चीफ मिनिस्टर और चीफ सैक्रेट्री से मेरी मीटिंग हुई है। मैंने उनको बुलाया और कहा कि आप थोड़ा शेयर कर दीजिए, स्टील, सीमेंट, एग्रीगेट पर जो खर्च होता है, एग्रीगेट रेत पर जो रॉयल्टी है, स्टील और सीमेंट पर जो जीएसटी है, वो छूट है, नेशनल लॉस होगा, वो हमें दे दीजिए, हम रास्ता निकाल लेंगे। ऐसा मैंने कहा है। उनके साथ मीटिंग करके केरल में निश्चित रूप से मार्ग निकालेंगे।

नागेश्वर जी ने हैदराबाद रिंग रोड के बारे में कहा है, इसमें लैंड एक्विजिशन की बहुत प्रॉब्लम है। सरकार इसे निश्चित रूप से करना चाहती है। दानिश जी ने कहा है - “राज्य द्वारा ट्रामा सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। चौड़ीकरण के लिए एन.एच.ए.आई. द्वारा सड़क का अधिग्रहण किया गया है।” हमने पूरा बाजार भाव से कम्पेनसेशन दिया है। हमने कन्सट्रक्शन के लिए दिया है, अब स्टेट को उसे बनाना चाहिए, यही मैं उनसे कहूंगा। वीरेंद्र सिंह जी ने कहा है कि ट्रैक्टर इलैक्ट्रिक चले। इस पर रिसर्च चल रही है। योगी जी नागपुर आए थे, वहां बायो सीएनजी पर ट्रैक्टर लांच किया है। इसमें दो प्लास्टिक के सिलेंडर हैं, इस पर संशोधन चल रहा है। आपकी बात सही है, सरकार इसके लिए जरूर प्रयास करेगी।

सुदीप जी ने कहा कि सपने दिखाए। मैं आपसे अभी भी नम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ, इसका अलग अर्थ न निकले। पिछले पांच साल में मैंने जितने सपने दिखाए और जितने वादे किए, उनमें से जो वादा पूरा नहीं हुआ, वह लाकर मुझे दीजिए, मैं पूरा कर दूंगा। मैं जानता हूँ कि केवल बातें करना ठीक नहीं होता, इसलिए मैं कुछ बातें साफ भी कह देता हूँ कि यह नहीं होगा। पूर्वी भारत की जो प्रॉब्लम है, इसे राजनीतिक तौर पर न लें। सबसे कठिन काम करना बंगाल में है। मैं आपको राजनीतिक रूप से दोष नहीं दे रहा हूँ। अगर आपकी राज्य सरकार रोड के लैंड एक्विजिशन का 98 परसेंट कर देगी, एन्क्रोचमेंट हटाएगी, यूटिलिटी शिफ्टिंग में मदद करेगी, मैं इस सभागार में वचन देता हूँ, आप जितने रोड लेकर आएंगे, उतने रोड मैं एनएचआई के पूरे कर दूंगा।

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय: महोदय, हमारी राज्य सरकार की किसानों के पेट पर लात मारकर जमीन लेने की नीति नहीं है। हम चाहते हैं किसान ज्यादा रुपये लें, इसके लिए केंद्र सरकार असिस्ट करे।

श्री नितिन गडकरी: माननीय अध्यक्ष जी, मैं बात बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा कि वर्ष 2014 लैंड एक्विजिशन एक्ट के बाद मेरे पास 150-200 डेलीगेशन आए हैं।

ये इसके लिए नहीं आए हैं कि हमारी लैंड रोड में मत लीजिए, मेरे पास इसलिए आए हैं कि मेरी बाकी आधी लैंड भी ले लीजिए। क्योंकि आज सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि जो लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट हम दे रहे हैं, वह मार्केट से डेढ़ गुना ज्यादा है। मेरे डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी उठाए हैं, पर मैं भी किसान हूं, मैं सोचता हूं कि जो गरीब लोगों को मिलता है, उसे क्यों रोकते हो, जाने दो। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सदस्य : केरल का एक अलग अनुभव है।

[हिन्दी]

श्री नितिन जयराम गडकरी: केरल के बारे में मैं आपको बताता चाहता हूं कि केरल की कॉस्ट ऐसी है कि हजारों करोड़ रुपये की रोड, 700 करोड़ रुपये का लैंड एक्विजिशन, 300 करोड़ का कंस्ट्रक्शन, यह कैसे होगा? इसमें इनकी गलती नहीं है। केरल की एक विशिष्ट स्थिति है। इन्होंने रोड के बाजू में बड़े-बड़े बंगले बना दिये। केरल और गोवा में रोड के साथ कोई मार्जिन छोड़ता ही नहीं है। इसके कारण उनके लैंड एक्वायर करने में बहुत खर्च आता है। फिर ये कहते हैं कि एलिवेटेड रोड बनाइए, एलिवेटेड रोड की कॉस्ट सवा सौ कि.मी. जाती है, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि केरल की प्रॉब्लम लेजिटिमेट और जेन्यूइन है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह परिस्थितिवश है। इसके लिए आप अपने मुख्य मंत्री जी को कहिए, आप तुरंत आइए, मैं उसमें कुछ सहयोग करके मार्ग निकालूंगा और आपकी प्रॉब्लम को रिजाल्व कर दूंगा।

कश्मीर के बारे में मैं फारूख साहब को बताना चाहता हूं। आप बहुत सीनियर हैं। हमारा डिपार्टमेंट 60 हजार करोड़ रुपये का काम केवल कश्मीर में कर रहा है। जम्मू से श्रीनगर का जो रोड है, इसकी बड़ी-बड़ी

टनल, स्टेट ऑफ द आर्ट बनी हैं। जोजिला पास का टेंडर अभी नहीं हो पाया है। 6500 करोड़ रुपये की एक टनल है, जो लद्दाख और लेह को जोड़ रही है, उसका काम हम शुरू करने जा रहे हैं, जहां केवल चार महीने ही काम हो सकता है। प्रधान मंत्री जी के पैकेज द्वारा हमने कश्मीर में इतना काम किया है कि अगर मैं जिम्मेदारी के साथ कहूं, आप इसका हिसाब लगा सकते हैं कि पिछले 25 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना पांच साल में हुआ है।

डॉ. फारुख अब्दुल्ला: आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर, आप जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाइवे को देखें। ... (व्यवधान)

श्री नितिन जयराम गडकरी: यह जम्मू की लाइफ लाइन भी है।

डॉ. फारुख अब्दुल्ला: इसमें जो बनिहाल से रामबन का सेक्शन है, अगर एक बारिश हो जाए तो सारा रोड ही गायब हो जाता है। मैंने आपसे इस बारे में पहले भी बात की थी। हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन इस काम को कर रही थी। उस समय उनको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ गई थीं। उसमें 9 टनलें थीं, उनको रिड्यूस करके 4 कर दी गई हैं। जब तक ये सेक्शन ठीक नहीं होगा, तब तक हमारे लिए मुश्किल बनी रहेगी।

श्री नितिन जयराम गडकरी: सर, हमने कंक्रिटिंग करना शुरू कर दिया है। अब इसको डेढ़-डेढ़ और दो-दो फीट का बनाएंगे।

डॉ. फारुख अब्दुल्ला : इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भी एक मसला है। हम लोग उनके साथ बैठकर आपसे बात करेंगे।

श्री नितिन जयराम गडकरी: सर, मैं आऊंगा और आपके साथ बात भी करूंगा।

मारन साहब ने तमिलनाडु के बारे में कहा है। हमारे पांच साल में, मैं साहब का सम्मान करता हूं, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। हमने अपने राज में अन्याय नहीं किया। हमने तमिलनाडु में 2385 कि.मी. रोड कंस्ट्रक्शन पूरा किया है। अंडर इम्प्लीमेंटेशन अवार्ड, न्यू प्रोजेक्ट 2055 कि.मी. का कार्य ऑलरेडी सिस्टम में है और प्रोजेक्ट अंडर टेंडरिंग 395 कि.मी. का है, डीपीआर अंडर प्रोग्रेस 2000 कि.मी. का है। हमने किसी स्टेट के साथ अन्याय नहीं किया है और न करेंगे।

सुदीप जी को मैं बताना चाहूंगा कि भारतमाला योजना के कुल 9000 कि.मी. में से एक हजार कि.मी. केवल पश्चिम बंगाल में है। आपके साथ अन्याय नहीं होगा। ... (व्यवधान) मैं सम्मानीय चौधरी जी को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं बंगाल के सांसदों को जैसे क्वेश्चन ऑवर होता तो प्रतिदिन मेरे यहां एक स्टेट की मीटिंग होती है, अभी केरल राज्य की हुई है। मैं आपकी मीटिंग बुलाकर, उस दिन अधिकारी भी यहां से आएंगे, मैं आपके प्रॉब्लम को रिजाल्व कर दूंगा।

मैं प्रो.सौगत रॉय जी को भी बताना चाहूंगा कि 14000 कि.मी. और 21 हजार कि.मी. एनएच-34 यह पी.डब्ल्यू.डी. के अधीन है। आपके बंगला में जो एनएच-34 है, यह पी.डब्ल्यू.डी., पश्चिम बंगाल सरकार के नियंत्रण में है और हमारी ओर से काम कर रहा है। अपनी सरकार को थोड़ा-सा गतिशील बनाइए।

सर, एन. एच. 24 424 किलोमीटर का है। अभी 242.7 किलोमीटर पूरा हुआ है, बैलेंस 181.3 किलोमीटर है। यह अण्डर कंस्ट्रक्शन है, 98 किलोमीटर की टेन्डर अवार्ड हो चुका है और स्टेट गवर्नमेंट पी.डब्ल्यू.डी. ऑन ऑवर बिहाफ कर रही है तो मैं उसे गति देने का काम करूंगा। मैं फिर से एक बार माननीय सदस्यों को धन्यवाद दूंगा। इसके बाद आपकी जो भी परेशानियां होगी, उसके लिए आप आइए, सर, आप हमारी मांग को पास करने की कृपा करें, मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूँ, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): महोदय, मैं मांग संख्या 83 के समक्ष मेरे नाम पर सूचीबद्ध कटौती प्रस्तावों को वापस लेता हूँ।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: क्या सभा की यह इच्छा है कि श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी कटौती प्रस्तावों को वापस लिया जाए?

कटौती प्रस्तावों को सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

माननीय अध्यक्ष: अब मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

"कि अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 83 के सामने दर्शाये गए मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 4 में दर्शायी गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियाँ से अनधिक संबंधित राशियों भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं। "

[अनुवाद]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संबंध में अनुदान की मांगें (2019-2020) लोक सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत की गई

मांग की संख्या	मांग का नाम	1 फरवरी, 2019 को सभा द्वारा सदन के मतदान हेतु प्रस्तुत मतदान किए गए खाते पर अनुदान अनुदान मांगों की राशि			
1	2	3		4	
		राजस्व (रुपये)	पूंजी (रुपये)	राजस्व (रुपये)	पूंजी (रुपये)
83	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	8450,21,00,000	55585,67,00,000	13169,61,00,000	87233,4900,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही दो बजकर तैंतालिस मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 1.42 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न दो बजकर तैंतालीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.45 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजकर पैंतालीस मिनट पर पुनः

समवेत हुई।

(श्री भर्तृहरि महताब पीठासीन हुए)

केन्द्रीय बजट - (वर्ष 2019-20)...जारी**अनुदानों की मांगें**

ग्रामीण विकास मंत्रालय

एवं

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

[अनुवाद]

माननीय सभापति: सदन मद संख्या 16 अर्थात् ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर विचार करेगा।

सभा अब ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 और 2 तथा 84 और 85 पर चर्चा और मतदान करेगा।

सभा में उपस्थित माननीय सदस्य, जिनकी अनुदान मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रसारित किए जा चुके हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्तावों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वे 15 मिनट के भीतर पटल को पर्चियां भेज सकते हैं, जिसमें वे कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या बता सकते हैं, जिन्हें वे पेश करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत माना जाएगा।

प्रस्तुत किए गए रूप में माने गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली एक सूची उसके तुरंत बाद सूचना पट्ट पर डाल दी जाएगी। यदि सदस्यों को सूची में कोई विसंगति मिलती है, तो वे कृपया इसे तुरंत अधिकारी के ध्यान में ला सकते हैं।

प्रस्ताव पेश किए गए:

“कि आदेश पत्र के चौथे कॉलम में दर्शाई गई राजस्व लेखा और पूंजी लेखा पर राशियों से संबंधित अधिक की राशियाँ भारत की समेकित निधि में से राष्ट्रपति को, 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान भुगतान के दौरान आने वाले शुल्कों को, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 84 और 85 के विरुद्ध उसके दूसरे स्तंभ में दर्ज मांग शीर्ष के संबंध में प्रदान की जाए।”

ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें (2019-2020) लोक सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत की गई

मांग की संख्या	मांग का नाम	1 फरवरी, 2019 को सभा द्वारा सदन के मतदान हेतु प्रस्तुत मतदान किए गए खाते पर अनुदान अनुदान मांगों की राशि मांगों की राशि			
1	2	3		4	
		राजस्व (रुपये)	पूंजी (रु.)	राजस्व (रुपये)	पूंजी (रु.)
84	ग्रामीण विकास विभाग	77256,78,00,000	33,33,00,000	114513,56,00,000	66,67,00,000
85	भूमि संसाधन विभाग	742,41,00,000	-----	1484,83,00,000	-----

“कि आदेश पत्र के चौथे कॉलम में दर्शाई गई राजस्व लेखा और पूंजी लेखा पर राशियों से संबंधित अधिक की राशियाँ भारत की समेकित निधि में से राष्ट्रपति को, 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान भुगतान के दौरान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित माँग संख्या 1 और 2 के विरुद्ध उसके दूसरे स्तंभ में दर्ज की गई माँग के शीर्ष के संबंध में, भुगतान के दौरान आने वाले शुल्कों का भुगतान करने के लिए प्रदान की जाए।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें (2019-2020) लोक सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत की गयी

मांग की संख्या	मांग का नाम	1 फरवरी, 2019 को सभा सदन के मतदान हेतु प्रस्तुत द्वारा मतदान किए गए खाते अनुदान मांगों की राशि पर अनुदान मांगों की राशि			
1	2	3		4	
		राजस्व (रुपये)	पूंजी (रु.)	राजस्व (रुपये)	पूंजी (रु.)
1	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	43183,50,00,000	11,57,00,000	87267,01,00,000	23,13,00,000
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	2692,92,00,000	-----	5385,84,00,000	-----

श्री उत्तम कुमार रेड्डी (नलगोंडा): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले, मैं कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदान माँगों पर बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।

यह सभी भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज़ादी के तुरंत बाद एक ऐसे परिदृश्य से, जब भारत खाद्यान्न और दूध पाउडर दोनों के लिए आयात पर निर्भर था, आज हम खाद्यान्न, दूध और बागवानी उत्पादों के उत्पादन में वैश्विक दिग्गजों में से एक हैं। हरित क्रांति के बाद खाद्यान्नों के घरेलू उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। श्वेत क्रांति ने दूध उत्पादन में भारत की प्रमुख स्थिति में लाकर खड़ा कर दी है, जबकि भारत की सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई नीली क्रांति ने मछली और समुद्री उत्पाद के उत्पादन में बहुत बड़ी मात्रा से विस्तार किया।

कृषि मंत्रालय के लिए अनुदान माँगों के संबंध में आपके माध्यम से मैं सरकार से कुछ बिंदुओं पर पूछना चाहता हूँ। संशोधित अनुमान के अनुसार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को 2018-19 में 75,753 करोड़ रुपये खर्च करने की उम्मीद थी। हालांकि, सी.जी.ए. द्वारा बनाए गए अनंतिम खातों से पता चलता है कि 2018-19 में मंत्रालय का व्यय 53,000 करोड़ रुपये था, जो संशोधित अनुमान से 22,000 करोड़ रुपये कम है। यह संशोधित अनुमानों से 29 प्रतिशत की कमी है। मैं चाहूंगा कि सरकार हमें बताइए कि कृषि मंत्रालय में 29 प्रतिशत की कमी कैसे हो सकती थी।

आज भारतीय किसान गंभीर कृषि संकट का सामना कर रहे हैं और स्थिति यह है कि भारत में हर दिन लगभग 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमारी 65 से 70 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, इसके बावजूद वर्तमान सरकार की कृषि के प्रति कम प्राथमिकता, अपर्याप्त समर्थन मूल्य, अकुशल खरीद प्रणाली और त्रुटिपूर्ण फसल बीमा तंत्र के कारण भारतीय कृषक समुदाय अस्तित्व के संकट में फँस गया है।

यह बेहद दुखद है कि हमें किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर चर्चा करनी पड़ रही है। पिछले कुछ वर्षों में, हर वर्ष 11,000, 12,000, 13,000 किसानों द्वारा आत्महत्या हो रही है। सरकार ने किसानों की आत्महत्या से संबंधित समस्या का समाधान करने की बजाय 2016 के बाद एन.सी.आर.बी. द्वारा किसानों

की आत्महत्या से संबंधित आंकड़े जारी किए जाने पर रोक लगा दी। एन.सी.आर.बी. को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो में विलय कर दिया गया था, और उसके बाद, 2017 से, किसानों की आत्महत्याओं के कोई प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यह सरकार की बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। एन.सी.आर.बी. का पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में विलय कर दिया गया था, तथा 10 महीने बाद इसे अलग कर दिया गया। तब से एन.सी.आर.बी. इस पर कोई आंकड़े नहीं दे रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इस परिदृश्य में सबसे ज्यादा पीड़ित काशतकार किसान हैं। तेलंगाना जैसे राज्यों में 30 प्रतिशत काशतकार किसान हैं और बाकी देश में 15 प्रतिशत हैं। आज भारत में 2.1 करोड़ काशतकार किसान हैं और उनमें से लगभग सभी के पास बैंक और संस्थागत वित्त तक पहुँच नहीं है। इसलिए उन्हें साहूकारों के पास जाना पड़ता है।

पीएम-किसान सम्मान निधि उन पर लागू नहीं होती है। उनमें से अधिकांश फसल बीमा के लिए नहीं जाते हैं। इसलिए, काशतकार किसान उच्च लागत वाले ऋण और वाणिज्यिक फसलों की ओर भी जा रहे हैं। जब फसल खराब हो जाती है तो बड़ी संख्या में आत्महत्या होती है। संयुक्त आंध्र प्रदेश राज्य में काशतकार किसानों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए, हमने वर्ष 2011-12 में आंध्र प्रदेश भूमि लाइसेंस प्राप्त कृषक अधिनियम पारित किया- जिसने काशतकार किसानों को संस्थागत वित्त के लिए पात्र बना दिया। हम आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करेंगे कि वह करोड़ों काशतकारों की सुरक्षा करे। यदि आपको उन्हें कानूनी मान्यता देनी है, तो आपको इस तरह का कानून लाना होगा ताकि काशतकार बैंक और संस्थागत वित्त के लिए पात्र हो सके।

दूसरा मुद्दा किसानों की आय दोगुनी करने से संबंधित है। सरकार ने अपने वर्ष 2016-17 के बजट में वादा किया था कि वह वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देगी। यह बात माननीय प्रधान मंत्री द्वारा बार-बार कही गई है। अब तीन वर्ष बीत चुके हैं और हम बीच में पहुँच गए हैं। क्या सरकार ने इस पर कोई रिपोर्ट तैयार की है कि इन तीन वर्षों में भारत में किसानों की आय कितनी बढ़ी है? इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छह वर्षों की अवधि के लिए किसानों की आय हर वर्ष 13 प्रतिशत बढ़नी चाहिए थी। वर्ष 2018 के आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि आय बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। जनवरी 2018 के आर्थिक

सर्वेक्षण में किसानों की आय के मुद्दे का विश्लेषण किया गया। उन्होंने कहा कि "पिछले चार वर्षों में वास्तविक कृषि जी.डी.पी. और और वास्तविक कृषि आय में कोई बदलाव नहीं आया है।" मैंने जनवरी 2018 के आर्थिक सर्वेक्षण का हवाला दिया है। इस प्रकार, एन.डी.ए. सरकार के पहले चार वर्षों में कृषि आय में वृद्धि दर लगभग शून्य थी। हम चाहते हैं कि सरकार बताए कि वह अगले तीन वर्षों के दौरान किसानों की आय को दोगुना करने की योजना कैसे बना रही है। यह देश में किसानों के सामने आने वाली वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। कोई ठोस समाधान लागू किए बिना यह सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में, भाजपा ने 2014 में स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि वे चुने गए और सत्ता में आए, तो वे एमएसपी के लिए स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले को लागू करेंगे - मूल रूप से, लागत सी2 प्लस 50 प्रतिशत मार्जिन। आश्चर्य की बात यह है कि 2015 में इसी भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत मार्जिन देना संभव नहीं है।

वास्तव में, उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए थे, वे थे: "लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित करने से बाजार विकृत हो सकता है।"

फिर 22 मई 2017 को तत्कालीन कृषि मंत्री ने इस बात से पूरी तरह इनकार किया कि उन्होंने कभी भी स्वामीनाथन समिति की प्रतिवेदन को लागू करने का चुनावी वादा किया था। फिर, 2018-19 के बजट भाषण में यू-टर्न लेते हुए, तत्कालीन वित्त मंत्री ने घोषणा की कि वे स्वामीनाथन समिति की प्रतिवेदन को लागू करेंगे और एक कदम आगे बढ़कर कहा कि उन्होंने पहले ही अधिकांश रबी फसलों के लिए इसे लागू कर दिया है। लेकिन वास्तव में उन्होंने लागत की निम्न परिभाषा का उपयोग किया, ताकि उन्हें उच्च एमएसपी न देना पड़े, जिसका उन्होंने वादा किया था। हकीकत में, 2018-19 में खरीफ में एमएसपी में प्रतिशत के हिसाब से वृद्धि, 10 वर्ष पहले 2008-09 में तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा की गई एमएसपी वृद्धि के बराबर भी नहीं थी। वास्तव में, यूपीए-2 के दौरान, लगभग सभी फसलों में उत्पादन लागत पर

औसत लाभ मार्जिन पिछले वर्ष के तथाकथित उच्च एमएसपी की तुलना में अधिक था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है - जो भी एम.एस.पी. की घोषणा की गई थी, क्या किसान को वे मिली?

मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह, मैं सरकार की प्रतिवेदन उद्धृत कर रहा हूँ, चाहे वह उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल में धान हो, या महाराष्ट्र या कर्नाटक में लाल चना हो, या राजस्थान या आंध्र प्रदेश में मूंगफली हो, इनमें से अधिकतर फसलें एम.एस.पी. से नीचे बिक रही हैं। एक बार फिर किसान पूछ रहे हैं: आपने क्या वादा किया और आप क्या दे रहे हैं? मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूँ कि कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारण करने वाला आयोग हैदराबाद आया था और उसने सरकारी अधिकारियों और अन्य लोगों के साथ व्यापक चर्चा की थी। अनुशंसित एम.एस.पी. इस सरकार द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत की गई राशि से कहीं अधिक है। मैं आपको एक सरल उदाहरण देता हूँ। मंत्री जी को भी यह जानने में रुचि हो सकती है। मैं स्वयं शनिवार और रविवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र में था। कपास के उत्पादन की वर्तमान लागत पर एम.एस.पी. 50 प्रतिशत नहीं है; यह 25 प्रतिशत भी नहीं है। यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसानों की आत्महत्या की सबसे बड़ी घटनाएं कपास और मिर्च की फसलों में होती हैं। तत्कालीन वित्त मंत्री ने अपने 2018-19 के बजट भाषण में वादा किया था कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर किसान एम.एस.पी. या उससे अधिक पर अपनी उपज बेच सकेगा।

सितंबर, 2018 में सरकार ने पीएम-आशा योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत के 14.50 करोड़ किसानों में से प्रत्येक को एम.एस.पी. का लाभ मिल सके। जैसा कि सरकार द्वारा घोषणा की गई थी, पीएम-आशा योजना मूल्य समर्थन योजना, मूल्य न्यूनता भुगतान योजना तथा निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना को समर्थन प्रदान करेगी। अब यह सरकार का सबसे महत्वपूर्ण वादा है। विशेषज्ञों के अनुसार इस योजना के लिए कम से कम 15,000 करोड़ रुपये आबंटित किए जाने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों के एक बड़े वर्ग को एम.एस.पी. मिले। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ही पीएम-आशा, पीएम-निराशा में बदल गई है। इस बजट में पीएम-आशा के लिए केवल 1500 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। क्या सरकार 1500 करोड़ रुपये के साथ यह सुनिश्चित करना

चाहती है कि एम.एस.पी. का लाभ देश के 14.50 करोड़ किसानों तक पहुंचे? यह असंभव है। इससे एम.एस.पी. पर सरकार की बातों का खोखलापन उजागर होता है।

मैं कृषि ऋण और वित्त के पैमाने से संबंधित एक अन्य मुद्दे पर वापस आऊंगा। मुझे नहीं पता कि भारत सरकार को इसकी जानकारी है या नहीं, लेकिन तेलंगाना राज्य में आपके द्वारा दिए गए वित्त-मान के अनुसार कृषि ऋण नहीं दिया जा रहा है।

अपराह्न 3.00 बजे

चाहे जितनी भी फसल हो और जितना भी रकबा हो, उतनी फसल वाली जमीन नहीं दी जा रही है। अधिकांश बैंक प्रबंधक कह रहे हैं: “मेरे पास इतना पैसा है और इतने किसान हैं; इसलिए आप लोग आपस में बांट लो।” विशेषकर कपास के संबंध में वित्त का स्तर कपास उत्पादन की वास्तविक लागत से कम है। इस बहस के दौरान मैं सरकार से एक अपील करना चाहता हूँ, विशेषकर कपास के मामले में। उन्होंने कपास के लिए जो एम.एस.पी. घोषित किया है, वह उत्पादन लागत से थोड़ा ही ऊपर है। मैं निश्चित रूप से यह तेलंगाना राज्य के लिए कह सकता हूँ। इस बहस के दौरान जब मंत्री जी जवाब देंगे तो मैं उनसे अपील करूंगा कि कम से कम कपास के लिए एम.एस.पी. बढ़ाकर 6,000 रुपये किया जाना चाहिए।

अब मैं पीएम किसान योजना पर आता हूँ। सरकार द्वारा पीएम किसान योजना अर्थात् पीएम किसान सम्मान निधि की घोषणा वास्तव में किसानों का अपमान है। प्रति वर्ष 6,000 रुपये की धनराशि किसानों की दुर्दशा में कोई बदलाव लाने के लिए बहुत कम है। पांच सदस्यों वाले परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये देने का अर्थ है परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रतिदिन 3.30 रुपये देना। क्या यह सम्मान है या यह अपमान है? फरवरी, 2019 के बजट भाषण में पीएम किसान सम्मान निधि पर तत्कालीन वित्त मंत्री ने कहा था: “यह एक बड़ा कदम है और किसानों को साहूकारों के पास जाने की जरूरत नहीं है।” यह दर्शाता है कि सरकार वास्तव में जमीनी स्तर पर वास्तविकता से जुड़ी हुई नहीं है।

भारत में अधिकांश फसलों की खेती की लागत कम से कम 20,000 रुपये से 25,000 रुपये प्रति एकड़ होगी। एक किसान, जिसके पास दो एकड़ है, को प्रत्येक सीजन के लिए 50,000 रुपये से अधिक के

निवेश की आवश्यकता होती है। तीन किस्तों में दिए गए 6,000 रुपये से उसे साहूकार के पास जाने की जरूरत कैसे खत्म हो जाएगी? इसके अलावा, करोड़ों काश्तकारों, बटाईदारों, भूमिहीन कृषि श्रमिकों और बिना पट्टे के आदिवासी किसानों को इस योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है।

महोदय, अब मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आता हूँ। 2018-19 में सरकार का लक्ष्य था कि भारत में 50 प्रतिशत भूमि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आ जाए। लक्ष्य 26 प्रतिशत के करीब हासिल हुआ। मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूँ कि किसान किसी न किसी रूप में इस योजना पर भरोसा नहीं कर रहे हैं।

महोदय, अपने भाषण के बाद मैं तेलंगाना के उन किसानों की सूची सदन के पटल पर रखूंगा, जिन्होंने अपनी फसलें खो दी हैं, अपना दावा पेश किया है और उन्हें अब तक एक भी रुपया नहीं मिला है। भारत में 200 मिलियन हेक्टेयर में से, 2015-16 में कुल बीमित क्षेत्र 45 मिलियन हेक्टेयर था, जो कि केवल 22 प्रतिशत था; 2016-17 में यह 56 मिलियन हेक्टेयर था, केवल 28 प्रतिशत; 2017-18 में यह 51 मिलियन हेक्टेयर था, केवल 26 प्रतिशत; और 2018-19 में भी इसके लगभग 26 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। उस लिहाज से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विफल हो गई है क्योंकि वे इस देश में केवल 26 प्रतिशत फसल क्षेत्रों तक ही पहुंच पा रहे हैं, जिसका अर्थ है कि फसल बीमा काम नहीं कर रहा है।

महोदय, मैं आपके ध्यान में बीमा नियामक विकास प्राधिकरण की प्रतिवेदन भी लाना चाहता हूँ। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रकाशित अपनी प्रतिवेदन में उन्होंने कहा है कि बीमा कंपनियों ने 3,000 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि फसल बीमा के संबंध में, मुझे लगता है कि सरकार निजी बीमा कंपनियों में जाने में गंभीर गलती कर रही है, जो वास्तव में किसानों की सेवा करने की तुलना में अपने लाभ कमाने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही हैं। महोदय, दावों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में हमें तेलंगाना राज्य भर से जानकारी प्राप्त हुई है। मुझे पूरा यकीन है कि भारत के कई हिस्सों में भी यही स्थिति है।

इसलिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दोनों ही मोर्चों पर विफल रही है, यानी सबसे बड़े फसल क्षेत्र तक पहुंचने में और किसान के दावों को समय पर वितरित करने में।

सरकार ने अपने पहले के बजट में घोषणा की थी कि वे 22,000 ग्रामीण बाजारों को ग्राम योजना के तहत पूरी तरह से सुसज्जित कृषि बाजारों में परिवर्तित करेगी। इसे प्राथमिकता के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन अब तक, 22,000 ग्राम-स्तरीय बाजारों में से, जिन्हें बनाया जाना है, केवल 85 पूरा हो गया है और 180 प्रगति पर हैं।

महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि तेलंगाना राज्य में हज़ारों कपास, मिर्च और हल्दी उगाने वाले किसानों ने पिछले कई वर्षों में आत्महत्या की हैं। हल्दी उगाने के लिए एक केंद्रित क्षेत्र निजामाबाद क्षेत्र में हल्दी बोर्ड स्थापित करने की लंबे समय से लंबित मांग है। जब श्री राजनाथ जी चुनाव प्रचार के दौरान निजामाबाद आए, तो उन्होंने घोषणा की: "चुनाव के बाद, हम निजामाबाद को एक हल्दी बोर्ड देंगे।" मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूँ कि सरकार के आश्वासन को कायम रखा जाना चाहिए और निजामाबाद में हल्दी बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए।

महोदय, मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहता हूँ कि कृषि मंत्रालय को कृषि कार्यों के लिए भी नरेगा का उपयोग करने के बारे में सोचना चाहिए। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि यदि आप उस मजदूरी पर नरेगा के तहत श्रम का उपयोग कृषि कार्यों जैसे बुआई आदि में कर सकते हैं, तो इससे किसानों की लागत कम हो जाएगी।

किसानों के लिए लागत मूल्य तेजी से बढ़ रहा है। एम.एस.पी. की गणना वैज्ञानिक तरीके से नहीं की जाती है। ऐसी कई फसलें हैं जिनमें लागत के साथ 50 प्रतिशत नहीं बल्कि लागत के साथ सीमांत प्रतिशत जोड़ा जाता है। यह अब एम.एस.पी. की गणना है। जब वे कह रहे हैं कि वे स्वामीनाथन समिति के फार्मूले को लागू करने जा रहे हैं, तो वे 'सी2' लागत को ध्यान में नहीं रख रहे हैं; वे केवल आदान लागत को 'ए2' और कृषि श्रम की लागत को 'एफएल' पर ही विचार कर रहे हैं और इस प्रकार वे केवल 'ए2'+ 'एफएल' दे

रहे हैं। जब यह सरकार दिन-प्रतिदिन इस बात को बढ़ावा दे रही है कि वे उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत सीमांत दे रहे हैं, तो उन्हें 'सी2' लागत देनी होगी। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस बात का जवाब दे।

अंत में, ट्रैक्टरों की तरह कृषि के लिए उपयोग किए जाने वाले कृषि उपकरणों या मशीनरी पर जी.एस.टी. के बारे में। इन उपकरणों को या तो छूट दी जानी चाहिए या न्यूनतम संभावित स्लैब में रखा जाना चाहिए। यह देखकर आश्चर्य होता है कि विभिन्न अन्य मदों के जीएसटी स्लैब को काफी कम कर दिया गया है लेकिन कृषि उपकरणों के मामले में ऐसा नहीं किया गया है।

माननीय सभापति: हाँ, श्री रेड्डी जी, आपने अपनी बात रख दी है। कृपया अब समाप्त करें।

श्री उत्तम कुमार रेड्डी: मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि उर्वरक, कीटनाशक, ट्रैक्टर तथा खेती में प्रयुक्त होने वाली वस्तु मशीनरी जैसी वस्तुओं को जी.एस.टी. के न्यूनतम स्लैब में होनी चाहिए।

माननीय सभापति: ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री उत्तम कुमार रेड्डी: उन्हें छूट मिलनी चाहिए, लेकिन अगर छूट नहीं मिलती है तो कम से कम उन्हें सबसे न्यूनतम स्लैब में रखा जाना चाहिए।

मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार किसानों के प्रति केवल दिखावा कर रही है। इसने संकट की स्थिति में किसानों की पूरी तरह से उपेक्षा की है। यह बजट भाषण में भी दिखाई देता है।

मैं माननीय मंत्री से मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने का अनुरोध करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

कटौती प्रस्ताव का पाठ

[हिन्दी]

श्री रमापति राम त्रिपाठी (देवरिया): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे आज ग्रामीण विकास तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालयों की अनुदानों की माँगों पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है, इसके लिए सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के अंतर्गत कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान संबंधी मांग संख्या 1, 2, 3, 9, 30 और 84 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं इस संबंध में अपने विचार रखना चाहता हूँ।

महोदय, मैंने गांव में जन्म लिया और गांव में ही पला-बढ़ा। इसलिए गांव की जो मूलभूत समस्या है, उसको मैंने नज़दीक से देखा है, महसूस किया है और उसकी पीड़ा को समझता हूँ। हमारे गांव में पहले से दो प्रकार की खेती थी। एक परंपरागत खेती थी और एक अनुसंधान, विज्ञान के आधार पर होने वाली आधुनिक खेती थी। किसान उत्पादन करता था, लेकिन उत्पादन का लाभ इसलिए नहीं पाता था, क्योंकि संसाधन नहीं थे, रास्ते नहीं थे। इस कारण वह अपने उत्पाद को बाजार तक नहीं पहुंचा पाता था। बिचौलियों के माध्यम से किसान ठगा जाता था। जब किसान को अपने उत्पादन से आय नहीं होती थी, तब निश्चित रूप से वह अपनी गरीबी को भोगने के लिए बाध्य था। मुझे ध्यान है कि हमने जब सामाजिक जीवन में भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर काम शुरू किया तो हम लोग नारा लगाते थे - गांव, गरीब, किसान, झोपड़ी का इंसान।

आज मैं कह सकता हूँ कि यह जो बजट है, हम जो नारा लगाते थे - गांव, गरीब, किसान, झोपड़ी का इंसान, इसको केन्द्रित कर के है, इसको ध्यान में रखकर है, इसके उत्थान के लिए है। मुझे ध्यान है कि गांव में रास्ते नहीं थे, सड़कें नहीं थीं, स्कूल नहीं थे, बिजली नहीं थी। आप सभी जानते हैं कि सरकारों ने प्रयास किया होगा, लेकिन प्रयास साकार कब हुआ? जब श्रीमान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना, दीन दयाल ग्राम सड़क योजना, प्रधान मंत्री सड़क योजना और इन योजनाओं को ज़मीन पर उतारकर आज गांव सड़कों से आच्छादित हुए हैं। श्रीमान नरेन्द्र मोदी जी की

सरकार ने आज इसको और आगे बढ़ाया है। आज हम कह सकते हैं कि गांव विद्युत लाइन से जुड़ गए हैं। हर घर में आज बल्ब जल रहा है। गांव, विशेषकर दक्षिण की तरफ, जो बस्तियां थीं, जिनमें झोपड़ी ही झोपड़ी दिखाई देती थी, आज वहां भी लिंटेल् के मकान दिखाई दे रहे हैं।

सभापति महोदय, गांवों में शाम को हर घर से धुंआ निकलता था, जिससे प्रदूषण फैलता था और माताओं और बहनों को बीमारियां भी होती थीं। वे लकड़ी जलाती थीं और उसे मुंह से फूंकती थीं। इससे उनके फेफड़ों में कार्बन-डाईऑक्साइड जाती थी। वे कम अवस्था में मृत्यु के लिए बाध्य हो जाती थीं। आज यह तस्वीर बदली है। आज घरों से धुंआ नहीं निकल रहा है। प्रधान मंत्री जी की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आज वहां चूल्हे जल रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने आज किसानों की आय में वृद्धि करने का काम किया है।

पूर्व में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय किसान की स्थिति क्या थी? उसे छोटी पूंजी, 500 से 1,000 रुपये तक की जरूरत पड़ती थी। वह कर्ज लेता था, ज़ेवर रखता था, खेत को गिरवी रखता था और अपमानित होकर जीवन जीता था, लेकिन श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने क्रेडिट कार्ड चलाया। इससे किसान भी सम्मान का जीवन जीने लगा। यही नहीं, उत्पादन का लाभकारी मूल्य भी निश्चित किया।

उसकी खरीदारी के लिए क्रय केन्द्र निश्चित हुआ। इसी के साथ कृषि पर आधारित बहुत बड़ी संख्या में मजदूर, कृषि मजदूर जीवनयापन करते हैं। गेहूं का दाम बढ़ा है, चावल का दाम बढ़ा है। स्वाभाविक है कि श्रीमान् अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने उस समय लाभकारी मूल्य दिया, वहीं गरीबों की रोटी सस्ती की। बी.पी.एल. कार्ड बनाकर 2-3 रुपये किलो गेहूं मिलना सुनिश्चित किया। आज हम यह कह सकते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री श्रीमान् नरेन्द्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी तथा कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र तोमर जी ने जिस दृष्टि से इस बजट में कृषि और ग्राम विकास के लिए व्यवस्था की है, वह निश्चित ही आने वाले समय में किसानों को और समृद्धशाली बनाएगी, किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी। अगर एक शब्द में कहूं तो जो किसान बेहाल था, गरीब था, मजबूर था, जो गांव बिल्कुल

उजड़े हुए दिखाई देते थे, वे आज हमारे प्रधान मंत्री जी की नीतियों के कारण, जो नीतियां वर्ष 2014 से शुरू हुई हैं और जो आज के बजट में दिखाई दे रही हैं, उससे गांव की तस्वीर बदल गई है और किसान तथा गरीब की तकदीर बदल गई है। मैं जानता हूं कि समय कम है। अगर मैं लम्बी बात करूंगा तो आप टोकेंगे। इसलिए मैं अपनी बात संक्षेप में कहना चाहता हूं।

अपराह्न 3.17 बजे

(श्रीमती मीनाक्षी लेखी पीठासीन हुईं)

महोदया, समय के अभाव के कारण मैं बहुत विस्तार से विभागों की अनुदान मांगों की कुछ बातें नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो मुख्य बातें हैं, उनको जरूर कहूंगा। कृषि और ग्रामीण विकास को समर्पित इस बजट को देखकर मेरे मन में यह विश्वास हो गया है कि विकास की दौड़ में पीछे रह गए हमारे गांव, गरीब और किसान विकास की मुख्य धारा में शामिल होकर रहेंगे। प्रधान मंत्री जी के कुशल नेतृत्व, दूरदर्शिता और नीयत के बल पर हम वर्ष 2022 तक एक श्रेष्ठ भारत और किसान की आय को दोगुना करने में सफल होंगे।

सभापति महोदया, तमाम आर्थिक प्रगति, तरक्की और चन्द्रमा तक चन्द्रयान ले जाने में सफल होने के बाद भी हमारी पहचान कृषि प्रधान देश की है। हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा भाग कृषि पर निर्भर है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और अर्थतंत्र की बुनियाद है। किसान ही देश के अन्नदाता हैं, परंतु बुआई, कटाई से लेकर अपनी फसल और सब्जी को बाजार तक पहुंचाने में किसानों को काफी दिक्कतें आती हैं। कुछ ऐसी समस्याएं हैं और कुछ मौसम की मार किसानों को उनकी फसल का पूरा मूल्य नहीं दे पाती है। हम सब लोग जानते हैं कि कृषि मुख्य रूप से लागत, उत्पादन और लाभकारी मूल्य के साथ मौसम पर भी निर्भर करती है। सभापति जी, खेद है कि आजादी के 60 वर्षों तक अन्नदाता के कुशल क्षेम का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखा गया। योजनाएं बनीं, चिंता हुई, मैं इससे इंकार नहीं करता हूं, लेकिन वे जमीन पर साकार नहीं हुईं। पहले भी लाभकारी मूल्य निश्चित किए जाते थे, सरकारें घोषणाएं करती थीं, लेकिन क्रय केन्द्र समय से नहीं खुलते थे, क्रय समय से नहीं होता था। किसान अपना घर चलाने के लिए मजबूरी में बिचौलियों के माध्यम से अन्न बेच देता था। वही बिचौलिए क्रय केन्द्रों पर जाकर सरकारी मूल्य पर लेते थे

और किसान ठगा जाता था। मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आज हमारी केन्द्र सरकार ने अपनी नीतियों को जमीन पर उतारकर जहाँ लाभकारी मूल्य निश्चित किया है, वहीं उत्पादन खलिहान में आने से पहले ही कृषि केन्द्र या क्रय केन्द्र खोले जा रहे हैं।

क्रय केन्द्रों के माध्यम से खरीद भी हो रही है और लाभकारी मूल्य उनके खातों में पहुँच रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि इस देश में सारी योजनाओं की घोषणा करने के बाद भी हमारे पूर्व प्रधान मंत्री ने पूरे देश के सामने कहा था कि हम जो गरीबों को देना चाहते हैं, किसानों को देना चाहते हैं, उसका 75 प्रतिशत रास्ते में रह जाता है, केवल 15 प्रतिशत पहुँचता है, लेकिन उसका समाधान नहीं कर पाए थे। मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी ने वर्ष 2014 में सत्ता संभालते ही जन-धन योजना में खाता खोलकर 33 करोड़ लोग, जो कृषि पर आधारित थे, कृषि मजदूर थे, खेत और खलिहानों में काम करने वाले थे, बड़ी संख्या में उसमें सम्मिलित थे, आज किसान की खरीद हो, चाहे उसको मिलने वाली सब्सिडी हो, चाहे गरीब को मिलने वाली सुविधाएं हों, वे सीधे उनके खाते में जा रही हैं। इसलिए, आज की सरकार अपनी योजनाओं को साकार करने में सफल हुई है।

महोदया, सरकार ने आज इस बार शपथ लेने के साथ ही 24 घंटों के अंदर हुई बैठक में जो पहला एजेंडा हुआ, उसमें किसान के कल्याण के लिए अभूतपूर्व कदम उठाते हुए उन्हें पेंशन की कवरेज प्रदान की। अंतरिम बजट में इस योजना का शुभारम्भ हुआ। प्रारम्भ में 2 हेक्टेयर खेती करने वालों को किसान प्रधान मंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6 हजार रुपये देने की बात थी। एक आंकड़े के अनुसार वर्ष 2019 तक सवा तीन करोड़ लाभार्थियों को बैंक खातों में पहली किश्त और पौने तीन करोड़ लोगों को दूसरी किश्त भी बैंक खातों में सीधे मिल चुकी है। मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने पहली ही कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिये कि जिनके पास भी खेत हैं, अब उसकी कोई सीमा नहीं होगी। ऐसे सभी किसानों को 6 हजार रुपये की सम्मान निधि मिलेगी। कुछ लोगों ने इस पर टिप्पणियां कीं, लेकिन जब उसकी विवेचना करेंगे तो पाएंगे कि 6 हजार रुपये किसान की जीवन रेखा हैं। ऐसे किसान जो सीमांत हैं, लघु हैं, डेढ़ एकड़, दो एकड़, ढाई एकड़ जोतने वाले हैं, जब फसल का समय आता था, तो निश्चित रूप से उनको कहीं न कहीं पूंजी के लिए, बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, पानी चलाने के लिए किसी

न किसी से कर्ज लेना पड़ता था, सूद देना पड़ता था। उत्पादन का लाभ पाने के बाद वह पैसा उसी सूद और कर्ज में चला जाता था, फिर किसान खाली हाथ हो जाता था, लेकिन यह 6 हजार रुपये की पूंजी उनको मोहताज नहीं करेगी कि किसी से कर्ज मांगें। किसान इन रुपयों से बीज खरीदेंगे, खाद खरीदेंगे और छोटे किसानों के लिए यह पूंजी पर्याप्त होगी और उससे जब लाभ होगा तो पूरा का पूरा लाभ उनको होगा और कुछ लोग कहते हैं कि दोगुना लाभ कैसे होगा? इसी में से दोगुना लाभ होगा। पूंजी सरकार की, उत्पादन का लाभ किसान को, उसको लाभ निश्चित होगा। इसी तरह से सरकार ने सहकारिता एवं कृषि कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांग, जो कि मांग संख्या-1 है, के अंतर्गत 1 लाख 30 हजार 485 करोड़ रुपये का विशाल बजट आबंटित किया है। यह बजट वर्ष 2018-19 के बजट से 83 हजार 785 करोड़ रुपये ज्यादा है, जिसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और कृषि मंत्री जी को बधाई देता हूँ।

उसी तरह पीएम किसान निधि के लिए पिछले वर्ष के रिवाइज्ड एस्टिमेट आबंटन, 2018-19 के 20 हजार करोड़ रुपये को इस वर्ष बढ़ाकर 75 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह उल्लेखनीय है। इस योजना के माध्यम से किसान घरेलू जरूरतों से संबंधित खर्च को पूरा करने में सक्षम हो जाएंगे और उन्हें सूदखोरों के चंगुल में आने से भी बचाया जा सकेगा।

प्रधान मंत्री किसान पेंशन योजना - छोटे और सीमांत किसानों की त्रासदी यह है कि उनके पास बुढ़ापे के लिए बिलकुल भी बचत नहीं हो पाती है। जब तक उनके शरीर में शक्ति है, परिश्रम करते हैं, श्रम करते हैं, मजदूरी करते हैं और पारिश्रमिक पाते हैं। उससे उनकी रोटी चलती है। लेकिन जब 60 वर्ष से ऊपर के हो जाते हैं और शरीर शीर्ण हो जाता है, वे काम करने की स्थिति में नहीं रहते हैं, श्रम नहीं कर सकते हैं तो रोटी के लिए मोहताज हो जाते हैं। ऐसे किसानों के लिए सरकार ने किसान पेंशन योजना लागू की है। साथ ही किसानों को बुढ़ापे में पेंशन दी जाए, इसको सुनिश्चित किया। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पात्र लघु और सीमांत किसानों को तीन हजार रुपये की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। इस स्कीम का टारगेट पहले तीन वर्ष के दौरान पांच करोड़ लाभार्थियों को इसके अंतर्गत लाना है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी स्कीम है, जिसमें शामिल होने की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष की है। मैं वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस स्कीम के लिए वर्ष 2022 तक के लिए 10775 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान

अनुमोदित किया है। साथ ही, मैं उन्हें बधाई भी देना चाहता हूँ। वित्त मंत्री जी जब बजट भाषण का जवाब दे रही थीं, तो उन्होंने घोषणा की थी कि यह पेंशन योजना केवल खेती करने वालों के लिए ही नहीं, अपितु कृषि पर आधारित जो मजदूर हैं, जिनकी रोजी कृषि के माध्यम से चलती है, अब उनके लिए भी लागू की जाएगी, इसके लिए उनको बधाई।

कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अत्यंत महत्वपूर्ण योजना किसान मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना प्रारम्भ की है। जिससे किसानों को बड़ा लाभ पहुंच रहा है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने वर्ष 2019-20 में 324.20 करोड़ रुपये का आबंटन किया है, जो उल्लेखनीय है। सरकार ने इस कड़ी में एक ऐसी नई योजना शून्य बजट प्राकृतिक कृषि की शुरुआत भी की है, जिसे अपनाकर किसान अपनी फसल का उत्पादन दोगुना कर सकते हैं।

ई-नाम योजना की भी एक नई शुरुआत की गई है। जिसके अंतर्गत वर्ष 2019-20 में देश भर में चुनिंदा एक हजार मंडियों में कृषि जिनसों के व्यापार के लिए शुरू किए गए ई-नाम सॉफ्टवेयर से जुड़ने के इच्छुक राज्यों और यूनियन टैरिटरीज़ क्षेत्रों में थोक मंडियों के लिए एक सामान्य ई-मंडी प्लेटफार्म की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है।

महोदय, किस-किस विषय पर कहा जाए, इस विस्तार में जाए बगैर मैं कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2014 से 2019 तक की अवधि में किसानों को सशक्त बनाने के लिए अनगिनत कदम उठाए गए हैं, जैसे 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। किसानों की लागत में कमी लाना। इसी देश का किसान यूरिया खरीदने के लिए लाइन में खड़ा होता था। लाठियां भी बरसती थीं और फिर भी ब्लैक मार्केट में यूरिया महंगे दामों पर लेनी पड़ती थी। लेकिन हमारे प्रधान मंत्री की नीतियों से नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग किया गया। अब यूरिया की कोई कमी नहीं है। आज यूरिया सरल सुलभ है, सस्ता है, समय से मिल रहा है, बिना लाइन के मिल रहा है। इससे किसान खुशहाल है।

‘प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना’ और ‘प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना’ से किसानों को जमीनी स्तर पर बहुत लाभ पहुंचा है। कृषि अनुसंधान और कृषि शिक्षा पर भी सरकार ने पूरा ध्यान दिया है। डिमांड

फॉर ग्रान्ट्स के अंतर्गत मांग संख्या दो में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत बजट दिया गया है। बजट को वर्ष 2018 में 7,800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 8,078.76 करोड़ रुपये किया गया है, जो कि कृषि अनुसंधान के लिए 278 करोड़ रुपये की ज्यादा मदद है। इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए 486 करोड़ रुपये का ज्यादा आबंटन किया गया है। इसमें पशु पालन, दुग्ध और मत्स्य पालन पर जोर दिया गया है।

महोदया, पहली बार इस सरकार ने शिद्धत से यह महसूस किया है कि केवल खेती से किसान की आय नहीं बढ़ पाएगी। पहले भी जब परंपरागत खेती थी, तब भी किसानों की अतिरिक्त आय के लिए पशुपालन ही उनका सबसे बड़ा आधार था। इसके लिए पशुपालन, दुग्ध और मत्स्य पालन मंत्रालय का गठन किया गया है, जिसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, जो यह दर्शाता है कि यह सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है। वर्ष 2019-20 के बजट में वित्त मंत्री जी ने डेयरी और पशुधन के लिए मांग संख्या 40 के अंतर्गत 2,932.25 करोड़ रुपये का विशाल बजट दिया है, जिसका मैं स्वागत करता हूं।

महोदया, यही नहीं, इन कृषि सहायक क्षेत्रों में सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए प्रयास किए हैं, जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसके अंतर्गत सरकार ने अच्छी किस्में, देशी नस्लों का विकास और वैज्ञानिक तरीके से संकर किस्में बनाने पर जोर दिया है। इस सरकार ने आते ही पशुधन सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पशुओं के टीकाकरण का बीड़ा भी अपने कंधों पर उठाया है। इसमें खुरपका और मुंहपका जैसी अन्य बीमारियों को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए प्रयास करना है। वर्ष 2030 तक इन बीमारियों का उन्मूलन करना है। इस योजना के लिए वित्त मंत्री जी ने 500 करोड़ रुपये का बजट इस वर्ष दिया है, जिसका मैं स्वागत करता हूं। मेरा पूरा विश्वास है कि इस टीकाकरण से न केवल घरेलू उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि दूध और पशुधन के उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। जब पशु स्वस्थ होंगे, तो निश्चित ही दूध भी बढ़ेगा।

इसी तरह से मछली पालन को प्रोत्साहन देने के लिए इस सरकार ने अलग से एक मत्स्य पालन विभाग का सृजन किया है। इस विभाग को मांग संख्या 39 के तहत वर्ष 2019-20 के बजट में कुल 804.75 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है, जिसका मैं स्वागत करता हूँ। प्रधान मंत्री जी ने देश में मछली उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए नीली क्रांति का आह्वान किया है। उस क्रांति को गति देने के लिए इस बजट में केन्द्र सरकार द्वारा मत्स्य की एकीकृत विकास एवं प्रबंधन के लिए एक नई योजना बनाई गई है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के विकास की इस नवीन योजना को 550 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। मछुआरों और तटीय जल कृषि जैसे सिंघाड़ा, मखाना इत्यादि के उत्पादन की दृष्टि से विशेष योजनाएं बनाई गई हैं, जिसके अंतर्गत 10 करोड़ रुपये की मत्स्य पालन और जलीय कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निधि स्थापित की गई है। यह प्रशंसनीय है। कृषि और गांव को अलग नहीं किया जा सकता है।

महोदया, कृषि का विकास बिना गांव के विकास के संभव नहीं है और गांव का जो मूलभूत स्वरूप है, उसका विकास बिना कृषि के संभव नहीं है। ग्रामीण विकास पर हमारी सरकार सन् 2014 से ही कार्य कर रही है। गांव के विकास को ही धुरी बना कर बाकी सारी ग्रामीण योजनाएं तैयार की गई हैं। इस बजट में ग्रामीण विकास को गति देते हुए सरकार ने सन् 2018-19 के सापेक्ष जो 1,12,400 करोड़ रुपये के आबंटन को बढ़ा कर 1,17,647.19 करोड़ रुपये कर दिया है। मांग संख्या 84 में यह वृद्धि 5,242 करोड़ रुपये की अभूतपूर्व बढ़ोतरी है, जिसका मैं स्वागत करता हूँ।

महोदया, इसी क्रम में मैं मनरेगा की चर्चा करना चाहता हूँ। मनरेगा के आबंटन के 55 हजार करोड़ रुपये से बढ़ा कर 60 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है। कस्बों में विकास के लिए एक विशिष्ट योजना - डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के लिए 800 करोड़ रुपये दिए गए हैं। मैं इस कदम का स्वागत करता हूँ। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में समेकित परियोजनाओं के आधार पर अवसंरचना का उपलब्ध कराना, आर्थिक कार्यकलापों, कौशल विकास करना, मिशन के अंतर्गत ग्रामीण जीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए गांवों को क्लस्टर अर्बन गांवों के रूप में विकसित करना है। इसी तरह से दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार जुटाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। ग्रामीण बुनियादों का ढांचा बनाने के लिए बजट में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए तीसरे चरण घोषणा की

गई है। इसके तहत पांच वर्षों में 1.25 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण करने की योजना है, जिसका कुल बजट 80,250 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। वित्त मंत्री जी ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना सन् 2019-20 19 हजार करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। इसी तरह ग्रामीण आवास निर्माण के दूसरे चरण में सन् 2019-20 से 2021-22 के बीच लगभग 1.95 करोड़ नए घर बनाए जाने की योजना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले चरण में 82 हजार करोड़ रुपये की लागत से एक करोड़ घर बनाए गए हैं।

महोदया, इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों से एक बात निकल कर आई है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपका समय समाप्त हो गया है। अब आप खत्म करें।

...(व्यवधान)

श्री रमापति राम त्रिपाठी: महोदया, बस पांच मिनट और। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: पांच मिनट नहीं, अब आप खत्म करें।

...(व्यवधान)

श्री रमापति राम त्रिपाठी: महोदया, मैं पहली बार बोल रहा हूँ। पिछले वर्ष जुलाई से शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में मंहगाई की दर कम रही है, जो कि इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मोदी सरकार की जनहितकारी, विकासकारी और कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में दिखने लगा है।

महोदया, मैं आपकी अनुमति से कुछ अपनी क्षेत्रीय समस्याओं का उल्लेख करना चाहूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया से चुन कर आता हूँ। मेरा क्षेत्र कृषि प्रधान इलाका है। कृषि पर आधारित मजदूरों का इलाका है। वहां पर जो स्थिति है, वैसे लगभग 12 जिले इधर और सटा हुआ बिहार है, उसके भी सात-आठ जिलों को मिला कर कृषि अनुसंधान, कृषि शिक्षा, तकनीकी जानकारी के लिए कोई केंद्र नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि सन् 1954 में देवरिया जिले में बाबा राघव दास, जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके नाम पर एक कृषि स्नातकोत्तर विद्यालय चल रहा है, जो अपने संसाधनों से लगभग 12 संकायों के द्वारा शोध कर रहा है और लोगों को शिक्षित कर रहा है।

जो अपने संसाधनों से लगभग 12 संकायों के द्वारा शोध कर रहा है, लोगों को शिक्षित कर रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि उस क्षेत्र की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, चूँकि कृषि का विकास करना है, आय को दुगुना करना है, जो प्रधान मंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, तो निश्चित ही उसको वैज्ञानिक आधार भी देना होगा, शोध भी बढ़ाना होगा, तकनीकी शिक्षा भी देनी होगी। इसलिए बाबा राघवदास स्नाकनोत्तर महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया जाए। यह मेरी माँग है।

दूसरी चीज, मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री किसान बीमा योजना में यह स्थिति आई है कि हमारे पूर्वी जिलों, जिनमें गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, देवरिया और कुशीनगर हैं, अचानक अतिवृष्टि हुई। खेत पानी से लबालब भर गए, मकान गिर गए और उल्लेखनीय बात है कि रोपाई के समय जिन लोगों ने बेहन डाली थी, बेहन अभी जमी थी, वह डूब गई। जिन लोगों ने थोड़ी पहले रोपाई कर दी थी, वह खेत भी डूब गए और नष्ट हो गए। किसान इससे त्रस्त हो गया। जहाँ बरसात से खुशी हुई, वही जो लोग इसमें कुछ आगे बढ़ गए थे, उनकी स्थिति दयनीय हो गई, इसलिए इस स्थिति को भी बीमा में कवर किया जाए। यह मेरी माँग है। साथ ही, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि इन प्रयासों से भारतीय कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास को एक नई गति मिलेगी।

अंत में, कृषि, ग्रामीण विकास की अनुदान माँगों 1, 2, 3, 9, 30 और 84 के समर्थन में मैं अपनी बात कहते हुए, आपने समय दिया, आप सब लोगों ने सुना, इसके लिए धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

[अनुवाद]

प्रोफेसर सौगत राय (दम दम):... (व्यवधान) महोदया, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ।

माननीय सभापति: कृपया उस नियम को पढ़ें जिसका आप हवाला दे रहे हैं।

प्रो. सौगत राय: महोदया, मैं नियम 352(11) और 353 पढ़ रहा हूँ: 'कोई सदस्य अध्यक्षपीठ की अनुमति के बिना लिखित भाषण नहीं पढ़ेगा।'

देवरिया के माननीय सदस्य जी आपकी अनुमति के बिना एक लिखित भाषण लगातार पढ़ रहे थे।
... (व्यवधान)

माननीय सभापति: नहीं, ऐसा नहीं है.....^{25*}

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : वीरेन्द्र जी, बैठिए।

^{25*} कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

^{26*} **श्री एस. एस. पलानीमणिकम (तंजावुर):** सभापति महोदया, इस अवसर के लिए धन्यवाद। मैं कृतज्ञता के साथ *मुथामिज अरिन्नार* डॉ. कलइन्नार जिन्होंने मुझे पहचाना और संरक्षण दिया तथा मेरे *ज्ञानगुरु* श्री मुरासोली मारन जिनका हाथ पकड़कर मैं संसद तक आया और जिन्होंने संसदीय परिपाटियों और पद्धतियों के संबंध में मेरा मार्गदर्शन किया, को याद करता हूँ। मैं डी.एम.के. नेता थलापति एम. के. स्टालिन को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने संसद में मेरा दूसरा अध्याय शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं 9^{वीं} बार मेरे लिए मतदान करने और छठी बार इस प्रतिष्ठित सभा के सदस्य के रूप में मुझे चुनने के लिए तंजावुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की सराहना करता हूँ। कृषि मंत्रालय के नियंत्रण के तहत अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

“उझुधुन्दु वइवारे वाइवार

मतरेल्लामथोझुधुन्दु पिसल पावर”

इसका अर्थ यह है कि जो किसान खेत में जुताई करते हैं, वे वास्तव में जीवित रहते हैं और किसान जो उपजाते हैं, बाकी सब लोग उस खाने के अधीन होते हैं। अब किसान अपना महत्व खो चुके हैं और अन्य पेशे के लोगों के अधीन हो गए हैं। मुझे चिंता है कि क्या राष्ट्र किसानों की दयनीय स्थिति से अवगत है और वर्ष 2014 में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद उनकी आजीविका कैसे प्रभावित होती है, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमारे किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। वे वर्ष 2019 में भी यही नारा क्यों लगा रहे थे? इसका कारण यह है कि आपके नारों और आपके कार्यों के बीच बड़ा अंतर है।

मुझे इस सरकार पर भरोसा नहीं है। मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ कि पाँच साल बाद जब आप चुनाव में जाएं तब भी आपको किसानों की आय दोगुनी करने का यही नारा लगाना होगा। आप किसानों की

^{26*} मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

आय तभी दोगुनी कर सकते हैं जब आप बजट में उचित निधि आबंटन के माध्यम से अपने कार्यों में सिद्ध करेंगे और उनके कृषि उत्पादों का लाभकारी मूल्य प्रदान करेंगे।

इस देश के किसानों ने आपकी बातों पर विश्वास किया कि जब आप वर्ष 2019 में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव में गए, उस समय हम मानसून की विफलता, भारी बारिश, बाढ़, चक्रवात और सूखे के कारण प्रभावित हुए थे, हमें उम्मीद थी कि आप कृषि ऋण माफ़ कर देंगे। लेकिन आपने ऐसा कुछ किया नहीं। आप कहते हैं कि आपकी योजना इस देश के प्रत्येक किसान को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की है। कृषि पर लोकसभा में उठाए गए प्रत्येक प्रश्न के लिए, इस सरकार ने बार-बार कहा है कि प्रत्येक किसान को 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है।

आपने पिछले 5 वर्षों के दौरान कार्यान्वयन के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। संसद में उठाए गए एक प्रश्न के उत्तर में, मैं वर्ष 2014-15 और वर्ष 2018-19 के बीच कृषि क्षेत्र में विकास की गति के बारे में विवरण देना चाहूँगा। वर्ष 2014-15 में यह शून्य से 0.2 प्रतिशत नीचे थी। वर्ष 2015-16 के लिए यह 0.6 प्रतिशत था। वर्ष 2016-17 के दौरान विकास दर 6.3 प्रतिशत थी और वर्ष 2017-18 के दौरान यह 3 प्रतिशत थी। ये सरकार द्वारा प्रदान किए गए विवरण हैं। लेकिन निजी स्रोतों ने कृषि के क्षेत्र में वृद्धि दर 2.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है जो पिछले वर्ष की तुलना में कम है। मेरा मानना है कि आप इस तथ्य से अवगत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक स्थायी विकास दर्ज नहीं कर सकती है यदि कृषि क्षेत्र में विकास हर साल कम से कम 4 प्रतिशत नहीं है। यदि आपसे कृषि के विकास में गिरावट के रुझान के बारे में पूछा जाए, तो आप इसे राज्य का विषय बताते हैं। आप किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाओं की घोषणा करने का दावा करते हैं। सरकार भारी बारिश, बाढ़, चक्रवात और सूखे के कारण कृषि क्षेत्र की विकास दर में गिरावट का हवाला दे रही है।

हम किसान इन कारणों का हवाला दे सकते हैं लेकिन सरकार ऐसा कैसे कह सकती है? . "गंगा में स्नान करने से स्त्री की अपवित्रता तो साफ हो जाती है, लेकिन जब गंगा ही अपवित्र हो तो हम कहां जाएंगे"?

मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं? कृषि उत्पादों के लिए मूल्य निर्धारण तंत्र किसानों के लिए मददगार नहीं है। इस महती सदन को संबोधित करते हुए हमारे माननीय वित्त मंत्री ने गर्व के साथ कहा कि यह एकमात्र केंद्र सरकार है जिसने सभी उत्पादों का एम.एस.पी. तय किया है। मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों द्वारा केवल धान, गेहूँ और गन्ने जैसी कुछ फसलों के लिए एम.एस.पी. तय किया गया था, जब वे सत्ता में थे। माननीय मंत्री द्वारा दिया गया बयान सत्य नहीं है। वर्ष 1985-86 से लेकर अब तक लगातार सरकारें कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारण के लिए प्रयास करती रही हैं। हम स्वीकार करते हैं कि कृषि क्षेत्र में वृद्धि अपेक्षित स्तर तक नहीं रही है। कृषि उत्पादों के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए मूल्य निर्धारण तंत्र ने किसी भी तरह से किसानों की आय बढ़ाने में मदद भी नहीं की है। पिछले पांच वर्षों के दौरान आप मूल्य निर्धारण तंत्र में सुधार करके अपनी पहचान बनाने में असफल रहे हैं। इस परिदृश्य में इस देश के लोग यह कैसे सोच सकते हैं कि सरकार किसानों की आय तीन गुना कर देगी? यदि आप वर्तमान बजट में कृषि मंत्रालय के लिए प्रदान किए गए बजट अनुमान की पिछले वर्ष से तुलना करते हैं, तो अगर हम किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित धनराशि को अलग रख दें तो आबंटन में कोई बड़ी वृद्धि नहीं हुई है। यह जमीनी हकीकत है, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँच सकते हैं? . यदि किसान की आय का मुख्य स्रोत कृषि है तो उसे जन्म से मृत्यु तक ऋण में रहना पड़ता है।

यदि आप संबंधित क्षेत्रों को देखें, तो भारत दुग्ध उत्पादन में एक प्रमुख स्थान रखता है। दुनिया भर में उत्पादित दूध का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा भारत से होता है। हमें इस उपलब्धि के लिए डॉ. कुरियन का आभारी होना चाहिए। दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान बनाए रखने के लिए इस सरकार ने क्या पहल की है? पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में चालू वर्ष के लिए 2000 करोड़ रुपये की कमी है। आप अपनी उपलब्धियों को कैसे बनाए रख सकते हैं? इस देश में दुग्ध के रिकॉर्ड उत्पादन के बाद भी और दुग्ध उत्पादों पर 40 प्रतिशत आयात शुल्क तय करने के बाद भी आयात में कमी क्यों नहीं आई है? देश में दुग्ध उत्पादों के आयात को कम करने के लिए सरकार की ओर से कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है। आपको अनुसंधान और विकास गतिविधियों को महत्व देना होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र मुर्गीपालन है। पोल्ट्री उत्पादों पर

30 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने के बाद भी, केएफसी और अन्य एम.एन.सी. हमारे देश के विभिन्न राज्यों में अपना आधार कैसे स्थापित कर रहे हैं? हम खाना पकाने के साथ-साथ खाने में भी अच्छे हैं।

हमारे पोल्ट्री अनुसंधान संगठन को इस क्षेत्र में अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, हमारे पोल्ट्री किसानों के पास अंडे बेचना उनकी आय का एकमात्र स्रोत है। नामाकल के मेरे मित्रों का कहना है कि पोल्ट्री किसानों को अंडों के लिए कोई स्थायी या निश्चित कीमत नहीं मिलती। इसलिए सरकार को अंडे की कीमत तय करनी चाहिए। मुर्गे की टांगों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि हमारी मुर्गियों के भी पैर हैं। मत्स्य पालन क्षेत्र में हम दुनिया में मछली के तीसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं।

माननीय सभापति: श्री पलानीमणिकम जी आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री एस.एस. पलानीमणिकम: महोदया, मुझे पता चल सकता है कि मेरी पार्टी के लिए कितना समय आबंटित किया गया है।

माननीय सभापति: मैं प्रारंभ से ही उदार थी लेकिन समय समाप्त हो गया है। समय समाप्त हो चुका है।

श्री एस.एस. पलानीमणिकम : महोदया, मेरे लिए या मेरी पार्टी के लिए कितना समय आबंटित किया गया है?

माननीय सभापति: तो समय 10 मिनट था।

श्री एस.एस. पलानीमणिकम: डी.एम.के. के लिए, जो इस सदन में तीसरा सबसे बड़ा दल हैं।

माननीय सभापति: आप पहले ही 2 अतिरिक्त मिनट के लिए बोल चुके थे। आपकी पार्टी के एक और वक्ता हैं। मैंने आपको 2 अतिरिक्त मिनट दिए हैं।

श्री एस. एस. पलानीमणिकम: मैं उस सदस्य को नहीं बोलने के लिए कहूंगा। मैं उस समय का भी उपयोग करूंगा।

माननीय सभापति: मैं इससे सहमत हूँ 5 मिनट और।

श्री एस. एस. पलानीमणिकम: मैं वर्तमान लोक सभा के दौरान अपने रुचि के क्षेत्र पर इस उद्घाटन भाषण का उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे लिए अतिरिक्त समय आबंटित करें।

मछली उत्पादन में हम विश्व में तीसरे स्थान पर हैं। लगभग 65 प्रतिशत घरेलू उत्पादन है। पिछले वर्षों के दौरान निर्यात के माध्यम से हमने लगभग 45,000 करोड़ रुपये कमाए। पड़ोसी देश, पूंजीपति देश हमारे समुद्री संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। सुरक्षा के नाम पर हमारे मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समुद्र में नहीं जा सकते। यदि मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरते हैं तो उनका जीवन सुरक्षित नहीं रहता, समुद्री संसाधनों का दोहन होता है। समुद्री अंतरराष्ट्रीय कानून के माध्यम से मछुआरों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। जब नौसेना भी ड्यूटी पर थी तब मछुआरे तट पर सतर्क थे। हमारे मछुआरों और उनके जीवन की रक्षा हमारी थल सेना और नौसेना द्वारा की जानी चाहिए। मछली उत्पादन में हम विश्व में शीर्ष स्थान बरकरार रख सकते हैं। हमारे मछली निर्यात में सुधार होगा जिससे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। यह हमारे मछुआरों की आजीविका की स्थिति में सुधार का अवसर होगा। हर साल कृषि उत्पादों के लिए मूल्य निर्धारण तंत्र सरकार की मनमानी के अनुसार नहीं होना चाहिए।

डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन समिति की प्रतिवेदन के अनुसार, 100 प्रतिशत उत्पादन लागत, जोखिम प्रबंधन के लिए 20 प्रतिशत लागत और 25 प्रतिशत लाभ, कुल मिलाकर 150 प्रतिशत, कृषि उत्पादों के लिए एम.एस.पी. तय करते समय शामिल किया जाना चाहिए। मैं यह बताना चाहता हूँ कि तभी किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सकता है। एक तरफ कृषि ऋण में वृद्धि की जानी चाहिए। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस सरकार द्वारा कई कृषि योजनाएँ लागू की गई हैं। लेकिन इस सरकार द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों और जमीनी हकीकत के बीच बहुत बड़ा अंतर है। वर्ष 2004-05 के दौरान नई कृषि ऋण नीति शुरू की गई थी। उस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों, निजी बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा वितरण की राशि 80000 करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी। यह राशि तीन वर्ष में तीन गुना होकर 2,40,000 करोड़ रुपये तक पहुँच गई। इसके प्रभाव से अब कृषि ऋण वितरण 13 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों और निजी बैंकों को अपने ऋण वितरण का कम से कम 18 प्रतिशत किसानों को देना

चाहिए। लेकिन कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक किसानों को उनके ऋण वितरण का 18 प्रतिशत नहीं देता है। सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और किसानों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करना चाहिए। किसान कृषि गतिविधियों में तभी शामिल हो सकते हैं जब उन्हें ऋण मिले, चूंकि सभापति जी समय के बारे में चिंतित हैं, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले केवल कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ही बताऊंगा। यदि आप वास्तव में किसानों की आय को दोगुना करना चाहते हैं तो आपको तीन या चार चीजें करनी चाहिए। मिश्रित खेती केवल किसानों की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। डेयरी, मुर्गीपालन और मत्स्यपालन को भी महत्व दिया जाना चाहिए। जैसा कि माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने कहा है, केवल खराब होने वाली वस्तुओं को संरक्षित करके ही हम किसानों की आय बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। किसानों को उनकी कृषि उपज का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। बैंकों को किसानों को उदार तरीके से कर्ज देना चाहिए। यह कभी मत सोचो कि कर्ज माफी किसानों के लिए एक एहसान है। यदि आप हर साल कृषि क्षेत्र के लिए माफ करते हैं तो आप औद्योगिक क्षेत्र में माफ किए गए ऋणों के साथ-साथ कृषि क्षेत्र के ऋणों के बीच भी संतुलन नहीं बना सकते।

हमारी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। यदि कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत की वृद्धि सुनिश्चित नहीं की जाती है, तो सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में सतत विकास नहीं कर सकती है। हमें अपने किसानों की पीड़ा को कम करना चाहिए। इस गरिमामय सभा के लगभग 95 प्रतिशत सदस्य किसी न किसी रूप में खेती से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं सदस्यों से हमारे किसानों के हितों की रक्षा के लिए चिंता करने का आग्रह करता हूँ। इस अवसर के लिए धन्यवाद।

अपराह्न 4.00 बजे

माननीय सभापति: अपनी टिप्पणी में, माननीय सदस्य जी ने कहा कि अपर्याप्त समय आबंटित किया गया था और इसे बदला जाना चाहिए क्योंकि अधिक समय प्रदान किया गया था।

श्रीमती प्रतिमा मण्डल (जयनगर): सभापति महोदया, मैं 2019-20 के लिए ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालयों के तहत अनुदान की माँगों पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ।

अपराह्न 4.01 बजे

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए)

विषय पर आने से पहले मैं सभा का ध्यान एक महत्वपूर्ण बात की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। केंद्र सरकार ने इतनी गर्व से घोषणा की है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2020 के अंत तक 3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी और इस तरह यू.के. अर्थव्यवस्था से आगे निकल जाएगी। इससे पहले कि सरकार इसे सार्वजनिक ब्रेन-वॉशिंग प्रचार के अपने बढ़ते गुब्बारे को फुलाने के लिए एक और बैनर के रूप में उपयोग करे, मैं एक तथ्य सामने रखना चाहती हूँ जिसे इस सरकार ने लगातार नजरअंदाज किया है।

2018 में, भारत ने 2.6 ट्रिलियन डॉलर की दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में फ्रांस को पीछे छोड़ दिया। लेकिन यह सरकार अपने लोगों को यह नहीं बताती है कि मात्र 65 मिलियन लोगों का देश होने के कारण फ्रांस 2.58 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जी.डी.पी. पैदा कर रहा है, जबकि भारत 1.3 बिलियन की महाद्वीपीय आबादी का घर 2.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश है। और जल्द ही यह आंकड़ा 66 मिलियन लोगों वाले देश यूके से आगे निकल जाएगा। और, एक बार फिर, जब भारत अंततः कम आबादी वाले दूसरे यूरोपीय देश से आगे निकल जाएगा, तो सच्ची तस्वीर कभी सामने नहीं आएगी और सुर्खियां आम जनता को गुमराह करती रहेंगी।

तो, यह वास्तव में हमारे देश के आम आदमी के लिए क्या मायने रखता है? जबकि दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का हिस्सा होने की सुर्खियां उन्हें दिन के अंत में गर्व की खोखली भावना देंगी, तब वह पूछेंगे, “इसमें मेरा क्या लाभ; मेरी क्रय क्षमता क्या है; और यह वांछित स्तर तक क्यों नहीं पहुंच पाया है?”

मैं अब क्षेत्र विशेष समस्याओं और आम आदमी के हितों की बात करती हूँ। यह कहना सही है कि “भारत गाँव में बसता है” - भारत अपने गांव में रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रामीण भारत में कुल भारतीय आबादी का 67 प्रतिशत शामिल है। यह बहुसंख्यक आबादी सभी दृष्टि से शहरी मानक से बहुत पीछे है।

जबकि हम सभी इस बात से अवगत हैं कि जब शहरी क्षेत्र भी स्वस्थ स्थिति में नहीं हैं, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ग्रामीण भारत की स्थिति कितनी खराब होगी।

इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है जो जीडीपी में 15.87 प्रतिशत का मामूली योगदान देती है। पांच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का जो सपना है, इसके जरिए सरकार लोगों के हाथों में कितना पैसा देना चाहती है? या क्या यह इसी तरह के चल रहे दुष्प्रचार को आगे बढ़ाएगा जहाँ 73 प्रतिशत संपत्ति एक प्रतिशत आबादी के हाथों में केंद्रित है?

किसानों की आय अक्टूबर से दिसंबर 2018 तक 14 वर्षों की सबसे भरी गिरावट दर्ज की गई। सकल मूल्य वर्धित एकल अंक का कम होना वास्तविकता को दर्शाता है।

सत्तारूढ़ पार्टी के चुनाव जनादेश में कृषि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था। इस क्षेत्र को इस बजट में इसका लाभ मिल सकता था लेकिन यह ऐसा करने में विफल रहा है। मैं इसलिए विस्तार से बताना चाहूँगा ताकि आम आदमी को पता चले कि वास्तविकता क्या है क्योंकि केवल धन का आबंटन विकास सुनिश्चित नहीं करता है।

सबसे पहले, महोदय, कुल बजट में ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए आबंटन 2018-19 के 4.7 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 4.4 प्रतिशत हो गया है। इस प्रकार, यह दावा बिल्कुल निराधार है कि इसे पिछले वर्ष की तुलना में 5,200 करोड़ रुपये अधिक आबंटित किये गये हैं। हिस्सेदारी के लिहाज से इसमें कमी आई है और 0.3 प्रतिशत एक बहुत बड़ा मूल्य है।

महोदय, भारत को विद्युतीकृत करने में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। वित्त मंत्री ने अपने बजट में यह भी उल्लेख किया कि जो भी घर इच्छुक हैं, उनका पूरी तरह से विद्युतीकरण किया जाएगा। तो, मेरा प्रश्न यह है। क्या सरकार ने प्रौद्योगिकी के प्रति इस घृणा के पीछे के कारण को जानने का प्रयास किया या फिर इस मुद्दे को उठाकर अपनी झूठी सफलता का प्रदर्शन किया? यह जानकर बहुत दुख होता है कि 31 मिलियन घर अभी भी अंधेरे में हैं क्योंकि केवल एक बल्ब वाले गाँव के 10 प्रतिशत घर को सरकार के अनुसार विद्युतीकृत माना जाता है। महोदय, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

की वास्तविकता उतनी उज्ज्वल नहीं है, जितनी दर्शाई गई है, क्योंकि यह इस सरकार का मस्तिष्क की उपज नहीं है। यह पहले से चल रही राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना शामिल हो गई। इसके अलावा, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी सफलता दर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लगभग 1.7 करोड़ लोगों की मौजूदा बीपीएल ग्राहक संख्या को जोड़ा है। पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल रिपोर्टिंग प्रणाली में विसंगतियों की पुष्टि करता है। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि 13 प्रतिशत या 3.25 करोड़ एल.पी.जी. उपभोक्ता निष्क्रिय हैं - हरियाणा में सबसे अधिक, एक बड़े पैमाने पर 40 प्रतिशत उपभोक्ता निष्क्रिय हैं। ऐसा लगता है कि सरकार आँकड़ों का एक सेट प्रदर्शित करके जनता की सोच में हेरफेर कर रही है। मैं कैग की एक रिपोर्ट रखना चाहती हूँ जिसमें उल्लेख किया गया है:

"प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना, योजना की शुरुआत से पहले एल.पी.जी. कनेक्शन वाले परिवार सालाना औसतन 6.27 सिलेंडर की खपत कर रहे थे, लेकिन योजना की शुरुआत के बाद यह संख्या घटकर 5.6 सिलेंडर हो गई।"

इसलिए, इसके लिए आपका क्या बहाना है माननीय प्रधानमंत्री जी? आंकड़े पूर्णतः प्रामाणिक हैं।

अब, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो यह जानकर डर लगता है कि इस योजना पर कोई ब्लॉक या जिला स्तर की रिपोर्टिंग मौजूद नहीं है। केवल राज्य स्तर के आंकड़े उपलब्ध हैं। कैग प्रतिवेदन में कहा गया है कि:

"नियमों का उल्लंघन करते हुए गुजरात और झारखंड सहित कुछ राज्यों में आवास पूरा करने में दो वर्ष से अधिक का समय लग रहा था।"

दिसंबर 2018 तक लक्ष्य का केवल 8 फीसदी ही हासिल किया जा सका और 2019 के आधे हिस्से तक 1.54 करोड़ घर पूरे करने का दावा किया गया है। यह सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहा है। 'वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास' पूरी तरह से एक राजनीतिक नौटंकी है। यह एक बड़ी पहल है कि जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है। लेकिन स्वजल योजना जैसी कई जलापूर्ति योजनाओं की विफलता के बारे में क्या हुआ।

महोदय, अगर यह सफल होती तो आधे से अधिक भारत दुर्भाग्यपूर्ण सूखे की स्थिति के कारण पीड़ित नहीं होता। यहाँ तक कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और मीडिया चेन्नई में पानी की कमी से निपटने में भारत की क्षमता पर भी प्रश्न उठा रहे हैं। सरकार वास्तव में कब काम करेगी और या सिर्फ अपना गुणगान ही करती रहेगी, जबकि हकीकत में जनता त्रस्त है?

दूसरा, कृषि क्षेत्र में हम संरचनात्मक परिवर्तनों की उम्मीद कर रहे थे जो इस बजट में शून्य होंगे। बल्कि, सरकार अंग्रेजों का "पुरस्कार और दंड" वाला दृष्टिकोण अपना रही है। एक तरफ सरकार किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की सम्मान राशि दे रही है। दूसरी ओर यह उन्हें उसी पुराने बुनियादी ढांचे का पालन करने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिसमें बदलाव की ज़रूरत है। कृषि संकट के कई आयाम हैं। पहला उच्च निवेश लागत है; दूसरा सीमांत किसानों के लिए संस्थागत वित्त की सीमित पहुंच है; तीसरा शोषणकारी प्रकृति है जिसमें खुदरा कीमतों का केवल एक तिहाई किसानों तक पहुंचता है; और चौथा यह है कि पीडीएस प्रणाली 24 फसलों के लिए खरीद संचालन नहीं करती है जिसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना और इनाम जैसी सफल योजनाओं के सरकार के दावे वास्तविकता में नज़र नहीं आते हैं। हमें यह समझने में कितना समय लगेगा कि ऋण माफी और आर्थिक सहायता इस क्षेत्र की समस्याओं को हल करने की कुंजी नहीं है? यदि ऐसा होता, तो हम किसानों की आत्महत्याओं में कमी देखते। अकेले महाराष्ट्र में पिछले चार वर्षों में आत्महत्याओं की संख्या में 91 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हम 2019 में पूरे भारत में गंभीर सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं। इस परिदृश्य में, मनरेगा के तहत काम तलाशने वाले लोगों की संख्या बढ़ना तय है। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने इसके आबंटन में 1084 करोड़ रुपये की कटौती कर दी। यह कितना न्यायसंगत है?

मंत्री ने 1592 महत्वपूर्ण ब्लॉकों की पहचान भी की लेकिन इस चुनौती के समाधान के लिए किसी प्रस्ताव का संकेत नहीं दिया।

वित्त मंत्री ने शून्य बजट खेती के बारे में बात की। बुनियादी बातों पर वापस जाएं तो यह कैसे संभव है जब उर्वरक के क्षेत्र में लगभग कोई विस्तारित मदद नहीं है? पिछले पाँच वर्षों के दौरान यूरिया में बिलकुल भी सब्सिडी नहीं दी गई और इसे फिर से दोहराया गया। उर्वरक सब्सिडी योजना में किसी भी सुधार के बिना, किसानों से जैविक खेती की ओर मुड़ने की उम्मीद करना अवास्तविक है। यहाँ यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्लाइफोसेट का व्यापक उपयोग देश को नुकसान पहुँच रहा है क्योंकि यह एक कैंसरकारी तत्व है और कई देशों में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जबकि हम इसका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं।

मैं इस अवसर पर अपने राज्य की सफल योजनाओं पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगी। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के तहत, एक जल धरो, जल भरो योजना है जिसका उद्देश्य वर्षा जल संरक्षण और सिंचाई में पानी के प्रभावी उपयोग के लिए नागरिकों को जागरूक करना है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। आज बंगाल में कोई घर नहीं है जो पानी से वंचित हो। बंगाल में माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी द्वारा शुरू की गई कई अभिनव योजनाओं के कारण पिछले सात वर्षों में किसानों की आय तीन गुना बढ़ गई है। कृषक बंधु योजना राज्य में किसानों और भूमिहीन मजदूरों के हितों का समर्थन करती है। मैं एक रूपक प्रस्तुत करके अपनी बात समाप्त करना चाहूँगी जो भारत की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करेगा।

आइए हम सरकार को एक शल्यचिकित्सक, भारतीय अर्थव्यवस्था को उसका रोगी तथा भारतीय जनसंख्या को रोगी का परिवार सदस्य मानें। यह चिकित्सक क्या कर रहा है कि वह रोगी को इसकी आवश्यकता के अनुसार इलाज नहीं दे रहा है। इसके बजाय, वह रोगी को बाहर पर मेकअप दे रहा है, जबकि अंदर के प्राथमिक अंग खराब हो रहे हैं और बाहरी दिखाकर अपने परिवार को मूर्ख बना रहे हैं जो वास्तविक तस्वीर नहीं दिखाता है, उन्हें बता रहा है कि सभी अच्छी और अच्छी हैं, इससे पहले कि उनके लिए स्थिति को बचाने में बहुत देर हो जाए।

माननीय सभापति महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री मेरी टिप्पणियों को स्पष्ट करेंगे जैसा कि मैंने यहां रखी है।

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, जो लोग अपना लिखित भाषण सभा-पटल पर रखना चाहते हैं, वे रख सकते हैं। इसे सदन की कार्यवाही का हिस्सा माना जाएगा।

श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी (नंदयाल): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले, मैं आपको लोकतंत्र के मंदिर में बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, जहाँ कई महान लोगों ने लोगों के जीवन को बदलने के लिए कड़ी मेहनत की है। पहली बार सदस्य होने के नाते सदन में यह मेरा पहला भाषण है। मैं आने वाले दिनों में सभा की कार्यवाही से सीखना और उसमें योगदान देना चाहता हूँ।

मैं आंध्र प्रदेश के नांदयाल निर्वाचन क्षेत्र से हूँ, जहाँ भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी और महान परोपकारी बुद्ध वेंगल रेड्डी का जन्म हुआ था। मुझे इस प्रतिष्ठित सभा को यह बताते हुए खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि मैं उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, जिसका प्रतिनिधित्व भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. नीलम संजीव रेड्डी गारू और भारत के पूर्व प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने किया था।

मैं सरकार के ध्यान में ग्रामीण भारत, मुख्यतः कृषि क्षेत्र के समक्ष उपस्थित गंभीर संकट को लाना चाहता हूँ। सरकार ने कृषि संकट को हल करने और वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कुछ उपाय किए हैं। मैं यहाँ कृषि संकट को हल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों का उल्लेख कर सकता हूँ। वे हैं:

1. जिसके तहत छोटे और गरीब किसानों के खातों में सीधे 6,000 रुपये प्रति वर्ष हस्तांतरित करना।
2. ई-नाम और ई-ग्राम बनाए।
3. मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत की गई।
4. किसानों के लिए डेढ़ गुना एम.एस.पी. की गारंटी
5. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 99 बड़ी नहर सिंचाई परियोजनाओं का पुनरुद्धार करना।

उपरोक्त सभी उपायों और कई अन्य उपायों के सामूहिक परिणाम के कारण अनाज, सब्जियों, फलों, दूध और मछली का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है।

ग्रामीण भारत पुराने आर्थिक संकट, बेरोजगारी की उच्च दर और किसानों की आत्महत्या से जूझ रहा है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी किसानों से शादी करने को तैयार नहीं है, जिससे आर्थिक संकट के साथ-साथ भारी सामाजिक संकट भी पैदा हो गया है। कृषि विकास धीमा रहा है और मजदूरी वृद्धि में गंभीर गिरावट आई है। दिसंबर 2018 में ग्रामीण मजदूरी साल दर साल अनुमानित 3.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी। मुद्रास्फीति के कारण यह 2.3 प्रतिशत तक गिर जाता है, जो पिछले 15 वर्षों में अब तक का सबसे कम है। इससे पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

2017 के बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य में डेढ़ गुना वृद्धि की गई थी, हालांकि, एम.एस.पी. की गणना करने की विधि त्रुटिपूर्ण है। इसमें भूमि का किराया और प्रबंधन लागत की गणना नहीं की गई है, जिसका अर्थ है कि यह उपाय किसानों को पूर्ण लाभकारी मूल्य प्रदान नहीं कर सका। हालांकि, पहले एम.एस.पी. केवल गेहूं और धान के लिए ही मिलता था। पीएम-आशा योजना के तहत दलहन, तिलहन, बाजरा, कपास और जूट जैसी 23 वस्तुओं के लिए एम.एस.पी. तय किया गया है। पिछले चार वर्षों में सरकार ने गेहूं और धान को छोड़कर, इन 23 जिनसों की खरीद करके किसानों को 75,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं, और इस हद तक यह काम भी हुआ है।

सरकार हर खेत तक पानी पहुंचाना चाहती थी। इसने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की है और इसके लिए 50,000 करोड़ रुपये आबंटित करने का प्रस्ताव किया है। हालांकि, पिछले पाँच वर्षों में वास्तविक आबंटन केवल 9,050 करोड़ रुपये था।

जबकि सुधारों को आम तौर पर अच्छा और स्वागत योग्य कदम माना जाता है, ज्यादातर समय, वे उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहे हैं क्योंकि उन्होंने काश्तकार किसानों और खेत मजदूरों के को नहीं जोड़ पाया। ऐतिहासिक कारणों से भूमि के विषम स्वामित्व के कारण वे भारत में कृषि की एक महत्वपूर्ण रीढ़ हैं। निस्संदेह, इस सरकार के कुछ सुधारों ने कृषि क्षेत्र की मदद की है, लेकिन भारत एक अनूठा देश है और

इसके लिए अद्वितीय समाधानों की आवश्यकता है। पश्चिमी दुनिया का एक ही नीति वाला दृष्टिकोण भारत के लिए काम नहीं करेगा। यदि वास्तव में किसानों की आय दोगुनी हो जाए, तो उनके बच्चों को काम के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और पलायन में कमी आएगी।

मैं रायलसीमा से हूँ, जो एक सूखाग्रस्त और वर्षा छाया क्षेत्र है, जहां जल संसाधन अपर्याप्त हैं।

मैं शिक्षा और पेशे से एक किसान हूँ और मुझे भारत के ग्रामीण और देहाती इलाकों का सीधा अनुभव है। रायलसीमा में युवा दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं क्योंकि पेयजल और सिंचाई के पानी की भारी कमी है। समय के साथ कई सिंचाई नहरें बनी हैं जिनके आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि नहर के आधुनिकीकरण के लिए पी.एम.के.एस.वाई. निधि आबंटित की जाए और पानी की सुविधा प्रदान करने के लिए सिद्धेश्वर वियर का निर्माण किया जाए ताकि संकटग्रस्त प्रवासन और संकट को कम किया जा सके।

केसी नहर भारत की सबसे पुरानी नहरों में से एक है और रायलसीमा के एक हिस्से को सिंचाई और पीने के पानी की सुविधा प्रदान कर रही है। पिछले कुछ समय से नहर को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से तुंगभद्रा नदी पर 20 टी.एम.सी. की क्षमता वाले कुरनूल जिले के गुंड्रेवुला में एक जलाशय बनाने के लिए पी.एम.के.एस.वाई. के तहत धन स्वीकृत करने का अनुरोध करता हूँ। यह कुछ समस्याओं को कम करने में मदद करेगा। आंध्रप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी गारु और तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री, श्री के. चन्द्रशेखर राव गारु ने गोदावरी नदी को कृष्णा नदी से जोड़ने की एक विशाल गतिविधि शुरू की है ताकि कृष्णा नदी में पानी की कमी को गोदावरी के अधिशेष पानी से पूरा किया जा सके। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह दोनों सरकारों का सक्रिय रूप से समर्थन करे और इतनी बड़ी मानवीय गतिविधि की कीमत साझा करें जिससे आने वाले बहुत लंबे समय तक दोनों राज्यों में पानी की समस्या का समाधान होगा और कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे उच्च नदी तटवर्ती राज्यों को भी लाभ होगा।

हमारे प्रिय पूर्व माननीय मुख्यमंत्री, स्वर्गीय डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी, जिन्हें लोग प्यार से वाई.एस.आर. कहते हैं, ने जलयन्म की यात्रा शुरू की थी और पोलावरम, हांड्री-नीवा लिफ्ट सिंचाई, गलेरु नगरी लिफ्ट सिंचाई, पोथिरेड्डीपाडु हेड रेगुलेटर और जैसी पोलावरम, हांड्री-नीवा लिफ्ट सिंचाई, गैलेरु नगरी लिफ्ट सिंचाई, पोथिरेड्डीपाडु हेड रेगुलेटर और रायलसीमा के सूखे क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराने के लिए और भी बहुत कुछ बड़ी परियोजनाएं शुरू की थीं। ये सभी परियोजनाएं पूरी होने के विभिन्न चरणों में हैं। मैं केंद्र सरकार से उन परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने का अनुरोध करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, केंद्र ने जल आबंटन के प्रबंधन के लिए कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड का गठन किया है। मैं केंद्र सरकार से कुरनूल में उनके कार्यालय का पता लगाने का अनुरोध करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र नांदयाल, भारत के सबसे बड़े बीज उत्पादन केंद्रों में से एक है। मैं कृषि में स्नातकोत्तर हूँ और एक किसान होने के नाते, मैं अपना स्वयं का बीज फार्म सफलतापूर्वक चला रहा हूँ और छोटे तथा सीमांत किसानों की अपने तरीके से मदद कर रहा हूँ। मैंने ग्रामीण भंडार योजना के भाग के रूप में निजी भंडारण गोदामों की सुविधा बनाई है। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि एक टीम द्वारा अपनी डॉक्यूमेंट्री में इसे शामिल करने के बाद इसे देश भर में लागू किया गया था।

रायलसीमा सभी प्रकार की मिट्टी और फसलों से समृद्ध है और केंद्र की मदद से हम बीज उत्पादन में चमत्कार कर सकते हैं। मेरे शिक्षक और एक महान अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक, श्री रविन्द्रनाथ गारू ने 'नरसिम्हा' नामक एक नया कपास बीज विकसित किया, जिसका नाम हमारे पूर्व माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री पी.वी. नरसिम्हा राव गारू के नाम पर रखा गया। कुछ ही समय में 'नरसिम्हा' भारत में सबसे प्रसिद्ध और मांग वाला बीज बन गया है। प्रसिद्ध कुरनूल सोना मसूरी चावल हमारे क्षेत्र से है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 1000 एकड़ भूमि उपलब्ध है। हम एक कृषि महाविद्यालय और एक अनुसंधान केंद्र चाहते हैं।

अंत में, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद देने से पहले, मैं कृषि संकट को कम करने के लिए तत्काल, लघु और दीर्घकालिक उपाय सुझाऊंगा: जितना संभव हो सके कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना करें और नियमित स्नातक पाठ्यक्रमों के साथ-साथ बीज उत्पादन, कीट नियंत्रण, मिट्टी परीक्षण, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, आदि; जैसे अल्पकालिक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का विकास करें। कृषि को एक विषय के रूप में पढ़ने के इच्छुक छात्रों को मौद्रिक और आर्थिक सहायता प्रदान करना और उन्हें निवेश के लिए प्रोत्साहित करना; किसानों को समय पर ऋण सुविधा; बिचौलियों और व्यापारियों के घोड़े के खेल पर सख्त नियंत्रण; कृषक समुदाय को निःशुल्क परिवहन सुविधा प्रदान करना; प्रमुख फसलों के लिए अत्यधिक प्रभावी और व्यावहारिक न्यूनतम समर्थन मूल्य; कृषि आधारित उद्योग को सहायता प्रदान करना ताकि कृषि को उद्योग से जोड़ा जा सके; चल रही सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना और प्रभावी जल प्रबंधन तकनीकों के साथ एक ही समय में यथासंभव अधिक से अधिक सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण करना; और कृषि उपज को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने के लिए फसल कटाई के बाद गोदामों का निर्माण करना। इजरायल ने जल प्रबंधन में बहुत अच्छा काम किया है। हमारे पास एक बहुत बड़ा अंतरिक्ष उद्योग है और सरकार को कीट निगरानी, एनपीके निगरानी और उपज की निगरानी और पूर्वानुमान में मदद करने के लिए कृषि विशिष्ट उपग्रह को चालू करने पर विचार करना चाहिए।

माननीय सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी: माननीय सभापति महोदय, एक बार फिर से धन्यवाद। मैं मुझे अवसर देने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों और आंध्र प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

[हिन्दी]

^{27*} **श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर):** ग्रामीण विकास विभाग पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए आपका आभार प्रदर्शन करते हुए मुझे इस बात का परम संतोष और प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गठित एनडीए-1 की सरकार ने भी प्रथम वर्ष और प्रथम दिन से गांव, गरीब और किसान की बेहतरी, खुशहाली और विकास को अपनी सोच और कार्य प्रणाली को केन्द्र में रखा है यह इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम इस वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती मना रहे हैं।

बापू कहा करते थे कि भारत की आत्मा इसके गांवों में बसती है इस तथ्य पर विचार करते हुए कि देश की अधिकांश जनता अभी भी गांव में रहती है और कृषि तथा पारम्परिक उद्योगों पर ही निर्भर है इसलिए हमें खेती के साथ साथ ऐसे उद्योगों को उन्नत बनाकर उत्पादकता और लाभ की उस अवस्था तक ले जाना है जिससे वह रोजगार के पर्याप्त और स्थाई माध्यम सृजित करने में सक्षम हो सके।

इस बात में कोई शक नहीं है कि नरेन्द्र मोदी की लोकप्रिय सरकार के अधिकांश कार्यक्रमों और योजनाओं का सीधा लाभ गांव और वहां बसे लाभार्थियों तक पहुंचने से 7 लाख गांव की सूरत और सीरत बदल रही है मसलन उज्ज्वला योजना को ले तो ग्रामीण भारत के सात करोड़ से अधिक परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देकर उन्हें स्वच्छ और स्वस्थ रसाई उपलब्ध कराई गयी है वहीं सौभाग्य योजना के अन्तर्गत गांव के 100 प्रतिशत गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।

ग्रामीणों की दशा बदलने में दूसरा सर्वाधिक कारगर कदम प्रधान मंत्री आवास योजना के जरिये 1.5 करोड़ से अधिक ग्रामीणों को पक्का घर मुहैया कराना रहा है। इतना ही नहीं प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना से ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत से सामाजिक और आर्थिक लाभ मिले हैं।

^{27*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हकीकत के इस श्वेत पक्ष के साथ-साथ कुछ श्याम पृष्ठ भी हैं मसलन रोजगार के अभाव में बड़ी संख्या में ग्रामीण युवाओं का शहरों और महानगरों का पलायन हुआ है।

कानपुर देहात का प्रतिनिधि होने के नाते मैंने गांव की इस पीड़ा को बहुत शिद्दत से महसूस किया है पलायन की यह स्थिति दिनोदिन विकाराल रूप लेती जा रही है इसके बहुत दूरगामी दुष्प्रभाव सामाजिक, आर्थिक जगत को झेलने पड़ सकते हैं ग्रामीण पलायन के कारण पैदा होते जन सांख्यिकीय असंतुलन से जहाँ शहर की व्यवस्थाएं और आधारभूत संरचनाएं चरमराने लगी हैं और राजधानी दिल्ली समेत देश के अधिकांश शहरों और महानगरों पर बढ़ते जनसंख्या दबाव के कारण परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में लगभग अराजकता जैसी स्थिति पैदा हो रही है वहीं भारत की आत्मा कहे जाने वाले गांव सन्नाटे में हैं कई घरों में ताले लटक रहे हैं तो कुछ एक में वृद्ध माता-पिता महज चौकीदार की भूमिका में देहरी द्वार की इज्जत बचाये हुए हैं।

इस स्थिति से निपटने के लिए और सच्चे अर्थों में विकास को गांव तक पहुंचाने के लिए हमें कृषि को उसके लाभप्रद स्वरूप में लाना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ हमें रोजगार के अन्य वैकल्पिक क्षेत्रों मसलन पशु और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों को लाभप्रद कृषि व्यवस्था का सहभागी बनाना पड़ेगा। हालांकि ग्रामीण डिजिटलीकरण, ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत अभी तक 2 करोड़ से अधिक ग्रामीण भारतीयों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया गया है लेकिन ग्रामीण शहरी डिजिटल अंतर को पाटने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना है क्योंकि यही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से रोजगार और स्वावलम्बन की डगर खुलती है।

बहुत कुछ किया गया है किया जा रहा है और किया जाना बाकी है हमें इस बात का संतोष है कि गांव के प्रति सरकार की नीति और नियत में कोई खोट नहीं है। हम उम्मीद रखते हैं कि भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही के अवरोधों को मिटाकर हम ग्रामीण भारत को भी नए भारत का हमसफर बना सकेंगे।

मैं अपने संसदीय क्षेत्र समेत निकटवर्ती जिलों की बेहद गंभीर एवं ज्वलंत जनसमस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि आगरा, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर

नगर, फतेहपुर और इलाहाबाद जनपदों के यमुना के तटवर्ती भू-भागों की प्राकृतिक, भौगोलिक, वानस्पतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियां बुन्देलखण्ड के समान हैं। यहां पर मिट्टी की किस्म, जल स्तर, फसले और वनस्पतियां बुन्देलखण्ड से निम्नस्तरीय है। उत्तर प्रदेश के सीलिंग एक्ट में भी उक्त क्षेत्रों की समानता बुन्देलखण्ड जैसी होने के कारण कृषि की जोत सीमा से यमुना की गहरी धारा से 16 किमी उत्तर की ओर बुन्देलखण्ड के समान ही रखी है। सूखा राहत व अन्य सुविधाओं के आबंटन में इस क्षेत्र को बुन्देलखण्ड के समतुल्य तो क्या दशमांश भी सुविधाएँ नहीं मिली हैं। मैंने दिनांक 23.04.2015 एवं 02.12.2015 के अंतर्गत लोक सभा अधिनियम 377 के तहत उक्त क्षेत्रों को बुन्देलखण्ड के समान सुविधाएं दिलाये जाने हेतु मांग की थी जिसके संबंध में माननीय गृह राज्य मंत्री जी द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि उक्त प्रकरण को कार्यवाही हेतु प्रदेश सरकार को प्रेषित किया गया है। उक्त प्रकरण कानपुर मंडल के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी कानपुर नगर एवं जिलाधिकारी कानपुर देहात द्वारा क्षेत्र को बुन्देलखण्ड के समान मानते हुए सुविधाएँ प्रदान करने के संबंध में सहमति प्रदान की थी किन्तु उक्त क्षेत्र को अभी तक बुन्देलखण्ड की श्रेणी में नहीं करके लाभ से वंचित रखा गया है।

हमारे क्षेत्र की उक्त जायज एवं जरूरी मांग पर गंभीरता से विचार करते हुए ऊपरवर्णित जनपदों को बुन्देलखण्ड के समान सुविधाएँ प्रदान करने की कृपा करें।

सादर।

28* श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत): श्री नरेन्द्र भाई मोदी सरकार की देश की प्रथम महिला वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट के माध्यम से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि क्षेत्र होगा यह स्पष्ट कर दिया है। सरकार अन्नदाता को उर्जादाता बनाने का प्रयास करेगी। किसानों को जीरो बजट कृषि के माध्यम से अपनी आमदनी बढ़ाने का और अपनी जमीन का स्वास्थ्य सुधारने का प्रयास एवं एक सफल कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है।

सरकार के द्वारा 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने हेतु दूरदृष्टि के साथ योजना बनाकर ठोस कदम उठाने की पहल की जा चुकी है। जिसके परिणाम आने वाले दिनों में मिलेंगे। सरकार द्वारा कृषि बजट में 1,51,518 करोड़ जितनी राशि का आबंटन यह बताता है कि सरकार कृषि को कितना गंभीरता से ले रही है। सरकार की नई योजना तथा तकनीक का कृषि में उपयोग किसान की आमदनी बढ़ाने में, जमीन का स्वास्थ्य बनाने में बहुत कारगर साबित होगी। नए कृषि उत्पादक संघों का बड़ी मात्रा गठन करने से किसान को अपने उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध होगा। यह पहली सरकार है जिस ने दलहन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प पूर्ण किया है। कृषि उत्पादकों के क्षेत्र में सरकार उद्योग साहसिकों को बढ़ावा देकर युवाओं को नये क्षेत्र में कार्य करने का मौका देने जा रही है।

असली भारत गांव में बसता है। ऐसा आजतक कहा जाता था परंतु उस हेतु सुव्यवस्थित प्रयास आज तक नहीं किए गए हैं। वर्तमान सरकार ने यह प्रयास शुरू किए हैं जिसके लिए वर्तमान सरकार माननीय प्रधान मंत्री जी, वित्त मंत्री जी एवं सरकार बढ़ाई के पात्र हैं। वर्तमान सरकार ने 7 मंत्रालयों को एकत्रित करके जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है। जिससे किसानों की सिंचाई की समस्याओं को सुलझाने में आसानी रहेगी। सरकार द्वारा 2024 तक हरघर नल हरघर पानी योजना, उज्जवला योजना एवं सौभाग्य योजना से गांव में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जिससे अपनी संस्कृति को संजोये रखने में एवं अपनी पहचान कायम रखने में बड़ सफलता मिलेगी। हर परिवार को घर इस विचार के साथ माननीय प्रधान मंत्री जी ने गुजरात के मुख्य मंत्री के नाते जो स्वप्न देखा था उसका फलक आज पूरा देश हो गया है। आवास बनाने की समय

28* भाषण सभा पटल पर रखा गया

मार्यादा को 314 दिनों से 140 दिन करने की संकल्प शक्ति सरकार ने जताई है। ग्रामीण डिजिटल साक्षरता के तहत 2 करोड़ गांवों में डिजिटल शिक्षण का वास्तविक रूप में भारत को अंदरूनी तौर पर जोड़ने में सहायक होगा ही परंतु साथ-साथ विश्वस्तर पर हमारे गांवों को जोड़कर क्रांति लाने में भी सहायक होगा।

29* श्री नरेन्द्र कुमार (झुन्झुनू): मैं ग्रामीण विकास एवं कृषि कल्याण मंत्रालय के अनुदान मांगों 2019-20 पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। भारत कृषि प्रधान देश है। राजस्थान वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जिसमें देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10.4 प्रतिशत भू-भाग है। राज्य की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। राज्य में भू-जल की स्थिति बहुत ही विषम है। जल की स्थिति पिछले दो दशकों से बहुत ही तेजी से बिगड़ती जा रही है इसके बावजूद भी राज्य में अनाज उत्पादन 2.5 गुणा से अधिक तथा तिलहन उत्पादन 3.5 गुणा बढ़ी है। राई और सरसों, बाजरा, गवार मोठ, धनिया, जीरा, मेथी, इसबगोल आदि के उत्पादन में राज्य का देश में पहला स्थान है। दलहन उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर आता है।

सरकार की कार्यनीति खेती को व्यवहार्य बनाकर किसानों के कल्याण में फोकस करना है। कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण की अधिकतर योजनाएं विभिन्न कार्यकलापों और योजनाओं के माध्यम से सीधे किसानों को लाभ प्रदान करने पर फोकस करती है। जैसे :- किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के वितरण की प्रमुख योजना का कार्यान्वयन करना ताकि उर्वरकों का इष्टतम उपयोग किया जा सके।

2. प्रति बूंद अधिक फसल पहल जिसके तहत जल के इष्टतम उपयोग के लिए ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
3. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) जिसके अन्तर्गत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।
4. राज्य सरकारों के माध्यम से मंडी सुधार करना।
5. मॉडल संविदा खेती अधिनियम को लागू करके राज्य सरकारों के माध्यम से संविदा खेती को बढ़ावा देना।
6. ग्रामीण हाटों का एकत्रीकरण केन्द्र के रूप में कार्य करने और किसानों से कृषि जिनसों की सीधी खरीद का उन्नयन किया जाना है।

29* भाषण सभा पटल पर रखा गया

7. किसानों को इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन व्यापार मंच उपलब्ध कराने के लिए ई-नाम की शुरुआत।
 8. जोखिम कम करने के लिए फसलों को बेहतर बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए सरकार ने खरीफ 2016 मौसम से एक फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) शुरू की है। यह योजना विशेष मामलों में फसलोपरांत जोखिमों सहित फसल चक्र के सभी चरणों के लिए बीमा प्रदान करती है।
- "हर मेढ़ पर पेड़" के अंतर्गत कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन करके बांस को वृक्षों की परिभाषा से हटा दिया गया है। गैर-वन्य सरकारी भूमि के साथ-साथ निजी भूमि पर मूल्य संवर्धन और उत्पाद विकास पर बल के साथ बांस रोपण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018 में पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत की गई है।

किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार ने मौसम 2018-19 से सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन की लागत से कम से कम 150 प्रतिशत तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।

किसान अनुकूल कार्यकलापों को गति प्रदान करने के लिए सरकार में नई क्षेत्रक योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) का अनुमोदन किया है। योजना का उद्देश्य केन्द्रीय बजट 2018 में की गई घोषणा के अनुसार किसानों के उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। किसानों की आय को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया यह एक अभूतपूर्व कदम है और यह किसानों के कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

परागण के माध्यम से फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में शहद उत्पादन को बढ़ाने के लिए समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जाता है।

गोवंशीय दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि और किसानों के लिए दूध उत्पादन को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन कार्यान्वित किया गया है।

पशुधन की उत्पादकता को बढ़ाने और आनुवांशिक सुधार के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन कार्यान्वित किया गया है।

मात्स्यिकी क्षेत्र में उच्च क्षमता को देखते हुए अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित करके बहु आयामी कार्यकलापों के साथ नीली क्रांति का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ किसानों को अधिक से अधिक संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। सरकार 3 लाख रूपए के अल्पावधि फसल ऋण पर किसानों को ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट देती है। इस समय किसानों को प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध है जो शीघ्र अदायगी पर 4 प्रतिशत कम हो जाता है।

इसके अलावा, ब्याज स्कीम 2018-19 के तहत प्राकृतिक आपदा होने पर किसानों को राहत दिए जाने के लिए पुनसंरचित राशि पर एक वर्ष के लिए बैंकों को ब्याज पर 2 प्रतिशत छूट देने की व्यवस्था जारी रहेगी। किसानों द्वारा अपने उत्पादों को मजबूरी में बेचने से रोकने और परक्राम्य रसीदों पर गोदामों में अपने उत्पादों को भंडारित करने संबंधी बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ किसान क्रेडिट कार्ड धारक छोटे व सीमांत किसानों को अगले 6 माह की अवधि हेतु इसी दर पर फसलोपरांत ऋण उपलब्ध होंगे।

सरकार ने पशुपालन मात्स्यिकी से संबंधित कार्यकलाप करने वाले किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने का अनुमोदन किया है और ऐसी श्रेणियों के किसानों को भी ब्याज छूट सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है।

सरकार ने कृषि क्षेत्र को ऋण के प्रवाह के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया है, बैंक लगातार वार्षिक लक्ष्य को पार कर रहे हैं। वर्तमान वर्ष का कृषि ऋण प्रवाह लक्ष्य 13.50 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

सरकार ने देशभर के सभी किसानों को आय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने एक नई केन्द्रीय क्षेत्रक योजना तथा प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) शुरू की है ताकि उन्हें अपनी घरेलू जरूरतों के साथ-साथ कृषि और संबद्ध कार्यकलापों से संबंधित खर्चों को पूरा करने में सक्षम बनाया

जा सके। इस योजना का लक्ष्य उच्च आय वर्ग से संबंधित कतिपय अपवर्जनों के अध्यक्षीन किसानों को 2000 रुपये की चार मासिक तीन किश्तों में 6000 रुपये प्रतिवर्ष का भुगतान करना है। इस योजना के तहत लगभग 145 करोड़ किसानों को कवर किए जाने का अनुमान है।

सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ इन किसानों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने के लिए एक अन्य नई केन्द्रीय क्षेत्रक योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है क्योंकि उनके पास ऐसी कोई बचत नहीं होती है कि वे अपनी आजीविका का साधन समाप्त होने पर वृद्धावस्था में अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। इस स्कीम के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पात्र लघु और सीमांत किसानों को प्रतिमाह न्यूनतम 3 हजार रुपये की निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना में पहले तीन वर्षों में लगभग 5 करोड़ लाभार्थियों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है, इसमें शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष है। सरकार ने मार्च 2022 तक इस योजना के लिए 10774.50 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान को मंजूरी दी है।

जो बजट किसान हितकारी में 2019-20 का दिया है, उसके लिए मैं प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी व कृषि मंत्री जी श्री नरेन्द्र तोमर का बहुत-बहुत आभार व धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। 10 हजार नए किसान उत्पादक संगठनों का अगले पांच साल में गठन किया जाएगा।

शून्य बजट खेती पर जोर, बुनियादी तरीकों पर लौटना इसका उद्देश्य है। इसी से किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होगा।

खाद्यान्नों, दलहनों, तिलहनों, फलों और सब्जियों की स्व-पर्याप्तता और निर्यात पर विशेष रूप से जोर दिया गया।

- ग्रामीण रोजगार के लिए स्फूर्ति (स्किम ऑफ फंड फार अपग्रेडेशन एंड रीजरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज) योजना की शुरुआत। इसके तहत अगले 5 साल में 10 हजार नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे।

- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मात्स्यिकी ढांचे की स्थापना होगी।
 - किसानों का जीवन और व्यवसाय आसान बनाने के लिए काम किये जाएंगे। सरकार कृषि अवसररचना में निवेश करेगी।
 - किसानों के उगाए फसलों में मूल्यवर्धन के लिए निजी उद्यम को बढ़ावा। [अनुवाद] बांस, लकड़ी और ऊर्जा के क्षेत्र में किसानों की बड़ी मदद की जाएगी।
- किसान की आय दोगुनी करने के संबंध में (2022) निम्न सुझाव किसान हितकारी में देना चाहता हूँ।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य एम.एस.पी. प्रदेश में उगाने वाली सभी फसलों का समर्थन मूल्य घोषित हो समर्थन मूल्य फसल बुवाई से पहले घोषित हो ताकि किसान फसल के मूल्य के अनुरूप बुवाई करने का निर्णय करे।
 - एम.एस.पी. क्रय करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जावे। क्रय करने में अनेकों दस्तावेजों के स्थान पर केवल जमाबन्दी ही पर्याप्त है।
 - क्रय की गई जिन्स का भुगतान किसानों को समय पर मिले।
 - एम.एस.पी. से नीचे दामों पर क्रय करने वाले क्रेता पर दंडात्मक कार्यवाही करने का प्रावधान हो।
 - खरीफ वाली फसलों में (बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंग, मोठ, ग्वार, तिल, मूंगफली आदि) बुवाई से पूर्व एवं किसानों की मांग के अनुसार प्रमाणित एवं गुणवत्ता युक्त बीज समय पर उपलब्ध नहीं होता। सुनिश्चितता हो।
 - झुंझुनू में खाद का रैक पाईट बनाया जावे जिससे खाद बुवाई से पहले उपलब्ध हो।
 - वर्तमान में बीजों के ऊपर अनुदान का प्रावधान सिर्फ राजस्थान राज्य बीज निगम (आर.एस.एस.सी.) एवं राष्ट्रीय बीज निगम एन.एस.सी. को ही है जबकि बीज उत्पादन के क्षेत्र में निजी बीज उत्पादक संस्थाएँ एवं गांव बीज योजना के अंतर्गत भी बीज का उत्पादन बड़ी मात्रा में

किया जा रहा है। निजी क्षेत्र को भी बीज के ऊपर अनुदान देने का प्रावधान किया जाना उचित होगा जिससे बाजार में बीज दर की समरूपता बनी रहे।

^{30*} **श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर):** मैं कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के डिमान्ड ऑफ ग्रांट्स पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ।

मैं सबसे पहले देश के सिद्ध पुरुष प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं माननीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र जी तोमर एवं श्री कैलाश जी चौधरी को बहुत-बहुत बधाई एवं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनकी दूरदृष्टि और विकासशील सोच की वजह से ही भारत आज 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़निश्चय और जनता के लिए कुछ करने की भावना के कारण ही यह संभव है। देश के इस बजट में बाकी सेक्टर के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में भी किसानों और ग्रामीण लोगों के लिए सरकार ने ध्यान दिया और उनके लिए आगे की योजनाएं बनाई हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि भारत की 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गांवों में निवास करती है और उसके 80 प्रतिशत ग्रामीण जनता कृषि कार्यों से अपना जीवनयापन करती है। किसान रूपी अन्नदाता को उर्जादाता बनाने के लिए आजादी की 75वीं वर्षगांठ के दौरान 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है जिसके तहत किसान सम्मान निधि योजना, पी.एम. आशा योजना, किसान पेंशन योजना, मृदा कार्ड योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जीरो बजट फार्मिंग योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, पशुधन बीमा योजना, एम.एस.पी. योजना आदि शामिल हैं।

केसीसी पर सरकार द्वारा 2 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी के साथ समय पर भुगतान करने वाले किसानों के लिए 3 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, जो किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में खरीफ और रबी की 22 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में डेढ़ गुणा वृद्धि करना किसानों के लिए हितकारी होगा। मेरे लोक सभा क्षेत्र के किसानों द्वारा मूंग, मोठ, ग्वार व तिलहन की खेती मुख्य व्यवसाय है, जो एम.एस.पी. में शामिल नहीं किये गये हैं, उनको एम.एस.पी. में शामिल किया जाए।

^{30*} भाषण सभा पटल पर रखा गया

किसान के हर खेत को पानी व हर हाथ को काम देने की जो योजना तय की गई यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने देश की नदियों को जोड़ने की जो योजना तैयार की थी, उसको यू.पी.ए. सरकार ने ठण्डे बस्ते में डाल दिया, जो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दुबारा अलग से जल शक्ति मंत्रालय का गठन कर प्रत्येक खेत को पानी व हर हाथ को काम देने का लक्ष्य तय किया है, जो एक बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। किसान के खेत में पानी की आवक का जो जरिया है, वो बंद हो गया है। इसके लिए देश की नदियों को जोड़कर प्रत्येक किसान के खेत में पानी देने के लिए नहरों की व्यवस्था की जावे ताकि देश विकास की ओर अग्रसर हो सके।

राजस्थान में किसान के खेतों एवं बाड़े में किसी प्रकार की आग लगने या अन्य दुर्घटना पर बहुत भारी नुकसान होने संबंधी मामले सामने आये हैं, ऐसे प्रकरणों पर किसान द्वारा आपदा राहत कोष स्कीम के तहत आवेदन करने पर सरकार द्वारा नाममात्र की सहायता दी जाती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में नुकसान का पूरा भुगतान किया जाता है, जो किसान के साथ बहुत ही अन्याय है। किसान की आय के मात्र दो ही साधन हैं जो कृषि एवं पशुधन है। राजस्थान में अधिकांश समय अकाल की छाया बनी रहती है, ऐसी स्थिति में पशुधन के लिए किसान द्वारा चारे का खुले में भण्डारण किया जाता है। उस दौरान चारा भण्डार में आग लगने से किसान की हालत बहुत ही दयनीय हो जाती है। ऐसी विषम परिस्थितियों में आत्महत्या जैसी घटनाएँ घट रही हैं। हाल ही में विधान सभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी जी ने राजस्थान के किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ करने की घोषणा की थी, जो किसानों के साथ धोखा एवं छलावा किया। ऐसा करने से अन्नदाता रूपी किसान का सरकारों व राजनेताओं से विश्वास घटने लग गया है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि:- मोठ, ग्वार, तिहलन, मैथी का समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। एम.एस.पी. पर जो खरीद की जाती है उसकी न्यूनतम सीमा समाप्त की जाए। खाद एवं बीज पर किसानों को जो अनुदान राशि प्रदान की जाती है वो सीधा किसान के खातों में डाली जाए। खाद्य प्रसंस्करण तंत्र को मजबूती से विकसित किया जाए। सोलर पम्पों पर अनुदान एवं लक्ष्यों को बढ़ावा जाए। राजस्थान में टिड्डी दलों द्वारा फसलों के नुकसान पर नियंत्रण किया जाए। प्रत्येक किसान के ट्यूबवैल पर निर्मित जलहोज एवं डिग्गी पर अनुदान एवं लक्ष्यों को बढ़ाया जाए। राजस्थान में किसानों को बिजली कनेक्शन शीघ्र देने एवं

प्रक्रिया को सरल किया जाए एवं किसानों को प्रति बिल अनुदान दिये जाने की घोषणा की पालना की जाए एवं अनुदान बढ़ाया जाए।

31* श्रीमती रंजनबेन भट्ट (वडोदरा): हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश रहा है। विश्व में कृषि क्षेत्र के उत्पादनों में हमारा दूसरा क्रमांक है एवं कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थतंत्र की आधारशिला की तरह है और कृषि क्षेत्र का कुल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में अहम योगदान प्रदान करता रहा है। फरवरी 2018 के आंकड़ों के मुताबिक 58 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के लोग अभी भी जीवन निर्वाह के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं।

इस वर्ष केन्द्रीय बजट में वित्त मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कृषि मंत्रालय के लिए 1,30,485 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। 2019-20 के लिए कृषि मंत्रालय के आबंटन 2018-19 के मुकाबले से 140 प्रतिशत अधिक है जिसमें मुख्य रूप से पीएम-किसान के लिए वित्तीय आबंटन 75,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। उर्वरक सब्सिडी के लिए आबंटन 70,090 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 79,996 करोड़ रुपये किया गया है एवं उर्वरक निर्भरता कम करने के लिए 'जीरो बजट खेती' के अभिनव पायलटों को देश भर में क्रियान्वित किया जाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के लिए इस बजट में 3,737 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं, इसमें से अवसंरचना, आधुनिकीकरण, पारगम्यता, उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता नियंत्रण सहित मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण अंतराल को संबोधित करने के लिए प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) को 805 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

हमारी सरकार अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को फसल का उचित मूल्य देना हमारी प्राथमिकता है। इस बजट में अगले पांच वर्षों में अर्थव्यवस्थाओं में सुधार के लिए 10,000 नये कृषि उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के निर्माण एवं कृषि ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में 75,000 कुशल उद्यमियों को विकसित करने के लिए 80 आजीविका व्यवसाय इन्क्यूबेटरो (एलबीआई) और 20 प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटरो (टीबीआई) की स्थापना पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। यह बजट पूर्ण रूप से गांव, गरीब और किसान केन्द्रित बजट है।

मुझे यह बताते हुए गौरव और आनंद होता है कि मेरे संसदीय मतक्षेत्र वडोदरा में वर्ष 2017-18 में कुल 28 किसानों को 79523 रुपये की और वर्ष 2018-19 में कुल 4 किसानों को 28,223 रुपये की

31* भाषण सभा पटल पर रखा गया

प्रतिपूर्ति प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत की गयी है। मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि मेरे संसदीय क्षेत्र वडोदरा के 1 लाख 42 हजार किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जुड़ चुके हैं और करीब 90 हजार किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दो किस्त प्राप्त हो चुकी हैं।

मैं आदरणीय कृषि मंत्री से मांग करना चाहूंगी कि वडोदरा लोक सभा सीमांकन में, वडोदरा शहर विस्तार के अलावा, वडोदरा ग्राम्य, सावली तालुका (ब्लॉक), डेसर तालुका (ब्लॉक) और वाघोडिया तालुका (ब्लॉक) सम्मिलित है जबकि वडोदरा जिलाधीश के महसूल/राजस्व सीमांकन में अन्य 03 और तालुका (ब्लॉक) जैसे कि करजण तालुका (ब्लॉक), पादरा तालुका (ब्लॉक), डभोई तालुका (ब्लॉक) भी सम्मिलित हैं पर यह जिलाधीश के महसूल/राजस्व सीमांकन के, 03 तालुका (ब्लॉक) मेरे वडोदरा लोक सभा सीमांकन में नहीं आते।

मेरे वडोदरा लोक सभा सीमांकन में ऑर्गेनिक युनिवर्सिटी प्रदान कर, वडोदरा के सर्वगीण विकास में बहुमूल्य योगदान दें।

[अनुवाद]

^{32*} **श्री के. सुब्बारायण (तिरुप्पुर):** मैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर अपने विचार रखना चाहूंगा।

केन्द्रीय बजट 2019-20 देश में सूखे की स्थिति और कृषि क्षेत्र में गहरे संकट को दूर करने में विफल रहा है। बजट भाषण में ग्रामीण ऋण, फसलों के लाभकारी मूल्य, किसानों की आत्महत्या आदि के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हमारी 50 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है लेकिन कृषि की धीमी विकास दर के कारण जीडीपी में उनका योगदान लगातार घट रहा है।

हालांकि कृषि मंत्रालय के लिए आबंटन में 1,30,485 करोड़ रुपये की वृद्धि देखी गई है, लेकिन 75,000 करोड़ रुपये यानी आधे से अधिक, बहुप्रचारित पीएम-किसान सम्मान योजना के लिए है, जो अंतरिम बजट के समान है। अब योजना का विस्तार सभी किसानों को कवर करने के लिए किया जाता है, लेकिन आबंटन नहीं बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा, काश्तकार, जिनके पास जमीन नहीं है, इस योजना के तहत कवर नहीं किए गए हैं। ये काश्तकार ही हैं जो अधिकांश दलहन, तेल के बीज आदि की खेती करते हैं। लेकिन उन्हें न तो पी.एम.-किसान योजना का लाभ मिलता है और न ही उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कम ब्याज पर ऋण मिल पाता है। छोटे और काश्तकार किसान स्थानीय साहूकारों और नाबार्ड, सहकारी समितियों आदि जैसे संस्थानों से ऋण लेते हैं। इसलिए ऋण माफी योजना को बैंको के अलावा अन्य संस्थाओं से लिए गए ऋणों पर भी लागू किया जाना चाहिए, ताकि छोटे और काश्तकार किसानों को भी इससे लाभ हो। जैसे कि पीएम-किसान योजना काश्तकार किसानों के लिए भी लागू होनी चाहिए।

फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) एम.एस. स्वामीनाथन समिति की प्रतिवेदन की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। वर्तमान फसल बीमा योजना आपदाओं के कारण फसलों के क्षेत्र और नुकसान की गणना में विभिन्न प्रतिबंधों के कारण संकट में किसानों की मदद नहीं कर

^{32*} भाषण सभा पटल पर रखा गया

रही है। इसलिए योजना की समीक्षा और संशोधन किया जाना चाहिए ताकि किसानों को लाभ मिल सके न कि बीमा कंपनियों को।

एक और समस्या जिसका किसानों को सामना करना पड़ रहा है, वह है कृषि भूमि पर उच्च-वोल्टेज बिजली की तारों को बिछाना। यह उत्पादकता के साथ-साथ भूमि के मूल्य को भी प्रभावित करता है। इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से भूमिगत केबल बिछाने जैसे वैकल्पिक तरीकों को अपनाया जाना चाहिए।

फिर, ऐसा लगता है कि सरकार छोटी जोत की समस्या के कारण भूमि बैंक बनाकर कॉर्पोरेट खेती को प्रोत्साहित कर रही है। यह बहुत खतरनाक कदम है, क्योंकि भविष्य में कॉर्पोरेट देश के छोटे और सीमांत किसानों की सारी कृषि भूमि हड़प लेंगे।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए बजट आबंटन 1,17,647.19 करोड़ रुपये है, जो अंतरिम बजट के समान है। इसमें से मनरेगा के लिए आबंटन केवल 60,000 करोड़ रुपये है जो 2018-19 के संशोधित अनुमान से 1000 करोड़ रुपये कम है। सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए काम के दिनों में 50 दिन की वृद्धि की है, लेकिन आबंटन में आनुपातिक वृद्धि के बिना, योजना को प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है?

ग्रामीण विकास का अर्थ है ग्रामीण परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार, आर्थिक स्थिति को बढ़ाना और ग्रामीण भारत के लोगों को सशक्त बनाना।

लेकिन हम जो देखते हैं वह बढ़ता ग्रामीण संकट है। सरकार वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक है न कि विकास को। सरकार अपनी योजनाओं का प्रदर्शन करने को उत्सुक है, लेकिन क्रियान्वयन को लेकर चिंतित नहीं है। दुर्भाग्य से केवल बयानबाजी ही हुई है। वास्तव में ग्रामीण भारत का विकास नहीं हो रहा है। यह विकास प्रक्रिया से अलग-थलग रहता है। ग्रामीण मजदूरी में कमी आ रही है। ग्रामीण रोजगार घट रहा है। ग्रामीण भारत में रोजगार पैदा करने के लिए सरकार की कोई नीति नहीं है।

वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि 100% विद्युतीकरण प्राप्त किया जा चुका है। क्षमा करें महोदया। नहीं। तथ्य इसके विपरीत है। मैं आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र के टी.एन. पलायम यूनियन, पुंचाई दुरईयम पलायम पंचायत, एरुमाई कुट्टाई पुथुक कॉलोनी में एक गांव दिखाता हूं, वहां 65 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने आज तक 'घर का उजाला' नहीं देखा है। मुझे यकीन है कि अभी भी ऐसे हजारों गाँव हैं, जिन्हें अभी भी उनके घरों में बिजली उपलब्ध नहीं कराई गई है। स्ट्रीट लाइट, लाइटिंग स्कूल, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र जैसी सामुदायिक सेवाएं बिजली से असंबद्ध हैं। फिर वास्तविक विकास कैसे हो सकता है?

सड़क संपर्क के बारे में हमारी सरकार एम.एन.सी. और बड़े कॉर्पोरेट के हितों को पूरा करने के लिए 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन और 10 लेन की सड़कों को बिछाने के लिए बहुत उत्सुक है। लेकिन भारत में ग्रामीण संपर्क अभी भी एक सपना है। 50% से अधिक गांवों में शहरों के साथ सड़क संपर्क नहीं है।

अच्छी सड़कों के बिना कोई आर्थिक गतिविधि नहीं हो सकती है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एंथियूर और आसपास के वन क्षेत्र के गाँव हैं जहाँ सड़कें नहीं हैं।

भारत के कई गाँवों में पीने योग्य पानी नहीं मिलता है। खुला शौच भारत में अभी भी एक वास्तविकता है।

इसलिए, मैं अपील करता हूँ कि सरकार केवल योजनाओं को उपलब्धियों के रूप में मनाने के बजाय पर्याप्त धन आबंटित करे और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करें। ग्रामीण भारत की वृद्धि और विकास के बिना भारत का विकास केवल एक दिखावा बनकर रह जाएगा।

कुल मिलाकर यह बजट किसान विरोधी है। वर्ष 2024 तक किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के वादे को साकार करने, कृषि संकट को दूर करने और देश में लगातार बढ़ रही किसान आत्महत्याओं को कम करने के लिए बजट में कोई ठोस उपाय नहीं है।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

33* श्री एस. ज्ञानतिरावियम (तिरुनेलवेली): मैं हमारे अमर नेता डॉ. कलैंगनार करुणानिधि जी को अपनी कृतज्ञता और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और हमारे नेता थलपति स्टालिन जी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व के लिए आभार प्रकट करता हूँ। इसी भावना के साथ, मैं आम बजट 2019-20 में कृषि पर चर्चा के अंतर्गत अपने विचार प्रस्तुत करता हूँ।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि हमारे देश की नींव है। किसान हमारे देश की समतामूलक अर्थव्यवस्था का आधार हैं। हमारी 70% से अधिक आबादी कृषि और उससे संबंधित उद्योगों पर निर्भर है। हमारा देश राष्ट्रों के समूह में तभी महाशक्ति बन सकता है, जब किसानों की आजीविका, अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिति में सुधार हो। केंद्र सरकार को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। यह कहना प्रासंगिक है कि हमारे किसानों को बैंक ऋण लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं केंद्र सरकार से मौजूदा स्थिति में सुधार करने का आग्रह करता हूँ। अन्यथा किसानों को अत्यधिक ब्याज दरों पर ऋण लेने के लिए निजी साहूकारों के पास जाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि निजी साहूकारों से लिए गए ऋण को चुकाने में असमर्थ होने के परिणामस्वरूप ये किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आमतौर पर बड़े जमींदारों और बड़ी भूमि वाले किसानों को कृषि ऋण आसानी से मिल जाता है। लेकिन छोटे, मध्यम और सूक्ष्म स्तर के सीमांत किसानों को ऐसी सहायता नहीं मिलती। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे बैंकों को सख्त आदेश जारी करें कि वे देश के प्रत्येक किसान को, चाहे उसका स्तर और स्थिति कुछ भी हो, ऋण उपलब्ध कराएं।

इसलिए, किसानों के लिए परेशानी मुक्त बैंक ऋण सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार ने अगले 5 वर्षों में किसानों की आय दोगुनी करने की योजना की घोषणा की है। लेकिन व्यावहारिक कठिनाइयां, जो बहुत हैं, की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें सुधारा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि हमें एक एकड़ भूमि से 20 बोरी धान की फसल मिलती है, तो हम 25 बोरी तक फसल बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन लगातार सूखा, भूजल स्तर में कमी, खेती के समय

33* भाषण सभा पटल पर रखा गया

पड़ोसी राज्य से पानी की अपर्याप्त आपूर्ति जैसे कई कारणों से, वास्तविक रूप से फसल 20 बोरी के बजाय 10 बोरी तक कम हो गई है। इस हकीकत को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने की घोषणा मात्र घोषणा बनकर नहीं रहनी चाहिए। केन्द्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए कि किसानों की आय दोगुनी हो, यदि ऐसा नहीं होता है तो यह एक दूर का सपना होगा। पिछले साल बाढ़ और लगातार बारिश के कारण तमिलनाडु प्रभावित हुआ था। इस वर्ष यह गंभीर सूखे के कारण प्रभावित हुआ है। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हितों की रक्षा के लिए राहत उपाय के रूप में तमिलनाडु पर कोई ध्यान नहीं दिया है।

यह किसान की समय पर मदद है। खेती के लिए पानी जरूरी है। यह सुनिश्चित करना केंद्र सरकार का प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए कि किसानों को सभी मौसमों में खेती के लिए पानी की पर्याप्त आपूर्ति मिले। निधियों का पर्याप्त आबंटन होना चाहिए जिससे हम अगले पांच वर्षों में किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य तक पहुँच सकें। उर्वरक सब्सिडी और कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के अलावा खेती के लिए जल संसाधनों की उपलब्धता होनी चाहिए। देश की सभी नदियों को एक-दूसरे से जोड़ना चाहिए। प्रायद्वीपीय नदियों को आपस में जोड़ना और नदियों का राष्ट्रीयकरण भारत जैसे महान, बड़े देश में अंतर-राज्य जल विवादों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का स्थायी समाधान होगा।

केंद्र सरकार को देश में मौजूदा बांधों और जलाशयों के उचित रखरखाव और उपयोग के लिए अधिक धन आबंटित करना होगा। स्थानीय जल निकायों और झीलों को गहरा करना और उनसे गाद निकालना कृषि विकास के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार को देश में नदी पुनरुद्धार परियोजनाओं के लिए और अधिक धन आबंटित करना होगा और साथ ही देश में जलग्रहण क्षमता को बढ़ाना होगा। देश में सामाजिक वानिकी का विकास तथा हरित क्षेत्र में वृद्धि करना भी कृषि विकास गतिविधि का ही हिस्सा है।

प्रतिकूल फसल पैटर्न के कारण कई क्षेत्रों में कृषि भूमि बंजर हो गयी है। इससे बचा जा सकता था यदि दालों और मोटे अनाजों की खेती अंतर-फसल विधि से की जाती। किसानों को आत्महत्या करने से रोकने के लिए सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की तरह महंगाई के आधार पर कृषि

उपज का भी उसके उत्पादन के आधार पर मूल्य निर्धारण होना चाहिए। बड़े पैमाने पर कृषि उपज का आयात करना अनुचित है। खाना पकाने का तेल और दालें हमारी जरूरतों के अनुसार आयात की जाती हैं। हमें अपने घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर इस आयात में कमी लानी चाहिए।

हमारे किसानों की प्रमुख और बारहमासी समस्याओं को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया जा सकता है: उनके इनपुट की लागत लगातार बढ़ रही है; उन्हें अपनी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता; उनके पास सिंचाई और संबद्ध निवेश में निवेश करने का साधन नहीं है; वे सूखे, फसल की विफलता, मिट्टी के क्षरण और शत्रुतापूर्ण बाजार तंत्र की लगातार अनिश्चितताओं के कारण टूट गए हैं; और वे राष्ट्रीयकृत और वाणिज्यिक बैंकों से ऋण की अनुपलब्धता के कारण ऋणग्रस्तता से पीड़ित हैं।

मवेशी पालन, डेयरी, मुर्गी पालन और मछली पकड़ने जैसे पुराने व्यवसाय किसी भी महत्वपूर्ण पेशे की तरह महत्वपूर्ण हैं। वास्तव में, अधिक लोगों को भोजन देने और शांति तथा आर्थिक समृद्धि बनाए रखने के लिए इन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उपरोक्त सभी व्यवसायों में लगे लोगों के हितों की रक्षा करने और देश में उनके निर्वाह पैटर्न में सुधार करने की तत्काल आवश्यकता है।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जब तक इस क्षेत्र/समुदाय की ओर सार्वजनिक निवेश में पर्याप्त जोर नहीं दिया जाता है, जो वास्तव में राष्ट्र को खिलाते हैं, तब तक हमारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा।

मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह देश में किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने और उन्हें खेती-किसानी जारी रखने के लिए हर संभव कदम उठाए ताकि हमारे देश को कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): सभापति महोदय, आज मैं यहां पर अपनी मातृभाषा मराठी में बोलना चाहता हूं।

[अनुवाद]

^{34*}(माननीय सभापति महोदय, हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है। हमारे देश की लगभग 65-70% आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है। कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर बोलते हुए, मुझे यहाँ यह उल्लेख करना होगा कि माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यह एनडीए सरकार हमारे किसानों की भलाई के लिए कुछ बहुत ही नवीन और दूरदर्शी योजनाएं लेकर आई है। इसके लिए सरकार ने काफी बजट भी दिया है।)*

[हिन्दी] क्या ट्रांसलेट नहीं हो रहा है? मैंने इसके लिए लेटर दिया था। मैं हिन्दी में अपनी बात यहां रखता हूं।

सभापति महोदय, इस कृषि प्रधान देश में किसानों के लिए जो बजट सम्माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी एन.डी.ए. सरकार यहां पर लाई है, उसमें किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई गईं। उन्होंने किसानों के अच्छे दिन लाने के लिए, अलग-अलग योजनाओं में पैसे देने का काम किया है। सरकार के माध्यम से किसानों के लिए जो काम हो रहा है, उनके लिए अच्छी योजनाएं बनाई गई हैं। हम यहां बैठ कर जो योजनाएं तैयार करते हैं, वे निचले स्तर, किसानों तक पहुंचने में जो तकलीफ होती है, उसकी समीक्षा करने की जरूरत है।

सभापति महोदय, मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि किसानों को फसल ऋण मिलना, उनका अधिकार है, लेकिन यह ऋण कब मिलना चाहिए, इसके लिए बैंकों के ऊपर कोई बंधन नहीं है, बैंक के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है। यहां तक कि बुआई होने के बाद जब फसल हमारे घर में आती है तब भी बैंकों

^{34*} मूलतः मराठी में दिए गए भाषण के इस भाग के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

द्वारा लोन देना शुरू रहता है। मैं कृषि मंत्री जी से विनती करूंगा कि हम किसानों को जो भी फसल ऋण देते हैं, वह उनको बुआई के पहले मिलना चाहिए, ताकि वे अपनी इच्छा से खाद और बीज के साथ वहां पर बुआई कर सकें। मैं महाराष्ट्र राज्य के बुलढाणा संसदीय क्षेत्र से चुन कर आया हूं। हमारी पूरी बुआई जून महीने में हो गई। शुरू में बरसात भी अच्छी हुई थी। अभी तक किसानों को जो फसल ऋण दिया गया है, वह केवल 12-13 प्रतिशत है, यानी 100 किसानों में से सिर्फ 12-13 किसानों को ही फसल ऋण मिला है, बाकी किसानों को अभी तक ऋण नहीं मिला है, लेकिन उनको रोज बुलाया जाता है, जिससे किसानों को वहां बहुत तकलीफ होती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर किसानों को समय पर फसल ऋण मिल गया तो किसान अच्छी तरह से अपनी खेती करेंगे, उनका उत्पादन बढ़ेगा। हमें किसानों के उत्पादन को 2022 तक दोगुना करना है, उसके लिए सरकार की तरफ से किसानों को मदद मिलनी चाहिए।

सभापति महोदय, पिछले दो-चार साल से मराठवाड़ा, विदर्भ के क्षेत्र में बहुत बड़ा सूखा पड़ा। वहां की सरकार ने भी सूखा घोषित किया, लेकिन सूखा घोषित होने के बाद में बैंक को किसानों की फसल ऋणों का पुनर्गठन करना चाहिए और पुनर्गठन करके उन्हें फिर से खेतों में बुआई के लिए ऋण देना चाहिए। अभी तक तीन-चार प्रतिशत किसानों के ऋणों का ही पुनर्गठन हुआ है। यह कृषि और किसानों के लिए अच्छी बात नहीं है।

सभापति महोदय, यह कहा जाता है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं अलग-अलग राज्यों में बहुत सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसके लिए सरकार प्रयास भी कर रही है कि किसानों को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। कल के जवाब में भी बताया गया था कि वर्ष 2009 में किसानों को कर्ज से मुक्ति देने के बावजूद भी आत्महत्याओं में कमी नहीं आई है, बल्कि आत्महत्याएं बढ़ी हैं।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने इसमें संशोधन किया, उसकी रिपोर्ट भी सरकार की तरफ से आई है, लेकिन मैं एक किसान हूं और मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से इतना ही कहूंगा कि किसानों को ज्यादा मदद देने की जरूरत नहीं है। उनको अच्छी तरह से तीन चीजें मिलें।

किसानों को सिंचाई के लिए पानी, बुआई के लिए अच्छे बीज और उनकी फसल के अच्छे दाम यदि ये तीन चीजें मिल जाएंगी, तो सरकार को किसानों के लिए कोई मदद या पैकेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खेती और किसानों ऐसा क्षेत्र है जहां हमारे देश के अनस्किल्ड लेबर को सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। अनस्किल्ड लोगों को रोजगार देने के लिए भारत सरकार की एक योजना मनरेगा है। मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मनरेगा स्कीम को खेती और किसानों से डायरेक्ट जोड़ा जाए और सौ दिन रोजगार देने की जो गारंटी दी है, वह रोजगार सीधे किसान से यदि मजदूर को मिले, तो सुविधा होगी। यदि किसान सौ दिन ही मजदूर को काम देता है और हमने दोनों को जोड़ दिया, तो वह 200 दिन मजदूरों को काम देगा। इससे खेती के काम अच्छे होंगे और खेती में सुधार होगा तथा लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

महोदय, मैं नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने किसानों के लिए एक अच्छी फसल बीमा योजना बनाई है। योजना बहुत अच्छी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस योजना की समीक्षा करने की जरूरत है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि फसल बीमा योजना से किसानों की बजाय बीमा कम्पनियों को ज्यादा फायदा हो रहा है। अगर वर्ष 2017-18 का हिसाब देखा जाए, तो बीमा कम्पनियों ने 85 प्रतिशत मुनाफा कमाया है। इसका मतलब है कि बीमा कम्पनियों ने 15 प्रतिशत भी क्लेम नहीं दिए। खरीफ फसल का सीजन जुलाई से अक्टूबर तक चलता है। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के पैनल में लगभग 17 कम्पनियां शामिल हैं, जिसमें से पांच सरकारी कम्पनियां हैं और बारह प्राइवेट कम्पनियां हैं। इन कम्पनियों ने 15029 करोड़ रुपये का शानदार मार्जिन हासिल किया है, लेकिन इन कम्पनियों ने किसानों को सिर्फ 2767 करोड़ रुपये बीमा फसल के मुआवजे का भुगतान किया है, जबकि इन्होंने बतौर प्रीमियम 17796 करोड़ रुपये जुटाए। इस वजह से किसानों में बहुत असंतोष है। हमारी यह योजना बहुत अच्छी है, लेकिन इसका लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। यहां किसानों की फसलों का जोखिम स्तर केवल 70 प्रतिशत ही कवर किया है। मैं सदन में विनती करूंगा कि यह जोखिम स्तर 90 प्रतिशत तक यदि बढ़ाया जाए, तो अच्छा होगा।

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री प्रतापराव जाधव : महोदय, मैं अपनी पार्टी की तरफ से एक ही सदस्य बोल रहा हूँ। जब भी एमएसपी से नीचे किसानों की फसल के दाम होते हैं, तो नाफेड की खरीदी शुरू होती है, लेकिन नाफेड द्वारा जो पेमेंट दी जाती है, उसमें दो से तीन महीने का समय लग जाता है। यदि इस मद में कम से कम 50 हजार करोड़ रुपये रखे जाएं, तो किसानों को जल्दी पैसा मिल सकता है।

महोदय, प्रधान मंत्री जी की 'आयुष्मान भारत' योजना बहुत अच्छी योजना है। यह योजना गरीब लोगों के लिए है। मेरी विनती है कि किसानों को भी यदि 'आयुष्मान भारत' का कार्ड दिया जाता है, तो बहुत सारे किसानों की आत्महत्याएं रोकी जा सकती हैं। किसानों के घर में भी लोग बीमार होते हैं। उनके इलाज में चार-पांच लाख रुपये का खर्चा वे नहीं कर सकते हैं। 'आयुष्मान भारत' योजना से किसानों को जोड़ना चाहिए।

महोदय, सूखे में हमें किसानों की मदद करनी पड़ती है। पीने के पानी की दिक्कत होती है। अभी नया जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है। यदि इस मंत्रालय के माध्यम से नदी जोड़ प्रकल्प के काम हो जाएं कि जिन नदियों का पानी समुद्र में बह जाता है, वह पानी यदि लिफ्ट करके सूखे एरिया में छोड़ा जाए, तो उससे किसानों को भी लाभ होगा और सरकार को भी ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा।

माननीय सभापति : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री प्रतापराव जाधव: मेरे क्षेत्र में नदी जोड़ प्रकल्प के तहत वैनगंगा से नलगंगा के सर्वेक्षण का काम चालू है। मेरी विनती है कि अगर यह पैनगंगा तक ले जाया जाए, तो हमारे मराठवाड़ा और विदर्भ के सात जिलों को इससे फायदा हो सकता है और ये सातों जिले सूखे की चपेट से बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद वहाँ पर ज्यादा मदद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

किसान सम्मान योजना के तहत बहुत-से किसानों के एकाउंट नम्बर गलत हुए। बहुत-से किसानों के पैसे आते हैं, लेकिन उनके खाते में जमा नहीं हो पा रहे हैं। उसके लिए एक समीक्षा की जाए ताकि ये पैसे किसानों के खाते में जाएं।

एक आखिरी मुद्दा यह है कि जो किसान पेंशन योजना है, उसके लिए किसानों को इंस्टॉलमेंट भरना पड़ता है। अगर किसान सम्मान योजना में से ही परस्पर उनके इंस्टॉलमेंट काटकर उनके खाते में पैसे दिये जाएं, तो आगे चलकर उनको भी उसका लाभ मिलेगा क्योंकि किसान इतने तत्पर नहीं होते हैं कि वे हर साल अपना इंस्टॉलमेंट भर सकें। अगर एकाध इंस्टॉलमेंट नहीं भरी गई, तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए किसान सम्मान योजना में से ही कुछ पैसे बढ़ाकर या इसमें से कम करके उसके लिए देना चाहिए।

माननीय सभापति: अब आप समाप्त कीजिए। अपना आखिरी वाक्य बोलिए।

श्री प्रतापराव जाधव : महोदय, किसानों को जो मिट्टी का परीक्षण करके सॉइल हेल्थ कार्ड दिये जाते हैं, मेरी विनती है कि यह उनके स्थानीय भाषा में दिए जाएं ताकि वे किसानों की समझ में आ सकें। वे अंग्रेजी में होते हैं। इसमें जो माइक्रो सर्वेक्षण किया जाता है, किसान उतना नहीं पढ़ते हैं। एनपीके में बताया गया है कि कहाँ पर कौन-सा खाद देना आवश्यक है।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालन्दा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे वर्ष 2019-20 के लिए केन्द्रीय बजट के तहत ग्रामीण विकास तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालयों के अनुदानों की माँगों पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की आत्मा किसानों में बसती है। देश के गाँवों में लगभग 72 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित काम करते हैं। देश के माननीय प्रधान मंत्री का प्रयास है कि किसानों की आमदनी कैसे दोगुनी हो, इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने पिछले पाँच वर्षों में कई कार्य किए हैं। आज जो इसके रिजल्ट आ रहे हैं, उनमें आपने देखा होगा कि संसद में भी जिस तरह से माननीय प्रधान मंत्री जी ने 72 पर्सेंट किसानों के लिए काम किया, उसी तरह से आपने भी 72 से 75 पर्सेंट भागीदारी प्रधान मंत्री जी के लिए दी है। इसके लिए मैं देश के प्रधान मंत्री को धन्यवाद देता हूँ।

किसानों के हाथ कैसे मजबूत हों, किसानों की आमदनी कैसे दोगुनी हो, इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी लगातार प्रयासरत हैं। चाहे किसानों को पेंशन, सब्सिडी, अच्छे किस्म के बीज, खाद पर सब्सिडी की उपलब्धता आदि देने की बात हो, उपज की बाजार तक पहुँच, ई-मण्डी की व्यवस्था, भण्डारण आदि तमाम चीजों के लिए प्रधान मंत्री जी ने प्रयास किये हैं। आज किसानों के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है, वह साफ दिखाई पड़ रही है। पिछले पाँच वर्षों में सरकार ने जो कार्य किए हैं, वे साफ-साफ नजर आ रहे हैं। लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद भी आज किसान बेहाल हैं, बदहाल हैं।

हमारे देश की कृषि प्रकृति पर निर्भर है। अगर मानसून अच्छा रहा, तो फसल अच्छी होती है। अगर मानसून खराब रहा, तो फसल भी खराब होती है। अभी बिहार में जो बारिश हुई है, खास करके उत्तरी बिहार के 14-15 जिलों में नेपाल से जो पानी छोड़ा गया है, उसके कारण ये जिले उसके प्रभाव में आ गए हैं और लगभग 46 व्यक्तियों की मृत्यु तथा काफी जान-माल की क्षति भी हुई है। इससे काफी लोग परेशानी में हैं। लगातार तीन दिनों से पेपर और मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कि बिहार के 12-13 जिलों में फसलें नष्ट हो गई हैं। इससे वहाँ के सभी लोग परेशान हैं।

राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है और भारत सरकार ने भी एनडीआरएफ की टीम भेजी है। मैं कृषि मंत्री जी से विशेष रूप से चाहूंगा कि वे आपदा प्रबंधन के प्रति विशेष रूप से ध्यान दें। असम के भी करीब 25 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में माननीय प्रधान मंत्री जी को विशेष रूप से बिहार और असम पर ध्यान देने की ज़रूरत है। देश में कृषि क्षेत्र में विकास की गति धीमी हुई है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में कृषि विकास दर 2.9 प्रतिशत के आसपास है। अगर देश की ग्रोथ रेट, जिसकी परिकल्पना 7 प्रतिशत से अधिक की जा रही है, इसके लिए कृषि विकास दर को बढ़ाना ही होगा, तब ही माननीय प्रधान मंत्री जी का सपना देश को वर्ष 2024 तक पांच लाख अरब डॉलर की इकोनॉमी बनाने का सपना पूरा हो सकता है। इसके लिए कृषि क्षेत्र को उद्योग के दर्जे पर विकसित करने की ज़रूरत है। अब परंपरागत खेती से काम नहीं चलने वाला है। सरकार को इस ओर कदम बढ़ाने होंगे। किसान की सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की है। दिन प्रतिदिन भू-जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं बिहार के नालंदा से सांसद हूँ। बिहार के लगभग 8 से 10 जिलों में कम बारिश होने से भू-जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। इससे पीने के पानी और किसान को सिंचाई के लिए पानी न मिलने के कारण लगातार परेशानी बढ़ रही है। मैं देश के माननीय प्रधान मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि अटल जी के समय में नदियों को आपस में जोड़ने का जो प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव को भी इसमें लाना चाहिए। जब तक नदियों को आपस में नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक किसानों की हालत ठीक नहीं होगी। जब नदियों को आपस में जोड़ने का काम शुरू किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि देश में जल स्तर, जो नीचे जा रहा है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा स्तर ऊपर आएगा।

सभापति महोदय, मैं सरकार के सामने एक प्रश्न और रखना चाहता हूँ। जिन किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिलता है, उसकी फसल के तैयार होते ही मंडी में उस फसल का रेट कम हो जाता है। बिचौलिये औने-पौने दाम पर फसल खरीदते हैं। सरकार को इसकी भी व्यवस्था करने की ज़रूरत है। किसानों को इस समस्या से मुक्ति दिलानी होगी, ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। भंडारण की भी कमी है। इसे भी देखने की ज़रूरत है। गांव-गांव के छोटे से छोटे आबादी वाले कस्बों को भी सड़क मार्ग से शहरों तक जोड़ना होगा। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में भी जो गांव अभी छूट गए

हैं, उन्हें भी पायलट प्रोजेक्ट में शामिल कर के एक वर्ष के अंदर जोड़ने का प्रयास करने की ज़रूरत है। इस वर्ष के बजट में मत्स्यपालन और इस क्षेत्र से जुड़े सभी वर्गों के लिए अधिक बजट का प्रावधान किया गया है। इससे ग्रामीण मछुआरों को काफी फायदा होगा। इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी, जिससे उनके पास खुशहाली आएगी।

फसल बीमा योजना को बिहार में अच्छी तरह एवं सुव्यवस्थित ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने वहां क्षतिपूर्ति किसान फसल योजना लागू की है। इसी की तर्ज पर भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि आप जो फसल योजना लाए हैं, इसे क्षतिपूर्ति फसल योजना करने की ज़रूरत है। किसानों का इंश्योरेंस में ज़्यादा पैसा लगता है, खासकर बिहार में अन्य राज्यों से चार गुना ज़्यादा पैसा लगता है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आपको फसल बीमा पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बिहार में बीमा की दर अन्य राज्यों से ज़्यादा है। देश तिलहन के लिए भी आयात पर आत्मनिर्भर होने के लिए प्रयासरत है। प्रति वर्ष करीब 75 हजार करोड़ रुपये तिलहन के आयात पर खर्च हो रहे हैं। सरकार इस क्षेत्र में मदद करे तो किसान दलहन की तरह तिलहन के क्षेत्र में भी देश को आत्मनिर्भर कर सकता है। सरकार द्वारा किसान और कृषि मज़दूरों को तीन हजार की मासिक पेंशन की योजना काफी सराहनीय है। [हिन्दी] मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूँ। इस वर्ष कृषि बजट 1,30,485 करोड़ रुपये का है। इन्हीं शब्दों के साथ जद (यू) की ओर से मैं इस अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

[अनुवाद]

^{35*} **श्रीमती पूनमबेन माडम (जामनगर):** सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को 'गांव, गरीब और किसान' पर केंद्रित बजट पेश करने के लिए बधाई देना चाहती हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कृषि और ग्रामीण भारत दोनों अभी भी हमारे देश की नींव बने हुए हैं और कृषि क्षेत्र देश की सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 17-18 प्रतिशत का योगदान देता है जबकि भारत में कुल कार्यबल के 50 प्रतिशत से अधिक को रोजगार देता है।

गांधी जी के शब्दों में, भारत की आत्मा इसके गाँवों में बसती है और बजट उसी को दर्शाता है जहाँ 2019-2020 के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए कुल आबंटन 1,51,518 करोड़ रुपये है। यह अंतरिम बजट की तुलना में बजटीय आबंटन में 72-75 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

विशेष रूप से, कृषि में वास्तविक कार्रवाई हुई है, क्योंकि कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण का व्यय बजट वर्ष 2018-19 (संशोधित) में 6,78,00 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2019-20 (बजट) में 1,30,485 रुपये हो गया है, जो 92 प्रतिशत से अधिक की छलांग है। और यह मुख्य रूप से पीएम-किसान से आ रहा है, जो 20,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 75,000 करोड़ रुपये हो गया है। यह सबसे बड़ा नीतिगत बदलाव है, प्रत्यक्ष आय अंतरण की दिशा में एक कदम है, जो माननीय प्रधान मंत्री का चुनावी वादा था।

सरकार ने वर्ष 2019 आम चुनाव इतने निर्णायक जनादेश के साथ केवल इसलिए जाते हैं क्योंकि वो वार्दों को पूरा करते हैं। सरकार देश के लोगों के लिए प्रतिबद्ध है और 'गरीबी हटाओ' से लेकर 'न्याय' तक के नारे सिर्फ चुनावी प्रचार तक ही सीमित नहीं हैं। एक सबसे बड़ी पार्टी के पक्ष में निर्णायक जनादेश "सबका साथ विकास" की प्रतिबद्धता में निहित है, जिसे सरकार ने अपनी अधिकतम क्षमता के लिए पूरा किया है।

पूरे ग्रामीण भारत में 90 मिलियन शौचालय बनाए गए हैं। बुनियादी ढांचा लंबे समय से प्राथमिकता रहा है और इसे समृद्धि का महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है। 2000 में, भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय

^{35*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जनतांत्रिक गठबंधन (एन.डी.ए.-I) ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) शुरू की, जो एक केन्द्रीय योजना थी जो राज्यों को गांवों को सभी मौसम वाली सड़कों से जोड़ने के लिए धन प्रदान करती थी। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यू.पी.ए.) सरकारों के दोनों कार्यकालों के दौरान मामूली बदलाव के साथ पी.एम.जी.एस.वाई. जारी रहा।

हालाँकि, एन.डी.ए.-II के दौरान ग्रामीण सड़क निर्माण में जबरदस्त गति आई है। सरकार ने पिछले पांच वर्षों में देश भर में ग्रामीण सड़कों के निर्माण और उन्नयन पर 80,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं।

सरकार का ध्यान हमेशा अंतिम छोर तक पहुँचने पर रहा है; ताकि हम अंतिम व्यक्ति को सरकारी योजनाओं से जोड़ सकें और इसके लिए संपर्क का अत्यधिक महत्व है। चाहे वह एल.पी.जी. गैस सिलेंडर की डिलीवरी हो या आर.सी.एस. या छोटे शहरों में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलना हो, सरकार वैश्विक गाँव के इस दौर में भारतीय शहरों और गाँवों को जोड़ रही है।

ग्रामीण विकास और किसान कल्याण आंतरिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं [हिन्दी] और कृषि के क्षेत्र में स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 75000 करोड़ का प्रबंध किसानों के लिए किया गया है। नीम कोटेड यूरिया किसानों को उपलब्ध कराना, एम.एस.पी. में बढ़ोतरी और 13 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण हमारे किसानों की आर्थिक उन्नति की दिशा में उठाए गए कुछ ठोस कदम हैं। [अनुवाद] कृषि अवसंरचनात्मक और ग्रामीण विकास में व्यापक निवेश किया गया है। प्रधान मंत्री का वर्ष 2024 तक हर घर में पाइप से पानी पहुंचाने का वादा और जल शक्ति मंत्रालय का गठन सभी ग्रामीण, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास के अनुरूप हैं।

मैं कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास के लिए बजट से ली गई कुछ बातों पर प्रकाश डालना चाहूँगी।

भारत में कृषि क्षेत्र 90 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है और भारतीय अर्थव्यवस्था में 17-18 प्रतिशत का योगदान देता है। अतीत में कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन कम उत्पादकता के कारण असंगत रहा

है जो बुनियादी आदानों तक पहुंच की कमी और किसानों के हित में कुछ भी करने के लिए सरकार की इच्छाशक्ति की कमी से प्रेरित है। इसके अतिरिक्त, किसानों की दयनीय सामाजिक-आर्थिक स्थिति और आत्महत्याओं की घटनाओं ने इस स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया। यह नीति निर्माण और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के बीच मौजूद अंतर को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। मौजूदा सरकार ने इस अंतर को समझते हुए, किसानों और उनके कल्याण के हित में जमीनी हकीकतों को बदलने तथा नई नीतिगत रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित किए हैं।

जहाँ तक बदलती वास्तविकताओं का सवाल है, प्रधान मंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना है जो आम आदमी के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराना चाहती है। पहले चरण में कार्यान्वयन काफी आशाजनक रहा है और इस योजना (पी.एम.ए.वाई.-जी) के दूसरे चरण में सरकार पात्र लाभार्थियों के लिए 1.95 करोड़ घर बनाने की योजना बना रही है। यह देखते हुए कि पिछले पांच वर्षों में 1.5 करोड़ रुपये से अधिक ग्रामीण घर बन चुके हैं, 3 साल का लक्ष्य यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य प्रतीत होता है। [हिन्दी] यह योजना उन लोगों के लिए है जिनका बस इतना ही सपना है कि उनका एक छोटा सा अपना घर हो और उस घर में दोनों वक्त चूल्हा जले, जो आजादी के सत्तर वर्ष बाद नहीं हो पाया; वह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 3 बरस में करके दिखाया। हर गरीब को एक सपना दिया है, एक हक दिया है के उनके पास भी अपना घर हो।

[अनुवाद]

सरकार की इस प्रकार की योजनाएं केवल ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे के विकास तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जनता को शौचालय, बिजली और एलपीजी कनेक्शन जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर उनके दैनिक जीवन स्तर में सुधार करने पर भी केंद्रित हैं। साथ ही, ये योजनाएं भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त, सतत और अस्थिर मौसम परिस्थितियों के प्रति अधिक सहिष्णु बनाने का भी प्रयास करती हैं।

सूक्ष्म सिंचाई तक पहुँच को सक्षम करने के लिए वर्तमान सरकार ने जल संरक्षण उपायों और दीर्घकालिक सिंचाई निधि के लिए मनरेगा का लाभ उठाते हुए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना

(पी.एम.एस.के.वाई.) जैसी पहल को काफी बढ़ावा दिया है। जहाँ तक अनुदान की मांग का प्रश्न है, मैं मंत्रालय से गुजरात जैसे सूखे से प्रभावित कृषि आधारित राज्यों के लिए अधिक धनराशि निवेश करने का अनुरोध करूँगी। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एस.ए.यू.एन.आई. योजना शुरू की थी। इस परियोजना में सरदार सरोवर बांध से अतिरिक्त पानी के साथ क्षेत्र में 115 बांधों को भरना शामिल था। यह तत्कालीन मुख्यमंत्री की स्वप्निल योजना थी, जिन्होंने सौराष्ट्र की सिंचाई और पेयजल समस्याओं को हल करने के लिए इस विचार की कल्पना की थी। पहले चरण में, जामनगर, राजकोट और मोरबी के लगभग 10 बांध और जलाशय नर्मदा नदी के पानी से भरे जाएंगे। परियोजना पूरी होने के बाद लगभग 10, 22, 589 एकड़ कृषि भूमि लाभान्वित होगी। हालांकि विपक्ष ने इसे अवास्तविक योजना करार देते हुए केवल कागजों तक सीमित रहने का आरोप लगाया था, यह योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में संभव हो सकी। इस बाँध का निर्माण तमाम बाधाओं के बावजूद पूरा किया गया — यहाँ तक कि विश्व बैंक ने वित्त पोषण वापस ले लिया था। यद्यपि इस बाँध का अस्तित्व आज हमारे सामने है और यह सौनी योजना के माध्यम से गुजरात की सूखी भूमि को सिंचित कर रहा है, यह हमारे सरकार और माननीय प्रधान मंत्री के अथक प्रयासों का साक्ष्य है। मुझे यह बताते हुए खुशी होगी कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा कार्यान्वित एस.ए.यू.एन.आई. योजना ने सूखे सौराष्ट्र क्षेत्र को एक नया जीवन दिया है।

[हिन्दी]

यह सरकार हमेशा देश के हित के बारे में पहले सोचती है, और जो सोचते हैं और करके दिखाते हैं और पिछले 2-3 बजट की यह खासियत रही है कि व्यापक फोकस कृषि क्षेत्र में किया गया है।

[अनुवाद]

हरित क्रांति के अंतर्गत, कृषि क्षेत्र में आवश्यक संसाधनों जैसे मिट्टी, जल, नीम-लेपित बीज एवं उर्वरकों की उपलब्धता एवं पहुँच को व्यापक रूप से सुदृढ़ किया जाना है। हालांकि, कृषि क्षेत्र में उत्पादन स्तरों को बढ़ाने और इसे युवाओं के लिए अधिक आकर्षक तथा सतत बनाने हेतु केवल बुनियादी इनपुट-

आधारित कारकों से हटकर प्रौद्योगिकी, सहायक आय के अवसरों एवं अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

चूँकि यूपीए सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता न दिए जाने के कारण अनेक युवा इस क्षेत्र से दूर जाना चाहते थे, तथा गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस स्थिति ने प्रणाली में एक गंभीर खालीपन उत्पन्न कर दिया है क्योंकि युवा न तो अपनी पारंपरिक कृषि व्यवसाय को जारी रख पाने में सक्षम थे और न ही विनिर्माण या सेवा क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सके। हालांकि, नई सरकार के तहत नई पहल की गई हैं और इस क्षेत्र का पहले की तरह विस्तार किया जा रहा है। 'डिजिटल इंडिया' के माध्यम से तकनीकी हस्तक्षेप ई-नाम के माध्यम से एक नई और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है; जहां 585 मंडियों को ई-नाम से जोड़ा गया है और वित्त वर्ष 22 तक देश भर की 22,000 मंडियां जुड़ जाएंगी। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री की प्रमुख पहल, ई-नाम ने एक और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके तहत हाल ही में दो विभिन्न राज्यों के मंडियों के बीच अंतरराज्यीय व्यापार प्रारंभ हुआ है। वैज्ञानिक, सतत एवं तकनीकी हस्तक्षेप कृषि को एक प्रतिष्ठित व्यवसाय बनाएंगे और शीघ्र ही ऐसा समय आएगा जब यह क्षेत्र इतना आकर्षक और लाभकारी हो जाएगा कि किसान का पुत्र भी कृषि को अपना व्यवसाय बनाने की इच्छा करेगा तथा इस पेशे पर गर्व महसूस करेगा।

[हिन्दी]

भारत सरकार ने बजट 2019 में किसानों की आय को दुगुना करने के लक्ष्य के तहत किसानों के लिए पीएम-किसान योजना शुरू की है। ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन है उन्हें प्रतिवर्ष 6000/- रुपये तक का प्रत्यक्ष लाभ दिया जाएगा। यह 6000/- रुपये उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर कर किए जाएंगे। [अनुवाद] योजना को कुशलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है और पहली किस्त तेजी से जारी की गयी है। मार्च 2019 तक, 2 करोड़ से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को पहले ही लाभ दिया जा चुका है। यह एक सतत योजना है और विभाग का उद्देश्य सभी पात्र छोटे और सीमांत किसान परिवारों को शामिल करना है।

गुजरात में मेरे निर्वाचन क्षेत्र को जामनगर में ही इस योजना के लिए 70200 आवेदन प्राप्त हुए हैं और देवभूमि द्वारका जिले से प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के लिए 58687 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कुल 2,57,394 आवेदन प्राप्त हुए जो इस बात का संकेत है कि सरकारी योजनाओं से किसान लाभान्वित हो रहे हैं और सरकारी योजनाएं बड़े पैमाने पर आम आदमी तक पहुंच रही हैं।

हम सभी जानते हैं कि देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून में देरी के कारण सूखे जैसी स्थिति देखी जा रही है और जलाशयों में पानी गंभीर स्तर तक गिर गया है। जिन 6 राज्यों को सूखा एडवाइजरी जारी की गई थी, उनमें से एक गुजरात था। इसके साथ में माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगी कि जामनगर जिले में कुल खेती योग्य भूमि 3,61,533 हेक्टेयर है; जिसमें से बारिश की कमी के कारण केवल 1,29,925 हेक्टेयर भूमि ही उत्पादक रही है। द्वारका देवभूमि जिले में देरी से बारिश और मानसून के कारण 2,38,247 हेक्टेयर भूमि में से केवल 1,32,127 हेक्टेयर का उपयोग खेती के लिए किया जा सका। लगभग 50% भूमि पर ही खेती की जा सकी क्योंकि राज्य के अधिकांश हिस्से सूखे और बंजर रहे। इन परिस्थितियों में, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूँ कि वे स्थिति पर विचार करें और किसानों को फसल उत्पादन में कमी के लिए मुआवजा दें। इस प्रकार, मैं सरकार से संकट के समय किसानों की सहायता के लिए राज्य सरकार के माध्यम से सब्सिडी जारी करने का आग्रह करती हूँ।

मिट्टी और जल संरक्षण पहलों के साथ-साथ, सरकार ने फसल असफलता के जोखिम को बीमित करने की आवश्यकता को भी समझा और किसानों को फसल बीमा प्रदान करने हेतु 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.)' प्रारंभ की। [हिन्दी] सबसे बड़ी ताकत पी.एम.एफ.बी.वाई. के तहत मिली है। यह बीमा योजना पहले भी थी। पर पहले एक निश्चित प्रीमियम किसान को भरना होता था। हर किसान वो प्रीमियम भर नहीं पाता था और इसलिए इस बीमा को लेने वाले बहुत अधिक नहीं थे। लेकिन माननीय पी.एम. नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने इसको किसान मित्रतापूर्ण बनाया; 90% प्रीमियम सरकार भरती है। समयरेखा भी नहीं है। कभी भी वो प्रीमियम भर सकते हैं और रबी और खरीफ की अलग-अलग दरें हैं।

इसके रूप में [अनुवाद] कृषि में नई तकनीक और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना- यह सारे कदम किसानों के हित में लिए गए हैं और हमारे देश के जो प्रथम नागरिक हैं उसको मजबूत करने का प्रयास किया गया है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कृषि क्षेत्र में सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने वाले बजट को "ग्रीन बजट" के रूप में संदर्भित किया है।

जैसा कि हम पी.एम.एफ.बी.वाई. के बारे में बात कर रहे हैं, मैं कुछ सुझावों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी।

प्रथम, [हिन्दी] मैंने स्वयं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की इम्प्लीमेंटेशन सौराष्ट्र में देखी है। इसमें कई सुधार की आवश्यकता है। जैसे कि प्राइवेट इंशोरेंस कंपनी पर नियंत्रण लाना और किसानों के हित में प्रीमियम का भार कम करना।

[अनुवाद]

मेरा दूसरा सुझाव अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचारों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। बजट को इनके लिए समर्थन प्रदान करना चाहिए और उन विश्वविद्यालयों और कंपनियों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो कृषि क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और नवाचारों पर ध्यान केंद्रित करने के इच्छुक हैं। खरीद के लिए आईटी और प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों की पहल, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के विकास, सिंचाई के कुशल तरीकों, बेहतर कृषि पद्धतियों और किसानों और उपभोक्ताओं को जोड़ने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर समान ध्यान देने की आवश्यकता है।

स्वामी विवेकानंद जी ने [हिन्दी] कहा है "चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो" और इसी मार्ग पर हम चल रहे हैं। हमारे माननीय पी.एम. जी देश की प्रगति और उन्नति का चिंतन करते हैं और शायद इसलिए उन्हें चुनाव के परिणाम की चिंता करने की जरूरत नहीं होती और इसी चिंतन ने एक नई विचारधारा का बीज बोया है जिससे एक नए भारत का जन्म हुआ है।

[अनुवाद]

नया भारत- नया भारत आज विश्व समुदाय में अपना उचित स्थान पाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत ने पिछले 5 वर्षों में एक नई छवि हासिल की है और अन्य देशों के साथ हमारे संबंध मजबूत हुए हैं। एक नया सम्मान और प्रशंसा है। यह वास्तव में इस देश के सभी नागरिकों के लिए गर्व की बात है कि भारत 2022 में जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

[हिन्दी]

हम इस विशाल जनादेश एवं जीत को लोगों की आशाओं, अपेक्षाओं और विश्वास के रूप में देखते हैं। ये विशाल जनादेश हमारे लिए बोझ नहीं अपितु एक विशेष जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सब के सहयोग से निष्ठापूर्वक निभाएंगे, और हम सब की परिकल्पना का भारत "नया भारत" सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को एक साथ परिपूर्ण करेंगे।

डॉ. रामशंकर कठेरिया (इटवा): सभापति महोदय, ग्रामीण विकास तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा हो रही है, उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है, मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। किसान की बात आती है और ग्रामीण विकास की बात आती है तो हम सब जानते हैं कि भारत की पहचान गांव से जुड़ी है। जब गांव की बात करते हैं तो किसान उससे जुड़ा हुआ है। हम कह सकते हैं कि भारत की आत्मा के रूप में हम किसान को देखते हैं। पूरा देश यह मानता है कि किसान अन्नदाता है। यह बात सच है कि जब किसी तरह की कोई समस्या खड़ी होती है तो देश का किसान उस समस्या के निपटारे के लिए सामने आता है, जिसके कारण वह समस्या खड़ी नहीं होती। कभी परिस्थित बनी थी और हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को यह आह्वान करना पड़ा था कि लोगों को एक समय का व्रत रखना होगा। लेकिन आज हमारे देश के किसानों के परिश्रम, मेहनत और सरकार की योजनाओं से देश के सामने यह चुनौती नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि बहुत चर्चा होती थी और अभी भी चर्चा हो रही है कि देश के प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी ने इन पांच सालों में जो वादा किया था, वह वादा अभी पूरा नहीं हुआ है। ये बातें वे लोग कहते हैं, जिन्होंने देश में 50 सालों तक शासन किया और केवल किसान की बात करते रहे। मुझे ध्यान है कि पांच साल पहले सेंट्रल हॉल में जब माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेता चुने गए थे, तब नेता के रूप में उन्होंने बोलना शुरू किया तो पहला संदेश था कि हमारी सरकार पूरे 5 साल तक गांव, गरीब और किसान के कल्याण के लिए काम करेगी।

सभापति महोदय, सेंट्रल हॉल में उन्होंने जो कुछ बोला था, यदि हम 5 साल का हिसाब आपके सामने रखे और बहुत सारी योजनाओं के बारे में चर्चा करें तो बहुत समय लगेगा, लेकिन यदि मैं दो-चार योजनाओं की भी चर्चा कर दूँ तो आपको लगेगा जो कुछ बोला था और जो कुछ इन 5 सालों में हुआ है, वह गांव, गरीब और किसान की तरक्की के लिए हुआ है। आज यह देश नए भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आज गांव में जो परिवर्तन की मुहिम है, उसमें हमें परिवर्तन का प्रभाव दिखाई दे रहा है।

सभापति महोदय, अभी बात आ रही थी कि प्रधान मंत्री जी ने किसान की दोगुनी आय की बात की। केवल बात ही नहीं की है, यह एक नई शुरुआत हुई है। इन पांच सालों में जो कुछ हुआ है, उसके कारण

आज गांव का किसान मजबूत हुआ है। हम केवल एक-दो योजनाओं की बात नहीं करते हैं। उन्होंने 6 हजार रुपये दिये हैं, लेकिन 6 हजार रुपये का सवाल नहीं है। किसान के स्वाभिमान और सम्मान को बढ़ाने की दिशा में इससे पहले किसी भी सरकार ने इस तरह का कदम नहीं उठाया था, लेकिन जो कदम उठाया गया है, जिसकी शुरुआत हुई है, उसकी सराहना पूरे देश के किसान कर रहे हैं। मैं भी प्रधान मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि जिस नीयत से उन्होंने बोला था, उस नीयत की अच्छे मन से शुरुआत की है। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं और मुझे ध्यान है कि किस तरह से किसानों की बात होती रही और लम्बे समय तक होती रही। जब हम सिंचाई के बारे में बात करते हैं तो प्रधान मंत्री जी ने इस देश में सिंचाई योजना की घोषणा की थी, वह घोषणा ही नहीं थी, बल्कि उसकी व्यवस्था भी की है और आज उसका परिणाम दिखाई दे रहा है।

उसके कारण किसानों के जीवन में खुशहाली आई है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि पिछली सरकारों में काम तो हुआ है, लेकिन यदि हम अपने प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के गांव और किसान की बात करें तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उस मूल्य में जो कुछ हुआ है, चाहे आप दालों की चर्चा करें या अन्य की। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ समय पहले जब यह समस्या आई कि दालों में कमी का संकट आ रहा है, तो प्रधान मंत्री जी ने आह्वान किया। पूरे देश के किसान खड़े हो गए और आज देश के अंदर दालों की कोई भी समस्या नहीं है। यह शोर मचता था कि दाल की कीमत 100 रुपये से 200 रुपये हो गई है, लेकिन आज किसी भी तरह की समस्या नहीं खड़ी हो रही है। यहीं पर कभी-कभी किसानों के आलू और टमाटर फेंके जाया करते थे, लेकिन आज प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान की फसल की बरबादी का कोई उदाहरण दिखाई नहीं दे रहा है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने केवल यही नहीं किया, बल्कि कृषि के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में उसको बढ़ावा देने के लिए आज किस तरह के अनुसंधान की जरूरत है, किस तरह के हमारे कृषि वैज्ञानिक खड़े होने चाहिए, किस तरह की नई-नई फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़नी चाहिए, इस दिशा में भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हम जानते हैं कि 14 करोड़ किसानों को सौर हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। किसानों को यह कल्पना भी नहीं थी कि वे अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण

करके उसमें कौन सी फसल उगाएं और उसमें कितना पानी दिया जा सकता है। हमारी सरकार ने एक नई कल्पना किसानों के अंदर पैदा की और किसान इस दिशा में तेजी से आगे बढ़े हैं।

सभापति महोदय, पहले बिजली की समस्या थी, लेकिन आज बिजली की समस्या के समाधान की दिशा में माननीय प्रधान मंत्री जी ने कदम उठाए हैं। 17.5 लाख सिंचाई पम्प और सौर ऊर्जा से चलने वाले ये पम्प आज गांव-गांव में तेजी के साथ विकसित हुए हैं और किसान अपने-आप सोलर पम्प लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे याद है कि जब मैं वर्ष 2009 में इस सदन में चुनकर आया था, उस समय सदन में यूरिया, खाद की जैसी स्थिति थी, वह हमें पता है। मैं आगरा में सांसद था तो वहां पर आए दिन लाठी चार्ज हुआ करता था। खाद कहां चली गई, खुलेआम ब्लैक मेलिंग होती थी, खुलेआम खाद पता नहीं कौन सी फैक्टरियों में जाती थी, लेकिन कहीं कोई रोकथाम नहीं थी। किसान चिल्लाते थे, उन पर लाठीचार्ज होता था। यह भी सच्चाई है कि माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी आए और किसानों की जो सच्ची नीयत थी, उसे ध्यान में रखते हुए नीम कोटेड यूरिया के आधार पर खाद विकसित की और केवल यही नहीं किया, जो फैक्टरियां बंद थीं, उनको चालू करने का काम यदि किसी ने किया, तो वह माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी ने किया।

महोदय, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में गन्ना पैदा करने वाले किसानों की बड़ी समस्याएं हैं। आप तो मेरठ से हैं, वहां पता नहीं कितने आंदोलन हुआ करते थे। मुझे लगता है कि आज किसानों को जो दाम मिलने चाहिए, वह दाम भी दिये गए और वर्षों से जो कर्ज उन पर था, उस कर्ज से किसानों को मुक्त भी किया गया। मैं ऐसे प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि किसानों के जागरण की दिशा में, किसान उन्नति मेला हुआ जो पहले मैंने कभी सुना ही नहीं था कि किसान उन्नति मेला क्या होता है? प्रधान मंत्री जी चाहते हैं कि किसान जागरूक हों और वर्ष 2018 में विभिन्न प्रदेशों में लगभग 26000 किसान कृषि उन्नत मेला में जो जागरूकता अभियान चलाया गया, उसमें शामिल हुए। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जब हमारा किसान मजबूत होगा, तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान मजबूत होगा।

महोदय, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं लोक सभा के संसदीय क्षेत्र इटावा से आता हूँ। पिछली सरकारों में पहले ऐसा हुआ करता था कि यदि कोई एक काम की योजना होती थी, तो उसकी एक साल तक घोषणा हुआ करती थी। मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो घोषणाएँ की हैं, उनका पालन किया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे इटावा लोक सभा क्षेत्र में एक पंचनद स्थान है, जहाँ पांच नदियाँ मिलती हैं। पंचनद विश्व का पहला ऐसा स्थान है जहाँ पर चंबल, यमुना और तीन अन्य नदियाँ मिलती हैं।

मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वर्ष 1976 में हमारे देश की बहुत ही यशस्वी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी इटावा गई थीं और उन्होंने इटावा में घोषणा की कि इस पंचनद परियोजना का शुभारम्भ होगा और पंचनद परियोजना के शुभारम्भ के पीछे यह भावना थी कि पूरा का पूरा पारपट्टी का क्षेत्र सिंचाई से वंचित है और वहाँ का किसान पूरी तरह से परेशान है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि पिछली सरकारों में एक बार घोषणा होती थी, तो पांच साल का चुनाव जीत कर आते थे। एक साल में घोषणा करते थे और दूसरे साल कोई इंजीनियर उस परियोजना की शुरुआत करता था और चूना डाल आता था और पता चला कि इस वजह से दूसरा चुनाव भी जीत गए। तीसरे साल में कहीं उस जगह में विजिट होता था और पता चला कि तीसरा चुनाव भी जीत गए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। पांच-पांच चुनावों में सिर्फ घोषणाओं में पिछली सरकारें जीतती रहीं, लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो घोषणाएँ कीं, उन घोषणाओं को पांच साल में पूरा करके दिखाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे ग्रामीण सशक्त हुआ है। मैं आपको एक गांव की कल्पना बताना चाहता हूँ। गांव में एक सामान्य गरीब, जो झोपड़ी में रहता है और बरसात के मौसम में यदि उसके पास पक्का मकान नहीं है, तो उसे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मुझे कल एक परिवार ऐसा भी मिला, जिसे बरसात के समय अपने बच्चों के साथ दूसरे घर में जाना पड़ता है। बरसात में उस परिवार की क्या हालत होगी, जिसका कच्चा मकान या झोपड़ी हो, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। जब बरसात होती है और तीन-तीन दिन पानी बरसता है, वह आदमी अपने बच्चों को लेकर दूसरों के घर में जाता है, तो आप सोचिए कि उसकी क्या हालत होती होगी। हमारे प्रधान मंत्री जी ने जैसा कहा था कि गांव, गरीब के कल्याण के लिए हम काम करेंगे। प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश में जो मकान बनाए गए,

गरीबों के कल्याण के लिए कदम उठाये गये, ये ऐतिहासिक कदम हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जो पिछली सरकारें केवल शिलान्यास, चूना डालकर और इंजीनियरों की विजिट में सरकारें बना लेती थीं, हमारे प्रधान मंत्री जी ने जिन-जिन परियोजनाओं को शुरू किया है, वे एक-एक योजना ऐसी है, जिनके आधार पर पांच साल के लिए एक योजना नहीं बल्कि एक-एक योजना पांच-पांच साल के लिए सरकार बना सकती है। हम उज्ज्वला योजना की बात कर सकते हैं। घर-घर में माताओं की क्या स्थिति थी, यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे मालूम है, हम गांव से आते हैं। गांव की महिलाएं दो-तीन महीने होने वाली बरसात से बचने के लिए गर्मियों में लकड़ी, कंड़ा उठाकर अपने मकान में चूल्हा जलाने के लिए भरती थीं। उज्ज्वला योजना सामान्य योजना नहीं है। गांव की गरीब महिला, जिसके तीन बच्चे स्कूल जाते हैं, वह जब लकड़ी से चूल्हा जलाती है और समय पर खाना नहीं बन पाता, तब उसे दर्द होता है। अब गैस सिलेंडर से उसके मन में स्वाभिमान का भाव जगता है और समय से अपने बच्चों को स्कूल भेजकर स्वयं मजदूरी पर चली जाती है, तब गैस सिलेंडर की महत्ता हमारी समझ में आती है।

केवल यही नहीं किया है। अब घर-घर में जल देने की बात है। यह सही बात है कि देश में जल का संकट है, लेकिन प्रधान मंत्री जी ने हर घर में जल देने की बात कही है। मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूँ और बहुत-बहुत अपेक्षा और उम्मीद करता हूँ कि हमारा गांव कैसे मजबूत हो, इस दिशा में भी ज्यादा काम करने की जरूरत है। गांवों को मजबूत करने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं और यदि उन सारी योजनाओं की चर्चा करेंगे, तो काफी समय लग जाएगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने चर्चा की भी है, लेकिन मैं निश्चित रूप से एक बात आपको जरूर कहना चाहता हूँ कि इस सरकार में और पिछली सरकारों में जो अंतर था, वह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मैं वर्ष 2009 में इसी सदन में था और अपने आपको एमएलए या सांसद कहने में बड़ा संकोच लगता था, क्योंकि वर्ष 2009 में तो ऐसी लूट मची थी कि एक-एक योजना कहीं से भी निकल पड़ती थी और उसी में भ्रष्टाचार हो जाता था। मुझसे गांव में लोग कहते थे कि हमारे ...³⁶ हैं। एमएलए और एमपी कहने में ... * आती थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में लोगों की

³⁶ कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सोच में राजनीति के लिए परिवर्तन हुआ है कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। पहले नेता की परिभाषा यह हो रही थी कि नेता मायने - ये। लेकिन अब नेता जनता के सेवक के रूप में काम कर रहे हैं और आज नेता की परिभाषा बदली है। यह परिवर्तन नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आया है।

अपराह्न 5.00 बजे

मैं अंत में एक विनती करना चाहूंगा कि आज किसान तेजी के साथ बढ़ रहा है। हमारे गांव के मजदूरों के लिए तीन हजार रुपये पेंशन की बात है। गांव में मजदूर रहता है। आज यह बात ठीक है कि मजदूरी के कारण लोग गांव से जा रहे हैं, कुछ मजबूर होकर जा रहे हैं, कुछ मजबूती के लिए भी गांव से शहर में जा रहे हैं। गांव मजबूत बना रहेगा, गांव की शिक्षा व्यवस्था मजबूत बनी रहेगी, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, ऐसा काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। आयुष्मान भारत, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जिस गरीब के घर में कैंसर हो जाता है, जिसका बेटा बीमार हो जाता है, उससे पूछिए। उसके पास दो हजार रुपये नहीं होते हैं। वह अस्पताल में अपने बच्चे या पत्नी का इलाज करवाकर उसको ठीक देखता है तो श्री नरेन्द्र भाई मोदी का स्मरण करता है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उसका बेटा, पत्नी और उसकी बच्ची बच गई। मैं कहना चाहता हूं कि आज किसान मजबूत हो रहा है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। धन्यवाद।

^{37*} **श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर) :** मैं कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखना चाहता हूं। यह अत्यधिक प्रसन्नता की बात है कि 2019-20 के कृषि मंत्रालय के बजट अनुमानों को साल 2018-19 तुलना में 140 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। सरकार ने इस बजट में कृषि तथा उससे संबंधित आधारभूत ढांचे में भारी मात्रा में निवेश किया है तथा साथ ही साथ कृषि उत्पादों के मूल्य को बढ़ाने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु निजी उद्यमियों से सहयोग की आशा की है। सरकार ने 2018-19 के 86,602 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित बजट अनुमानों की तुलना में साल 2019-20 के बजट में 1,51,518 रुपये का प्रावधान किया है। सरकार के इस दिशा में किए जा रहे ईमानदारी के प्रयासों के कारण पिछले पांच सालों में कृषि क्षेत्र की विकास दर 2.9 प्रतिशत हो गई है।

हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का एकमात्र तरीका यह है कि हम किसानों को देश की सम्पदा उत्पादक के रूप में देखें न कि मात्र खाद्यान्न उत्पादनकर्ता के रूप में। हम किसानों को निर्यातक बनाना चाहते हैं तथा इस दिशा में अत्यधिक संभावनाएं हैं। प्रधान मंत्री जी की इसी नीति का अनुसरण करते हुए आदरणीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में "गांव, गरीब और किसानों" पर अपने बजट को केंद्रित किया है तथा बजट में कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रत्येक पहलू का ध्यान रखा है।

मत्स्य क्षेत्र की कमियों को समाप्त करने हेतु मछुआरों के लिए प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना घोषित की गई है। सरकार ने अलग मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का गठन किया है तथा योजना के लिए 805 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है ताकि इस क्षेत्र की उत्पादन मूल्य वृद्धि, इसके आधारभूत ढांचे का आधुनिकीकरण, उत्पादकता तथा गुणवत्ता जैसी गंभीर समस्याओं को सुलझाया जा सके।

वित्त मंत्री जी ने कहा है कि वह चाहती हैं कि "जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग" की दिशा में लौटा जाए और इस हेतु कृषि ढांचे में बजट में भारी निवेश किया है। इस तरीके में खेतों की उर्वरता को बढ़ाने के लिए

^{37*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

रासायनिक खाद की बजाय गाय के गोबर, मूत्र और शीरे को मिलाकर खाद बनाई जाती है। मेरा मानना है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की नीति से किसानों को बहुत अधिक फायदा होगा तथा वे उधार के जंजाल से मुक्त होंगे तथा साथ ही साथ अधिक फसल का उत्पादन संभव होगा। आजादी की 75वीं सालगिरह के अवसर पर उठाए गए इस कदम से किसानों की आमदनी को दुगना करने में निश्चय ही सहायता मिलेगी।

बजट में किसानों के लिए 10000 उत्पादक संघ बनाने के सरकार के निर्णय से किसानों की खेती के लिए सामान खरीदने तथा फसल कटाई के बाद अपने उत्पाद को बेहतर मूल्य पर बेचने के लिए सौदेबाजी करने की क्षमता में सुधार होगा।

सरकार के समक्ष किसानों की आमदनी को 2022 तक दुगनी करने की चुनौती का सामना करने के लिए सरकार ने इस बजट में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बजट में किसानों पर वित्तीय बोझ कम करने तथा उनकी आय के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में अनेक प्रयास किए गए हैं। किसानों को हर साल 6000 रुपये की सीधे सहायता देना इस दिशा में पहला कदम है। साथ ही साथ सरकार किसानों की बड़े बाजारों तक पहुंच, शीतगृहों तथा प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना की दिशा में भी काम कर रही है ताकि किसानों को फसल कटाई के मौसम के बाद उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल सके।

बजट में सीतारमण जी ने चारा उत्पादन हेतु ढांचे के विकास, दूध प्रसंस्करण आदि पर ध्यान देते हुए किसानों को प्रोत्साहित किया है कि वे खेती के साथ ही साथ डेयरी कार्य, गोबर गैस संयंत्र आदि भी अपनाएं ताकि किसानों को अन्नदाता की बजाय उर्जादाता के रूप में जाना जाए।

जहां तक ग्रामीण विकास का संबंध है, उसका ध्यान रखते हुए बजट में इस हेतु बजट आबंटन को 2018-19 के 1,35,109 करोड़ रुपयों की तुलना में बढ़ाकर 2019-20 के लिए 1,40,762 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ग्रामीण सड़कों के लिए भी इस बजट में 80,250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत बजट में 2019-20 में 1.25 किलोमीटर सड़क निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यही नहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस साल ग्रामीण क्षेत्रों में 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण किया जाएगा। यही नहीं 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को बिजली तथा घरेलू गैस

कनेक्शन दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार के इन साहसिक कदमों से सरकार का किसानों तथा ग्रामीण विकास हेतु समर्पण स्पष्ट झलकता है।

दरअसल 2019-20 के बजट की आत्मा है "रिफार्म, परफार्म और ट्रांसफॉर्म" तथा इस मंत्र का अनुसरण करते हुए अगले कुछ सालों में नए भारत के लिए एक ताकतवर अर्थव्यवस्था निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों जिंदगी में बदलाव लाने के लिए तथा एक स्वच्छ एवं स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने के लिए सरकार कई योजनाओं पर एक साथ काम कर रही है जिनमें किसानों, मछुआरों और ग्रामीण शिल्पकारों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। इससे हमारा देश न केवल आत्मनिर्भर होगा अपितु ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बकाया मिलेगा तथा ग्रामीण रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ ही साथ खेती व्यवसाय का अपनी महत्ता वापस मिल पाएगी।

बजट में जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण आवासों में पेयजल आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है तथा इस हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन हेतु आबंटन में 81.8 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। स्वच्छ भारत मिशन को चालू रखते हुए अब प्रत्येक गांव में सॉलिड वेस्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। नेशनल लाइवलीहुड मिशन के आबंटन को भी बढ़ाकर 3481 करोड़ कर दिया गया है।

यहां एक बात पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। प्रधान मंत्री किसान योजना, जिसके तहत किसानों को हर साल 6000 रूपयों की सीधे सहायता देने का निश्चय किया गया है, पर कुछ राज्यों में इस पर बहुत धीमी गति से काम हो रहा है। अभी तक इसके लिए सिर्फ 27 प्रतिशत लाभार्थियों की पहचान की गई है। मेरा सभी राज्य सरकारों से अनुरोध है कि लाभार्थियों की पहचान हेतु प्रक्रिया में तेजी लाई जाए ताकि सभी किसान लाभार्थियों को समय पर सहायता पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सके।

देश में कृषि क्षेत्र के भारी बदलाव की दिशा में ले जाने वाला यह बजट वास्तव में 'नए भारत' का बजट है तथा इसमें खेती, किसान कल्याण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रत्येक पहलू का ध्यान रखा गया है। ऐसा महत्वपूर्ण बजट पेश करने के लिए मैं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को एक बार पुनः बधाई देता

हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बजट से ग्रामीण जनता के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आएगा तथा एक ताकतवर 'नए भारत' के निर्माण में सहायता मिलेगी।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

धन्यवाद।

38* श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): वर्ष 2019-20 के लिए ग्रामीण विकास तथा कृषि कल्याण मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ। भारत कृषि प्रधान देश है। तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण के उपरान्त भी हमारे देश की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी गांवों में निवास करती है, व कृषि पर निर्भर है। खुशहाल किसान खुशहाल भारत की गारंटी है। कृषि व ग्रामीण विकास के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने गत पाँच वर्षों में उल्लेखनीय कार्य किये हैं। देश में पहली बार लगभग मूल्य के डेढ़ गुणा समर्थन मूल्य किसानों को देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। अनेकों फसलों को हम दायरे में लाकर किसानों को उनके परिश्रम का सही मूल्य देने का कार्य सरकार ने किया। किसानों की आमदनी दोगुना करने की दिशा में प्रस्तुत बजट सहायक होगा इससे इसमें कोई शंका नहीं है। कृषि के साथ-साथ ग्रामीण रोजगार सृजन हेतु बजट में किये गये प्रावधानों का स्वागत किया जाना चाहिए। बैंगू, शहद, व खादी से संबंधित उत्पादों के विकास व प्रशिक्षण हेतु 100 क्लस्टर्स स्थापित करना प्रशंसनीय कार्य है। किसान सम्मान निधि व पेंशन योजना से किसान लाभान्वित होगा। गाँव-गरीब व किसान को मिली इस राहत से खपत बढ़ेगी व रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।

अनुदानों को खुशहाल बनाने व किसान को सम्मान दिलाने हेतु किये गये प्रावधानों के लिए मोदी जी की सरकार बधाई की पात्र है।

38* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

39* श्री अनुराग शर्मा (झांसी): कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो देश की पचास प्रतिशत आबादी को रोजगार प्रदान करने के साथ साथ सौ प्रतिशत आबादी को भोजन प्रदान करता है, और साथ साथ कृषि क्षेत्र हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात् जी.एस.टी. को 18 प्रतिशत का योगदान प्रदान करता है।

मैं अनुभव से कह सकता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसानों के बारे में सालो उपेक्षित किसानों के बारे में सोचा है कि वे हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से किसानों के आय के साधन हो सकें और इसके लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा, किसानों को फार्म कार्ड प्रदान करना, नई मंडियों का निर्माण फार्म, ई-मंडी की स्थापना के माध्यम से किसान अपनी उपज का सबसे बेहतर मूल्य पता कर सकते हैं, कृषि बीमा योजना को लागू करना, प्रधानमंत्री किसान योजना को लागू करना जिससे हर किसान को हर साल बीज मिलेगा, आदि के लिए हर साल छह हजार पाउंड का बीज दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सिंचाई के साधनों पर अनुदान प्रदान किया जाना, इन सब से आने वाले समय में किसानों की आय दोगुनी होने में बहुत मदद मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस क्षेत्र के विकास के लिए जिन योजनाओं की घोषणा की है उनका असर अब इस क्षेत्र के विकास में महसूस किया जाने लगा है।

जैसा कि हम सब जानते हैं हमारा देश अनाज, चावल, दाल, साबुत और पिसे मसालों का सब से बड़ा उत्पादक है, उसके साथ फलों और सब्जियों का ये विश्व में दूसरे नंबर का उत्पादक है और इसमें लगातार वृद्धि दर्ज देखने को मिल रही है जो कि भारत की आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत अच्छे संकेत प्रदान करती है।

धान, गेहूँ, दलहन, मूंगफली, सरसों, तिल आदि जैसे तिलहन, सब्जी, गन्ना, कपास, तम्बाकू आदि उत्पादों की पैदावार में भारत विश्व के तीन बड़े उत्पादकों में शुमार है। इन सबके बाद भी कृषि को निम्न स्तर का व्यवसाय माना जाता है, आज भी अधिकतर कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग ही हैं जो व्यवसाय के तौर पर अपनाते हैं। ये क्षेत्र आज भी भारी असंभावनाओं से गुजर रहा है, आधी अधूरी जानकारी, अज्ञानता,

39. भाषण सभा पटल पर रखा गया।

तकनीक की जानकारी न होना धनाभाव, सिंचाई की अपर्याप्त सुविधाएं, पानी की कमी जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। देश का बहुत बड़ा क्षेत्र आज भी कृषि के लिए बारिश के पानी पर निर्भर रहता है और असामान्य या न के बराबर बारिश के कारण आज देश के किसानों के लिए कृषि अलाभकारी क्षेत्र बन गया है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और आर्थिक व्यवस्था है यहाँ की लगभग पचास प्रतिशत जनसँख्या कृषि या कृषि आधारित क्षेत्र जैसे पशुपालन, मछलीपालन, पोल्ट्री, मांस व्यवसाय आदि पर अपनी आजीविका चलती है, आन्तरिक खाद्यान्न की पूर्ति के साथ बहुत सा देश में उत्पादित अनाज सब्जी, मांस मछली आदि विदेशों को निर्यात भी होती हैं। देश में कुल अनाज उत्पादन लगभग 300 मिलियन टन का होता है।

किसानों को सिंचाई के अतिरिक्त जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वो है :

अच्छे बीज की उपलब्धता की कमी। बीज खाद, खरीदने के लिए पैसे की कमी। सही सिंचाई एवं वर्षा की कमी। खेती में उपयोग होने वाले यंत्रों की कमी। मृदा की सही जांच की कमी। खेती के नवीन वैज्ञानिक तरीकों के प्रशिक्षण की कमी। उत्पादों के भंडारण यानि भण्डारण की कमी। लगातार बिजली आपूर्ति न मिल पाना। उत्पाद को मंडी तक ले जाने की समस्या। खेती के उत्पादों को बेचने में बिचौलियों की समस्या। कृषि उत्पादों का सही मूल्य न मिल पाना।

इन कारणों से किसान कड़ी मेहनत कर के भी गरीब ही रह जाता और कर्ज के भार को आजीवन ढोता रहता है।

मैं बुन्देलखण्ड के जिस झाँसी ललितपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ वह इस देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में शुमार होता है, यहाँ की पठारी भौगोलिक स्थिति, यहाँ की मिटटी की गुणवत्ता, यहाँ का चरम जलवायु, वर्षा जल पर खेती की निर्भरता इस क्षेत्र को किसानों को खेती छोड़ कर मजदूरी करने पर मजबूर कर देती है, यहाँ उचित सिंचाई के अभाव में किसान कर्ज के फेर में उलझता जाता है,

हमारे यहाँ औसत जलवर्षा लगभग 800 मी.मी. के आसपास होती है मगर कुछ वर्षों से तो इतनी इतनी बारिश भी नहीं हो रही और बुंदेलखंड का किसान अत्यंत दयनीय हालत में है। पानी की कमी के कारण किसानों को भारी समस्याएँ उठानी पड़ती हैं।

मेरे संसदीय क्षेत्र में 9,42,742 (नौ लाख बयालीस हजार सात सौ बयालीस) हेक्टेयर कृषि भूमि है जिसमें से सिर्फ 584151 (पांच लाख चौरासी हजार एक सौ इक्यावन) हेक्टेयर भूमि ही सिंचित है बाकी की कृषि भूमि असिंचित है और वर्षा जल पर आधारित है।

अगर यहाँ के किसानों को उन्नत बीज निःशुल्क या कम दाम पर यदि उपलब्ध कराया जाए और उसे जीरो बजट खेती की ओर प्रेरित किया जाये तो उनकी खेती का मूल्य उन्हें पहले से अधिक मिल सकता है इसके लिए आवश्यकता है बीज के साथ इनको उचित प्रशिक्षण प्रदान कराने की और उनमें ये विश्वास जगाने की कि जीरो बजट खेती अधिक लाभकारी होने के साथ साथ उनकी मिट्टी को भी खेती के लिए सदैव जीवित रखती है।

मेरे क्षेत्र ललितपुर में कृषि विकास के लिए एक कृषि अनुसंधान केंद्र की आवश्यकता है जिससे इस क्षेत्र के किसानों को नयी वैज्ञानिक खोज, नये अनुसन्धान, उन्नत बीज, आधुनिक तकनीक प्राप्त हो सके।

ग्राम स्तरीय लोक सेवक किसानों की समस्या के प्रति अधिक संवेदनशील होकर सोचें और किसानों को सरकारी योजनाओं और मदद को उन तक पहुंचाएं ताकि वे समृद्ध हो सकें।

बुन्देलखण्ड में बहुत आवश्यक है यहाँ के किसानों को शिक्षित करने की कि उनकी भूमि किस फसल के लिए उपयुक्त है तथा उनकी मृदा जांच यानी मृदा परीक्षण कर उनको उनकी जल उपलब्धता, मिट्टी की गुणवत्ता के मुताबिक फसलों का चयन बताया जाए।

किसानों के क्षेत्रीय उत्पादों को क्लस्टर बना कर यदि उनका उत्पादन एवं मार्केटिंग की जाए तो छोटे किसान भी आर्थिक रूप से सशक्त हो सकेंगे एवं उनके पलायन पर रोक लगेगी।

आयुर्वेदिक खेती जैसे तुलसी, हल्दी, अदरक, गिलोय, सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, अर्जुनाह, आंवला, महुआ, नीम, गूलर, जामुन, कड़ी-पत्ता आदि का उत्पादन करने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया जाए तथा उनकी मार्केटिंग के लिए उचित व्यवस्था की जाए।

सभी कृषि यंत्रों एवं नवीन सिंचाई के तरीकों में प्रयुक्त यंत्रों की खरीद में जैसे स्प्रिंकलर, सोलर पम्प, ड्रिप इरीगेशन, पौली हाऊस आदि में किसानों को 90% तक का अनुदान दिया जाए।

धन्यवाद।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे आपने रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की ग्रांट्स पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मान्यवर, कृषि क्षेत्र पर बोलने से पहले मुझे आदरणीय मुरलीधर शर्मा तालिब जी का एक शेर याद आता है-

"सितम की दास्तान किस रोश्राई से रकम होगी,

लहु की धार से दफ्तर का दफ्तर लिख दिया है।

किसानों को मयस्सर नहीं जब दो वक्त की रोटी

तो ऐसे खेत को बेसुध और बंजर लिख दिया है।"

मुझे कृषि क्षेत्र में इस सरकार को यह कहना है कि ये बेसुध और बंजर हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने किसानों के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया है। बेसुध और बंजर होने की इस स्थिति के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि कृषि और किसान कल्याण में सरकार ने एक बहुत बड़ी रकम को बढ़ाने का काम किया है। इन्होंने 1,38,564 करोड़ रुपये का बजट दिया है।

अपराह 5.02 बजे

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश पीठासीन हुए)

देखने में पिछले साल के मुकाबले इसमें 82 परसेंट की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन अंदर से यह पूरी तरह से खोखला है। आपने बड़ी-बड़ी कल्याणकारी नीतियों के वायदे चुनाव में किए, उनमें आपने धन देने का काम किया, लेकिन जिससे किसानों का भला होना चाहिए, उस क्षेत्र में कोई भी पैसा देने का काम नहीं किया है। कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में बजट में मात्र 1.6 परसेंट की बढ़ोतरी की गई है। यह एक ...⁴⁰ आंकड़ा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया और सरकार द्वारा गठित किसानों की आय दोगुनी करने वाली समिति ने यह बताया है कि भारत की जो एग्रीकल्चर जीडीपी है, उसका मात्र 0.37 परसेंट यह सरकार अनुसंधान और विकास पर खर्च करती है। वहीं आप चीन को देख

⁴⁰ कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

लीजिए। तमाम लोग कहते हैं कि हमें चीन और अमेरिका से आगे बढ़ना है। यह सरकार एक सशक्त भारत की बात करती है। सशक्त भारत कैसे होगा, जबकि हमारे देश का 40 परसेंट किसान खेती में लिप्त है। वहीं चीन में कम लोग खेती में हैं, लेकिन वहां के बजट में करीब 0.62 परसेंट कृषि अनुसंधान पर खर्च किया जाता है। अमेरिका में 2.8 परसेंट एग्रीकल्चर पर जीडीपी का खर्च किया जाता है। ब्राजील में 1.8 परसेंट एग्रीकल्चर पर जीडीपी का खर्च किया जाता है। मैक्सिको में 1.05 परसेंट और मलेशिया जैसे छोटे देश में भी एक परसेंट खर्च किया जाता है और भारत में ... ⁴¹ तरीके 0.37 परसेंट खर्च करता है, यह हमारे लिए बहुत ... * की बात है। कृषि की संसदीय स्थायी समिति की 2016 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने कृषि और अनुसंधान पर निर्धारित बजटीय कोष को भी पूरा खर्च नहीं किया है, उसको भी खर्च नहीं कर पाते हैं। यह हमारे लिए कितनी ... * स्थिति है। मैं आज आपके माध्यम से सरकार को यह उजागर करना चाहता हूं।

मान्यवर, अगर सरकार की मंशा है कि किसानों की आय दोगुनी हो तो कुछ बड़ी चुनौतियां हमारे सामने हैं, जिन्हें सरकार को बड़ी गम्भीरता से लेने की जरूरत है। उन चुनौतियों में से सबसे प्रमुखता पर शहरीकरण और औद्योगिकीकरण से कृषि भूमि की कमी हो रही है।

मान्यवर, भू-जल में भारी गिरावट आ रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है और कृषि में बेरोजगारी फैल रही है। लेकिन इन सब चीजों पर ध्यान देने के बजाय अगर वह कृषि अनुसंधान के ऊपर पैसा देते, तो शायद आप इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देकर किसानों के लिए एक बेहतर दिन लाने का काम कर सकते थे। लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। कुछ ऐसी जन-कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदों के लिए हैं। उसके ऊपर सरकार एक बड़ा बजट, हजारों-करोड़ रुपयों का बजट दे रही है, जिससे किसानों के अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। उनसे सिर्फ और सिर्फ किसानों के दुर्दिन आने वाले हैं, क्योंकि आप क्षणिक लाभ के लिए, चंद दिनों के लाभ के लिए, उनको भारी फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, जिससे आजकल किसानों को कोई

⁴¹ कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

फायदा नहीं हो रहा है, वे अपना बीमा तो करवाते हैं, लेकिन उनको बीमे का पैसा नहीं मिलता है। कृषि ऋण एवं उर्वरक इत्यादि के ऊपर बड़ी-बड़ी छूट दी जाती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अगर आप सिर्फ उर्वरकों के ऊपर ही छूट को ले लें, तो उर्वरकों के ऊपर दी जा रही छूट को हाल ही में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन्स... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री रितेश पाण्डेय: मेरे पास 10 मिनट का समय है। मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है।

[हिन्दी]

मान्यवर, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन्स की नीति का पत्र, 2017 जिसका शीर्षक है, भारतीय फार्म्स को स्मार्ट तरीके के हिसाब से उर्वरक के ऊपर एक रुपये की छूट पर... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: कृपया अब समाप्त करें।

श्री रितेश पाण्डेय: जी, महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूँ।

[हिन्दी]

मान्यवर, एक रुपये की छूट के ऊपर सरकार को करीब 12 प्रतिशत का नुकसान होता है। अगर यही एक रुपये कृषि अनुसंधान और विकास के ऊपर खर्च किया गया होता, तो किसानों और सरकार को 11 गुना फायदा होता। इसलिए, मैं यह कहना चाहता हूँ कि रिसर्च और डेवलेपमेंट के ऊपर उचित खर्च करना बहुत जरूरी है।

मान्यवर, मेरा एक अंतिम बिन्दु है। इसी क्षेत्र में पशु पालन और डेयरी विभाग भी जुड़ा हुआ है। इसमें हाल ही में सबसे ज्यादा मॉब लिंग की वजह से मवेशियों का बाजार पूरी तरह से टूट गया है।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: कृपया अब समाप्त करें।

श्री रितेश पाण्डेय: जी, महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूँ।

[हिन्दी]

मान्यवर, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान गांव के गरीब किसान को होता है, जो एक-दो मवेशी को अपने पास पालने के लिए रखते हैं।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: कृपया अब समाप्त करें।

श्री रितेश पाण्डेय: मुझे अपनी बात समाप्त करने दें। कृपया मुझे एक मिनट और दें। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। यह मेरा आखिरी मुद्दा है।

[हिन्दी]

मान्यवर, इसी के साथ ही साथ यह जो 2 प्रतिशत का टीडीएस नकदी के ऊपर बढ़ाया गया है, इसका सबसे बड़ा नुकसान डेयरी के क्षेत्र में होने वाला है। जो लोग गाय और भैंस की खरीद करते हैं, उनसे दुग्ध का उत्पादन करते हैं, वे लोग नकदी में खरीदते हैं। उसको बड़ी-बड़ी डेयरी कंपनियां खरीदती हैं, जब वे एक करोड़ रुपये के ऊपर 2 प्रतिशत टीडीएस देंगी, तो कितना बड़ा नुकसान होगा। इससे बाजार और टूटेगा और किसानों को काफी समस्याएं आएंगी। यह सरकार पूरी तरह से विफल है और किसान विरोधी है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, मंचर ने बोलते हुए कहा है कि भारत... ^{42*} है। भारत कभी...

* नहीं हो सकता है।... (व्यवधान)

^{42*} कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रितेश पाण्डेय : महोदय, वह भारत सरकार भी हो सकता है।... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : सभापति महोदय, वह अनपार्लियामेन्ट्री है। आप उसको निकलवा दीजिए।...

(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: मैं कार्यवाही-वृत्तान्त देखूंगा और इसकी जांच करूंगा।

...(व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय: यह असंसदीय नहीं है।

माननीय सभापति: हम कार्यवाही-वृत्तान्त से पता लगाएंगे। हम कार्यवाही-वृत्तान्त को देखेंगे।

[हिन्दी]

^{43*} **श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):** आज मैं ग्रामीण विकास एवं कृषि तथा किसान कल्याण की अनुदान मांगों के समर्थन में अपनी बात कहना चाहता हूँ। हमारी सरकार ने किसान केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का निश्चय किया है। प्रधान मंत्री श्री मोदी जी ने सत्तारूढ़ होने के बाद पहला संकल्प लिया था कि हमारी सरकार किसानों, गरीबों, नौजवानों एवं महिलाओं के लिए समर्पित सरकार होगी। सरकार ने किसानों की आय को दो गुना करने के लिए एक स्पष्ट नीति तैयार की, जिससे किसानों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। किसान बिचौलियों के शिकार न हो, इसके लिए सरकार ने अभियान चला कर सभी किसानों को बैंकों से जोड़ने का निर्णय किया। श्री मोदी जी के निर्देश पर किसानों सहित, देश में 35 करोड़ जन-धन खाते खोलने का निर्णय लिया गया। आम किसानों को, केंद्र की किसी भी योजना की सब्सिडी सीधे उनके खाते में हमारी सरकार ने भेजने का निर्णय लिया। किसान अपने जन-धन खाते से पांच हजार रुपये का ओवर ड्रॉफ्ट भी ले सकता है। किसान को स्वावलंबी बनाने के लिए समर्थन मूल्य में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। पहले किसानों को यूरिया के लिए दर-बदर चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन मोदी जी ने किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए नीम कोटेड यूरिया उपलब्ध कराने का निश्चय किया। अब आम किसानों को उनकी आवश्यकतानुसार खाद उपलब्ध है।

किसानों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए इस बजट में 75 हजार करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। पहले 12 करोड़ किसानों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उन्हें उधार रुपये लेने से बचाने का निर्णय किया था। कोई भी किसान हो, चाहे वह मंडी का किसान हो अथवा दो हेक्टेयर से ऊपर जोत का किसान हो, उन सभी किसानों के लिए, जो किसान की परिभाषा में आता है, उसे प्रधान

^{43*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 6 हजार रुपये प्रति परिवार प्रत्येक वर्ष उनके खाते में देने का निर्णय लिया है।

हमारी सरकार ने मनरेगा में पिछले वर्ष के परिव्यय 55 हजार करोड़ रुपये की जगह इस वर्ष 60 हजार करोड़ रुपये निर्धारित किया है जिससे ग्रामीण इलाकों में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक मानव दिवस सृजित होंगे। इस बार पीएमजीएसवाई के लिए 19 हजार करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया है। हमारी सरकार का संकल्प है कि देश के सभी गांव पक्की सड़कों से जुड़ जाएं, जिससे गांवों में किसानों को अपना उत्पाद मंडी तक ले जाने के लिए सड़कें उपलब्ध हों। इस तरह से वहां किसानों की आय में वृद्धि होगी।

भारत जैसे देश में किसानों की जमीन का मृदा परीक्षण करा कर स्मॉयल हेल्थ कार्ड प्रत्येक किसान को उपलब्ध कराने के लिए अभियान चलाकर वितरित किया जा रहा है। किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए उसे प्रधान मंत्री किसान फसल बीमा से आच्छादित किया गया है। भारत गांवों में बसता है। देश की 67 प्रतिशत आबादी आज भी गांवों में रहती है। देश की विकास दर, जीडीपी में आज भी किसानों के द्वारा 15 प्रतिशत का योगदान किया जा रहा है। इस बार के बजट में हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुल बजट का 4.4 प्रतिशत परिव्यय आबंटित किया है। हमारी सरकार ने देश के प्रत्येक परिवार को सन् 2022 तक पक्की छत प्रधान मंत्री आवास के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। सरकार केवल घर ही उपलब्ध नहीं कराएगी, बल्कि हर घर में शौचालय भी प्रदान करेगी तथा उस घर में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन भी दिया जाएगा। सरकार का निर्णय है कि घरों में महिलाओं को क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ईंधन, उज्ज्वला योजना के माध्यम से मुफ्त गैस का चूल्हा दिया जा रहा है, जो अभी तक गरीब परिवारों के लिए एक सपना ही था। आज गांवों में भी हमारी सरकार शहरों की तरह सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प हैं। पहली बार सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी की संस्तुतियों को लागू करने का निर्णय लिया है। पिछली सरकारों में यह सदन इस बात का गवाह रहा है कि किसानों के हित में स्वामीनाथन कमेटी की संस्तुतियों को लागू करने की मांग उठती थी, लेकिन उसे पूरा करने का काम मोदी सरकार ने किया। उसी का परिणाम है कि किसानों की आय को दो गुना करने के लिए हमारी सरकार योजनाओं को बनाकर पूरा करने का काम कर रही है। प्रधान मंत्री किसान सिंचाई योजना के लिए अधिक परिव्यय देकर अधिक क्षेत्र को सिंचित करने का

निश्चय किया है। हमारी सरकार ने कृषि के बजट में प्राथमिकता देकर किसानों के कल्याण के लिए अधिक से अधिक योजनाओं को लागू करने का निश्चय करके उन्हें पूरा करने के लिए धन की भी व्यवस्था की है। भारत कृषि प्रधान देश है, इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण के लिए अधिक से अधिक फोकस करने का निर्णय लिया है। प्रधान मंत्री किसान फसल बीमा योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिले, इसका प्रयास हमारी सरकार कर रही है, जबकि पहले बीमा कंपनियों को अधिक फायदा पहुंचता था। हमारी सरकार ने किसानों की सुरक्षा के लिए प्रधान मंत्री किसान पेंशन योजना लागू की है। इसी के साथ मैं ग्रामीण विकास एवं कृषि की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी (मेडक): महोदय, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे इस सम्माननीय सभा में बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महात्मा गांधी जी ने कहा था, "भारत की आत्मा इसके गांवों में बसती है।"

मिशन भागीरथ और कालेश्वरम परियोजनाएं सबसे प्रतिष्ठित परियोजनाएं हैं और तेलंगाना के हमारे माननीय मुख्यमंत्री का सपना हैं। तेलंगाना में सभी घरों को पर्याप्त, सुरक्षित, सतत और पीने योग्य जल उपलब्ध कराने के सरकार के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में कार्य तेजी से अपने अंतिम चरण की ओर अग्रसर है। इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 95 प्रतिशत भौतिक कार्य निर्धारित समय से पूर्व पूर्ण कर लिए गए हैं। इस मिशन के तहत लगभग 5,500 ग्रामीण बस्तियों और 12 शहरी स्थानीय निकायों को थोक जल आपूर्ति प्रदान की जा रही है, जबकि लगभग 2,500 बस्तियों को घर-घर पेयजल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

नीति आयोग ने भी 24,000 करोड़ रुपये के आबंटन की सिफारिश की थी लेकिन एक भी रुपया मंजूर नहीं किया गया।

महोदय, जहां तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए, विशेष रूप से तेलंगाना जैसे पिछड़े राज्यों में, एक वर्ष में दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर कम से कम 150 करने की आवश्यकता है। महत्वाकांक्षी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफलता दर तेलंगाना में 36 प्रतिशत के रूप में अधिक है। इसलिए सभी स्तरों पर रिसावों को भरने की आवश्यकता है अन्यथा योजना का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। तेलंगाना में, मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी उत्साहजनक और फायदेमंद रही है और अधिक भागीदारी की आवश्यकता है।

ग्राम ज्योति योजना एक प्रतिष्ठित परियोजना है जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों को मजबूत करके मुख्य क्षेत्रों में लोगों को सेवा वितरण में सुधार करना है। महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए, यह

योजना तेलंगाना जैसे गरीब राज्य में सड़क, नालियां, स्वच्छता, पेयजल, स्ट्रीट लाइट आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने पर केंद्रित है।

महोदय, तेलंगाना पल्ले प्रगति परियोजना (तेलंगाना ग्रामीण समावेशी विकास परियोजना - टी.आर.आई.जी.पी.) आजीविका के अवसरों का विस्तार और विविधता लाकर समावेशी विकास हासिल करने के लिए गरीबों के लिए संस्थागत प्लेटफार्मों को सक्षम करने पर केंद्रित है। इस योजना के लक्षित लाभार्थी राज्य के 150 अति-पिछड़े मंडलों में स्थित लगभग 6,000 गांवों के छोटे और सीमांत किसान तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के परिवार हैं।

नीरांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) के वाटरशेड विकास घटक के तहत वाटरशेड क्षेत्रों में बेहतर परिणाम के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके किसानों की जरूरतों को पूरा करना है। यह योजना तेलंगाना जैसे पिछड़े राज्य के लिए बहुत उपयोगी है। पी.एम.के.एस.वाई. के तहत तेलंगाना राज्य को वर्ष 2014 में ही धनराशि स्वीकृत की गई थी। मैंने पहले ही केंद्र सरकार से सिद्दीपेट जिले में पाँच वाटरशेड परियोजनाओं को बहाल करने का अनुरोध किया है, जो मेरे संसदीय क्षेत्र मेडक में आता है। वाटरशेड परियोजनाओं के तहत काम को मंजूरी दी गई थी और इसे पी.एम.के.एस.वाई. योजना के तहत लिया जाएगा।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) की बात करते हुए, मैं बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार द्वारा अब तक अपर्याप्त आबंटन के कारण तेलंगाना राज्य सरकार ने इस योजना में ज्यादा प्रगति नहीं की है। इस योजना के अंतर्गत भविष्य में केन्द्र से आबंटन बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक सामाजिक एवं आर्थिक लाभ प्रदान किए हैं।

महोदय माननीय प्रधान मंत्री द्वारा घोषित उज्ज्वला और सौभाग्य योजना जैसी दो प्रमुख पहलों ने प्रत्येक ग्रामीण परिवार के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन लाया है, जिससे उनकी जीवन-शैली में अभूतपूर्व सुधार हुआ है और जीवन यापन और अधिक सुगम हो सका है। देशभर के सभी गाँवों और लगभग 100

प्रतिशत घरों को शामिल करने वाले 7 करोड़ एलपीजी से अधिक कनेक्शनों के प्रावधान के माध्यम से स्वच्छ रसोई गैस तक घरेलू पहुंच में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है।

महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन तेलंगाना राज्य सरकार ने पहले ही वर्ष 2014 में 'डबल बेड रूम हाउसिंग स्कीम' के तहत 'सभी के लिए आवास' के लिए एक पहल की है। वर्ष 2018-19 में ग्रामीण विकास के लिए बजटीय आबंटन लगभग 1,84,000 करोड़ रुपये था। वर्तमान बजट में ग्रामीण विकास के लिए सकल आबंटन 1,91,870 करोड़ रुपये है। इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए तेलंगाना राज्य के लिए कोई विशेष आबंटन नहीं है।

व्यय पक्ष की दृष्टि से देखें तो वर्ष 2018-19 के लिए ग्रामीण विकास का संशोधित अनुमान 1,38,097 करोड़ रुपये रहा, जबकि वर्ष 2019-20 में इसे बढ़ाकर 1,40,762 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

मैं यह बताना चाहता हूँ कि भले ही हमारी नवगठित तेलंगाना राज्य गरीब लोगों के समग्र कल्याण के लिए इन प्रतिष्ठित परियोजनाओं को लागू कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार को राज्य को इन योजनाओं को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए बजटीय सहायता के साथ आगे आना चाहिए। धन्यवाद।

^{44*} **श्री बी.वाई. राघवेन्द्र (शिमोगा):** मैं ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। कृषि, हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि यह देश की जी.डी.पी. का 14 प्रतिशत और इसके निर्यात का लगभग 11 प्रतिशत हिस्सा है। 60 प्रतिशत से अधिक आबादी आय के प्रमुख स्रोत के रूप में कृषि पर निर्भर करती है। इनमें से अधिकांश छोटे कृषि परिवार हैं।

आजकल कृषि अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रही है। उनमें से एक बारिश की कमी है। यह कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, विशेषकर छोटे, मध्यम तथा सीमांत किसानों के लिए क्योंकि उनमें से अधिकांश मानसून पर निर्भर हैं।

जहां तक कर्नाटक का सवाल है, राज्य हमेशा सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहा है। इस वर्ष लगभग 150 तालुकों में सूखे का असर किसानों के जीवन के साथ-साथ पशुधन पर भी पड़ रहा है।

यह जानकर बहुत आश्चर्य होता है कि कृषि विभाग के अनुसार, कर्नाटक में 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2018 के बीच पांच महीनों के दौरान 283 किसानों की आत्महत्या की सूचना मिली। कर्नाटक राज्य में हर 12 घंटे में कम से कम एक किसान आत्महत्या करता है। यह इस बात का संकेत है कि राज्य सरकार कृषि संकट पैदा करने वाले मुद्दों को हल करने में बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही है। इस दौरान सभी जिलों में किसानों ने आत्महत्या की सूचना दी।

सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कर्नाटक सरकार ने कोई प्रभावी उपाय नहीं किए हैं। किसानों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए चारा बैंक और पशु शिविर जैसे पर्याप्त बुनियादी ढांचे नहीं हैं। कर्नाटक की सरकार ने राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पशुधन की देखभाल के लिए कोई उचित नीति लागू नहीं की है।

^{44*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह कर्नाटक में गंभीर सूखा की स्थिति से जूझ रहे किसानों की सहायता के लिए आगे आए। राज्य में सभी होबली स्तरों और ग्राम पंचायत स्तर पर पशु शिविर और चारा बैंक स्थापित करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए। सूखा प्रभावित किसानों के लिए रोजगार सृजित करने के लिए सूखा राहत उपाय करने के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित करें।

केंद्र सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार को सभी आवश्यक सहायता देनी चाहिए। सूखा स्थिति के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए जिला स्तर पर आपातकालीन योजनाओं को तैयार करने की आवश्यकता है।

देश के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का सपना 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का है। मैं हमारे माननीय प्रधान मंत्री और एन.डी.ए. सरकार को हमारे किसानों को आर्थिक रूप से प्रगति करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए बधाई देता हूँ। यह दिखाता है कि हमारी सरकार किसान हितैषी है।

देश के 13 राज्यों में सुपारी की खेती की जाती है, विशेष रूप से कर्नाटक में यह फसल 16 जिलों में उगाई जाती है। हालांकि, सुपारी उत्पादक वर्तमान में गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं।

सुपारी को शुभ माना जाता है और यह सभी धार्मिक अनुष्ठानों एवं समारोहों में अत्यंत आवश्यक होती है। उत्तर भारत में सुपारी का उपभोग बड़ी संख्या में लोग करते हैं।

जहाँ तक मेरे शिवमोगा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का संबंध है। कर्नाटक के मालनाड क्षेत्र में सुपारी, कॉफी, रबर, गन्ना, केला, नारियल और धान मुख्य फसलें हैं। मेरा संसदीय क्षेत्र शिवमोगा, मालनाड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सुपारी, कॉफी और धान सहित प्रमुख फसलों में से एक है।

हम 12 जुलाई 2019 को सुपारी की खपत पर एक अतारांकित प्रश्न के सरकार द्वारा दिए गए उत्तर पर सुपारी उत्पादकों के बीच बढ़ती चिंता की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री द्वारा उत्तर में कहा गया कि 'कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि सुपारी के सेवन से शरीर के विभिन्न अंगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। इसके साथ ही, मुंह, गले, अन्नप्रणाली आदि में इसके कैंसरजनक होने की भी चिंताएं व्यक्त की गई हैं।'

इस संदर्भ में, मैं माननीय के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु द्वारा किए गए अध्ययनों में यह सिद्ध हुआ है कि सुपारी या तंबाकू रहित पान मसाला कैंसरजनक नहीं है, बल्कि यह रासायनिक कार्सिनोजन द्वारा उत्पन्न ट्यूमर के विकास को रोकता है। इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) के तहत केन्द्रीय वृक्षारोपण फसल अनुसंधान संस्थान ने सुपारी और मानव स्वास्थ्य पर एक कार्यशाला आयोजित की है और कहा है कि अकेले सुपारी के सेवन के दुष्प्रभावों को साबित करने के लिए कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है।

हम सम्पूर्ण सुपारी कृषक समुदाय की ओर से केन्द्र सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि चूंकि लाखों परिवार सुपारी की खेती, व्यापार एवं उससे सम्बंधित गतिविधियों पर आश्रित हैं, अतः उनकी चिंता एवं हितों का उचित ध्यान रखा जाए। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि सुपारी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभावों से संबंधित ऐसे अध्ययन करने वाले अनुसंधान संस्थान का नाम एवं अनुसंधान के लिए अपनाए गए मापदंडों को सार्वजनिक किया जाए। जहां तक मेरी जानकारी है, सुपारी के अकेले सेवन के स्वास्थ्य पर किसी प्रतिकूल प्रभाव के लिए वैज्ञानिक परीक्षण नहीं किया गया है। यह विभिन्न संस्थाओं सहित आईसीएआर-सीपीसीआरआई, कासरगोड़ की भी मान्यता है।

इसलिए, हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि कृपया मेरे अनुरोध पर विचार करें और देश में विशेष रूप से कर्नाटक राज्य में सुपारी उत्पादकों की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार की ओर से एक बयान जारी करें। इसके अलावा सुपारी उत्पादकों को सुपारी के अवैध आयात की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बांग्लादेश, श्रीलंका आदि जैसे पड़ोसी देशों से सुपारी के आयात के कई उदाहरण हैं। शिवमोगा में सुपारी कारोबार का कुल वार्षिक कारोबार 200 करोड़ रुपये से अधिक है। सुपारी के अवैध आयात से न केवल घरेलू सुपारी उत्पादक और व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि इससे देश के राजकोष

को भी भारी नुकसान हो रहा है। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया घरेलू सुपारी उत्पादकों की सुरक्षा हेतु सुपारी के अवैध आयात को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

सुपारी की मिलावट एक गंभीर समस्या बन गई है। यह माफिया कर्नाटक सहित पूरे देश में सुपारी व्यापार को प्रभावित कर रहा है। एक संगठित गिरोह निम्न गुणवत्ता वाली सुपारी को बांग्लादेश एवं श्रीलंका से आयातित उच्च गुणवत्ता वाली सुपारी में मिलाकर बाजार में प्रविष्ट कर रहा है, जिससे व्यापार और उत्पादकों को भारी नुकसान हो रहा है।

शिवमोगा में लगभग 60% किसान सुपारी की खेती करते हैं। यह क्षेत्र अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ रंगाई के लिए प्राकृतिक तत्वों का उपयोग किया जाता है। तथापि, मिलावट और गलत प्रथाओं में संलिप्त कुछ लोग रसायनों का उपयोग कर रहे हैं। अतः यदि सरकार मिलावट को समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी, तो इससे सुपारी की मांग में वृद्धि होगी और परिणामस्वरूप हमारे गरीब किसानों को अपनी सुपारी की फसल के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त होंगे।

मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस पर गौर करे और सुपारी के व्यापार में मिलावट और गड़बड़ी को समाप्त करने के लिए तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें।

जहाँ तक कॉफी उत्पादकों का संबंध है, वे छोटे पैमाने पर कॉफी उगाने वालों को उनकी उपज की उपचार प्रक्रिया के बाद सीधे बिक्री करने में सक्षम बनाने हेतु आयकर नियम 7 ख (1) को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। इसलिए उत्पादकों को मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने से सीधे अधिक लाभ मिलेगा। हालांकि, केंद्र सरकार ने देश के विशेषकर कर्नाटक राज्य के कॉफी और रबर उत्पादकों की मांग को पूरा करने के लिए बजट में कोई सकारात्मक घोषणा नहीं की है।

अतः, मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह कर्नाटक सहित देश के बागान उत्पादकों की मांगों को पूरा करने के लिए तत्काल आवश्यक उपाय करने हेतु इन मांगों पर ध्यान दे।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय कृषि कई चुनौतियों का सामना कर रही है। जहां उच्च निवेश लागत और अनियमित मौसम के कारण कृषि आय घट रही है, वहीं मिट्टी के पोषक तत्व और पानी जैसे

प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता भी तेजी से घट रही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वर्ष 1991 से वर्ष 2011 तक किसानों की संख्या में 15 मिलियन की गिरावट आई। अब कृषि क्षेत्र के विकास के लिए युवाओं को आकर्षित करने और किसानों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि ग्रीन हाउस खेती को प्रोत्साहित करना समय की मांग है।

ग्रीनहाउस खेती देश में तेजी से लोकप्रिय हो रही है, जिसमें मेरे राज्य कर्नाटक सहित, मेरे मालनाड क्षेत्र में भी इसका व्यापक प्रसार हो रहा है। युवा वर्ग ग्रीनहाउस खेती में बाहरी कृषि की तुलना में अधिक रुचि दिखा रहा है। केवल एक चिंता यह है कि ग्रीनहाउस खेती के प्रारंभिक चरण में उच्च निवेश की आवश्यकता होती है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कृषि के विकास के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। हमारी एनडीए सरकार ने 2022 तक कृषि आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

देश के लोग खेती में रुचि दिखाने लगे हैं। हाल के दिनों में जिन लोगों की कोई कृषि पृष्ठभूमि नहीं है, वे ग्रीन हाउस में सब्जियों और विभिन्न प्रकार के फूलों को उगाने में अचानक रुचि दिखाने लगे हैं। भले ही सरकार ग्रीन हाउस स्थापित करने के लिए सब्सिडी देकर प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन यह बहुत कम लोगों तक सीमित है।

चूंकि ग्रीनहाउस खेती पौधों को प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों जैसे कि हवा, ठंड, वर्षा, अत्यधिक विकिरण, चरम तापमान, कीट और रोगों से संरक्षण प्रदान करती है, इसलिए किसान, विशेषकर युवा वर्ग, इसे बाहरी खेती की तुलना में अधिक विश्वसनीय मानते हैं। इसलिए मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह ग्रीन हाउस बनाने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने हेतु राजसहायता सहित वित्तीय सहायता प्रदान करके सभी आवश्यक कदम उठाए। एक बार ऐसा हो जाने पर, वे अच्छा लाभ अर्जित कर सकेंगे, कृषि क्षेत्र में योगदान देंगे तथा देश में बेरोजगारी दर को कम करने में भी सहायता करेंगे।

हाल के वर्षों में, अत्यधिक सूखे और गंभीर बाढ़ के चक्रों ने देश की जल उपलब्धता और फसल उत्पादन को प्रभावित किया है। इसका एक मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से

अनुरोध करना चाहूंगा कि वह हमारे वैज्ञानिकों को देश के विभिन्न हिस्सों में सूखे और बाढ़ के प्रतिरोधी और किसी भी जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाने वाली फसल किस्मों का पता लगाने के लिए अध्ययन और अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पानी की कमी को कम करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

जहां तक जल संकट की बात है तो पूरा देश पानी की कमी से जूझ रहा है। इसके मद्देनजर, माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में जल संबंधी मुद्दों के बारे में सही उल्लेख किया है। यह देश के जल संकट को दूर करने के लिए श्री मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा दिए गए महत्व को दर्शाता है। बजट के 10 मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है – जल, जल प्रबंधन और स्वच्छ नदियाँ। ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरा देश जल संकट से जूझ रहा है। केन्द्रीय बजट में भी हर घर जल योजना की घोषणा की गई है। लगभग 80% ग्रामीण परिवारों को आजादी के 70 साल बाद भी पाइप से जलापूर्ति नहीं मिल रही है। श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में इस केन्द्र सरकार ने देश में जल संकट से निपटने के लिए सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल की व्यवस्था करने हेतु समय पर निर्णय लिया है। यह ग्रामीण घरों, विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों के लिए दूर-दराज के स्थानों पर बोरवेल, झीलों और तालाबों से जल लाने से राहत पाने में बहुत मददगार होगा। इससे अर्थव्यवस्था और ग्रामीण परिवारों के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। हर घर जल की घोषणा करके बीजेपी ने चुनावी घोषणापत्र में किए गए अपने वादे को पूरा किया है ताकि गांवों के प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचाया जा सके। एन.डी.ए. सरकार 14 करोड़ परिवारों को कवर करने के लिए जल जीवन मिशन प्रारंभ करती है। ग्रामीण जलापूर्ति योजना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भूगर्भ और सतही जल दोनों का उपयोग करने का प्रस्ताव।

मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि सरकार उन क्षेत्रों में जहां भूजल स्तर 1000 फीट से अधिक गहरा हो चुका है, वहाँ भूजल पुनर्भरण के लिए आवश्यक कदम उठाए। यह कार्य देश के तालाबों और जलाशयों के पुनरुद्धार के माध्यम से किया जा सकता है। साथ ही, कृषि गतिविधियों के लिए ग्रे वाटर के पुनः उपयोग हेतु भी उपयुक्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

इसके अलावा जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए जलाशयों से गाद निकालने की भी तत्काल आवश्यकता है।

[हिन्दी]

^{45*} **श्रीमती रेखा अरुण वर्मा (धौरहरा):** मैं कृषि, किसान और ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर अपने विचार व्यक्त करती हूँ।

हमारे देश की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों की हालत ही हमारे देश का वास्तविक प्रतिबिम्ब है। देश की तस्वीर बिना गांवों के नहीं बनती है। लेकिन महानगर मार शहरा में रहने वाली ज्यादातर आबादी को ग्रामीण भारत की समस्याएं पता ही नहीं होती है। भारत में अधिकांश कृषि क्षेत्र असिंचित होने के कारण कृषि क्षेत्र में समग्र विकास के लिए मानसून महत्वपूर्ण है। ऐसे मामले में मानसून पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की निर्भरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है इस पर हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल इक्कठा करने हेतु कृत्रिम तालाबों को बनाने पर जोर दिया है इसके लिए राज्य सरकारों से समन्वय किया जा रहा है। बीज बोने का पैटर्न हमेशा उस क्षेत्र के मौसम पर निर्धारित होता है। खराब मौसम के कारण खेती पर बहुत बुरा असर पड़ता है और किसानों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ग्रामीण भारत में बेरोजगारी, भुखमरी, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, जमीन के झगड़े, कम उत्पादन व उत्पादकता, सिंचाई की कमी, शिक्षा का अभाव आदि समस्याएं परेशानी का सबब बनी हुई है। छोटे किसान हमेशा कर्जदार रहते हैं। उन पर प्रकृति की विपदायें अपना हुकुम चलाती है। बाढ़, सूखा, तूफानी हवायें, मृदा की नपुंसकता, पानी का अभाव इत्यादि ग्रामीण भारत में इन्हीं समस्याओं के चलते परेशानी बढ़ रही है।

सरकार ने बजट में गांव, गरीब और किसान का ध्यान रखा गया है। नई शिक्षा नीति लाने का भी सरकार ने ऐलान किया है, जिससे युवाओं को फायदा मिलेगा। सरकार एक करोड़ छात्रों के लिए स्कूल योजना चलाएगी, जबकि विदेशी छात्रों को भारत में शिक्षा के लिए आकर्षित करने के लिए 'स्टडी इन इंडिया'

^{45*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

कार्यक्रम चलाएगी। शीर्ष संस्थानों के लिए 400 करोड़ की घोषणा की गई है, वहीं राष्ट्रीय शोध परिषद् स्थापित करने की घोषणा भी की गई है।

हम यह नहीं कहेंगे कि इस संदर्भ में मूलभूत सुविधायें नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो देश के प्रत्येक जिले में है। ग्रामीण अपनी चिकित्सा पर अधिक खर्च नहीं कर सकते। सरकार खर्च तो करती है परंतु उसकी भी सीमायें हैं क्योंकि अन्य मदों पर भी तो खर्च करना है। यही कारण है कि गांवों में झोलाछाप डॉक्टरों और दाइयों का धंधा खूब पनपता है।

ग्रामीण रोजगार के महत्वपूर्ण व आकर्षक क्षेत्र होने के बावजूद कृषि क्षेत्र से लोगों का पलायन जारी है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर भारी संख्या में पलायन भी ग्रामीण रोजगार की निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। खुशी की बात है कि सरकार की मनरेगा सहित अन्य योजनाओं ने ग्रामीण रोजगार के अवसरों को व्यापक स्तर पर बढ़ाया है।

आज ग्रामीण क्षेत्र विकास की राह पर शहरों जैसा दौड़ पाने में लाचार बने हुए हैं। इस लाचारी को दूर करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कई अहम पहल की हैं। पीयूआरए, मनरेगा, ग्रामीण विद्युतीकरण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वरोजगार कार्यक्रम, आधारभूत संरचना निर्माण सहित ऐसी कई योजनाएं ग्रामीण विकास व रोजगार वृद्धि हेतु चलाई जा रही हैं।

गांव, गरीब और किसान सरकार के केन्द्र बिन्दु हैं, पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के विकास में जबरदस्त तेजी आई है। जहाँ वर्ष 2014 में देश की अर्थव्यवस्था 1.5-8 खरब डॉलर थी जो वर्ष 2019 में बढ़कर 2.7 खरब डॉलर की हो गयी है और आनेवाले 55 वर्षों में यह 10 खरब डॉलर पर जाएगी। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बुनियादी ढांचे में भारी निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन करना होगा तथा नागरिकों की आशाओं, विश्वास और आकांक्षाओं पूरा करना होगा।

पिछले कुछ वर्षों से इन योजनाओं के लाभकारी प्रभाव स्पष्ट दिखे हैं। ग्रामीण विकास, रोजगार में वृद्धि हुई है। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीणों की स्थिति में भी सुधार आया है। कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं व प्रयासों की चर्चा यहां प्रासंगिक है। [अनुवाद] देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार हुआ है। [हिन्दी] हमारी सरकार

द्वारा देश में कृषि से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए कई प्रयास किये हैं तथा अपने कृषि विकास के वनिस्पत अपने औद्योगिक विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। खेती की बात आती है तो इस क्षेत्र के लिए हमारी सरकार ने प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित और विकसित किया है। मुख्य रूप से सिंचाई से संबंधित संसाधनों को संरक्षित करने के लिए बहुत प्रयास किये जा रहे हैं। हाल के वर्षों में असम, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और राजस्थान में सिंचाई की सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है।

ग्रामीण क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता व देशज विशिष्टताओं के कारण पर्यटकों के लिए हमेशा से आकर्षण का केन्द्र रहे हैं। इधर कुछ वर्षों से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए कई व्यापक कदम उठाए हैं। पर्यटन क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। देश में ग्रामीण पर्यटन की असीम संभावना को देखते हुए सरकार देश में हस्तशिल्प, ज्ञान, संस्कृति आदि को बढ़ावा दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज सेवा क्षेत्र की भूमिका भी बढ़ती जा रही है। इस हेतु सरकार विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के द्वारा ग्रामीणों को प्रशिक्षित कर रही है। दूरसंचार, चिकित्सा, शिक्षा, मरम्मत कार्य में सरकार व्यापक सहयोग दे रही है।

नई संभावनाओं के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में चनौतियों की कमी नहीं है। इनसे निपटे बगैर हम ग्रामीण रोजगार सृजन और इसकी बेहतरी की कल्पना नहीं कर सकते। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोग प्राथमिक और थोड़े-बहुत लोग माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन यह शिक्षा विशेषीकृत नहीं होती। हमारी सरकार का प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक से ही व्यवसाय केन्द्रित शिक्षण पद्धति को अपनाने का रहा है इसके अलावा आशिक्षित लोगों के लिए वैकल्पिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। औद्योगिक प्रशिक्षण, गैर-कृषिगत कार्यों का प्रशिक्षण सूचना प्रौद्योगिकी, सेवा क्षेत्र आदि से जुड़े रोजगार हेतु आवश्यक कौशल विकास के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण का प्रयास हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है।

हर तरफ कनेक्टिविटी को अपनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण में उन्नत करने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है अभी तक 97 प्रतिशत गांवों को बारह-मासी सड़क से जोड़ा गया है, शेष गांवों को इसी साल जोड़ने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है। तथा महात्मा गांधी की 150

वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 1.5 करोड़ मकान बने, 2019-20 से 2021-22 के बीच 1.95 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

सरकार ने बजट में गांव, गरीब और किसानों का खास ध्यान रखा है। 2022 तक हर ग्रामीण को गैस और बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा। पीएसयू की जमीनों पर सस्ते घर बनाए जाएंगे। पहले घर बनाने में 314 दिनों का समय लगता था पर अब यह काम भी मात्र 114 दिन में हो जाएगा। अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाए जाने की बात भी इस बजट में की गई है, साथ ही कृषि से संबंधित ग्रामीण उद्योग में 75 हजार नए उद्यमी तैयार करने की भी योजना इस बजट में है।

कृषि में बढ़ती हुई चुनौतियां, खेती में बढ़ती लागत, और उस अनुपात में कृषि उत्पादों के मूल्य में वृद्धि न होने से नेट मुनाफा बढ़ ही नहीं रहा है। यहाँ तक कि कुछ फसलों में ये घट भी जा रहा है। इन सब का परिणाम हम किसानों के असंतोष, धरना- प्रदर्शन, आत्महत्याओं में देख सकते हैं। किसानों के आत्महत्या करने के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण उपजों का सही न मिलना है। एक अन्य प्रमुख कारण किसानों का अपने कर्जों को न चुका पाना है। गांवों में किसान अपने खाने भर की उपज तो पैदा कर लेते हैं। समस्या तब पैदा होता है, जब किसानों को अचानक से कोई बड़ा खर्च जैसे लड़की की शादी या अचानक से तबियत खराब अथवा वो मकान निर्माण, करना चाहते हैं। इस स्थिति में किसान को कर्ज लेना ही पड़ता है। जिसको वो अपने कम आय के कारण लौटाने की स्थिति में नहीं होता और वह कई बार ऊबकर आत्महत्या कर लेता है।

इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए हमारी सरकार ने किसानों की आय को दोगुनी करने का वादा किया है। किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिलने लगे तो हालात में काफी हद तक सुधार होगा। कृत्रिम जलाशयों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जलापूर्ति, विद्युतीकरण, दूरसंचार क्षेत्रों में कार्यों के बढ़ने से किसानों का संकट दूर होगा और रोजगार व बढ़ोतरी देखी जा सकेगी।

[अनुवाद]

^{46*} **श्री तालारी रंगैया (अनन्तपुर):** मैं कृषि पर बजट एवं अनुदान की मांगों के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गत चार वर्षों से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में विकास दर में निरंतर गिरावट देखी जा रही है। पिछले चार वर्षों में कृषि क्षेत्र की वार्षिक औसत विकास दर मात्र 2.5 प्रतिशत रही है, जबकि वर्ष 2004-05 से 2013-14 के दौरान यह दर 3.7 प्रतिशत थी। कृषि क्षेत्र में धीमी विकास दर का सीधा प्रभाव रोजगार एवं ग्रामीण निर्धनता पर पड़ता है, क्योंकि लगभग 42 प्रतिशत श्रमिक कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, 87 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, और वे सम्मानजनक जीवन स्तर वहन करने में सक्षम नहीं हैं। कृषि क्षेत्र में धीमी विकास दर के अनेक कारण हैं, जिनमें एक प्रमुख कारण कृषि के लिए बजट प्रावधानों एवं सार्वजनिक निवेश की कमी है। साथ ही, पिछले 5 वर्षों में सरकार की प्राथमिकताएं कृषि के मूल क्षेत्रों से हटकर गौण क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित हो गई हैं।

वर्ष 2014-15 के बजट में कृषि विभाग की मूल गतिविधियों पर व्यय का हिस्सा 65.6% था, जबकि वर्ष 2019-20 के बजट अनुमानों में यह घटकर मात्र 15.7% रह गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कुल बजट आबंटन का लगभग 85% भाग प्रत्यक्ष आय सहायता, ब्याज में रियायत, मूल्य समर्थन तथा बीमा योजनाओं पर व्यय किया जा रहा है।

कृषि क्षेत्र जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उनमें प्रमुख रूप से मानव संसाधन, कृषि निवेश की उपलब्धता, विस्तार सेवाएं एवं प्रशिक्षण, तथा मृदा एवं जल प्रबंधन जैसे मूलभूत क्षेत्र शामिल हैं। मूलभूत क्षेत्रों में सीमित बजटीय आबंटन से कृषि क्षेत्र पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के अनुदान की विशिष्ट मांगों के संदर्भ में, मैं कुछ महत्वपूर्ण विषयों को उठाना चाहता हूँ। बागवानी, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति तथा पशुपालन जैसे क्षेत्रों के लिए अधिक वित्तीय संसाधन आबंटित किए जाने की आवश्यकता है। कृषि की मूलभूत गतिविधियों के लिए बजट आबंटन में अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कृषि

^{46*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अनुसंधान एवं शिक्षा को कृषि बजट के अंतर्गत समुचित प्राथमिकता प्रदान किया जाना अत्यंत आवश्यक है। कृषि में वृद्धि दर घटकर 2.9% हो गई है। स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों की दुर्दशा पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

वर्ष 2013 में योजना आयोग ने अनंतपुर जिले के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए 'प्रोजेक्ट अनंता' को स्वीकृति प्रदान की थी, जिसकी अनुमानित लागत 76,767 करोड़ रुपये थी। इस परियोजना का खाका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के श्री अय्यप्पन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति द्वारा तैयार किया गया था। यह परियोजना 3 जनवरी 2014 को जिले के सभी 14 विधान सभा मुख्यालयों में प्रारंभ की गई थी, और इसका औपचारिक शुभारंभ अनंतपुर जिला मुख्यालय से हुआ था। लेकिन, आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् यह परियोजना शीघ्र ही बंद कर दी गई।

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस परियोजना को इसी वित्तीय वर्ष से कृषि और किसान कल्याण बजट में शामिल करें और सुनिश्चित करें कि आबंटित की जाने वाली धनराशि जल्द से जल्द जारी की जाए।

^{47*} **श्री सप्तगिरी शंकर उलाका (कोरापुट):** यदि हम 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो किसान कल्याण इसकी प्रमुख प्रेरक शक्तियों में से एक है। चूंकि सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के तरीके तैयार करने पर विचार कर रही है, इसलिए मैं कुछ टिप्पणियां करना चाहूंगा। पीएम-किसान की तरह ओडिशा की सरकार द्वारा कालिया योजना शुरू की गई थी। दुर्भाग्य से कालिया योजना किसानों तक पहुंचने में विफल रही क्योंकि राज्य सरकार के पास किसानों की सूची या उनकी आय का ब्यौरा नहीं है। यही कारण है कि किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सुधार की दिशा में आगे बढ़ने से पहले हमें विवरण को आधार बनाना चाहिए।

कृषि संकट और किसानों की आत्महत्या गंभीर चिंता का विषय है। धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर कम से कम 2950 रुपये करने की आवश्यकता है क्योंकि एक क्विंटल धान उत्पादन की लागत वर्तमान में 2930 रुपये अनुमानित है। किसानों का ऋण इस दयनीय स्थिति का एक और कारण है। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि वह यथाशीघ्र किसानों के ऋण को माफ करे और अन्य उपायों पर विचार करने से पहले किसानों को 5 वर्षों की अवधि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करे। जल या सिंचाई भी एक प्रमुख क्षेत्र है जिस पर सरकार द्वारा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह किसानों को सौर जल पंप उपलब्ध कराए ताकि निर्बाध जलापूर्ति हो सके। मैं सरकार से उत्पादकता बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने का भी अनुरोध करता हूँ। अंत में मैं चाहूंगा कि सरकार ओडिशा राज्य को विशेष मुआवजे की घोषणा करे क्योंकि हम बाढ़, चक्रवात, सूखे आदि से लगातार तबाह हो रहे हैं।

^{47*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे (शिरूर): माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद। [हिन्दी] मैं संविधान का और लोकतंत्र का शुक्रगुजार हूँ कि आज एक किसान का बेटा एग्रीकल्चर की डिमांड्स पर बोल रहा है।

[अनुवाद]

माननीय वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए कई पहलों का उल्लेख किया, जैसे 100 नए आजीविका क्लस्टर, 10,000 एफपीओ आदि। जहां ये सभी विचार प्रभावशाली प्रतीत होते हैं, वहीं जमीनी स्तर पर इनके क्रियान्वयन में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि निकट भविष्य या दूर भविष्य में हमें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप आवश्यक है।

[हिन्दी]

माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने भाषण के दौरान फूडग्रेन्स के बारे में सेल्फ सफिशिएंसी की बात की, मिल्क प्रोडक्शन के बारे में सेल्फ सफिशिएंसी की बात की। जो सब उपलब्धियाँ यू.पी.ए. गवर्नमेंट के दौरान हुई हैं, उन उपलब्धियों को लेकर माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने काफी बोस्ट किया, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि [अनुवाद] आज, हमारा खाद्यान्न उत्पादन लगभग 260 मिलियन टन से 265 मिलियन टन के बीच है। वर्ष 2025 में हमारी खाद्यान्न आवश्यकता 360 मिलियन टन होने जा रही है। इसलिए, हमें अपने खाद्य उत्पादन में केवल पाँच वर्षों में 100 मिलियन टन की वृद्धि करनी है। क्या हमारे पास इस मांग को पूरा करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप है?

महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने शून्य बजट खेती के बारे में बात की है। [हिन्दी] अगर ज़ीरो बजट फार्मिंग की बात करें तो इसको सेल्फ सस्टेनिंग होने के लिए तीन से पाँच साल की अवधि लग सकती है। पर इस अवधि के दौरान यह जो इन्फ्लेजिंग डिमांड है, यह कैसे पूरी की जा सकती है, इसके बारे में अगर प्रस्तावना हो तो बेहतर होगा। [अनुवाद] इस वर्ष का बजटीय आबंटन 57,600 करोड़ रुपये अधिक है, लेकिन यह काफी हद तक पी.एम.-किसान के कारण है।

[हिन्दी]

जब क्वेश्चन अवर में सुनते हैं तो हर बार एग्रीकल्चर के बारे में हर सवाल का जवाब उस मोड़ तक लेकर जाया जाता है कि 6000 रुपये सालाना मिलेंगे, लेकिन एक दिन के 17 रुपये देकर हम किसान का सम्मान कर रहे हैं या किसान की चेष्टा कर रहे हैं। क्या 500 रुपये महीने में घर चलाया जाना मुमकिन है, क्या 500 रुपये महीने में खेती की सहायता मुमकिन है? आज अगर मजदूरी की बात करें, महाराष्ट्र की मजदूरी का रेट मैं बताऊँ तो महिला मजदूर को 200 से 300 रुपये रोज़ाना मजदूरी दी जाती है। पुरुष मजदूर को 500 रुपये रोज़ाना मजदूरी दी जाती है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम किसान का डिडिम बजाना कितना मुनासिब है। वही बात एमएसपी की है। आज 22 क्रॉप्स एमएसपी के अंदर हैं। [अनुवाद] मैं सिफारिश करना चाहूंगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य राज्य-वार नहीं होना चाहिए; इसे स्थानीयकृत किया जाना चाहिए [हिन्दी] क्योंकि मराठवाड़ा में अगर गेहूँ की उपज ली जाए या विदर्भ में जो गेहूँ की उपज ली जाए तो उसकी [अनुवाद] उत्पादन लागत पश्चिमी महाराष्ट्र में एक ही फसल के लिए किए गए उत्पादन लागत से बहुत अलग है। [हिन्दी] उसी के साथ-साथ फूडग्रेन प्रोडक्शन के चैलेंज को मद्देनज़र रखते हुए फूडग्रेन की एमएसपी को 150 परसेंट से 200 परसेंट बढ़ा दिया जाना चाहिए ताकि किसान इससे प्रोत्साहित होकर फूडग्रेन की फसल उगाने की कोशिश करे।

एक तरफ हम लोग 5 ट्रिलियन इकनॉमी की बात कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था चौथे पायदान पर होगी, 5वें पायदान पर होगी, उसी वक्त एक शर्मनाक जो बात सामने आती है कि अकेले महाराष्ट्र में वर्ष 2015 से 2018 के दौरान कुल 12021 किसानों ने खुदकुशी की है। 2015 से 2018 तक हर दिन आठ किसानों ने आत्महत्या की है। सर, अगर हम जाकर बच्चे को बोलेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था आज चौथे पायदान पर है, 5वें पायदान पर है, मिठाई खाओ तो बच्चा बोलेगा कि मेरा बाप वापस लेकर आओ।

[अनुवाद]

मेरी जानकारी के अनुसार, सत्तारूढ़ पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में पूर्ण ऋण माफी का प्रावधान था। हाल ही में, माननीय मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि ऋण माफी का कोई लाभ नहीं है, लेकिन उसी

समय, महाराष्ट्र में जहाँ भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री ऋण माफी की बात कर रहे हैं। [हिन्दी] या फिर यह भी चुनावी जुमला है तो मेरी हाथ जोड़ कर सरकार से दरखास्त है कि यह किसानों के जीवन का मसला है। इसे चुनावी जुमला न बनाया जाए और जिस प्रकार यूपीए गवर्नमेंट में 71000 करोड़ का लोन वेवर दिया था, उसी धरती पर आज भी किसानों को राहत दी जाए। किसानों की आय दोगुनी करने की बात की है।

मैं दो और महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख करना चाहता हूँ। किसानों की आय दोगुनी करने की बात बोली जा रही है, लेकिन यह आय दोगुनी होने के लिए [अनुवाद] कोल्ड चेन, कोल्ड स्टोरेज, प्री-कूलिंग वैन, बाजार में जल्दी परिवहन और फ्रोजन सब्जियों जैसे उपाय तथा खुले बाजार तक पहुँच आवश्यक हैं। साथ ही, सरकार की आयात और निर्यात नीतियाँ एफपीओ या व्यक्तिगत किसानों के पक्ष में होनी चाहिए।

[हिन्दी]

हाल ही में ओनियन प्राइसेस के बारे में देखा गया, दो साल पहले ग्रेप ग्राउर्स के बारे में देखा जाए, तो आयात और निर्यात नीति किसानों के पक्ष में होनी चाहिए। आगे बात जीरो बजट फार्मिंग की आई है। जीरो बजट फार्मिंग एक बहुत अहम मुद्दा है, लेकिन जीरो बजट फार्मिंग की एक डेफिनेशन होनी जरूरी है, उसका इनक्यूबेशन पीरियड होना जरूरी है। मेरे केवल दो पॉइंट हैं। कृपया मुझे दो और बातें कहने की अनुमति दें।

महोदय, एक बहुत अहम मुद्दा फसल बीमा योजना का है। मेरे से पहले बोलने वाले वक्ता भी इस पर बोल चुके हैं। मैं बताना चाहूँगा कि फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को राहत दिलाना था, लेकिन इस योजना से जो दिख रहा है, फसल बीमा योजना से खरीफ 2016 में बीमा कंपनियों का मुनाफा 6,315 करोड़ रुपये है, रबी 2016-17 में मुनाफा 885 करोड़ रुपये है और खरीफ 2017 में उनका मुनाफा 8,898 करोड़ रुपये है। इस बीमा योजना के बारे में सरकार को सोचना चाहिए।

महोदय, मैं एक बहुत अहम मुद्दा उठाना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि बजट में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं हुआ है। यह मुद्दा एग्रो टूरिज्म के बारे में है। एग्रो टूरिज्म एक ऐसी बात है, जिससे ग्रामीण युवाओं के रोजगार में बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी आ सकती है। कृपया मुझे दो मिनट और दें। यह मेरे चुनाव क्षेत्र

का बहुत अहम मुद्दा है। किसानों से जुड़े जो त्यौहार, परम्पराएं हैं, अगर उन्हें विश्व पटल पर लाया जाए तो इससे टूरिज्म में बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी हो सकती है। इसमें से एक बहुत अहम मुद्दा बैलगाड़ा है, जिस बुलक कार्ट रेस के बारे में हम हमेशा बोलते हैं, क्योंकि इसके लिए जो बैल इस्तेमाल होते हैं, इन खिलार बैलों की पैदाइश ड्राउट अफेक्टेड एरियाज में होती है, जो वेस्टर्न महाराष्ट्र में बेचे जाते हैं। इससे न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल सकता है। मैं अंत में इतना ही बोलूंगा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था कि "शेतक-याच्या भाजीच्या देठाला सुध्दा हात लावू नये", उस प्रकार की व्यवस्था, उस प्रकार के प्रावधानों की हम सरकार से अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद।

48* श्री मितेष पटेल (बकाभाई) (आनंद): संपूर्ण विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या एक गंभीर समस्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ भोजन की आपूर्ति के लिए मानव द्वारा खाद्य उत्पादन की होड़ में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए तरह-तरह की रासायनिक खादों, जहरीले कीटनाशकों का उपयोग, प्रकृति के जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच आदान-प्रदान के चक्र को (इकोलाजी सिस्टम) प्रभावित करता है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति खराब जाती है, साथ ही वातावरण प्रदूषित होता है तथा मनुष्य के स्वास्थ्य में गिरावट आती है।

प्राचीन काल में मानव स्वास्थ्य के अनुकूल तथा प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप खेती की जाती थी, जिससे जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच आदान-प्रदान का चक्र इकोलाजी सिस्टम निरन्तर चलता रहा था, जिसके फलस्वरूप जल, भूमि, वायु तथा वातावरण प्रदूषित नहीं होता था। भारत वर्ष में प्राचीन काल से कृषि के साथ-साथ गौ पालन किया जाता था, जिसके प्रमाण हमारे ग्रंथों में प्रभु कृष्ण और बलराम हैं जिन्हें हम गोपाल एवं हलधर के नाम से संबोधित करते हैं अर्थात् कृषि एवं गोपालन संयुक्त रूप से अत्याधिक लाभदायी था, जोकि प्राणी मात्र व वातावरण के लिए अत्यन्त उपयोगी था। परन्तु बदलते परिवेश गोपालन धीरे-धीरे कम हो गया तथा कृषि में तरह-तरह की रासायनिक खादों व कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है जिसके फलस्वरूप जैविक और अजैविक पदार्थों के चक्र का संतुलन बिगड़ता जा रहा है, और वातावरण प्रदूषित होकर, मानव जाति के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है।

अब हम रासायनिक खादों, जहरीले कीटनाशकों के उपयोग के स्थान पर, जैविक खादों एवं दवाईयों का उपयोग कर, अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं जिससे भूमि, जल एवं वातावरण शुद्ध रहेगा और मनुष्य एवं प्रत्येक जीवधारी स्वस्थ रहेंगे। भारत वर्ष में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और कृषकों की मुख्य आय का साधन खेती है। हरित क्रांति के समय से बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए एवं आय की दृष्टि से उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है।

48* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अधिक उत्पादन के लिये खेती में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरको एवं कीटनाशक का उपयोग करना पड़ता है जिससे सीमान्य व छोटे कृषक के पास कम जोत में अत्यधिक लागत लग रही है और जल, भूमि, वायु और वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है साथ ही खाद्य पदार्थ भी जहरीले हो रहे हैं। इसलिए इस की उपरोक्त सभी समस्याओं से निपटने के लिये गत वर्षों से निरन्तर टिकाऊ खेती के सिद्धांत पर करने की सिफारिश की गई, जिसे देश के कृषि विभाग ने इस विशेष प्रकार की खेती को अपनाने के लिए बढ़ावा दिया जिसे हम "जैविक खेती" के नाम से जानते हैं।

जैविक खेती से विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं। कृषकों की दृष्टि से होने वाले लाभों में भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है। साथ ही सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है। रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से कास्त लागत में कमी आती है। फसलों की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। मिट्टी की दृष्टि से भी जैविक खेती लाभप्रद है। जैविक खाद के उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है। भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है और भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होता है। जैविक खेती पर्यावरण की दृष्टि से भी लाभकारी है इससे भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है। मिट्टी खाद पदार्थ और जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। खाद बनाने में कचरे का उपयोग होने से बीमारियों में कमी आती है। फसल उत्पादन की लागत में कमी एवं आय में वृद्धि होती है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य रखा है तथा इस लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु किसानों के लिए सरकार द्वारा तमाम योजनायें चलायी जा रही है। इसी क्रम में माननीय वित्त मंत्री जी ने जीरो बजट खेती का उल्लेख किया, खेती की लागत घटे और गुणवत्ता ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देकर किया जा सकता है। सरकार पहले से भी इस खेती प्रक्रिया को बढ़ावा देने हेतु प्रयास कर रही है, लेकिन इस दिशा में और अधिक प्रयास और गंभीरता दिखाए जाने की जरूरत है ताकि कृषि प्रधान देश भारत में ऑर्गेनिक खेती आंदोलन बन सके तथा किसान की आय बढ़ाने का प्रधानमंत्री जी का सपना जल्द से जल्द साकार हो सके।

धन्यवाद सहित।

[अनुवाद]

^{49*} **श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग):** मैं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किए गए बजट के समर्थन में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। यह एक दूरदर्शी बजट है जो हमारी अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा और शक्ति का संचार करेगा और हमारी अर्थव्यवस्था और राष्ट्र को तेजी से विकास की दिशा में ले जाएगा।

यह अवसंरचना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के साथ विकासोन्मुख बजट है जिसके केंद्र में विकास है। ग्रामीण विकास के लिए एक स्पष्ट और सुव्यवस्थित रोडमैप का निर्धारण, साथ ही अवसंरचना क्षेत्र में समांतर एवं पूरक प्रगति, इस बजट के लाभों को हमारी अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा। यह बजट वर्ष 2025 तक राष्ट्र को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने हेतु ठोस आधार प्रदान करता है।

विशेष रूप से यह बजट सबसे समावेशी बजट में से एक है जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास के साथ आर्थिक विकास को एकीकृत करना है। मैं दार्जिलिंग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, इसलिए मैं कुछ बिंदु प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि यह बजट हमारे क्षेत्र और राष्ट्र में एक वास्तविक परिवर्तन कैसे लाएगा।

दार्जिलिंग विश्व में सर्वश्रेष्ठ मैंडरिन संतरे के उत्पादन के लिए विख्यात है, लेकिन वर्तमान में संतरे के किसान रोग और कीट संक्रमण जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। कालिम्पोंग फूलों की खेती और अन्य नकदी फसलों जैसे इलायची एवं अदरक के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, लेकिन यहाँ के फूलों की खेती के संवर्धन के लिए विपणन के पर्याप्त अवसर प्रदान करने की दिशा में अपेक्षित प्रयास नहीं किए गए हैं। फांसीदेवा के अनानास तथा नक्सलबाड़ी और चोपड़ा से उत्पादित सब्जियों में अंतरराष्ट्रीय बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने की अत्यधिक क्षमता विद्यमान है, तथापि स्वतंत्रता के 72 वर्षों बाद भी पश्चिम

^{49*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

बंगाल सरकार द्वारा इन उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए कोई निर्णायक पहल नहीं की गई है।

दार्जिलिंग क्षेत्र पूर्व में दुग्ध उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ अमूल की तर्ज पर स्थापित हिमुल, भारत की प्रारंभिक दुग्ध सहकारी समितियों में से एक थी। लेकिन इसके बाद की पश्चिम बंगाल सरकारों की उपेक्षा और उदासीनता के कारण हिमुल वर्ष 2014 में बंद हो गया।

पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे दक्षिण एशियाई देशों के प्रवेश द्वार के रूप में हमारी स्थिति, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भौगोलिक निकटता को देखते हुए - हमारे क्षेत्र के किसानों के पास विकास की जबरदस्त क्षमता है, फिर भी विपणन अवसरों की कमी और सरकार की ओर से पर्याप्त तकनीकी और वित्तीय सहायता की कमी के कारण यह क्षमता अप्राप्त ही रही है।

इस संदर्भ में, अगले पांच वर्षों में 10000 नए एफपीओ बनाने की घोषणा एक स्वागत योग्य कदम है। यह हमारे देश में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाएगा, विशेष रूप से दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुआर्स में; यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे किसान और बागवानी करने वाले लोग बड़े पैमाने पर काम करने के फायदे उठा पाएंगे। व्यक्तिगत किसान बाजार के दवाब और दलालों के शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं; लेकिन कृषक उत्पादक संगठन के माध्यम से किसान मूल्य श्रृंखला में एक सशक्त भागीदार बनेंगे। किसानों के लिए ऋण, प्रौद्योगिकी और उत्पादन के आधुनिक साधनों तक पहुंच आसान हो जाएगी, और यह किसानों को कृषि-तकनीकी स्टार्टअप से जुड़ने के लिए भी तैयार कर सकता है जो उन्हें अपने कृषि उत्पादों में उच्च लाभ प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र के किसान उत्साहपूर्वक नए एफ.पी.ओ. के सदस्यों के रूप में भाग लेंगे और उन लाभों को प्राप्त करेंगे जिनसे वे आज तक वंचित थे।

2018-19 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) के तहत पश्चिम बंगाल में केवल 85.40 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे।

हालांकि, मैं सदन के समक्ष यह निवेदन करना चाहता हूँ कि दार्जिलिंग निर्वाचन क्षेत्र एक विशेष क्षेत्र है, जो नेपाल, भूटान, चीन और बांग्लादेश—इन चार विभिन्न देशों की सीमाओं से सटा हुआ है।

कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, सीमा से लगे गांवों की बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बी.ए.डी.पी. के तहत प्रदान किए जाने वाले धनराशि अक्सर अपर्याप्त होती है। स्थानीय ब्लॉक विकास कार्यालय अक्सर ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए धन अनुरोधों को अस्वीकार कर देते हैं, यह कहकर कि वे सीमा क्षेत्र का गाँव है, इसलिए वहाँ केवल बी.ए.डी.पी. ही लागू किया जा सकता है।

इसलिए मेरा अनुरोध है कि बी.ए.डी.पी. और ग्रामीण विकास परियोजनाओं को एकीकृत किया जाए, ताकि यहां आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक धन आबंटित किया जा सके।

मैंने 18 जून 2019 को दार्जिलिंग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में शपथ ग्रहण की। अभी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है, और मेरे कार्यालय में ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए लगभग 100 अनुरोध प्राप्त हो चुके हैं। मेरे लिए यह पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डूअर्स के ग्रामीण क्षेत्रों को बुनियादी अवसंरचना प्रदान करने की जिम्मेदारियों की पूर्ण उपेक्षा का परिचायक है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए आबंटन बढ़ाया जाए, ताकि वर्ष 2024 तक हमारे क्षेत्र का एक भी गांव सड़क संपर्क से वंचित न रहे।

डॉ. अमर सिंह (फतेहगढ़ साहिब): माननीय सभापति, महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। हम सभी इस बात से सहमत हैं कि कृषि क्षेत्र स्वयं समस्या में है और किसान संकटग्रस्त हैं। आर्थिक सर्वेक्षण भी यह दर्शाता है कि वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक कृषि क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि दर केवल 2.88 प्रतिशत रही है। फार्मर सुसाइड रुक नहीं रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि ट्रैक्टर जैसे विभिन्न वस्तुओं की ग्रामीण मांग में गिरावट आ रही है। [हिन्दी] इनकी खरीद कम हो गई है। दोपहिया वाहन नहीं खरीदे जा रहे हैं। फास्ट मूविंग गुड्स, जो गाँव में बहुत बिकते हैं, उनका मार्केट कम हो गया है। इसलिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट में है और इसमें कोई संदेह नहीं है। बजट में बहुत सारी चीजें कही गई हैं। कई माननीय सदस्यों ने उनके बारे में बात की है। जो बातें ऑलरेडी बोल दी गई हैं, मैं उन बातों को कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जिन्हें हमें बजट में लेना चाहिए था और उन्हें चर्चा के बाद लेना चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2019 के अनुसार, "वर्ष 2050 तक, भारत जल असुरक्षा के मामले में विश्व में एक प्रमुख स्थल होगा। यह हाल के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार है। प्रधान मंत्री सिंचाई योजना है। 1-07-2015 को कहा गया था कि 5 साल में 50 हजार करोड़ रुपये इस योजना पर लगाया जाएगा। मेरे ख्याल से अभी तक इस योजना के लिए 20-25 परसेंट बजट ही दिया गया है और इस योजना के 4 साल निकल गए हैं। [अनुवाद] यदि हम पूरे भारत की स्थिति पर नजर डालें, तो लगभग 5,000 ब्लॉकों में से करीब 1,600 ब्लॉक 'डार्क जोन' में आ चुके हैं। विशेष रूप से पंजाब की बात करें, जो मेरा गृह राज्य है, तो केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, मई 2019 में 138 ब्लॉकों में से लगभग ब्लॉक डार्क जोन में सम्मिलित हो चुके थे। अगले 22 वर्षों में भूजल संसाधन पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। प्रथम जलभृत (एक्विफर) में 100 मीटर तक की गुणवत्ता युक्त जल आपूर्ति अगले दस वर्षों में समाप्त हो जाएगी।

[हिन्दी]

मैं यह बात क्यों कह रहा हूँ? मैंने इकोनॉमिक सर्वे और सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड की बात क्यों की? यह एक इश्यू था कि पानी की प्रॉब्लम्स थीं, सिंचाई के लिए पानी की प्रॉब्लम्स थीं। अगर हम लोग दूसरी तरफ देखें तो यह रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो ग्लेशियर्स हैं, वे 25 प्रतिशत श्रिंक कर गए हैं। उत्तर भारत,

विशेषकर पंजाब की नदियां ग्लेशियर से पोषित होती हैं। सारा साल पेरैनियल पानी आता रहता है। अगर वे और सिकुड़ गए, तो उत्तर भारत में विशेषकर पंजाब में क्या होने वाला है? हमारी तो पांचों नदियां वहां से निकलती हैं। मुझे लग रहा है कि सिंचाई योजना की बात तो है, पर जिस तरीके से हमें और सारे मुल्क को ताकत लगानी चाहिए, उतनी बात नहीं हुई है। मैं सरकार से यह दरखास्त करूंगा कि यह जो क्लाइमेट चेंज वाला इश्यू है, वाटर इनसिक्योरिटी, वाटर स्केयरसिटी वाला जो इश्यू है, इस पर दोबारा बात होनी चाहिए। मैं तो स्पीकर साहब से भी निवेदन करूंगा कि इस पर हम लोगों को बहुत सारी बातें करनी चाहिए।

सर, दूसरे कुछ इश्यूज हैं, जिन पर बात होनी चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर के कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं और बजट में उन्हें टच नहीं किया गया या बहुत माइल्ड टच किया गया है। संकट के तहत कृषि का ग्रामीण क्षेत्र है, हम लोगों ने सारी स्कीम्स में भूमिहीन मजदूरों और काश्तकार किसानों को छोड़ दिया है। वे 'पी.एम.-किसान' में भी नहीं हैं, दूसरी स्कीम्स में भी नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 55 प्रतिशत कार्यबल काश्तकार और कृषक मजदूर हैं। वे कहाँ जाएंगे? गरीबी तो कभी दूर होगी नहीं और फार्म वाला डिस्ट्रेस कभी खत्म नहीं होगा। इस बजट ने इस मुद्दे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है।

अन्य मुद्दा सब्जियों की कीमतों में गिरावट से संबंधित है। अभी एक माननीय सदस्य ने इसकी बात की थी। यह जो कोल्ड चेन वाली बात है, वह बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं तो जब तक उनकी इनकम वेजिटेबल्स और एनीमल हस्बैण्ड्री से नहीं बढ़ती है, तब तक यह नहीं बढ़ेगा।

ऋण संकट के बारे में बहुत लोगों ने बोला है। लैंडलेस फार्मर्स और टेनेन्ट्स की कोई बात ही नहीं कर रहा है। उन पर भी बहुत बड़ा डैट है। उनका अधिकांश कर्ज अनौपचारिक स्रोतों से है। एक राष्ट्र के रूप में हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। उसका हमें कोई न कोई हल निकालना चाहिए।

जो एम.एस.पी. है, वे 23 क्रॉप्स की हैं। मैं तो सरकार में भी रहा हूँ। सिर्फ दो क्रॉप्स की एम.एस.पी. अच्छी तरह मिलती हैं। एक, पल्सेज की कुछ सालों से हुई है, नहीं तो गेहूं और धान के लिए अच्छी एम.एस.पी. मिल जाती है और वह भी पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और यू.पी. के कुछ सूबों में मिल जाती

हैं। अन्य फसलों के बारे में क्या? तीन-चार सालों से पल्सेज की अच्छी प्रोक्योरमेंट हुई है। अगर मैं पंजाब का उदाहरण देना चाहूँ तो पंजाब सरकार धान से मक्का की खेती पर ध्यान देने के लिए तैयार है। भारत सरकार को इसके प्रति वचनबद्ध होना चाहिए कि आप मक्का उगाइए, वे सारी की सारी धान की फसलों को या 50 प्रतिशत फसलों को शिफ्ट कर देंगे। लेकिन, आप उसे एम.एस.पी. पर खरीद लेंगे। इससे पंजाब के किसानों का भला हो जाएगा और ग्राउण्ड वाटर और अण्डरग्राउण्ड वाटर बच जाएगा, जिससे एनवायरनमेंट का भी फायदा हो जाएगा।

सर, एक और बात, जिसके बारे में मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने इसे बजट में टच नहीं किया, उसमें एनवायरनमेंट से संबंधित करीब-करीब सारे इश्यूज रह गए हैं क्योंकि जो क्लाइमेंट चेंज हो रहा है, जो सिनैरियो में फास्ट चेंज हो रहा है, मेरा ख्याल है कि हमें उस पर बात करने की बहुत जरूरत है। मॉनसून का पैटर्न बदल रहा है। पेस्ट्स का इस्तेमाल कहीं ज्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है। टेम्परेचर कहीं बढ़ रहा है, कहीं कम हो रहा है। इस मुद्दे को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से हल करने की आवश्यकता है।

फार्म सेक्टर्स की जिस तरह की समस्याएं हैं, मुझे लग रहा है कि इसमें सभी को, केन्द्र सरकार को और राज्यों को, सभी को मिल कर काम करना चाहिए। कृषि राज्य का विषय है। इसलिए इसके लिए सभी को मिल कर काम करना चाहिए। मेरा सुझाव है कि इसमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स कमीशन बनाएं, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री जी करें और उसमें सारे राज्यों के मुख्य मंत्री हों। रूलिंग पार्टी से विनती है कि पिछले दिनों एन.डी.सी. की एक कमेटी बनी, उसमें पंजाब के मुख्य मंत्री जी को छोड़ दिया। जो स्टेट नेशनल किट्टी में 40 प्रतिशत देती है, उसके मुख्य मंत्री को छोड़ कर तो काम नहीं चलेगा। इस तरह की पार्शिएलिटी नहीं होनी चाहिए।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): सभापति महोदय, पिछले लगभग ढाई घंटे से कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास विभाग के अनुदानों की मांगों पर चर्चा चल रही है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से इन अनुदानों की मांगों वर्ष 2019-20 के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ।

सभापति महोदय, जब से इस देश की बागडोर माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के हाथों में आई है, तब से गांव, गरीब और किसान की चर्चा शुरू हुई है। हिन्दुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसान जब लोक सभा चैनल खोलता है, तो उसको लगता है कि इस देश के सर्वोच्च सदन में उसकी बात हो रही है। ग्रामीण विकास मंत्री जी यहां पर नहीं हैं, लेकिन मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि बड़े लंबे अनुभव के बाद वह मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास मंत्री रहे, भारत सरकार में भी ग्रामीण विकास मंत्री रहे और अब कृषि मंत्रालय का काम देख रहे हैं। उनका अनुभव इस बजट में स्पष्ट रूप से नजर आता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस देश में जब तक कृषि और ग्रामीण विकास पर चर्चा नहीं होगी, उस पर फोकस नहीं किया जाएगा, तब तक यह देश तरक्की नहीं कर सकता। इस बात को सामने रख कर हमारी एनडीए की सरकार ने काम करना शुरू किया है। अभी कई वक्ताओं ने कहा कि किसान ओरिएन्टेड जो स्कीम्स हैं, उन पर सरकार फोकस नहीं कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना किसके लिए बनाई गई है? यह योजना किसानों के लिए बनाई गई है। कृषि कौशल योजना भी किसानों के लिए बनाई गई है। फसल बीमा योजना का सीधा संबंध किसान से है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किसान से जुड़ी हुई है। किसान सम्मान निधि भी किसान से जुड़ी हुई है। अगर ये योजनाएं किसानों से संबंधित नहीं हैं, तो फिर ये किसके लिए हैं? स्वाभाविक रूप से इन योजनाओं पर जो बजटरी एलोकेशन हुआ है, वह भी इस बात को दर्शाता है कि हमारी सरकार किसानों के लिए कितनी चिंता कर रही है और किसानों पर फोकस करके ही काम कर रही है।

सभापति महोदय, कृषि के लिए पिछले साल 67,000 करोड़ रुपये का बजट था। इस साल उसे बढ़ाकर 1,30,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह स्वाभाविक रूप से इस बात को दर्शाता है कि सरकार ने किसानों की चिंता की है। ग्रामीण विकास के लिए 1,84,000 करोड़ रुपये का बजट था, जिसे इस बार

बढ़ाकर 1.91 हजार करोड़ रुपये किया गया। इन दोनों विभागों के लिए बजट बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है।

महोदय, मनरेगा के अंदर वर्ष 2017-18 में 60,000 करोड़ रुपये का बजट था, उसे भी इस बार बढ़ाने का काम किया गया। हमारे जो दूध उत्पादक किसान हैं, हम ह्वाइट रिवोल्यूशन की बात करते हैं, हमारी सरकार ने उस पर काम किया है। पिछले साल 1574 करोड़ रुपये का बजट था, उसे बढ़ाकर 2240 करोड़ रुपये किसानों के हित में किया गया है। हमारी जो गाय और भैंस हैं, इनके द्वारा हमारे देश में दूध का उत्पादन बढ़े, इसके बारे में भी हमारी सरकार ने फोकस करके बजट में एलोकेशन दिया है। हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बार प्रधान मंत्री सिंचाई योजना के लिए 18 फीसदी बजट बढ़ाया है। 6600 करोड़ रुपये बढ़ाकर सीधे 9600 करोड़ रुपये का बजट प्रधान मंत्री सिंचाई योजना के लिए दिया गया है। [अनुवाद] हमारे किसान के लिए जो सब्सिडी है, उसमें भी 20 परसेंट का इजाफा हुआ है। [हिन्दी] इसे 13,000 करोड़ रुपये से सीधे 18,000 करोड़ रुपये किया गया है। जब किसान सम्मान निधि की बात चलती है, तो कई लोग कहते हैं कि इस देश के किसान को छह हजार रुपये देने से क्या होगा। मुझे लगता है कि वे किसान नहीं हैं, जो इस प्रकार से किसान की बात करते हैं। इस देश में 25 फीसदी ऐसे किसान हैं, जिनके लिए 500 रुपये भी अहमियत रखते हैं। जब उनके पास 500 रुपये आते हैं, तो उस किसान को लगता है कि वह उससे अपने परिवार को शाम का भोजन दे पाएगा, छह हजार रुपये तो उनके लिए बड़ी कीमत होती है। जब एक एकड़ जमीन वाले किसान को छह हजार रुपये की राशि मिलेगी, तो मैं इस बात की कल्पना कर सकता हूँ कि उसके परिवार को कितनी खुशी मिलेगी और वह कितनी दुआएं इस देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी को देगा। उन्होंने कम से कम किसान को सम्मान निधि देने का काम किया है।

आप 75,000 करोड़ रुपये की कर्ज माफी की बात हमेशा करते हैं। यूपीए सरकार ने 75,000 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया, उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो किसान सम्मान निधि है, हम हर साल 78,000 करोड़ रुपये देंगे। आप कल्पना कीजिए कि पांच साल में किसान की जेब में कितना पैसा जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ। हमारी सरकार ने लगातार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही है। लोग कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी नहीं हो रही है। यह तुरंत नहीं हो सकता है।

वर्षों की व्यवस्था में लगी जंग को हटाने में समय लगता है। किसान को फोकस करके काम करने का काम सरकार ने पहली बार किया है।

जब जीरो बजट फार्मिंग की हम बात करते हैं, तो उसमें दुग्ध उत्पादन भी जुड़ता है। जीरो बजट फार्मिंग में हमारे बैलों के माध्यम से खेती भी उसमें आती है। जब हम जीरो बजट फार्मिंग की बात करते हैं, तो उसमें जैविक खेती भी जुड़ती है। गोबर की खाद से हमारा खेती का उत्पादन बढ़े, इस बात को भी हम जोड़ते हैं। जीरो बजटिंग में जो नीम कोटेड यूरिया है, पहले यूरिया बाजार में आधा ब्लैक मार्केटिंग में चला जाता था, लेकिन अब नीम कोटेड होने के बाद उसका 100 फीसदी उपयोग किसान के हिस्से में आ रहा है। मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह सकता हूँ कि नीम कोटेड यूरिया होने के बाद, जहां वर्ष 2015-16 में 30 लाख टन की खपत होती थी, वह वर्ष 2017-18 में 28 लाख टन हुई है और आगे यह खपत और घटने वाली है। नीम कोटेड यूरिया होने से यह लाभ हमें मिला है।

महोदय, इस देश में किसानों की आय दो गुनी हो, इसके लिए दस नए किसान उत्पादन केन्द्र खोलने का काम किया है। हमारी सरकार ने दूध खरीदने की व्यापक व्यवस्था की। दूध खरीदने का सरकार ने पूरा एक प्रोग्राम बनाया है कि कहां से हम दूध खरीदेंगे, कैसे दूध खरीदकर किसान को लाभ देने का काम करेंगे?

फिशरीज के ऊपर पहले कभी कोई सरकार बात नहीं करती थी। हमारी सरकार ने मछली उत्पादन के ऊपर फोकस किया है। मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि हमारे सकल घरेलू उत्पाद में 6.5 पर्सेंट योगदान फिशरीज में लगे हुए किसानों का है।

स्फूर्ति योजना के बारे में मैं बताना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि किसानों के लिए हम क्या कर रहे हैं? स्फूर्ति योजना में, वर्ष में 2019-20 में हमारी सरकार ने 100 क्लस्टर्स बनाए। 50 हजार ग्रामीण शिल्पकारों को, जो हमारी आर्थिक वैल्यू चैन है, इसमें शामिल किया जाएगा। उद्योग क्षेत्र में 75 हजार कुशल उद्यमियों

को विकास के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में ही 80 आजीविका इनक्यूबेटर और 20 बिजनेस इनक्यूबेटर स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। ग्रामीण उद्योगों के खत्म होने से रोजगार के हालात और खराब हुए हैं। सरकार ने प्रधान मंत्री कृषि सम्पदा योजना के माफ़त कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की है। इसे रफ़्तार देने की कोशिश की जाएगी। मुझे लगता है कि क्लस्टर बेस्ड अगर काम होगा, तो भविष्य में इसका लाभ भी हमारे देश में मिलेगा।

किसान, मजदूर की पेंशन - महोदय, यह छोटी स्कीम नहीं है। एक किसान से हर महीने हम 200 से लेकर 500 सौ रुपये एक निर्धारित एज ग्रुप के अंदर लेंगे, लेकिन जब वह साठ वर्ष का हो जाएगा, तो उसे हर महीने तीन हजार रुपये मिलेंगे। 50-55 रुपये की कीमत पर 3,000 रुपये उसकी बुढ़ापे में मदद होगी। वह किसान जब 60 वर्ष का होगा, उस समय भले ही हम यहां इस सदन में न हों, लेकिन वह किसान उस समय हमारी तत्कालीन सरकार को दुआएं देगा कि उस सरकार ने हमारे भविष्य को बनाने के लिए एक बड़ी योजना इस देश में लाई थी।

मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि किसान की आय दो गुनी करने के लिए सरकार का जो संकल्प है, वह गांव की प्रगति और बिजली की उपलब्धता पर आधारित है। हमारी सरकार पहली ऐसी सरकार है, जिसने गांव को फोकस करके बिजली के क्षेत्र में भी काम किया है। बिजली राज्य का विषय है, लेकिन भारत की सरकार ने लगातार फंड जेनरेट करके राज्यों को बिजली के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने का काम किया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसानों की जोत घट रही है। किसान को केवल इस बात की चिंता है कि उसकी जोत लगातार घट रही है। जोत इसलिए घट रही है, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ेगी, तो स्वाभाविक रूप से जोत घटेगी। यह हमारी चिंता का विषय है। मैं चाहूंगा कि इस सदन में सामूहिक रूप से इस बात की चिंता होनी चाहिए। अब समय आ गया है, जब इस देश में जनसंख्या पर कानून बने। पूरा देश एकमत हो। इस देश में जनसंख्या नियंत्रित हो। जाति, धर्म,

सम्प्रदाय से ऊपर उठकर किसान, गरीब, व्यापारी दो बच्चों का पालन-पोषण करे, तो उससे कम से कम किसानों की जो छोटी जोत हो रही है, उसमें मदद मिलेगी।

महोदय, हमारे मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं। किसान के नाते मेरे कुछ सुझाव भी हैं। हमारे यहां 70 दिन की मूंग लगती है, उसका एमएसपी 6,975 रुपये है। हम अरहर लगाते हैं, तो वह 180 दिनों में आती है। उसका समर्थन मूल्य 5,675 रुपये है। चने की फसल लगाते हैं, वह 120 दिनों में आती है। उसका समर्थन मूल्य 4,620 रुपये है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, 302 सदस्यों की पार्टी है और मैं तीसरा वक्ता हूं। मैं पांच-सात मिनट के लिए आपसे आग्रह करूंगा। समय के आधार पर जो फसल कम दिन की है, उसका समर्थन मूल्य कम हो। दलहन जैसी फसल, जो ज्यादा समय लेती है, उसका समर्थन मूल्य ज्यादा हो। [अनुवाद] इस पर भी सरकार थोड़ी चिंता करे।

इस पर सरकार चिंता करेगी, हम जो जैविक खेती कर रहे हैं इसे बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि हमारी सरकार ने 115 जिलों को मॉडल जिले के रूप में चिन्हित किया है, जहां समावेशी समाज का निर्माण किया जाएगा, गोबर और जैविक खाद से खेती की जाएगी, इसे बढ़ाने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस देश में समर्थन मूल्य चिंता का विषय है। जब बाजार में माल जाता है तो उस समय किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता है। देश में ऐसा कोई मैक्विजम डेवलप होना चाहिए कि हर हाल में उत्पाद समर्थन मूल्य पर ही बिके। जब व्यापारी माल लेकर आता है, उस पर एमएसपी लिखा रहता है, उससे नीचे उसका माल नहीं बिकता है। जब अनाज पर एमएसपी निर्धारित की गई है तो यह भी उसी आधार पर बिके, इसके लिए हमको चिंता करने की जरूरत है।

सभापति महोदय, यह रोग पिछले चालीस सालों से चल रहा है। हमारे देश के बहुत सारे व्यापारियों ने नेपाल में ऑफिस खोले हुए हैं, नेपाल में दलहन और अनाज का व्यवसाय करते हैं, दुनिया के दूसरे देशों से दलहन और अनाज मंगाते हैं। चूंकि नेपाल में कोई पोर्ट नहीं है, पोर्ट कोलकाता में है, पूरा माल कोलकाता बंदरगाह पर उतरता है। व्यापारी हिन्दुस्तान के हैं और उनके ऑफिसेज नेपाल में हैं। वह माल नेपाल जाने

की बजाय कोलकाता और बंगाल में ही खप जाता है। यह हमारे देश के किसानों को कमजोर करने का काम करता है। सरकार इस बात की भी चिंता करे।

आज हम वाजपेयी जी का स्मरण करते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की चर्चा हो और पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की चर्चा न करें, शायद यह उचित नहीं होगा। हमारी सरकार ने 83 हजार करोड़ रुपये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के लिए दिए हैं। हर दिन पूरे देश में 130-135 किलोमीटर सड़क बन रही है। मैं अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में 2700 में से केवल सात गांव बचे हैं, जहां सड़क नहीं बना पाए हैं। 2693 गांवों को सीधा सड़क से जोड़ने का काम किया गया है। यह इतनी महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना सीधे गांव, गरीबों और किसानों से जुड़ी हुई है।

सोलह हजार करोड़ रुपये ग्रामीण बिजली के लिए सरकार ने दिया है, इससे गांव में बिजली सिस्टम को अपग्रेड करने में मदद मिलेगी। हम गांव को डिजिटलाइज कर रहे हैं। मनरेगा के ऊपर साठ हजार करोड़ रुपये, आवास योजना में उन्नीस हजार करोड़ रुपये। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि आवास योजना पर काम ठीक से नहीं हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की फ्लैगशिप स्कीम है। वर्ष 2020 में 70 लाख घर बनेंगे, 2021 में 70 लाख घर बनेंगे, 2022 में 60 लाख घर बनाकर आवास योजना को पूरा करने का काम करेंगे। इस योजना को हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया है।

अंत में, मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देश के किसान का उत्पादन बढ़े, किसान मजबूत हो, इसके लिए एक सामूहिक प्रयास और चिंतन करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि सबसे पहले जनसंख्या पर चिंता करनी चाहिए, उसके बाद पर्यावरण पर फोकस करके काम करने की जरूरत है। कृषि उत्पाद का नगद भुगतान हो, इस बात के लिए हमें आगे बढ़कर काम करने की जरूरत है। जल संरक्षण के लिए काम करने की आवश्यकता है।

मैं आपके माध्यम से देश की सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। मेरी कंस्टीट्यूएन्सी में मोहानी एक जगह है जहां हजारों एकड़ जमीन सरकार की है, वहां सरकार एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी

बनाए। स्टॉप डैम यानी जल प्रबंधन का जो कन्सेप्ट लेकर आए हैं, आठ-नौ प्रमुख नदियों पर स्टॉप डैम बने, मैं इसके लिए भी सरकार से आग्रह करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

^{50*} **श्रीमती अपरूपा पोद्दार (आरामबाग):** स्वतंत्रता के बाद से भारतीय कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। श्री लाल बहादुर शास्त्री ने प्रसिद्ध उद्घोष किया था – ‘जय जवान, जय किसान’। आज हम अपने जवानों का सम्मान बड़े आदर से करते हैं, लेकिन देश के किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। देश में 119 मिलियन किसान और 144 मिलियन कृषि श्रमिक सीधे कृषि कार्य में लगे हुए हैं।

कृषक गंभीर जोखिमों का सामना कर रहे हैं क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण असामान्य मौसमी घटनाएँ उनके लिए प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। सरकार की योजनाओं का कार्यान्वयन अपेक्षित गति से नहीं हो पा रहा है और वे छोटे एवं सीमांत किसानों तक पूरी तरह नहीं पहुँच पातीं। अतः आवश्यक है कि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, नियमित निगरानी एवं सटीक मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रत्येक किसान तक इनका लाभ पहुँच सके।

चूँकि जूट मुख्य नकदी फसल है, इसलिए किसानों को पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जूट बेचना पड़ता है। कम बाज़ार मूल्य जूट किसानों को प्रभावित करता है। बुआई के मौसम के दौरान, अधिक उपज देने वाले किस्म के जूट बीज की कीमत अधिक हो जाती है और छोटे किसानों की क्रय क्षमता से परे हो जाती है। मेरे संसदीय क्षेत्र में जूट किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

2014 में शुरू की गई प्रधान मंत्री जन धन योजना के तहत, भारत भर में 33 करोड़ बैंक खाते खोले गए थे। हालांकि, 65 प्रतिशत महिलाओं के पास अभी भी बैंक खाते की कमी है।

सरकार ग्रामीण महिलाओं को प्रोत्साहित करने के साथ ही उनकी भूमिका बढ़ाना चाहती है, लेकिन सरकार ने यह निर्दिष्ट नहीं किया है और न ही बताया है कि कुपोषण और एनीमिया को कैसे मिटाया जाए, जिससे सबसे ज्यादा ग्रामीण भारत में रहने वाली भारतीय माताएं पीड़ित हैं। मनरेगा योजना के अंतर्गत

^{50*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अनुसूचित जाति के श्रमिकों द्वारा किए गए काम के दिनों का हिस्सा 2015-16 में 22.69% था, जो 2018-19 में घटकर 20.69% और 2019-20 के बजट वर्ष में और कम होकर 18.88% रह गया।

नाबार्ड की रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल ने सहकारी क्षेत्रों में 97,535 स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान किया, जिससे रोजगार और आय सृजन में भारी वृद्धि हुई, जिनमें से अधिकतर महिलाएं थीं।

पश्चिम बंगाल में, हमने गरीब किसानों की सुरक्षा के लिए 'बांगला फसल बीमा योजना' को सफलतापूर्वक लागू किया है। बंगाल भारत का पहला राज्य है जहां सरकारी सब्सिडी सीधे किसानों के 'किसान क्रेडिट कार्ड' में जमा की जाती है।

'माटी कथा' एक योजना है, जिसे किसानों की खेती से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए शुरू किया गया है। इसमें टैबलेट, कंप्यूटर और एक खास वेबसाइट की मदद से किसानों को खेती की जानकारी और सलाह दी जाती है।

हमारे देश में बहुत ही सीमित संख्या में लोग एक्वापोनिक खेती कर रहे हैं, जिसमें मछली पालन के साथ-साथ जैविक खाद का उपयोग कर फसलों की खेती की जाती है। यह तकनीक मुख्यतः अमेरिका या यूरोपीय देशों में विकसित की गई है।

2016 से, भारत के केरल में कोच्चि के पास एक छोटा तटीय गाँव चेराई हैं जो कि एक एक्वापोनिक गाँव है। सरकार को किसानों के मन में अनुकूलन और शमन रणनीतियों की दिशा में पहल करनी होगी और उन्हें उनके उत्पादन का मूल्य मिलना चाहिए।

पश्चिम बंगाल, अंतर्देशीय मीठे जल मत्स्य उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। ऐसी स्थिति में, केंद्र प्रायोजित 'नीली क्रांति' योजना के अंतर्गत राज्य में एक 'निर्यात अनुसंधान केंद्र' की स्थापना किया जाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि देशभर में गंभीर संकट का सामना कर रहे लघु तथा सीमांत मछुआरों को सहारा प्रदान किया जा सके और मत्स्य निर्यात को बढ़ावा मिल सके।

मैं यह सुझाव देता हूँ कि स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पशुपालन तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालयों के समन्वित प्रयासों से एक योजनाबद्ध तरीके से ग्रामीण भारत की महिला शक्ति को सशक्त किया

जाए। इसके अंतर्गत पशुपालन विकास, मत्स्य पालन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन, बीज उत्पादन प्रक्रिया, कटाई के बाद प्रसंस्करण व प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा निर्यातोन्मुख परियोजनाएं शामिल की जानी चाहिए, जिससे घरेलू स्तर पर उत्पादक रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें।

इन समस्त गतिविधियों के प्रभावी संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु, प्रत्येक विकास खंड स्तर पर एक विशेषज्ञ महिला टीम, जिसमें प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों एवं प्रशिक्षित कार्मिकों की सहभागिता हो, के साथ हब की स्थापना किया जाना आवश्यक है।

यह संपूर्ण प्रक्रिया न केवल ग्रामीण भारत के विकास में सहायक होगी, बल्कि देश में रोजगार सृजन को भी तीव्रता प्रदान करेगी।

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): माननीय सभापति महोदय, कृषि एवं किसान कल्याण से संबंधित बजट दूसरी सबसे निराशाजनक विशेषता है, पहली निराशा डीजल और पेट्रोल की कीमतों में अनुचित और अनावश्यक वृद्धि है। चाहे इसे कोई भी नाम दें, रंग-रूप जो भी हो, आम लोगों और खासकर किसानों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ना सबसे बड़ा असर डालेगा। यह उनके लिए एक बड़ा झटका है।

महोदय, इस वृद्धि का अत्यधिक प्रभाव पड़ने वाला है और यह किसानों सहित समाज के हर वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है।

[हिन्दी]

चेयरपर्सन साहब, बजट सिर्फ एक गोशवारा नहीं है खर्चे और आमदनी का, यह एक आईना है तमन्नाओं और आरजुओं का। अगर सोसाइटी के किसी सैगमेंट को सबसे ज्यादा हक है अपनी आरजुएं और तमन्नाएं देखने का तो वह हमारे अन्नदाताओं और किसानों को है। यह बजट उन्हीं के लिए ही सबसे ज्यादा डिस्एपाइंटिंग है। वे जिस पीड़ा से पिछले दो साल से गुजर रहे हैं, जो मेनिफेस्टो बनाया गया था, उससे यह तवक्को की जाती थी सबसे ज्यादा तवज्जोह किसानों की तरफ होगी, उसकी भलाई की तरफ होगी, उसकी बहबूदी की तरफ होगी। [अनुवाद] लेकिन मांगों और आबंटन पर करीब से नज़र डालें तो निराशा होती है। आंकड़े निराशाजनक हैं। हमारे देश के लगभग 22 करोड़ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी स्थिति में सुधार, उनके कल्याण के लिए बहुत कम काम किया गया है। जैसा कि मैंने कहा, उनकी स्थिति निराशाजनक है।

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार विकास दर घटकर मात्र 2.9 प्रतिशत रह गई है। अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 19 प्रतिशत पर बनी हुई है लेकिन कृषि और किसानों के कल्याण के लिए वास्तविक आबंटन में कमी आई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में मात्र चार प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह कृषि पर आबंटन में वास्तविक गिरावट को छुपाता है। कृषि और किसान कल्याण के लिए निर्धारित 1,30,485 करोड़ रुपये में से 75,000 करोड़ रुपये प्रधान मंत्री किसान योजना के लिए हैं। अगर हम इसे अलग करें तो वास्तविक आबंटन 67,800 करोड़ रुपये से घटकर 55,485 करोड़ रुपये रह जाता है। प्रधान मंत्री किसान सम्मान

योजना का उद्देश्य 14.5 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना था, लेकिन वास्तविकता में केवल 3.3 करोड़ किसानों को ही इसका लाभ मिला है। अब तक खर्च की गई राशि लगभग 12,450 करोड़ रुपये है, जो दर्शाती है कि यह योजना अपने लक्षित लाभार्थियों तक प्रभावी रूप से नहीं पहुंच पाई है।

प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ अभी भी भूमि से जुड़ा हुआ है। वर्षों के दौरान, वास्तविक कृषकों की संख्या कम हो गई है। लगभग 55 प्रतिशत ऐसे किसान हैं जो कृषि में संलग्न होने के बावजूद उनकी कोई जमीन नहीं है। अतः वास्तविक परिस्थितियों में, चाहे हम इस 75,000 करोड़ रुपये की धनराशि के बारे में जितनी भी चर्चा करें, यह लगभग 55 प्रतिशत किसानों को लाभ से वंचित कर देगा। माननीय वित्त मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि ऐसे किसानों को भी इस योजना के अंतर्गत लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। लेकिन वास्तविक रूप से वह एक अनायास टिप्पणी थी। यह 55 प्रतिशत किसानों के जीवन को प्रभावित नहीं करता है। माननीय अध्यक्ष जी, बजट का 54 प्रतिशत हिस्सा इस पीएम किसान सम्मान योजना या जो भी नाम दिया जाए, उसमें चला जाता है। लेकिन इसका लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता जो कृषि कार्य में लगे हैं।

एम.एस.पी. केवल 23 फसलों तक सीमित है, जबकि बाजार हस्तक्षेप केवल कुछ ही फसलों तक सीमित रहता है। इसलिए, वास्तविक रूप में एम.एस.पी. तय करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जब सरकार किसानों की मदद के लिए हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं होती, तो किसान को इसका कैसे लाभ मिलेगा?

किसानों के ऋणों के संबंध में, हमारे 68 प्रतिशत किसान के पास एक हेक्टेयर से कम जमीन है, और इसलिए वे ऋण के लिए मुख्य रूप से साहूकारों पर निर्भर रहते हैं।

इन 68 प्रतिशत किसानों को साहूकारों की गिरफ्त से मुक्ति दिलाने के लिए कोई ठोस योजना मौजूद नहीं है। उनके लिए उचित ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने और वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था स्थापित करने के संबंध में कोई प्रभावी पहल नहीं की गई है। फलस्वरूप, ये किसान निजी साहूकारों पर निर्भर रहते हैं।

फसल बीमा योजना के संबंध में भी विफलता है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले वास्तविक किसानों की संख्या कितनी है? यह केवल 27 प्रतिशत गैर-ऋणी किसानों तक सीमित है, जिन्हें लाभ मिल रहा है। जो लोग ऋण नहीं लेते हैं, उन्हें इस योजना के तहत लाभ नहीं दिया जाता है।

फसल खराब होने पर यह प्रमाणित करना पड़ता है कि पूरे क्षेत्र, तालुका या गाँव की फसल खराब हो गई है। प्रीमियम एक अलग चीज है। जब तक किसान यह साबित नहीं कर देता कि पूरे क्षेत्र की पूरी फसल खराब हुई है, तब तक उसे बीमा का कोई लाभ नहीं मिलता है और उसे कोई मुआवजा नहीं मिलता है।

कुल कृषि भूमि का केवल 49% क्षेत्र ही सिंचित है, और सिंचाई के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किए गए हैं। यह जानकारी आश्चर्यजनक और चिंताजनक है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लिए आबंटन में 3.7% की कमी आई है। किसानों की वास्तविक सहायता के लिए बीज सुधार, कृषि यंत्रीकरण, सघन खेती, सिंचाई और कृषि अनुसंधान जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। अनुसंधान के परिणामों को प्रयोगशालाओं से खेतों तक पहुंचाना अनिवार्य है। दुर्भाग्यवश, इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को इस बजट में नजरअंदाज किया गया है।

महोदय, यह आश्चर्यजनक है कि बजट का केवल 0.3 प्रतिशत हिस्सा ही अनुसंधान के लिए आरक्षित किया गया है। हमारे देश में 2.22 करोड़ किसान हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका केवल 10 प्रतिशत है, फिर भी वहाँ की कृषि उत्पादन हमारी तुलना में कहीं अधिक है। इसका कारण है कि वे नवीन तरीकों और आधुनिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, जो हमारे यहाँ बहुत कम या नहीं के बराबर हैं।

माननीय सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री हसनैन मसूदी: खेती में नई तकनीकों और नए शोध परिणामों को शामिल करने की आवश्यकता है।

अब मैं जम्मू और कश्मीर की बात करता हूँ। महोदय, कृपया मुझे जम्मू और कश्मीर के बारे में कुछ कहने की अनुमति दें। हम यहाँ 2.5 मिलियन मीट्रिक टन फलों का उत्पादन करते हैं, लेकिन हमारे पास केवल एक प्रतिशत वस्तुओं के वाणिज्यिक प्रसंस्करण की सुविधा उपलब्ध है। हम केवल पांच प्रतिशत वस्तुओं को ही शीतगृह में सुरक्षित रख सकते हैं। कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। हाल के घटनाक्रम ने

हमारी समस्या को और बढ़ा दिया है। अब फलों के परिवहन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसके कारण हमारे फल उद्योग को 2,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। राजमार्गों पर लगी पाबंदियों के कारण फलों का निर्यात संभव नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त, कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के निर्माण हेतु आवश्यक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, केवल 5 प्रतिशत फल ही कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित किए जा सकते हैं, जबकि शेष छह मिलियन टन फल सड़ जाते हैं। अतः सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि इस दिशा में गंभीरता से कार्य किया जाए। हमारे प्रमुख नकदी फसल केसर की भी स्थिति नाजुक होती जा रही है। प्रधान मंत्री के केसर मिशन की विफलता के कारण उत्पादन घटकर 10 प्रतिशत रह गया है। किसी को भी इस मिशन की असफलता का कारण जानने में रुचि नहीं है। इसके असफल होने के कारण क्या थे? यह कैसे असफल हुआ? इसे सुधारने के लिए क्या आवश्यक था?

ऐसा नहीं है कि फल केवल कश्मीर के लोगों के लिए आय का स्रोत हैं। फल और केसर देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करेंगे। उत्पादन में 90 प्रतिशत की गिरावट आई है। उत्पादन का केवल पाँच प्रतिशत शीतगृह सुविधाओं में संरक्षित किया जा सकता है और हमारे पास इन वस्तुओं की केवल एक प्रतिशत वाणिज्यिक प्रसंस्करण की सुविधा है। ये वे क्षेत्र हैं जिन पर सरकार से ध्यान केंद्रित करने की अपेक्षा की गई थी।

माननीय सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री हसनैन मसूदी: लेकिन क्या किया जा रहा है? असफलताओं को छुपा दिया जाता है। बजट आवंटनों में जो वृद्धि दिखाई जाती है, वह मात्र दिखावा है, वास्तविकता कुछ और है। जैसा कि मैंने कहा, यह धनराशि 6,000 करोड़ रुपये से घटकर 5,000 करोड़ रुपये रह गई है। इसलिए, बहुत अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान करना आवश्यक है। सरकार इस दिशा में असफल रही है तथा उन किसानों को आवश्यक राहत प्रदान करने में सक्षम नहीं हो पाई है, जो लगातार अपनी मांगों को लेकर मुखर हैं और जो समाज के सबसे वंचित एवं असहाय वर्ग से संबंधित हैं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

^{51*} **श्री अशोक महादेवराव नेते (चिमुर्-गड़चिरोली)** : देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी एवं वित्त मंत्री जी का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि एन.डी.ए. सरकार द्वारा देश का यह वित्तीय बजट लीक से हटकर दिखायी दिया है, जिसमें लोक-लुभावन घोषणाओं के स्थान पर बजट को कृषि एवं किसानों, गरीब एवं मध्यम वर्गीय लोगों पर केन्द्रित किया गया है तथा अंतरिम बजट में समाज के गरीब तबकों का विशेष ध्यान रखा गया है।

हमारा देश किसानों का देश है तथा हमारे देश की 70 प्रतिशत आबादी खेती पर ही निर्भर है। गांववासियों का आज भी मुख्य कार्य खेती करना है। [अनुवाद] यह प्रसन्नता की बात है कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रस्तुत बजट में 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का प्लान तैयार किया गया है, जो अति प्रशंसनीय है।

चूंकि, गांवों के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है, इसलिए सरकार ने अपने बजट में ज्यादा जोर गांव गरीब और किसानों पर दिया है। यह किसी से छिपा नहीं है कि अब से 5 वर्ष पहले किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गयी थी और उनको उनकी फसल का वाजिब मूल्य भी नहीं मिल पा रहा था।

लेकिन, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल के दौरान विगत 5 वर्षों में किसानों की स्थिति में काफी हद तक सुधार हुआ है और सरकार उनके कल्याण हेतु हर संभव प्रयास कर रही है।

चूंकि, कीटनाशक, रासायनिक खाद और हाइब्रिड बीज, जिनका उपयोग किसानों के लिए अत्यधिक महंगा साबित हो रहा है और इनके उपयोग से उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता है, सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए इस बजट में "जीरो बजट खेती" यानी पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर पारम्परिक खेती को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा की है, जो किसानों के हित में है।

^{51*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

इस "जीरो बजट खेती" का उद्देश्य खेती के बुनियादी तरीकों पर लौटना है। इसी से किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होगा। खाद्यानों, दलहनों, तिलहनों, फलों और सब्जियों की स्व-पर्याप्तता और निर्यात पर विशेष रूप से जोर दिया गया है।

यह भी प्रशंसनीय है कि हमारी सरकार ने अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने पर बल देते हुए उनका जीवन और व्यवसाय आसान बनाने के लिए काम करने पर जोर दिया है और कृषि अवसंरचना में निवेश करके आजादी की 75वीं सालगिरह तक किसान की आय दोगुनी करने की बात कही है।

सरकार ने इस वित्तीय बजट में किसानों के लिए 10 हजार नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाने का प्रावधान किया है, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में काफी हद तक मदद मिलेगी। बजट में कृषि अवसंरचना में व्यापक निवेश की भी व्यवस्था की गयी है, जिससे आने वाले समय में किसानों की आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार होगा।

इस प्रकार से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हमारे देश की लोकप्रिय सरकार ने किसानों की आर्थिक दशा सुधारने और उन्हें सशक्त करने के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किए हैं।

कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। जब खेती में उपज अच्छी होती है, तब किसान फसल को लेकर बाजार में जाता है और प्राप्त पैसों से ट्रैक्टर खरीदने, मकान खरीदने, बेटे-बेटी को उच्च शिक्षा के लिए भेजने, वाहन खरीदने आदि का कार्य करता है, जिससे बाजार में मांग बढ़ जाती है। मांग बढ़ने से उद्योग-धंधों के कल-कारखानों के पहिए तेजी से घूमने लगते हैं एवं देश औद्योगिक विकास की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन, फसल अच्छी नहीं आने पर जब किसान मायूस होकर बैठ जाता है तो अर्थव्यवस्था के विकास का पहिया थम जाता है।

सरकार ने इसी भावना को ध्यान में रखकर बजट को कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर केन्द्रित किया है, जिसमें किसानों के साथ ही साथ ग्राम पंचायतों को भी विकास की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अब शहर ही नहीं गांव भी स्मार्ट और समृद्ध बने, वहां पर अच्छी सड़कें हों, स्वच्छ पानी हो, साफ-सुथरे स्कूल हों, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन हों तथा मनरेगा

के माध्यम से रोजगार के अवसर भी गांव में उपलब्ध हों, इससे गांव का पूरा कायाकल्प तो होगा ही साथ ही गांवों से लोगों का पलायन भी रुकेगा और गांव सर्व सुविधा सम्पन्न भी होंगे।

मैं यह तथ्य भी सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि आज देश नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसका एक प्रमुख कारण इन क्षेत्रों का अविकसित होना ही है। यदि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करके वहां के लोगों को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने का सतत प्रयास किया जाए तो नक्सलवाद की समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है।

यह विदित ही है कि महाराष्ट्र राज्य का गड़चिरोली-चिमूर जनजातीय संसदीय क्षेत्र नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित है। इस क्षेत्र में मैगनीज, लोह, अभ्रक (मायक) हीरा इत्यादि खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यहां पर खनिज आधारित और अन्य छोटे-बड़े उद्योग स्थापित करके गरीब आदिवासी लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। ऐसा करने से आदिवासी युवकों को केवल रोजगार उपलब्ध होगा, बल्कि इस क्षेत्र का विकास भी हो और वे राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे।

अतः नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित अति दुर्गम, पिछड़े आदिवासी एवं उद्योग रहित गड़चिरोली-चिमूर क्षेत्र के लिए टैक्स होलिडे पैकेज घोषित करके केन्द्रीय स्तर से छोटे-बड़े उद्योग स्थापित कर उसी प्रकार से केन्द्रीय करों में छूट प्रदान करें, जैसे - उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के विकास हेतु टैक्स हॉलिडे पैकेज के अंतर्गत दी गयी है, ताकि इस क्षेत्र के गरीब आदिवासी युवकों को रोजगार मुहैया हो सके और नक्सलवाद की समस्या निजात मिलकर वे देश की मुख्यधारा में शामिल हो सके।

मेरा संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली-चिमूर एक बहुत ही पिछड़ा आदिवासी बाहुल्य दुर्गम क्षेत्र के अन्तर्गत आता है तथा महाराष्ट्र के विशेषतः विदर्भ क्षेत्र में गड़चिरोली, चन्द्रपुर, गोंदिया और भंडारा जिले के किसान इस समय भारी संकट से गुजर रहे हैं। विदर्भ में महाराष्ट्र राज्य का गड़चिरोली संसदीय क्षेत्र भी आता है, जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के साथ-साथ अत्यधिक दुर्गम और अविकसित क्षेत्र है।

मेरे संसदीय क्षेत्र के गरीब आदिवासी किसान एक तरफ भारी वर्षा की मार से गुजरते हैं तथा दूसरी ओर सूखे की स्थिति में भी उनकी फसल बेकार हो जाती है। इसलिए, ऐसी स्थिति में आदिवासी बाहुल्य

क्षेत्र के किसानों की मदद किए जाने की तत्काल परम आवश्यकता है ताकि वे आर्थिक संकट से उबर सके। लेकिन, यह तभी संभव है जबकि केन्द्र सरकार इन किसानों के लिए आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराए।

अतः महाराष्ट्र राज्य के विशेषतः गड़चिरोली आदिवासी बाहुल्य आत पिछड़े क्षेत्र के धान प्रभावित किसानों को आर्थिक मुआवजा उपलब्ध कराए जाने हेतु अंतरिम बजट में अलग से प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।

देश के जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में जनजातीय लोगों को जीविकापार्जन के लिए कृषि उपज हेतु वन भूमि का आबंटन किया गया है, लेकिन उनके लिए भूमि के सिंचन हेतु जल की कोई सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है, जिस कारण जल के अभाव में आदिवासी लोग अपनी भूमि को कृषि उपज के लिए उपयोग में न लाकर बेकारी की स्थिति में हैं। जब तक आदिवासी लोगों को आबंटित की गई भूमि के सिंचन हेतु जल की व्यवस्था नहीं कराई जाती है, तब तक वह भूमि उनके किसी उपयोग की नहीं है।

आज देश नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसका एक प्रमुख कारण इन क्षेत्रों को अविकसित होना ही है। यदि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करके वहां के लोगों को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने का सतत प्रयास किया जाए तो नक्सलवाद की समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है।

अतः देश के जनजातीय क्षेत्रों में विशेषकर महाराष्ट्र राज्य के आदिवासी गड़चिरोली-चिमूर संसदीय क्षेत्र में आबंटित की गई भूमि के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम तैयार करके धन का आबंटन कर भूमि सिंचन हेतु पानी उपलब्ध करवाया जाए, जिससे नक्सलवाद से प्रभावित लोग केन्द्रीय योजना से लाभान्वित होकर राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सके।

महाराष्ट्र राज्य के नक्सल प्रभावित तथा जनजातीय पिछड़े संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली जिले के आदिवासी किसान कारवाफा, चेन्ना, तुलतुली, दर्पनगुड्रा, उपसा जल सिंचन योजनाओं के बंद होने के परिणामस्वरूप कृषि उपज सुचारु रूप से नहीं कर पा रहे हैं। यह क्षेत्र अति पिछड़ा हुआ है और यहां के गरीब आदिवासी किसान पूरी तरह से खेती पर ही आश्रित हैं, लेकिन वे अपनी खेती को पानी के अभाव में

सिंचित न कर पाने की वजह से बेकारी की स्थिति में है। अतः आदिवासी गड़चिरोली-चिमूर संसदीय क्षेत्र में केन्द्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम तैयार करके भूमि सिंचन हेतु पानी उपलब्ध करवाया जाने हेतु अंतरिम बजट में धन का आबंटन किया जाए।

देश में विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है, जिनके पास रहने के लिए अथवा अपनी जीविका चलाने के लिए खेतीबाड़ी हेतु एक इंच भी भूमि नहीं है। लेकिन दूसरी ओर देश में लगभग आठ करोड़ एकड़ भूमि सरप्लस है। यदि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में आवश्यक संशोधन करके इस अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन लोगों में वितरित कर दिया जाये तो इससे न केवल अतिरिक्त भूमि का समुचित उपयोग किया जा सकेगा, बल्कि देश के गरीब अनुसूचित जाति व जनजाति के भूमिहीन लोगों को अपना सिर छिपाने के लिए भी स्थान मिल सकेगा और वे खेतीबाड़ी के जरिए अपना जीवन निर्वाह कर राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़कर देश के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान कर सकेंगे।

अतः फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जरूरी संशोधन करके अतिरिक्त भूमि को देश के गरीब एवं दलित आदिवासी समुदाय के भूमिहीन लोगों में भूमि आबंटित किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं।

गड़चिरोली जिले की तालुका धानोरा में कारवापा और तालुका मूलचेरा में चन्ना लघु सिंचाई प्रोजेक्ट केन्द्र सरकार के पास वन संरक्षण अधिनियम के अधीन क्लियरेंस न मिलने के कारण स्वीकृति हेतु लंबित है, जिसकी वजह से गड़चिरोली जिले का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, जो पूरी तरह से खेती पर ही आश्रित है, में आदिवासी किसान अपनी खेती को पानी के अभाव में सिंचित न कर पाने की वजह से बेकारी की स्थिति में है। अतः कारवापा व चन्ना लघु सिंचाई परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति शीघ्र प्रदान करके नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों को भूमि सिंचन हेतु पानी उपलब्ध करवाए जाने हेतु अंतरिम बजट में धन का आबंटन किया जाए।

महाराष्ट्र राज्य के चन्द्रपुर, नागपुर, भण्डारा इत्यादि क्षेत्रों की भूमि को सिंचित किए जाने के उद्देश्य से विदर्भ क्षेत्र के अन्तर्गत भंडारा जिले में गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना वर्ष 1981 में प्रारम्भ की गई थी। इस परियोजना का निर्माण कार्य बहुत ही धीमी गति से होने के कारण अब तक पूर्ण नहीं हो सका है, जिसके

परिणामस्वरूप क्षेत्र का विकास अवरुद्ध होना स्वाभाविक है। जिस समय यह परियोजना प्रारम्भ की गई थी, उस समय इसकी अनुमानित लागत 372.22 करोड़ रु. थी, जो आज 15.21 गुना बढ़कर 5659.10 करोड़ रु. हो गई है। परियोजना का निर्माण कार्य समय पर पूरा न होने का एक प्रमुख कारण इस परियोजना के लिए आबंटित धनराशि को दूसरे कार्यों में व्यय करना है।

गड़चिरोली चिमुर् एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र के चन्द्रपुर जिले के तीन विधान सभा क्षेत्र जो अति पिछड़े हुए हैं और खेती पर ही आश्रित हैं, को भी गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना से जल प्राप्त होना था। लेकिन परियोजना का कार्य समय पर पूरा न होने के कारण किसान अपनी भूमि को पानी के अभाव में सिंचित नहीं कर पा रहे हैं। अतः इस परियोजना को शीघ्र पूरा किये जाने हेतु अंतरिम बजट में धन का आबंटन किया जाए।

गड़चिरोली चिमुर् जिले की तालुका आरमोरी की कोसरी लघु सिंचाई प्रकल्प, डोंगरगांव-ठाणेगांव ऊपरी सिंचाई योजना, कुरखेड़ा तालुका की येंगलखेड़ा लघु सिंचाई प्रकल्प, चामोर्शी तालुका की हल्दीपुरानी ऊपरी सिंचाई योजना, तहोधी (मोकासा) ऊपरी सिंचाई योजना, पिपरी रीठ लघु सिंचाई प्रकल्प, गणपुर उपसा सिंचन योजना, कढोली ऊपरी सिंचाई योजना, अनखोड़ा ऊपरी सिंचाई योजना, पोहार नाला प्रकल्प, गड़चिरोली तालुका की कोटगल ऊपरी सिंचाई योजना, कोटगल बॅरेज, अहेरी तालुका की महागांव गर्ग ऊपरी सिंचाई योजना, देवलमारी ऊपरी सिंचाई योजना, सिरोंचा तालुका की रेंगूठा ऊपरी सिंचाई योजना, धानोरा तालुका की पुलखल लघु सिंचाई योजना केन्द्र सरकार के पास वन संरक्षण अधिनियम के अधीन क्लियरेंस न मिलने के कारण स्वीकृति हेतु लंबित है, जिसकी वजह से गड़चिरोली जिले का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, जो पूरी तरह से खेती पर ही आश्रित हैं, में आदिवासी किसान अपनी खेती को पानी के अभाव में सिंचित न कर पाने की वजह से बेकारी की स्थिति में है।

अतः गड़चिरोली आदिवासी जिले की उपर्युक्त सभी परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करके नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों को भूमि सिंचन हेतु पानी उपलब्ध करवाने हेतु बजट में धन का आबंटन किया जाए।

अंत में, मैं प्रस्तुत बजट का पूरजोर समर्थन करते हुए सरकार को धन्यवाद देता हूं और साथ ही यह भी विनम्र विनती करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित उपरोक्त सभी मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनके निराकरण हेतु इस बजट में धन व आबंटन हेतु समुचित कदम उठाने की कृपा करेंगे।

धन्यवाद।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा (रोहतक): सभापति जी, धन्यवाद। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि मेरा भी जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। जब हम छोटे थे तो देखते थे, सुनते थे कि करीब 80 फीसदी आबादी गांवों में और 20 फीसदी आबादी शहरों में रहती थी। उसके बाद धीरे-धीरे लोग अपने कारोबार के लिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए और बहुत सी सुविधाओं के लिए गांव से शहरों की तरफ बढ़ने लगे। यह आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ता गया। वर्ष 2011 का सेंसस अगर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि गांव से शहर की तरफ कितने लोगों ने पलायन किया, लेकिन वर्ष 2014 में माननीय नरेन्द्र मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने के बाद यह सिलसिला रुका और काफी धीमा हुआ। उसका कारण यह था कि जो गांधी जी कहते थे, बातें थीं कि भारत गांव में बसता है उसे माननीय मोदी जी ने समझा। गांव, गरीब और किसान के बारे में मोदी जी की जो सोच बनी। उस सोच को मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योजनाओं को क्रियान्वित किया।

सभापति जी, गरीब की सेवा गरीब कर सकता है, किसान की सेवा किसान कर सकता है, व्यापारी की सेवा व्यापारी कर सकता है, लेकिन मोदी जी की जो सोच थी उन्होंने उसको योजनाओं में दिखाया जैसे जब रेलवे के बारे में चर्चा हो रही थी तो पीयूष गोयल जी ने बताया कि किस तरह माननीय प्रधान मंत्री जी ने चाय बेची और उन्होंने गरीबी देखी। तो आप देखेंगे कि मोदी जी की जो सोच है कि जिसने गरीबी देखी हो वह गरीबों के बारे में सोच सकता है, वही प्रधान मंत्री जी ने करके दिखाया। जितनी योजनाएं प्रधान मंत्री जी ने गरीबों को दी हैं वह प्रधानमंत्री जी की ही सोच है कि किस तरह गरीबों को आगे बढ़ाना है। हमने पहले भी सरकारें देखी और आज भी हम सरकार देख रहे हैं। पहले की सरकारों में प्रधान मंत्री जी तक किस तरह की बातें करते थे कि अगर एक रुपया किसी योजना के लिए जाता है, चाहे ग्रामीण योजनाएं हो, चाहे देश की कोई भी योजना हो तो 15 पैसे ही लोगों तक पहुंच पाते थे, लेकिन वर्ष 2014 के बाद माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा कि अगर एक रुपया भी किसी योजना के लिए दिया जाएगा तो एक रुपया ही सीधा लोगों के हित के लिए जाएगा, उसमें कोई बिचौलिया नहीं होगा और कहीं भी कोई कटौती नहीं हो सकती है।

आदरणीय सभापति जी, आपने देखा कि जिस तरह से सरकार का नारा है 'सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास'। सबका विश्वास का मतलब है कि हम चुने हुए जनता के नुमाइंदों को लोगों का दिल जीतना है, हम सभी को लोगों का विश्वास जीतना है, जिस विश्वास के साथ लोगों ने हमें बनाया है, उस विश्वास के साथ हमें आगे बढ़कर उनके दुख-सुख में, उनकी उन्नति के लिए किसान, गरीब, खेतिहर मजदूर, दलित, मजदूर, बेकवर्ड, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी सबके साथ मिलकर हमें काम करना है और इसी को 'सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास' कहते हैं। हम नुमाइंदों को लोगों का दिल जीतकर के विश्वास पैदा करना है। हमारी सरकार की 'प्रधान मंत्री आवास योजना' है। हर गरीब का सपना रहता है कि मुझे घर मिले। हमारे एक साथी ने बताया कि किस तरह से जब बारिश आती है तो गरीब आदमी जो कच्चे मकान में रहता है, उसे डर लगता है कि अगर इस बार बारिश हुई, तो कहीं वह मकान के नीचे दब न जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार ने वर्ष 2022 तक 1 करोड़ 95 लाख पक्के आवास बनाने का निर्णय लिया है।

सायं 6.00 बजे

आप देखें कि सरकार ने हर परिवार को एलपीजी कनेक्शन, बिजली और शौचालय मुहैया कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछले पांच वर्षों में एक करोड़ 54 लाख ग्रामीणों को सरकार ने आवास प्रदान किए हैं।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, अब समय शाम के 6 बजे हो चुके हैं। कई सदस्य बोलना चाहते हैं। यदि सभा सहमत है, तो मैं सभा का समय रात 10.00 बजे तक बढ़ा सकता हूँ।

कई माननीय सदस्य: जी, महोदय।

माननीय सभापति: सदन का समय रात 10.00 बजे तक बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

श्री अरविन्द कुमार शर्मा: अगर गुड गवर्नेंस की बात करें, तो प्रत्येक आवास के निर्माण की प्रगति को आज जियो टैगिंग तकनीकी से मॉनिटरिंग किया जा रहा है। कल माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी ने बताया है कि प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना का देश में कितना अच्छा प्रभाव देखने को मिला है कि उज्ज्वला योजना के तहत जिन लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिए गए, उनमें से करीब 20 प्रतिशत लोगों की सांस की बीमारी ठीक हो गई है। कल ये आंकड़े माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी ने दिए हैं। यह कितनी बड़ी बात है कि प्रधान मंत्री की उज्ज्वला योजना के तहत, पहले गरीब आदमी को जो सांस की बीमारी हो जाती थी, क्योंकि वह लकड़ी यूज करता था, जिसके धुएं के कारण जो सांस की बीमारियां होती थीं, उसमें उसे कितना रिलीफ मिला है। आप देखेंगे कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों को शहरों से कितने अच्छे तरीके से जोड़ दिया गया है, आज सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी ने बताया कि कितने अच्छे तरीके से काम चल रहा है कि दिल्ली से मेरठ पहुंचने में जहां चार से साढ़े चार घंटे लगते थे, दो-तीन महीने बाद करीब 45 मिनट में आप दिल्ली से मेरठ पहुंच जाएंगे। पहले जो हर गांववासी शहर की तरफ आता था, आज हमारी सरकार की नीतियों की वजह से वह शहर में आता जरूर है, शहर में पढ़ने के लिए भी आता है, नौकरी के लिए भी आता है, स्वास्थ्य लाभ के लिए आता है, लेकिन सड़कों का जाल इतना अच्छा बिछ गया है कि वह शाम को अपने घर पहुंच जाता है। आप देखेंगे कि नेशनल कैपिटल रीजन और दिल्ली में लाखों की तादाद में लोग आते हैं लेकिन इतनी सुविधाएं हैं, रेल की सुविधा है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, कनेक्टिविटी ऐसी है कि वे शाम को अपने ही गांव में, अपने घरों में पहुंच जाते हैं। गांवों में, घरों में सरकार ने इतनी अच्छी सुविधाएं दे रखी हैं। बिजली, कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन और स्वास्थ्य सुविधाएं भी गांवों के आस-पास हैं। जो छोटे शहर हैं, आप देखेंगे कि लोग पांच मिनट या दस मिनट के रास्ते में गांव से वहां पहुंच जाते हैं। सरकार ने लोगों को सुविधाएं देने के लिए कितनी अच्छी कनेक्टिविटी दी है।

पिछली सरकारों में अनदेखी झेल रहे 100-100 की आबादी वाले छोटे-छोटे गांवों में कोई विकास नहीं हुआ था, लेकिन हमारी सरकार ने 100-100 की जनसंख्या वाले गांवों में भी सड़क पहुंचाने का बहुत बड़ा काम किया है। स्वच्छ भारत मिशन में सुंदर भारत मिशन को आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक गांव में सॉलिड वेस्ट के लिए भी उचित प्रबन्धन की व्यवस्था की गई है। किसान और कृषि गांव की आत्मा हैं, गांव की रीढ़

हैं, बगैर किसान की उन्नति हुए गांवों का विकास संभव नहीं है। इसलिए देश के अन्नदाता के लिए, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में इस बार एक लाख 38 हजार करोड़ रुपये का रिकॉर्ड प्रावधान बजट में किया गया है। किसान सम्मान योजना के अंतर्गत हर साल 6,000 रुपये किसानों को दिए जाएंगे। कृषि के लिए ज़ीरो बजट फार्मिंग की बात है। किसानों के लिए कम लागत, कम पानी, कम बिजली और जमीन की फर्टिलिटी भी कमजोर न हो, सरकार इस पर पूरा ध्यान दे रही है। सरकार की पूरी कोशिश है कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है।

माननीय सभापति जी, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज पानी है। जब से हरियाणा बना है, 1 नवम्बर, 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, तब से सतलुज-यमुना लिंक कैनाल का एक मुद्दा है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि कल हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी रोहतक में कहा है कि केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि पानी किसानों की जीवन रेखा है। सुप्रीम कोर्ट में 30 सितम्बर को इसकी सुनवाई है। केंद्र सरकार इस मुद्दे को सुलझाने की भरपूर कोशिश करे क्योंकि यह किसानों की लाइफ लाइन है, हरियाणा की लाइफ लाइन है। हरियाणा का आम आदमी चाहता है कि इस मुद्दे को सुलझाया जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर केंद्र सरकार इसमें थोड़ा-सा भी हस्तक्षेप करेगी तो यह बात बन सकती है। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: आपके पास केवल एक मिनट है। इसलिए, कृपया अपनी बात समाप्त करें। कई माननीय सदस्य हैं जिन्हें बोलना है।

[हिन्दी]

श्री अरविन्द कुमार शर्मा: प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम शुरू किया है, हरियाणा सरकार ने उसको बड़े पैमाने पर लागू किया है। हरियाणा के पलवल में विश्वकर्मा जी के नाम से स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का भी निर्माण किया गया है। जिसमें करीब 800 छोटे-छोटे कोर्सेज रहेंगे। जो बेरोजगार नौजवान युवक नौकरियों के लिए परेशान रहते हैं, वे छोटे-छोटे कोर्सेज करके रोजगार प्राप्त कर

सकते हैं। उनको सरकार की तरफ से लोन भी मिल सकता है और काम भी मिलेगा। हरियाणा सरकार ने लगभग 25 हजार से 35 हजार बेरोजगार नौजवान युवकों को छोटे-छोटे कोर्सेज करा कर बहुत बड़ा काम किया है, उनको नौकरियां दी हैं, उनको काम दिया है, उनको किसी न किसी तरीके से लोन दिला कर, उनको काम पर लगवाया है। मैं इस बात के लिए माननीय मनोहर लाल जी को धन्यवाद देता हूं कि यह केन्द्र सरकार की योजना है और हरियाणा सरकार केन्द्र सरकार की हर योजना को सबसे पहले हरियाणा में लागू करती है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारत सरकार और हरियाणा सरकार इस बात पर ध्यान दें और मैंने जो एस.वाई.एल. केनाल की बात की है, उस पर भी ध्यान दें। धन्यवाद, जय हिन्द।

[अनुवाद]

^{52*}कुमारी शोभा कारान्दलाजे (उदुपी चिकमंगलूर): मैं 2019-2020 के लिए ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालयों के नियंत्रण में अनुदान की मांगों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगी।

भारत, विगत कई दशकों से एक निम्न प्रति व्यक्ति आय वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। वर्ष 2017 में कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान मात्र 15 प्रतिशत रहा, जो विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम है। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्थाएं परिपक्व होती हैं, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का असमान योगदान एक स्वाभाविक और अपेक्षित प्रवृत्ति है। तथापि, दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि आजीविका के साधन के रूप में कृषि पर निर्भर जनसंख्या का अनुपात वर्तमान 45 प्रतिशत से घटाकर वैश्विक औसत 26 प्रतिशत के निकट लाया जाए। भारत में जून माह की शुरुआत होते ही सबसे अधिक प्रतीक्षित समाचार होता है मानसून का आगमन, जो देश के 11.9 करोड़ किसानों और 14.4 करोड़ कृषि श्रमिकों के लिए नई उम्मीदों और संभावनाओं की शुरुआत का संकेत होता है। मानसून न केवल खेती की सफलता का आधार है, बल्कि करोड़ों ग्रामीण परिवारों की आजीविका भी इससे जुड़ी होती है।

किसी अन्य सरकार ने भारत में कृषि क्षेत्र के लिए उतना नहीं किया है जितना नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार ने किया है। वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने से लेकर, कृषि मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का नाम बदलना, 50 फीसदी अतिरिक्त भुगतान के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) की गारंटी देते हुए लघु और सीमांत किसानों के बैंक खातों में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष सीधे तौर पर अंतरित करना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना, ई-नाम और ग्रामीण कृषि बाजार की स्थापना करना और 99 बड़ी अधूरी नहर सिंचाई सिंचाई परियोजनाओं का पुनर्गठन शामिल है। ये सुधार कृषि क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में राजग सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

^{52*}भाषण सभा पटल पर रखा गया।

साथ ही, अनाज, सब्जियां, फल, दूध और मछली का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। इसके बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक संकट व्याप्त है। कृषि की धीमी वृद्धि के साथ-साथ मजदूरी में भी गंभीर गिरावट देखी गई है। दिसंबर 2018 में ग्रामीण मजदूरी वर्ष-दर-वर्ष केवल लगभग 3.8 प्रतिशत बढ़ी है।

भारत दशकों से निम्न प्रति व्यक्ति आय वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जिसमें 2017 में कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान केवल 15 प्रतिशत था, जो विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के योगदान से कम है। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्थाएं विकसित होती हैं, कृषि का जी.डी.पी. में असमान योगदान एक स्वस्थ और अपेक्षित परिणाम होता है। यद्यपि दीर्घकालिक दृष्टि से वैश्विक औसत 26 प्रतिशत के निकट पहुंचने के लिए वर्तमान में रोजगार के रूप में कृषि पर हमारी निर्भरता, जो कि 45 प्रतिशत है, में समुचित और समानुपातिक कमी आवश्यक है।

वर्तमान सरकार ग्रामीण चिंताओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया में अत्यधिक संवेदनशील रही है, जिसमें उर्वरक, बिजली, फसल बीमा, बीज, ऋण, सिंचाई पर सब्सिडी में 2.2 ट्रिलियन रुपये का प्रावधान किया गया है और बाजार मूल्यों से ऊपर अनाज की खरीद के व्यापक कार्यक्रम हैं। भारत सरकार ने 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी के लिए खाद्यान्न पर सब्सिडी देना जारी रखा है; प्रत्येक ग्रामीण परिवार में एक वयस्क को 100 दिनों के लिए मनरेगा के तहत गारंटीकृत रोजगार जारी रखा है; प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम अनुपात के भुगतान में सुधार करने का प्रयास किया है; और किसानों के लाभ के लिए ई-बाजार स्थापित किए हैं।

हालांकि, इसे केवल एक संकट प्रतिक्रिया के रूप में देखते हुए भी, आगामी सरकारों द्वारा इससे कहीं अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। समाधान केवल अस्थायी उपायों जैसे कृषि ऋण माफी में नहीं निहित हैं, क्योंकि ये केवल ऋण की अनुशासनहीनता को बढ़ावा देते हैं। दीर्घकालीन समाधान यह है कि किसानों को कृषि क्षेत्र से बाहर निकालकर विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में समाहित किया जाए। इसके साथ ही, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास में तेजी लाई जानी चाहिए, जिससे नाशवान उत्पादों की विविध बिक्री कम हो और उनका मूल्य संवर्धन प्रसंस्करण के माध्यम से हो सके। साथ ही, 'मेक इन इंडिया' और 'स्टार्टअप

इंडिया' जैसे रोजगार सृजन कार्यक्रमों पर निरंतर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। मजदूर-प्रधान निर्माण और अवसंरचना परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, स्मार्ट सिटी निर्माण को तीव्र गति से पूरा किया जाना चाहिए, तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विस्तार हेतु पर्याप्त संसाधन और समर्थन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए तीन मुख्य तरीके हैं — ऋण माफी, कीमतों का समर्थन करना, या सीधे आय सहायता देना। इनमें से वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि अर्ध-सार्वभौमिक बुनियादी आय (क्यू.बी.आई.) योजना, जो लगभग सभी किसानों को नियमित आय देने वाली है, मध्यम अवधि में सबसे बेहतर और व्यावहारिक समाधान साबित होगी। मूल्य समर्थन योजना (एमएसपी और बाजार मूल्य के बीच अंतर की भरपाई) का दूसरा विकल्प आजमाया गया है, लेकिन यह अपेक्षित परिणाम प्रदान करने में विफल रहा क्योंकि व्यापारी समूहों ने किसानों को मिलने वाले दामों को कृत्रिम रूप से कम करके इसका दुरुपयोग किया। भारत में खाद्य अनाज की पर्याप्त आपूर्ति है, इसलिए उत्पादन बढ़ाना सही उपाय नहीं है। ज्यादा उत्पादन होने पर बाजार में सामान ज्यादा हो जाएगा, जिससे कीमतें गिर सकती हैं। साथ ही, अगर हम ज्यादा सामान बाहर देश को बेचते हैं, तो दूसरे देश हमें अतिरिक्त कर लगा सकते हैं। इसलिए यह भी एक बड़ी चुनौती है।

चुनाव पूर्व उपाय से परे, सार्वभौमिक बुनियादी आय (यू.बी.आई.) को एक दीर्घकालीन समाधान के रूप में देखते हुए, तेलंगाना की रयथु बंधु योजना के आधार पर इस योजना को लागू करना सर्वाधिक व्यावहारिक विकल्प माना जा रहा है। अगर इसे अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया जाता है, तो इस पर 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है। एक प्रस्तावित उपाय यह है कि एक संकुचित संस्करण लागू किया जाए, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों को प्रति एकड़ के बजाय व्यक्तिगत स्तर पर सहायता दी जाए। इस प्रकार प्रति व्यक्ति लागत के अनुसार यह धनराशि काफी कम होकर लगभग 60,000 से 70,000 करोड़ रुपये हो जाती है। राज्य द्वारा वर्ष 2017 में शुरू की गई सफल रयथु बंधु प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना को अपनाना, जिससे 57 लाख किसानों को लाभ मिला, एक सक्रिय नीति के रूप में माना

जाता है और इसे अंतिम क्षण की जनकल्याणकारी योजना नहीं माना जाता। अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे "कल्याणकारी नीति की बजाय एक निवेश" के रूप में परिभाषित किया गया है।

प्रत्येक किसान को प्रति बीजारोपण मौसम प्रति एकड़ 4000 रुपये मिलते हैं, इसलिए चाहे वह अपनी जमीन की खेती करे या न करे, उसके बैंक खाते में प्रति एकड़ 8000 रुपये जमा होते हैं। यह पहली ऐसी कृषि आय सहायता योजना है जो विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है, जो किसानों को इनपुट आधारित सहायता योजनाओं से हतोत्साहित करता है और इसके बजाय सीधे लाभ अंतरण को प्रोत्साहित करता है।

योजना को बेहतर बनाने के लिए यह सुझाव दिया गया है कि किसानों को मिलने वाली मदद की धनराशि को महंगाई, उत्पादन की लागत और खेती में जोखिम के अनुसार तय किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह योजना इसलिए सफल हुई क्योंकि राजस्व विभाग ने 60 साल बाद भूमि के रिकॉर्ड को बड़े पैमाने पर सुधार और अपडेट किया। केवल वे राज्य, जिनके पास भूमि अभिलेखों का व्यवस्थित बैंक है, ऐसी योजना लागू कर सकते हैं। इसलिए, अभिलेखों का डिजिटलीकरण इस प्रकार की योजना की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के आठ गांवों में किए गए यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यू.बी.आई.) पर पायलट अध्ययन में भी सकारात्मक परिणाम देखे गए, क्योंकि वहां के ग्रामीणों ने आबंटित धनराशि को समझदारी से उपयोग किया।

हालांकि यह एक समानता पर आधारित उद्देश्य है, लेकिन यू.बी.आई. को लागू करने के लिए वर्तमान में चल रहे अन्य कल्याण कार्यक्रमों को समाप्त करना आवश्यक होगा, ताकि संसाधन मुक्त हो सकें, क्योंकि यू.बी.आई. बाद में अन्य सभी कल्याण प्रावधानों को सम्मिलित कर लेगा। अतः सरकार के विभिन्न कल्याण कार्यक्रम जैसे खाद्य सब्सिडी या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.), ईंधन, उर्वरक, बिजली तथा ब्याज सहायता पर मिलने वाली सब्सिडी आदि को अंततः भविष्य में यू.बी.आई. के साथ समेकित किया जाना होगा। वर्तमान सामाजिक कल्याण योजनाओं की लागत भारत में जी.डी.पी. का लगभग 3.7 प्रतिशत

है, लेकिन यू.बी.आई. की लागत जी.डी.पी. की 4.9 प्रतिशत होने की उम्मीद है। प्रश्न यह है कि यह अतिरिक्त धन कहाँ से आएगा?

एक समाधान अमीर किसानों पर कर लगाने के विचार पर पुनर्विचार करने में निहित है, क्योंकि भारत में कृषि क्षेत्र भूमि स्वामित्व और आय दोनों के मामले में अत्यंत असमान है। जहां छोटे कृषि परिवारों को अपनी जीविकोपार्जन स्तर की आय पूरी करने के लिए गैर-कृषि मजदूरी पर निर्भर रहना पड़ता है, वहीं 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि रखने वाले परिवार, जो कुल कृषि परिवारों का केवल 0.4 प्रतिशत हैं, कृषि आय पर कर न लगने के कारण सबसे अधिक लाभान्वित होते हैं।

अगर हम कुल किसानों में से शीर्ष 4.1 प्रतिशत किसानों की आय पर कर लगाएं, तो लगभग 25,000 करोड़ रुपये कृषि आयकर के तौर पर जमा किए जा सकते हैं। वर्तमान में, सभी कृषि आय आयकर से मुक्त है। यह प्रावधान छोटे किसानों की रक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन कुछ गैर-कृषि संस्थाएँ कभी-कभी कर चोरी के लिए इसे एक रास्ता बना लेती हैं और अपनी आय का स्रोत कृषि बताकर कर से बचती हैं। भूमि राज्य का विषय होने के कारण, राज्य सरकारें कट-ऑफ सीमा निर्धारित करने के बाद उपयुक्त कर लगा सकती हैं, क्योंकि केन्द्र के संवैधानिक प्रतिबंध हैं। अब समय आ गया है कि केंद्र एवं राज्य सरकारें संपन्न और गरीब किसानों के बीच स्पष्ट अंतर करें, ताकि गरीब किसानों के कल्याण के लिए आवश्यक व्यय का एक हिस्सा संपन्न किसानों पर कर लगाकर पूरा किया जा सके।

भारतीय किसान सामान्यतः सूखा या बाढ़ जैसी विपत्तियों को सहनशीलता से झेलते आए हैं, लेकिन वास्तविकता में उनकी आय बहुत धीमी गति से बढ़ रही है। हाल के वर्षों में, देशभर में किसान संकट इतनी तीव्रता से बढ़ा है कि राजनीतिक नेता और हर स्तर की सरकारें गंभीर चिंता में डाल दी गई हैं। समस्या यह है कि लंबे समय तक अधिकांश राजनेताओं द्वारा किसानों को लाभान्वित करने हेतु अपनाया गया समाधान न्यूनतम समर्थन मूल्य या ऋण माफी ही रहा है। यह दोनों घोषणाएं भले ही प्रभावशाली लगें, परंतु इनमें केवल एक सीमित संख्या में किसान ही लाभान्वित होते हैं।

समस्या यह थी कि सरकार हर किसान की पूरी उपज को एमएसपी पर खरीद नहीं पाती थी — और व्यापारियों में भी कम ही ऐसे लोग होते थे जो एमएसपी देने के लिए तैयार होते, खासकर जब फसल अच्छी हो और कई विक्रेता कम कीमत पर भी अपनी उपज बेचने को तैयार होते थे। दूसरी समस्या यह थी कि एमएसपी हर किसान की मदद नहीं कर सकता था — यह उन किसानों के लिए बहुत उपयोगी नहीं था जो बड़ी मात्रा में सब्जियां उगाते थे।

ऋण माफी, हालांकि नेक इरादों से संचालित होती है और अल्पकाल में चुनावी लाभ भी प्रदान करती है, लेकिन इसका प्रभाव सीमित और दीर्घकालिक दृष्टि से हानिकारक होता है। यह योजना केवल उन्हीं किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध होती है जिनके पास अपनी स्वामित्व वाली भूमि है और जिन्होंने बैंक से ऋण लिया हो। जिन किसानों ने किराए पर जमीन ली है, उनके लिए यह काम नहीं करता वे आम तौर पर साहूकारों से उधार लेते हैं, बैंकों से नहीं। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि ऋण माफी एक नैतिक जोखिम उत्पन्न करती है — ऐसा किसान जिसकी ऋण माफी एक बार हो चुकी हो, भविष्य में भी यदि उसे लगे कि सरकार फिर से माफी दे सकती है, तो वह अपनी किस्तों का भुगतान करने में विलंब कर सकता है। इसी तरह, जो लोग समय पर अपने ऋण का भुगतान करने में कामयाब रहे हैं, वे खुद को ठगा महसूस करेंगे।

वर्तमान में ऋण माफी के बजाय प्रत्यक्ष लाभ अंतरण — एक प्रकार की न्यूनतम आय — पर विचार अधिक लक्षित है, लेकिन यह वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं करता है, जैसे कि खेती को अधिक लाभकारी बनाना और साथ ही सरकार के बजट पर बड़ा असर न पड़ना।

कृषि ऋण सिद्धांत रूप में एक प्रभावी समाधान है, किंतु भारत में सीमांत किसानों की संख्या अधिक होने के कारण यह केवल अल्पसंख्यक किसानों तक ही सीमित लाभ पहुंचा पाता है। इसी कारण किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा जैसी अन्य योजनाएं भी भारतीय किसान की समग्र स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं कर सकीं।

मुझे लगता है कि भारतीय कृषि में समस्याओं का कभी समाधान नहीं हो सकता जब तक कि केंद्र और राज्य सहकारी संघवाद के एक प्रदर्शन में एक साथ नहीं आते जैसा कि उन्होंने जीएसटी के लिए किया

था। यह पहला कदम है। अन्य सभी कदमों के लिए बहुत अधिक राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनमें से अधिकांश निहित हितों के विरुद्ध जाते हैं। एक बात तो यह है कि मंडी/ए.पी.एम.सी. मॉडल को अन्य तरीकों के साथ पूरक करने की आवश्यकता है। यह चुनौतीपूर्ण है क्योंकि राज्य सरकारें अक्सर आंशिक रूप से भी एपीएमसी को समाप्त करने का प्रयास करते हुए अस्थिर हो जाती हैं। कई सरकारें दबाव में आकर अपनी सुधार योजनाओं को वापस ले लेती हैं और पुराने, अप्रभावी व्यवस्था की ओर लौट जाती हैं।

समस्या यह है कि जहाँ मूल रूप से एपीएमसी प्रणाली स्थानीय किसानों की सहायता हेतु स्थापित की गई थी, जो सीधे बिक्री करने या दूरस्थ बाजारों तक अपनी उपज पहुँचाने में असमर्थ थे, वहाँ समय के साथ यह प्रणाली दुरुपयोग का ग्रस्त हो गई है। समय के साथ विभिन्न समितियों ने अनेक समाधान प्रस्तावित किए हैं और सरकार को इन सभी प्रस्तावों का अवलोकन कर यह पहचान करनी चाहिए कि इनमें से कौन-से समाधान सर्वाधिक व्यवहार्य हैं।

अनुबंध खेती, कृषि सहकारी समितियाँ एवं अन्य विकल्प समाधान के महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन इसके लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार के बीच एक साझा समझ विकसित करना आवश्यक है। और यद्यपि इसे पूरी तरह स्वीकार करना आसान न हो, तथापि संगठित खुदरा व्यापार, जिसमें किराना तथा फल-फूल और सब्जियों की ई-कॉमर्स भी सम्मिलित है, किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाने हेतु एक उचित और प्रभावशाली मार्ग है।

श्री जयदेव गल्ला (गुंटूर): धन्यवाद, महोदय। चूंकि मेरे पास बहुत कम समय है, इसलिए मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गुंटूर के कुछ मुद्दों से शुरुआत करूंगा और फिर कुछ अन्य सामान्य विषयों पर बात करूंगा।

पहला मेरे गुंटूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दुग्गीराला और कोल्लीपारा मंडल हैं जो हल्दी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। हर साल दुग्गीराला स्थित बाजार प्रांगण में हल्दी की पांच लाख बोरियां आती हैं और हल्दी आंध्र प्रदेश के 50,000 किसानों के लिए प्रत्यक्ष आय का स्रोत है।

हल्दी का सबसे महत्वपूर्ण घटक 'करक्यूमिन' है। करक्यूमिन जितना अधिक होगा, गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी और किसान को उसका अच्छा मूल्य मिलेगा। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली हल्दी में पाँच से छह प्रतिशत करक्यूमिन होगा। लेकिन दुग्गीराला और कोल्लीपारा में उगाई जाने वाली हल्दी में लगभग दो से तीन प्रतिशत करक्यूमिन होता है। इसलिए, दुग्गीराला में हल्दी अनुसंधान केंद्र स्थापित करने से करक्यूमिन के स्तर को पाँच से छह प्रतिशत तक बढ़ाने में मदद मिलेगी। मैं पिछले पांच वर्षों से यह अनुरोध कर रहा हूँ और इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे दुग्गीराला में हल्दी अनुसंधान केंद्र की स्थापना पर विचार करें।

दूसरा, मैं गुंटूर में मिर्च बोर्ड स्थापित करने का भी आग्रह, अनुरोध और मांग करता रहा हूँ क्योंकि गुंटूर पूरे देश में मिर्च का अग्रणी उत्पादक है। हम केवल गुंटूर जिले में ही विश्व के कुल मिर्च उत्पादन का लगभग 25 प्रतिशत उत्पादन करते हैं। यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा मिर्च उत्पादन केंद्र है। विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए गुंटूर में एक मिर्च बोर्ड स्थापित करने की आवश्यकता है, और मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि इस कार्य को लागू करने हेतु आवश्यक कदम उठाएं।

तीसरा, देश में सूखे की स्थिति के कारण खरीफ की फसल अब तक नहीं लगाई गई है। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे देश के सूखा प्रभावित जिलों की पहचान करें और किसानों को निःसंदेह वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान करें।

अंत में, गुंटूर के संदर्भ में, आंध्र प्रदेश के तंबाकू किसान गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं क्योंकि उन्हें निम्न गुणवत्ता वाले तंबाकू के लिए उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उन्हें मात्र 65 से 70 रुपये

प्रति किलो मिल रहा है, जो उनके लिए घाटे का सौदा है। इसलिए, मैं माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे उन्हें निम्न-श्रेणी के तंबाकू के लिए कम से कम सौ रुपये प्रति किलोग्राम देने पर विचार करें, जिसकी बिक्री इस साल अप्रैल में शुरू हो गई है।

महोदय, अब मैं कुछ अन्य विषयों का उल्लेख करना चाहूँगा और इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। पहला मनरेगा के बारे में है।

माननीय प्रधान मंत्री जी को याद होगा कि उन्होंने वर्ष 2014 में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दिए गए अपने पहले उत्तर में कहा था कि स्वतंत्रता के 70 वर्षों के पश्चात भी यूपीए सरकार ने मनरेगा के माध्यम से देश के लोगों को अपने जीविकोपार्जन के लिए खाई खोदने पर विवश किया है। यह स्थिति एनडीए सरकार के पांच वर्षों के शासन के बाद भी अपरिवर्तित बनी हुई है। इसके विपरीत, इस सरकार ने मनरेगा को एक प्रमुख योजना का दर्जा प्रदान किया है और गरीबों को उनके जीवन स्तर में सुधार किए बिना ही आजीविका के लिए समान खाइयाँ खोदते रहने पर बाध्य किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को इस बजट में चौथा सबसे बड़ा आबंटन मिला है। लेकिन यदि आप वृद्धि को देखते हैं, तो यह पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान का लगभग 4.7 प्रतिशत है। आबंटन 1.12 लाख करोड़ से बढ़कर 1.17 लाख करोड़ हो गया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली 70 प्रतिशत आबादी के लिए मात्र 5,474 करोड़ रुपये की वृद्धि है। यह बेहद अनुचित है।

महोदय, यदि आप सभी प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटनों को देखें, तो यह चौंकाने वाला है कि उनमें से अधिकांश में कमी आई है। उदाहरण के लिए, मनरेगा के लिए आबंटन 2018-19 में 61,084 करोड़ रुपये से घटकर इस वर्ष 60,000 करोड़ रुपये हो गया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार ने इस वर्ष आबंटन में 11000 करोड़ रुपये की कटौती की है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से इसे स्पष्ट करने का अनुरोध करना चाहूँगा।

दूसरा, मेरा राज्य आंध्र प्रदेश में 300 से अधिक मंडलों में सूखे की स्थिति है। राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित जिलों के लिए मनेरगा के तहत अतिरिक्त श्रम दिवसों का अनुरोध किया। मैं माननीय मंत्री जी से आंध्र प्रदेश राज्य को योजना के तहत अतिरिक्त श्रम दिवस प्रदान करने का अनुरोध करना चाहता हूँ।

तीसरा, सरकार ने उस आबंटन में कमी की है जहां व्यय अधिक है। मनेरगा पर व्यय 2016-17 में बजट का 125 प्रतिशत, 2017-18 में 115 प्रतिशत और 2018-19 में 111 प्रतिशत था। इसलिए, वित्त मंत्री द्वारा आबंटन को कम करना उचित नहीं है। अगर मनेरगा के तहत परिसंपत्ति निर्माण पर नजर डालें तो इसमें भी कमी आई है। 2013-14 में 99 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 90 प्रतिशत रह गया है और 2017-18 में यह अब तक के सबसे निचले स्तर 72 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूँ कि कृपया इस समस्या को गंभीर होने से पहले उचित रूप से सुलझाएं।

महोदय, अगला मुद्दा देश में किसानों द्वारा आत्महत्या के बारे में है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत में वर्ष 1995 से वर्ष 2013 के बीच 2,95,500 किसानों ने आत्महत्या की। मेरे पास एन.सी.आर.बी. द्वारा वर्ष-वार जारी किए गए अलग-अलग आंकड़े हैं। वर्ष 2012 से वर्ष 2016 तक लगभग ऐसे 12,000 किसान हैं जो हर वर्ष आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों की आत्महत्या के आंकड़े वर्ष 2016 के बाद प्रकाशित ही नहीं किए गए हैं। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि किसानों की आत्महत्या के मामले निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं और यही कारण है कि सरकार पिछले तीन वर्षों से इस पर आंकड़े प्रकाशित नहीं कर रही है।

महोदय, किसानों को दो से तीन किस्तों में पैसा देने का एक नया चलन शुरू हो गया है, चाहे वह पी.एम. किसान योजना के अन्तर्गत हो या विभिन्न राज्यों द्वारा शुरू की गई योजनाएं हों। पीएम किसान योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपये या कृषि बजट का 57 प्रतिशत आबंटित किया गया है। लेकिन प्रत्येक किसान को मिलने वाली धनराशि, चाहे उनके पास कितनी भी जमीन हो, प्रतिवर्ष 6000 रुपये है। यह आंकड़ा लगभग 12 करोड़ लाभार्थियों के बराबर है। क्या वास्तव में ये सभी 12 करोड़ किसान संकटग्रस्त हैं? साथ ही, किराए पर खेती करने वाले किसानों के विषय में क्या प्रावधान है? वे सबसे अधिक प्रभावित

हैं, वे संकटग्रस्त हैं और उन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है। यह एक विशाल जनकल्याणकारी योजना है जिसका उद्देश्य किसानों की सहमति प्राप्त करना और उनके वोट हासिल करना है। यदि कोई किसान आत्महत्या के कगार पर हो और उसे मात्र 6,000 रुपये मिलें, तो इससे उसकी वास्तविक मदद होना मुश्किल है। संभव है कि वह इस धनराशि से कुछ पल आराम तो पा ले, लेकिन इससे उसके जीवन की समस्या का समाधान नहीं होगा।

महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस धनराशि को निर्धारित करने से पहले किस प्रकार का शोध किया गया था? बीजों और अन्य इनपुट लागतों का वास्तविक खर्च क्या है? वास्तव में, *प्रधान मंत्री किसान योजना* अब ग्रामीण उपभोग बढ़ाने के लिए एक प्रत्यक्ष नकद सहायता योजना के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय, सरकार केवल ग्रामीण उपभोग की चिंता कर रही है।

अनुसंधान एवं विकास की बात करें तो अन्य माननीय सदस्य पहले ही इस विषय पर बोल चुके हैं, लेकिन सरकार को जीडीपी के 0.37 प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम एक प्रतिशत करने की आवश्यकता है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। खपत में सुधार के लिए आधे से अधिक बजट नकद हस्तांतरण के रूप में दिया जा रहा है। लेकिन किसानों को जिन वास्तविक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें इस बजट में पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी गई है। किसानों की असमर्थता ही मुख्य समस्या है, जिसे हल करना आवश्यक है। बजट में 57 प्रतिशत धनराशि ऐसे किसानों को देने पर खर्च की जा रही है जो वास्तव में प्रभावित नहीं हैं। मैं आदरणीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उन्हें सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। यही उनकी वास्तविक आवश्यकता है, न कि केवल प्रति वर्ष 6000 रुपये।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

कई माननीय सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है। मैं इस मौके पर देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि देश के करोड़ों दिलों पर राज करने वाले यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने गाँव, गरीब और किसान को केन्द्रित रखकर इस बजट का निर्माण किया। मेरे से पूर्व के कई वक्ताओं ने कहा कि किसान इस देश का अन्नदाता है। धरती माता का सीना चीरकर अपने खून-पसीने से मिट्टी में से सोना उगाने की ताकत अगर कोई रखता है, तो वह इस देश का किसान रखता है। कई वर्षों से सिर्फ नारों से इस देश के किसानों को गुमराह किया जा रहा था। लेकिन देश में पहली बार कोई प्रधान मंत्री आया, जिसने गाँव, गरीब और किसान को केन्द्रित करके इस बजट को बनाने का काम किया है।

मैं कह सकता हूँ कि यह सरकार राष्ट्र-निर्माण की सोच के प्रति संकल्पित है, जिसकी नींव वर्ष 2014 में रखी गई और एक समृद्ध, शक्तिशाली और समावेशी बजट का निर्माण किया गया। इस देश में कई लोग हैं, जिनसे किसानों को अपेक्षाएँ थीं कि कोई सरकार आएगी और हमारा भला करेगी। यह देश एक कृषि प्रधान देश है। एक विशाल जनसंख्या वाले इस देश की अधिकतम आबादी गाँवों में निवास करती है। गाँवों में निवास करने वाली आबादी का संबंध प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कृषि और कृषि-आधारित व्यवसायों से होता है। इस देश में आप और हम सब लोग देखते हैं, कई लोगों ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना का क्या हुआ, लेकिन 60 वर्षों में पहली बार इस देश के किसानों के खाते खुलवाकर उनमें छह हजार रुपये डालने का काम अगर किसी ने किया है, तो वह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है।

किसान कैसे बीज डालते हैं, कैसे निराई-गुड़ाई होती है, कैसे हकाई होती है, यह किसान का दर्द समझने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। आलू से सोना बनाने वाला व्यक्ति यह दर्द नहीं समझ सकता है। मैं आपके सामने यह कह सकता हूँ कि आज किसान, गाँव और खेती की बातें होती हैं, तो मन में एक दृश्य

आ जाता है कि हरियाली होगी, बड़े-बड़े खेत होंगे, फसलें लहलहा रही होंगी, कई बड़े हरे-भरे पेड़ होंगे और किसान तपती धूप में खेत पर काम कर रहा होगा, बच्चे गाँव के मैदान में खेल रहे होंगे, शुद्ध और ताजी हवा होगी। मन में एक ऐसा दृश्य आता है, एक परिकल्पना आती है कि गाँव और गाँव के किसान कैसे होंगे। हम लोग इस देश के गाँव, संस्कृति और संस्कार को देखें, तो किसान और इस देश की संस्कृति एक-दूसरे की पूरक हैं। आज किसी गाँव की बात करें, यदि गाँव में एक छोटी-सी शादी भी होती है, तो पूरा गाँव मिलकर उस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करता है, आने वाले मेहमान की आवभगत करता है और सारा काम सम्पादित करता है।

कई लोगों ने कई योजनाओं के बारे में कहा, किसान सम्मान निधि के बारे में भी कहा। क्या आपने 60 वर्षों में एक भी किसान के खाते में एक रुपया भी डाला? जब प्रधान मंत्री जी ने चुनाव से पहले देश में इसकी घोषणा की थी, तो कुछ लोगों ने कहा कि यह एक चुनावी घोषणा है। लेकिन दो किशतें चुनाव से पहले चली गईं और सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही यह निर्णय लिया गया कि अब केवल छोटी जोत के किसानों को ही नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक किसान के खाते में छह हजार रुपये डालने का काम होगा। इसके लिए 75 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। आज मजदूर और किसान की बात की जाती है, इस देश में सरकारी मुलाजिम को पेंशन मिलती है, यह पहली सरकार है, जिसने इस देश के मजदूरों और किसानों का बीमा कराने का निर्णय लिया।

यहाँ फसल बीमा योजना पर बड़ी लम्बी चर्चा हुई। कहा गया कि इसमें यह खामी है, वह खामी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आज इस देश में फैक्ट्रियों का बीमा होता है, बड़े-बड़े शो रूम का बीमा होता है।

देश में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने फसल का बीमा कराने का निर्णय किया। उस बीमा योजना से आप और हम सब लोगों ने देखा है कि करोड़ों किसानों की फसल का बीमा हुआ। उसमें कुछ कमियाँ, खामियाँ थीं, उसका 15-16 प्रतिशत प्रीमियम लगता था। इस सरकार ने वह प्रीमियम 1.5-2

प्रतिशत किया। आज फसल कटने के बाद भी 14 दिनों तक अगर वह फसल जल जाती है या खराब हो जाती है तो उसके बाद भी सरकार किसान को उसका मुआवजा देती है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि ऋण के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। अगर आज कोई कार खरीदता है तो वह उसे सस्ते लोन पर मिल जाती है, लेकिन यदि कोई ट्रैक्टर खरीदता है या कृषि उपकरण खरीदता था तो उसका इन्ट्रेस्ट रेट बहुत ज्यादा रहता था। यह पहली सरकार है, जिसने इस दिशा में सोचा है। मैं किसान क्रेडिट कार्ड की बात करता हूँ। फैक्ट्रीज के लिए कोई भी बैंक लोन दे देता है, लेकिन किसान को खाद्य और बीज लाने के लिए, इस देश के अन्नदाता को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसका स्वाभिमान बढ़ाया। देश में पहली बार किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की। न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात सामने आई। ये देश की आजादी के बाद के पहले प्रधान मंत्री होंगे, जिन्होंने सीना ठोककर कहा कि मैं समर्थन मूल्य के आधार पर किसान की आमदनी को दोगुना करने का काम करूंगा और लागत का डेढ़ गुना किया। खाद्यान और कई फसलें जैसे, मक्का और कई चीजों को लगभग दोगुना कर दिया गया।

मैं सॉइल हैल्थ कार्ड के बारे में बोलता हूँ। किसी भी मनुष्य की शरीर की जांच के बगैर कोई डॉक्टर उसको दवा नहीं देता, लेकिन आज इस दिशा में इस देश भर में कई सॉइल हैल्थ कार्ड योजना की कई लैब्स खोली गईं। वहां ज़मीन की मिट्टी का परीक्षण होता है। कम से कम लागत पर किसान को कैसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, इस प्रकार की चिंता इस सरकार ने की। नीम कोटेड यूरिया की कई बातें की जाती हैं, लेकिन इतने वर्षों में क्या कभी देश के उस अन्नदाता की चिंता हुई? इस देश का अन्नदाता दस कट्टे खाद के लिए कई घंटों तक सड़क पर खड़ा रहता है, उस पर लाठी चार्ज होता है, तब जाकर उसको कट्टे मिलते थे। उसके परिवार के दो, तीन और चार सदस्य दो-दो खाद के कट्टों के लिए खड़े रहते थे। इस सरकार ने नीम कोटेड यूरिया के माध्यम से इस देश के करोड़ों किसानों की इस चिंता को दूर किया।

सभापति महोदय, अभी तक इस देश का किसान कर्ज में जन्म लेता था, कर्ज में बड़ा होता था और कर्ज में ही मर जाता था। उसके मन में यह अपेक्षा रहती थी मैं कभी पैसा कमाऊंगा, मकान बनाऊंगा, बच्चों

को अच्छी पढ़ाई कराऊंगा। आज़ादी के बाद यह पहली सरकार होगी जिसने राष्ट्रीय राहत आपदा कोष के माध्यम से संसद में कानून को बदला। पहले 50 परसेंट से ऊपर फसल खराब होती थी, तब ही उस किसान को फसल खराबी का पैसा मिलता था, लेकिन इस सरकार ने इस कानून को संसद में बदलकर इस नियम को 33 परसेंट किया। इसका फायदा यह हुआ कि अकेले मेरी लोक सभा, चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र के अंदर 600 करोड़ रुपये किसानों के खातों में भेजने का काम हुआ। महोदय, इतना ही नहीं, उस लागत को डेढ़ गुना करने का भी काम किया।

सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी के लिए कहना चाहूंगा :

नेकी जिनके दिल में है, उस पर जहां के बादशाह भी सिर झुकाते हैं,

आप के कार्य आम जन तक पहुंचे, इसीलिए मोदी जी आपकी मिसाल दी जाती है।

वह व्यक्ति जिन्होंने इस देश के किसानों के लिए सोचा। प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से इस देश में बहते हुए पानी को रेंगना और रेंगते हुए पानी को रोकना सिखाया। इससे गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में पहुंचा। इस देश में कई सिंचाई योजनाओं को, जो वर्षों से लंबित थीं, उनके लिए पैसा देकर इस देश की सिंचित ज़मीन को बढ़ाने का काम किया, ताकि देश में कृषि उत्पादन बढ़े और यह देश आत्मनिर्भर बने। इस दिशा में कई काम हुए। इस देश में कई कृषि विज्ञान केन्द्र भी खोले गए। मेरे संसदीय क्षेत्र में भी एक कृषि विज्ञान केन्द्र खोला गया है। जिन केन्द्रों के पास भवन नहीं थे, उन्हें भवन देने का भी काम इस सरकार ने किया है। सॉइल हैल्थ कार्ड योजना के माध्यम से उन भवनों में लैब्स खोलने का काम हुआ है। 'आत्मा योजना' के माध्यम से उस किसान को देश, प्रदेश और पूरी दुनिया में हो रही अच्छी खेती देखकर वह अपने यहां भी उसको लागू करें, इस दिशा में भी सरकार ने नवाचार किया है। किसान टीवी के माध्यम से किसानों को कृषि आधारित सारी योजनाओं की जानकारी मिल सके, यह काम भी इस सरकार ने करने का काम किया है। ग्रामीण विकास के लिए भी महत्वपूर्ण काम किया गया है। कई वर्षों से लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या उनके गांव में भी विकास होगा।

यह गांवपरस्त बजट लाया गया है, जिसके माध्यम से सरकार ने कई योजनाएं गांव, गरीब और किसान के लिए दी हैं। इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उन्होंने अपने 75वें जन्मदिन पर यह नहीं देखा कि यह गांव कांग्रेस का है या इस गांव में बी.जे.पी. के वोट हैं अथवा इस गांव में किसी पार्टी के वोट हैं, उन्होंने अपने 75वें जन्मदिन पर एक हस्ताक्षर करके एक हजार की आबादी से लेकर 250 तक की आबादी को सड़कों से जोड़ने का काम किया। किसान अब अपनी फसल, दूध को लेकर शहर में जा सकता है। कोई बीमार हो जाता है, तो उसको खाट पर डालकर ले जाते थे। बच्चे पढ़ाई के लिए शहर में नहीं जा सकते थे, लेकिन उसका समाधान करने का काम इस सरकार ने किया है। इस सरकार ने 1 लाख 25 हजार किलोमीटर का कदम आगे बढ़ाया है।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री सी.पी. जोशी: सर, मैं बस दो मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। प्रधान मंत्री आवास योजना के माध्यम से आवास बने हैं। इन्दिरा आवास 40-45 हजार रुपये में बनते थे। उसके बाद यह राशि 70 हजार रुपये कर दी गई। उससे मकान की नींव भर जाती थी और दीवारें खड़ी करके छोड़ दी जाती थीं। वह मकान खण्डहर बनकर रह जाता था। देश के यह पहले प्रधान मंत्री हैं, जिन्होंने 1.5 लाख रुपये मकान के लिए दिए हैं।

सभापति महोदय, मैं एक किस्सा सुनाता हूं। मेरे यहां भारत सरकार की एक टीम आई थी। वह प्रधान मंत्री आवास योजना को देखने के लिए आदिवासी आबादी में गई। उन्होंने वहां देखा कि डेढ़ लाख रुपये का मकान बना हुआ है। उसमें शौचालय और किचन बना हुआ था। वहां के अधिकारियों को वहां के लोगों ने कहा कि आइए बैठिए। जब शाम हो गई तो उन्होंने लाइट जलाई। अधिकारियों ने पूछा इतनी दूर लाइट कैसे आ गई? उन्होंने कहा कि पण्डित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में 35 खम्भे लगाकर निःशुल्क बिजली पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: कृपया अंतिम मुद्दे पर आएं।

[हिन्दी]

श्री सी.पी. जोशी: सभापति जी, मैं थोड़ी देर में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। उस आदिवासी ने उस टीम से कहा कि आप चाय पीकर जाइए। अधिकारियों ने कहा कि आप चाय कहां से लाओगे? आदिवासी ने कहा कि मैं दो मिनट में लाता हूं, क्योंकि मुद्रा योजना में मैंने बकरी पालन किया है। वह दूध निकालकर लाया, उज्ज्वला योजना में उसको गैस मिली थी, उसकी वजह से उसने दो मिनट में चाय पिला दी। टीम ने पूछा कि इसके अलावा क्या करते हो? आदिवासी ने कहा कि मैंने वर्मी कम्पोस्ट का गढ़वा खोदा है और मुझे कैटल शेड भी मिला है।

सभापति जी, एक व्यक्ति को इतनी सारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। राजस्थान में कुछ राजनीतिक पार्टियों ने विधान सभा चुनाव में फायदा लेने के लिए कहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो दस दिन के अंदर समस्त कर्ज माफ कर देंगे।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: आपने सभी मुद्दों को समुचित रूप से प्रस्तुत किया है।

[हिन्दी]

श्री सी.पी. जोशी: सभापति जी, आज राजस्थान का किसान उस दिन का इंतजार कर रहा है कि मेरा कर्ज कब माफ होगा। कहा गया था कि एक घण्टे में अगर कर्ज माफ नहीं हुआ तो मैं मुख्य मंत्री को एक घण्टे में बदल दूंगा, लेकिन आज तक वह एक घण्टा नहीं आया है।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: कृपया अब समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री सी.पी. जोशी: सभापति जी, मैं अपनी बात एक मिनट में खत्म कर रहा हूँ। नरेगा योजना के लिए मेरा सजेशन है।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: आपकी पार्टी के कई सदस्य बोलना चाहते हैं। अगर आप अभी बोलते रहें तो बाकी सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री सी.पी. जोशी: सभापति जी, जैसे उपभोक्ता का राशन कार्ड पूरे देश के लिए एक होता है तो नरेगा योजना का जॉब कार्ड भी पूरे देश के लिए एक ही बन सकता है, ताकि कोई भी मजदूर पूरे देश में कहीं भी जाकर मजदूरी कर सके।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: आपने पहले ही निर्धारित समय से अधिक वक्त ले लिया है।

[हिन्दी]

श्री सी.पी. जोशी: सभापति जी, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंदर हमारे यहां किसान को दो दिन का वक्त दिया जाता है, उसको कॉल करने के लिए कि अपने यहां फसल खराब हो गई, लेकिन किसान नहीं कर पाता है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इसमें कृषि विभाग को भी जोड़ा जाए, ताकि किसान को फसल बीमा योजना का पूरा लाभ मिल सके। मेरे क्षेत्र में अफीम की खेती होती है, जो किसान से संबंधित है। वह वित्त मंत्रालय के अधीन आती है। ... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर वह खेती नहीं होगी तो दवाइयां नहीं मिलेंगी और मरीज ठीक नहीं हो पाएगा। अभी हमारे क्षेत्र में मार्फीन कम हुई है, उसमें औसत और मार्फीन मांगा जाता है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि या तो मार्फीन कम किया जाए या औसत के आधार पर उस किसान को लाइसेंस बचाने का अधिकार दिया जाए। यही निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

^{53*}श्री राकेश सिंह (जबलपुर): देश के कृषि एवं ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखना चाहता हूँ।

किसानों, कृषि क्षेत्र और ग्रामीण भारत पर ध्यान केन्द्रित करना भारत के चौतरफा विकास के लिए नया मंत्र है। इस बात को महसूस किया जा रहा है कि अगर भारत को एक उच्च विकास पथ पर आगे बढ़ाना है तो कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाना बेहद महत्वपूर्ण है और एक नई कृषि पर्यावरण प्रणाली बनाये बिना, ऐसा करना संभव नहीं है। हमारी सरकार द्वारा जो कृषि बजट लाया गया है वो इस वक्त की जरूरत थी, इसमें कृषि क्षेत्र को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन दिया गया है और किसानों व ग्रामीण गरीबों के जीवन सुधार लाने के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा गया है। उच्च विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण है 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य, जो अब पहुंच से बाहर दिखाई नहीं देता और यह कृषि क्षेत्र के साथ-साथ लाखों करोड़ों किसानों के जीवन के बदलने के लिए तैयार है।

हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी की न्यू इंडिया की परिकल्पना में 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुनी करना सबसे प्रमुख लक्ष्य है। यह बजट पिछले बजटों में उठाए गए कदमों को और अधिक मजबूत करते हुए इस दिशा में आगे बढ़ाता है और एक व्यापक व समावेशी कृषि पर्यावरण व्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना सुनिश्चित करता है।

फसलों की लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का निर्णय किसानों का जीवन बदलने और भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के आधार को मजबूत करने के साथ-साथ कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए तैयार है।

हमारी सरकार द्वारा पहली बार बांस की खेती को कृषि से जोड़कर ऐसे किसान जो अन्न उपजाने के योग्य भूमि न होने के कारण निराश हो जाते हैं और कृषि क्षेत्र और अपनी उपजाऊ भूमि से दूर हो जाते हैं

^{53*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

उनके लिए सरकार द्वारा बांस की खेती कर आय अर्जित करने हेतु प्रोत्साहित करने का कार्य किया जा रहा है।

हमारा यह मानना गलत होगा कि हमारे देश के नीति निर्माता इस बात से अनजान थे, कि देश की ज्यादातर जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी और विभिन्न सरकार अच्छी तरह से स्थापित किए गए महत्वाकांक्षी और प्राप्त किए जा सकने वाले लक्ष्यों के साथ इस क्षेत्र को प्राथमिकता देने का प्रयास करती दिखाई देती रही है।

कृषि राज्यों का विषय होने के बावजूद केन्द्र सरकार द्वारा बहुत से लोगों का जीवन सुधार लाने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से हस्तक्षेप करना चाहिए। भारत की प्रगति ग्रामीण भारत के विकास पर निर्भर है, जहां अधिकांश लोग रहते हैं और अपनी आजीविका की तलाश करते हैं।

पूर्ववर्ती सरकारों का दृष्टिकोण शहरी क्षेत्र के विकास पर ध्यान केन्द्रित करने का रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था में असंतुलन और ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा हुई, और कृषि संकट व किसानों की आत्महत्याएं इसके परिणाम हैं। कृषि, किसान और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति दूरदर्शी दृष्टिकोण की कमी का परिणाम यह हुआ कि कृषि को लाभहीन मानकर बड़ी संख्या में लोगों ने खेती छोड़ दी और नौकरियों की तलाश में शहरों का रुख कर लिया।

अर्थव्यवस्था केवल तभी आगे बढ़ सकती है जब समाज में सबसे अधिक वंचित और पिछड़े लोगों को सशक्त बनाया जाएगा। शायद इसी दृष्टिकोण के साथ मोदी सरकार ने बजट में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रावधानों के जरिए ग्रामीण क्षेत्र में भारी निवेश करना शुरू कर दिया है। देश के किसान भाईयों ने पहली बार लगभग 30 लाख टन फलों और सब्जियों के साथ लगभग 275 मिलियन टन का रिकार्ड अनाज उत्पादन हासिल किया है, लेकिन किसानों को ऐसे रिकार्ड उत्पादन का ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार के प्रभावी कदमों की आवश्यकता है।

देश में आजादी के बाद पहली बार हमारी सरकार द्वारा किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में प्रतिवर्ष 6000/- रु. दिया जा रहा है।

हमारी सरकार द्वारा किसानों में खासकर लघु और मध्यमवर्गीय किसानों में यह विश्वास जताने का प्रयास किया गया है कि सरकार जनता द्वारा चुनी गई और जनता के लिये काम करने वाली है।

लोकसभा चुनाव 2019 में यह देश के सामने आया है कि जहां हमारी पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी वहां भी जनता ने पुरजोर साथ देकर भाजपा और एनडीए के प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस चुनाव में हमारी पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा है, मतलब किसानों और ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों ने हम पर और हमारी सरकार की योजनाओं को पूर्ववर्ती सरकारों की योजनाओं और कार्यशैली से बेहतर माना है। किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किये बिना देश को किसी भी रूप में विकसित करना नामुमकिन है। हमने किसानों को वही माहौल देना होगा जब वे अपनी कृषि भूमि एक कृषि को अपना गर्व का विषय समझते थे।

आज देश के विभिन्न क्षेत्रों से कृषक और हमारे किसान भाई कृषि को छोड़कर, गांव को छोड़कर छोटी-मोटी नौकरी के लिये शहरों के लिये पलायन कर रहे हैं। हमें जरूरत है कि उन कृषक भाइयों को फिर से वही संसाधनों और फसल पर उचित समर्थन मूल्य देकर उन्हें वापस कृषि के प्रति प्रोत्साहित किया जाये, ताकि वे कृषि के माध्यम से अपनी आमदनी बढ़ाकर देश और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान दे सकें।

पूर्ववर्ती सरकारों में हमने बहुत करीब से देखा है कि कैसे हमारे किसान भाई अपने फसल का उचित समर्थन मूल्य न मिलने की दशा में अपने उपज को सड़कों पर फेंक कर प्रदर्शन करते थे या कुछ कालाबाजारी करने वालों के चंगुल में फंसकर अपने उपज का कम मूल्य प्राप्त करते थे और बाद में उन ही फल सब्जियों का कुछ मुनाफाखोरों द्वारा मुनाफाखोरी की जाती रही है। किन्तु आज देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे मुनाफाखोरों और कालाबाजारी करने वालों की कमर तोड़ दी गई है।

माननीय केन्द्रीय कृषि, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर मध्यप्रदेश के मुरैना लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले वर्ष कांग्रेस के झूठे वायदों के आधार पर हमारे किसान भाईयों, ग्रामीणों ने अपना मत कांग्रेस को दिया और लगभग 15 वर्षों के वनवास के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश में सत्ता में लौटी, किन्तु उनके किसानों के कर्जमाफी के वायदे का कुछ नहीं हुआ। आज प्रदेश में किसानों के बीच हाहाकार मचा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है। प्रदेश की जनता भाजपा के स्वर्णिम शासन को वापस याद कर रही है और पूरी प्रदेश सरकार और उसकी मशीनरी ट्रांसफर उद्योग में व्यस्त है।

कांग्रेस ने इस देश में परोक्ष रूप से कम से कम 55 वर्षों तक इस देश में अपना शासन चलाया है। यदि उनके द्वारा कृषि और किसानों के सुदृढ़ता के बारे में थोड़ा भी प्रयास किया होता तो आज कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की यह हालत न होती। किन्तु चुनाव आते ही लोक लुभावन वायदे करना, जनता का समर्थन प्राप्त करना, सरकार बनाना और बाद में किसानों और ग्रामीण विकास को उनके हाल पर छोड़ देना, ऐसा कांग्रेस की कार्यशैली का हिस्सा रहा है।

मैं आखिर में सरकार से यही आग्रह करूंगा कि देश में 545 लोकसभा क्षेत्र हैं, कृषि के मामले में सभी 543 सीटें/ संसदीय क्षेत्रों में विभिन्नता है। सरकार द्वारा राज्यों को निर्देशित कर किसानों का रियलटाईम डाटा को निकालने का प्रयास किया जाये और भविष्य में उसी आधार पर कृषि बजट का प्रावधान किया जाये ताकि किसानों के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत किया जा सके और भारत को सशक्त किया जा सके।

आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का मौका दिया उसके लिए आपको पुनः धन्यवाद।

[अनुवाद]

^{54*} **श्री भर्तृहरि महताब (कटक):** मैं वर्ष 2019-20 के लिए ग्रामीण विकास एवं कृषि और किसान कल्याण की अनुदान की मांगों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं कृषि, सहयोग और किसान कल्याण मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करना चाहूँगा। इस मंत्रालय को 2019-20 में 1,304,855 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं जो कि 2018-19 के संशोधित अनुमान 62,685 करोड़ रुपये से 92.5% अधिक है। मंत्रालय के बजट का 77% से अधिक इस विभाग के अन्तर्गत तीन योजनाओं पर खर्च करने का प्रस्ताव है। पीएम-किसान पर 54%, ब्याज सब्सिडी योजना पर 13% और प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना पर 10% है।

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना इस वर्ष फरवरी में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य किसान परिवारों को वार्षिक 6000 रुपये की आय सहायता प्रदान करके उनकी फसल के उचित स्वास्थ्य और उत्पादन के लिए आवश्यक इनपुट्स की खरीद में वित्तीय सहायता देना है। इससे पहले, केवल छोटे और सीमांत भूधारक किसान परिवार यानी 2 हेक्टेयर तक की कुल खेती योग्य भूमि वाले परिवार ही इस योजना के लिए पात्र थे। इस साल मई में, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सभी किसान परिवारों के लिए उनकी भूमि जोत के आकार की परवाह किए बिना योजना के विस्तार को मंजूरी दी। कवरेज में इस वृद्धि के साथ, 2019-20 में योजना पर खर्च 75000 करोड़ रुपये से बढ़कर 87218 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। हालांकि, बजट में योजना का आबंटन वर्ष 2019-20 के लिए 75,000 करोड़ रुपये है। प्रारंभ में इस योजना में 12.5 करोड़ लाभार्थियों को शामिल करने की उम्मीद थी। इसके दायरे में वृद्धि के साथ, अनुमानित लाभार्थी 14.5 करोड़ हो जाएंगे। किसान परिवार जो कृषि योग्य भूमि धारक हैं, योजना के तहत आय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। इस योजना में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को शामिल नहीं किया गया है जो देश के कृषि श्रमिकों का 55% हैं। कृषि श्रमिकों में कृषि क्षेत्र में काम करने वाले किसान और श्रमिक शामिल हैं। कुल कृषि श्रमिकों में कृषि मजदूरों की हिस्सेदारी वर्ष 1951 में 28% से बढ़कर वर्ष 2011 में 55% हो गई है। इसी अवधि के

^{54*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

दौरान किसानों का हिस्सा 72% से घटकर 45% हो गया है। यहां मैं इस सभा को बार-बार याद दिलाना चाहता हूँ कि बटाईदार, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलता है, जबकि ओडिशा सरकार खरीफ और रबी के लिए किसानों को 10,000 रुपये दे रही है। यह कल्याणकारी योजना 50 लाख छोटे और सीमांत किसानों और 25 लाख भूमिहीन कृषि परिवारों को लाभान्वित कर रही है। इस योजना में 06 घटक हैं जिनमें कृषकों को सहायता, भूमिहीन कृषि परिवारों के लिए आजीविका सहायता, जीवन बीमा, ब्याज मुक्त फसल ऋण, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और कमजोर कृषि परिवारों को वित्तीय सहायता शामिल हैं।

चूंकि पशुपालन, मत्स्य पालन और बागवानी आधारित गतिविधियां ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास के मुख्य स्रोत हैं, विशेषकर ज़मीन रहित परिवारों के लिए। इन्हें आय और जीवन स्तर सुधारने के लिए तीन किस्तों में कुल 12,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह विशेष रूप से हमारे राज्य की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी को लाभ पहुंचाता है। कालिया योजना के तहत लगभग 36 लाख किसानों और 15 लाख भूमिहीन कृषि परिवारों को पहले ही वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। हम पीएम-किसान योजना का स्वागत करते हैं, लेकिन भूमिहीन मजदूरों, बटाईदारों एवं कमजोर कृषि परिवारों को भी इस योजना के दायरे में सम्मिलित करने का हम पूर्णतया समर्थन करते हैं। कृषि अर्थव्यवस्था के इन कमजोर वर्गों पर समुचित ध्यान दिए बिना ग्रामीण समृद्धि और गरीबी उन्मूलन की दिशा में सार्थक प्रगति संभव नहीं है।

ब्याज सब्सिडी योजना के माध्यम से किसानों को रियायती लागत पर कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। योजना के तहत किसानों को 9 लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसल ऋण पर 2% की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। एक वर्ष के भीतर समय पर अपने ऋण का भुगतान करने वाले किसानों को 3% की अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। मैं इस सदन को याद दिलाना चाहता हूँ कि आरबीआई के तहत गठित एक आंतरिक कार्य समूह ने क्या अवलोकन किया था। इसने कहा था कि ब्याज सब्सिडी योजना ने कृषि ऋण प्रणाली को विकृत कर दिया है। समूह ने यह भी उल्लेख किया कि कृषि ऋण होने की पुष्टि किए बिना बोनस अनुदान ऋण लेना और साथ ही ब्याज सब्सिडी का दावा करना समस्या का कारण

है। आरबीआई समिति ने यह अवलोकन किया कि जमीन का मालिक अक्सर स्वयं कृषक नहीं होता, यहाँ तक कि छोटे और सीमांत खेती वाले भूखंडों में भी। कई बार वह अपने वास्तविक कृषक का सूदखोर बन जाता है। समिति ने यह सिफारिश की थी कि कृषि ऋण वास्तविक कृषक तक पहुँचना चाहिए, जिसके लिए महत्वपूर्ण सुधार आवश्यक हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि इस संदर्भ में क्या कदम उठाए गए हैं।

इस ऋण संबंधी मुद्दे पर कहा जा सकता है कि भूमिहीन किसान, जिन्हें बटाईदार भी कहा जाता है, उन्हें ऋण नहीं मिल पाता है, जिससे औपचारिक वित्तीय संस्थानों की पहुँच सीमित रहती है। इसके परिणामस्वरूप वे अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हो जाते हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में तनाव उत्पन्न होता है। इसलिए, व्यापक स्तर पर संयुक्त-देयता समूहों के माध्यम से अल्पकालिक ऋण प्रदान करने की आवश्यकता है। ओडिशा सरकार ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में प्रस्ताव दिया है कि एक सी.जी.टी.ए. (कृषि के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) का गठन किया जाए जो विशेष रूप से भूमिहीन किसानों और बटाईदारों को बकाया अवधि ऋण पर ऋण गारंटी प्रदान कर सके।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को फसल बीमा दिया जाता है। इसमें काश्तकारों और बटाईदारों सहित सभी किसान शामिल हैं, जो अधिसूचित फसलों और अधिसूचित क्षेत्रों में उगा रहे हैं। 2019-20 में इस योजना के लिए 14,000 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं, जो 2018-19 के संशोधित अनुमान से 8% अधिक है।

2017-18 में योजना के तहत 5.18 करोड़ किसानों का बीमा किया गया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऋण वाले किसानों के लिए पी.एम.एफ.बी.वाई. अनिवार्य है और बिना ऋण वाले लोगों के लिए वैकल्पिक है। अधिकांश, लगभग 73% किसानों को योजना के तहत अनिवार्य रूप से नामांकन करना पड़ा, जबकि 27% गैर-ऋणकर्ता किसान थे। इससे पता चलता है कि बड़ी संख्या में किसानों को इस पी.एम.एफ.बी.वाई. के तहत शामिल नहीं किया जा रहा है। प्रमुख समस्या दावों का समय पर निपटान है। 2017 में कृषि पर स्थायी समिति ने सिफारिश की थी कि लंबित दावों के तेजी से निपटान की निगरानी के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाए। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि फसल कटाई से दो महीने के

अंदर बीमा योजना के तहत दावों का निपटान किया जाए। संशोधित दिशानिर्देश लागू होने के बाद राज्य सरकारों और बीमा कंपनियों दोनों को दावों के निपटान में देरी के मामले में दंड का भुगतान करना होगा यदि देरी 12% ब्याज तक दो महीने से अधिक है।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना पूरे देश में लागू की जा रही है ताकि फसल नुकसान के विभिन्न पूर्व और पश्चात जोखिमों को कवर किया जा सके। हालांकि, जंगली जानवरों के हमले के कारण हुए फसल नुकसान को संबंधित राज्य सरकार की विवेकाधीन अतिरिक्त कवरेज के रूप में रखा गया है। इसलिए, या तो किसानों को इसके लिए अतिरिक्त प्रीमियम देना पड़ता है या राज्य सरकार को ऐसे अतिरिक्त प्रीमियम की लागत वहन करनी पड़ती है। ओडिशा सरकार अपने किसानों को जंगली जानवरों के हमले के कारण फसल के नुकसान का अतिरिक्त कवरेज प्रदान करने के लिए इस तरह के अतिरिक्त प्रीमियम का 100% वहन कर रही है। यह सही समय है कि सरकार को प्रीमियम की किसी अतिरिक्त लागत के बिना या ऐसे अतिरिक्त प्रीमियम की पचास प्रतिशत लागत को साझा करने के लिए पी.एम.एफ.बी.वाई. में फसल के नुकसान के जोखिम को शामिल करना चाहिए। ऐसा कदम देश के किसानों को प्रीमियम की किसी अतिरिक्त लागत के बिना ऐसी फसल के नुकसान से बचाएगा।

प्रधान मंत्री कृषि सिंचिई योजना 2015 में सिंचित क्षेत्र की कवरेज बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। 2019-20 में योजना के लिए 3500 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। यह वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 18% की वृद्धि है। वर्ष 2014-15 तक, देश के शुद्ध बुवाई क्षेत्र का 49% हिस्सा सिंचाई के अधीन था। अब सूक्ष्म सिंचाई पर अधिक जोर दिया जा रहा है। लेकिन इस दिशा में बहुत काम नहीं हुआ है। अतिरिक्त रूप से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि योजना के लिए आबंटन वर्षों में बढ़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बाद के चरणों में इसे कम कर दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजना के लिए आबंटन 4000 करोड़ रुपये (प्रारंभिक अनुमान) से घटाकर संशोधित अनुमान में 2955 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो 26% की कमी दर्शाता है।

अब ग्रामीण विकास के अनुदान मांगों की बात करें तो कहा जा सकता है कि यह वर्ष 2019-20 के बजट में मंत्रालयों के अनुसार चौथा सबसे अधिक आबंटित बजट है, जिसकी धनराशि 1,19,874 करोड़ रुपये है। ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्रमुख योजनाओं को लागू करता है। अधिकांश योजनाओं का लक्ष्य गरीबी में कमी, बुनियादी सेवाओं का प्रावधान, रोजगार सृजन, ग्रामीण अवसंरचना और आवासन विकास है। 2005 में शुरू की गई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वार्षिक 100 दिन की सुनिश्चित मजदूरी रोजगार प्रदान करना है, जिसमें परिवार के वयस्क सदस्य स्वेच्छा से असक्षम मजदूरी कार्य करते हैं। यह योजना सभी जिलों में लागू है। जब हम बजट बनाम वास्तविक व्यय का विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि व्यय विभाग के बजट का 50% से अधिक रहा है। पिछले वर्ष संशोधित अनुमान 61,084 करोड़ रुपये था और इस वर्ष बजट अनुमान 60000 करोड़ रुपये है। पिछले कुछ वर्षों में इस योजना के अंतर्गत निधियों का उपयोग लगातार बढ़ा है। 2014-15 तक वास्तविक व्यय बजट अनुमानों से कम या उसके बराबर था। हालांकि, 2014-15 के बाद, योजना का वास्तविक व्यय, बजट अनुमानों से अधिक हो गया है। मनरेगा एक मांग संचालित योजना है। यह पाया गया है कि 2012-13 से 2018-19 के बीच 2012-13 में 97% से 2018-19 में 84% तक रोजगार प्राप्त करने में कमी आई है। हालांकि यह योजना 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है, लेकिन पिछले छह वर्षों के दौरान यह औसत रोजगार दिनों में 45.5 दिन है, 2015-16 में अधिकतम 49 दिनों का रोजगार है।

प्रमुख मुद्दे भुगतान में देरी और न्यूनतम मजदूरी दर हैं। मनरेगा के अनुसार मजदूरी भुगतान मस्टर रोल बंद होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। यह पाया गया है कि विलंबित भुगतानों का अनुपात 2012-13 में 39% से बढ़कर 2014-15 में 73% हो गया था, लेकिन इसके बाद से इसमें कमी आई है। 2018-19 में शुरू हुए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन ने भुगतान में देरी को कम करने में मदद की है। इस योजना के तहत न्यूनतम मजदूरी दर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। लेकिन केंद्र द्वारा निधि उपयोग के निरीक्षण और निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र होना आवश्यक है।

विभाग के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई.-जी.) को दूसरा सबसे अधिक आबंटन प्राप्त हुआ है। इस योजना के अंतर्गत प्रति इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के

बीच 60:40 के अनुपात में वहन की जा रही है। वर्तमान में प्रति इकाई सहायता धनराशि 1,20,000 रुपये है। इसके बावजूद, पिछले वर्ष से इस योजना के लिए आबंटन में कमी आ रही है। ओडिशा सरकार ने अनुरोध किया है कि चक्रवात 'फानी' से प्रभावित लोगों के लिए विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई.-जी.) के अंतर्गत कम से कम 5 लाख आवास स्वीकृत किए जाएं, तथा पूर्व में तैयार की गई सूची से छूट प्रदान की जाए। ओडिशा में कच्चे घरों की समस्या गंभीर है। लोगों को पक्का आश्रय बनाने में मदद करने के लिए अधिक संख्या में पी.एम.ए.वाई.-जी की मांग है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पात्र असंबद्ध बस्तियों को हर मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करना है। इस वर्ष विभागीय बजट में इसका आबंटन दूसरा सबसे अधिक है, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई.-जी.) के समान है। फिर भी, मैं यह कहना चाहूंगा कि आबंटन की प्रवृत्ति और वास्तविक व्यय के अनुमानों से यह स्पष्ट होता है कि धनराशि का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है, जिससे इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर प्रभाव पड़ रहा है। योजना के तहत काम की गति वास्तव में धीमी रही है। जनवरी 2018 तक, मंत्रालय द्वारा स्वीकृत योजनाओं के मुकाबले सड़कों की कनेक्टिविटी और निर्माण कार्य की प्रगति असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा यहां तक कि ओडिशा जैसे राज्यों में अपेक्षाकृत कम रही है।

कई और योजनाएं हैं जो इस मंत्रालय द्वारा की जा रही हैं और मैंने कुछ का उल्लेख किया है। मूल रूप से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आयोजित किया जाना है लेकिन उन सभी कार्यक्रमों की निगरानी और समीक्षा केंद्र सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक की जानी होगी। इंटरनेट और डिजिटलीकरण के इस युग में, धन उपयोग प्रमाण पत्र प्रदान करना कोई समस्या नहीं रह गई है। मैं इस सरकार से आग्रह करूंगा कि वह आबंटित धनराशि का समयबद्ध तरीके से उचित उपयोग करने के लिए तत्काल कदम उठाए।

[हिन्दी]

^{55*} **श्री गणेश सिंह (सतना)** : श्री मोदी जी की सरकार 2014 में जब बनी तब देश गम्भीर समस्याओं से जूझ रहा था, चारों तरफ निराशा के बादल छाये थे, भ्रष्टाचार चरम पर था, लोग निराश थे, समस्यायें विकराल रूप ले रही थीं। ऐसे समय में श्री मोदी जी की सरकार ने समयबद्ध कार्यक्रम शुरू करके देखते देखते समस्याओं पर काबू पा लिया और देश आगे बढ़ा हुआ दिखायी देने लगा।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कृषि के लिए 1,38,568 करोड़ की राशि आबंटित की गयी है जोकि पिछले वित्तीय वर्ष से 82.9 प्रतिशत अधिक है।

	2014 से पूर्व	2014 के बाद
खाद्य सुरक्षा	1.2 लाख करोड़ रुपये	1.8 लाख करोड़ रुपये
पेटेंट की संख्या	4000	13,000 (2017-18)
न्यूनतम समर्थन मूल्य	89,740 करोड़ रुपये	1,71,127.48 करोड़ रुपये (2018-19)

किसानों के लिए अर्थव्यवस्था का मान सुनिश्चित करने के लिए अगले पांच वर्षों में 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाया जायेगा।

किसानों को सम्मान निधि जिसमें हर वर्ष 78 हजार करोड़ रुपये हर साल किसानों के खाते में पहुँचेगा, इसका लाभ साढ़े चौदह करोड़ (14.5 करोड़) किसानों को और 5 करोड़ लघु एवं मध्यम कृषकों को 3 हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। छोटे व्यवसायियों, असंगठित क्षेत्र को लगभग 30 लाख कामगार जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है उनको प्रतिवर्ष 3 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है।

^{55*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

ई-नाम से किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए यह सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी। कृषि उत्पाद विपणन सहकारिता (एपीएमसी) अधिनियम से किसानों को अपनी फसल के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। व्यवसाय करना आसान बनाना और जीवन आसान बनाना दोनों किसानों के लिए भी लागू होना चाहिए। हम उस स्थिति में वापस आ जाएंगे जिसमें किसानों के लिए बजट आबंटित करने की आवश्यकता नहीं होगी। (जीरो बजट फार्मिंग) हमें इस नवाचार मॉडल को दोहराने की जरूरत है जिसके माध्यम से कुछ राज्यों में इस कार्य के लिए किसानों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा रहा है। ऐसे कदम उठाने से स्वतंत्रता के 75वें वर्ष तक हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जायेगी।

हमारी सरकार ने 1592 ब्लॉकों की पहचान की है जहां स्थिति दयनीय है और उनका अत्यधिक दोहन किया गया है। ये ब्लॉक जल शक्ति अभियान के लिए 256 जिलों में फैले हैं। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का प्रयोग करने के अलावा, सरकार इस उद्देश्य के लिए प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) के अंतर्गत उपलब्ध अतिरिक्त निधियों का प्रयोग करने की संभावना की भी तलाश करेगी। इससे भी किसानों को पूरा लाभ मिलेगा।

कृषि के लिए जल की जरूरत सबसे अधिक होती है। जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को और हर घर जल (पाइपलाइन जल आपूर्ति) सुनिश्चित करने हेतु राज्यों के साथ मिलकर कार्य करेगा। यह मिशन, पेयजल और स्वच्छता विभाग के तहत, स्थानीय स्तर पर जल के प्रबंधन की समेकित मांग और आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करेगा जिसमें वर्षा जल संचय, भूमि जल संभरण और परिवारों के अपशिष्ट जल का कृषि के लिए पुनःप्रयोग जैसे साधनों को बनाए रखने हेतु स्थानीय अवसंरचना का निर्माण/स्थापना शामिल हैं। जल शक्ति अभियान के लिए 256 जिलों के 1592 ब्लॉकों की पहचान किया गया है।

मध्य प्रदेश के 24 जिलों को भूजल संकटग्रस्त घोषित किया गया है जिसमें मेरा लोक सभा क्षेत्र सतना का रामपुर बघेलान, सोहावल और मैहर विकास खण्ड शामिल है।

1.सतना जिले का विकास खण्ड	7. उज्जैन	13. छतरपुर	19. शिवपुरी
(क) रामपुर बघेलान (ख) सोहावल (ग) मैहर			

सरकार से मेरी मांग है कि किसानों के 'कृषि भूमि की सिंचाई करने के लिए भूजल संकट का समाधान किया जाए।

कृषि मंत्रालय से अपने लोक सभा क्षेत्र सतना की निम्नलिखित महत्वपूर्ण मांगों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं : पूरे जिले में एक मात्र कृषि विज्ञान केन्द्र मझगवां में 7 है। एक और कृषि विज्ञान केन्द्र अमरपाटन के पास असरार नर्सरी में खोला जाए। सतना एक कृषि प्रधान जिला है वहां कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये।

प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत जिले के सभी पुराने जलाशयों का जीर्णोद्धार करके जल संचय किया जाये साथ ही बरगी बांध दायी तट नहर का कार्य तत्काल पूरा कराया जाये। सिंचाई हेतु पहाड़ी क्षेत्रों में नये बांध बनाये जाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है उनकी स्वीकृति करायी जाये।

जिले में शीत भण्डारण की कमी है जैसा कि बजट में घोषणा की गयी है कि ग्रामीण भण्डार खोलने की, उसे हमारे जिले में अवश्य शुरू कराया जाये। आवारा पशुओं से किसानों की फसल को भारी नुकसान हो रहा है। अतः पंचायत स्तर पर काजी हाउस या गौशालाएं खोली जाये। आत्मा परियोजना के तहत बड़ी संख्या में हर जिला में किसान मित्र तथा दीदियों की नियुक्ति की गयी है, उन्हें जो मानदेय दिया जा रहा है, वह अत्यन्त कम है, जबकि उनसे कृषि जागरूकता के सारे कार्य कराये जाते हैं। अतः उन्हें रेगुलर किया जाये।

देश के सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो प्रतिवर्ष 6000 रुपये दिया जाना है उसका मैं स्वागत करता हूँ। इसी तरह किसान पेंशन योजना का भी बहुत बहुत स्वागत है।

मेरे जिले में मेहर, इटमा टमाटर मंडी गांव को मैंने सांसद आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया है। इस पूरे क्षेत्र में बड़ी मात्रा में सब्जियों तथा फलों की खेती होती है। किन्तु किसानों को उचित दाम नहीं मिल पाता, मेरी मांग है कि खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग स्थापित किया जाए।

जिले में कृषि को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय स्तर के कृषि मेलों का आयोजन किया जाए। जिले के उन क्षेत्रों जहां पर सिंचाई की नहर नहीं है वहां सौर ऊर्जा के पंप किसानों को दिये जाये। अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने की योजना व तत्काल शुरुआत की जाये। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे जिले के एक किसान श्री बाबूलाल दाहिया को पुराने बीजों के संरक्षण के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया, यह मेरे जिले का सौभाग्य है। फसल बीमा योजना के तहत बीमा का हर जिला मुख्यालय में कार्यालय खोला जाना आवश्यक है, किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय का ध्यान निम्नलिखित बिन्दुओं की ओर दिलाना चाहता हूँ ;

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2011 की जनगणना के आधार पर 500 आबादी के सभी गांव सड़क मार्ग से जोड़े जा चुके हैं लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में गांव जो सड़कविहीन हैं, हर चुनाव में सड़क नहीं तो वोट नहीं के नारे लगते रहते हैं। ऐसे सभी गांवों को चिन्हित कर प्रधानमंत्री सड़क से जोड़ा जाए। इस बजट में 1.25 लाख किमी सड़कों को पुनर्निर्माण करने का जो प्रावधान किया गया है उसी के तहत सितपुरा से छीन्दा होते हुए रैगांव, नारायणपुर होते हुए कोठी तक का सड़क निर्माण कराया जाए। जिगना गोरसरी से बड़ा इटमा पहाड़ के नीचे से सड़क निर्माण यह सभी गांव आदिवासी बाहुल्य हैं। रामस्थान, खम्हरिया रोड से ठाकुरदीन के अहरी से डूड़ी तालाब से ग्राम पंचायत खम्हरिया तक सड़क निर्माण कराया जाये। सेजवार से भैरोबाबा मंदिर से गुप्त गोदावरी तक सड़क निर्माण कराया जाये। छिबौरा, गाजन रोड से देउमउ बरछा टोला से बाबूपुर तक सड़क निर्माण कराया जाये।

बिरसिंहपुर सेमरिया रोड से करौंदी भठिया से हलावन से विजयपुर, प्रतापपुर टीकर जमुआनी तक सड़क निर्माण कराया जाये। रामपुर से चोरमारी जनार्दनपुर रोड का उन्नयन कराया जाये। गजगंवा रेहुटा रोड से गढ़वाकला से गढ़वाखुर्द खोहर सड़क निर्माण कराया जाये।

मैंने लगातार माननीय मंत्री जी से केन्द्रीय सड़क निधि से सुदूर अंचल की सड़कों के निर्माण की स्वीकृति की मांग करता हूँ। मैहर डेल्हा मोड, हरदासपुर, पहाड़ी, वंशीपुर, अमिलिया, पथरहटा, नरहटी, छोटी करही, बड़ी करही, पोंड़ी गरादा, खरवाही, डुड़हा होते हुये चकेरा, गुडुहरू, सज्जनपुर। [अनुवाद] कोलगढ़ी, अमदरी, सितपुरा, छींदा, रैगांव, नारायणपुर होते हुये कोठी सड़क निर्माण बिरसिंहपुर, सेमरिया रोड से बहेरा, डांडी हलावन, करौंदी, भठिया टोला, विजयपुर, प्रतापपुर, ओरमानी सड़क निर्माण; जिगना से पहाड़ के नीचे से गोरसरी से पहाड़ के नीचे से बड़ा इटमा तक रोड निर्माण; एन०एच० 7 से मौहारी कटरा, देउ, जोधपुर, सन्नेही, विगौड़ी, ताला, छतुरिहा टोला से कोतर, मुकुन्दपुर, धोबहट, आमिन, पटेल टोला होते हुये आनंदगढ़ रोड निर्माण किया जाए।

^{56*} **श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल):** मैं कृषि के समर्थन में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय वित्त राज्य मंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र तोमर जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज कृषि किसान एवं आम आदमी की चिन्ता की है। कृषि ऋण का लक्ष्य 1100,000 करोड़ रुपये. निर्धारित किया गया जो सराहनीय कदम है।

भारत सरकार द्वारा 3.00 लाख रु की फसल ऋणों के लिए जो आज सहायता योजना कार्यान्वित की जिसमें बैंकों को संसाधनों का उपयोग करने के लिए 2 प्रतिशत आज सहायता के रूप में दी ऋण का पुनर्भुगतान करने पर किसानों को 3 प्रतिशत प्रोत्साहन दिया जाता है जिसमें ब्याज दर कम होकर 4 प्रतिशत हो जाता है जो कि सराहनीय कदम है।

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए बैंकों को फसल ऋण पर ब्याज सहायता उपलब्ध रहेंगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन के अनुसार फसल नुकसान पर 5 प्रतिशत के स्थान पर 33 प्रतिशत कर दिया। उर्वरकों के प्रभार का अनुपात लगातार घट रहा है, जीरो बजट सहित जैविक और प्राकृतिक खेती की तकनीक सिंचाई जल के इस्तेमाल और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में मदद कर सकती है। लघु और सीमांत किसानों के बीच संसाधनों के इस्तेमाल को न्याय संगत बनाने के लिए आई.सी.टी. को लागू करना कस्टम हायरिंग सेंटर के जरिए सक्षम प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया।

कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों का समग्र विकास करने की बात की गई, दुनिया में दूध के उत्पादक को भारत में डेयरी को बढ़ावा देना, दुनिया में मछलियों के उत्पादक को भारत में मत्स्य पालन के रूप में बढ़ावा देना।

प्रगतिशील कृषि मण्डी सुधारों की हिमायत, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान नई अम्बरेला स्कीम को अनुमोदन, इस योजना से किसानों के कल्याण की दिशा में दूरगामी लाभ होगा।

न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत को कम से कम 150 प्रतिशत बढ़ाना।

^{56*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत किसानों के उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना।

बागवानी मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना।

गौवंशीय दूध उत्पादन/ उत्पादकता में वृद्धि। राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्रियान्वित करना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन।

सरकार 3.00 लाख रु. के फसल ऋण पर किसानों को ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट देने का काम, किसानों को प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना।

छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के लिए वृद्धावस्था पेंशन, 60 वर्ष की आयु के बाद किसान सम्मान पेंशन।

किसान जब जवान रहेगा तो फावड़ा, बेलचा, कुदाल चलाएगा और जब वृद्ध हो जाएगा तब क्या करेगा इसलिए उसकी आजीविका के लिए 3 हजार रु. पेंशन की व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने किया है।

सभी किसानों को आय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू की है तीन किस्तों में 6 हजार रु. प्रतिवर्ष भुगतान की व्यवस्था की है जो मिलना शुरू हो गया है किसानों के खातों में चला गया है।

यह योजना सराहनीय है मैं पुनः प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, कृषि मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा।

मैं मंत्री जी से चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड में जानवरों का बड़ा आतंक है जिसके कारण किसान खेती छोड़ रहे हैं, जो बोते हैं जानवर उसको नुकसान पहुंचाते हैं। विशेषकर बन्दर, सुअर, नीलगाय जिसका बड़ा आतंक है इनके बचाव के लिए कोई ठोस नीति बनाई जाए साथ ही मेरा आग्रह है कि उत्तराखण्ड सहित सभी हिमालयी प्रदेश जो कि विभिन्न भौगोलिक संरचनाओं में बसे हैं यहां पर मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा कृषि कार्य में भिन्नता एवं कठिनाइयां होती हैं समान कृषि नीति होने के कारण पहाड़ी क्षेत्र के किसान वह लाभ अर्जित नहीं कर पाते जो तराई का किसान कर पाता है इसलिए मेरा निवेदन है इन क्षेत्रों के लिए एक अलग

कृषि नीति का निर्धारण हो साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में मनरेगा के कार्य में कृषि कार्यों को भी जोड़ दिया जाए जिससे किसान और मजदूर लाभान्वित हो एवं कृषि और खेती की तरफ लौटें।

धन्यवाद।

श्री रमेश चन्द्र माझी (नबरंगपुर): धन्यवाद, सभापति महोदय। आज ग्रामीण विकास और कृषि कल्याण विभाग की डिमांड पर डिस्कशन हो रहा है। मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं कुछ प्रोग्राम्स के बारे में बोल रहा हूँ। एक प्रोग्राम है मनरेगा, जिसका वर्ष 2014-15 में 34 हजार करोड़ रुपये का बजट था। वर्ष 2018-19 में 61 हजार 84 करोड़ रुपये हुआ और वर्ष 2019-20 में जो प्रपोज्ड बजट एलोकेशन है, वह 60 हजार करोड़ रुपये है। इसमें 1 हजार 84 करोड़ रुपया डिफ्रीज हुआ है। रूरल डेवलपमेंट का जो बजट है, वह वर्ष 2018-19 में 1 लाख 12 हजार 447 करोड़ रुपये था। अभी इसमें 5 हजार 200 करोड़ की वृद्धि होकर 1 लाख 17 हजार 647 करोड़ रुपये हुआ है। मैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को धन्यवाद देता हूँ, जिसने 5 हजार 200 करोड़ रुपये इन्क्रीज करके इस बजट को 1 लाख 17 हजार 647 करोड़ रुपये किया है। प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना, जिसके अंतर्गत हम अपनी कांस्टीट्यूएन्सी के अंतर्गत आने वाले गांवों में घूमते हैं, वहां से आवास योजना के अंतर्गत जो एप्लिकेशन्स आती हैं उसे देते हैं। प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना, जिसमें वर्ष 2018-19 में 19 हजार 900 करोड़ रुपये का एलोकेशन था, अभी 2019-20 में 19 हजार करोड़ का एलोकेशन हुआ है, जिसमें 900 करोड़ रुपये डिफ्रीज हुए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में एक बात बोली थी, जो मैं यहां कोट कर रहा हूँ-

[अनुवाद]

"पिछले पांच वर्षों में कुल 1.54 करोड़ ग्रामीण घरों को तैयार किया गया है। पी.एम.ए.वाई.-जी. के दूसरे चरण में वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 के दौरान, पात्र लाभार्थियों को 1.95 करोड़ घर प्रदान करने का प्रस्ताव है।"

[हिन्दी]

महोदय, ओडिशा में आप देखेंगे कि हर साल बाढ़ आती है और कुछ समय तक सूखा भी पड़ता है। 3-4 महीनों पहले ओडिशा में एक साइक्लोन स्टॉर्म आया था, जिसमें बहुत सारे हाउस डैमेज हुए थे। ओडिशा गवर्नमेंट ने फेनी साइक्लोन से हुए डैमेज के लिए 3.8 लाख हाउस बनाने का एक प्रोजेक्ट दिया है। अतः मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से यह दरखास्त है कि इस प्रोजेक्ट को एक्सपैट

करे और ओडिशा गवर्नमेंट को फेनी से जितना नुकसान हुआ है, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा मनी दे।

महोदय, मैं प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। दिसम्बर, 2000 में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना को तत्कालीन प्रधान मंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारम्भ किया था। अभी फेज 1, फेज 2 और एलडब्ल्यूई में जितने इलाके हैं, उनमें 6 लाख किलोमीटर्स अभी कम्प्लीट हुआ है। ओडिशा में अगर देखें तो 55 हजार किलोमीटर्स अभी कम्प्लीट हुआ है। फेज 1 में 8 हजार किलोमीटर्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी, जो एक नई टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है, उसमें 2 हजार 700 किलोमीटर्स कम्प्लीट हुआ है। फेज 1 में भी ओडिशा गवर्नमेंट में नवनिर्माण हुआ था और ग्रीन टेक्नोलॉजी, जो 2 हजार 700 किलोमीटर्स का रास्ता बना है, उसका भी उड़ीसा गवर्नमेंट में नवनिर्माण हुआ है। इसीलिए पांच बार के ओडिशा के यशस्वी मुख्य मंत्री श्री नवीन पटनायक जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उनके नेतृत्व में ओडिशा में इतना काम हो रहा है। फेज 3 में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में माननीय प्रधान मंत्री जी की चेयरमैनशिप में एक लाख 25 हजार किलोमीटर्स की नई सड़क प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की है। इसके अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में, एग्रीकल्चर मार्केट, हॉस्पिटल, हायर सेकेंड्री स्कूल को लिंक किया जाएगा। यह एक अच्छा प्रस्ताव है।

इस बारे में मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जब स्टेट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट के बीच में जब एमओयू होगा तो इसमें पांच साल कम्प्लीट होने के बाद मॉटेनेंस का काम राज्य सरकार को करना होगा। लेकिन राज्य सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पांच साल के बाद मॉटेनेंस का पैसा केन्द्र सरकार को देना चाहिए।

महोदय, नबरंगपुर, रायगढ़, कोरापुट और मलकानगिरि में बहुत सारे एलिजिबल हेबिटेन्स हैं। इन इलाकों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में अगर ज्यादा से ज्यादा अनुदान मिलेगा तो इन ट्राइबल और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को बहुत फायदा होगा। वर्ष 2007 में भारत सरकार ने बैकवर्ड रीजन ग्रांट फण्ड बनाया था, जिसके तहत बहुत सारे काम हुआ करते थे। इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान भी होता था, जिसमें केबीके

डिस्ट्रिक्ट्स, कोरापुट-बोलांगिरि-कालाहांडी, में ज्यादा पैसा आता था। अब वह पैसा नहीं मिल रहा है। मेरी दरखास्त है कि आप ज्यादा से ज्यादा ओडिशा को पैसा दीजिए, क्योंकि ओडिशा राज्य में बहुत सारे बैकवर्ड जिले हैं। मेरी केन्द्र सरकार से दरखास्त है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा दीजिए। मैं डिमाण्ड फोर ग्रांट्स का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

[अनुवाद]

^{57*} **श्री संजय काका पाटिल (सांगली):** माननीय सभापति महोदय, मैं किसानों को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन करता हूँ। मैं माननीय प्रधान मंत्री की दूरदृष्टि का हार्दिक स्वागत करता हूँ तथा वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए सार्थक एवं ठोस कदमों की सराहना करता हूँ। ग्रामीण भारत के लिए कृषि बहुत महत्वपूर्ण है और ग्रामीण लोग मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं। कृषि क्षेत्र से संबंधित सहायक विभागों के विकास के लिए 1,42,000 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। और 10,000 नए किसान उत्पाद संगठन (एफ.पी.ओ.) की स्थापना की जानी है।

मैं किसानों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने की मांग करता हूँ। वर्तमान में, हमारे पास अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, मानवाधिकार आयोग और उपभोक्ता मंच हैं और वे सभी सांविधिक निकाय हैं। इसलिए इसी तर्ज पर किसानों के लिए वैधानिक दर्जा रखने वाले किसानों के लिए राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया जाना चाहिए। इस मंच से किसानों को न्याय मिलेगा। कृषि क्लिनिक की एक नई अवधारणा भी लागू की जानी चाहिए। आज, उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि मिट्टी के प्रदूषण और खेती को होने वाले नुकसान को रोकने तथा कैंसर और अन्य बीमारियों की बढ़ती समस्या को कम करने के लिए कुछ प्रतिबंध आवश्यक हैं।

सरकार ने ड्रिप सिंचाई के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं और इसके लिए सब्सिडी भी प्रदान की है। लेकिन कंपनियां तर्कहीन रूप से कीमतों को बढ़ाकर इस सब्सिडी का दुरुपयोग कर रही हैं। इसलिए, सरकार को ड्रिप सिंचाई प्रणाली की कीमतों को नियंत्रित एवं विनियमित करना चाहिए ताकि किसानों को दी जा रही सब्सिडी का दुरुपयोग एवं अधिक मूल्य निर्धारण रोका जा सके तथा यह प्रणाली आम किसानों को उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सके।

^{57*} मूलतः मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

कौशल विकास के संदर्भ में, डेयरी व्यवसाय कृषि का एक सहायक व्यवसाय है। लेकिन हमारी नई पीढ़ी डेयरी व्यवसाय चलाने के लिए तैयार नहीं है। हम जानते हैं कि दूध एक संपूर्ण आहार है। इसलिए सरकार को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए, जैसे कि फार्म संबंधित कंपनियों के माध्यम से और कुछ प्रकार की सब्सिडी प्रदान करके।

मवेशियों के चारे का कोई मानकीकरण नहीं है और मवेशियों के चारे में यूरिया मिलाया जा रहा है। इसलिए, इस संबंध में मानकीकरण और किसी प्रकार के नियंत्रण की आवश्यकता है।

किसान टीवी चैनल पर 1 घंटे या 30 मिनट की अवधि का एक टीवी कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। खेती की सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों जैसे बुवाई, कटाई आदि को मौसम के अनुसार इस कार्यक्रम में दिखाया जाना चाहिए।

माननीय प्रधान मंत्री जी का मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पर विशेष ध्यान है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में मृदा स्वास्थ्य के सभी विवरण और मृदा के संबंध में आवश्यक निर्देश होते हैं। लेकिन, निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, इसलिए आवश्यकतानुसार निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

हमारे देश में उर्वरकों पर 80,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। आयातित यूरिया ने उर्वरकों के उपयोग को कम कर दिया है। इस सब्सिडी को डी.बी.टी. के माध्यम से दिया जाना चाहिए और इसे आधार से जोड़कर इसे सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए। पारदर्शिता लाने के लिए सभी कृषि इनपुट को बारकोड युक्त किया जाना चाहिए।

इन सभी योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए हमारे कृषि विभाग के अधिकारी और ग्रामीण स्तर पर काम करने वाले अधिकारी लाभ प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। लक्ष्य उन्मुख होना अच्छा है लेकिन हमें आवश्यकता के बारे में भी चिंतित होना चाहिए।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) ने हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, अब कृषि को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, आई.सी.ए.आर. को इन चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को रणनीति बनाने की जरूरत है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधान मंत्री माननीय श्री

अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस संबंध में एक समिति का गठन किया था। हमारे पास इस समिति की रिपोर्ट है और इसकी सिफारिशों को लागू करने की ज़रूरत है। अंत में, मैं इस सरकार द्वारा किसानों के लिए किए गए बजट प्रावधानों का समर्थन करता हूँ।

धन्यवाद।

डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर (पेरम्बलुर): माननीय सभापति, महोदय, मुझे खुशी है कि इस सम्माननीय सभा में मुझे बोलने का मौका दिया गया है। मैं मूलतः एक कृषक परिवार से आता हूँ। मैंने अपना अधिकांश जीवन गांव में बिताया है। मुझे गांव के लोगों की समस्याओं और कठिनाइयों का अच्छी तरह से अनुभव है। जैसा कि गांधी जी ने कहा है कि "भारत गांवों में बसता है।" गाँव के अधिकांश लोग, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषक हैं। कृषि के लिए सबसे आवश्यक तत्व हैं—जल, बिजली, उर्वरक और उपज के लिए उचित मूल्य। ये बुनियादी आवश्यकताएं हैं। जब तक ग्रामीण क्षेत्र विकसित नहीं होंगे, भारत आर्थिक रूप से सशक्त नहीं बन सकता। रोजगार के अवसरों के लिए केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। मेरे विचार में, रोजगार के अवसर कॉरपोरेशनों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रदान नहीं किए जाएंगे। ये केवल कृषि के माध्यम से ही उपलब्ध हो सकेंगे। तो कृषि के लिए क्या आवश्यक है? जैसा कि मैंने कहा, हमें कृषि के लिए पानी की आवश्यकता है। अधिकतर समय मौसमी वर्षा नहीं होती है। लगभग सूखे की स्थिति बनी रहती है। ऐसी परिस्थितियों में आप इसे कैसे सुलझाएंगे? यह केवल नदियों को आपस में जोड़कर ही संभव है।

यह एनडीए सरकार का पिछली कार्यावधि के दौरान से ही एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, लेकिन यह अभी तक लागू नहीं हो पाया है। इसलिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसे वर्तमान एनडीए सरकार को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।

ऋणों के संबंध में, अधिकांश ग्रामीण अपने आवश्यक उपकरण जैसे ट्रैक्टर आदि खरीदने के लिए बैंक जाते हैं, लेकिन उन्हें आसानी से ऋण नहीं मिलता। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि यदि वे समय पर ऋण चुकता नहीं कर पाते हैं, तो गुंडों को भेजकर उनके ट्रैक्टर और अन्य सामान जब्त कर लिए जाते हैं। यह बहुत ही असामान्य और अस्वीकार्य लगता है। एक ग्रामीण एक गांव में रहता है। जब वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में होता है, तो जब उसका ट्रैक्टर बैंक द्वारा छीन लिया जाता है तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। इससे आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। ये सभी मुख्य समस्याएं हैं जो गांवों में मौजूद हैं।

मेरे विशेष निर्वाचन क्षेत्र में मुख्य उपज छोटे प्याज, कपास, मक्का, मकई और बाजरा हैं। ये मुख्य उत्पाद हैं। अब, इससे लाभ कमाने के लिए हमें उन उत्पादों को संरक्षित करना होगा जो वहां उत्पादित किए जा रहे हैं। ये उत्पाद नाशवान होते हैं और इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। इसलिए इन्हें भंडारण के लिए गोदामों की आवश्यकता होती है। मेरी मांग है कि छह विधान सभा क्षेत्रों में कम से कम छह गोदाम उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही, वातानुकूलित गोदामों की भी आवश्यकता है ताकि किसान अपनी उपज को स्टॉक करके उचित मूल्य मिलने पर बेच सकें।

उपज बेचने के समय बिचौलिए ज्यादातर इन लाभों का आनंद ले रहे हैं। मेहनती किसान अपने खेतों में दिन-रात मेहनत करते हैं। जब वे अपने उत्पाद बाजार में लाते हैं, तो उन्हें सीधे बिक्री करने में कठिनाई होती है। इसलिए, सरकार को आगे आकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये उत्पाद सीधे खरीदे जाएं। जब तक किसानों की आय में सुधार नहीं होगा, तब तक गाँव में कभी सुधार नहीं हो सकता है। आजकल गांवों की आबादी कम होती जा रही है। शहर और कस्बे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि गांवों में आय के अवसर कम हैं। एक किसान के बेटे के लिए कोई भी लड़की देने को तैयार नहीं होता। हर कोई अपनी बेटि को बहुराष्ट्रीय कंपनियों या कॉरपोरेट्स में नौकरी करने वाले कर्मचारी से शादी करना चाहता है। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कृषि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

पिछले कुछ वर्षों में क्या हमें नियमित रूप से वर्षा मिल रही है? हम लगातार चक्रवातों का सामना कर रहे हैं। एक चक्रवात गाजा आया था जिसने चार जिलों को नुकसान पहुंचाया है। नारियल के पेड़ों पर अच्छी उपज हुई थी। एक सुबह अचानक सभी पेड़ गिर गए। जो व्यक्ति पिछली रात तक संपन्न था, वह अगले दिन गरीब हो गया। भारत सरकार द्वारा दी गई मुआवजा धनराशि समय पर सही ढंग से नहीं मिली और वह पर्याप्त भी नहीं थी। वे सभी अब सड़क पर हैं। इसलिए, इन सभी बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह यह सुनिश्चित करे कि हर तालुकों में पर्याप्त कृषि महाविद्यालय हों। ये महाविद्यालय अधिक संख्या में कृषि वैज्ञानिक तैयार करेंगे। वे आस-पास के गांवों में जाकर उनकी

देखभाल करेंगे और जब वे कॉलेज में होंगे तो इसे एक परियोजना के रूप में भी लेंगे। इन सुझावों के साथ मुझे लगता है कि गाँवों में निश्चित रूप से सुधार होगा।

मेरी मांग है कि अधिक गोदाम और अधिक बैंक ऋण मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को उदारतापूर्वक दिए जाएं। धन्यवाद।

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर (पोन्नानी): महोदय, आज की चर्चा में मैं अपने भाषण को केरल तथा मेरे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और जरूरी मुद्दों तक सीमित रखना चाहता हूँ।

जहां तक पी.एम.जी.एस.वाई. का संबंध है, इस बार पूरे देश के लिए कुल स्वीकृत सड़क, लंबाई-वार 1,25,000 किलोमीटर है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इसे मंजूरी दे दी है। यह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण से संबंधित है। कुल 1,25,000 किलोमीटर सड़कों में से केरल का सटीक हिस्सा क्या है, यह आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया है। मेरे पास मलयालम की एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र 'मातृभूमि' की रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट वास्तव में चौंकाने वाली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तीसरे चरण में देश के लिए स्वीकृत 1,25,000 किलोमीटर सड़क में से केरल को केवल 1,425 किलोमीटर सड़क मिल रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पी.एम.जी.एस.वाई. के दूसरे चरण में, जब कुल 50,000 किलोमीटर लंबी सड़क को स्वीकृति दी गई थी, तब केरल को केवल 570 किलोमीटर लंबी सड़क ही मिली थी। यह अन्याय है। मैं माननीय मंत्री से इस बात पर गौर करने का अनुरोध करता हूँ कि केरल को न्याय से वंचित क्यों किया गया है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि कृपया वास्तविकता की जांच करें। यदि केरल के साथ अन्याय किया जाता है, तो कृपया इसे ठीक करने के लिए आगे आएं। मैं अपने राज्य की ओर से पूरी विनम्रता के साथ आपसे आग्रह करता हूँ कि कृपया इस मामले पर ध्यान दें।

अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण कृषि परियोजना त्रिस्सूर-पोन्नानी कोल विकास परियोजना की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह परियोजना यूपीए शासनकाल में शुरू की गई थी, जिसकी कुल अनुमानित लागत 300 रुपये करोड़ थी, जिसमें से 200 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है। इस परियोजना ने कृषि क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति और प्रभाव डाला। एक तरह से यह एक छोटी कृषि क्रांति थी। किसान बेहद संतुष्ट थे। उन्होंने बेहतरीन फसलें प्राप्त कीं और कार्य अत्यंत तेजी से आगे बढ़ रहा था। दुर्भाग्यवश, शेष धनराशि अभी तक जारी नहीं की गई है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे इस विषय में भी रुचि लें और शेष धनराशि बिना किसी और विलंब के शीघ्र जारी करें।

इसके दूसरे चरण में आने के बाद प्रस्ताव अभी भी लंबित है। इस कोयला विकास परियोजना के दूसरे चरण में कृपया तेजी लाई जाए। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है।

अब मैं दूसरे मुद्दे पर आ रहा हूँ। तीसरे चरण के लिए पी.एम.जी.एस.वाई. दिशानिर्देश अभी जारी नहीं किए गए हैं।

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी, कृपया यह सुनें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।

...(व्यवधान)

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर: शायद, मुझे ठीक से जानकारी नहीं है, क्योंकि यह अब तक सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं आया है। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण के दिशा-निर्देश अभी तक सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किए गए हैं। जब यह मसौदा दिशा समिति में चर्चा के लिए आया, तो उसमें कड़ी आलोचना हुई। यह मसौदा केरल जैसे राज्य के लिए उपयुक्त नहीं था। इसलिए, मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया संबंधित सभी लोगों से चर्चा करें और पी.एम.जी.एस.वाई. के चरण-3 के लिए एक उपयुक्त दिशानिर्देश तैयार करें।

दूसरी बात यह है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित कृषि संस्थान है जिसका नाम केलप्पाजी के नाम पर रखा गया है। उस संस्थान को केलप्पाजी कृषि अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। हम सभी जानते हैं कि केलप्पाजी को केरल के गांधी के रूप में जाना जाता था।

महोदय, यह संस्था उनके नाम पर स्थापित किया गया है और यह कई वर्षों से कार्यरत है। इसमें कृषि एवं खाद्य अभियांत्रिकी में बी.टेक और एम.टेक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, फार्म अभियांत्रिकी, मृदा एवं जल संरक्षण अभियांत्रिकी में भी एम.टेक. पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इस संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने की संभावना है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इसे हमारी ओर से एक महत्वपूर्ण मांग के रूप में स्वीकार करें।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि हमें भूमि की उत्पादकता के विकास, सिंचाई प्रणालियों का विकास और आजीविका का विविधीकरण जैसी कुछ बातों पर जोर देना होगा। यदि ये कार्य नहीं किए जाते हैं तो हम वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।

बहुत सारे माननीय सदस्यों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के बारे में बात की है। दुर्भाग्य से, परिसंपत्ति निर्माण और स्थायित्व को भुला दिया गया है और योजना के इस पहलू पर कोई जोर नहीं दिया जा रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह योजना के इस पहलू पर यथासंभव अधिक से अधिक जोर दे।

महोदय, हमारे अनेक स्वप्न हैं जिन्हें पूरा किया जाना आवश्यक है। माननीय वित्त मंत्री महोदया ने अपने अभिभाषण में अनेक उत्कृष्ट परियोजनाओं का उल्लेख किया है। हमें तत्परता और परिश्रम से कार्य करना होगा। लेकिन, दुर्भाग्यवश, प्रगति अपेक्षित गति से नहीं हो रही है। बिजनेस टुडे में प्रकाशित एक नवीनतम कवर स्टोरी में उल्लेख किया गया है कि 'वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का बजट वादों से भरपूर है, लेकिन इन्हें पूरा करने के लिए ठोस और व्यावहारिक योजनाओं का अभाव है।' मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूँ कि हमारे सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए शीघ्र और प्रभावी कदम उठाए जाएं।

इन कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

[हिन्दी]

^{58*} **श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी):** मैं कृषि व ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन प्रस्तुत अनुदानों की माँगों का समर्थन करता हूँ तथा अपने लोक सभा क्षेत्र लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करके उक्त पर आवश्यक निर्देश देने हेतु निवेदन करता हूँ।

मेरे लोक सभा क्षेत्र में प्रस्तावित दूसरे कृषि विज्ञान केन्द्र का कार्य शीघ्र पूरा करके किसानों हेतु उपयोग किया जाये। मेरे क्षेत्र खीरी में स्थित कृषि महाविद्यालय, जमनाबाद जो चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर के अंतर्गत आता है, का बिल्डिंग निर्माण सहित अन्य व्यवस्थाएँ पूर्ण हो चुकी है, मेरा आपसे निवेदन है कि इसी सत्र से क्लासेज शुरू करायी जाये। नस्ल सुधार हेतु लगभग 800 एकड़ जमीन पर अंदेश नगर खीरी (उत्तर प्रदेश) केंद्र बनाया गया था, जो पर्याप्त देखभाल न होने के कारण अपने उद्देश्य को खो चुका है, आपसे निवेदन है कि केंद्र सरकार संज्ञान लेकर उक्त केंद्र को संचालित करे या अन्य कोई कार्यक्रम संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर करने की योजना बनाये। मेरा जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, जहाँ कई बड़ी चीनी मिलें हैं, परंतु बजाज ग्रुप की पलिया, गोला, व खंभार खेड़ा तथा ऐरा मिल, खमरिया ऐसी 4 चीनी मिल हैं, जिनका गन्ना भुगतान लगभग पिछले पूरे सत्र का बकाया है, आपसे निवेदन है कि उक्त मिलों से गन्ना भुगतान कराया जाये। ई-मंडी की व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाये। सभी गाँवों में पीने के साफ पानी हेतु टंकी बनाकर नल से जल हर घर तक पहुंचाया जाये। प्रत्येक गाँव को पीएमजीएसवाई से जोड़ते हुये, जरूरत के अनुसार आवास, शौचालय, एलपीजी कनेक्शन तथा पक्की गलियों व पानी निकासी की उचित व्यवस्था की जाये।

^{58*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

59* डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर अपने विचार रखना चाहता हूँ।

यह सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसान के उत्थान के लिये समर्पित सरकार है। [हिन्दी] ग्रामीण क्षेत्रों की दशा एवं दिशा बदलने के लिये बजट में पर्याप्त ध्यान दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के लिये बजट के 4.4 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 1.17 लाख करोड़ रुपये आबंटित किये हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण के लिये 2019 - 20 से 2021 - 2022 के दौरान 1.95 करोड़ घर लाभार्थियों को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ये घर शौचालय, बिजली और एल.पी.जी. कनेक्शन जैसी सुविधाओं सहित होंगे।

राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत बजट आबंटन में वृद्धि की गई है 2019 - 20 के लिये 9024 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बजट को भी बढ़ाया गया है जिससे किसानों की आय को दुगना करने के लिये लागत को कम करने के प्रयत्नों को बढ़ाया जायेगा। यूरिया की सहजता से बिना ब्लेक के उपलब्धता देखने में आ रही है। नीम कोटेड यूरिया होने से केवल कृषि कार्य में उपयोग होगा, उद्योगों में दुरुपयोग नहीं होगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से किसान के खेत तक पानी नहरों अथवा पाइप लाइनों के माध्यम से पहुंचाया जायेगा जिससे किसान कम लागत में वर्ष में 1 से लेकर 3 फसलें तक उगा सकेगा।

नदियों को आपस में जोड़ने की योजना से बाढ़ वाली नदियों का पानी कम वर्षा वाले क्षेत्रों की नदियों में भेजा जायेगा जिससे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भी सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार के साथ ही पेयजल की समस्या का भी निराकरण हो सकेगा।

59* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मध्य प्रदेश के बुन्देलखंड में मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ छतरपुर में अक्सर सूखा पड़ता रहता है जिससे सिंचाई एवं पेयजल का गंभीर संकट पैदा हो जाता है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय नदियों को आपस में जोड़ने की योजना के अंतर्गत केन बेतवा नदी को जोड़ने का काम प्रथम चरण में लिया गया था किंतु यू.पी.ए. की सरकार द्वारा इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा इस कार्य को गंभीरता से लिया गया है। केन बेतवा नदियों के आपस में जुड़ने से सिंचाई एवं पेयजल की समस्या का निराकरण होगा।

इस कार्य को शीघ्र प्रारंभ कराकर टीकमगढ़ छतरपुर निवाड़ी जिले के सभी गांवों को नहरों एवं पाईप लाईन के माध्यम से जोड़ने का कार्य किया जाना चाहिये तथा मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ में एक समय चंदेल कालीन लगभग एक हजार तालाब जिसमें से अभी लगभग 450 तालाब ही बचे हैं। शेष पर कब्जा हो गया, खेती हो रही है अथवा उनके बंधानों को तोड़ दिया है यह तालाब बुन्देलखंड में जीवन रेखा का काम करते थे। अतिक्रमण हटाकर पुनः जीर्णोद्धार किया जाना चाहिये। धसान नदी पर लम्बे समय से की जा रही मांग पर विचार करते हुए ककरवाहा पिकअप वियर के कार्य को बढ़ावा दिये जाने से भी सिंचाई एवं पेयजल की सुविधाओं का विस्तार होगा। साथ ही मध्य प्रदेश सहित देश भर के प्राचीन झीलों, तालाबों, बावड़ियों का पुनः सर्वे कराकर उनका जीर्णोद्धार कराने की पहल होने से जमीन का जल स्तर बढ़ेगा तथा प्रधानमंत्री जी की जल संरक्षण योजना को भी बल मिलेगा।

टीकमगढ़ कृषि आधारित क्षेत्र है यहाँ आजीविका के लिये लोग मुख्यतः कृषि पर निर्भर होते हैं अतः कृषि पर आधारित उद्योग लगाये जाने एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा मिलने से क्षेत्र के आर्थिक विकास के साथ ही नौजवानों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे तथा ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पीतल की मूर्तिया एवं गिफ्ट आइटम बड़ी मात्रा में बनाये जाते हैं। क्षेत्र की इस विशेषता को कौशल विकास योजना के साथ जोड़कर युवाओं को प्रशिक्षण देने का कार्य बढ़ाया जाये ताकि यहाँ का नौजवान इस कार्य को सीखकर देश के अन्य भागों में जाकर आजीविका कमा सके।

ग्रामीण क्षेत्रों के परंपरागत कामों को भी बढ़ावा दिये जाने से प्राचीन कौशल को आधुनिकता का साथ मिलने से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

इसी के साथ मैं ग्रामीण विकास एवं कृषि विकास की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूँ।

60* श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर (दाहोद): मैं केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास बजट के अनुदान एवं मांग पर अपने विचार व्यक्त करता हूँ।

हमारे प्रधानमंत्री जी ने कृषि क्षेत्र के उत्थान में भी काफी रुचि ली है। आज तक इस देश में खेती को एक व्यवसाय के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था।

हमारी सरकार ने इसे और अधिक लाभदायक बनाने और अन्य व्यवसायों के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए एक पेशे के रूप में खेती का स्वागत किया है। यह एक बहुत ही जीवंत विचार है, जो किसान भाइयों की आर्थिक स्तर को मजबूत करने में सहयोग करेगी।

आगामी वर्ष 2022 तक वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र में भी निवेश के पुण्य चक्र को शुरू करने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो की काफी सराहनीय है, जैसा कि हमने पहले देखा था, अंतरिम बजट में घोषित 75000 करोड़ की प्रधान मंत्री किसान निधि योजना के माध्यम से कृषि के लिए आबंटन में तेजी से वृद्धि इस दिशा में उठाया गया मजबूत कदम है।

स्फूर्ति की पहल से अतिरिक्त कृषि उत्पादन को ऑक्सीजन मिलेगी जो कृषि क्षेत्र के खाली दिनों में आय का सहायक रूप है। सीएफसी में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण उनके उत्पादन को और अधिक लाभदायक, उत्पादक और उनके आस-पास रोजगार के अवसर पैदा करने में सक्षम बनाएगा। हमारे पास देश में बाँस, शहद और रेशम की खेती में बहुत बड़ी संभावनाएँ हैं। इस पहल ने कारीगरों और अन्य श्रमिकों को अपने स्वयं के रोजगार पैदा करने में सक्षम बनाया। यह श्रम की गंभीर आवश्यकता और खेती पर निर्भरता को कम करेगा। इस पहल में शामिल होने के लिए युवाओं में अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए 2019-20 तक 100 इन्क्यूबेटर्स की स्थापना की जाएगी। मेरी राय में, यह रोजगार सृजन के पारंपरिक मोड के अलावा भारतीय युवाओं के लिए बड़ी बात होगी। पिछले पांच वर्षों के औसत में वृद्धि भी किसानों को

60* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अल्पकालिक ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी के कारण है, जो पहले वित्तीय सेवाओं के विभाग के तहत शामिल थी।

लेकिन अब इसे हमारी सरकार द्वारा कृषि प्रमुखता के तहत शामिल किया गया है। 2018-19 के लिए अंतिम आंकड़े की तुलना में बजटीय सकल कर राजस्व का आंकड़ा 18% से अधिक है और इसलिए सकल कर राजस्व के एक हिस्से के रूप में राज्यों को स्थानान्तरण का एक समझे गए अनुपात की ओर जाता है।

हमारी सरकार द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनाने की योजना बनायी गई है। इसके साथ ही सहकारिता के माध्यम से डेयरी के कार्यों को भी बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।

हमारी सरकार ने मत्स्य पालन की तरफ जोर देते हुए कहा कि मछली उद्योग ग्रामीण भारत के लिए अहम है। आने वाले समय में हमारी सरकार ग्रामीण किसानों को इससे जोड़कर उनकी दशा-दिशा बदलेगी। इसके लिए सरकार 'प्रधानमंत्री मत्स्य पालन' योजना की शुरुआत करने की योजना बना रही है।

जैसा कि हम सब जानते हैं भारत गांवों का देश है तथा इसकी आत्मा गांव में ही निवास करती है। इसलिए हमारी सरकार द्वारा ज्यादा जोर गांव, गरीब और किसानों पर दिया गया है। सरकार ये मानती है कि गांवों के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। साथ ही कृषि को फायदे का सौदा बनाए बिना देश में बेरोजगारी दूर नहीं की जा सकती।

हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2022 तक देश के सभी गरीब का अपना एक घर हो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारी सरकार ने गांवों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बढ़ावा देने का काम किया है। पिछले 5 वर्षों में कुल 1.54 करोड़ ग्रामीण घरों का निर्माण किया गया तथा इसके दूसरे चरण में 1.95 करोड़ आवास मुहैया कराने का प्रस्ताव है। अगर गांवों में बिजली आपूर्ति की बात करें तो हमारी सरकार द्वारा देश के सभी गाँवों में लगभग 100% परिवारों को बिजली प्रदान की गयी है।

अगर ग्रामीण परिवेश की बात की जाए तो बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बजट में वन नेशन वन ग्रेड प्लान की घोषणा भी की गई है तथा साथ ही बिजली के ट्रैफिक में भी बड़े सुधार किए गए हैं।

गांव में डिजिटलीकरण किया जा रहा है जिसके तहत हर गाँव को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, और इसके माध्यम से करोड़ों लोगों को डिजिटल साक्षर भी बनाया जा रहा है, और हमारी सरकार ने आगे 2 करोड़ ग्रामीणों को डिजिटल शिक्षा (डिजिटल एजुकेशन) देने का लक्ष्य रखा है।

ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं की बात करें तो, उज्ज्वला योजना के तहत 7 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटे जा चुके हैं, ताकि चूल्हे की धुएँ की वजह से हमारी माताओं और बहनों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना ना करना पड़े।

हमारी सरकार ने महिलाओं के सम्मान तथा गरिमा के लिए गांव के हरेक घर में शौचालय बनवाए हैं ताकि हमारी माताओं और बहनों को शौच के लिए घर के बाहर नहीं जाना पड़े। 5.6 लाख गांव अबतक खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। हमारी सरकार का यह प्रयास है आगामी 02 अक्टूबर 2019 को भारत खुले में शौच से मुक्त हो जाए।

हम लोगों को इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ना है कि वर्ष 2022 में जब हम स्वाधीनता की 75वीं वर्षगाँठ मनाएंगे तब नए भारत की हमारी जो परिकल्पना है। किसानों की आय दोगुनी होगी, हर गरीब के पास अपना घर होगा हर गरीब के घर बिजली का कनेक्शन होगा, स्वच्छ ईंधन की सुविधा होगी, हर गरीब खुले में शौच की मजबूरी से मुक्त होगा, सभी गरीब को मेडिकल सुविधा मिलेगी, देश का हर गांव सड़क से जुड़ा होगा, गंगा की धारा अविरल और निर्मल होगी, किसानों की आय दोगुनी होगी, हर युवाओं के हाथ में रोजगार होगा तथा हम एक नई उर्जा और आत्मविश्वास के साथ विश्व के विकास को नेतृत्व देने के लिए कदम बढ़ाएंगे।

धन्यवाद।

[अनुवाद]

एडवोकेट ए.एम. आरिफ (अलप्पुझा): सभापति महोदय, मुझे वर्ष 2019-20 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रण में अनुदान मांगों पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, हमारे देश की लगभग 52 प्रतिशत आबादी पूरी तरह से अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। यह देश के जीडीपी में कुल का 17 प्रतिशत के साथ सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। लेकिन कृषि विकास पिछले वर्ष की तुलना में 5% से 2.7% तक फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉरपोरेट्स के लिए माफ किए गए करों में लगभग 1,08,785 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है और इसे सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत रखा गया है। यह सरकार के पूंजीपति हितैषी झुकाव को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

हमारे देश में कृषि की मौजूदा स्थिति चिंताजनक है। भारत में हर दिन लगभग 10 किसान आत्महत्या करते हैं। पिछले 20 वर्षों में लगभग 300,000 किसानों ने अपने जीवन को समाप्त कर लिया है। उर्वरकों की कीमतों को नियंत्रित करने में सरकार की भूमिका भी खत्म होती जा रही है। उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भरता भी खत्म हो गई है और हमारे किसान निजी कंपनियों पर निर्भर हैं। मैं इस संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं दूंगा।

केरल में कृषि और बागवानी क्षेत्रों के संदर्भ में केंद्र सरकार की अविवेकपूर्ण नीतियाँ एक अनिश्चित भविष्य की ओर इशारा कर रही हैं। केरल भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्तमान में, रबर की कीमत में गिरावट ने केरल में एक अभूतपूर्व आर्थिक स्थिति पैदा कर दी है। राज्य सरकार ने रबर के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपये निर्धारित करने का अनुरोध किया था, जिसे इस सरकार ने अस्वीकार कर दिया। रबर पर आयात शुल्क बढ़ाने की मांग केरल की एक पुरानी मांग है।

महोदय, विनाशकारी बाढ़ जिसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, वह राज्य की कृषि उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी। नकदी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना किसानों को आत्महत्या जैसे दुखद कदम से बचाने का एकमात्र उपाय है।

इसके अलावा, इस संदर्भ में केंद्र सरकार सभी कृषि ऋणों पर दो साल की अधिक मोहलत देने की घोषणा करके किसानों की चिंताओं पर विचार करने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहती है। मैं कृषि मंत्री से इस संबंध में वित्त मंत्री के साथ चर्चा करने के लिए पहल करने का अनुरोध करता हूँ। केरल के कृषि मंत्री ने इस संबंध में केन्द्रीय कृषि मंत्री और वित्त मंत्री को ज्ञापन सौंपा है।

महोदय, बहुचर्चित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) ग्रामीण गरीबों को रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के रूप में कुछ राहत प्रदान कर रही है। इसका उद्देश्य प्रत्येक घर को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। वित्त मंत्री ने मनरेगा के लिए 61,000 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की है, लेकिन यह पिछले पांच वर्षों में स्वीकृत धनराशि से कम है।

सायं 7.00 बजे

सरकार को इस बात का ध्यान रखते हुए अधिक धनराशि आबंटित करनी होगी कि इस वर्ष भारत के लगभग 40 प्रतिशत जिलों में सूखे जैसी स्थिति है और मानसून की कमी है। मनरेगा में मछली पकड़ने, कृषि, मछली प्रसंस्करण, कोयर क्षेत्र, काजू क्षेत्र जैसे और अधिक क्षेत्रों को शामिल करने की आवश्यकता है, और इसके लिए संबंधित अधिनियम में संशोधन आवश्यक है। मनरेगा अधिनियम में संशोधन करके कई क्षेत्रों में पारंपरिक नौकरियों को संरक्षित किया जा सकता है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाए। श्रमिकों के कार्यकाल की व्यवस्था संबंधित राज्यों की जलवायु परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए। श्रमिकों के वेतन राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार संशोधित किए जाने चाहिए। साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा श्रमिकों के लिए एक नई पेंशन योजना भी घोषित की जानी चाहिए।

प्रधान मंत्री आवास योजना के समग्र लक्ष्य में से 60 प्रतिशत हिस्सेदारी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए, 15 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय के लिए और 5 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी गई है। जहां तक केरल का संबंध है, राज्य सरकार द्वारा पिछले

कई वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आवास समस्या का समाधान किया गया है, लेकिन केरल में सामान्य श्रेणी के आवासहीनों की संख्या लगभग पांच लाख है। सामान्य वर्ग के लिए लक्ष्य बहुत कम होने के कारण सामान्य वर्ग की आवास समस्या का समाधान इस योजना से नहीं हो सकता। इसका समाधान सामान्य वर्ग के लिए आबंटन का प्रतिशत बढ़ाना है।

प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय सहायता 1,20,000 रुपये प्रति इकाई है, जिसमें से केंद्र सरकार की सहायता मात्र 70,000 रुपये है। केरल में, राज्य सरकार की आवास परियोजना 'लाइफ मिशन' के तहत एक घर की इकाई लागत 4,00,000 रुपये है। यदि घरों के लिए केन्द्रीय सहायता नहीं बढ़ाई गई तो राज्य सरकार पर भारी बोझ पड़ेगा क्योंकि प्रत्येक पी.एम.ए.वाई. घर के लिए राज्य सरकार को 3,30,000 रुपये की धनराशि देनी होगी। इसलिए, पी.एम.ए.वाई. आवासों के लिए केन्द्रीय हिस्सेदारी को केरल के लिए कम से कम 3,00,000 रुपये तक बढ़ाना होगा। अन्यथा, 'सभी के लिए आवास' का सपना साकार नहीं हो सकेगा।

शहरी क्षेत्र के पी.एम.ए.वाई. के लिए केन्द्रीय सहायता केवल 1,50,000 रुपये है जबकि केरल में इकाई लागत 4,00,000 रुपये है। इसलिए, पी.एम.ए.वाई. शहरी के लिए केन्द्रीय सहायता को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।

इससे पहले कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं, मैं आपका ध्यान पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मैं इस संबंध में माननीय सदस्य श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर जी द्वारा व्यक्त किए गए सभी विचारों का समर्थन करता हूं। ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु प्रत्येक राज्य में कुछ व्यावहारिक समस्याएं हैं। केरल में भूमि की उपलब्धता एक प्रमुख चिंता का विषय है। भूमि की कमी तथा जनसंख्या घनत्व को देखते हुए स्थानीय स्व-सरकारी विभागों को सीधे धनराशि आबंटन की आवश्यकता है।

दूसरा मुद्दा पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों के निर्माण के लिए कड़े मानदंडों में छूट की आवश्यकता है। पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों की चौड़ाई को लेकर केरल राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच पहले ही सहमति बन चुकी है। कुछ स्थानों पर पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों की चौड़ाई आठ मीटर से घटाकर छह

मीटर कर दी गई है, लेकिन कुछ तटीय क्षेत्रों में उस चौड़ाई की सड़कें बनाना संभव नहीं है। उस क्षेत्र के लिए राज्य सरकार के परामर्श से सड़कों की चौड़ाई चार मीटर तय करने की आवश्यकता है। इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि राज्य सरकार द्वारा जहां भी वह उचित समझे, सड़क की चौड़ाई कम करने के लिए अधिकृत या अनुमति दी जाए।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

डॉ. संघमित्रा मौर्या (बदायूं): माननीय सभापति जी, धन्यवाद।

मान्यवर, आज सबसे पहले तो मैं पूरे सदन को और पूरे देशवासियों को बधाई दूंगी कि आज गुरु पूर्णिमा है, आषाढ़ी पूर्णिमा है। आपकी कुर्सी के ऊपर भी लिखा हुआ है - धर्मचक्र प्रवर्तनाय। आज धर्मचक्रप्रवर्तन दिवस भी है। आज ही के दिन तथागत भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पहली बार अपना उपदेश दिया था, तो आज सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई।

सायं 7.04 बजे

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए)

सभापति जी, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ग्रामीण विकास और कृषि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार रखने का मौका दिया। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आज भी हमारे देश में 80 प्रतिशत लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, जो गांवों में ही रहते हैं। इसलिए भारत जैसे विकासशील देश के समुचित विकास और प्रगति के लिए ग्रामीण परिवेश पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आज इस देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ऐसे प्रधान मंत्री हैं जो आज सही मायने में ग्रामीणों पर ध्यान दे रहे हैं। यदि हमारे प्रधान मंत्री जी किसी पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो वे गांव, गरीब, मजदूर, किसान, खेत एवं खलिहान पर दे रहे हैं, जिससे हमारे कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोग आगे बढ़ें।

मान्यवर, सामने बैठे हुए लोग कहते हैं कि यह सरकार कुछ नहीं कर रही है, किसानों और ग्रामीणों के हित में काम नहीं हो रहा है। मैं कहती हूँ कि यदि 55 साल और 5 साल की तुलना की जाए, तो सब साफ-साफ दिख जाएगा। आज तक यहां पर सरकारें जरूर चलती रही हैं, लेकिन कभी किसी ने ग्रामीणों के बारे में चिंता करने का काम नहीं किया। आज सिर्फ मोदी जी हैं, जो ग्रामीणों की चिंता कर रहे हैं। योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाने के साथ-साथ, जो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया है। यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है, तो वह किसी भी कार्य को कर सकता है। माननीय मोदी जी जो भी योजनाएं लाए हैं, वे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। चाहे वह उज्ज्वला योजना रही हो, हमारी माताओं और बहनों को आँखों और फेफड़ों में दिक्कतें हो जाया करती थी, उससे उन्हें छुटकारा मिला है। शौचालय

के लिए 'इज्जत घर' योजना आई है। हमारी माताओं और बहनों को अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था। उनके पेट में तमाम तरह की बीमारियां हुआ करती थी। जब वे बाहर जाया करती थी, तो उनके इज्जत-आबरू के साथ भी तमाम तरह के लोग छींटाकशी किया करते थे। उससे आज उनका बचाव हो रहा है।

मान्यवर, आज प्रधान मंत्री आवास योजना तीन करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है। इस योजना के माध्यम से भी गरीबों को लाभ पहुंच रहा है। लोग मिट्टी के घरों में रहते थे। बरसात के मौसम में पानी टपका करता था। लोग झुग्गी-झोपड़ी में रहते थे, पन्नी से तान कर तंबू में रहते थे। आज उन सब चीजों से उनकी सुरक्षा हो रही है। ठंडे तथा बरसात के मौसम में लोगों की असमय मृत्यु हो जाया करती थी। उससे भी आज उनकी सुरक्षा हो रही है। सौभाग्य योजना निःशुल्क बिजली कनेक्शन तथा एल.ई.डी. के लिए है। यह योजना लगभग आठ करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है। जब गांवों में बच्चे पढ़ा करते थे, तो चिमनी या लालटेन जला कर पढ़ते थे। लोग खाली शीशी में कपड़ा लगाकर और किरोसीन डालकर उसकी लाइट में पढ़ा करते थे। उसके धुंए से भी आँखों का नुकसान हुआ करता था। जब वह धुंआ सांसों के माध्यम से फेफड़ों में जाता है तो उससे भी नुकसान हुआ करता था। इस योजना से उन बच्चों का भविष्य भी सुधरेगा। छोटे-छोटे बच्चे ही उसकी रोशनी में पढ़ते थे। इससे उनकी आँखों पर काफी असर होता था।

महोदय, आयुष्मान भारत योजना करीब 10 करोड़ परिवार तक पहुंच गया है। 10 करोड़ परिवार का मतलब है कि यह योजना 50 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है। आयुष्मान भारत योजना शायद गरीबों के लिए रामबाण है। जो लोग एक हजार या दो हजार रुपये के अभाव में इलाज के लिए चुपचाप बैठ जाते थे और वे इलाज नहीं करा सकते थे, वे सोचते थे कि जब तक चलेंगे, भगवान भरोसे चलेंगे। लोग उस मरीज को अस्पताल में ले जाकर छोड़ आया करते थे। मैं भी एक डॉक्टर हूँ। मैंने देखा है कि ऐसे मरीजों को घर वाले अस्पताल में छोड़कर चले जाते थे। जब उनसे पूछा जाता था कि कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, कौन छोड़ कर गया है, तो पता चलता था कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वे इलाज करा सकें, इसलिए वे मरीज को छोड़ कर चले जाते थे। ऐसे व्यक्तियों के लिए पांच लाख रुपये बहुत मायने रखते हैं। इसके लिए मैं माननीय मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ।

मान्यवर, मैं किसान सम्मान योजना के बारे में भी बोलना चाहती हूँ। जो लोग कह रहे हैं कि छह हजार रुपये कोई मायने नहीं रखते हैं। हमारे और आपके लिए छह हजार रुपये जरूर मायने नहीं रखते होंगे, लेकिन जिन्हें एक रोटी या आधी रोटी मुश्किल से मिलती हो, उनसे जाकर पूछिए कि उनके लिए छह हजार रुपये क्या है। छह हजार रुपये की कीमत वे जानते हैं, जिन्हें पेट भर कर खाना नहीं मिलता है, जो आधी रोटी खाकर खुद भूखे रहते हैं और अपने बच्चों को आधी रोटी खिलाकर किसी तरह से सुला देते हैं। उनके लिए छह हजार रुपये बहुत मायने रखता है। यदि हम पूर्ववर्ती सरकारों की बातें करें, तो हमारे किसान भाई खाद के लिए लाइन लगाया करते थे। वे लाइन लगाते थे, लेकिन उनको खाद नहीं मिलती थी। लाइन में लगे-लगे उनको लाठियों से मारा जाता था। आज की जो सरकार है, उसमें न तो किसान को लाइन में लगना पड़ता है और न ही लाठियां खानी पड़ती हैं। आज उनको आसानी से खाद प्राप्त हो रही है। यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा हर व्यक्ति और हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए श्रमिकों के लिए भी, यदि वे 60 साल पूरे कर रहे हैं, तो उनको 3 हजार रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दी जा रही है। चाहे वह ठेले वाला हो, बैलगाड़ी वाला हो, तांगे वाला हो, रिक्शे वाला हो, धोबी हो, मोची हो या घर-घर काम करने वाली महिलाएं हों, कूड़ा बीनने वाला हो या घर-घर अखबार पहुंचाने वाला हॉकर हो, आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक माननीय मोदी जी की नजर है और वे उन सबके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। यदि ये सारे कार्य हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने किए होते, तो आज जब इस देश के प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी बनते, तो निश्चित तौर पर यह देश कहीं और होता। उन सरकारों ने इस देश की और न ही देशवासियों की चिंता की, बल्कि इस देश को खोखला करने का ही काम किया है।

मोदी जी ने इसकी शुरुआत पिछले पांच सालों में कर दी है। हम इतिहास में पढ़ा करते थे कि हमारा भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। आज भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने के लिए माननीय मोदी जी अग्रसर हो चुके हैं। मैं दो लाइनें इस पर कहना चाहूंगी-

"मोदी जी ने विकास के नाम पर भारत का मान बढ़ाया है

सोने की चिड़िया यह पुनः बनेगा, इस संकल्प का दीपक जलाया है।"

मान्यवर, मैं पहली बार बोल रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा समय चाहूंगी। ग्रामीण विकास के संदर्भ में यदि हम बात करें, तो 25 दिसम्बर, 2000 के तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जो ग्राम सड़क योजना चलाई गई थी, सही मायने में आज वह साकार होती हुई नजर आ रही है। इसी को ध्यान में रखकर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना भी प्रारम्भ की गई है। इसमें ग्रामीण युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनकी न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ऊपर वेतन उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। सभी स्टेट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे स्टेट में अगर बेरोजगारी बढ़ी है, तो वहां की पूर्ववर्ती सरकारों की वजह से वहां ज्यादा बेरोजगारी है। वहां पर सरकारें बनती थीं, तो बेरोजगारों को रोजगार देने के बजाय, एक हजार रुपये या दो हजार रुपये का उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया करते थे, जिसकी वजह से वहां के नौजवान काम से छुटकारा पाकर बैठ जाया करते थे, इसलिए उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी ज्यादा है। आज माननीय मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हर सम्भव प्रयास करने का काम कर रही है।

स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण रोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनः डिजाइन किया गया है। इस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिलाओं के स्वयं सहायता मॉडल को सशक्त करने के लिए किया गया है।

मान्यवर, तमाम योजनाएं हैं, मैं उनके बारे में विस्तार में नहीं कहूंगी, केवल उनके नाम लेना चाहूंगी। ग्रामीण समुदाय के भीतर जागरूकता बढ़ाना, गरीब ग्रामीण युवाओं की पहचान करना, रोजगार के अवसर ढूंढने वाले ग्रामीण युवाओं को जुटाना, ग्रामीण युवाओं एवं उनके माता-पिता की काउंसलिंग करना, योग्यता के आधार पर कुशलता विकसित करने के लिए युवाओं का चयन करना, रोजगार के अवसर के हिसाब से ज्ञान, उद्योग से जुड़े कौशल और विज्ञान उपलब्ध कराना, ऐसी नौकरी देना जिसका सत्यापन स्वतंत्र तरीके से किया जा सके व नियुक्ति के बाद सतत आय की मदद उपलब्ध कराना, ग्रामीण इलाकों से पलायन को

रोकना, अधिक से अधिक ग्रामीण लोगों की पहुंच तक रोजगार को सुनिश्चित कराना, इसी प्रकार कई कुशलतम कार्यक्रम महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक व दिव्यांगों के लिए भी रखे गए हैं। आज ग्रामीण विकास को अगर कृषि से न जोड़ा जाए, तो शायद बात अधूरी रह जाएगी।

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश के बदायूं लोक सभा क्षेत्र से माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी के आशीर्वाद से चुनाव जीत कर आई हूं।

एक माननीय सदस्य थे जो लगातार वहां से पांच बार सांसद रहे, लेकिन आप वहां जाकर देखेंगे तो विकास के नाम जैसी कोई चीज वहां नहीं दिखाई देती है। मैं चाहती हूं कि बदायूं को अच्छी सड़क से जोड़ा जाए। सड़क एक ऐसी चीज है जो वहां नहीं गई। पिछले पांच साल में मोदी जी की योजनाएं घर-घर तक पहुंची है और जो नहीं पहुंची हैं या जिसमें दिक्कतें आ रही हैं, वह भी उन तक पहुंचे।

हमारे किसान अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन लेते हैं तो उस पर दस प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है जो उनके लिए बहुत भारी पड़ता है। मैं अनुरोध करती हूं कि उस ब्याज में थोड़ी कटौती की जाए। इसके साथ-साथ हमारे क्षेत्र में जो कमियां रह गई हैं उन्हें पूरा किया जाए। लास्ट लाइन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगी।

"गांव के गिराँव को
और उनके मनोभाव को
सत्कार करती हूं
ग्रामीणों के स्वाभिमान को,
अन्नदाता के अभिमान को
प्रणाम करती हूं,
प्रणाम करती हूं"

बहुत-बहुत धन्यवाद

^{61*}श्री पी. पी. चौधरी (पाली):

"मिट्टी के घर में रहने वाले किसान के छत से पानी रिसता है,

मगर एक किसान फिर भी बारिश की दुआ करता है"

भारत की 70 प्रतिशत जनता 6,49,481 गांवों में रहती है। कृषि मुख्य व्यवसाय है। देश में कुल रोजगार का लगभग 54.6 प्रतिशत रोजगार कृषि और कृषि से जुड़े व्यवसायों पर ही निर्भर है। यही असली भारत है, जब तक यह भारत आगे नहीं बढ़ेगा देश आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक इस भारत का विकास नहीं होता, तब तक देश विकसित नहीं हो सकता है।

कांग्रेस सरकार द्वारा अन्त समय में जो बजट पेश किया गया था उसमें किसानों के लिए 18,981 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई थी और आज सदन के माध्यम से देश देख रहा है कि यह धनराशि लगभग 8 गुणा से भी अधिक बढ़कर आज 1,51,518 करोड़ हो गया है।

मैं एक किसान का बेटा हूँ। पूरा बचपन और जवानी खेतों में काम करते हुए गुजारी है, पेड़-पौधों के बीच, गाय-बैलों को चराते हुए। उस वक्त अगर मैं किसी से कहता कि एक रोज मैं इस देश के संसद में बैठूंगा जिसके प्रांगण से कभी बाबा साहब अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे विरलों ने भाषण दिया था तो लोग हँस देते मगर आज विधि का विधान देखिए कि उसी किसान समुदाय से आने वाला एक इंसान और एक मामूली किसान का बेटा आपके समक्ष अपने किसान भाइयों की बात रख रहा है।

आज जब माननीय प्रधानमंत्री योग को इतना बढ़ावा दे रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस समाज में खेती से बड़ा कोई योग नहीं और एक किसान से बड़ा कोई योगी नहीं है। मगर इस समाज की विडंबना देखिए की शहर में रहने वाला एक वर्ग गांव में खेती करने वाली इन्हीं किसानों को देहाती बोल कर धिक्कारते

^{61*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हैं और केवल कल्पना कीजिये कि अगर देश के सभी किसान खेती छोड़ दें तो क्या स्थिति होगी। लोगों की जेब में पैसे तो होंगे मगर देश में पेट भरने के लिए अनाज नहीं होगा।

मेरा ऐसा मानना है कि इस देश की रक्षा केवल सरहद पर तैनात एक सैनिक नहीं करता, बल्कि इस देश के अंदर गाँव में रहने वाला किसान भी एक सैनिक है जो भुखमरी, कुपोषण और इन जैसी तमाम आपदाओं से बचा कर देश के लोगों की रक्षा करता है।

कोयलों की खदानों से निकलने वाले खनिज और धातु मूल्यवान हैं। मगर इन सबसे मूल्यवान है अपने हाथों से इस पावन मिट्टी को सींच कर इसके गर्भ से अनाज के कोपलों को फूटते हुए देखना।

जनसंख्या में वृद्धि होनी है, सभी वस्तुओं की मांग बढ़नी है। हमें हमारे पास क्षेत्रफल बढ़ाने की सीमा है। उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता है। ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाकर कृषि के लिए अतिरिक्त क्षेत्रफल जोड़ने का आवश्यकता है।

कृषि पर देश की जनसंख्या के 70 प्रतिशत लोग निर्भर रहते हैं और यू.पी. ए. सरकार द्वारा इन 70 प्रतिशत लोगों को इग्नोर किया गया, जिसके कारण कृषि का जी.डी.पी. में योगदान 60 प्रतिशत से घटकर 13 प्रतिशत रह गया। 1998-2000 तक एन.डी.ए. के शासन काल में यह हिस्सा 26 प्रतिशत था जो घटकर वर्ष 2012-13 में पुनः 13 प्रतिशत ही रह गया। इससे साफ जाहिर होता है कि यू.पी.ए. सरकार द्वारा कृषि को नजरअंदाज किया जा रहा था। लेकिन एन.डी.ए. ने पुनः कृषि को बहुत अधिक महत्व देते हुए बजट पेश किया है और गत 5 वर्षों के परिणामों के अनुसार पिछली सरकार के मुकाबले आज जी.डी.पी. में कृषि का योगदान 17 प्रतिशत है। हमारी सरकार को जानकारी है कि बजट वर्तमान की बजाय भविष्य का होना चाहिए और इन्डस्ट्रीयल व एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ग्रोथ के माध्यम से आज के इस वातावरण में 7 से 8 प्रतिशत तक जी.डी.पी. की ग्रोथ रेट प्राप्त की जा सकती है।

किसानों को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा विजन है। शत प्रतिशत एफ.डी.आई. के माध्यम से डिफेन्स उपकरणों को बाहर से खरीदा जाता था, जिसके कारण कई सेक्टरों व देश की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता था। सरकार द्वारा डिफेन्स व इन्शोरेंस के सेक्टर में एफ.डी.आई. की लिमिट

को 49 प्रतिशत करने से हमे डिफेन्स उपकरणों को खरीदने के लिए बाहर से पैसा नहीं लेना पड़ेगा तथा ऐसे इक्युपमेंटों को देश में बनाने में भी मदद मिलेगी इसके साथ-साथ इस से सम्बन्धित निर्णयों में भी हमारा कन्ट्रोल होगा।

जी.एस.टी. को लेकर भी माननीय प्रधानमंत्री जी का अपना एक अनपैरेलल विजन है। इसकी वजह से टैक्स ईवेजन, हरासमेंट तो कम होगा साथ-साथ जी.डी.पी. में भी बढ़ोत्तरी होगी।

देश के अन्नदाता किसान पर बाजार और मौसम की मार के अनगिनत किस्से और समाचार आए दिन सुनने को आते हैं। इस देश की जनता के साथ-साथ संसद की इमारत ने भी पच्चासों वर्षों से किसान की हालत के बारे में चर्चा सुनी है। देश का अन्नदाता किसान दरिद्र नारायण बना हुआ है और हमारी पूर्व में बनाई योजनाएं नाकाफी साबित हुई हैं। वर्तमान सरकार द्वारा मौसम की मार से नुकसान फसल के मुआवजे से सम्बंधित कानून में बदलाव कर किसान को काफी राहत प्रदान की गई है। साथ ही प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और कई अन्य प्रयास भी किसान की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायक साबित हुए हैं।

हमारे देश में 60 प्रतिशत से ज्यादा खेती मानसून पर निर्भर रहती है। यह सर्वविदित है कि मानसून 5 वर्षों में लगभग 2 बार ही ठीक रहता है, जिसका किसान पूरा-पूरा लाभ ले पाता है। वर्षा का जल संचय करने में भी हमारा देश काफी पीछे है, हमारे देश में वर्षा के जल का 6 प्रतिशत हिस्सा ही काम में लिया जाता है बाकी 94 प्रतिशत पानी बहकर समुद्र में मिल जाता है। यदि इस 94 प्रतिशत पानी का बांधों के माध्यम से संचय किया जाता है तो इसके माध्यम से 25 मिलियन हैक्टेयर पर सिंचाई की जा सकेगी, 24000 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा सकेगा तथा 10 मि.लि. हैक्टेयर क्षेत्र के ग्राउण्ड वाटर में बढ़ोत्तरी की जा सकेगी। इसके साथ-साथ देश खाद्यान्न, फल, सब्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि बड़ा निर्यातक देश भी हो सकता है और हम बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकते हैं। देश के किसान को खेती व युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध होने लगेंगे तो देश को फूड सिक्योरिटी व मनरेगा जैसी योजनाएं चलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जिसके माध्यम से लाखों करोड़ों रुपये बचा कर

इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जा सकते हैं, ताकि देश में शिक्षा चिकित्सा, सड़क आदि के क्षेत्र में भरपूर विकास किया जा सकेगा।

नदियों को जोड़ना, सूखा व बाढ़ की समस्या का ही हल नहीं बल्कि इसके माध्यम से आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने के साधन भी उपलब्ध होंगे, कृषि हेतु सिंचाई के लिए भी उपयुक्त मात्रा में जल उपलब्ध करवाकर कृषि क्षेत्र का विकास किया जा सकेगा। कृषि में विकास होने पर जी.डी.पी. में कृषि का योगदान बढ़ेगा और देश तेजी से विकास मार्ग की ओर बढ़ेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि नदियों को जोड़कर सूखे व बाढ़ की स्थिति से जूझ रहे राज्यों को राहत देने की योजना तैयार करने की कृपा करें।

केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में चलाई जा रही एग्रीकल्चर टेक्नोलोजी मैनेजमेंट ऐजेंसी (आत्मा) को किसान प्रशिक्षण व मेलों के लिए मिलने वाले बजट में इस वर्ष कटौती की गई है। इस योजना के माध्यम से किसानों को कृषि में नई तकनीकों को अपनाने, कृषि उत्पादों के मण्डी तक पहुँचाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं, किसान मेले व प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाती हैं। अगर बजट में कमी की जाती रही तो निश्चित रूप से किसान की स्थिति पर विपरीत असर पड़ेगा।

अतः मेरा निवेदन है कि किसान हित में एग्रीकल्चर टेक्नोलोजी मैनेजमेंट ऐजेंसी (आत्मा) योजना को अनवरत रखा जाये और इसके बजट में की गई कटौती वापस ली जाये, ताकि राज्य में खेती की नई तकनीक व किसान प्रशिक्षण, किसान मेले प्रभावित ना हो।

किसानों को खेतों में अत्यधिक उर्वरक प्रयोग पर रोक लगाना चाहिए एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करके जलवायु में सुधार किया जा सकता है।

दुग्ध उत्पादक संघ के विशेषज्ञ उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का पूरा सर्वेक्षण करके इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि प्राकृतिक वनस्पति जिसमें घास एवं पारम्परिक खेती के साथ पशुपालक कृषकों का उत्थान होगा और इससे रोजगार के नये स्रोत खुलेंगे, जिससे आम नागरिक को फायदा होगा। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का जीवन-आधार पशुपालन एवं पारम्परिक खेती के साथ घास उत्पादन किया जाना था। स्वतन्त्रता के

पश्चात् नई तकनीकी अपना कर सेवण घास, भूरट, डचाभ, गडिया, पाला इत्यादि को पूर्णतया नष्ट कर दिया गया है और पारम्परिक खेती नाममात्र की रह गई है जो बरानी बरसात होने पर की जाती है। इस क्षेत्र के किसानों का पशुओं के लिए उत्तम घास सेवण, भूरट, पाला, डचाभ इत्यादि उगाकर पशुपालन करने से किसान को अधिक लाभ होगा इसके साथ पारम्परिक खेती करने से अच्छी गुणवत्ता वाला अनाज पैदा होगा।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना व अन्य नहर परियोजनाओं से राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में सेवण घास उगाकर पशुपालन किया जाने पर प्रति मुरबे की आय में 10 गुणा तक बढ़ोत्तरी होना निश्चित है। मुंगफली, गेहूँ, नरमा उगाने के अनुपात में सेवण घास उगाने पर खर्चा आधे से भी कम होगा एवं पच्चीस बीघे में तीस गाय एवं 100 भेड़ बकरियों का चारा उत्पादित होगा। इसके साथ ही पारम्परिक खेती का लाभ भी वर्तमान खेती से कम नहीं होगा और तीस गाय का दुग्ध रोज 300 ली. उत्पादित होगा जिसका मूल्य 4500 रु प्रतिदिन होगा। साथ ही 450 किलो गोबर प्रतिदिन प्राप्त होगा जिसकी 2250 रु प्रतिदिन आय है। इसके अतिरिक्त भेड़ बकरियों की आय 100 रु प्रतिदिन होगी। इन के लिए चारा खेत से ही उगाकर दिया जायेगा एवं पानी की व्यवस्था सिंचित क्षेत्र में उपलब्ध है। मात्र चारा एवं रख-रखाव का पैसा ही व्यय होगा। पारम्परिक खेती की आय खरीफ व रबी दोनों फसलों को मिलाकर 10,000 रु प्रति बीघा निश्चित है। सेवण घास एवं परम्परिक खेती के लिए सिंचाई पानी मात्र 2 क्युसिक प्रति हैक्टेयर लगाकर उत्तम खेती प्राप्त की जा सकती है।

उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में लाखों हेक्टेयर भूमि को नकारा करार कर छोड़ रखा है जो थोड़े से ही सोना उगलेगी और लगभग 2 करोड़ गाय एवं 20 करोड़ भेड़-बकरियों को आसानी से चारा उपलब्ध करवाया जा सकता है। 2 करोड़ गायों का दुग्ध 20 करोड़ लीटर प्रतिदिन होना निश्चित है, जिसकी आय 300 करोड़ रुपये प्रतिदिन होगी। साथ ही 3 लाख टन गोबर प्रतिदिन मिलेगा। जिसकी आय 150 करोड़ रुपये प्रतिदिन होगी। जिसमें बकरियों का दुग्ध, भेड़ों की ऊन व खाद के रूप में मिगणियों को मिलाकर अनुपात निकाला गया है। इसके अतिरिक्त इनकी बढ़ोत्तरी भी प्रतिवर्ष तीन गुणा होती है। क्योंकि भेड़ बकरी साल में दो बार ब्याहती है और इन पर खर्चा मात्र देखरेख एवं रखवाली का ही होता है।

इस क्षेत्र में बरसाती पानी को एकत्रित करने का पिछले साठ वर्षों से कोई प्रयास नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप इन्दिरा गांधी नहर एवं कुओं के पानी पर ही निर्भर रहना महंगा साबित हो रहा है। मेरा इस सम्बन्ध में सुझाव है कि राजस्थान राज्य की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक किसान के लिए एक लाख लीटर क्षमता वाला वाटर टैंक बनाने की अनुमति किसान के स्वयं के खेत में दी जावे, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में पानी की उपलब्धता के लिए बेहतर आधारभूत ढाँचा विकसित हो सके एवं किसान अपने स्वयं के खेत में खेती के साथ-साथ बागवानी के लिए भी अग्रसर हो सके एवं आय के अतिरिक्त स्रोत भी विकसित हो सके। प्रथमतः राजस्थान के सभी 11 मरुस्थली जिलों में सभी 5 लाख लघु एवं सीमान्त कृषकों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जावे। इसके लिए तकनीकी दृष्टि से 15 फुट व्यास एवं 20 फुट गहरा टांका बनाना आवश्यक है, जिसके चारों ओर प्रत्येक जिले की औसत वर्षा के आधार पर कम से कम 60 से 80 फुट व्यास का जलग्रहण क्षेत्र (आगार) बनाया जाए। इस योजना के क्रियान्वयन में हमारा यह भी सुझाव है कि जलग्रहण क्षेत्र स्थानीय मुरड़ या अन्य सामग्री से कुटाई कर पक्का बनाया जाए जिससे एक ही अच्छी वर्षा से टांका पूरा भर जाए। इस माप के टांके एवं आगार के निर्माण पर तकनीकी आकलन के आधार पर लगभग 1,00,000/- रु. का खर्चा आएगा। जिसमें लगभग 50 प्रतिशत श्रम पेटे एवं 50 प्रतिशत राशि सामग्री पेटे आवश्यक होगी। टांकों का निर्माण सभी की सहभागिता से कृषकों द्वारा स्वयं ही अपने-अपने खेत में किया जाएगा। जिससे उसके परिवार के सदस्य एवं गांव में उपलब्ध भूमिहीन श्रमिक एवं अन्य बेरोजगार श्रमिकों को भारी संख्या में श्रम रोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा।

पूरे पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में पशुपालन को बढ़ावा देकर प्रत्येक किसान को किसान की रुचि के अनुसार कम से कम पाँच पशु उपलब्ध करवाकर किसानों के बीच ए.पी.एल/ बी.पी.एल का भेद मिटाकर प्रत्येक किसान के खेत में 1 लाख लीटर क्षमता का कुण्ड बनवाकर खेती के साथ-साथ पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मेडिसिनल प्लान्ट, हॉर्टिकल्चर आदि को बढ़ावा देकर कृषि का समग्र विकास किया जा सकता है एवं किसानों की माली हालत को सुधारा जा सकता है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में तो सब्सिडी जारी की जाती है, लेकिन प्राकृतिक उर्वरकों पर किसी प्रकार की कोई सब्सिडी जारी नहीं की जाती है, जिसके चलते किसान जैविक खेती की ओर आकर्षित नहीं होते।

रसायनिक खाद्य का प्रयोग पारम्परिक प्राकृतिक खाद्य के तरीके को जड़ से खत्म करता जा रहा है। रसायनों के प्रभाव से जमीन भी धीरे-धीरे बंजर होने लगती है और कीड़ों के अधिक पनपने की संभावना बनी रहती है, जिससे बचने के लिए किसान अत्याधिक मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग करने लगते हैं। कुछ कीटनाशक तो सिस्टमेटिक होते हैं जो पानी या खाद के साथ घोलकर प्रयोग में लिये जाते हैं, जिसका असर प्लान्ट के अन्दर और उपज के अन्दर तक हो जाता है, ये कीटनाशक ऊपर से स्प्रे किये जाने वाले कीटनाशकों से कहीं अधिक हानिकारक होते हैं। ऐसे कीटनाशक मानव शरीर के लिए अत्यन्त हानिकारक होते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस समस्या से किसान को निजात दिलाने के लिए हाल ही में राजस्थान से भूमि स्वास्थ्य कार्ड स्कीम जारी की है, जो कि अपने आप में पहला निर्णय है, जिससे किसानों को अपनी जमीन में रसायनिक खाद के प्रयोग की जानकारी मिल सकेगी और किसान कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकेगा। इसके साथ-साथ आमजन को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा सकेगी। किसान चाहते हुए भी जैविक खाद और स्प्रे का प्रयोग नहीं कर पा रहा क्योंकि ये केमिकल खाद व स्प्रे से अधिक महंगे हैं। जैविक खाद पर सब्सिडी नहीं दी गई तो हम चाहते हुए भी जैविक खेती को प्रोत्साहन नहीं दे पाएंगे।

मानसून की अनिश्चितता एवं सूखे के कारण मंहगाई और बढ़ने की संभावना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों को निर्देशित करें की सूखे एवं मानसून की अनिश्चितता से बचने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सुझाव दें। इनमें ऐसे कुछ सुझाव हो सकते हैं। जैसे जैविक खाद का ज्यादा प्रयोग, ड्रिप एवं माईक्रो ईरिगेशन का ज्यादा प्रयोग, आर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा, चारा उत्पादन के क्षेत्र में नवीन तकनीक का प्रयोग करके हरा चारा आधिक से अधिक उगाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे पशुधन बचाया जा सके एवं वैकल्पिक व्यवस्था के जरिये अनाज का भी उत्पादन संभव हो सके।

कृषि क्षेत्र को सिंचाई हेतु जल उपलब्धता के अलावा कृषि को संरक्षण की भी आवश्यकता है। सरकार द्वारा औद्योगिक घरानों को पिछले तीन सालों में 2.5 लाख करोड़ की प्रोत्साहन राशि तथा 2.5 लाख करोड़ की विभिन्न छूटें प्रदान की गई हैं। कृषि क्षेत्र को भी इसी तर्ज पर प्रोत्साहन राशि व छूट देने की भी आवश्यकता है।

जिस देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि और उसके संलग्न कार्यों में लगी हो और देश का कुल बजट का केवल 17 प्रतिशत हिस्सा देते हो तो इसी आंकड़े से कृषि की माली हालत को समझा जा सकता है।

इस स्थिति के कारणों पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। अधिकतर किसानों को कृषि सम्बन्धी सूचनाओं, लाभदायक फसलों, वैज्ञानिक तरीके से कृषि और अपनी जमीन का उपजाऊ पन के बारे में जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से वह पुरानी तकनीक के आधार पर कृषि करते रहते हैं, जिससे उन्हें हानि ही होती है। विकसित देशों में खेती में, जिन अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, वो अभी भारतीय किसानों की पहुंच से मीलों दूर है। देश के किसान अभी भी उच्च उत्पादक बीजों विशेष प्रकार के उर्वरकों के बारे में अनभिज्ञ हैं। प्रतिवर्ष बारिश की कमी, सूखा और बाढ़ से हमारे देश का अधिकांश भाग प्रभावित होता रहता है, जिससे प्रभावित किसानों की कमर ही टूट जाती है।

भारत सरकार द्वारा कृषि सम्बन्धी योजनाओं में समय-समय पर काफी सुधार किया गया है, आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बिचौलियों को लगभग पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है, ये बिचौलिए कई दशकों से किसान का शोषण करते आ रहे थे।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि किसानों को छोटी और महत्वपूर्ण राहत देने के लिए देश के प्रत्येक किसान को सोलर कृषि पम्प दिया जाए, ताकि वह आसानी से कृषि की लागत कम करते हुए खेती कर सके। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि देश के छोटे किसानों के बच्चों को उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा निशुल्क दी जाए, ताकि किसान का बेटा-बेटी आत्म निर्भर बन सके।

मैं मेरे लोक सभा क्षेत्र में होने वाली मेंहदी की खेती की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि पूरे देश में मेंहदी का उत्पादन देशभर में केवल पाली जिले के सोजत क्षेत्र में ही होता है। मेंहदी की खेती और इससे जुड़े व्यवसाय इस क्षेत्र की आमदनी का मुख्य स्रोत है। मेंहदी की खेती में भू-जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसकी खेती पूर्णतया: वर्षा के जल पर निर्भर करती है। इसके कामगारों का भी अत्याधिक कुशल होना अति आवश्यक है। यह फसल वर्ष में केवल एक बार ही होती है। बाकि समय खाली पड़े खेत में किसी और तरह की खेती किया जाना भी संभव नहीं है। वर्तमान जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का समय अनिश्चित होता जा रहा है। फसल खड़ी होने के बाद वर्षा की एक बूंद भी मेंहदी के रंग को खराब व काला कर सकती है।

मैं आपको मेंहदी किसानों की समस्या की ओर अवगत कराते हुए बताना चाहूंगा कि मेंहदी की खेती को कृषि का दर्जा नहीं मिलने के कारण सरकार द्वारा कृषकों को जो लाभ दिये जा रहे हैं, वे उन्हें प्राप्त नहीं होते हैं। प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान पर भी मेंहदी किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिल पाता।

अतः मेरा अनुरोध है कि कृषि मंत्रालय द्वारा अध्ययन करवाकर मेंहदी की खेती को कृषि उत्पादों की श्रेणी में सम्मिलित कराने की कृपा करें, ताकि विश्व प्रसिद्ध भारतीय मेंहदी के किसानों को लाभ मिल सके।

अन्त में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और ग्रामीण विकास तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री जी और इनकी पूरी टीम को इस क्रान्तिकारी बजट को प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दिये गए सुझावों पर शीघ्रता से ध्यान देते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी और मैं वर्ष 2019-20 के लिए ग्रामीण विकास तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों का पुरजोर समर्थन करता हूँ।

[अनुवाद]

^{62*} **डॉ. डी. रविकुमार (विलुपुरम):** मैं ग्रामीण विकास एवं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालयों पर अनुदान मांगों पर निम्नलिखित विचार प्रस्तुत करता हूँ:

अधिकांश ग्रामीण महिलाएँ अपनी आजीविका के लिए मनरेगा पर निर्भर करती हैं। इसलिए, कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 की जानी चाहिए। पीएम किसान योजना के तहत हमारी सरकार भूमि स्वामित्व वाले किसानों की सहायता कर रही है। लेकिन भूमिहीन मजदूरों के पास गरीबी से बचने का कोई साधन नहीं है। इसलिए, मैं सरकार से विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ कि उनके लिए सार्वभौमिक न्यूनतम आय जैसी योजना की घोषणा की जानी चाहिए। तमिलनाडु के गन्ना किसान भारी संकट में हैं। मेरा अनुरोध है कि उन्हें रोग प्रतिरोधी बीज वितरित किए जाने चाहिए। ड्रिप सिंचाई पर स्थानांतरित करने के लिए 100% सब्सिडी भी बढ़ाई जानी चाहिए। विलुपुरम में एक गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए। एक सदी पुरानी नंदन नहर योजना को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित की जानी चाहिए। विलुपुरम जिले में कृषि आधारित उद्योग शुरू किए जाएं। विलुपुरम में सबसे अधिक अस्थायी घर (झोपड़ियाँ) हैं। मैं सरकार से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि पी.एम.ए.वाई. को उदारतापूर्वक आवास आबंटित किए जाएं। विलुपुरम तमिलनाडु का सबसे अधिक पानी की कमी वाला जिला है। अब, सरकार ने वेदांता को हाइड्रो कार्बन अन्वेषण लाइसेंस स्वीकृत किए हैं। मैं सरकार से हाइड्रो कार्बन लाइसेंस वापस लेने और विलुपुरम जिले के किसानों को बचाने का अनुरोध करता हूँ।

^{62*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सुश्री एस. जोतिमणि (करूर): माननीय सभापति महोदय, नमस्कार ! कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

मैं तिरुवल्लुवर के महान 'तिरुक्कुरल' से एक दोहे के साथ अपनी बात को शुरू करना चाहती हूँ:

उझुवार उलकड्डारक्कू आनियाक थातराधु

एझुवारै इलाम पोरुथु

इसका मतलब है कि 'किसान दुनिया का सबसे अहम हिस्सा हैं क्योंकि वे उन लोगों का सहारा हैं जो खेती नहीं कर पाते।' अब समय आ गया है कि हम सभी, खासकर सरकार, सोचें कि हम किसानों के लिए क्या कर रहे हैं और उन्हें सही सहायता दे रहे हैं या नहीं।

2017-18 में, तमिलनाडु के किसानों को अपनी दो वैध मांगों, अर्थात्, ऋण माफी और अपनी कृषि उपज के लाभकारी मूल्य के लिए दिल्ली में एक महीने से अधिक समय तक विरोध करने के लिए मजबूर किया गया था। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, जो एक कृषि प्रधान राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं, ने अपने पिछले लोक सभा कार्यकाल में किसानों से संवाद करने के लिए समय नहीं निकाला, जबकि उन्होंने अनेक अवसरों पर फिल्मी हस्तियों और कॉरपोरेट जगत के लोगों से मुलाकात की। उसी समय, 2017 के अंत में, किसानों को उनके अधिकारों और आजीविका की लड़ाई के दौरान बीजेपी शासन के तहत मंदसौर में गोली मार दी गई थी। बाद में, देश भर में व्यापक किसान विरोध प्रदर्शन भी हुए, जिन्हें राज्य द्वारा नियंत्रित मीडिया ने बहुत कम दिखाया।

मैं आपका ध्यान एक बेहद चिंताजनक और बेहद परेशान करने वाले आंकड़ों की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। भारत में लगभग 21 किसानों ने 2015 में प्रति दिन आत्महत्या की थी और 12,600 से अधिक किसानों ने अकेले 2015 में आत्महत्या की थी, जो वर्ष 2014 से दो प्रतिशत की वृद्धि है। मेरे राज्य तमिलनाडु में भी 2017-18 में अभूतपूर्व संख्या में किसान आत्महत्या देखी गईं। इससे भी अधिक विचलित

करने वाली बात यह है कि सरकार ने देश भर में किसानों की आत्महत्याओं पर कोई आधिकारिक डेटा प्रकाशित करने से इनकार कर दिया है। आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या की रिपोर्ट एन.सी.आर.बी. द्वारा 2016 में संकलित की गई थी। इस देश में किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए तत्काल राहत देने और दीर्घकालिक उपाय करने के बजाय, सरकार ने दुर्भाग्य से, इस आधिकारिक डेटा को छिपाकर किसान आत्महत्याओं को अनदेखा करना चुना।

किसानों को इस तरह के कदम उठाने के लिए मजबूर क्यों किया जाता है? किसानों को सूखा हो या बाढ़—हर स्थिति में अकेले ही संघर्ष करना पड़ता है। उनकी कृषि लागत लगातार बढ़ रही है, जबकि उनकी उपज से उन्हें उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। समय पर ऋण की उपलब्धता, बेहतर बुनियादी ढांचा और बाजारों तक पहुंच जैसी सुविधाएं भी उन्हें सुलभ नहीं हैं। कर्ज और दिवालियापन ने किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहद कमजोर कर दिया है। बैंक और माइक्रो-फाइनेंस संस्थानों से लिया गया कर्ज और उस पर लगने वाला ब्याज चुकाने का भारी दबाव किसानों पर बना हुआ है, जिससे वे बहुत बड़ी परेशानी में हैं। किसानों की पीड़ा को और बढ़ाने वाली बात यह है कि बैंक अपने एजेंटों को भेजकर उन्हें डराने-धमकाने का कार्य कर रहे हैं और उनकी संपत्तियां जब्त करने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जबकि बड़े कर्जदारों को देश से भागने की छूट दी जा रही है।

परिणामस्वरूप, समाज में प्रतिष्ठा का हास किसानों के लिए वह अंतिम आघात बन जाता है, जो उन्हें आत्महत्या जैसे अत्यंत कठोर कदम उठाने के लिए विवश कर देता है। ऐसी स्थिति में सरकार का त्वरित हस्तक्षेप — जैसे कि ऋण माफी — अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसी सोच के तहत डॉ. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों के लिए 75,000 करोड़ रुपये की ऋण माफी की घोषणा की थी।

मैं मानती हूँ कि इससे कृषि संकट की समस्या पूर्णतः हल नहीं होगी, लेकिन यह किसानों को अत्यंत आवश्यक आशा, संबल और सहयोग अवश्य प्रदान करेगा। इससे उन्हें यह विश्वास होगा कि सरकार उनके साथ खड़ी है और वे अकेले नहीं हैं। दुर्भाग्यवश, वर्तमान सरकार किसानों को कोई राहत देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि कॉर्पोरेट्स और उद्योगपतियों को 3.5 लाख करोड़ रुपये की राहत प्रदान की जा चुकी है।

मैं सरकार और माननीय प्रधान मंत्री से हार्दिक अनुरोध करता हूँ कि वे इस गंभीर स्थिति को सहानुभूति के साथ समझें और तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के कृषि ऋण, जिसमें गहनों पर आधारित ऋण और उस पर लगने वाला ब्याज भी शामिल है, को माफ करने हेतु आवश्यक कदम उठाएँ।

तमिलनाडु में तत्कालीन डी.एम.के. सरकार ने सहकारी समितियों में किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण को सफलतापूर्वक लागू किया था, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर ऋण पुनर्भुगतान हुआ था। मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि वह इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू कराए।

अब मैं माननीय मंत्री के संज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मंत्रालय का कुल आबंटन 1,38,564 करोड़ रुपये है, जिसमें से अधिकतर 77 प्रतिशत से अधिक धनराशि केवल तीन योजनाओं पर खर्च करने का प्रस्ताव है — प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम.-किसान) पर 54 प्रतिशत; ब्याज सब्सिडी योजना पर 13 प्रतिशत; तथा फसल बीमा योजना पर 10 प्रतिशत।...*(व्यवधान)* महोदय, यह मेरा पहला भाषण है।

कृषि संबंधी स्थायी समिति के आंकड़ों के अनुसार इन योजनाओं का कोई महत्वपूर्ण परिणाम भी नहीं निकला है। महोदय, यदि आबंटन का 75 प्रतिशत केवल तीन योजनाओं के लिए जाता है, तो फसल कटाई से पहले और फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे, मूल्यवर्धन और बाजार तक पहुंच जैसी मुख्य कृषि गतिविधियों के लिए पैसा कहाँ है? यह सरकार पाँच साल पहले किए गए वादे को कैसे पूरा करेगी, जिसमें उत्पादन लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का आश्वासन था? इसके अलावा, कृषि संबंधी स्थायी समिति ने 2016 के अपने प्रतिवेदन में एक और चिंताजनक प्रवृत्ति पर भी ध्यान दिया है कि मंत्रालय के दोनों विभागों ने पूर्व में बजटीय आबंटन के मुकाबले कम खर्च किया है।

सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का प्रस्ताव रखा है। नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि क्षेत्र को सालाना 10.4 प्रतिशत की दर से विकास करना होगा। हालांकि, विकास दर घटकर केवल 2.9 प्रतिशत रह रही है। सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की योजना कैसे बना रही है?

मैं कृषि मंत्री से अनुरोध करती हूँ कि वे इस सम्माननीय सभा को प्रोफेसर एम. एस. स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन की स्थिति से अवगत कराएं, जो कृषि क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मैं अब शीघ्र ही अपने निर्वाचन क्षेत्र करूर के जनहित से संबंधित कुछ आवश्यक मांगों पर प्रस्तुत होना चाहती हूँ। महोदय, तमिलनाडु के सात जिलों के लगभग 50 लाख जनसंख्या कावेरी-कुंडारी नदियों के अंतरसंयोजन से प्रत्यक्ष लाभान्वित होगी। इस परियोजना के क्रियान्वयन से लगभग आठ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई सुनिश्चित की जा सकेगी। अतः, मैं केंद्र सरकार से सादर निवेदन करती हूँ कि इस महत्वपूर्ण परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही अविलंब प्रारंभ की जाए।

भारत की 61 प्रतिशत कपास मिल तमिलनाडु में हैं। हालांकि, तमिलनाडु में केवल पांच प्रतिशत कपास की पैदावार होती है। इसे ध्यान में रखते हुए, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री से आग्रह करती हूँ कि वे कपास किसानों को सब्सिडी देने पर विचार करें जिससे कपास उत्पादकता में वृद्धि होगी। इससे कपास के किसानों को राहत मिलेगी। कृपया शनमुगा, नंगंची और कुंडगनारु नदियों को आपस में जोड़ने के लिए निधि आबंटित करें। मैं कृषि मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि ई-नाम योजना के अधीन 'आकांक्षी जिलों के परिवर्तन कार्यक्रम' में करूर और तमिलनाडु को टेक्सटाइल हब के रूप में शामिल करें। थाथमपालयम झील के लिए धन आबंटित किया जाना चाहिए और नियंत्रण वन विभाग से राज्य लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।

मुझे आशा है कि माननीय मंत्री मेरे द्वारा उठाए गए इन महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करेंगे।

मैं भारत के प्रथम प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के एक उदाहरण के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगी, जिन्होंने एक बार कहा था, और मैं उद्धृत करती हूँ: "अन्य सभी कार्य विलंबित हो सकते हैं, लेकिन कृषि की आवश्यकता अनिवार्य है।"

धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्रीमती कविता सिंह (सीवान): माननीय सभापति जी, मैं सर्वप्रथम आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने आज मुझे पहली बार इस सभा में बोलने का मौका दिया। आपने मुझे वर्ष 2019-20 के लिए ग्रामीण विकास तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत अनुदानों की मांगों के पक्ष में बोलने का मौका दिया।

इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेन्द्र दामोदर दास मोदी जी का, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का और सिवान जिले की सम्मानित जनता-जनार्दन का, जिनके आशीर्वाद से आज इस लोकतंत्र के मंदिर में मुझे पहली बार बोलने का मौका प्रदान किया गया है।

महोदय, मैं उस धरती से आती हूँ, जहां देश के प्रथम राष्ट्रपति डा.राजेन्द्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था। उसी धरती से प्रथम महिला सांसद होने का मुझे सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं समस्त जनता-जनार्दन, अपने गुरुजनों और सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ।

महोदय, अपनी बातों को कहने से पहले मैं सोहन लाल द्विवेदी जी की कविता को अपने शब्दों में कहना चाहूँगी। आज हम सभी महात्मा गांधी जी की 150 वीं जयंती मनाने की ओर अग्रसर हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में सोहन लाल द्विवेदी जी ने जो कहा था, उस सपने को आज माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरा कर रहे हैं।

"युग बढ़ा तुम्हारी हंसी देख,

युग हटा तुम्हारी भृकुटि देखा

तुम अचल मेखला बन भू की,

खींचते काल पर अमिट रेखा

तुम मौन रहे युग मौन रहा,
 तुम बोल उठे युग बोल उठा।
 कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर,
 युग कर्म जगा, युग धर्म तना,
 युग परिवर्तक, युग संस्थापक,
 युग संचालक, हे युगाधारा।
 युग निर्माता, युग मूर्ति तुम्हें,
 युग युग तक युग का नमस्कार।"

महोदय, आज माननीय प्रधान मंत्री जी किसानों के लिए बहुत ही हितकारी कार्य कर रहे हैं। पिछले 60 सालों में, जिन्होंने किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा, आज सरकार को तरह-तरह की बातें कह रहे हैं। आज किसानों के दुःख को माननीय प्रधान मंत्री जी ने समझकर जो किसान फसल बीमा योजना की शुरुआत की है, यह योजना ऐसा ही है जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा। सहारा देने वाला कोई तो ऐसा व्यक्ति मिला जो किसानों की व्यथा को समझे और उनकी समस्या का निराकरण करे।

महोदय, आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के बजट में 4.4 प्रतिशत का इजाफा करते हुए 1.17 लाख करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। यह बहुत ही सराहनीय कदम है। किसानों के लिए अच्छी बात यह है कि 10 हजार नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे। इससे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने में बहुत सफलता मिलेगी।

महोदय, मैं बिहार से आती हूँ और बिहार एक ऐसी धरती है कि कभी वहां किसानों को बाढ़ की मार झेलनी पड़ती है तो कभी सुखाड़ की मार झेलनी पड़ती है। वह किसान भगवान की तरफ मुंह करके आसमान

की तरफ देखता है कि हे भगवान ! यह कैसी विडम्बना है कि हमने तो अपनी मेहनत की। बिहारी मेहनत करने में सबसे आगे होते हैं और अपने कर्म की बदौलत अपना स्थान प्राप्त करते हैं, लेकिन उस कर्म की बदौलत उन्हें स्थान प्राप्त नहीं होता है तो उन्हें बहुत दुःख होता है।

आज यह स्थिति बिहार की हो गई है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी, कृषि मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी कि वे किसानों की व्यथा सुनें और निदान करें। महोदय, आज ग्रामीण विकास विभाग की बात हो रही है, ग्रामीणों के लिए अनेक योजनाएं चल रही हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने उज्ज्वला योजना और अनेक योजनाएं चलाकर महिलाओं को जो मान-सम्मान दिया है, उसके लिए ये महिलाएं आपको साधुवाद देती हैं। मैं अपने क्षेत्र से जुड़ी कुछ समस्याएं बताना चाहती हूं।

महोदय, आज पेंशन की जो राशि है, जो आयु है कि 60 वर्ष के बाद ही उनको पेंशन प्राप्त होगी और केन्द्रीय अंश 300 रुपये से 500 रुपये तक निर्धारित है। मैं पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करने के लिए आपसे आग्रह करूंगी ताकि उन महिलाओं को अपनी व्यवस्था संभालने में कुछ हद तक लाभ प्राप्त हो सके। महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूं कि जब दूसरा कृषि रोडमैप बिहार में स्टार्ट हुआ तो उसका शुभारंभ करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी बिहार गए हुए थे और उन्होंने कहा था कि यदि देश में दूसरी हरित क्रांति की अगर शुरुआत होगी तो बिहार की धरती से होगी और श्वेत क्रांति की शुरुआत भी बिहार से ही होगी। मैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने और विशेष पैकेज के लिए आग्रह करना चाहूंगी ताकि बिहार के विकास में जो अवरोध की बातें हो रही है, उससे हम आगे बढ़ें और इस देश की तरक्की में अपनी भागीदारी दें... (व्यवधान)

[अनुवाद]

^{63*}श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती):

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा

मनरेगा परिव्यय	2017/18 वास्तविक	2018/19 बजटीय अनुमान (बीई)	2018/19 संशोधित अनुमान (आरई)	2019/20 बजटीय अनुमान
रुपये करोड़ में	55,166	55,000	61,084	60,000

ग्रामीण विकास मंत्रालय को जहां कुल 1,19,874 करोड़ रुपये का बजट आबंटित किया गया है, वहीं मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के आबंटन में कुछ कटौती की गई है। उदाहरण के लिए, मनरेगा में 2018-19 के संशोधित अनुमानों से गिरावट देखी गई है।

महाराष्ट्र राज्य में, वर्ष 2018-19 के दौरान, 90.8% परिवारों ने मांग की थी कि योजना के तहत काम प्राप्त करने में सक्षम था, जिनमें से केवल 10% ऐसे परिवार 100 दिनों के रोजगार को पूरा करने में सक्षम थे।

यह देखते हुए कि रोजगार की मांग अभी भी रोजगार की आपूर्ति से अधिक है, और केवल 10% परिवार वास्तव में 'गारंटीड' 100 दिनों के रोजगार को पूरा करने में सक्षम हैं, ग्रामीण रोजगार मांगों को पूरा करने के लिए मनरेगा को आबंटित धनराशि को बढ़ाया जाना आवश्यक है।

^{63*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

इसके अलावा, यह देखते हुए कि ग्रामीण विकास मंत्रालय को आबंटित धनराशि का लगभग 50% केवल मनरेगा के लिए है, जैसा कि ग्रामीण विकास पर स्थायी समिति (वर्ष 2018-19) द्वारा की गई कार्रवाई के प्रतिवेदन (52^{वां} प्रतिवेदन) में उजागर किया गया है ताकि मनरेगा के अंतर्गत धनराशि के उपयोग की निगरानी करने का उपाय किया जाना चाहिए।

महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. के अंतर्गत काम/रोजगार की कमी है। मैं केंद्र से सूखाग्रस्त राज्यों को पर्याप्त धन जारी करने का आग्रह करती हूँ, ताकि राज्य इन क्षेत्रों में अधिक काम दे सके।

पी.एम.ए.वाई.- ग्रामीण	2017/18 वास्तविक	2018/19 बजटीय अनुमान (बीई)	2018/19 संशोधित अनुमान (आरई)	2019/20 बजटीय अनुमान
रुपये करोड़ में	31163.6	27,505	26,405	258353

इसी प्रकार प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण के आबंटन में 4.5% की कमी भी देखी गई है। माननीय वित्त मंत्री के भाषण में 2022 तक 'सभी के लिए आवास' के लक्ष्य पर प्रकाश डाला गया। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि पिछले पांच वर्षों की तुलना में 2019-2022 के वर्षों में पात्र लाभार्थियों को अधिक आवास प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जब बजटीय आबंटन कम कर दिया गया है तो इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है, और यह सुनिश्चित करना है कि आवास निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता बनी रहे। इसके अलावा, ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (वर्ष 2018-19) द्वारा अनुशंसित, पी.एम.ए.वाई.-जी. के अंतर्गत सहायता हेतु लाभार्थियों की सूची में शेष रह गए बेघर परिवारों को शीघ्र शामिल करने की आवश्यकता है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	2018/19 बजटीय अनुमान (बीई)	2018/19 संशोधित अनुमान (आरई)	2019/20 बजटीय अनुमान
रुपये करोड़ में	19,000	15,500	19,000

प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के संदर्भ में, 2018-19 के संशोधित अनुमान में कमी के बावजूद, 2019-20 के लिए उसी धनराशि का आबंटन किया गया है, जो 2018-19 के बजटीय अनुमान के बराबर है। यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि जब पिछले वर्ष की बजटीय आबंटन का उपयोग कम हुआ है, तब इतनी अधिक धनराशि का आबंटन क्यों जारी रखा जा रहा है। यदि आबंटन पिछले वर्ष के बजटीय अनुमानों के अनुरूप जारी रहता है, तो ग्रामीण सड़क योजना के तहत निधियों के अपर्याप्त उपयोग, कार्य की धीमी गति तथा निर्मित सड़कों के सतत रखरखाव से संबंधित मौजूदा समस्याओं की समीक्षा आवश्यक होगी।

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	2017/18 वास्तविक	2018/19 बजटीय अनुमान (बीई)	2018/19 संशोधित अनुमान (आरई)	2019/20 बजटीय अनुमान
रुपये करोड़ में	6,613	9,429	8,251	9,682

2018/19 में, 9,429 करोड़ रुपये के बजटीय आबंटन की तुलना में पी.एम.के.एस.वाई. के तहत सिंचाई में सुधार पर केवल 8,251 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इस कम व्यय के बावजूद, 2019/20 के बजटीय आबंटन को बढ़ाकर 9,682 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

इसके अलावा, 16^{वीं} लोक सभा में एक प्रश्न के उत्तर में, यह सूचित किया गया कि पूर्ववर्ती एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) के अन्तर्गत स्वीकृत की गई 8214 परियोजनाओं में से, जिसे पी.एम.के.एस.वाई. के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यू.डी.सी.) के रूप में समाहित किया गया है, केवल 1284 को पूरा किया गया है। यह आवश्यक है कि आबंटित सभी निधियों का उपयोग करने के प्रयास किए जाएं और स्वीकृत सभी वाटरशेड विकास परियोजनाओं को पूरा किया जाए।

सिंचाई परियोजनाओं में विलंब का किसानों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कैंग के अनुसार, देरी के कारण प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2341 प्रतिशत की कुल लागत वृद्धि हुई है, जिससे वे मानसून पर निर्भर हो गए हैं। जैसा कि कैंग ने बताया, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में अनियमितता वित्तीय और कार्यान्वयन अनुशासनहीनता के कारण थीं।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	2017/18 वास्तविक	2018/19 बजटीय अनुमान (बीई)	2018/19 संशोधित अनुमान (आरई)	2019/20 बजटीय अनुमान
रुपये करोड़ में		7,000	5,500	10,001

वर्ष 2018/19 में, 7,000 करोड़ रुपये के बजटीय आबंटन की तुलना में केवल 5,500 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने पर व्यय किए गए। खर्च में इस कमी के बावजूद, 2019/20 का बजटीय आबंटन बढ़ाकर 10,001 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 2019/20 में कुल 1,38,564 करोड़ रुपये का बजट आबंटित किया गया है। यह 2018-19 के लिए संशोधित अनुमान से 82.9% की वृद्धि है। जबकि कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमानों के 92% की बजटीय वृद्धि की है, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग ने केवल 1.58% की वृद्धि की है। 2019/20 में कृषि विश्वविद्यालयों और संस्थानों के लिए आबंटित बजट 17.4% घटकर 565 करोड़ रुपये हो गया, जबकि 2018/19 के बजट में आबंटित 684 करोड़ रुपये था।

आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2017-18 में सुझाव दिया गया था कि कृषि क्षेत्र पर दबाव को दूर करने और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए “किसानों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी लाने, अलक्षित राज्य सहायता (विद्युत् और उर्वरक) के स्थान पर प्रत्यक्ष आय सहायता तथा तेजी से ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीक के माध्यम से सिंचाई का विस्तार करने के लिए निर्णायक कदम उठाने की आवश्यकता है।

आवश्यकता केवल कृषि क्षेत्र की तात्कालिक वित्तीय समस्याओं को हल करने की नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने की भी है कि कृषि क्षेत्र स्वयं अत्यंत प्रभावी ढंग से कार्य करे, जिसके लिए नवीनतम तकनीकी और वैज्ञानिक साधनों का समुचित उपयोग किया जाए। इस प्रकार कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग को भी पर्याप्त ध्यान देने और बजटीय संसाधनों के आबंटन की आवश्यकता है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बजटीय आबंटन में इतनी अधिक वृद्धि पीएम-किसान योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपये के आबंटन के कारण हुई है। प्रारंभ में यह योजना केवल छोटे और सीमांत भूमिधारक परिवारों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करने तक सीमित थी, जिनके पास कुल कृषि योग्य भूमि दो हेक्टेयर तक थी। इसे अब सभी किसान परिवारों के लिए बढ़ा दिया गया है, चाहे उनकी जोत कुछ भी हो।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपनी 2015 की रिपोर्ट के शीर्षक 'भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्याएं' में 2013 से 2015 के बीच कृषि क्षेत्र में आत्महत्याओं की संख्या में धीरे-धीरे वृद्धि का उल्लेख किया है। रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक कृषि आत्महत्या हुई। इसके अलावा, 8007 किसान आत्महत्याओं में से 72.6% आत्महत्याओं में 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान और कृषक हैं। जहाँ छोटे भूमिधारक किसानों को इस प्रकार के हस्तांतरणों का संदर्भ सराहनीय है, वहीं अन्य सभी किसान परिवारों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण हेतु एक मानक स्थापित करना आवश्यक है, ताकि ये हस्तांतरण बिना किसी समावेशन त्रुटि के प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किए जा सकें।

इसके अलावा, पीएम-किसान योजना के तहत डी.बी.टी. भूमिहीन कृषि मजदूरों को कोई सहायता प्रदान नहीं करता है, जो कृषि क्षेत्र में शामिल आबादी का एक कमजोर वर्ग हैं। कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के दौरान बहिष्कार संबंधी त्रुटियों को सुनिश्चित रूप से रोकने हेतु आवश्यक सावधानी बरती जानी चाहिए।

केंद्र द्वारा अनुमोदित न्यूनतम समर्थन मूल्य महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा 2017-18 और 2018-19 में सुझाए गए मूल्य से कम हैं। उदाहरण के लिए, 2018-19 के लिए लंबी फाइबर वाली कपास का एम.एस.पी.

केंद्र द्वारा 5,450 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो कि राज्य द्वारा सुझाए गए 7,272 रुपये प्रति क्विंटल की तुलना में काफी कम है। मैं केंद्र से अनुरोध करता हूँ कि किसानों को पर्याप्त लाभ और आय सुनिश्चित करने के लिए एम.एस.पी. की गणना अधिक व्यापक सी2 सूत्र के आधार पर की जाए।

फसल बीमा के अंतर्गत, 2016-17 से 2017-18 के बीच फसल बीमा से कवर किए गए किसानों की संख्या 5.7 करोड़ से घटकर 4.8 करोड़ हो गई है। महाराष्ट्र में 2015-16 से 2017-18 के बीच फसल योग्य क्षेत्र का बीमा प्रतिशत 38% से घटकर 27% हो गया है। पी.एम.एफ.बी.वाई. के अंतर्गत, यदि कोई ऋणी किसान बीमा दावे के लिए पात्र है, तो दावाकृत धनराशि उनके ऋण खाते में जमा की जाती है। इससे कई बार उनकी दावे की धनराशि ऋण की पुनर्भुगतान में चली जाती है और फसल हानि के कारण होने वाली आय हानि का बोझ किसान पर बना रहता है।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उपज हानि का आकलन करने हेतु संचालित फसल क्षति मूल्यांकन (जिसे फसल कटाई प्रयोग कहा जाता है) से संबंधित जानकारी सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, तथा इन प्रयोगों का संचालन अपेक्षित परिशुद्धता, पारदर्शिता एवं तत्परता के साथ नहीं किया जा रहा है। फसल बीमा प्रणाली में तीन प्रमुख हितधारक होते हैं — राज्य सरकार, केंद्र सरकार और किसान — जिनके हित अक्सर परस्पर विरोधी होते हैं। भारत में अपनाया जाने वाला फसल बीमा मॉडल विकसित देशों में अपनाए गए मॉडल पर आधारित है, जहाँ फसल क्षेत्र का लगभग पूरा (100%) बीमा किया जाता है। जबकि भारत में 2017/18 तक, सकल फसल क्षेत्र का केवल 25% बीमा किया जाता है। इसलिए हमें भारत के लिए वैकल्पिक उपयुक्त मॉडल का प्रस्ताव करने और फसल बीमा से संबंधित सभी दावों का निपटान करने के लिए स्वतंत्र नियामक निकाय की आवश्यकता है।

श्री सुनील कुमार मंडल (वर्धमान पूर्व): मुझे आज यहां बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद, महोदय।

मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता तथा अपनी नेता माननीय श्रीमती ममता बनर्जी जी के लिए यह भाषण तैयार किया है, जिनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन के कारण ही मैं आज इस सभा में उपस्थित होकर अपनी बात रख पाने में सक्षम हूँ। इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालयों के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों पर बंगाली भाषा में बोलने की अनुमति दी जाए।

^{64*}आदरणीय सभापति महोदय, वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा कृषि विकास है। कृषि का विकास, मंत्रालय के 5 विभागों से जुड़ा हुआ है। इनमें कृषि, सहयोग एवं किसान कल्याण; कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा; पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन; जल शक्ति तथा उर्वरक जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय सम्मिलित हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि इन पांचों विभागों से उनका कार्यात्मक संबंध किस प्रकार स्थापित है। आप कह रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे। इसके लिए आपको किसानों तथा संबंधित पांच विभागों के साथ मिलकर कार्य करना होगा। आज की वित्तीय स्थिति को देखें। इसी के अंतर्गत प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना भी है। 2017-18 के सर्वेक्षण के अनुसार, 52 से 60 प्रतिशत उपजाऊ भूमि इस कृषि सिंचाई योजना के तहत नहीं आती है। यदि आप वास्तव में किसानों की आय दोगुनी करना चाहते हैं, तो इस योजना में सभी भूमि को शामिल करना अनिवार्य है। आज जल संसाधन को जल शक्ति विभाग के रूप में नामित किया गया है। मीठे पानी की मात्रा क्या है? यह केवल 2.97% है। तो आप मीठे पानी को कैसे संरक्षित करेंगे? इसके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? यदि नहीं, तो आप कृषि आय कैसे बढ़ा सकते हैं?

[हिन्दी]

माननीय सभापति : मंडल जी, अपनी बात समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

^{64*} मूलतः बंगाली में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

श्री सुनील कुमार मंडल: इसके साथ ही, किसानों की संख्या धीरे-धीरे कम हो रही है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में कृषि क्षेत्र में भागीदारी दर 18.2% थी, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 में घटकर 16.4% रह गई। कृषि विकास दर वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2.1% रही। यह स्पष्ट है कि किसान अब कृषि को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं। किसान अब खेती करने में इच्छुक नहीं रह गए हैं। अनेक माननीय सदस्यगण ने किसानों द्वारा आत्महत्या की समस्या को गंभीरता से उठाया है। हमें इस दुखद प्रवृत्ति के मूल कारणों का गंभीरता से विश्लेषण करना आवश्यक है। वर्तमान में किसानों को 6000 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। किसान भिखारी नहीं हैं। उन्हें मात्र छह हजार रुपये की नगद सहायता की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, उन्हें सब्सिडीयुक्त ऋण प्रदान करें; उर्वरकों पर सब्सिडी दें। उन्हें कृषि सिंचाई योजना के तहत भी शामिल करें। आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि जब खेती का मौसम शुरू होता है, तो किसान उच्च मूल्य पर उर्वरक खरीदने के लिए मजबूर होते हैं। आप अच्छी गुणवत्ता के बीज उचित मूल्य पर प्रदान कर सकते हैं। माननीय मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं। विपक्ष निश्चित रूप से कमजोर है। हम आपके संदेशों को जनता तक पहुँचाने में असमर्थ रहे हैं। यह हमारी कमजोरी है, आपकी नहीं। आप हमेशा लाभ और राजनीतिक आधार पाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम आम जनता की अधिक मदद करने में असमर्थ हैं। निस्संदेह, इस दोष की जिम्मेदारी हमारी है। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और 'हर बूंद से अधिक उपज' की बात करती है। फिर भी आज किसानों को खुले बाजार से उधार लेने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ता है? आप किसान क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि कौन-सी बैंक किसानों को ऋण प्रदान करती है? कौन-सी बैंक गरीब कृषकों को ऋण सुविधा देती है? वास्तविकता यह है कि उन्हें बैंक से ऋण प्राप्त नहीं होता। सरकार को इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। किसान ऋणग्रस्तता के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए ऐसे बाजार स्थापित नहीं किए गए हैं जहाँ उन्हें उचित मूल्य मिल सके। आप उनकी आय कैसे बढ़ा सकते हैं? इसी कारण कई किसान कृषि व्यवसाय छोड़ रहे हैं। सूखे, बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को हुए नुकसान का उन्हें उचित मुआवजा प्राप्त नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में कृषि आय को दोगुना करना मात्र एक स्वप्न एवं कल्पना बनकर रह जाता है। महोदय, कृपया इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करें।

[हिन्दी]

माननीय सभापति: मंडल साहब, अब बैठ जाइए।

माननीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : मंडल साहब, आपकी बात आ गई है। अब मैंने अगला नाम बोल दिया है। ऐसे नहीं होता है।

65* श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर): वर्ष 1947 में आज़ादी के समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व वाली भारत सरकार को बिखरी हुई और बेजान अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी। अधिकांश आबादी अनपढ़ और गरीब थी। तब जी.डी.पी. विकास दर लगभग शून्य थी। 1943 के बंगाल अकाल में कम से कम तीस लाख का मौत हुई थी। विभाजन ने लाखों लोगों को शरणार्थी बना दिया था। स्वतंत्रता पूर्व पंजाब का अधिकांश नहर-सिंचित क्षेत्र पश्चिमी पंजाब में था, जो पाकिस्तान में चला गया। अन्न की बेहद कमी थी। इस समय नेहरू जी ने कहा, “बाकी सब कुछ इंतज़ार कर सकता है, लेकिन कृषि नहीं।”

वर्ष 1952 में संसद को सम्बोधित करते हुए एक भाषण में नेहरू जी ने कहा, [अनुवाद] “हम निश्चय ही उद्योग को महत्व देते हैं, लेकिन वर्तमान संदर्भ में हम कृषि, खाद्य एवं कृषि संबंधित मामलों को कहीं अधिक प्राथमिकता देते हैं। यदि हमारी कृषि की नींव मजबूत नहीं होगी, तो जिस उद्योग को हम स्थापित करना चाहते हैं, उसकी भी मजबूत आधारशिला नहीं हो सकेगी। इसके अलावा, यदि हमारा खाद्य सुरक्षा तंत्र कमजोर पड़ता है, तो बाकी सभी क्षेत्र भी प्रभावित होंगे। यदि हमारी कृषि मजबूत और स्थिर हो जाती है, जैसा हम अपेक्षा करते हैं, तो औद्योगिक विकास में भी हमें तेजी से प्रगति करना आसान होगा। लेकिन यदि हम केवल औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित करें और कृषि क्षेत्र को कमजोर छोड़ दें, तो अंततः इसका प्रभाव उद्योग की मजबूती पर भी पड़ेगा।

[हिन्दी]

इस दृढ़ संकल्प और विजन के साथ नेहरू जी ने देश में कृषि के लिए अनुसंधान और वैज्ञानिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। [अनुवाद] भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (पूसा संस्थान) के स्नातकोत्तर विद्यालय; केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला; केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (मैसूर); गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर (1960); ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर (1962); और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना

65* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

(1963) नेहरू जी के कार्यकाल में ही स्थापित हुए। जब वो 8 जुलाई, 1963 को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना का उद्घाटन करने आये थे तब मेरे पिता मास्टर गर्बता सिंह पंजाब के कृषि मंत्री थे।

कृषि संस्थानों और विश्वविद्यालयों [हिन्दी] के साथ-साथ उन्होंने बांध और सिंचाई प्रणाली की स्थापना पर भी ज़ोर दिया। उस समय पंजाब में भाखड़ा बांध, ओडिशा में हीराकुंड बांध, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं थे। उस समय भाखड़ा बांध एशिया का एकमात्र ऐसा बांध था जिसकी बिजली उत्पादन क्षमता 1500 मेगावाट (एम.डब्ल्यू.) थी।

नेहरू जी ने देश के विभिन्न हिस्सों में उर्वरक और कीटनाशक कारखानों की स्थापना करवाई और सामुदायिक तथा सहकारिता परियोजनाओं को बढ़ावा दिया। उन्होंने गुजरात के आनंद में अमूल के एशिया में अपनी तरह के सबसे बड़े प्लांट का उद्घाटन किया। उनके लिए ये वैज्ञानिक संस्थान, बांध तथा पौधे "आधुनिक भारत के मंदिर" थे। पंडित नेहरू द्वारा कृषि अनुसंधान, बिजली उत्पादन और सिंचाई प्रणालियों पर ध्यान और निवेश ने ही हरित क्रांति और सफ़ेद क्रांति की नींव रखी।

इस नींव पर, भारत के अगले प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने हरित क्रांति की इमारत का निर्माण किया। भारतीय इतिहास में पहली बार हम निर्वाह खेती, आदिम तकनीकें, कम पैदावार तथा अनगणित अकालों को पीछे छोड़ बहुत अधिक पैदावार, उन्नत वैज्ञानिक तकनीकें और खाद्य अधिशेष की तरफ बढ़े। कांग्रेस सरकार ने उच्च उपज विविधता कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें पांच प्रमुख खाद्यान्न गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा शामिल थे। ये बीज उर्वरक के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील, सूखा प्रतिरोधी, जल्दी बढ़ने वाले और देसी किस्मों से दो से चार गुना अधिक पैदावार देते थे। पंजाब के लोगों ने शास्त्री जी की "जय जवान, जय किसान" की पुकार सुनी और सरहद और खेत दोनों जगह पसीना बहाया। हम बॉर्डर और खेत दोनों जगह जीते। इससे पहले, एक किसान अपने परिवार के गुजारे भर के लिए अन्न का उत्पादन किया करता था। अब, उसने पूरे देश के लिए पर्याप्त उत्पादन शुरू कर दिया और हम दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी अन्न निर्यात करने लायक बने। 1966 से अनाज का उत्पादन काफी बढ़ गया और चार साल के भीतर, मैक्सिकन बीजों के कारण गेहूं का उत्पादन दोगुना हो गया। मैं पंजाब और भारत के

किसानों को देश को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने के लिए धन्यवाद देता हूँ और उनका अभिनन्दन करता हूँ।

श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में अगले दशक में कृषि अनसंधान और शिक्षा का विस्तार हुआ। उन्होंने फ़सलों की मार्केटिंग और किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाने के लिए कई कदम उठाये। एक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना की गई। इन सभी कदमों के कारण गेहूँ और चावल जैसी फसलों की उत्पादकता और उत्पादन में उछाल आया। कृषि मंत्री के रूप में बाबू जगजीवन राम ने मजबूत नेतृत्व, नीति मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान किया।

नेहरू सरकार ने भारत में आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था की नींव भी रखी। सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कामकाज की जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी को नियुक्त किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर कई राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के लिए कानून पारित किए। पीवी नरसिम्हा राव जी ने संविधान में दो व्यापक 73वें और 74वें संशोधन पारित किए और तीन स्तरीय स्थानीय प्रशासन को एक संवैधानिक ढाँचा प्रदान किया। इन संशोधनों के जरिये महिलाओं, एससी और एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई। संविधान के भाग 9 द्वारा कवर की गई पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं के 1/तिहाई और अध्यक्ष के 1 तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार देश की सभी पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 50% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक लोकसभा में लाया। श्रीमती सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 भी पारित किया, जिस से देश के प्रत्येक नागरिक को भोजन का अधिकार मिला।

अब हम इस वर्ष के बजट और अनुदानों की मांग की तरफ आते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि वे जो कुछ भी करते हैं। उसके केंद्र में वे "गाँव गरीब और किसान" को रखते हैं। यह दावा एक सफ़ेद झूठ के अलावा और कुछ नहीं है।

सरकार के अपने प्रलेख आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2018-19 के अनुसार कृषि और अन्य क्षेत्रों में सकल मूल्य वर्धित (जी.वी.ऐ.) वृद्धि दर 2016-17 में 6.3 प्रतिशत घटकर 2018-19 में 2.9 प्रतिशत हो गई है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आखिरी तिमाही (जनवरी 2019 –मार्च 2019) में जी.वी.ऐ वृद्धि दर में न केवल गिरावट आई, बल्कि यह नकारात्मक थी (- 0.1%). मतलब जो हमारे पास पहले से था, हमने वो भी गँवा दिया। इसके अलावा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी लगातार घट रही है। कुल जी.वी.ऐ में कृषि जी.वी.ऐ. का हिस्सा 2011-12 में 18.5 प्रतिशत से गिरकर 2018-19 में 14.4 प्रतिशत (अनंतिम अनुमान) हो गया है। खेती में आमदन लगातार कम हो रही है पर अर्थव्यवस्था की हालत ऐसी है कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में भी रोज़गार नहीं मिल रहा है। 2018-19 में खाद्य कीमतों में काफी गिरावट आई क्योंकि साल भर की औसत उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति लगभग शून्य प्रतिशत थी। पांच महीनों के लिए तो यह नकारात्मक थी। फलों, सब्जियों और दालों की कीमतों में भारी गिरावट आई। उपभोक्ताओं के लिए तो कम मुद्रास्फीति फायदेमंद है, लेकिन उत्पादकों, किसानों की आमदन, जो पहले से ही कम थी और कम हो गई। खेती के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी लगातार कम होती जा रही है क्योंकि उनके लिए भी कृषि घाटे का सौदा साबित हो रही है। सकल पूंजी निर्माण निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 2013-14 में 88.1% से घटकर 2016-17 में 82.7 प्रतिशत हो गई है। 2016 - 17 के बाद का डेटा उपलब्ध नहीं है।

जब कृषि विकास दर खेती की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी, प्राइवेट सेक्टर हिस्सेदारी, किसानों की आमदन सब कम हो रहे हैं तो सच बात यह है कि गाँव, गरीब और किसान घाटे के केंद्र में हैं, सरकार के केंद्र में नहीं।

इस सरकार द्वारा एक बार-बार दोहराया गया वादा 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। मैं एक आसान सवाल पूछना चाहता हूँ: इस वक़्त किसानों की आय क्या है? जब यह वादा किया गया था तब किसानों की आय क्या थी? कितनी प्रगति हुई है? क्या किसानों की आय डेढ़ गुनी हो गई है? 2015-16 में जब सरकार ने यह वादा किया तो उन्होंने किसानों की आय जानने के लिए कोई सर्वेक्षण या अध्ययन नहीं किया और केवल 2012-13 के कृषि से संबद्ध परिवारों की स्थिति का आकलन करने सम्बन्धी सर्वेक्षण. एन.एस.एस.ओ. 70वां दौर के आंकड़ों से इसका अनुमान लगाया। यह लक्ष्य सिर्फ एक जुमला है। 2015-

16 से 2022 तक सात वर्षों में किसानों की आय दोगुनी होने के लिए जरूरी है कि कृषि क्षेत्र में प्रति वर्ष 10.4 प्रतिशत की दर से वृद्धि होनी चाहिए और पिछले पांच वर्षों में यह केवल 2.9% की दर से बढ़ी है। यू.पी.ए. 1 में विकास दर 3.1 प्रतिशत थी और यू.पी.ए. 2 के दौरान 4.3 प्रतिशत थी। एग्री एक्सपोर्ट, जो 2013-14 में 43.6 बिलियन डॉलर तक पहुँचे, वो 2018-19 आते आते 39.4 बिलियन डॉलर रह गए। जब कृषि क्षेत्र में भारी गिरावट हो रही है तो किसानों की आमदनी कैसे होगी?

किसानों की आय को दोगुना करने का सबसे सरल तरीका है कि उनको उनकी फसल का सही दाम दिया जाए। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) बढ़ाया जाए। लेकिन इस सरकार द्वारा एम.एस.पी. में वृद्धि बहुत कम रही है। यूपीए सरकार के दौरान गेहूँ के दाम की औसत वार्षिक वृद्धि 8% थी। इस सरकार के दौरान यह 5.6% है। धान के एम.एस.पी. की वृद्धि दर यूपीए सरकार के दौरान 9% थी और इस सरकार के दौरान वृद्धि केवल 6 प्रतिशत है। यूपीए सरकार के समय मूंग दाल का एम.एस.पी. 12% की दर से बढ़ा और इस सरकार में यह वृद्धि 9% है। यूपीए के दौरान अरहर के दाम की वृद्धि दर 12% थी, जबकि इस सरकार के दौरान यह सिर्फ 5.7% है। बाजरे की वृद्धि दर तब 9%, अब 5.5%, मूंगफली की तब 10% और अब सिर्फ 4% रही है। इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सरकार द्वारा एमएसपी में ज्यादा वृद्धि चुनावी वर्ष 2018-19 के दौरान की गई थी। यदि हम एमएसपी में इस वृद्धि को हटा देते हैं, तो हालत और भी खराब हो जाती है।

फसल की कम कीमत, बढ़ती इनपुट लागत और बढ़ते कर्ज के बोझ के कारण किसानों की आत्महत्याएं भी बढ़ रही हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) के आंकड़ों के अनुसार 2004 में 18,241 किसानों ने आत्महत्या की थी। 2013 तक यह संख्या घटकर 11,772 हो गई। लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में किसानों की आत्महत्या फिर से बढ़ने लगी और 2015 में खेती के क्षेत्र में 12,602 आत्महत्याएँ हुईं। उसके बाद से एन.सी.आर.बी. ने आंकड़े प्रकाशित नहीं किए हैं। यह भी इस सरकार की एक और विशेषता है। जब जब इस सरकार को कोई डेटा पसंद नहीं आता है, ये या तो उसे रिलीज़ करना बंद कर देते हैं या फिर उसका प्रकाशन देर से होता है। उदाहरण के लिए, इन्होंने इस साल चुनाव से पहले

बेराजगारी पर एन.एस.एस.ओ. का डेटा जारी नहीं किया, ताकि हमें इस सरकार की वास्तविक उपलब्धियों की जानकारी न मिल सके। किसी समय अदम गोंडवी जी ने लिखा था:

आपकी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है

लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है

लेकिन यहाँ न तो फाइल हैं, न ही आँकड़े। आँकड़ों की जितनी हेराफेरी इस सरकार ने की है, उतनी शायद ही किसी ने की हो।

समाचार रिपोर्टों और विशेषज्ञों के अनुसार, खेती के क्षेत्र में आत्महत्याएं खतरनाक दर से बढ़ रही हैं। हर साल कम से कम 15,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने देश भर के किसानों के 72,000 करोड़ रुपये के कर्ज माफ किए। पंजाब में हमारी कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने लगभग 5,000 करोड़ रुपये के किसानों और मजदूरों के कर्ज माफ किए हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने पिछले साल विधान सभा चुनावों से पहले वादा किया था कि यदि हमारी पार्टी चुनाव जीत जाती है तो ऋण माफ करना हमारा पहला काम होगा और हमने किया भी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस सरकारों ने 40,000 करोड़ रुपये के कर्ज माफ किए हैं। हम सिर्फ कर्ज ही माफ नहीं कर रहे बल्कि किसानों को "कर्जा माफ़ी" से "कर्जा मुक्ति" की तरफ ले जा रहे हैं। यह हमारे लिए शर्म की बात है कि जो देश का अन्नदाता है, उसे और उसके परिवार को ही भूखे पेट सोना पड़ रहा है। उन्होंने मिट्टी से सोना पैदा कर लिया और इस सरकार के लिए उनकी ज़िन्दगी की कीमत मिट्टी के बराबर भी नहीं है। इसीलिए किसान कहता है:

जला कर राख को मैंने एक सूरज उगाया है

साँसों के लिबास में एक शमशान बसाया है

मैं इस सरकार, माननीय कृषि मंत्री जी से अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द भारत के सारे किसानों का कर्जा माफ़ किया जाए ताकि हमारे एक भी किसान भाई बहन को आत्महत्या के रास्ते न जाना पड़े।

इस सरकार ने नोटबन्दी जैसा बेतुका और बिना सोचा समझा फैसला करके भी किसानों का बहुत नुकसान किया। एक ही झटके में फ़लों, सब्जियों के दाम 20% तक गिर गए और किसानों को बड़ा घाटा उठाना पड़ा। नक़द की उपलब्धता न होने के कारण बीज, उर्वरक वगैरह खरीदने में भी बेहद दिक्कत आई। किसान खेत मज़दूरों की मज़दूरी भी नहीं दे पाए। इतना ही नहीं, दो साल बाद कृषि मंत्रालय ने जो वित्त सम्बन्धी स्थाई समिति को रिपोर्ट दी की, जिसमें खेती और किसानों पर नोटबन्दी के बुरे प्रभावों को बताया गया था, उस पर भी वापस ले लिया और रिपोर्ट बदल दी। दूसरा, जीएसटी आने के बाद खेती की कई गैर-कर दरों को पहले बढ़ाया गया, जो बाद में कम कर दिया गया। इस वक़्त किसानों को हमारी सख़्त जरूरत है। मेरी मांग है कि खेती में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे बीज, उर्वरक, ट्रैक्टर, मशीनरी वगैरह को जी.एस.टी. की 0% स्लैब में लाया जाए ताकि किसान इन चीज़ों को सस्ती दरों पर खरीद सकें और उनका खर्चा कम हो।

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा, [अनुवाद] "भारत की जल सुरक्षा को सुनिश्चित करना और सभी भारतीयों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल तक पहुंच प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में एक बड़ा कदम जल शक्ति मंत्रालय का गठन करना है, जिसमें जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को एकीकृत किया गया है।"

मेरा सवाल है, "गंगा साफ़ हो गयी है क्या?" वर्ष 2014 में मंत्रालय का नाम बदलकर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय रखा गया। जब गंगा माँ को साफ़ करने का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो फिर एक बार मंत्रालय का नाम बदल दिया गया। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूँ कि नाम बदलने से काम नहीं होते हैं। पहले यू.पी.ए. की योजनाओं के नाम बदल लिए और अब खुद के रखे हुए नाम भी बदल रहे हैं।

मैं भूजल स्तर के गिरने की समस्या का बजट स्पीच में उल्लेख करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा, [अनुवाद] "सरकार ने 1592 ब्लॉकों की पहचान की है जो महत्वपूर्ण

और अति शोषित हैं, जल शक्ति अभियान के लिए 256 जिले में फैले हुए हैं" [हिन्दी] मैं सदन और सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ पंजाब में कुल 140 ब्लॉकों में से 110 ब्लॉक अति शोषित हैं। मेरी अपनी निर्वाचन-क्षेत्र जालंधर में सारे के सारे दस ब्लॉक अति-शोषित हैं। यह एक गंभीर संकट है, आपातकाल है। मेरा राज्य रेगिस्तान बनने के कगार पर है। इस चिंताजनक स्थिति के बावजूद वित्त मंत्री ने सिर्फ इतना कहा, [अनुवाद] "विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध धन का उपयोग करने के साथ-साथ, सरकार इस उद्देश्य के लिए प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (सीएमपीए) के अतिरिक्त उपलब्ध धन का उपयोग करने की संभावना भी तलाशेगी। [हिन्दी] यह वक्त संभावनाएं तलाश करने का नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि भूजल प्रबंधन और कायाकल्प के लिए एक समर्पित स्कीम लांच की जाए और इसे ज्यादा से ज्यादा धनराशि आबंटित की जाए। पंजाब अन्नदाता होने के साथ-साथ पंजाब जलदाता भी है। नदियों और कृषि के माध्यम से हम विदेश और भारत के अन्य राज्यों को पानी निर्यात कर रहे हैं। गेहूं-धान के चक्र के कारण पंजाब में कृषि के लिए बहुत सारे भूजल का उपयोग किया जाता है। हमें फसल विविधिकरण की आवश्यकता है। लेकिन जब किसान दूसरी फसलें, फल और सब्जियां उगाते हैं, तो उन्हें उचित मूल्य नहीं मिलता। उदाहरण के लिए कई सालों से पंजाब में आलू की बंपर पैदावार हुई है, लेकिन अच्छे दाम न मिलने के कारण किसानों को बहुत घाटा उठाना पड़ा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि सब्जियों और फलों को भी एमएसपी के तहत लाया जाए। मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ कि पंजाब में एक लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में आलू उगाया जाता है और उत्पादन 27 लाख टन से ज्यादा है। इसमें से ज्यादातर पैदावार दोआबा क्षेत्र में ही होती है। मगर पंजाब में आलू के दाम राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम रहते हैं। इसलिए मेरी इस सरकार से मांग है कि एक मेगा फूड प्रोसेसिंग प्लांट जालंधर में लगाया जाए ताकि किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिले और युवाओं को रोजगार भी मिल सके।

लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमें "जय जवान, जय किसान" का नारा दिया। वाजपेयी जी ने इसे बढ़ाकर "जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान" कर दिया। इसी साल के शुरू में मोदी जी भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधन करने के लिए मेरे निर्वाचन-क्षेत्र जालंधर आए और उन्होंने इसमें "जय अनुसंधान" को जोड़ा। लेकिन उनकी अपनी ही सरकार ने इस बजट में कृषि अनुसंधान के आबंटन कम कर दिए हैं। [अनुवाद]

कृषि विस्तार, कृषि अभियांत्रिकी, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, फसल विज्ञान, बागवानी विज्ञान, पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान, कृषि विश्वविद्यालय एवं संस्थान तथा आर्थिक सांख्यिकी एवं प्रबंधन इन सबके लिए फंड की कमी है। केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं का कुल परिव्यय 2,915 करोड़ रुपये (2018-19 बीई) से 2,699 रुपये (2019-20 बीई) कर दिया गया है। सरकार ने भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (आई.सी.ए.आर.) के बजट को भी 5,056 करोड़ रुपये (2018-19 आरई) से घटाकर 4,869 (2019-20 बीई) कर दिया है। [हिंदी] ऐसे समय में जब निजी क्षेत्र खेती से बाहर निकल रहा है और विकास दर गिर रही है, कृषि अनुसन्धान और शिक्षा में सरकारी निवेश बहुत जरूरी है। लेकिन यह सरकार न केवल उपलब्ध निधि को कम कर रही है, बल्कि कृषि संस्थानों में खाली पदों को भी नहीं भर रही है। भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान (पूसा संस्थान), जिसने हरित क्रांति में इतना योगदान दिया, पिछले तीन सालों से अधिक समय से नियमित निर्देशक के बिना काम कर रहा है। आई.सी.ए.आर. के अधीन 100 से अधिक संस्थान हैं और उनमें से आधे से अधिक नियमित निर्देशकों के बिना काम कर रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सभी खाली पदों को जल्द से जल्द भरें और कृषि अनुसंधान के लिए राशि में बढ़ोतरी करें नहीं तो "जय अनुसंधान" भी "अच्छे दिन" की तरह बस एक नारा बनकर ही रह जायेगा।

हालांकि ग्रामीण विकास विभाग के लिए कुल आबंटन में वृद्धि हुई है, इसके व्यय दर में धीरे-धीरे गिरावट आ रही है। पिछले दस वर्षों में ग्रामीण विकास विभाग के खर्च में औसत वृद्धि 8.7% रही है, लेकिन वर्ष 2018-19 में यह वृद्धि केवल 4 प्रतिशत रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा) के लिए धनराशि 61,088 करोड़ रुपये से घटाकर 60,000 करोड़ रुपये कर दी गई है। पिछले पांच वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि मनरेगा के लिए आबंटन कम किया गया है। [अनुवाद] सरकार ने कहा है कि यह एक मांग आधारित योजना है और यदि आवश्यक हो तो अधिक राशिराशि प्रदान की जाएगी। [हिन्दी] लेकिन डिमांड के बावजूद कम परिवारों को मनरेगा के तहत काम दिया जा रहा है। 2012-13 में मनरेगा के तहत 97% प्रतिशत घरों को रोजगार दिया गया। 2018-19 तक घटते घटते यह 84% पर आ गया। मतलब 100 लोग माँग कर रहे हैं तो रोजगार सिर्फ 84 लोगों को मिल रहा है। इसी तरह रोजगार के औसत दिन 2015-16 में 49 दिन से घटकर 2017-18 में 46 दिन रह गए हैं। इसका मतलब है कि ग्रामीण

क्षेत्रों में मनरेगा की भारी मांग है, लेकिन सरकार पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं करा रही है। इसके अलावा पूरे हो चुके कार्य का प्रतिशत वर्ष 2012-13 में 100% से घटकर वर्ष 2017-18 में 72% रह गया है। सरकार इस स्कीम को चलाने में बेहद नाकाम साबित हो रही है। न तो वो इसको कुशल तरीके से चला रही है और न ही रोजगार की मांग करने वाले लोगों को रोजगार दे रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के लिए आबंटन भी 21,000 करोड़ रुपये वर्ष (2018-19 बीई) से घटाकर 19,000 रुपये (2019-20 बीई) कर दिया गया है। साथ ही, पिछले दो वर्षों में बजट आबंटन का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है। निर्माण लक्ष्य और निर्मित मकानों के बीच एक बड़ा अंतर है। 2018-19 में, लक्ष्य 25,16,481 मकान थे और निर्मित मकान सिर्फ 21,51,244 थे। पिछले पांच वर्षों में सरकार ने अपना लक्ष्य कभी हासिल नहीं किया है और फिर भी दावा है कि सरकार सबको 2022 तक मकान उपलब्ध करवा देगी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए आबंटन पिछले वर्ष जितना ही है (19000 करोड़ रुपये), लेकिन इस योजना के तहत भी धन का उपयोग 100% नहीं है। पिछले तीन वर्षों के लिए, सरकार ने बजट अनुमानों से कम खर्च किया है। संशोधित अनुमान के अनुसार, पिछले वर्ष 18.4% कम खर्च हुआ। यह एक चिंताजनक प्रवृत्ति है और मैं सरकार से सभी आवंटनों का पूर्ण और कुशलतापूर्वक उपयोग करने का अनुरोध करता हूँ ताकि देश में सभी लोगों को सभी मौसमों में सड़कों तक पहुंच मिल सके।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) के लिए आबंटन भी 9,975 रुपये (2018-19 बीई) से घटाकर 9,200 रुपये (2019-20 बीई) कर दिया गया है। [हिन्दी] इस कार्यक्रम में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन और पारिवारिक लाभ से संबंधित विभिन्न योजनाएँ शामिल हैं। इस योजना में पिछले पांच वर्षों से निरंतर निधि की ग्रामीण विकास पर कम उपयोग पर स्थाई समिति के अनुसार इसका एक कारण धनराशि का समय पर जारी न होना है। इसी तरह, डिजिटल इंडिया भू -अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का वास्तविक व्यय भी बजट की तुलना में लगातार कम रहा है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में जीरो बजट फार्मिंग का उल्लेख किया और कहा कि "हम मूल आधार पर वापस जाएंगे"। लेकिन इस पहल के लिए कोई आबंटन नहीं किया गया है। न्यूज रिपोर्टों के अनुसार, सरकार ने भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद को जीरो बजट फार्मिंग की कुशलता अध्ययन करने के लिए कहा है। नीति उद्योग के सदस्य प्रोफ़ेसर रमेश चंद के अनुसार "जीरो बजट खेती के परिणामों पर अब तक कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है। हम किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले रिपोर्ट का आकलन करेंगे, जो आई.सी.ए.आर. प्रस्तुत करेगा।" अगर कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और आपने इसका अध्ययन करना था, तो सरकार ने इसकी घोषणा क्यों की? यह किसानों के साथ धोखा धड़ी है, फ़रेब है। जीरो बजट फार्मिंग के नाम पर सरकार का मक़सद बस अपनी जिम्मेवारी किसानों पर थोपने का है। इस से पता चलता है कि सरकार के पास किसानों की मदद करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए कोई रोडमैप नहीं है और यह केवल सम्भावना और सुनी सुनाई बातों से ही काम चला रही है। कुल मिलाकर इस बजट में गाँव, गरीब और किसान के लिए कुछ भी नहीं है।

यह बजट गरीबों और किसानों के साथ एक मज़ाक है। महज 6000 रुपए देकर आप किसानों का मुंह बंद करना चाह रहे हैं। मैं माननीय कृषि मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं, उस पर श्री राजेंद्र प्रसाद, श्री चिदंबरम सुब्रमण्यम, बाबू जगजीवन राम जी और शरद पवार जी जैसे नेता विराजमान रहे हैं। इसलिए उनकी बहत बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस सरकारों ने संस्थान बनाए, क़र्ज़ माफ़ किया, हरित क्रांति लाया और अब हम सब पर एक हरित क्रांति लाने की जिम्मेदारी है।

मैं अंत में अपने राज्य पंजाब के हित की बात करना चाहता हूँ। केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल पूल के लिए खाद्यान्न की खरीद के लिए राज्यों को आर.बी.आई. की तरफ से कैश क्रेडिट लिमिट (सी.सी.एल.) दी जाती है। राज्य की पिछली अकाली दल-भाजपा सरकार के समय खरीद एजेंसियों की लेखा किताबों में जो अनाज भण्डारण था और जो कैश क्रेडिट उन्होंने लिया था, उसमें भारी अंतर पाया गया। दस वर्ष में ब्याज मिलाकर यह उधार करीब 31000 करोड़ रुपये का हो गया। पिछली सरकार ने इस गलत मिलान की जिम्मेवारी फिक्स करने और राज्य सरकार का केस केंद्र के सामने सही तरीके से पेश करने की बजाय इस लोन को 20 वर्ष में किश्तों में वापस करने की सहमति दे दी। हमें हर साल 3240 करोड़ रुपए चुकाने पड़

रहे हैं। हमने तब भी इसका विरोध किया था और इसकी उच्च स्तरीय जाँच की मांग की थी। [हिन्दी] यह पंजाब और पंजाबियों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है कि अकाली-भाजपा के नेताओं की गलती की सजा उनको मिले। केन्द्रीय भंडार में पंजाब का योगदान सबसे ज्यादा है। हर वर्ष 250 लाख मीट्रिक टन से अधिक अनाज की खरीद पंजाब में राज्य खरीद एजेंसियाँ और एफसीआई के माध्यम से की जाती है। गलत नीतियों के कारण ही पंजाब पर दो लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा हो गया है। अब यह विरासत ऋण की देनदारी आ जाने के कारण कर्ज और भी बढ़ गया है और हमारे विकास कार्यों पर इसका असर पड़ रहा है। हमने पहले छद्म युद्ध लड़ा, अब नशीले पदार्थों के आतंकवाद से लड़ रहे हैं। माननीय मंत्री जी और सरकार से मेरा अनुरोध है कि देश के लिए हमारे बलिदान और योगदान को ध्यान में रखते हुए इस खाद्य लेखा को माफ किया जाए। इसको लेकर हमारे मुख्य मंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंह जी भी खाद्य मंत्री, वित्त मंत्री और माननीय प्रधान मंत्री जी से मिल चुके हैं। मेरा इस सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी लोन को क्लियर किया जाए।

धन्यवाद।

सायं 7.38 बजे**कार्य मंत्रणा समिति****चौथा प्रतिवेदन**

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य मंत्रणा समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, दूसरा विषय यह कहना है कि भोजन की व्यवस्था की गई है। कमेटी रूम नम्बर-70 में भोजन की व्यवस्था है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मंडल साहब, आपकी बात आ गई है।

...(व्यवधान)

सायं 7.39 बजे**केन्द्रीय बजट – वर्ष (2019-2020)****अनुदानों की मांगें****ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ...जारी**

श्री देवजी पटेल (जालौर): सभापति महोदय, आज आपने मुझे कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

सभापति महोदय, मैं देश के सम्माननीय प्रधान मंत्री जी और सम्माननीय कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि देश के अन्नदाता को आपने लगभग 78 प्रतिशत बढ़ाकर बजट दिया। लोग बोलते हैं कि भारत देश में 60 से 65 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है।

सभापति महोदय, 60-70 प्रतिशत जनसंख्या नहीं बल्कि 80-90 प्रतिशत जनसंख्या कहें तो भी चलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से व्यापारी हैं और अगर उन व्यापारियों को भी गिना जाए तो वे भी कृषि से जुड़ हुए हैं। किसान के घर में कुछ आवक होगी, इनकम होगी तो वे जब अपना मकान बनाएंगे तो वे उसके लिए भी सीमेंट, चूना, सरिया, सभी सामान ले कर आएंगे, जिससे उन व्यापारियों का भी व्यापार फलेगा-फूलेगा। उनके घर में पैसे आएंगे तो वे मोटरसाइकल्स, कार या ट्रैक्टर्स खरीदेंगे तो वे पेट्रोल पंप्स भी चलेंगे, जिन पर पेट्रोल या डीजल भरा जाएगा। गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल भरेंगे तो नेचुरल है कि गाड़ियों के टायर भी घिसेंगे और टायरवालों की दुकान भी चलेगी। टायरवालों की दुकान चलेगी तो नेचुरल है कि उनके घर में शादी-ब्याह होंगी तो कैटरिंग और टेन्ट वालों का काम चलेगा। 60-70 फीसदी नहीं बल्कि 80-90 फीसदी जनसंख्या कृषि आधारित जनसंख्या है। पहले उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा था।

पहले एक विषय आता था कि फसल बर्बाद हुई तो बच्चे को गिरवी रख दिया। एक किसान की फसल बर्बाद हुई, उसको ट्यूबवेल लगवाना है, मोटर लगवाना है, तो दो बच्चों को गिरवी रख कर, उनके एवज में पन्द्रह हजार रुपये लेकर अपने खेत में एक मोटर लगवाई। यह बीबीसी की न्यूज है।

महोदय, उसके बाद आता है कि किसान हजामत नहीं करवा पा रहे हैं, यह दुकानदार से जुड़ा हुआ विषय है। यह भी महाराष्ट्र, लातूर का ही विषय है। वे लातूर में हजामत नहीं करवा पा रहे थे, उसका कारण था कि वहां के सभी किसानों की फसल खराब हो गई थी।... (व्यवधान) आपने शौक से रखी होगी। आज कल यह स्टाइल आ गया है - दाढ़ीवाला। ... (व्यवधान) उसका एक ही कारण था कि वहां के किसानों की फसल खराब हो गई थी और हजामत करवाने के लिए पैसे नहीं थे। हजामत वाले की दुकान भी ठंडी हो गई। इसीलिए मैंने कहा कि सभी लोग कहीं न कहीं कृषि से जुड़े हुए हैं।

महोदय, मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि पहली बार किसी देश के प्रधान मंत्री जी ने इन अन्नदाताओं के लिए सोचा है। भारत और विश्व में किसान ही सभी का पेट भर रहे हैं, क्योंकि पैसे से भूख नहीं मिटती है। अभी अर्जुन जी ने कहा है कि बहुत अच्छा भोजन बना है। कल भी भोजन के बारे में घोषणा की गई थी और आज भी भोजन के बारे में घोषणा की गई है। हर रोज यहां भोजन के बारे में घोषणा होती है, क्योंकि यहां के माननीय सांसद भी भूखे होते हैं तब वही किसान जो अन्न उगा रहे हैं, उन्हीं किसानों के अन्न से हमारा पेट भर रहा है। हम इस पर डिबेट कर रहे हैं, लेकिन उस डिबेट के साथ, पहले कभी नहीं सोचा गया, उसके बारे में हमारे प्रधान मंत्री जी ने सोचा है कि किसानों की हालत ठीक होनी चाहिए। उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड निकाला।

महोदय, मेरे क्षेत्र में लगभग ढाई लाख सॉइल हेल्थ कार्ड्स का वितरण हुआ है, इसके लिए मैं संपूर्ण धन्यवाद प्रधान मंत्री जी को देता हूं। मैं भी एक किसान का बेटा हूं और मैंने ये सब कुछ देखा है। मैं अपने लगातार दो टेन्थोर में कृषि की कमेटी में सदस्य रहा हूं, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि किसानों का भला हो और हमें वह भला वर्ष 2014 से देखने को मिला।

महोदय, वर्ष 2014 में हमने यह सोचा कि किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, इसके लिए हमारे प्रधान मंत्री जी 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना' लाए और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे क्षेत्र में चार सौ करोड़ रुपये किसानों के खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर हुए हैं। उसका श्रेय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को जाता है। आज देश के किसानों को संभालने की जरूरत है।

व्यापारियों की जरूर चर्चा होती है कि व्यापार होगा तो रोजगार होगा, लेकिन किसान अपने बेटे को खेती में नहीं लगाना चाहते हैं। उसका एक ही कारण है। वह यह सोचता है कि अगर मेरे खेत में कुछ नुकसान हो गया तो उस नुकसान की भरपाई कहां से होगी। आज किसान देख रहे हैं कि भारत के प्रधान मंत्री हर बार किसान के बारे में चिंता कर रहे हैं। इसलिए किसानों के मुंह पर खुशी की लाली आ रही है। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

मैं कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि किसान को कुछ और चीजों की जरूरत है। मजदूरी बहुत महंगी हो गई है। पांच सौ रुपये में मजदूर नहीं मिलता है। वे खेती करते हैं, उनको खेती में समस्या है। उनको एक-दो मजदूर चाहिए, लेकिन पांच सौ रुपये में मजदूर नहीं मिलता है। रोजगार गारंटी योजना के तहत जो 'नरेगा' है, उस 'नरेगा' को कृषि से जोड़ दिया जाए। अगर किसान एक हेक्टेयर में खेती करता है और वहां पर दो लोगों को काम करने की जरूरत है तो उन दोनों को 'नरेगा' के तहत रोजगार डायरेक्ट उनके खाते में दिया जाए।

इससे उनकी फिक्स्ड इनकम शुरू हो जाएगी। किसान हमारा अन्नदाता है और हमें अन्न उगाकर दे रहा है। प्रधान मंत्री जी ने सिंचाई योजना के बारे में बात की और मेरे से पहले हमारे मित्र ने जल स्वावलम्बन की चर्चा की। मैं आज सुबह ही जयपुर के पास एक गांव के बारे में देख रहा था कि वहां के किसानों ने कैसे मिलकर जल की बचत की और उस जल से वे सिंचाई भी कर रहे हैं। आज यही सारी सुविधाएं किसान को देने की जरूरत है और ये सारी चीजें हमारी सरकार दे रही है। यह सरकार एक प्रयत्न कर रही है, लेकिन उसके अंदर हमें यह जरूर करना चाहिए कि किसान को नरेगा से जोड़ दें, ताकि हम जो न्यूनतम मूल्य की

बात कह रहे हैं, उसमें भी किसान का यदि रोजगार फिक्स होगा, तो प्रधान मंत्री जी की किसान की आय दोगुना करने की जो सोच है, वह जरूर पूरी होगी।

महोदय, हम लोग कृषि मंडी में जाते हैं। मैंने देखा कि राजस्थान में जीरा की बहुत उपज है। जीरा के साथ ईसबगोल भी हमारे यहां बहुत होता है। ईसबगोल की जरूरत रात में कई लोगों को पड़ती है। ईसबगोल की उपज मेरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा होती है। पहले कांग्रेस ने घोषणा की कि यहां एक फैक्टरी बनाएंगे। तत्कालीन बड़े नेता श्री हुड्डा जी ने घोषणा की। घोषणा करने में क्या जाता है, घोषणा कर दी, लेकिन आज तक उस फैक्टरी को किसी ने नहीं देखा। मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में टमाटर और ईसबगोल की जो आवक है, उसे देखते हुए कोई ऐसी इंडस्ट्री खोली जाए, जिससे वहां के किसानों को वहीं पर अपना माल बेचकर फायदा मिले।

महोदय, जब हमारी टमाटर की उपज बाहर आती है, उस टमाटर को जब बेचने जाते हैं, तो उसे कोई नहीं खरीदता है। हमने प्रयास भी किया कि कोल्ड स्टोरेज या किसी अन्य तरीके से टमाटर के उचित दाम हमें मिल सकें। हमें कहा गया कि टमाटर में पानी ज्यादा होता है, इसलिए कोल्ड स्टोरेज में नहीं रख सकते हैं। यदि सरकार अपनी तरफ से टमाटर के लिए सॉस, टोमैटो कैच-अप और ईसबगोल की फैक्टरी मेरे क्षेत्र में बनाए, तो जो मेरा पिछड़ा क्षेत्र है, वहां रोजगार उपलब्ध भी होगा। वह टोमैटो कैच-अप रेलवे में भी काम आ जाएगी और सेंट्रल हाल रेलवे कैंटीन में भी मैंने देखा कि बहुत काम आती है। यदि ऐसा हुआ तो मेरे किसानों का भला हो जाएगा। एक रुपये किलो में वह टमाटर बिकता है। किसान कहता है कि एक रुपये से क्या होगा? वह टमाटर अपनी भैंसों को या दूसरे जानवरों को डालता है, लेकिन भैंस और गाय भी टमाटर रोज-रोज नहीं खातीं, जैसे लोग रोज-रोज एक ही भोजन नहीं करते हैं, गाय-भैंसों को भी थोड़ा-सा चेंज चाहिए।

महोदय, आज गाय और भैंस भी अच्छा दूध देने लग गई हैं। हमारे यहां बनास डेयरी है। मैं गिरिराज सिंह जी से भी निवेदन करूंगा कि हम यहां दो लाख लीटर दूध दे रहे हैं। जैसे गुजरात में क्रांति आई थी, एक परिवार एक करोड़ रुपये का दूध महेसाणा में बेचता है। मेरे क्षेत्र के किसानों का दो लाख लीटर दूध

बनास में जा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि उस बनास डेयरी पर कभी-कभी इंटरस्टेट की पाबंदी लग जाती है। मेरा निवेदन है कि इसे कृषि से जोड़ा जाए, क्योंकि पशुपालन और कृषि एक ही है। मेरा निवेदन है कि इंटरस्टेट नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अपना धान कहीं भी बेच सकता हूँ, वैसे ही मेरा दूध भी रोका न जाए और बनास में जो दूध जा रहा है, उस दूध के प्रोफिट का हिस्सा भी हमें मिले, जो बनास से हमें नहीं मिल रहा है। वह हिस्सा हमें दिलाने के लिए रूपाला साहब आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हम कहीं न कहीं तो कृषि से जुड़े हुए हैं। ... (व्यवधान) अर्जुन जी की बेटी भी वहीं ब्याही हुई है। इन्हें भी बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए इन्हें भी यह चीज देखनी चाहिए। ... (व्यवधान) महोदय, आप किसान के विषय में घंटी मत बजाइए। मेरा आपसे निवेदन है कि इसके अलावा किसानों की खेती के जो औजार हैं, जैसे 40 हार्सपॉवर का ट्रैक्टर है, वहां एक्चुअल 20 हार्सपॉवर का ट्रैक्टर लगना चाहिए। यदि 20 हार्स पॉवर में वहां काम हो सकता है, तो वहां 40 हार्स पॉवर का ट्रैक्टर क्यों देना, इस तकनीक को भी कृषि विभाग को चैक करना चाहिए और उनके औजारों को किसानों के मापदंड के अनुसार करना चाहिए, ताकि डीजल वगैरह की खपत वहां ज्यादा न हो और किसानों को भी उसका फायदा मिले।

महोदय, मेरा एक निवेदन यह है कि अगर किसानों को ऊपर लाना है, उनकी आय को दोगुना करना है, तो कृषि से संबंधित जितने भी यंत्र हैं, जिनके बारे में कमेटी की रिपोर्ट भी है, हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, हमारे यहाँ खेजड़ी होती है। 'हर मेड़ पर पेड़' योजना लागू की गई है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। इसके तहत अनुदान देकर हम किसानों को खेजड़ी और झाल लगाने के लिए प्रोत्साहित करें कि हर मेड़ पर इन पेड़ों को लगाओ। हमारे बिश्रोई समाज के 363 लोग खेजड़ी के लिए शहीद हुए थे। राजस्थान में इसे हम तुलसी के रूप में पूजते हैं। खेजड़ी की जो सांगरी होती है, उस केर-सांगरी की सब्जी को सब लोग चाव से खाते हैं। यह हन्ड्रेड पर्सेंट ऑर्गेनिक है। मैंने कमेटी में एक बार यह विषय रखा, उन्होंने कहा कि यह तो जंगली पौधा है। उसके दो दिन पहले एक सम्माननीय पूर्व प्रधान मंत्री जी ने अपने खाने में केर-सांगरी की सब्जी रखी थी और उस थाली का रेट लगभग सात हजार रुपये आया था। मैंने कहा- आप यह कैसे कह रहे हैं, जंगली सब्जी तो सब लोग खा गये। यह जंगली नहीं है, यह तुलसी तुल्य है और हन्ड्रेड पर्सेंट ऑर्गेनिक है। झाल होता है, उसमें पीलू आते हैं, उस पीलू की कोकड़ी

बनती है, जिससे लू नहीं लगती है, उसका तेल भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर ये सारी चीजें हम करें, तो किसानों का उत्थान होगा। इसके लिए मेरा निवेदन है कि आप हमें जरूर मदद करें। कृषि मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वे किसानों के उत्थान के लिए थोड़ा और कदम उठाएँ। मनरेगा को इससे जोड़ा जाए।

मेरे क्षेत्र की एक और समस्या है। माही बैराज के पानी से संबंधित माँग बहुत पुरानी है। पहले गुजरात और राजस्थान सरकारों के बीच एक समझौता हुआ था, वह नाथूराम जी ने किया था। उस समय नर्मदा का पानी हमें देने वाले थे, लेकिन नर्मदा का पानी कम आया। जो माही का पानी है, यदि उसके एवज में आप हमें दांतीवाड़ा डैम से थोड़ा पानी देंगे, तो शायद मेरे क्षेत्र के अंतर्गत भीणमाल, जालौर और सिरोही में पानी की समस्या का समाधान हो सकेगा।

[अनुवाद]

^{66*} **श्री जी. एम. सिद्धेश्वर (दावनगरे):** महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है। हमारे किसानों का जीवन बेहतर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कई योजनाओं को लागू किया है। कृषि में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु निजी निवेश को बढ़ावा देने पर केंद्र सरकार ने विशेष बल दिया है, ताकि वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस बजट में शून्य बजट कृषि को प्राथमिकता दी गई है, साथ ही कृषि-आधारित उद्योगों में निवेश को भी प्रोत्साहित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने कृषि उत्पादों के लिए बेहतर विपणन साधन उपलब्ध कराने, उचित एवं लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने तथा देशभर में 10 हजार किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना का प्रस्ताव किया है। ये सभी कदम स्वागत योग्य एवं किसानों के हित में उठाए गए सराहनीय प्रयास हैं।

केंद्र सरकार ने चारे के उत्पादन, उसके भंडारण एवं संरक्षण, दुग्ध उत्पादों के संधारण, तथा देश में ई-मार्केट और ई-नाम की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमारे *अन्नदाता* के हाथों को मजबूत करने के लिए ये सभी किसान हितैषी पहल कर रहे हैं। जहाँ तक सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न है, हमारी एनडीए सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में किसानों को विशेष प्राथमिकता दी है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं। मैं सरकार की इस प्रतिबद्धता की सराहना करता हूँ कि उसने किसानों को भी सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने का संकल्प लिया है।

मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पिछले पांच वर्षों के दौरान किसानों के हित में अनेक योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि नीम-लेपित यूरिया के

^{66*} मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। इस कदम से कृषि फसलों की पैदावार को दोगुना करने में उल्लेखनीय सहायता मिली है।

हमारी सरकार ने किसानों को करोड़ों मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए हैं ताकि वे अपनी भूमि की उर्वरता को वांछित स्तर पर बनाए रख सकें। प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया है और सिंचाई योजना के तहत और अधिक क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। ऐसे लगभग दर्जनों कार्यक्रमों से हमारे किसानों के जीवन में नई उम्मीद जगी। मैं इन सभी उपलब्धियों के लिए अपने माननीय प्रधान मंत्री को हार्दिक बधाई देता हूँ।

सरकार जितनी भी योजनाएं शुरू कर ले, लेकिन उन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित विभागों के अधिकारियों पर ही निर्भर करती है।

मैं यह इंगित करना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.) मेरे जिले में प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पा रही है, जिसका मुख्य कारण सरकारी अधिकारियों की लापरवाही एवं राज्य सरकार द्वारा चयनित बीमा कंपनियों की उदासीनता है। मेरे लोक सभा क्षेत्र, दावनगरे में किसान प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं। वर्ष 2016-17 में इस बीमा योजना के तहत 31,176 किसानों ने पंजीकरण कराया था। उन्होंने अपनी फसल बीमा पॉलिसी के लिए कुल 17.80 करोड़ रुपये का प्रीमियम भुगतान किया था। बीमा कंपनियों को किसानों में लगभग 52 करोड़ रुपये वितरित करने थे। हालांकि, केवल 48 करोड़ रुपये 27,557 किसानों को वितरित किए गए हैं। 1,140 किसान अभी भी बीमा कंपनियों से 4.15 करोड़ रुपये प्राप्त करना बाकी है।

इसी तरह वर्ष 2017-18 के दौरान लगभग 79711 किसानों को बीमा कवर के लिए पंजीकृत किया गया और प्रीमियम के रूप में 70.72 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। हालांकि बीमा कंपनियों ने 11185 किसानों को करीब 12.20 करोड़ रुपये बीमा धनराशि का भुगतान कर दिया है। हालांकि, शेष 68526 किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा उनकी देय धनराशि का भुगतान नहीं किया गया था। बीमा कंपनियों की लापरवाही के कारण इन कई किसानों को बीमा धनराशि प्राप्त करने के लिए अयोग्य ठहराया गया था।

वर्ष 2018-19 के लिए लगभग 12285 किसानों को बीमा कवर के लिए पंजीकृत किया गया था और प्रीमियम के रूप में 10.70 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। हालांकि, आज तक बीमा धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

वर्तमान वर्ष 2019-20 में केवल 4850 किसानों का ही पीएमएफबीवाई (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) के अंतर्गत पंजीकरण हुआ है। पंजीकृत किसानों की संख्या में आई गिरावट यह दर्शाती है कि विभाग के अधिकारियों और बीमा कंपनियों की लापरवाही के कारण योजना का सफल क्रियान्वयन नहीं हो सका है।

पिछले डेढ़ साल से किसानों को उनकी बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में किसान प्रीमियम का भुगतान करके बीमा योजना को जारी रखने के लिए कैसे आगे आ सकते हैं? पिछले दो वर्षों से दावणगेरे में भयंकर सूखा पड़ा है। कर्नाटक सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसे लगातार दो वर्षों के लिए सूखाग्रस्त जिला घोषित किया है। भले ही बीमा कंपनियां लाभार्थी किसानों को बीमा योजनाओं के तहत शामिल उनकी वैध धनराशि का भुगतान नहीं कर रही हैं।

एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत स्तर पर फसल के नुकसान की सूची तैयार करते समय संबंधित अधिकारी समुचित तरीके से सर्वेक्षण नहीं कर रहे हैं। उनके द्वारा गलत प्रविष्टियां की जाती हैं। उदाहरण के लिए, उनकी रिपोर्ट में 'ज्वार' के स्थान पर 'धान' का नाम दर्ज किया गया है। विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई ऐसी अनियमितताओं और गलत प्रविष्टियों के कारण ही गरीब किसान इस बीमा योजना के अंतर्गत मिलने वाले अपने उचित लाभों से वंचित रह जाते हैं।

इसलिए, मैं सुझाव देना चाहूंगा कि सरकार को फसल बीमा योजनाओं की जिम्मेदारी निजी बीमा कंपनियों को इसमें शामिल करने के बजाय सरकार प्रायोजित बीमा कंपनियों को सोपने पर विचार करना चाहिए।

मैं केन्द्र सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वह प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश जारी करे और किसानों के हितों की रक्षा के लिए बीमा योजना के तहत किसानों की सभी बकाया धनराशि को भी जारी करे।

[हिन्दी]

श्री सय्यद ईमत्याज जलील (औरंगाबाद): माननीय सभापति जी, जब वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण दिया, तो उसमें बहुत-से आँकड़े बताए गए थे। वे आँकड़े कुछ ऐसे आँकड़े थे, जिन्हें सुनकर सरकार ने अपनी पीठ तो थपथपा ली, लेकिन मैं आपके सामने कुछ ऐसे आँकड़े रखने वाला हूँ, जिन्हें सुनने के बाद इस सदन में मौजूद हर सदस्य, चाहे वह सत्ताधारी हो या विपक्ष का हो, हरेक का सर शर्म से झुकना चाहिए।

मेरे पास जो आँकड़े हैं, वे बताते हैं कि वर्ष 2015 से 2018 के बीच, मैं जिस राज्य से आता हूँ, उसे महाराष्ट्र कहते हैं। महाराष्ट्र में इन चार सालों में 12,021 किसानों ने आत्महत्याएँ की हैं। यानी आप हर साल का एवरेज निकालें, तो 3,008 किसान हर साल मौत को गले लगा रहे हैं। अगर आप यह कहें कि ये आँकड़े तो वर्ष 2018 तक के हैं, अब तो अच्छे दिन आ गये हैं, तो वर्ष 2019 की जनवरी से चार महीनों के भीतर ही 808 किसानों ने आत्महत्याएँ की हैं। कहीं-न-कहीं सरकार की नीतियाँ कुछ गलत हो रही हैं, जिनकी वजह से हर रोज़ किसान आत्महत्याएँ कर रहे हैं।

मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक पत्रकार की हैसियत से अपने किसानों की पीड़ा को देखा है। जब किसी किसान की मौत होती थी, तो हम उसे कवर करने के लिए जाते थे। आखिरी में एक ऐसी बात हो गई थी, हमारे अंदर का ज़मीर भी मर चुका था, हर रोज़ जाकर हम किसानों की आत्महत्याओं को कवर करते थे। आज अगर एक किसान मरता है, तो अखबारों में उसकी खबरें नहीं आती हैं। वह इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि यह रोज़मर्रा की बात हो गई है। कहा जाता है कि हर रोज़ किसान मरता है, तो यह कौन-सी बड़ी बात है। हम कौन-सी खबर छापेंगे? पहले यह होता था कि एक किसान की मौत पर पूरे देश में चर्चा होती थी। लेकिन आज महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में यह हो रहा है। वहाँ किसका राज्य है, हुकूमत किसकी है? कहीं-न-कहीं यह नीतियों में खामियों की वजह से हो रहा है। अगर महाराष्ट्र की सरकार यह दावा कर रही है कि उसने जल युक्त सिवाड़, जो महाराष्ट्र सरकार की वाटर कंज़र्वेशन की एक फ्लैगशिप स्कीम है, के लिए नौ हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं, तो उसके बावजूद किसान आत्महत्याएँ क्यों कर रहे हैं?

वर्ष 2017 में महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि किसान आत्महत्याएँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार को केन्द्र सरकार ने पैसे दिए और एक लोन वेवर स्कीम लाई गई।

एक लोन-वेवर स्कीम लाई गई और उसका बड़ा जश्न मनाया गया। जून, 2017 में जब यह लोन-वेवर स्कीम आई तो हमें यह अहसास दिलाया गया कि किसानों की सारी परेशानी खत्म हो गई है। महोदय, उस लोन-वेवर स्कीम के आने के बाद से लेकर आज तक साढ़े चार हजार किसानों ने आत्महत्या की है। आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। हमने सुना है कि आपने पीठ थपथपाई है।

आपने कहा था कि वर्ष 2019 तक इस राज्य को आप टैंकर मुक्त राज्य बनाएंगे। वर्ष 2019 आ गया है। पिछले साल 1,800 टैंकर्स इस्तेमाल हुए थे। इस साल सात हजार टैंकर्स के जरिये लोगों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। आपने अपने भाषण में यह कहा था कि वर्ष 2022 तक हम किसानों की आमदनी दोगुनी करने वाले हैं। पूरे देश का किसान टकटकी लगाए वित्त मंत्री के भाषण को सुनता रहा, इस उम्मीद के साथ कि हमने इस सरकार को इतना बहुमत दिया है, इसलिए हम सरकार से यह पूछना चाहते हैं। वह किसान आपसे सवाल कर रहा है कि वर्ष 2022 तक आपने किसानों की आमदनी दोगुनी करने का जो वादा किया है, वह आप किस तरह पूरा करने वाले हैं। आप यह जानते हैं कि यह मुमकिन ही नहीं है, इसीलिए बजट भाषण के अंदर इसका जिक्र ही मत करो, लोग खुद ब खुद भूल जाएंगे, लेकिन हम आपको भूलने नहीं देंगे, हम आपको याद दिलाते रहेंगे, हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपका यह वादा था, आप यह वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं।

सभापति महोदय, हम जानते हैं कि किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए, लेकिन यह उस वक्त मुमकिन होगा, जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा खर्च करेंगे। आपकी इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि भारत में एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हम सिर्फ 0.37 परसेंट ऑफ एग्रीकल्चरल जीडीपी खर्च करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि जितने भी प्रगतिशील देश हैं, वे यह कहते हैं कि आपके एग्रीकल्चरल जीडीपी का कम से कम एक परसेंट आपके एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च होना चाहिए। अगर आप यह कर पाते हैं, अगर आप रिसर्च के अंदर नई-नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं

तो यकीनन हम अपनी फूड सिक्योरिटी मज़बूत कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएंगे और दूसरी बात यह है कि हम किसानों की आमदनी, जो कि बहुत ज़रूरी है, उसे भी बढ़ा पाएंगे।

सभापति महोदय, आज किसान आत्महत्या कर रहा है। हम कितनी भी बड़ी-बड़ी बातें कर लें कि हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, हम बड़े-बड़े काम कर रहे हैं लेकिन आज हमारे राज्य का, हमारे देश का किसान आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि हम किसानों को कुछ नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ हम किसानों के साथ कैसा छल कर रहे हैं, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

महाराष्ट्र के अंदर गंगाखेड़ शुगर नाम की एक कंपनी है। इस कंपनी का एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, जिसने 20 हज़ार किसानों के नाम के ऊपर क्रॉप लोन देने के बोगस डॉक्युमेंट्स तैयार किए। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जब इंक्वायरी की तो पहले 100 करोड़ रुपये निकले, फिर 200 करोड़ रुपये निकले। आप लोगों ने तो आंकड़े दे दिए होंगे कि आपने महाराष्ट्र के अंदर क्रॉप लोन के इतने-सौ करोड़ रुपये दिए हैं या इतने-हज़ार करोड़ रुपये दिए हैं। महोदय, इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, जो अब जेल की सजा काट रहा है, उसने 578 करोड़ रुपये 20 हज़ार किसानों के नाम के ऊपर बोगस तरीके से लूटे हैं।

माननीय सभापति : अब आप कनक्लूड कीजिए।

श्री सय्यद ईमत्याज जलील: सभापति महोदय, आपको मालूम है कि इसके अंदर 7 बैंक्स इनवॉल्वड हैं। किसान परभणी का है, लेकिन उसे लोन कहां से दिया गया है? उसे नागपुर से लोन दिया गया है। आज तक एक भी बैंक के डायरेक्टर या मैनेजर को अरेस्ट नहीं किया गया है। यह पूरी सांठ-गांठ के साथ किया गया था। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय, आपको हैरानी होगी कि ये जो 20 हज़ार किसान हैं, जिनके नाम के ऊपर बोगस तरीके से कर्ज उठाया गया है, उनमें से 100 किसान ऐसे हैं, जो कई साल पहले मर चुके हैं। मरे हुए किसानों के नाम के ऊपर यह कर्ज उठाया जा रहा है।

माननीय सभापति : प्लीज़, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री सय्यद ईमत्याज जलील: सभापति महोदय, यह हकीकत है। ... (व्यवधान) हम यह आईना आपको दिखा रहे हैं। ... (व्यवधान) अगर इसके ऊपर चर्चा नहीं होगी, अगर आप जो वादे कर रहे हैं, वे वादे अगर आप पूरे नहीं करेंगे और सिर्फ यही कहेंगे कि देश के अंदर अगर बारिश भी हो रही है तो मोदी साहब की वजह से हो रही है, धूप भी आ रही है तो मोदी साहब की वजह से आ रही है, इस तरह आप कब तक अपनी पीठ थपथपाएंगे? कुछ हकीकत बातों के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

^{67*} **डॉ. सुजय विखे पाटील (अहमदनगर) :** मैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। यह एक बड़ी खुशी और संतोष की बात है कि वर्ष 2019-20 के लिए कृषि मंत्रालय के बजटीय अनुमान वर्ष 2018-19 के बजट से 140 प्रतिशत अधिक है, जो कि 57 600 रुपये करोड़ है। इस बजट में, सरकार का लक्ष्य कृषि अवसंरचना और संबद्ध क्षेत्रों में व्यापक रूप से निवेश करना है और कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में मूल्य के लिए निजी उद्यमिता से समर्थन भी मांगा है। वित्त वर्ष 2018-19 (संशोधित) के लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अनुमानित 86,602 करोड़ रुपये के बजट के मुकाबले, बजट 2019-20 में इस क्षेत्र में 1,51,518 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव किया गया है। सरकार के ईमानदार प्रयासों के कारण, भारत में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 2014-15 से 2018-19 के बीच वार्षिक लगभग 2.9 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है, जो 2005-06 में 11.7 प्रतिशत थी, वह 2015-16 में बढ़कर 13.9 प्रतिशत हो गई है।

हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सही कहा है कि अर्थव्यवस्था को गति देने के तरीकों में से एक यह है कि किसानों को केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि राष्ट्र के संपत्ति सृजनकर्ता के रूप में देखा जाए। उन्होंने आगे कहा, "अब हम किसानों को निर्यातक के रूप में भी देख रहे हैं।" हमारे किसानों के पास अत्यधिक संभावनाएँ हैं कि वे तेजी से प्रगति करें। हमारे प्रिय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की नीति को ध्यान में रखते हुए, माननीय वित्त मंत्री ने इस वर्ष के बजट का मुख्य ध्यान "गांव, गरीब और किसान (ग्रामीण, गरीब और किसान)" पर केंद्रित किया है। वर्तमान वर्ष का बजट प्रस्तुत करते हुए, उन्होंने कृषि, किसानों के कल्याण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हर पहलू का ध्यान रखने का प्रयास किया है। मछुआरों के लिए, उन्होंने मत्स्य क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में मौजूद कमियों को दूर करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना की घोषणा की। सरकार ने मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का गठन किया है और

^{67*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 805 करोड़ की धनराशि आबंटित की है, ताकि मूल्य श्रृंखला में मौजूद अहम कमियों को दूर किया जा सके। इसमें अधोसंरचना, आधुनिकीकरण, ट्रेसिबिलिटी (पैदावार की पहचान क्षमता), उत्पादन, उत्पादकता, कटाई के बाद प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है।

उन्होंने बांस, शहद और वस्त्रों जैसे पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए। वित्त मंत्री ने कृषि अवसंरचना में व्यापक निवेश करने का आश्वासन दिया और कहा कि सरकार एक महत्वपूर्ण पहलू पर पुनः ध्यान केंद्रित करेगी, वह शून्य बजट प्राकृतिक खेती (जेड.बी.एन.एफ.) है। जेड.बी.एन.एफ. एक कृषि विधि है जो रासायनिक उर्वरकों की जगह गाय के गोबर, मूत्र और गुड़ को मुख्य भूमि पोषण के रूप में उपयोग करती है। मुझे विश्वास है कि शून्य बजट प्राकृतिक कृषि ऋण के जाल में फंसे हुए किसानों को बाहर निकालने में मदद करेगा और फसल की उत्पादकता को भी बेहतर करेगा। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर, इस प्रकार के कदम हमारे किसानों की आय को दोगुना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

बजट में यह प्रतिज्ञा की गई है कि किसानों की क्रय एवं बिक्री में मोल-भाव करने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसान इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) के माध्यम से लाभान्वित हों।

वर्तमान में हमारी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने की है और इस बजट में इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वास्तव में, बजट में वित्तीय तनाव को कम करने और वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य की दिशा में किसानों के लिए पूरक आय के अवसरों को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। प्रति वर्ष 6,000 रुपये का प्रत्यक्ष आय समर्थन भी इसे लक्ष्य के पास ले जाने में मदद करेगी। सरकार किसानों को व्यापक बाजारों, कोल्ड चेन और प्रसंस्करण सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए भी काम कर रही है ताकि वे कटाई का मौसम समाप्त होने के बाद अपनी फसल के लिए बेहतर मूल्य अर्जित कर सकें।

अपनी बजट प्रस्तुति में, श्रीमती सीतारमण जी ने किसानों को डेयरी व्यवसाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है, जिसके लिए पशु आहार निर्माण, दूध संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन के लिए आवश्यक अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। इस नीति के पालन से हमारे “अन्नदाता” भविष्य में “ऊर्जादाता” में परिवर्तित होंगे।

जहां तक ग्रामीण विकास का सवाल है, ग्रामीण विकास के लिए कुल आबंटन वर्ष 2018-19 में 1,35 109 करोड़ रुपये से बढ़ाकर इस वित्त वर्ष में 140,762 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सरकार ने बजट वर्ष 2019-20 में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए 80,250 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। ग्रामीण अवसंरचना को बढ़ाने के लिए, बजट वर्ष 2019-20 में तीसरे चरण के पश्चात् प्रधान ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1.25 लाख किलोमीटर सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह निवेश ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन देगा। बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1.95 करोड़ मकानों के निर्माण का भी प्रस्ताव किया गया है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2022 तक बिजली और एल.पी.जी. कनेक्शन होगा।

परंपरागत उद्योगों के उन्नयन एवं पुनरुत्थान हेतु निधि योजना (स्फूर्ति) के अंतर्गत, वित्त वर्ष 2019-20 में 100 नए क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे, ताकि 50,000 ग्रामीण कारीगरों को आर्थिक मूल्य श्रृंखला में सम्मिलित किया जा सके।

2019 के केन्द्रीय बजट की भावना - 'सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन' अगले कुछ वर्षों में नए भारत के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने का मंत्र है। स्वच्छ और स्वस्थ जीवन के उच्च मानकों के साथ कई 'योजनाओं' के माध्यम से ग्रामीण भारत में परिवारों के जीवन को बदलने पर ध्यान केंद्रित करना बहुत आवश्यक है। हमें यह जानकर खुशी हो रही है कि किसानों, मछुआरों और ग्रामीण कारीगरों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने से ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण नियोजन को बढ़ावा देने के अलावा कृषि को अपना गौरव पुनः प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

(मनरेगा) को भी 60,000 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। इस वर्ष भारत के लगभग 40 प्रतिशत जिलों में सूखे जैसी स्थिति और कम मानसून (अब तक) को देखते हुए, मनरेगा का आबंटन अधिक रखा गया है।

जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण परिवारों को 2024 तक पाइप से जलापूर्ति प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के आबंटन में 2018-19 के संशोधित अनुमान की तुलना में 81.8% की वृद्धि की गई है। इस वर्ष के लिए आबंटन 10,001 करोड़ रुपये है, जबकि 2018-19 (संशोधित अनुमान) में 5,500 करोड़ रुपये था। स्वच्छ भारत मिशन का विस्तार प्रत्येक गांव में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करने के लिए किया जाएगा। वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमानों की तुलना में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के लिए भी 3,481 करोड़ रुपये के आबंटन में वृद्धि (55.3%) की गई है।

मजबूत उपभोग प्रोत्साहन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, आगामी बजट में प्रधान मंत्री किसान योजना को समग्र रूपरेखा के केंद्र में रखा जा सकता है।

इस वर्ष की शुरुआत में योजना के शुभारंभ के बावजूद, प्रधान मंत्री किसान योजना की प्रगति धीमी रही है, क्योंकि अब तक केवल 27 प्रतिशत लाभार्थियों की पहचान हो पाई है। मैं सभी राज्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे किसानों की पहचान एवं योजना के तहत वितरण की प्रक्रिया को तीव्रता से पूरा करें।

जैसा कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने सही ही कहा है कि यह बजट एक 'न्यू इंडिया (भारत)' के लिए है, और देश के कृषि क्षेत्र को बदलने के लिए एक रोडमैप है। मैं एक बार फिर हमारे वित्त मंत्री को बधाई देता हूँ। निर्मला सीतारमण जी को बजट पेश करने के लिए धन्यवाद देता हूँ जिसमें कृषि, किसान कल्याण के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हर पहलू का ध्यान रखा गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह बजट ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोगों के जीवन में बदलाव लाएगा और एक सशक्त 'न्यू इंडिया' के निर्माण में सहायक होगा। वास्तव में, यह एक नागरिक-हितैषी, विकास-हितैषी और भविष्योन्मुख बजट है।

इन शब्दों के साथ, मैं एक बार फिर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ-साथ ग्रामीण विकास के लिए अनुदान मांगों का समर्थन करता हूँ।

रात्रि 8.00 बजे

[हिन्दी]

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे ग्रामीण विकास तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर हो रही चर्चा पर बोलने का मौका दिया। मैं अपनी पार्टी की तरफ से सारे विधेयकों के साथ-साथ जो बजट आया है और जो डिमाण्ड्स हैं, उनका समर्थन करता हूँ। आज चर्चा गांव, किसान और ग्रामीण विकास पर हो रही है। निश्चित रूप से आजादी के 70 साल बाद प्रधानमंत्री जी ने किसान की सुध ली। मैं उस चीज का साक्षी हूँ कि 7 दिसम्बर 2016 को नागौर की धरती से मैंने 5 लाख लोगों को लेकर हुंकार भरी थी। सम्पूर्ण कर्ज माफी व मुफ्त टोल के लिए मैं राजस्थान सहित पूरे देश के किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहा था। उसके बाद मध्य प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों के अंदर बड़े आंदोलन हुए। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन आंदोलनों के अंदर कोई भी हताहत नहीं हुआ, केवल मामूली छोटी-मोटी झड़पें हुई थीं। किसानों का भला करने के लिए एक दिन में सोच लें और सारा कर्ज माफ हो जाए, यह सम्भव नहीं है। कर्ज माफी के लिए बहुत बड़ी योजना बनाई गई और किसान सम्मान निधि में आजादी के 70 साल बाद 6 हजार रुपये प्रत्येक किसान के खाते के अंदर गये, चाहे उस किसान की 200 बीघा जमीन हो, चाहे 100 बीघा जमीन हो, चाहे 50 बीघा जमीन हो। प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से किसान के लिए कुछ करना चाहते हैं। एक दिन में सारी बातें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि 70 साल के गड्ढे खुदे हुए हैं। इनको वापस भरने में टाइम लगेगा। पांच साल निकल गए हैं। इन पांच सालों में जो योजनाएं आईं, उनमें नदी-नाले जोड़कर सिंचित क्षेत्र बढ़ाकर किसानों को मुख्य धारा के अंदर जोड़ा गया है। यह प्रधानमंत्री जी की योजना है। मैं कृषि मंत्री तोमर साहब, परषोत्तम रूपाला साहब और कैलाश चौधरी जी को धन्यवाद दूंगा, जो कृषि से जुड़े हुए हैं। अभी दो-तीन दिन पहले इन्होंने एक कार्यशाला का आयोजन किया था। उसमें पूरे देश के साइंटिस्ट आए थे, जनप्रतिनिधि आए थे और किसान भी आए थे। अगर हम राजनीति से ऊपर उठकर बात करें तो आजादी की लड़ाई के अंदर सबसे ज्यादा किसी ने शहादत दी है और आज भी देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए कोई शहीद होता है तो वह किसान का बेटा है। वह सीने पर गोली खाकर भारत माता की रक्षा करता है। हमें किसानों को बहुत कुछ

देना होगा। आज ज्यादातर इलाके सूखे हुए हैं और कई इलाके बाढ़ग्रस्त हैं। हर आदमी को अपने वोट की चिंता पड़ी है, लेकिन किसान की चिंता किसी को नहीं है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप भाषण पर ध्यान रखिए, क्योंकि समय सीमित है।

श्री हनुमान बेनीवाल : सभापति महोदय, अंग्रेजों के शासन काल से लेकर सामंती शासन, अकाल और बाढ़ से 70 साल की व्यवस्था के अंदर किसान अपने संघर्ष और हिम्मत से लड़ता रहा है। हर बार उसको सब्जबाग दिखाए गए, सपने दिखाए गए, लेकिन उसके सपनों को मूर्त रूप और धरातल पर लाने का काम इस सरकार ने किया है। वर्ष 2014-19 और वर्ष 2019-24 के कार्यकाल में निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार किसानों को बहुत कुछ देने की सोच रही है। लगभग एक साल के अंदर 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपये किसान कल्याण कोष में खर्च होंगे। यह बहुत बड़ा बजट है। मैं प्रधान मंत्री जी से चार-पांच दिन पहले मिला था। उन्होंने मुझसे कहा कि हर व्यक्ति आकर मुझे सीधा सुझाव दे सकता है। हमारे सारे मंत्री जी बैठे हैं। किसानों के महकमे भी इनके पास हैं। पशुपालन, मछलीपालन ये सारे विषय किसानों से जुड़े हुए हैं और गांवों से जुड़े महकमे हैं। सभापति महोदय, मुझे दो-चार मिनट बोलने के लिए और दीजिए। हम रात के 12 बजे तक बैठ लेंगे। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप भाषण पर कॉन्सेंट्रीट कीजिए। ये सब आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। आप डिस्टर्ब मत होइए।

श्री हनुमान बेनीवाल: सभापति महोदय, किसानों की फसल खराब होती थी। उसमें राइडर लगा हुआ था कि 50 प्रतिशत फसल खराब होने पर ही मुआवजा मिलेगा, वह आपने 33 प्रतिशत किया। उससे किसानों को बहुत फायदा मिला है। पहले आप तहसील को इकाई मानते थे, फिर यह बात आई कि तहसील नहीं, आपने गांव और खेत को इकाई माना, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को मुआवजा मिल रहा है। आप फसल बीमा योजना लेकर आए हैं, इससे किसानों को बहुत फायदा हुआ है। सभापति महोदय, उन कंपनियों पर नियंत्रण किया जाए जो फर्जी प्रीमियम लेती हैं। कई जगहों पर किसान होशियार नहीं हैं और जानकारी के अभाव में वह क्लेम का दावा नहीं करता है, जिससे कंपनियां उनका पैसा लेकर भाग जाती हैं। सभापति जी, किसान

31 जुलाई तक फसल बीमा योजना करा सकते हैं। हमारे राजस्थान के अंदर और देश के कई हिस्सों में बरसात नहीं हुई है तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसको 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया जाए। इसके लिए एक महीना बढ़ाया जाए, ताकि किसानों को राहत मिल सके और फसल बीमा का पैसा भी मिल सके।

जालौर से आने वाले हमारे माननीय सांसद ने कहा कि हमारे देश की 80 प्रतिशत आबादी आज कृषि कार्य से जुड़ी हुई है। गांव के लोग आज निश्चित रूप से टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि लोक सभा चल रही है। हर किसान का बेटा पूछ रहा है कि मोदी जी हमारे लिए क्या कर रहे हैं? पहले भी सरकारें थीं, लोक सभा चलती थी, लेकिन होता यह था कि हो-हल्ला करके लोग चले जाते थे। लेकिन हमने देखा है कि आज यहां काम भी हो रहा है, बिल भी पास हो रहा है और किसानों की बात भी की जा रही है। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में कहा कि तिलहन की खेती पर जोर दिया जाए। दलहन के मामले में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं और तिलहन के मामले में अगर हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो मिलावटी तेलों से हमको मुक्ति मिलेगी और जिस तरह की बीमारियां मिलावटी तेलों से फैल रही हैं, उनसे बचाव होगा। हमें तिलहन आयात नहीं करना पड़ेगा। इन पर जोर देने की बात वित्त मंत्री जी ने कही है।

सभापति महोदय, कृषि मंत्रालय के बजट में 1 लाख 30 हजार 485 करोड़ रुपया आबंटित हुआ। प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना आजादी के बाद पहली बार हमारे यहां पहुंची। मेरा कृषि मंत्री और कृषि राज्य मंत्री जी से निवेदन है कि पिछले 5 सालों में किसानों को जिन महत्वपूर्ण योजनाओं, जैसे पीएम कृषि सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना आदि की जो शुरुआत मोदी जी ने की है, उनके और अधिक बेहतर परिणाम कैसे आए, इस संबंध में कारगर कदम उठाए जाएं। आर्थिक सर्वेक्षण, 2018 की जो रिपोर्ट थी, उसमें हमारे देश में 14.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य बताई गई और देश का 52 प्रतिशत हिस्सा अनियमित सिंचाई और मानसून पर निर्भर है, इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को और अधिक मजबूत करें तथा सक्षम बनाएं।

सभापति महोदय, भारत की जनगणना को अगर देखें तो 2001 से 2011 के मध्य देश में 86 लाख किसान कम हो गए, इसलिए बजट में पहल की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा। इसमें और अधिक व्यापक बदलाव करने की आवश्यकता है। राजस्थान में 63 प्रतिशत किसानों के पास औसतन 1.90 हेक्टेयर जमीन है। 2016-17 में मासिक आय औसतन 9 हजार रुपये थी, जबकि कई किसानों की आय इससे कम भी थी। मेरा मंत्री जी से यह भी निवेदन है कि देश के अंदर भण्डारण की बुनियादी व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं का भी अभाव है। अतः तेजी से भण्डारण की व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं को स्वीकृत किया जाए।

सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि जो स्वामीनाथन आयोग बना था कि देश के अंदर किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनको कैसे बचाया जाए। स्वामीनाथन आयोग की आंशिक रिपोर्ट जो पहली बार लागू हुई है, वह माननीय प्रधान मंत्री जी ने की है। जो मूंग 4 हजार रुपये में बिकता था, वह 7 हजार रुपये में बिक रहा है। अतः मेरा निवेदन है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें अगर कोई पूर्णरूप से लागू कर सकता है, तो वह माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं।

माननीय सभापति : आपकी स्पीच पूरी हो गई। श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी।

श्री हनुमान बेनीवाल: सभापति महोदय, मैं मात्र आधा मिनट और लूंगा। जापान और अमरीका में किसान खेती करते हैं। वह 100 रुपये खर्च करते हैं तो उनको बाजार के भाव से 300 रुपये मिलते हैं और हमारे यहां 100 रुपये खर्च करने पर किसान को 57 रुपये मिलते हैं। अगर धन्ना सेठों का 3 लाख करोड़ रुपये का कर्ज वर्ष 2014 से पहले माफ किया जा सकता है, तो देश के किसानों का भी संपूर्ण कर्ज माफ होना चाहिए, मेरी यह मांग आदरणीय प्रधान मंत्री जी से है।

माननीय सभापति : आदरणीय मंत्री जी। श्री बेनीवाल जी, रिकॉर्ड में अब नहीं जा रहा है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): डिनर की व्यवस्था का प्रॉपर्टी अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। डिनर की व्यवस्था निम्नवत् है:

[अनुवाद]

सांसदों के लिए -	कमरा सं. 70, संसद भवन, पहली मंजिल
मीडिया के लिए -	कमरा सं. 73, संसद भवन, पहली मंजिल
कर्मचारियों के लिए -	कमरा सं. 74, संसद भवन, पहली मंजिल
सुरक्षाकर्मियों के लिए -	पी.एल.बी. कैटीन

68* डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): मैं कृषि पर अनुदान मांगों 2019-20 का समर्थन करता हूँ। किसानों द्वारा उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार उर्वरकों के उत्पादकों को उर्वरक सब्सिडी प्रदान करती है। वर्ष 2017-18 में उर्वरक सब्सिडी के लिए 70,000 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं, जो खाद्य सब्सिडी के बाद सब्सिडी पर दूसरा सबसे बड़ा व्यय है।

वर्ष 2000 से 2016 के बीच उर्वरक सब्सिडी के लिए आबंटन में 11.4% की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। वर्ष 2017-18 के लिए आबंटित सब्सिडी में से 49,768 करोड़ रुपये यूरिया पर सब्सिडी के लिए आबंटित किए गए हैं। चित्र 8 में वर्ष 2000-01 से उर्वरक सब्सिडी में हुए परिवर्तनों की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है।

वर्तमान में दी जाने वाली सब्सिडी की धनराशि उर्वरक कंपनी के उत्पादन की लागत के आधार पर निर्धारित की जाती है। अधिक उत्पादन लागत वाली कंपनियों को अधिक सब्सिडी मिलती है। यह उत्पादन की लागत को कम करने के लिए कंपनियों के प्रोत्साहन को कम करता है। यद्यपि पिछले एक दशक में यूरिया की खपत बढ़ रही है, लेकिन पिछले 15 वर्षों में कोई नई घरेलू उत्पादन क्षमता नहीं जोड़ी गई है।

भारतीय खाद्य निगम की भूमिका की जांच करने वाली एक समिति ने सिफारिश की है कि मौजूदा उर्वरक सब्सिडी व्यवस्था को बदलने के लिए किसानों को नकद हस्तांतरण किया जाना चाहिए। इससे किसानों को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सर्वोत्तम उर्वरकों का चयन करने में सहायता मिलेगी, तथा मिट्टी में उर्वरक असंतुलन को ठीक करने में भी सहायता मिलेगी। केन्द्रीय बजट 2016-17 में यह घोषणा की गई थी कि उर्वरकों के लिए एक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम देश भर के कुछ जिलों में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। जुलाई 2016 में, सरकार ने घोषणा की कि वह 2016-17 में 16 जिलों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का प्रायोगिक अध्ययन करेगी।

पिछले कुछ वर्षों में देश में रासायनिक कीटनाशकों की खपत 2010-11 में 55,540 टन से बढ़कर

68* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

2014-15 में 57,353 टन हो गई है। इस समयावधि में कीटनाशकों का आयात भी 53,996 टन से बढ़कर 77,376 टन हो गया। कीटनाशकों के उपयोग संबंधी मुद्दों में, कम गुणवत्ता वाले कीटनाशकों का उपयोग और कीटनाशकों के उपयोग के बारे में जागरूकता की कमी शामिल है। आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 में उल्लेख किया गया है कि उचित दिशानिर्देशों के बिना कीटनाशकों के उपयोग से भारत में खाद्य उत्पादों में पाए जाने वाले कीटनाशक अवशेषों में वृद्धि हुई है।

जबकि कीटनाशकों के उत्पादन की निगरानी रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा की जाती है, उनका उपयोग कृषि मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। कीटनाशक अधिनियम, 1968 की समीक्षा करने की आवश्यकता है, ताकि कीटनाशक क्षेत्र के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान किया जा सके। 6 स्थायी समिति ने कृषि संबंधी यह भी सिफारिश की है कि देश में कीटनाशकों के विनिर्माण, आयात और बिक्री को विनियमित करने के लिए एक कीटनाशक विकास और विनियमन प्राधिकरण बनाया जाए। अन्य सिफारिशों में एक एकीकृत कीट-प्रबंधन प्रणाली विकसित करना शामिल है, जिसमें कीट नियंत्रण के यांत्रिक और जैविक तरीकों का मिश्रण शामिल हो तथा जैव-कीटनाशकों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए।

कृषि उत्पादकता के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज एक अन्य आवश्यक घटक है, तथा उत्तम गुणवत्ता वाले बीज फसल उत्पादन में 20% से 25% तक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत 55 प्रकार के बीजों को विनियमित किया गया है। अधिनियम बीजों की गुणवत्ता, उत्पादन और बिक्री को नियंत्रित करता है। बीज नियंत्रण आदेश, 1983 बीज बेचने, निर्यात करने और आयात करने के लिए लाइसेंस को विनियमित करता है। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले बीजों की तीन किस्में हैं (एक) कृषक-संरक्षित बीज, जो कुल बीज उपयोग का लगभग 65% से 70% भाग होते हैं, (दो) वाणिज्यिक रूप से उत्पादित बीज, जिनमें ब्रीडर, फाउंडेशन तथा प्रमाणित किस्में सम्मिलित हैं, तथा (तीन) आनुवंशिक रूप से संशोधित और संकर बीज।

कृषि बीजों का उत्पादन विभिन्न एजेंसियों जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और इसके अनुसंधान संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय और राज्य बीज निगमों द्वारा किया जाता है। निजी

क्षेत्र ने भी कुछ बीजों जैसे संकर मक्का, बाजरा, कपास और सूरजमुखी की आपूर्ति में भूमिका निभानी शुरू कर दी है। गुणवत्तापूर्ण बीजों के विकास एवं वितरण से संबंधित कुछ प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित रूप में चिन्हित की गई हैं: (एक) गुणवत्तापूर्ण बीजों तक किसानों की सीमित पहुँच, तथा (दो) अपर्याप्त अनुसंधान सहायता।

उपलब्ध कुल बीजों में से लगभग 30% से 35% का उत्पादन सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा किया जाता है, जबकि शेष बीज कृषकों द्वारा स्वयं उत्पन्न किए जाते हैं। यद्यपि किसान अपनी भूमि पर उगाई गई फसलों से कुछ विशिष्ट प्रकार के बीज विकसित कर सकते हैं, तथापि उच्च उत्पादकता वाली बीज किस्मों को बाजार से क्रय करना आवश्यक होता है। इन किस्मों की लागत इतनी अधिक है कि सीमांत और छोटे किसान इन्हें वहन नहीं कर सकते, जिससे वे इन 43 किस्मों को खरीदने से कतराते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 ने बीजों के उत्पादन में अधिक प्रतिभागियों को लाने, बाजार में उनकी उपलब्धता में सुधार करने और उनकी कीमतों को कम करने की सिफारिश की है।

आनुवंशिक रूप से परिवर्तित (जीएम) बीज वे होते हैं, जिनमें कुछ विशिष्ट जीनों को इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि उनमें कीट एवं खरपतवार प्रतिरोधक क्षमता, तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि जैसी विशेषताएँ विकसित हो सकें। वर्तमान में भारत में बीटी कपास ही एकमात्र अनुमोदित जीएम प्रौद्योगिकी युक्त बीज है। भारत में बीटी कपास को वर्ष 2002 में अपनाया गया था, और वर्ष 2014 तक देश में कपास की कुल खेती योग्य भूमि का लगभग 92% भाग बीटी कपास द्वारा कवर था। बीटी कपास को जारी किए जाने के पश्चात्, इस फसल की उत्पादकता 2000-01 में 190 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2014-15 में 461 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। समय के साथ-साथ बीटी बैंगन जैसे अन्य विविध जीएम फसलों का विकास भी किया गया, किंतु उन्हें भारतीय बाजारों में जारी करने के लिए अभी तक नियामक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान नियामक प्रक्रिया के अंतर्गत, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यरत जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी), आनुवंशिक रूप से परिवर्तित (जीएम) बीजों के वाणिज्यिक उपयोग हेतु प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करती है। सितंबर 2016 में, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी) ने जीन-संशोधित सरसों की पर्यावरणीय रिलीज को अनुमति देने

संबंधी रिपोर्ट पर सार्वजनिक टिप्पणियाँ आमंत्रित की थीं। तथापि, अब तक पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जीई सरसों को वाणिज्यिक रूप से जारी किए जाने हेतु अंतिम अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है।

मशीनीकरण, कृषि उत्पादकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला एक और पहलू है। कृषि में कृषि मशीनरी का उपयोग कृषि श्रम को अन्य गतिविधियों में उपयोग करने में सक्षम बनाता है। इससे जुताई, बीज और उर्वरकों का प्रसार और कटाई जैसी गतिविधियाँ अधिक कुशल हो जाती हैं, जिससे इनपुट की लागत की भरपाई हो जाती है। यह कृषि में श्रम के उपयोग को अधिक किफायती भी बना सकता है।

कृषि में मशीनीकरण की स्थिति विभिन्न गतिविधियों के लिए भिन्न होती है, हालांकि विकसित देशों में 90% की तुलना में मशीनीकरण का समग्र स्तर अभी भी 50% से कम है।⁶² मशीनीकरण का उच्चतम स्तर (60%-70%) कटाई और थ्रेसिंग गतिविधियों तथा सिंचाई (37%) में देखा जाता है। मशीनीकरण का सबसे कम स्तर बीज बोने और रोपण में पाया जाता है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए, छोटे और सीमांत किसानों के लिए टिकाऊ, कम-वजनी और कम लागत वाले, और विभिन्न विशिष्ट फसलों और क्षेत्रों के लिए उपयोगी साबित होने वाले उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

कृषि मशीनीकरण के सामने आने वाली कुछ चुनौतियों में विभिन्न मृदा और जलवायु क्षेत्र शामिल हैं जिनके लिए अनुकूलित कृषि मशीनरी की आवश्यकता होती है और छोटी भूमि और जोतें शामिल हैं जहां संसाधनों की पहुंच का अभाव है। मशीनीकरण का उद्देश्य कृषि कार्यकुशलता में वृद्धि करना होना चाहिए, जिससे समय और श्रम की आवश्यकता कम हो, क्षति न्यूनतम हो और श्रम लागत में कमी आए।

कृषि उपज की कटाई के बाद, प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों या परिवहन के दौरान होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने के लिए एक सुदृढ़ भंडारण अवसंरचना आवश्यक होती है। देश में कटाई और कटाई के बाद के प्रक्रियाओं के दौरान खाद्य पदार्थों की बर्बादी की मात्रा पिछले पांच वर्षों में बढ़ी है। सबसे अधिक नुकसान फलों और सब्जियों (वर्ष 2015 में उत्पादन का 4.6% - 15.9%), दालों (6.4%-8.4%) और तिलहन (5.3% - 9.9%) में देखा गया है।

किसान, ट्रांसपोर्टर, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता- कृषि के सभी स्तरों पर खाद्य अपव्यय होता

है। इस बर्बादी के कुछ कारण फसल क्षति, अनुचित कटाई तकनीक, खराब पैकेजिंग और परिवहन और खराब भंडारण हैं। देश में भंडारण सुविधाओं की स्थिति से संबंधित कुछ मुद्दे अपर्याप्त क्षमता और भंडारण की खराब स्थिति हैं।⁶⁴ उन मामलों में जहां भंडारण क्षमता पर्याप्त पाई जाती है, गोदाम की स्थितियां अनुपयुक्त हैं, या तो भंडारण की नमी की स्थिति के कारण या इसके दूरस्थ स्थान के कारण।

केन्द्रीय कोटे से प्राप्त खाद्यान्न, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के तहत केन्द्रीय भंडारण निगम (सी.डब्ल्यू.सी.) द्वारा प्रबंधित गोदामों में संग्रहीत किया जाता है। दिसंबर 2016 तक, सी.डब्ल्यू.सी. 9.7 मिलियन टन की कुल क्षमता के साथ 438 गोदामों का संचालन कर रहा था। राज्य भंडारण निगम राज्य स्तर पर भंडारण सुविधाओं का प्रबंधन करते हैं। दिसंबर 2016 तक, 19 ऐसे सी.डब्ल्यू.सी. 26 मिलियन टन की कुल क्षमता के साथ 1,757 गोदामों का संचालन कर रहे थे।

कृषि वस्तुओं के भंडारण के लिए एक और प्रणाली परक्राम्य भंडारण प्रणाली है, जिसे गोदाम नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। इस प्रणाली के तहत, जो किसान अपनी उपज का भंडारण करते हैं, उन्हें गोदाम के स्थान और भंडारण की जाने वाली उपज की गुणवत्ता और मात्रा के विवरण के साथ एक रसीद जारी की जाती है। यदि किसान कृषि ऋण लेना चाहता है तो यह रसीद संपार्श्विक के रूप में कार्य करती है। वर्ष 2015 तक, डब्ल्यू.आर.डी.ए. के पास पंजीकृत गोदामों की भंडारण क्षमता 118 मिलियन टन थी। इसमें से, 19 मिलियन टन निजी क्षेत्र के साथ, 15 मिलियन टन सहकारी क्षेत्र के साथ, और शेष सरकारी भंडारण के साथ था।

चूंकि कुछ फल और सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं और इसके कारण उनका नुकसान होता है। इसलिए उन्हें खराब होने से बचाने के लिए इन्हें ठंडे तापमान पर रखा जाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज आदेश, 1964 द्वारा देश में 68 कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं स्थापित की गईं। देश में कोल्ड स्टोरेज के विकास में कुछ प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं: कृषि भूमि को औद्योगिक उपयोग में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में देरी, कृषि वस्तुओं के लिए कोल्ड स्टोरेज पर कर छूट का अभाव, विद्युत आपूर्ति की कमी, तथा किसानों के लिए पहुँच की कठिनाई।

मेगा फूड पार्क योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 2008 में शुरू की गई थी। यह योजना किसानों, प्रसंस्कर्ताओं और खुदरा विक्रेताओं को एक साथ जोड़कर, कृषि उत्पादन को बाजारों से जोड़ने की व्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखती है, जो क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण पर आधारित है। योजना के अपेक्षित परिणामों में किसानों को उनकी उपज के लिए उच्च मूल्य प्राप्त होना, उच्च गुणवत्ता वाली खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना का निर्माण, खाद्य अपव्यय में कमी, तथा एक प्रभावी खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का सृजन शामिल हैं। यह योजना कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्थापित विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। जुलाई 2016 तक, मंत्रालय द्वारा कुल 42 मेगा फूड पार्कों को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिनमें से 38 को कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित किया गया है और 8 वर्तमान में संचालन अधीन हैं।

कृषि वस्तुओं की खरीद से तात्पर्य केंद्रीय या राज्य सरकारों द्वारा अन्न की खरीद है। कृषि उपज की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण एवं बिक्री की जिम्मेदारी खाद्य निगम भारत के अंतर्गत आती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वे मूल्य होते हैं, जिन पर सरकार किसानों से अन्न की खरीद करती है।

एम.एस.पी. पर सबसे बड़ी खरीद चावल और गेहूं की है। देश में उत्पादित गेहूं और चावल का लगभग एक तिहाई केंद्र सरकार द्वारा खरीदा जाता है। वर्ष 2015-16 में देश में उत्पादित गेहूं का 33% और चावल का 30% केंद्र सरकार द्वारा खरीदा गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत गेहूं का एक प्रमुख निर्यातक देश है; वर्ष 2014-15 में देश में 90.8 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ, जिसमें से 28 मिलियन टन केंद्रीय भंडार के लिए खरीदा गया और 29 मिलियन टन गेहूं का निर्यात किया गया।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) वे मूल्य होते हैं, जिन पर केंद्रीय सरकार किसानों से अन्न की खरीद करती है। एम.एस.पी. केंद्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य से निर्धारित किए जाते हैं कि किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय जिन कारकों पर विचार किया जाता है, उनमें कृषि एवं उत्पादन की लागत, फसलों की उत्पादकता, तथा बाजार मूल्य शामिल हैं। उच्च एम.एस.पी. किसानों को आधुनिक तकनीकों और कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे उनकी कुल फसल उत्पादकता में वृद्धि होती है। सरकार 22 फसलों के लिए

न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है (और गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य निर्धारित करती है), लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसके लिए अनाज की खरीद की जाती है, मुख्यतः गेहूँ और चावल का वितरण अपने लाभार्थियों को करती है। चूंकि खरीद मुख्य रूप से गेहूँ और चावल के लिए होती है, किसान अन्य फसलों जैसे दालें और तिलहन की तुलना में इन फसलों की खेती पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। परिशिष्ट की तालिका 17 में वर्ष 2005-06 से 2015-16 तक की फसलों के लिए एम.एस.पी. दर्शाए गए हैं।

यद्यपि विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाते हैं, परन्तु इन मूल्याओं पर खरीद मुख्यतः कुछ राज्यों में गेहूँ, चावल, गन्ना और कपास के लिए ही होती है। परिणामस्वरूप, इन खरीद करने वाले राज्यों में किसान दालें, तिलहन और मोटे अनाज जैसी अन्य फसलों की अपेक्षा इन प्रमुख फसलों की खेती पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। एम.एस.पी. को प्रत्येक बुवाई मौसम (जून और अक्टूबर में) से पहले घोषित किया जाता है ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम कीमत के बारे में पता चल सके। इसका उद्देश्य उन्हें फसलों के उत्पादन में अपने निवेश को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) की प्रभावशीलता मापन हेतु एक रिपोर्ट में नीति आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि केवल 10% किसान ही बुआई के मौसम से पूर्व एम.एस.पी. के बारे में सूचित थे, जबकि 62% किसानों को अपनी फसल बोने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य की जानकारी प्राप्त हुई। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) की मूल्य निर्धारण नीति तभी प्रभावी सिद्ध होगी जब किसान फसल चयन के समय इस नीति से अवगत हों। नीति आयोग ने अनुशंसा की है कि किसानों में एम.एस.पी. के प्रति जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए तथा इस जानकारी के प्रसार के माध्यमों को सशक्त किया जाना आवश्यक है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था के क्रियान्वयन में अन्य समस्याओं में खरीद केंद्रों की दूरी अधिक होना, किसानों के लिए परिवहन लागत में वृद्धि, खरीद केंद्रों के अनियमित समय, भंडारण गोदामों की अपर्याप्त संख्या एवं सीमित भंडारण क्षमता, तथा किसानों को एम.एस.पी. भुगतान में देरी शामिल हैं। नीति आयोग ने उल्लेख किया है कि यह सुनिश्चित करने हेतु कृषि मूल्य निर्धारण नीति की पुनः समीक्षा

आवश्यक है कि किसानों को उनकी उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य प्राप्त हो। सिफारिश करने वाले उपायों में से एक मूल्य कमी प्रणाली है। ऐसी प्रणाली के तहत, किसानों को कुछ वस्तुओं के लिए मुआवजा दिया जाएगा यदि उनकी कीमतें एक निर्दिष्ट सीमा के तहत आती हैं। यह प्रणाली उन किसानों द्वारा स्टॉक-होल्डिंग को कम करेगी जो कीमतों में वृद्धि होने तक वस्तुओं का भंडारण करते हैं और किसानों को विभिन्न फसलों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित भी करेगी। किसानों को उनके आधार नंबर से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली का प्रयोग करके भुगतान किया जाएगा।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिन्द - जय भारत।

[हिन्दी]

^{69*} **श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर):** मैं 7 माल्दहा (उत्तर) लोकसभा क्षेत्र, पश्चिम बंगाल से आता हूँ। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने हमारे देश के अन्नदाता किसानों की परेशानियों को समझा और उनके दुख-दर्द को समझा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन गरीब किसानों को हो रही परेशानियों को दूर किया और उनके चेहरे पर खुशियाँ लाए। आज गरीब किसानों को 6 हजार रुपये प्रति वर्ष दिया जा रहा है। इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है। आज किसानों को समय पर खाद, बीज, बिजली, पानी मिल रहा है इसका श्रेय सिर्फ हमारी भाजपा की सरकार और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जाता है। आज हमारे अन्नदाता किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य सही समय पर मिल रहा है। इसका भी श्रेय हमारी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी एवं उनकी सरकार ने पिछले पांच सालों तक बिना रुके, बिना थके जो अथक मेहनत हमारे देश के किसानों और आम जनता की भलाई के लिए किया है उसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि यह सरकार पिछले कार्यकाल की अपेक्षा और ज्यादा और तेजी से आम जनता की भलाई और किसानों के हित में कार्य करेगी और उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए भरसक प्रयास करेगी।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ उस राज्य में टी.एम.सी की सरकार है और वहाँ के किसानों की हालत बहुत दयनीय है। वहाँ की सरकार किसानों की बिल्कुल भी सुध नहीं ले रही और उनकी हालत बद-से-बदतर हो गयी है। जो भी केन्द्र सरकार की योजनाएं किसानों की भलाई और हित के लिए लागू की जा रही हैं पश्चिम बंगाल के किसानों को नहीं मिल रही है। इस कारण वहाँ के किसानों का जीवन काफी दूभर हो गया है। मेरे पश्चिम बंगाल के किसानों को किसान सम्मान योजना जिसमें प्रत्येक किसान को 6 हजार रुपये प्रति वर्ष केन्द्र सरकार की ओर से दिया जाता है, का लाभ नहीं मिल रहा। उनको समय पर खाद, बीज नहीं मिल रहा

^{69*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जिससे वो अपनी खेतों में फसल उगा सकें। वहां के किसानों को समय पर बिजली नहीं मिलती जिससे वो अपने खेतों में पानी दे सकें ताकि उनकी फसल अच्छी हो सके।

मेरे लोकसभा क्षेत्र में नदियों द्वारा कटान और बाढ़ की समस्या काफी गंभीर है। मेरा क्षेत्र एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। प्रति वर्ष यहां गंगा और उसकी सहायक नदी फुलहर द्वारा पूरे क्षेत्र में बाढ़ और कटान से काफी मात्रा में जन-धन की हानि होती है। इन नदियों द्वारा प्रति वर्ष सैंकड़ों एकड़ भूमि अपने साथ बहा लिया जाता है जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है।

चूंकि मेरा क्षेत्र सीमावर्ती क्षेत्र है और करीब 150 किलोमीटर का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है। वहां का अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र खुला हुआ है और इसकी वजह से वहां तस्करी और असामाजिक गतिविधियां काफी ज्यादा होती हैं। सरकार इसी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़बंदी कर रही है ताकि इन गतिविधियों पर लगाम लगाया जा सके। मगर सरकार जो बाड़बंदी कर रही है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 3-4 किलोमीटर अंदर की ओर कर रही है जिसके कारण बाड़बंदी के दूसरी तरफ (अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर) काफी किसानों की जमीनें हैं जिसकी खेती करने के लिए उनको प्रति दिन बाड़बंदी को पार कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जाना पड़ता है। मगर सुरक्षा कारणों से सुरक्षा प्रहरी उनको शाम को 6 बजे से पहले वापस आने को कहते हैं जिसके कारण किसानों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में मेरा आग्रह होगा कि जो बाड़बंदी की जा रही है वो सीमा के करीब यानी जीरो प्वाइंट पर किया जाए ताकि किसानों की समस्या का समाधान हो सके।

किसानों की समस्या यहीं खत्म नहीं होती, उनको अपने तैयार फसल को बेचने के लिए भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुदूर गांवों से किसान अपनी फसल को बेचने के लिए आसानी से नहीं ला सकता क्योंकि वहां की सड़कें काफी खस्ताहाल हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां की सड़कें काफी दयनीय स्थिति में हैं और इन सड़कों की देख-भाल करने वाला कोई नहीं है। जिसके कारण वहां की आम जनता तथा गरीब किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई किसान अपने खेतों

की उपजाई हुई सब्जियों को बाजार में बेचने जाता है तो समय पर वो नहीं पहुंच पाता क्योंकि वहां की सड़कों की हालत काफी खराब है और रास्ते में भी उनकी सब्जियां खराब हो जाती हैं।

मैं आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र सहित राज्य के किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। उनका जीवन काफी कष्टप्रद हो गया है। इस कष्ट से उनको मुक्ति दिलाई जाए ताकि उनका जीवन भी देश के अन्य किसानों की तरह सुखमय हो सके।

धन्यवाद सहित।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 1, 2 और 84 पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

रात्रि 8.09 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: महोदय, ये तीनों माँगें — माँग संख्याएँ 1, 2 और 84 — कृषि तथा ग्रामीण विकास से संबंधित हैं। ये दोनों विषय आपस में परस्पर जुड़े हुए, एक-दूसरे पर निर्भर, और अंतर्संबद्ध एवं समन्वित हैं।

इसलिए, कृषि, जैसा कि सभी जानते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव है। ग्रामीण भारत में 60 प्रतिशत से अधिक आबादी अभी भी कृषि से होने वाली आय पर निर्भर है। इसलिए, कृषि विकास या कृषि क्षेत्र में निवेश निश्चित रूप से देश के ग्रामीण विकास को बढ़ावा देगा।

इसी कारणवश, निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नारे या वचनों का उल्लेख किया है:

“भारत की आत्मा गांवों में बसती है।”

इस चर्चा में, मैं अपना भाषण केवल मांग संख्या 84 तक ही सीमित रख रहा हूँ, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। मैं मांग संख्या 1 और 2 के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ।

मांग संख्या 84 के संबंध में, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो देश की अधिकांश सामाजिक कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है, के लिए बजट आबंटन में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जो 1.12 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 1.18 लाख करोड़ रुपये हो गया है। मैं इसकी सराहना करता हूँ। लेकिन प्रमुख योजनाओं के लिए बजट आबंटन में केवल सामान्य, नाममात्र एवं मामूली वृद्धि की गई है। कुल आबंटन में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है। पहली योजना है — महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)। अधिकांश माननीय सदस्यगण इस बारे में बात कर चुके हैं। वर्ष 2019-20 के लिए

बजट अनुमान 60,000 करोड़ रुपये हैं, लेकिन वर्ष 2018-19 के लिए संशोधित अनुमान 61,084 करोड़ रुपये हैं। इसका मतलब है कि 2018-19 के संशोधित अनुमान की तुलना में 1084 करोड़ रुपये की गिरावट आई है। जब हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की बात कर रहे हैं, तो यह देखना चिंताजनक है कि वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान की तुलना में बजटीय आबंटन में कमी की गई है। यह किसी भी स्थिति में न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। मनरेगा योजना, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए-1) सरकार की एक प्रमुख योजना रही है, जिसने देश के ग्रामीण विकास पर अत्यंत सकारात्मक प्रभाव डाला है। लेकिन यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि संशोधित अनुमान की तुलना में आबंटित राशि में की गई कटौती को किसी भी रूप में न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। इस निर्णय की पुनः समीक्षा किया जाना अत्यंत आवश्यक है। यह मेरा पहला निवेदन है, जिसे मैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुझावों सहित आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। प्रथम, योजना के अंतर्गत कार्यदिवसों की संख्या को न्यूनतम 200 दिन किया जाना चाहिए, जिसके लिए संबंधित अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया जाना अपेक्षित है। द्वितीय, श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली न्यूनतम दैनिक मजदूरी को 800 रुपये प्रति दिवस तक संशोधित एवं वृद्धि किया जाना चाहिए। तृतीय, काजू प्रसंस्करण, नारियल उद्योग, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन आदि पारंपरिक कार्यों को मनरेगा के दायरे में सम्मिलित किया जाना चाहिए, ताकि कार्यदिवसों की संख्या में वृद्धि की जा सके और अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से लाभान्वित किया जा सके।

दूसरी प्रमुख योजना की बात करें तो — प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की एक प्रशंसनीय प्रमुख योजना है, जिसका शुभारंभ 25 दिसंबर, 2000 को किया गया था। इस योजना के लिए आबंटन में कुछ वृद्धि की गई है, जो कि 22.6 प्रतिशत है।

मैं अपना वक्तव्य समाप्त करते हुए यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं केवल माँग संख्या 84 पर ही अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य सभी असंपर्कित ग्रामीण बस्तियों को चारों मौसम में सुलभ सड़क संपर्क प्रदान करना है, जिसके वित्तीय साझेदारी का अनुपात केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 निर्धारित किया गया है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान यहां आकर्षित करता

हूँ, ग्रामीण विकास मंत्रालय पी.एम.जी.एस.वाई योजना के चरण 3 को लागू करने की योजना बना रहा है। मेरा विशेष आरोप यह है कि लक्ष्य आबंटन के संदर्भ में दक्षिण भारतीय राज्यों के, विशेषकर केरल के प्रति स्पष्ट भेदभाव किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रथम चरण में नई सड़क संपर्क सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य था। वहीं, चरण 2 और चरण 3 का उद्देश्य ग्रामीण सड़कों के उन्नयन पर केंद्रित था। चरण 1 में सड़कें मुख्य मार्ग नेटवर्क के मानदंडों के आधार पर चुनी गई थीं। बाद में, चरण 1 और चरण 3 के दौरान, यह परिकल्पना की जा रही है कि एक जिला ग्रामीण सड़क योजना की घोषणा की जानी है और डी.आर.आर.पी. के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। लेकिन हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह पी.एम.जी.एस.वाई में भी नहीं किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को 2011 की जनगणना के अनुसार अपने डी.आर.आर.पी. को संशोधित करने का निर्देश दिया है और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भी मुख्यमंत्रियों के परामर्श से संशोधित डी.आर.आर.पी. के आधार पर लक्ष्य के आबंटन पर सहमति व्यक्त की है। दुर्भाग्य से, ऐसा नहीं किया गया है। मैं केरल का उदाहरण बहुत अच्छी तरह से दे सकता हूँ। पहले चरण में 2600 किलोमीटर सड़क कोर नेटवर्क सड़क थी। दूसरे चरण में, कुल 50,000 किलोमीटर में से 570 किलोमीटर शामिल थे। ...*(व्यवधान)* चरण 3 के लिए, यह 1,25,000 किलोमीटर में से 1425 था। संशोधित डी.आर.ओ.पी. मानदंडों के अनुसार, केरल को लगभग 4,000 किलोमीटर सड़क मिलनी चाहिए, लेकिन तीसरे चरण में केवल 1425 किलोमीटर सड़क ही आबंटित की गई है। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि संशोधित डी.आर.पी.पी. के आधार पर पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत केरल के लक्ष्य को संशोधित किया जाए, जो राज्य के लिए एक न्यायसंगत और समतामूलक वितरण है।

यह जनगणना पर आधारित है; यह ग्रामीण सड़क नेटवर्क के घनत्व पर आधारित है। यह पी.एम.जी.एस.वाई. की अवधारणा है। दुर्भाग्यवश, इसे ध्यान में नहीं रखा गया है। इसके स्थान पर, उन्होंने एक अन्य सूत्र अपनाया है, जो कि मुख्य नेटवर्क के मानदंड पर आधारित है। उन्हें ग्रामीण सड़क योजना को ही आधार बनाना चाहिए।

महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना (पी.एम.ए.वाई.) की बात करें तो वर्ष '2022 तक सभी के लिए आवास' एन.डी.ए. सरकार का नारा है। यह एक प्रमुख कार्यक्रम भी है। 2018-19 का बजट आबंटन 21,000

करोड़ रुपये था जिसे उन्होंने 2019-20 के बजट आबंटन में घटाकर 19,000 करोड़ रुपये कर दिया है। जब उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट आबंटन में कटौती कर दी है तो वे किलोमीटर वर्ष 2022 तक 'सभी के लिए आवास' के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर पाएंगे?

अतः, मैं अपने अंतिम मुद्दे पर पहुँच चुका हूँ, जिसके संबंध में मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से भी संरक्षण की अपेक्षा करता हूँ। यह सांसद आदर्श ग्राम योजना से संबंधित है। यह सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में है। अधिकांश नए सदस्य इसके प्रभाव के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन अन्य सभी माननीय सदस्यों को इसका प्रभाव पता है। सदस्य इसे लेकर चिंतित हैं। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में तीन ग्राम पंचायतों का चयन किया है लेकिन भारत सरकार की ओर से बजट आबंटन के रूप में एक पैसा भी नहीं आ रहा है। कृपया सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए कुछ बजट आबंटन करें, अन्यथा इसके होने का कोई मतलब नहीं है। फिर, पी.एम.जी.एस.वाई. के चयन में, विद्युतीकरण में, जल आपूर्ति में और सड़क कार्यों में भी वरीयता दी जानी चाहिए। हर जगह सांसद आदर्श ग्राम योजना को कुछ महत्व या प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि प्रधान मंत्री जी का सपना पूरा हो सके।

इन कुछ सुझावों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। आपका बहुत - बहुत धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

^{70*} **श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली):** मैं केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास बजट के अनुदान एवं मांग पर अपने विचार रखना चाहता हूँ।

प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने का संकल्प लिया है, जिसका प्रतिबिम्ब इस बजट में दिख रहा है। किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6 हजार रूपए उनके बैंक खाते में ट्रान्सफर किया जाएगा तथा प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष के उम्र से अधिक उम्र वाले किसान भाइयों को पेंशन के रूप में 3000 रूपये आर्थिक सहयोग किया जाएगा।

किसानों की आय को दोगुना करने के लिए हमारी सरकार कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए अगले 5 वर्ष में 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनाने का लक्ष्य रखा है, आज तक देश में कृषि को एक व्यवसाय के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था, इसे और अधिक लाभदायक बनाने और अन्य व्यवसायों के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यवसाय के रूप में खेती का हम स्वागत करते हैं। आज देश में दुग्ध की जितनी मात्रा में मांग है उस अनुसार पूर्ति नहीं हो पा रही है इसके लिए सरकार द्वारा डेयरी उद्योग को सहकारिता के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा।

स्फूर्ति के पहल से अतिरिक्त कृषि उत्पादन को ऑक्सीजन मिलेगी जो कृषि क्षेत्र के खाली दिनों में आय का सहायक रूप है। सीएफसी में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण उनके उत्पादन को और अधिक लाभदायक, तथा 50000 शिल्पकारों को रोजगार के अवसर पैदा करने में सक्षम बनाएगा। इस पहल में शामिल होने के लिए तथा युवाओं में अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए 2019-20 तक 100 नए क्लस्टरों की स्थापना की जाएगी।

^{70*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जैसा कि हम सब जानते हैं भारत गांवों का देश है तथा इसकी आत्मा गांव में ही निवास करती है। अगर ग्रामीण परिवेश की बात की जाए तो बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बजट में वन नेशन वन ग्रेड प्लान की घोषणा भी की गई है, तथा साथ ही बिजली के ट्रैफिक में भी बड़े सुधार किए गए हैं। गांव में डिजिटलीकरण किया जा रहा है जिसके तहत हर गाँव को इन्टरनेट के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, और इसके माध्यम से करोड़ों लोगों को डिजिटल साक्षर भी बनाया जा रहा है।

हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2022 तक देश के सभी गरीब का अपना एक घर हो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारी सरकार ने गांवों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बढ़ावा देने का काम किया है। पिछले 5 वर्षों में कुल 1.54 करोड़ ग्रामीण घरों का निर्माण किया गया तथा इसके दूसरे चरण में 1.95 करोड़ आवास मुहैया कराने का प्रस्ताव है। अगर गांवों में बिजली आपूर्ति की बात करें तो हमारी सरकार द्वारा देश के सभी गाँवों में लगभग 100% परिवारों को बिजली प्रदान की गयी है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रतिदिन 130 से 133 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया तथा इसके तीसरे चरण में भारत माला परियोजना के तहत 80,250 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1.25 लाख कि.मी. सड़कों को अगले पांच सालों में अपग्रेड किया जाएगा। जिसके द्वारा रिहायशी क्षेत्रों को ग्रामीण कृषि बाजारों (जीआरएएम), उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा अस्पतालों से जोड़ने वाली प्रमुख ग्रामीण सम्पर्क सड़कें शामिल हैं।

21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है बढ़ता हुआ जल संकट है। "जल है तो कल है" की महत्ता को समझते हुए हमारी सरकार ने पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है तथा हमारी सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिए हर घर जल पहुंचाने के लिए राज्य के साथ मिलकर काम करेगी।

ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की बात करें तो, उज्ज्वला योजना के तहत 7 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटे जा चुके हैं, ताकि चूल्हे के धुएं की वजह से हमारी माताओं और बहनों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हमारी सरकार ने महिलाओं के सम्मान तथा गरिमा के लिए गाँव के हरेक घर में शौचालय बनवाए हैं, ताकि हमारी माताओं और बहनों को शौच के लिए घर के बाहर नहीं जाना पड़े।

"आयुष्मान भारत" जो की विश्व की सबसे बड़ी योजना है, इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर 10 करोड़ परिवारों अर्थात् 50 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, तथा इसका लाभ अभी तक 32 लाख लोगों को मिल चुका है। सस्ती दरों पर दावा उपलब्ध कराने के लिए 5300 से ज्यादा जनऔषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जिसका सीधा लाभ गाँव के गरीब भाइयों को मिल रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली में किसान भाइयों की मेहनत से उगाई गई फसलों को कुछ जंगली जानवर द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं, तथा नष्ट हुई फसलों का बीमा भी भरपाई नहीं करती हैं जिससे हमारे किसान भाइयों को जीवनयापन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः मैं माननीय मंत्री महोदय जी से मांग करता हूँ कि इस विषय पर विचार कर इनका निराकरण किया जाए।

मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली में प्रचुर मात्रा में पानी की उपलब्धता नही होने के कारण किसान भाइयों को खेती करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अतः मैं माननीय मंत्री महोदय जी से मांग करता हूँ कि जगह-जगह पर पानी स्टोरेज की व्यवस्था कराते हुए तालाब निर्माण कराया जाये तथा तालाब निर्माण के खर्च पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाये ताकि जल संचयन किया जा सके और हमारे किसान भाइयों को फसल उत्पादन हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।

मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि ई-वाहन को बढ़ावा देने हेतु जिस प्रकार सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की गयी है उसी तर्ज पर ई-ट्रेक्टर तथा कृषि में उपयोग होने वाले दूसरे उपकरणों को विकसित करने के लिए शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है। ताकि हमारे किसान भाई इसका लाभ लेते हुए सुलभ तरीके से खेती कर सकें।

हमारी सरकार "सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास" के मूर्त रूप प्रदान करते हुए इस बजट की हर योजना में गाँव, गरीब और किसान को केंद्र बिंदु मानकर बनाया है, ताकि इसका लाभ हमारे देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी मिले तथा उनका भी उज्ज्वल भविष्य का सपना साकार हो।

धन्यवाद।

^{71*}**श्रीमती रीती पाठक (सीधी):** हमारा देश कृषि प्रधान देश है और पूर्णतः कृषि पर आधारित है तथा सर्वाधिक आबादी यहाँ कृषि पर निर्भर है परंतु पूर्व में कांग्रेस के दौर में हमारे किसान भाइयों का हाल बेहाल था, हमारे देश के किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होते थे। इसका बड़ा कारण आय से अधिक खर्च था, आमदनी से ज्यादा खर्च के कारण कृषकों पर कर्ज अधिक होता जाता था और वो कर्ज न चुका पाने के कारण आत्महत्या करना उनके नजरिए में अंतिम रास्ता दिखता था और वो वही रास्ता चुन लेते थे।

यह साझा करते हुए मुझे अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है कि 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमारे देश के किसान खुशहाल हुए हैं किसानों के सम्मान का पूरा ध्यान हमारी सरकार ने रखा है इसका बड़ा उदाहरण है- किसान सम्मान निधि में सभी हितग्राही जो पात्र हैं उनके खाते में सीधी राशि जमा करने का हमारी सरकार का फैसला अत्यंत सराहनीय है एवं इस हेतु मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी व माननीय कृषि मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। यह योजना किसानों की आय को दोगुनी करने की दिशा में महत्वपूर्ण कड़ी है। इस वित्तीय बजट में 20,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 75,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करना भी यह दर्शाता है कि ऐसी बजट की व्यवस्था करने वाली सरकार किसानों की चिंता करने वाली सरकार है व किसानों की आय को दोगुनी करने वाली सरकार है। इस हेतु मैं अपनी केंद्र सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।

देश की आज़ादी के बाद पहली बार हमारी सरकार ने 127 कृषक व मजदूर संगठनों को 3000 रुपये पेंशन की व्यवस्था की है। यह फैसला भी किसानों के हितों में अभिनंदनीय है, इस वित्तीय बजट में इस योजना के लिए 900 करोड़ की व्यवस्था करना भी सराहनीय पहल है।

2014 के पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा फसल बीमा योजना की दरें रबी 35 प्रतिशत व खरीफ 6 प्रतिशत की गई थी परंतु 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसमें कटौती करते हुए रबी 1.5 प्रतिशत व खरीफ 2 प्रतिशत किया गया है यह हमारे देश के किसानों के लिए राहत की

^{71*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

खबर थी। पहले बीमा कंपनियां अपनी मन मर्जी फसलों के खराब होने पर मुआवजा प्रदान करती थी परंतु अब सर्कल तय कर उचित व पर्याप्त मुआवजा राशि करने की व्यवस्था की गई है। फसल बीमा योजना के लिए इस बजट में 14000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह कृषि सिंचाई योजना व हरित क्रांति के तहत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सहित अनेकों योजनाओं का प्रावधान हमारी सरकार द्वारा किया गया है। इस हेतु मैं अपनी और अपने संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से हमारी केंद्र सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।

2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा गाँव गरीब पिछड़ा मजदूर व मध्यमवर्गीय परिवारों की निरंतर चिंता की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों को पक्की छूट की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। गरीब गाँव के रसूखदारों के पक्के मकानों को देखकर अपने मन में ये सोचता था कि क्या कभी ऐसा मेरा भी घर होगा उस सपने को साकार किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारी गरीब बहने जो वर्षों से चूल्हा फूंकने का काम करते हुए अपने फेफड़े को धुआँ युक्त करती चली आ रही थी उनके फेफड़ों को धुआँ मुक्त करने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से किया है इस हेतु मैं अपने संसदीय क्षेत्र की बहनों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ।

प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, पीने के स्वच्छ पेयजल, सिंचाई योजना सहित अनेकों ऐसी योजना बनाई गई है जो अभिनंदनीय तथा सराहनीय है।

[अनुवाद]

श्री फ्रांसिस्को सर्दिन्हा (दक्षिण गोवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि एवं संबद्ध सेवाएं अर्थात् पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर बोलने का मुझे अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ।

सामान्यतः, सरकार ने अपनी नयी वित्त मंत्री के माध्यम से बजट प्रस्तुत करते हुए बड़े-बड़े वादों की दोहरी छवि प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा: “गाँव, गरीब और किसान।” यह एक अत्यंत प्रेरणादायक दृष्टिकोण है।

कृषि के संबंध में, बजट में वर्ष 2022 तक कृषि आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका मतलब है कि चार वर्षों में कृषि आय को दोगुना करना, जिसके लिए प्रति वर्ष 18 प्रतिशत की वृद्धि की चक्रवृद्धि वार्षिक दर की आवश्यकता होगी। कृषि आय में वृद्धि प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत होनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह वृद्धि लगभग तीन प्रतिशत रही है। वर्तमान में यह केवल दो प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि भारत एक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा। इसके लिए आर्थिक वृद्धि दर में वृद्धि आवश्यक है। इन अनुमानों को वास्तविक, प्रमाणित एवं यथार्थपरक होना चाहिए।

मेरा एक और संदेह यह है कि सरकार बजट प्रस्तुत करते समय अत्यंत सकारात्मक और प्रभावशाली चित्रण करती है। वह मनोहर नारों के माध्यम से अति आशाजनक वादे प्रस्तुत करती है और इसे कागज पर अत्यंत प्रशंसनीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन जब हम वास्तविकता में इसका अवलोकन करते हैं, तो स्थिति पूरी तरह भिन्न होती है। भले ही कुछ चीजें दिखने में अच्छी या प्रभावशाली लगती हों, वास्तविकता में वे अपनी अपेक्षित भूमिका पूरी नहीं करतीं।

अब, आइए वास्तविक स्थिति की ओर ध्यान दें। यह राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है कि हमारे देश के किसान संकट में हैं। किसानों के आत्महत्या के आंकड़ों पर गौर करें। पिछले कुछ वर्षों में प्रतिवर्ष औसतन 15,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। हमारे किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? लोग कृषि व्यवसाय को त्यागते जा रहे हैं। यह जानना कठिन कार्य नहीं है कि इसके पीछे कारण क्या हैं। किसान आत्महत्या कर

रहे हैं क्योंकि वे संकटग्रस्त एवं निराशाजनक स्थिति में हैं। संस्थागत ऋण के अभाव में वे कंगाल हो रहे हैं। लोग कृषि को त्याग रहे हैं क्योंकि यह लाभकारी व्यवसाय नहीं रह गया है। नाबार्ड के एक अध्ययन के अनुसार, एक किसान की मासिक आय मात्र 8,900 रुपये है। इतनी न्यूनतम आय पर किसान एवं उसका परिवार कैसे जीवन यापन कर सकता है?

महोदय, देश का पूरा कृषि ऋण माफ किया जा सकता था क्योंकि पिछली बार 100 व्यापारियों का 1 लाख करोड़ रुपये माफ किया गया था।

अब मैं अपने राज्य गोवा की बात करना चाहूंगा। यहाँ हमारे पास बहुत छोटे और सीमांत किसान हैं। उनके पास जो भूमि है, वह अधिकतम 2,000 से 3,000 वर्ग मीटर से अधिक नहीं है। एम.एस.पी. की रिपोर्ट के अनुसार, जो भी मूल्य हम उत्पादन के लिए देते हैं, वह बड़े किसानों के लिए स्वीकार्य है। मैं उन छोटे किसानों की बात कर रहा हूँ जो अपनी उपज को बेच नहीं पाते। उनका उत्पादन कभी-कभी उनके स्वयं के उपभोग के लिए भी पर्याप्त नहीं होता। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इसे ध्यान में रखें और उन्हें बहुत कम दर पर उर्वरक उपलब्ध कराएं। उनसे निःशुल्क बीज उपलब्ध कराने का भी अनुरोध है। साथ ही, मैं माननीय मंत्री से अनुसंधान एवं विकास के लिए अधिक धन आबंटित करने का अनुरोध करूंगा। हम इस क्षेत्र में नवाचार चाहते हैं। कुल उत्पादन के बजाय, हमें कृषि के लाभदायक होने के लिए प्रति एकड़ उत्पादन देखना होगा।

अब मैं मत्स्य पालन के विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। हमारे पास इतनी लंबी समुद्री तटरेखा है। हमारा मछली पकड़ने का स्तर कितना है? हम विश्व में तीसरे स्थान पर हैं। पहले स्थान पर चीन है, जहां उनका मछली पकड़ने का स्तर लगभग 51 मिलियन टन है। दूसरा इंडोनेशिया है जहां यह लगभग 21 मिलियन टन है और भारत में लगभग 10 मिलियन टन है। जब हमारे पास इतनी लंबी समुद्री तट रेखा है, तो यह समस्या क्यों हो रही है? जब मछलियां एक विशेष मौसम में प्रजनन के लिए आती हैं, तब उन्हें पकड़ लिया जाता है। ऐसे में आप उनसे प्रजनन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? अतः इसके लिए एक राष्ट्रीय नीति बनानी आवश्यक है। हमें ऐसे विधेयक के साथ आना होगा जिसमें यह प्रावधान हो कि मछुआरों को

इस विशिष्ट मौसम में समुद्र में जाकर मछली पकड़ने की अनुमति न दी जाए। केवल इस प्रकार ही मछली उत्पादन में वृद्धि संभव होगी।

जहाँ तक पशुपालन का सम्बन्ध है, हम दूध के सबसे बड़े उत्पादक हैं। मैं पशुधन की संख्या के विषय में जानना चाहूँगा, जो अत्यंत अधिक है। प्रति गाय कितनी मात्रा में दूध उत्पादन होता है? औसतन, भारतीय मवेशियों की वार्षिक दूध उपज प्रति वर्ष 1,172 किलोग्राम है जबकि यूके में प्रति पशु उत्पादन 7,271 किलोग्राम है। युद्ध स्तर पर पशुधन का उन्नयन होना चाहिए। औसतन, भारतीय पशुओं का वार्षिक दूध उत्पादन 1,172 किलोग्राम प्रति वर्ष है, जबकि यूके में प्रति पशु उत्पादन 7,271 किलो ग्राम है। इसलिए, पशुधन के आधुनिकीकरण के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करना आवश्यक है।

महोदय, मैं मंत्री से निवेदन करता हूँ कि वे एक और महत्वपूर्ण विषय पर विचार करें। बजट में नकद निकासी पर दो प्रतिशत टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) की घोषणा की गई है। इसे समाप्त किया जाना चाहिए। यह इसलिए है क्योंकि पशुपालन में, जब लोग अपने पुराने पशु बेचते हैं या कृषि में जब वे अपनी उपज बेचते हैं, तो वे चेक नहीं लेते, बल्कि पूरी भुगतान नकद में ही होता है। दूसरा, निर्यात किए जाने वाले मांस और चमड़े पर कर को कम किया जाना चाहिए। यह प्रतिस्पर्धात्मक होना आवश्यक है क्योंकि उन्हें अन्य निर्यातकों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होती है।

हम काजू और काली मिर्च का उत्पादन करते हैं। पिछले दो वर्षों में काजू की कीमतों में गिरावट आई है, वहीं काली मिर्च की कीमतें लगभग आधी हो गई हैं। कृपया ध्यान दें कि श्रीलंका, वियतनाम और अन्य देशों से आने वाले काली मिर्च के आयात पर कर लगाया जाना चाहिए ताकि हमारे किसान अपनी कृषि उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।

धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती नवनीत राणा जी पहली बार सदन में आई हैं और ग्रामीण विकास पर बहुत एग्रेसिव तरीके से बोलना चाहती हैं। आप कम समय में अपनी बात कहिए।

श्रीमती नवनीत रवि राणा (अमरावती): अध्यक्ष महोदय, आज गुरु पूर्णिमा है... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बैनिवाल जी, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

श्रीमती नवनीत रवि राणा : आज गुरु पूर्णिमा है। यहाँ जितने भी सांसद बैठे हैं, मैं अध्यक्ष जी और सभी को नमस्कार करके आशीर्वाद लेती हूँ।

आज हम जय जवान, जय किसान की बात करते हैं। मैं पहले बताना चाहती हूँ कि जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ, उससे देश के पहले कृषि मंत्री भाऊ साहेब पंजाबराव देशमुख बिलाँग करते थे। मैं उस क्षेत्र से आती हूँ और उस डिस्ट्रिक्ट को रिप्रजेंट करती हूँ। मेरी खुशनसीबी यह है कि मैं उस क्षेत्र में बहू बन कर गई हूँ।

आपके सामने जब भी महाराष्ट्र की बात होती है तो महाराष्ट्र में सबसे दुःखी चीज़ को पहचानते हैं, महाराष्ट्र में मुम्बई जैसे शहर को बाजू में रखते हैं, सबसे पहला दुःख अगर कोई है तो वह महाराष्ट्र के किसानों की बात, सूखे की बात और उनकी आत्महत्या की बात है। महाराष्ट्र पहले किसी और चीज़ के लिए पहचाना जाता था, लेकिन आज महाराष्ट्र कुछ और चीज़ के लिए पहचाना जाता है। पिछले 35 से 40 वर्षों में पूरे देश में साढ़े तीन लाख आत्महत्याएँ किसानों ने की हैं और महाराष्ट्र में 80,000 किसानों ने आत्महत्या की हैं।

विदर्भ में सबसे पहले यवतमाल जिले में एक किसान ने आत्महत्या की थी। उसने अपने साथ पूरे परिवार को उस राह पर चलने के लिए मजबूर किया। उन्होंने तैंतीस साल पहले अपने पूरे परिवार को समाप्त किया। सबसे दुःखद बात है कि आज भी महाराष्ट्र में सूखा है, आज भी महाराष्ट्र में बारिश नहीं हुई है। पिछले कई वर्षों से हमने देखा है। मेरी मंत्री महोदय से माँग सिर्फ इतनी है कि हमारे किसान बुआई से लेकर कटाई तक जो मेहनत करते हैं, जो उनकी लागत लगती है, मेरी आपसे सिर्फ एक ही अपेक्षा है कि आप

महाराष्ट्र को अपनी आंखों से देखें कि उनकी स्थिति, उनकी मेहनत, उनकी लागत बुआई से कटाई तक कितनी है। राज्य सरकार को आपको आदेश देना चाहिए कि राज्य सरकार को उनसे सीधे खरीदी करनी चाहिए, न कि बिचौलियों को बीच में रखना चाहिए। आज बिचौलियों की परिस्थिति देखिये, बिचौलियों के घर देखिये, उनके बच्चों की एजुकेशन देखिये, उनके पास गाड़ियाँ देखिये और किसानों के पास आज भी रहने के लिए मिट्टी का घर ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं मंत्री महोदय से और अध्यक्ष महोदय से एक ही विनती करूँगी कि जो भी खरीदी करनी है, बिचौलियों को बाजू में रखकर राज्य सरकार को किसानों से सीधे खरीदी करनी चाहिए और राज्य सरकार को डेढ़ गुणा ज्यादा भाव किसानों को देना चाहिए, जिससे उनको जिन्दगी में श्योर्टी होगी और वे कुछ न कुछ श्योर्टी लेकर अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ेंगे। अगर आज किसानों के लड़के की शादी के लिए कोई पूछता है तो उनके बच्चों से कोई लड़की शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है। वह सोचती है कि किसान का लड़का है, इसके घर में खाने को भी नहीं मिलेगा। आज यह परिस्थिति हमारे देश में है। बिजनैसमेन हो या एजुकेशन फील्ड से कोई बिलाँग करता हो... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : किसान के बच्चों से शादी करना पसंद करते हैं। किसान पर इतना बड़ा गम्भीर आरोप मत लगाओ।

श्रीमती नवनीत रवि राणा : अध्यक्ष महोदय, हम ग्राउंड पर काम करते हैं, देश के गाँवों में घूमते हैं। [हिन्दी] उनकी परिस्थिति के बारे में हमसे पूछिए... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपके हित में बता रहा हूँ। नहीं तो लोग कहेंगे कि किसानों के बारे में ऐसा बोला।

श्रीमती नवनीत रवि राणा: मैं किसान के बच्चों के बारे में कह रही हूँ। किसानों के बारे में नहीं, किसान के बच्चों के बारे में कह रही हूँ। जब किसान के बच्चों के लिए रिश्ता लेकर जाते हैं तो बोलते हैं कि किसान का बच्चा है, हम इनके घर में अपनी बेटी नहीं देंगे। ये हालत हमारे यहां हैं। आज सूखे के लिए किसी ने बहुत अच्छा हमारे जिले के लिए कहा है-

ज़मीन जल चुकी है, आसमान बाकी है

सूखे कुएं तुम्हारा इम्तहान बाकी है

बरस जाना इस बार वक्त पर ऐ मेघा

किसी का घर गिरवी है और किसी का लगान बाकी है।

मुझे लगता है कि जो योजना अन्नदाता से ऊर्जादाता श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने दी है, मुझे लगता है कि ऊर्जादाता नाम देना, यह दिल को छूने वाली बात है कि उन्होंने एक महिला होने के नाते अपना फाइनेंशियल बजट पेश किया। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आज खाद, सीड और पेस्टिसाइड्स स्प्रे यूज किए जाते हैं। ऐसे कई स्प्रे जो लोग यूज करते हैं, उनमें 70 टके डुप्लिकेट ये चीज़ें भांप ली जाती है। जब हम लैब में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं तो वे तीन महीने रिपोर्ट भेजने में लगाते हैं। उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए तीन महीने लगाते हैं। अगर रिपोर्टिंग के लिए तीन महीने लगाएँ तो आप यह विचार कीजिए कि नकली खाद जो किसान अपने खेतों में यूज कर रहा है, अगर ऐसे 100 और लोग वह डुप्लिकेट खाद अपनी फसलों में डाले तो उसमें कितने लोग फँसेंगे। आप लोगों को तीन दिन या मैक्सिमम दस दिन का टाइम देना चाहिए कि मैक्सिमम दस दिन में आपको इसमें रिपोर्ट देनी चाहिए।

मैं आपसे यह विनती करती हूँ। प्रधान मंत्री साहब की जो प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना है, उसके लिए जब किसान ऑफिस में फॉर्म भरने के लिए जाते हैं या ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो उनकी चप्पलें घिस जाती हैं। फॉर्म में त्रुटियाँ निकालकर उनके हाथ में फॉर्म दे देते हैं। उनके फॉर्म में तरह-तरह की गलतियाँ निकालते हैं कि यह कागज आपके पास नहीं है, तहसीलदार, पटवारी ने आपकी चौकसी नहीं की है। वे कहते हैं कि आप पूरा फॉर्म फुलफिल कीजिए। अगर किसान इतना पढ़ा-लिखा होगा, तो वह घर में बैठकर ऑनलाइन फॉर्म भरेगा, न कि वह तहसील में जाकर या पटवारी को बुलाकर फॉर्म भरेगा। मेरी आपसे सिर्फ इतनी ही विनती है कि जो भी चीज़ें आप लोग कर रहे हैं, आप उन्हें अच्छी तरह से कीजिए। आज मुझे पता लगा कि मेजोरिटी, माइनोरिटी और कम लोगों में क्या फर्क होता है। मैं सुबह 11 बजे से बैठी हूँ और अब

साढ़े आठ बज गए हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसका इंतजार कर रही हूँ कि मुझे किसानों के मुद्दे पर कब बोलना है। जब हम लोगों ने अपने जिले विदर्भ में 2 बार आन्दोलन किया... (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : हम भी सुबह से इसी इंतजार में अभी भी बैठे हुए हैं... (व्यवधान)

श्रीमती नवनीत रवि राणा: हमने जब 2 बार आन्दोलन किया तो हम विधायक होने के नाते 10 दिन जेल में रहे और हमने अनशन किया। उस समय शरद पवार साहब हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे और तब उन्होंने 2 हजार करोड़ रुपये हमारे महाराष्ट्र को दिए। मैं मंत्री महोदय जी से सिर्फ इतनी ही विनती करूँगी कि हमारे महाराष्ट्र की कर्ज माफी को लेकर आपको एक सीरियस मीटिंग बिठानी चाहिए... (व्यवधान)

महोदय, मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिए। हमारे महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब राज्य सरकार से इसके लिए पूछते हैं, तो वे कहते हैं कि केन्द्र सरकार ने हमें इतना फंड ही नहीं दिया है कि हम पूरी कर्ज माफी कर सकें। मेरी आपसे इतनी ही विनती है कि आप हर राज्य को आदेश दें। आप किसानों से सीधा माल खरीदें। आप राज्य सरकार को केन्द्र की तरफ से पूरे पैसे दें, ताकि महाराष्ट्र के किसानों का भला हो सके और उनकी पूरी कर्ज माफी टोटल सौ प्रतिशत होनी चाहिए। मैं आप लोगों से और मंत्री महोदय से यही विनती करूँगी। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : नई माननीय सदस्या बहुत अच्छा बोली हैं।

^{72*} **श्री मुकेश राजपूत (फर्रुखाबाद):** मैं वर्ष 2019-20 के लिए ग्रामीण विकास तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालयों के अधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर अपने विचार रखना चाहता हूँ।

भारत के नव निर्माण की परिकल्पना तब तक पूरी नहीं की जा सकती जब तक अन्नदाता को सशक्त नहीं बनाया जा सकता क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और जब तक कृषि और किसान पूरी तरह से विकसित नहीं हो तब तक देश विकसित नहीं हो सकता। इसलिए भारत की अथर्व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए जी.डी.पी. की वृद्धि के लिए किसानों को खुशहाल बनाना होगा इसी क्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है और उसका परिणाम भी दिखने लगा है। प्रतिवर्ष 6000/- रुपये किसान सम्मान निधि मिलने से कृषि उत्पादन से संबंधित छोटी-छोटी जरूरत अब छोटे किसानों की पूरी हो जाती हैं किसान अब साहूकार के पास नहीं जाते हैं। छोटे-मोटे काम अब इस निधि से ही पूरे हो जाते हैं।

इस समय देश में गिरता हुआ भूजल स्तर एक विकट समस्या बना हुआ है। दिन- प्रतिदिन भूजल के स्तर में भारी गिरावट आ रही है जिससे बजट से कृषि पर भारी संकट आने वाला है। जल संरक्षण की महती आवश्यकता है।

मेरा संसदीय क्षेत्र फर्रुखाबाद तीन-तीन नदियों से घिरा हुआ है फिर भी सिंचाई के लिए बेहिसाब जल दोहन के कारण मेरे क्षेत्र के कई ब्लॉक डार्क जोन में आ गये हैं। इन्हीं नदियों और बरसाती नालों में जगह-जगह पर चैकडैम बना दिए जाएं एवं उन चैकडैमों से नदी, नालों के दोनों किनारों पर रजबहे निकाल दिए जाएँ तो पानी का संरक्षण तो होगा ही साथ ही साथ इन रजबहों से वर्ष भर सिंचाई भी होती रहेगी। और जो मीठा पानी बहकर बंगाल की खाड़ी में चला जाता है और खारा बन जाता है वह भी बचेगा एवं किसान समर भी नहीं लगायेंगे इन चैकडैम के निर्माण में लागत भी कम आती है और इससे पानी की बचत भी होगी तथा गिरते हुए भूजल स्तर में भी सुधार आयेगा। इसके लिए बजट में विशेष प्रावधान की आवश्यकता है।

^{72*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

इसी प्रकार अब हम लोग जब गाँव में जाते हैं तो अक्सर यह देखने को मिलता है कि गाँव की गलियों में तो पानी भरा मिल जाता है लेकिन गाँव के तालाब सूखे मिलते हैं या कहीं तालाबों में पानी होता है तो वो कचड़ा, कूड़ा-करकट सब तालाब में ही डालते हैं और तालाबों को चिन्हित कर उन्हें साफ कराने व वर्षा का जल संचय कराने की कोई ठोस नीति बनाना अति आवश्यक है।

जब से माननीय मोदी जी की सरकार आयी है विद्युत व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आया है अब गाँव में भी 18 से 20 घंटे बिजली आ रही है परन्तु स्थानीय स्तर पर फाल्ट निर्बाध विद्युत् आपूर्ति में बाधा बने हुए है स्थानीय विद्युत कर्मचारियों द्वारा शोषण भी आम बात है सरकार ने फीडर सेपरेशन का कार्य तो किया है परन्तु स्थानीय स्तर के कर्मचारी बिलों में गड़बड़ी कर देते हैं, तो कहीं मीटर तो लगा देते हैं, कनेक्शन नहीं करते, जिसके कारण बिना विद्युत आपूर्ति के ही बिल आने लगते हैं फिर शुरू होता है किसानों का शोषण ।

इसलिए इस दिशा में भी ध्यान देने की आवश्यकता है । किसानों को नलकूप कनेक्शन लेने में समय न लगे ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है एवं लोकल फाल्ट अंकुश लगना चाहिए ।

धन्यवाद।

[अनुवाद]

^{73*} श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़-बारां): मैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा।

इस वर्ष भारत हमारे राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाएगा। गांधी जी ने एक बार कहा था, "भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है"। इस अवसर पर मैं सरकार और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की सराहना करता हूँ कि उन्होंने अपने पहले बजट में "गाँव, गरीब और किसान" को केंद्र में रखा।

2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, हमारे देश की 68.8% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। 2016 में किए गए आई.सी.ई. 360 सर्वे के अनुसार, भारत की सबसे कम आय वाले 20% वर्ग में से 89% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने 2024-25 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 68.8% लोगों या भारत की 20% आय वर्ग के 89% लोगों का आर्थिक विकास आगामी वर्षों में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमें समाज के निचले तबके के लोगों को खर्च करने की सामर्थ्य प्रदान करनी होगी, उन्हें गरीबी से ऊपर उठाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी परिवार में किसी अनहोनी के कारण वे पुनः गरीबी की रेखा के नीचे न चले जाएं।

मैं पूरी सभा से अनुरोध करूंगा कि सरकार द्वारा फरवरी 2019 में 12 करोड़ किसानों के लिए शुरू की गई पीएम-किसान योजना की सराहना की जाए और अब 31 मई 2019 को पहली कैबिनेट बैठक के दौरान इसे भारत के सभी किसानों के लिए विस्तारित किया गया है। मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मेरे राज्य और मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग पीएम-किसान योजना के लाभ से वंचित हैं क्योंकि राजस्थान राज्य सरकार ने इस योजना को पूरी तरह से लागू नहीं किया है।

^{73*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

प्रति वर्ष 6000 रुपये या प्रति परिवार 16.43 रुपये प्रतिदिन उपलब्ध कराने की यह योजना 2022 तक किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। महोदय, यदि मैं अपने राज्य राजस्थान की बात करूं, तो राजस्थान में पांच सदस्यों वाले परिवार को पीएम किसान योजना से प्रति माह 82 रुपये की अतिरिक्त आय होगी। यह धनराशि कई लोगों के लिए छोटी लग सकती है, लेकिन यह पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर मौजूद व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभिन्न आय वर्गों के मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय की तुलना “रंगराजन रिपोर्ट ऑन गरीबी” में ग्रामीण राजस्थान के लिए निर्धारित गरीबी रेखा से करने पर पता चलता है कि ग्रामीण राजस्थान की लगभग 10% आबादी गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएगी। इससे उनकी खर्च करने की क्षमता सशक्त होगी और समग्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, गांव, गरीब, किसान को समर्थन मिलेगा। पिछले साल, हमारे पी.एम. मोदी जी ने उत्पादन लागत का 150% एम.एस.पी. की घोषणा की थी। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जीरा, धनिया और लहसुन के लिए भी प्रावधान किया जाए।

मैं राजस्थान राज्य सरकार को उनकी उस प्रतिबद्धता की याद दिलाना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने प्रत्येक किसान के लिए 2 लाख रुपये के कर्ज माफी का वादा किया था। जैसा कि अक्सर होता रहा है, यह भी चुनावों के दौरान नागरिकों से किया गया एक झूठा वादा साबित हुआ है। इसके अलावा, मैं परवान बांध परियोजना के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा जो कई बार विवादास्पद और विलंबित रही है। यह झालावाड़ और बारां जिलों में लिंडर निर्माण परियोजना है, जिसके लिए वर्ष 2017 में 6489.59 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई थी। इस परियोजना को पहली बार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से 25 नवंबर, 2011 को मंजूरी प्राप्त हुई थी। एन.जी.टी. ने साफ कहा था कि 32 शर्तों का पालन किए बिना निर्माण शुरू नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उचित प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए 17 सितंबर 2013 को बांध का शिलान्यास कर दिया। तब कांग्रेस पार्टी राजस्थान में चुनाव हार गई और श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व में नई सरकार बनी, जिसने एन.जी.टी. द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा किया और 23 जनवरी 2017 को अंतिम मंजूरी मिल गई और फिर बांध का निर्माण दिसंबर 2017 में शुरू हुआ, लेकिन नया श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में बनी सरकार ने धन की

कमी के कारण परियोजना का निर्माण रोक दिया है। हमारे देश का एक लंबा इतिहास है जहाँ परियोजनाएँ अटक जाती हैं, और फिर करदाता नागरिकों को पिछली सरकारों की अक्षमता के कारण बड़ी हुई लागत का भुगतान करना पड़ता है। यह परियोजना मेरे साथ-साथ आपके क्षेत्र के किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिंचाई योग्य भूमि बढ़ाने में सहायक होगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे और हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा राजस्थान में शुरू की गई थी, जो किसानों को आवश्यक उर्वरकों की मात्रा के बारे में अधिक सटीक रूप से समझने में मदद करेगी। मैं माननीय मंत्री से विनम्र निवेदन करता हूँ कि बाराँ जिले से होकर गुजरने वाली चम्बल नदी के दाहिने बांध की आवश्यक मरम्मत और गहरीकरण कार्य पूरा किया जाए। इससे जल प्रवाह में सुधार होगा और मेरे निर्वाचन क्षेत्र के किसानों को सिंचाई की सुविधाएँ बढ़ेंगी।

आज, भारत में हमें जैविक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है जो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता को कम करती है, जिनका अधिक उपयोग कभी-कभी पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। मुझे यह बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र झालावाड़ जिले के मानपुरा गांव के किसान श्री हुकुमचंद पाटीदार को जैविक खेती के लिए 2018 में भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उन्होंने दो प्रकार की जैविक खाद विकसित की हैं — पहली, केंचुओं की सहायता से कम्पोस्ट तैयार कर बनाई जाती है; और दूसरी, गोबर, गोमूत्र, दूध, घी, दही, बेसन, हल्दी पाउडर और पत्तियों का उपयोग कर तैयार की जाती है। वे अपनी दूसरी विधि से तैयार की गई खाद को "इंस्टेंट कम्पोस्ट" के नाम से संबोधित करते हैं। गत 16 वर्षों में उन्होंने मनपुरा ग्राम के लगभग 120 किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया है तथा इस ग्राम को रसायन-मुक्त कृषि का एक प्रमुख केंद्र विकसित करने की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया है। श्री हुकुमचंद पाटीदार द्वारा विकसित जैविक खेती के मॉडल को समझने के लिए 28 देशों के कृषि विशेषज्ञ मनपुरा गाँव का दौरा कर चुके हैं। प्रतिवर्ष मनपुरा के किसान लगभग 100 टन धनिया पाउडर जापान, 2200 किलोग्राम लहसुन पेस्ट स्विट्ज़रलैंड तथा लगभग 50 टन मेथी और 100 क्विंटल सौंफ जर्मनी को निर्यात करते हैं। मैं अपने सभी सहयोगियों को आमंत्रित करता हूँ कि वे मेरे संसदीय क्षेत्र का दौरा करें, ताकि जैविक खेती

पर विचारों का आदान-प्रदान हो सके और यह समझा जा सके कि इस मॉडल को देशभर में कैसे प्रसारित किया जा सकता है। हमें अपनी कृषि अर्थव्यवस्था में इस परिवर्तन के लिए मिलकर कार्य करना होगा। इन विभिन्न देशों को होने वाले निर्यात को मेरे संसदीय क्षेत्र से उपलब्ध लंबी दूरी की रेल संपर्क सुविधाओं के कारण संभव बनाया जा सका है, जैसे कि भवानी मंडी से मुंबई, बारां से अशोक नगर (मध्य प्रदेश) तक की रेल लाइन्। इसके अतिरिक्त, रामगंज मंडी से भोपाल तक निर्माणाधीन रेल लाइन व्यापार और निर्यात को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इसके अलावा, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हम किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्रदान करने के लिए गांवों से सीधे आतिथ्य क्षेत्र में सब्जियों की सीधी बिक्री को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले उल्लेखित रेल लाइनों का उपयोग करके किया है।

मैं आज अपने संसदीय क्षेत्र के संदर्भ में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ। झालावाड़ में लगभग 45,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में उत्पादित संतरे अपने उत्कृष्ट स्वाद, वजन, पतले छिलके एवं अधिक समय तक ताजगी बनाए रखने की क्षमता के कारण नागपुर में उत्पादित संतरों की तुलना में श्रेष्ठ माने जाते हैं। माननीय गडकरी जी, मुझे खेद है कि यह तथ्य आपके समक्ष रखना पड़ रहा है, लेकिन अपने क्षेत्र की विशिष्टता को रेखांकित करना मेरा कर्तव्य है। इस समस्त विकास में झालावाड़ के हॉर्टिकल्चर एवं फॉरेस्ट्री कॉलेज तथा कोटा कृषि विश्वविद्यालय के उद्यानिकी विभाग द्वारा समयोचित मार्गदर्शन एवं सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में हम स्ट्रॉबेरी की खेती के परीक्षण प्रारंभ कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि निकट भविष्य में जैविक कृषि के संयोजन से उच्च गुणवत्ता वाली स्ट्रॉबेरी उत्पादन संभव होगा।

इसके अलावा, मैं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के बारे में भी बात करना चाहूंगा, यह राजस्थान की पिछली सरकार द्वारा श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व में शुरू किया गया एक कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य हमारे गांवों को उचित योजना और तकनीक के उपयोग के माध्यम से जल के मामले में आत्मनिर्भर बनाना था। इसके परिणामस्वरूप सिंचित क्षेत्र, खेती योग्य भूमि और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। मुझे जल संकट का सामना कर रहे अन्य राज्यों के साथ इस कार्यक्रम के बारे में विवरण साझा करते हुए बहुत खुशी होगी। जल एक प्राकृतिक संसाधन है, यदि इसका बुद्धिमानी से उपयोग किया जाए और सर्वोत्तम प्रबंधन किया जाए तो कोई संकट नहीं होगा और यह संभव है, इस कार्यक्रम से वास्तव में कई गांवों में भूजल स्तर में

बढ़ोत्तरी हुई है। मैं इस कार्यक्रम के लिए एनएम सदरु वाटर एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के समर्थन और सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ।

हाल ही में बागवानी क्षेत्र और पॉलीहाउस खेती में काफी विकास हुआ है। इससे पौधों की वृद्धि में बहुत सुधार हुआ है और किसानों के लिए मूल्य वर्धित हुआ है। इसके साथ-साथ मधुमक्खी पालन भी बढ़ा है, जिसने मधुमक्खियों के कारण परागण को बेहतर बनाया है, जिससे खेत की उत्पादकता बढ़ी है और शहद से अतिरिक्त आय भी हुई है। यदि भारत में व्यापक स्तर पर पॉलीहाउस खेती को अपनाया जाए, तो यह कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। ऐसी पहलों को किसानों के बीच बढ़ावा देना आवश्यक है ताकि उनकी कमाई की क्षमता में सुधार हो सके। किसानों को अपनी आय के स्रोतों में विविधता लानी चाहिए, जिसमें मधुमक्खी पालन, बागवानी, जैविक खेती और जैविक उर्वरकों का उपयोग शामिल हो। इससे कृषि उत्पादकता, प्रति इकाई भूमि पर किसान की आय में सुधार होता है और आय के स्रोतों में विविधता आती है, वह भी जैविक उर्वरकों के उपयोग द्वारा निवेश की लागत को कम करके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि खेती के इस तरह के वैज्ञानिक तरीकों को नियोजित किया जाए और इष्टतम रूप से उपयोग किया जाए, कृषि अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को वर्ष 2019-20 के लिए 4,869 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। यह वर्ष 2018-19 के संशोधित प्राक्कलन से 3.7 प्रतिशत कम है। मैं सरकार से कृषि अनुसंधान के लिए आबंटित बजट में वृद्धि करने का अनुरोध करता हूँ क्योंकि भारत में विकसित देशों की तुलना में कृषि अनुसंधान पर होने वाला व्यय काफी कम है और यहां तक कि तुलनात्मक विकासशील देशों की तुलना में भी कम है। वर्ष 2001 के बाद से कृषि अनुसंधान पर व्यय कृषि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.3-0.4% रहा है, जबकि ब्राजील (1.8%), मैक्सिको (1.05%), मलेशिया (0.99%) और चीन (0.62%) में यह बहुत अधिक है। अनुसंधान निधि में वृद्धि से उत्पादन लागत कम करने में सहायता मिलेगी तथा किसानों को कम कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता वाले फल उगाने में मदद मिलेगी जिससे किसानों के लिए नए निर्यात बाजार खुल सकते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।

अंत में, मैं हमारी पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे जी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने राजस्थान के किसानों के लिए इन सभी उपलब्धियों को संभव बनाया और साथ ही ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट की शुरुआत की, जिसने किसानों को उनकी उपज को प्रदर्शित करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान किया है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती चिंता अनुराधा।

ये भी नई माननीय सदस्या हैं और अच्छा बोलती हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती चिंता अनुराधा (अमलापुरम): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्माननीय सभा में मुझे अपना पहला भाषण देने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद।

ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कल्याण में सुधार की प्रक्रिया है। ग्रामीण क्षेत्र का पिछड़ापन देश की समग्र प्रगति में एक बड़ा बाधक होगा।

भारत में, लगभग 61.5 प्रतिशत लोगों का मुख्य व्यवसाय मूल रूप से कृषि है। इसलिए, तकनीकी विकास ने अमीर और गरीब के बीच अंतर को बढ़ा दिया है, क्योंकि समृद्ध किसान आधुनिक कृषि तकनीकों को छोटे किसानों की तुलना में अधिक अपनाते हैं।

कृषि ग्रामीण विकास का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह ग्रामीण विकास का संपूर्ण हिस्सा नहीं हो सकता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 83 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जो देश की कुल आबादी का लगभग 69 प्रतिशत हैं। बुनियादी सेवाओं और सामाजिक-आर्थिक और विकास के बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के मामले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच विकास में असमानता रही है।

ग्रामीण भारत पिछले कई वर्षों से खराब बुनियादी सुविधाओं, कृषि संकट, प्रवासन और बेरोजगारी जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है।

जैसा कि मेयर और बाल्डविन ने कहा है:-

“राष्ट्रों की गरीबी का अध्ययन राष्ट्रों की संपत्ति के अध्ययन से भी अधिक जरूरी है। ”

महोदय, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि यह बजट 'गांव, गरीब और किसान' के लिए है, इसके बावजूद, 2018-19 के संशोधित अनुमान में ग्रामीण विकास विभाग के लिए कुल केंद्रीय बजट में आबंटन का हिस्सा 4.7 प्रतिशत से घटकर 2019-20 के संशोधित अनुमान में 4.2 प्रतिशत रह गया है।

महोदय, इस बजट में घोषणा की गई थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के दूसरे चरण में, 1.95 करोड़ पात्र लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनमें शौचालय, बिजली और एलपीजी कनेक्शन जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी।

हालांकि, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण के अंतर्गत घरों के निर्माण की दर बहुत सी क्षमता संबंधी सीमाओं के कारण धीमी रही है।

इसके अलावा, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना - पी.एम.जी.एस.वाई.- तीन के अंतर्गत अगले पांच वर्षों के दौरान 80,250 की अनुमानित लागत पर 1,25,000 किलोमीटर की लंबाई की सड़कों का उन्नयन किया जाना है।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि हमारे राज्य को, जो एक बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है और जहाँ कई राज्य राजमार्ग मौजूद हैं, अधिक किलोमीटर सड़कों का आबंटन दिया जाए। साथ ही, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी सहायता योजना के लिए आबंटन धनराशि को 61,084 करोड़ रुपये से घटाकर 60,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में भी यही स्थिति थी। चूंकि श्रम और अधिशेष सामग्री की अधिक उपलब्धता है, इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मेरे राज्य को और अधिक धनराशि आबंटित करें।

मैं अपने आन्ध्र प्रदेश राज्य से संबंधित कुछ मुद्दों को शामिल करना चाहूंगी जहां ग्रामीण विकास का अत्यधिक महत्व है। संस्कृति, समाज, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य के मामले में ग्रामीण विकास समग्र रूप से आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों के मानव संसाधनों को उनके मनोविज्ञान, कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण और अन्य क्षमताओं के संदर्भ में विकसित और सशक्त करने की आवश्यकता है। साथ ही, मेरे राज्य को ग्रामीण विकास मंत्रालय से पर्याप्त और समय पर वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही, जिन युवाओं को प्रेरित करने की आवश्यकता है, उनके लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

आधुनिक उपकरणों, तकनीक और साधनों के आधुनिकीकरण के लिए वित्त की आवश्यकता है, जिससे वे बड़े पैमाने पर उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकें।

ग्रामीण उद्यमियों को स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी और कुशल होना चाहिए।

स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 70 से अधिक वर्षों के स्वतंत्रता उपरांत, मेरे राज्य ने विभाजन के बाद सभी क्षेत्रों में विकास कार्यों के अभाव में हर प्रकार से कठिनाइयों का सामना किया है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि पंचायती राज अधिनियम की धारा 73 में संशोधन किया जाए, ताकि स्थानीय और पंचायत निकायों की संरचना पाँच-स्तरीय प्रणाली से तीन-स्तरीय प्रणाली में परिवर्तित की जा सके, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधियों को अधिक दायित्व एवं वित्तीय संसाधन प्रदान किए जा सकें।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मेरे राज्य के समग्र ग्रामीण विकास और ग्रामीण उद्यमिता पर विशेष ध्यान दें, जिसके परिणामस्वरूप लाभकारी रोजगार मिलेगा और गांव तथा शहर के बीच बढ़ती असमानताओं में कमी आएगी। ...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रही हूँ। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहती हूँ। हर घर जल योजना के माध्यम से आंध्र प्रदेश के लिए

कितने आबंटन का लक्ष्य रखा गया है? क्या यह जनसंख्या के आधार पर है? या फिर यह किसी अन्य पद्धति पर आधारित है?

महोदय, मैं अमलापुरम निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित हूँ। अमलापुरम, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है और जिसे देश का 'धान का कटोरा' कहा जाता है, केरल के साथ मिलकर नारियल का भी प्रमुख उत्पादन करता है। हालांकि, अनुसंधान केंद्रों के स्थापित होने के बावजूद यहाँ कृषि विश्वविद्यालय का अभाव है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करूंगी कि वे विशेष रुचि लें और मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र अमलापुरम में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना सुनिश्चित करें।

धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, बोलने वालों की बहुत लम्बी सूची है और ये दोनों विषय कृषि और ग्रामीण विकास - बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। लेकिन, मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आप अपने क्षेत्र की विशेष परिस्थिति और कठिनाइयों से सदन को अवगत करा दें और अगर कोई विशेष बात हो तो उस बात से माननीय मंत्री जी को अवगत करा दें। लम्बा भाषण देने से आपको ही लेट होगा। मैं तो लेट रात्रि तक बैठ सकता हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं सबको बोलने के लिए बुलाऊंगा। जब तक अन्तिम सदस्य बोलेंगे, तब तक मैं बैठा रहूंगा। अभी मैं दस बजे के बाद फिर आऊंगा और सभी माननीय सदस्यों को बोलने के लिए बुलाऊंगा। कोई माननीय सदस्य बोलने के लिए बाकी नहीं रहेगा। जब सभी माननीय सदस्य कहेंगे कि हाँ, अब सदन की कार्यवाही स्थगित की जाए, तभी हम स्थगित करेंगे।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन, इसमें एक टाइम लिमिट तय कर दीजिए तो ठीक रहेगा।

माननीय अध्यक्ष: आप सभी माननीय सदस्य बताएं, आप सब तय कर दें कि तीन मिनट का समय हो या पाँच मिनट का, क्योंकि सदन की सहमति से ही यह चलता है।

...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: महोदय, अगर टाइम लिमिट तय हो जाएगी, तभी सभी बोल पाएंगे, नहीं तो सभी बोल नहीं पाएंगे।

महोदय, पाँच मिनट का समय तय कर दीजिए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ठीक है।

...(व्यवधान)

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सर, मेरा अनुरोध है कि जिस पार्टी के सदस्यों की जितनी संख्या हो, उसके हिसाब से उसे समय दिया जाए। क्या दोनों तरफ के लोगों को एक ही समय दिया जाएगा?

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी पार्टी के सदस्यों की संख्या ज्यादा है, लेकिन विपक्ष को ज्यादा समय देना चाहिए।

74* श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर): सबसे पहले मैं माननीय प्रधान मंत्री जी एवं आदरणीय कृषि मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि देश में 70 प्रतिशत उस अन्नदाता की पीड़ा पर ध्यान देने का काम किया है जो देश का पेट भरता/पालता है।

वर्ष 2019-20 में कृषि के लिए 1,30,485 करोड़ रुपये आबंटन किया गया है। जबकि यही बजट कांग्रेस शासन में 2012-13 में केवल 7860 करोड़ था। इससे पता चलता है कि किसानों का मसीहा कौन हो सकता है। लगभग 20 गुणा बजट अधिक देकर यह सिद्ध किया है।

2014 में सरकार बनते ही माननीय प्रधान मंत्री जी ने किसानों के लिए सबसे बड़ा तोहफा दिया था, 50 प्रतिशत खराब फसल पर मुआवजा मिलता था जो अब 33 प्रतिशत किया गया है। पशु केवल भैंस, भेड़ गाय या सिर्फ एक पशु का नुकसान मिलता था लेकिन पी.एम. ने सभी पशु के नुकसान पर उनके करीब 2.50 लाख तक की राशि देने का प्रावधान किया। बिजली गिरने से पहले आदमी की मृत्यु पर 50000/- रुपये मिलते थे, लेकिन अब 3 लाख मिलता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में फसल खराब, ओला वृष्टि में करीब 600 करोड़ रुपये और 27000-27000 किसान को मिला जो इससे पहले कांग्रेस शासन में 100, 150, 250 रुपये छः-छः महीने बाद मिलते थे:

एम.एस.पी.	2018-19	2012-13
सरसों	4200	3000
गेहूं	1850	1350
धान	1750	1250
चना	4400	1250
मूंग	6975	4400
बाजरा	1950	1100

74* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

यह है किसान की हितैषी सरकार

किसान की फसल खरीद अब केवल 25 क्विंटल एम.एस.पी. रेट पर खरीद की जा रही है। सभी ऑन लाइन होने से किसान के पास मैसेज चला जाता है। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि किसान की सम्पूर्ण फसल की एम.एस.पी. रेट पर खरीदी जाए और किसान का भुगतान तुरन्त किया जाए क्योंकि राजस्थान में स्टेट गर्वमेंट कई-कई महीने (3-6) भुगतान करने में लगा रही है। जबकि किसान फसल के ऊपर ही अपने घर में ब्याह शादी एवं मकान बनाने के लिए फसल बेचता है। तब अपना कार्य चलाता है। उसमें बहुत देर हो जाती है।

अब माननीय पी.एम. ने किसानों को और बड़ा तोहफा दिया जो कि किसान सम्मान निधि दिनांक 1.2.2019 को लागू की पूरे देश में। इसके अनुसार पूरे देश में सभी किसानों को 2000 रुपये 3 मासिक किश्तों में 6000 रुपये प्रतिवर्ष किसानों को देने का काम किया। जिसकी पहली किस्त 1,95,000 किसानों को मिलनी थी। किसानों की दूसरी किस्त राशि 13290 करोड़ 16 लाख किसानों को बंट चुकी है।

राजस्थान पहली किस्त 1,85,000 किसानों को ही मिली है।

" दूसरी " 1 लाख 9 हजार किसानों को मिली है।

मेरे संसदीय क्षेत्र में अभी तक एक ही किस्त मिल पाई है क्योंकि राजस्थान कांग्रेस सरकार लोक सभा चुनाव को देखकर किसानों के आंकड़े ही नहीं भेज पाई। कहती रही सरवर डाऊन है क्योंकि यदि किसानों को मोदी का पैसा मिल जाएगा तो किसान कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। लेकिन लोग यह समझते थे कि माननीय पी.एम. किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं और 25 की 25 सीट बीजेपी को दिला दी।

पी.एम. ने देश में पहली बार किसान एवं मजदूर की ठेले वाला मंडी का पल्लेदार, 27 सभी संगठनों को 60 साल बाद 3000 रुपये पेंशन योजना बनाई है। ताकि 60 साल के बाद किसान परिवार पर बोझ न बने इस योजना में 3 वर्षों में लगभग 5 करोड़ किसानों को कवर करने का एवं 10,774 करोड़ रुपये किसानों के लिए खर्च करने का प्रावधान किया है।

कांग्रेस के समय में फसल बीमा योजना की दरें रबी 35 प्रतिशत खरीफ 6 प्रतिशत थी लेकिन माननीय एम. ने इनको भारी कटौती करके रबी 1.5 प्रतिशत खरीफ 2 प्रतिशत करके किसानों के लिए राहत का काम किया। पहले बीमा कम्पनी अपनी मन मर्जी चलाया करती थी किसानों को फसल मुआवजा अपनी मनमर्जी से देती थी लेकिन हमारी सरकार ने पटवार सर्कल तक तय कर दिया कि उस किसान जिसका खराब होगा उसको पटवार सर्कल पर भी मुआवजा मिलेगा।

राजस्थान प्रदेश में 3714 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। हमारी सरकार ने कठोर निर्णय लेकर बीमा कम्पनियों को निर्देश दिया कि किसानों को खरीफ का 15 दिन के अन्दर भुगतान किया जाना चाहिए अन्यथा 12 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देना पड़ेगा।

हमारी सरकार ने किसानों को कई तरह के लोन देकर किसानों को मजबूत करने की कोशिश की है।

ये मुद्रा लोन से कोई भी गांव का किसान कैश लोन ले सकता है मेरे संसदीय क्षेत्र में करीब 200 करोड़ मिल चुका है।

स्वयं सहायता समूह (आजीविका मिशन) को गांव की करीब 90000 महिलाओं के समूह से जोड़कर 1,10,000 रुपये लगभग 20 करोड़ रुपये लोन देकर गांव में आम युवा को लोन मिल जाता है।

गांवों में 2 रुपये एवं 5 रुपये सैंकड़ों का ब्याज ही खत्म हो गया।

भैंस, गाय, भेड़, बकरी आदि पर कोई भी किसान डी.ई. डी.एफ. योजना के तहत 50 लाख तक पर कोई भी (मिल्क पिलिंग सेंटर) किसान को मिलने लगा है और समय पर भुगतान करने पर तो एस.सी., एस.टी., बी.पी.एल. को 33 प्रतिशत तक की छूट मिल जाती है।

मनरेगा के तहत जो किसान को अपने खेत में 3 लाख रुपये तक का कार्य करने के लिए पैसा मिलता है उससे परिवार आबाद हो जाता है।

देश के सभी किसानों एवं गरीब परिवारों को 1.95 करोड़ मकान 2022 तक, सभी को पक्के मकान देने की घोषणा की है और काफी मकान अब से पहले बन चुके हैं।

करीब 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने की योजना मेरे क्षेत्र में करीब 4 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन मिल चुके हैं।

कांटेदार तार फेन्सी पर किसानों को छूट, पानी में पाइप पर सब्सिडी। खेती से संबंधित उपकरण मिलने लगे, नीम कोटिड यूरिया लेकिन पिछले 2 साल से कमी हुई इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के लिए 40,451 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इससे माननीय वाजपेयी जी का सपना पूरा होगा। इससे 13 जिलों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। (टोंक सवाई माधोपुर)

ई-सरदार बांध के लिए पहले 530 करोड़ रुपये का बजट था जिसे बढ़ाकर अब 1856 करोड़ रुपये का बजट कर दिया गया है।

सवाई माधोपुर में अमरुद का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है इसलिए वहां खाद्य प्रसंस्करण व्यवस्था की जाए।

विस्थापन पैकेज 10 लाख, परिवार में 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को ही पैसा मिलता है। चाहे वे 18-16-15-10 आयु वाले चार भाई हों।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज, प्रधानमंत्री सड़क योजना।

इसी को कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। किसान है। किसान की न जाति न धर्म।

[अनुवाद]

^{75*} **श्री बैन्नी बेहनन (चालाकुडी):** मैं इस बजट का विरोध करता हूँ। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत यह बजट अपने संदिग्ध विचारों के कारण पहले ही हमारे इतिहास में एक विवादास्पद बजट के रूप में दर्ज हो चुका है। हमारे देश के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी वित्त मंत्री को अपनी प्रस्तुत की गई आर्थिक आंकड़ों की रक्षा करने के लिए मजबूर होना पड़े; विशेषज्ञ और मीडिया भी इस बात पर संदेह करने लगे हैं कि क्या ये आंकड़े सही हैं। मैं आश्चर्यचकित नहीं हूँ; इस सरकार द्वारा प्रदान किए गए कोई भी आंकड़े बिना जांच-पड़ताल के स्वीकार्य नहीं होते। यह एक दुःखद स्थिति है।

यह इसलिए है क्योंकि यह सरकार और इसके समर्थक मानते हैं कि भारत की स्थापना 2014 में हुई थी, और जो कुछ भी उन्होंने बनाया है, वही इस देश की नींव है। इसलिए, भाईयों और बहनों, माफ़ कीजिए, यह राष्ट्र बहुत पहले ही अस्तित्व में आ चुका था।

अब मैं उस विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है — कृषि। जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, "अन्य सभी कार्य प्रतीक्षा कर सकते हैं, लेकिन कृषि नहीं।" उनके कार्यकाल के दौरान प्रारंभ की गई प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। इन्हीं योजनाओं ने भारत में हरित क्रांति की आधारशिला रखी। वे प्रयास हमारी गरीबी के विरुद्ध पहली प्रभावी लड़ाई थे, जिन्होंने ठोस परिणाम दिए। यही वह दौर था जब राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रयास आरंभ हुआ कि भारतीय कृषि को केवल मानसून पर आधारित एक जुए की स्थिति से निकालकर एक वैज्ञानिक और जागरूक समाज की संगठित गतिविधि में बदला जाए। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि यह सरकार फिर से उन्हीं योजनात्मक सिद्धांतों की ओर लौट रही है, जिन्हें पहले अपनाया गया था। यदि सरकार इस दिशा में वास्तव में गंभीर है, तो हम इसका स्वागत करने के लिए तैयार हैं।

^{75*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

लेकिन दुर्भाग्यवश, यह सरकार केवल शोर और दिखावे तक ही सीमित रह गई है, जिसका वास्तव में कोई सार नहीं है — विशेषकर किसानों के लिए। सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन वह लक्ष्य अब भी अधूरा ही है। जहाँ तक वास्तविकता का प्रश्न है, कृषि क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर वर्तमान सरकार के प्रथम पाँच वर्षों में मात्र 2.9 प्रतिशत रही है, जबकि संप्रग-1 सरकार के दौरान यह दर 4.36 प्रतिशत तथा संप्रग-2 के दौरान 3.8 प्रतिशत थी। इसी प्रकार, किसानों को उत्पादों के मूल्य में जो वृद्धि पूर्ववर्ती सरकारों के समय औसतन 8 प्रतिशत वार्षिक रही, वह वर्तमान शासनकाल में घटकर लगभग आधी रह गई है। ये तथ्य सरकारी आंकड़ों पर आधारित हैं और इन्हें नकारा नहीं जा सकता।

वित्त मंत्री ने औद्योगिक वर्ग के प्रति बहुत उदारता दिखाई, जिसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूँ। लेकिन जब किसान की बात आती है, तो वे अचानक अपनी नीति बदलकर शून्य बजट खेती की बात करने लगती हैं। “हम एक महत्वपूर्ण पहलू पर पुनः ध्यान देंगे: शून्य बजट खेती। इस नवाचार मॉडल को अन्य राज्यों में भी लागू करना आवश्यक है, जहाँ किसान इस पद्धति में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार के कदम हमारे किसानों की आय को हमारे स्वतंत्रता के 75वें वर्ष तक दोगुना करने में सहायता कर सकते हैं।”

मुझे सरकार से दो प्रश्न पूछने हैं। 1. क्या आपको लगता है कि यह भारत की खाद्य सुरक्षा चिंताओं का समाधान करेगा और इसके लिए भारतीय किसानों को लाभ देगा? 2. यदि उत्तर हाँ है, तो आप क्या कदम उठा रहे हैं? आपने बजट में इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की है?

इस राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा चिंताएं वास्तविक थीं और इसलिए कांग्रेस सरकार ने साठ के दशक में हरित क्रांति शुरू की। इसे पूरा करने के लिए एक तंत्र था। यहां नए बाँध और नहरें थीं, नई तकनीक थीं, नए बीज थे, नई कृषि पद्धतियाँ थीं, कृषि विश्वविद्यालय थे, उर्वरक कारखाने थे, स्वयंसेवक थे जिन्होंने लोगों को यह सब समझाया। यह कांग्रेस का गरीबी पर प्रहार था जो काफी हद तक सफल रहा।

अब आप वापस जाना चाहते हैं। आप पारंपरिक रूप से जाना चाहते हैं। आप दावा करते हैं कि आपके पास जनादेश है। यहाँ मेरे प्रश्न हैं। क्या सरकार के पास शून्य बजट खेती के लिए कोई मार्गदर्शिका है, क्योंकि

वह अगले तीन वर्षों में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखती है? इसके चरण क्या होंगे? इसका उत्पादन और खाद्य सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या यह एक साथ बढ़ेगा या चरणबद्ध तरीके से? क्या आपके पास इन सभी बातों का डेटा मौजूद है? क्या आपके पास इसे पारंपरिक तरीकों पर वापस ले जाने का कोई तंत्र है? आप इसे कैसे लागू करने वाले हैं?

मुझे बताना होगा कि यह सरकार भारतीय किसानों के लिए अपने भव्य घोषणाओं को कितनी गंभीरता से लेती है। मैंने पिछले दिनों अखबारों में पढ़ा कि सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से शून्य बजट खेती की प्रभावशीलता पर अध्ययन करने को कहा है। इसमें नीति आयोग के सदस्य और कृषि अर्थशास्त्र और नीति विशेषज्ञ रमेश चंद के हवाले से कहा गया है कि रिपोर्ट केवल तीन महीने में आ जाएगी। प्रतिवेदन में श्री चंद के हवाले से लिखा गया है, "जीरो बजट फार्मिंग के नतीजों पर अब तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। चंद ने कहा कि "किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हम पहले उस रिपोर्ट का आकलन करेंगे, जो आई.सी.ए.आर. प्रस्तुत करेगा।" क्या इसी गंभीरता के साथ आप तीन वर्ष में किसान की आय को दोगुना करने जा रहे हैं?

दूसरा, बजट में पैसा कहाँ निर्धारित किया गया है? बजट दस्तावेजों से मुझे जो समझ में आया वह यह है कि कृषि विभाग का अधिकांश पैसा प्रधान मंत्री किसान सम्मान परियोजना और रासायनिक उर्वरकों के लिए सब्सिडी के लिए रखा गया है। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है; लेकिन जीरो बजट खेती के लिए पैसा कहाँ है? इसके विस्तार के लिए संस्थागत तंत्र कहाँ है? अतः, इस खेती के लिए कितनी गायों की जरूरत होगी, और क्या इतनी गायें हमारे पास मौजूद हैं।

मुझे बजट में कुछ नहीं मिला, प्रधान मंत्री जी के बयान में कुछ नहीं मिला, वित्त मंत्री के बयान में कुछ नहीं मिला, कृषि मंत्री के बयान में कुछ नहीं मिला। जमीनी स्तर पर कुछ नहीं मिला। मैं आपसे पूछता हूँ कि भारत के किसान के लिए आपकी क्या योजना है?

मुझे उत्तर मिल चुका है; आपके पास कोई योजना नहीं है। न तो आपके पास धन है, न ही गायें हैं। मुझे डर है कि यह भारतीय किसान को धोखा देने का एक और प्रयास है, जो एनडीए सरकार की पूर्व और

वर्तमान नीतियों की त्रुटियों का शिकार रहा है। आपने बेहतर दिन लाने का वादा किया था, लेकिन किसानों के लिए विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं। आपने उनकी आय दोगुनी करने का आश्वासन दिया, लेकिन वे खेतों में विषाक्त पदार्थ ग्रहण कर अपनी जान गंवा रहे हैं और अपने बच्चों के लिए आवश्यक भोजन भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे। सरकार ने किसानों को आर्थिक स्थिरता का वादा किया, लेकिन जब वे अपना हक मांगते हैं तो उन पर गोली बरसाई जाती है। अब सरकार फिर से शून्य बजट खेती के माध्यम से उनकी आय दोगुनी करने का वादा कर रही है। आखिर क्यों भारतीय किसान को निशाना बनाया जा रहा है, जो हम सभी को भोजन प्रदान करता है?

आपके पाँच वर्षों के निरर्थक शासन के बाद, किसानों को केवल 6,000 रुपये की सहायता धनराशि मिली है। वे अपनी उपज बाजार में उचित मूल्य पर नहीं बेच पा रहे हैं और अपने बच्चों के लिए भोजन तक नहीं खरीद पाते। उन्हें परिवहन का खर्च भी नहीं मिल रहा है। आप उनके लिए कौन से अच्छे दिन लेकर आए हैं? मेरे पास इसका उत्तर है, और यह उत्तर महाराष्ट्र के दो युवा किसानों, तात्या भाऊ खैरनार (44) और मनोज धोंडागे (33) के बारे में है, जिन्होंने खेत में आत्महत्या कर ली।

वह सरकार का पीड़ित है, माननीय श्रीमती सीतारमण। और आपके पास उसके लिए बड़े वादों के अतिरिक्त कोई ठोस समाधान नहीं है। बैंक उसकी समस्याओं को बढ़ा रहे हैं। श्रीमती सीतारमण जी, उसे किस प्रकार की राहत प्रदान करने का आश्वासन दिया गया है?

ऐसा क्यों होता है?

मुझे एक ही कारण नजर आता है, लेकिन एनडीए सरकार बिल्कुल नहीं समझ रही। आप अमीरों और प्रसिद्ध लोगों के हितों का ध्यान रखते हैं। आप उस औद्योगिक वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो प्रधान मंत्री के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है। प्रधान मंत्री अक्सर जिन आशा और आकांक्षाओं की बात करते हैं, उनमें भारतीय किसान की आशाएं और आकांक्षाएं शामिल नहीं हैं। सरकार की नीतियों का उद्देश्य केवल विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को लाभ पहुंचाना है। और यदि आप अन्यथा दावा करते हैं, तो आपको इस सभा को यह बताना होगा कि वर्तमान सरकार के तहत कृषि विकास इतना निराशाजनक क्यों है।

मुझे इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि ऐसा क्यों है। कांग्रेस ने हमेशा किसान को अपनी कार्यसूची के केंद्र में रखा है। हमने 'जय जवान, जय किसान' का नारा गढ़ा। हमने हरित क्रांति की शुरुआत की, जिसने लाखों भारतीयों को उनकी रोज की रोटी प्रदान की और भारतीय किसान को अधिक उत्पादन करने का आश्वासन और आशा दी। जवाहरलाल नेहरू ने उन बड़े बांधों को, जो सूखे भारतीय इलाकों को सिंचित करते हैं, 'नए भारत का मंदिर' कहा था। एक सरकार के रूप में, कांग्रेस ने हमेशा भारतीय किसान के हित में नीतियां बनाईं और उनका समर्थन किया।

लेकिन सरकार ने क्या किया? आपने भारतीय किसान के सबसे महत्वपूर्ण साथी, गाय, को राजनीतिक विषय बना दिया, जिससे किसान के हितों को नुकसान पहुंचा। खेतों में परिश्रम करने वाला भारतीय किसान ही सच्चा गोपाल है, जो गाय की संरक्षण और देखभाल करता है। यह उनके बीच एक जैविक संबंध है। यह संबंध युगों से चला आ रहा है। लेकिन सरकार ने क्या किया? इसने उन पवित्र, धार्मिक उद्देश्य को उठाया और इसका राजनीतिकरण किया। आपने गायों और गौ-पालकों की रक्षा करने के बजाय उन पर नकली गौ-रक्षकों को तैनात कर दिया। यह गौरक्षकों के लिए अच्छे दिन और गायों तथा उनके वास्तविक रक्षक, भारतीय किसानों के लिए बुरे दिन लेकर आया। सरकार के मंत्री उन किसानों के हत्यारों और अपराधियों को सम्मानित करते हैं और उन्हें अपने विस्तारित परिवार के सदस्य कहकर संबोधित करते हैं।

और इस प्रक्रिया में, आप हमारे शोध संस्थानों को खत्म कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसे सामान्यतः पूसा संस्थान के नाम से जाना जाता है, कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार के लिए भारत का राष्ट्रीय संस्थान है। और आप जानते हैं कि यह संस्थान हमारी खेती को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। सभा को सूचित किया जाना आवश्यक है कि इस संस्थान के पास पिछले पांच वर्षों से कोई प्रमुख नियुक्त नहीं है। यह कृषि क्षेत्र में विज्ञान और तकनीक के प्रति सरकार की उदासीनता को दर्शाता है।

अंत में, मैं इस तथ्य की ओर सम्मानपूर्वक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जर्मनी के नाजी शासन के साथ एक स्पष्ट समानता देखने को मिलती है। हिटलर और उनकी सरकार आधुनिक कृषि

तकनीकों को अपनाने के बजाय उन्हें नकारने में अधिक रुचि रखते थे; इसके स्थान पर उन्होंने जैव-गतिशील कृषि जैसे अव्यावहारिक और तर्कहीन विचारों को अपनाया। दिलचस्प बात यह है कि इस बात का वैज्ञानिक प्रमाण बहुत कम है कि जैव-गतिशील खेती से किसान या उपभोक्ता को कोई लाभ होता है। उन्होंने कभी जर्मनी की खाद्य सुरक्षा पर वास्तविक रूप से कोई प्रभाव नहीं डाला; बल्कि जैव-गतिशील खेती नाज़ी शासन के लिए केवल एक प्रचार उपकरण बनकर रह गई। जब वर्तमान सरकार जीरो बजट खेती की बात करती है, तो उसमें मुझे अनायास ही उस दौर की वैचारिक समानताएँ परिलक्षित होती हैं। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि जैव-गतिशील खेती के समर्थन में न तो किसानों के हित में और न ही उपभोक्ताओं के लिए कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध हैं।

अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि सरकार ने विमुद्रीकरण (नोटबंदी) के माध्यम से भारतीय वित्तीय प्रणाली के साथ गंभीर खिलवाड़ किया, और वस्तु एवं सेवा कर के अव्यवस्थित और बिना तैयारी के क्रियान्वयन के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को लगभग ठप कर दिया। अब आप अपनी शून्य बजट खेती की अवधारणा के माध्यम से भारतीय कृषि प्रणाली और खाद्य सुरक्षा को कमजोर करना चाहते हैं। यह आपकी कार्यप्रणाली में पूरी तरह फिट बैठता है — बातें बहुत, लेकिन क्रियान्वयन शून्य। यह नीति देश के लिए घातक सिद्ध होगी, और इसके दुष्परिणाम भारतीय किसानों तथा आम जनता को भुगतने होंगे। अतः, मैं इस बजट का विरोध करता हूँ।

[हिन्दी]

^{76*} श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): मैं बजट 2019-20 पर अपना पक्ष रखना चाहता हूँ।

देश का स्थिर, भविष्यवादी और जीवंत बजट प्रदान करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी तथा हमारे युवा मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ आम जनता के विश्वास तथा उनकी अपेक्षाओं पर आम बजट खरा उतरे इसकी आशा करता हूँ।

भारत आज ना सिर्फ एशिया आपितु पूरे विश्व में जिस प्रकार एक नई शक्ति के रूप में उभरा है, उम्मीद है कि यह आम बजट रूपी पंख इस उड़ान को एक नई ऊँचाई प्रदान करेगा, जिससे कि "सबका साथ सबका विकास तथा सभी के विश्वास का विजन" को विशाल रूप प्रदान किया जा सकेगा तथा सरकार द्वारा निर्धारित 10 सूत्रीय विजन भारत के सतत और तेजी से विकास की जड़ को मजबू करेगा।

भारत एक कृषि प्रधान देश है, लगभग 72% कृषि पर आधारित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने का संकल्प लिया है जिसका प्रतिबिम्ब इस बजट में दिख रहा है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में जल जीवन मिशन के तहत साल 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा साथ ही गरीबों के लिए साल 2022 तक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सभी को घर उपलब्ध कराने की बात कही, तथा मत्स्यपालन की तरफ जोर देते हुए कहा कि मछली उद्योग ग्रामीण भारत के लिए अहम है। आने वाले समय में हमारी सरकार ग्रामीण किसानों को इससे जोड़कर उनकी दशा-दिशा बदलेगी इसके सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना की शुरुआत करने जा रही है। जीरो बजट खेती पर जोर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य खेती के बुनियादी तरीकों पर लौटना है।

^{76*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

इसी से किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होगा। खादयानों, दलहनों, तिलहनों, फलों और सब्जियों की स्व-पर्याप्तता और निर्यात पर विशेष रूप से जोर दिया गया।

नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार का ज्यादा जोर गांव गरीब और किसानों पर है। गांवों के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। साथ ही कृषि को फायदे का सौदा बनाए बिना देश में बेरोजगारी दूर नहीं की जा सकती।

हमारे मेहनती किसानों को फसल का पूरा मूल्य नहीं मिलता था श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने हेतु इतिहास में पहली बार ऐसा कदम उठाया है किसान भाइयों को उनकी उत्पादन की लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक अर्थात लागत से डेढ़ गुना दाम मिलें। यह ऐतिहासिक निर्णय किसान भाइयों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा जिनका पूरा लाभ किसानों को मिलेगा।

बजट 2019-20 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को ऐतिहासिक आबंटन मिला है। वित्त मंत्रालय ने इस मंत्रालय को 1,30,485 करोड़ रुपए का आबंटन किया है। यह कृषि मंत्रालय के लिए अब तक का सबसे अधिक आबंटन है। 2014-15 में जब एनडीए सरकार सत्ता में आई थी तो कृषि मंत्रालय को 31,063 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था।

2018-19 में कृषि मंत्रालय को 79,026 करोड़ रुपए का संशोधित बजट दिया गया था। जबकि इस साल का अनुमानित बजट 57,600 करोड़ रुपए था, जिसमें 140 फीसदी की वृद्धि की गई थी। लेकिन इस बार बजट में वृद्धि का बड़ा कारण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) है। इस बार के बजट में इस निधि में 75 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस तरह कृषि मंत्रालय के बजट में 57 फीसदी हिस्सा किसानों को दिया जाने वाला सीधा नगद भुगतान का है।

चुनाव से पहले पेश किए गए अंतरिम बजट में एनडीए सरकार ने किसानों को नकद सहायता देने की घोषणा की थी। यह घोषणा एक जनवरी 2019 से लागू की गई और उस समय इसके लिए 20 हजार करोड़

रुपए का आबंटन किया गया था। पीएम किसान योजना के तहत किसान को 6000 रुपए सालाना देने का प्रावधान है जो 2000 रुपये की तीन किस्तों में दिए जाएंगे।

आर्थिक सर्वेक्षण में सिफारिश की गई थी कि पीएम-किसान नगद हस्तांतरण योजना में सभी किसानों को शामिल किया जाए, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और उनमें उपभोग भी बढ़ेगा, जिसका फायदा अर्थव्यवस्था को मिलेगा।

मैं सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूँ, जम्मू के सांबा सेक्टर में खोड़, पल्लम्वाला, वट्टल जोंगवा एवं, अन्य स्थानों पर खेती करने वाले उपजाऊ भूमि पर सेना द्वारा माईन्स लगाई गई है, किसान की आय व्यय और जीवन एकमात्र उसकी जमीन ही होती है, जब उसकी उपजाऊ जमीन हाथ से चली जायं तब उनके जीवन जीने का साधन ही चला जाता है। माईन्स लगे भूमि पर खेती नहीं हो सकती है जिसको देखते हुए सरकार द्वारा उन किसानों को मुआवजा सुनिश्चित किया गया था जो अभी कई सालों से नहीं मिल रहा है। इन किसानों को मुआवजा दिलाने में सहायता करें।

जम्मू के आसपास बन रही रिंग रोड बनाने के लिए ली जा रही जमीन का पूरा मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। अतः सरकार को कहना चाहता हूँ कि जम्मू के आस पास बन रही रिंग रोड में जिन - जिन किसानों की जमीन जा रही है उन किसानों को उपयुक्त मुआवजा दिलाने की कृपा करें।

धन्यवाद।

[अनुवाद]

^{77*} **श्री वी. वैथिलिंगम (पुडुचेरी):** मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि मैं एक कृषि परिवार से संबंधित हूँ।

वर्तमान में किसान उत्पादक संगठन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किए जा रहे हैं, जिसमें लेखा-जोखा बनाए रखने, बैलेंस शीट प्रस्तुत करने जैसी कई कड़ी शर्तें शामिल हैं। इन शर्तों को सरल बनाया जाना चाहिए ताकि किसान आसानी से इसका लाभ उठा सकें और अधिक संख्या में किसान इससे लाभान्वित हो सकें।

सरकार को किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में, कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन के लिए बाज़ार से जोड़ने हेतु प्रभावी कदम उठाने चाहिए। वर्तमान में, महिलाएं किसान विपणन रणनीतियों से अवगत नहीं हैं, जिसके कारण वे अपने उत्पादों से मिलने वाली उचित आय से वंचित रह जाती हैं। अतः कृषक परिवारों, विशेषकर महिला किसानों को, उनके मूल्य संवर्धित कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए बाज़ार से जोड़ने की युक्तियों पर उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

ग्रामीण पुरुषों, महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण देने की बहुत आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित कौशल प्रशिक्षण में रखी गई शर्तें बहुत कठोर और बहुत लंबी अवधि की हैं जो कि किफ़ायती नहीं हैं क्योंकि वे प्रशिक्षण के लिए अपना बहुत लंबा समय नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इससे उनकी आय प्रभावित होगी। इसलिए ग्रामीण पुरुषों और महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप कम किया जाना चाहिए। युवाओं को प्रशिक्षण के लिए आकर्षित करने के लिए उदारतापूर्वक वजीफ़ा दिया जाना चाहिए जिससे सीधे तौर पर कृषि उपज में सुधार होगा।

हर जिला मुख्यालय पर कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र (के.वी.के.) के तहत आधुनिक तकनीक और सभी आवश्यक मशीनरी सहित कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन के लिए अत्याधुनिक इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाना चाहिए, जैसे कि थंजावुर स्थित आईआईएफपीटी में उपलब्ध है। यह इनक्यूबेशन

^{77*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सेंटर ग्रामीण महिलाओं में उद्यमिता की भावना विकसित करने में मदद करेगा और उनके लिए एक प्रारंभिक कदम साबित होगा। इस सुविधा का उपयोग ग्रामीण महिलाएं नाममात्र शुल्क देकर कर सकेंगी। मुझे विश्वास है कि यह उनके परिवार की आय दोगुनी करने में सहायक होगा।

चीनी मिलें चीनी के बाजार भाव में उतार-चढ़ाव के कारण टिक नहीं पा रही हैं। सरकार को चीनी के लिए एक उचित और स्थिर मूल्य निर्धारित करना चाहिए ताकि चीनी मिलें संचालित रह सकें, जिससे किसान जो देशभर में चीनी मिलों के बंद होने के कारण कष्ट में हैं, उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। गन्ना एक फसल है जो किसानों को सुनिश्चित आय देती है और उन्हें आसानी से फसल ऋण मिल पाता है।

इन शब्दों के साथ, मैं माननीय कृषि मंत्री से कृषक समुदाय की मदद करने का अनुरोध करता हूं।

78* श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ (काकीनाडा): कृषि मानव अस्तित्व की नींव है; किसी भी सभ्यता के टिकाऊ और समृद्ध होने के लिए कृषि स्वस्थ और प्राकृतिक होनी चाहिए। लोग अनेक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, और रासायनिक कृषि पद्धतियों के कारण पर्यावरण, मिट्टी और जल पूरी तरह से प्रदूषित हो रहे हैं।

मैं यह कहते हुए प्रसन्न हूँ कि प्राकृतिक खेती की विधियाँ, जिन्हें एस.पी.एन.एफ. भी कहा जाता है, इस समस्या को रोक रही हैं और प्राकृतिक तरीकों से उत्कृष्ट उपज प्रदान कर रही हैं।

एस.पी.एन.एफ. को सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के नाम से भी जाना जाता है, जो कई वर्षों से जेड.बी.एन.एफ. या शून्य बजट प्राकृतिक खेती के रूप में लोकप्रिय है, जो रासायनिक खेती और जैविक खेती से अलग है। एस.पी.एन.एफ. प्राकृतिक कृषि पद्धति ने सिद्ध किया है कि एक देशी गाय 30 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है, क्योंकि इसके गोबर और मूत्र से जीवामृत तैयार किया जाता है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करता है, जिससे मिट्टी पोषित होती है और कई कीड़े मिट्टी की गहरी परत से ऊपर की परत तक आते हैं। ये कीड़े गहरी मिट्टी से पोषक तत्वों को ऊपर की मिट्टी तक लाते हैं। पानी को संरक्षित करने और जलस्तर बढ़ाने का एकमात्र उपाय प्राकृतिक खेती का अभ्यास है।

भारत में 50 लाख किसान हैं जो मिट्टी के स्वास्थ्य, पर्यावरणीय स्वास्थ्य का बचाव करके प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, साथ ही आंध्र प्रदेश के प्राकृतिक किसानों में से एक जगदीश रेड्डी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं और कई लोगों में जागरूकता ला रहे हैं। उन्होंने मुझे प्राकृतिक खेती के बारे में अच्छी जानकारी दी।

हाल ही में माननीय प्रधान मंत्री ने कहा कि सभी को हमारे जल स्रोतों की सुरक्षा करनी चाहिए। "जल संरक्षण" महत्वपूर्ण है, जिससे पानी का उपयोग कम होगा और रसायनों व कीटनाशकों का उपयोग भी घटेगा।

78* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार जी ने प्राकृतिक खेती में अत्यंत रुचि दिखाई है और वे सरकार के साथ इसे आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री भी इसे लागू करने में रुचि रखते हैं और उन्होंने लोक सभा में अपने पहले भाषण में प्राकृतिक खेती पर चर्चा की।

मैं एक बार फिर प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल करें।

रसायन मुक्त कृषि एक समग्र समाधान प्रस्तुत करती है, जो कृषक समस्याओं, जल संकट, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों, पर्यावरणीय समस्याओं और पोषण की कमी जैसी अनेक जटिलताओं का प्रभावी समाधान प्रदान करती है। हाल ही में दुनिया भर में किए गए सर्वेक्षणों से पता चला है कि एक राष्ट्र के रूप में हम अच्छे पोषण मूल्य वाले खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने में पीछे हैं। विशेष रूप से हमारे बच्चों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा भी यही बात देखी गई है।

मेरा मानना है कि अब समाधान और अच्छे, प्राकृतिक, रासायनिक मुक्त पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उपायों पर चर्चा करने का समय आ गया है, जो तभी संभव है जब हमारे किसानों को प्राकृतिक खेती के माध्यम से उत्तम उत्पाद उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

मैं माननीय कृषि मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि महात्मा गांधी जी के 150वें जन्म जयंती के अवसर पर कृषि को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) से जोड़ने का निर्णय लें, जिससे किसानों और कृषि मजदूरों दोनों को अधिक लाभ होगा और वे पूर्व की तुलना में बेहतर सुविधाओं से सुसज्जित होंगे।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: श्री नलीन कुमार कटील।

[अनुवाद]

^{79*} **श्री नलीन कुमार कटील (दक्षिण कन्नड़):** माननीय अध्यक्ष, महोदय, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय 2019-20 की अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

चाणक्य ने नेतृत्व पर एक उल्लेख किया है। उनका उद्धरण इस प्रकार है: “अतीत के अंधकार को देखकर अंधकार को पहचानने के बजाय, एक सच्चा नेता अंधकारमय भविष्य को उज्ज्वल बना देता है।”

श्री नरेन्द्र मोदी जी और उनकी पूरी टीम भारत को विश्व नेता के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। मैं हमारे माननीय प्रधान मंत्री और उनकी टीम को पिछले पांच वर्षों में कृषि के समग्र विकास के लिए उठाए गए अनेक प्रयासों हेतु दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं इस वर्ष के बजट में भी किसानों और कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए हमारी एनडीए सरकार को बधाई देना चाहता हूँ।

हमारे देश की संस्कृति दो मुख्य आधारों पर टिकी है — एक है खेती की परंपरा और दूसरी है संतों-ऋषियों की परंपरा। लेकिन पिछले 60 वर्षों में कांग्रेस सरकारों ने इन दोनों को नजरअंदाज किया। उन्होंने खेती और किसानों को वह महत्व नहीं दिया, जो दिया जाना चाहिए था, और इसके बजाय उद्योगों को ज्यादा प्राथमिकता दी।

चूंकि कृषि एक लाभदायक उद्यम नहीं है, इसलिए लोग शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि देश में तीव्र गति से शहरीकरण हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप हमारे देश के गांव वृद्धाश्रम में परिवर्तित हो रहे हैं। हम भी अपने देश में विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

^{79*} मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आने के बाद कृषि क्षेत्र में तीन बड़े विकास हुए। पिछले 60 वर्षों में मत्स्य पालन क्षेत्र को कृषि मंत्रालय के तहत रखा गया था और इसे एक अलग पहचान नहीं दी गई थी। इसलिए, मछुआरों और मत्स्य पालन को पूरी सीमा तक बढ़ावा नहीं दिया गया।

हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार मछुआरों और मछली पालन क्षेत्र के कल्याण और संवर्धन के लिए एक पृथक मंत्रालय की स्थापना की है। मैं देश के मछुआरा समुदाय की ओर से माननीय प्रधानमंत्री को बधाई देता हूँ कि उन्होंने मछुआरों के उत्थान और संरक्षण के लिए एक अलग मंत्रालय स्थापित कर इस क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी है। यह पहल मछुआरा समाज के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मछुआरों की बहुत सी मांगें कई वर्षों से लंबित थीं। मछुआरों को समुद्र में मछली पकड़ने के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कभी-कभी वे मछली पकड़ने के दौरान देश की सीमा को पार कर जाते हैं, और समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लापता होने के मामले भी सामने आते हैं। मछुआरों को पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों द्वारा पकड़ लिया जाता है, क्योंकि वे अनजाने में सीमा पार कर जाते हैं। मछली पालन क्षेत्र में कई समस्याएं हैं।

इन सभी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए, हमारी एनडीए सरकार ने मछली पकड़ने के लिए और मछुआरों की सुरक्षा के लिए सैटेलाइट तकनीक के उपयोग की दिशा में कदम उठाए हैं। यह कदम किसी और ने नहीं बल्कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने उठाया है।

***माननीय सदस्य :** वे मलयालम* में बात कर रहे हैं।

श्री नलीन कुमार कटील (दक्षिण कन्नड़): कृषि को हमारे देश में जीवन प्रणाली के रूप में माना जाता है। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसका महत्व दर्शाते हुए प्रसिद्ध नारा दिया था – "जय जवान, जय किसान"।

कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए और देश के कृषि क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया है। देश में उर्वरक खरीदने को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसके साथ ही, कृषि ऋण की मांग करते हुए कई किसानों ने

अपनी जान भी गंवाई है। ये घटनाएं किसानों की गंभीर समस्याओं और व्यवस्था में व्याप्त कमियों को उजागर करती हैं। किसान कर्ज के बोझ और बैंक ऋण न चुका पाने की स्थिति में आत्महत्या कर रहे हैं। हमारी एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद, हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया कि देश के किसानों को नीम लेपित यूरिया उपलब्ध कराया जाए।

^{80*} **माननीय सदस्य:** केरल में क्या हो रहा है? आप अच्छी तरह जानते हैं*

श्री नलीन कुमार कटील: हमारी एनडीए सरकार द्वारा उठाया गया एक और महत्वपूर्ण कदम यह है कि उसने जल संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर जल शक्ति मंत्रालय कर दिया है। अभी तक किसी भी सरकार ने देश के किसानों सहित सभी लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए पहल नहीं की है। यह हमारे नेता श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। जल शक्ति मंत्रालय के तहत देश के हर घर और हर किसान को जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। मैं यह बताना चाहूंगा कि एनडीए सरकार के तहत लोगों को नीम लेपित यूरिया मिल रहा है, लोगों को जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से पानी की आपूर्ति हो रही है। मत्स्यपालन विभाग के माध्यम से मछली पालन को प्राथमिकता मिल रही है। श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार की इन सभी पहलों ने देश में खेती और किसानों के लिए एक 'आदर्श स्थान' बनाया है। ऐसा कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है जिससे पता चले कि पिछली सरकारों ने कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए काम किया हो।

इन सभी उपलब्धियों का श्रेय हमारी एनडीए सरकार और हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को जाना चाहिए। महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि आपने मुझे केवल पांच मिनट का समय दिया है। अब मैं सरकार का ध्यान अपने दक्षिण कन्नड़ जिले के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

^{80*} मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

देश के 16 राज्यों में सुपारी या बीटलनट का उत्पादन होता है। कर्नाटक के 13 जिले सुपारी का उत्पादन कर रहे हैं। मेरे दक्षिण कन्नड़ जिले में 4 तालुकों के लोग पूरी तरह से सुपारी की खेती पर निर्भर हैं। यूपीए सरकार के दौरान प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा प्रस्तुत किया था जिसमें कहा गया था कि सुपारी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके सेवन से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए सुपारी की खेती पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। यूपीए सरकार ने यह कहकर सुपारी उत्पादकों को उनकी आजीविका से वंचित करने का प्रयास किया कि सुपारी का उपयोग सुपारी के लिए किया जाता है। हालांकि मैं यह केंद्र सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि केन्द्रीय वृक्षारोपण फसल अनुसंधान संस्थान ने अनुसंधान किया है और घोषणा की है कि सुपारी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। इसके बजाय, यह सभी के लिए फायदेमंद होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विधि एवं न्याय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि वे देश में सुपारी उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय से हलफनामा वापस लेने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए। पिछले सप्ताह संसद में एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने बताया कि कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि सुपारी का शरीर के विभिन्न अंगों पर प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव पड़ता है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि उनका उत्तर यूपीए सरकार द्वारा प्रस्तुत पुराने हलफनामे पर आधारित था। हलफनामे में गलत जानकारी है और इसे उच्चतम न्यायालय से वापस लिया जाना चाहिए। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने सुपारी उत्पादकों के साथ अन्याय किया है। इसलिए, हमारे लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करना समय की मांग है।

मेरा संसदीय क्षेत्र तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मछुआरों की दो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: जो माननीय सदस्य बोलकर सदन से निकल जाते हैं, उनको मैं यहां से देख रहा हूं। अगली बार उनको मौका नहीं मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री नलीन कुमार कटील: मछुआरों को डीजल सब्सिडी दी जाती है। एक समस्या है।

केंद्र सरकार ने अपने पिछले शासनकाल के दौरान मेरे जिले में ऑल-वेदर फिशिंग हार्बर को मंजूरी दी थी। इसलिए मैं माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी और पूर्व कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी को मछली पकड़ने के बंदरगाह को मंजूरी देने के लिए बधाई देता हूं। मैं माननीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि कृपया उक्त परियोजना के लिए शीघ्र टेंडर आमंत्रित करने और कार्य प्रारंभ करने हेतु तत्काल कदम उठाएं।

एक अन्य मुद्दे का मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि धान की खेती को मनरेगा गतिविधियों के तहत शामिल करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह कर्नाटक राज्य में शामिल नहीं है।

जहां तक प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का संबंध है, पिछले दस वर्षों के दौरान कर्नाटक के लिए एक भी परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई है। इसलिए मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री से अपने राज्य के लिए परियोजना की मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध करता हूँ।

इसलिए मैं केंद्र सरकार से मनरेगा योजना के तहत धान की खेती को शामिल करने का आग्रह करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री सुनील कुमार सोनी (रायपुर): अध्यक्ष जी, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि अगर दुनिया में कोई दो शब्द बहुत महंगे हुए हैं, जो टूटने से नहीं मिलते हैं और वे दोनों शब्द अगर कहीं पर मिलते हैं, तो नरेन्द्र मोदी जी ने उन दोनों शब्दों को आत्मसात किया है, एक है विश्वास और दूसरा है ईमानदारी। जनता के विश्वास पर खरा उतरना उनकी फितरत में है। उन्होंने ईमानदारी से पांच सालों तक सरकार चलाकर पिछली सरकारों को सीखने का अवसर दिया।

मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहूँगा। जनता के बीच उन्होंने विश्वास अर्जित किया। गांव में विकास के माध्यम से परिवर्तन आया, लेकिन गांव में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में भी योजनाओं के माध्यम से परिवर्तन आया। सब ने इस बात को कहा कि किसी गरीब व्यक्ति को आवास मिलना, गैस सिलेण्डर मिलना, जन-धन योजना का लाभ मिलना, बीमा मिलना, पेंशन मिलना, आदि अनेक योजनाओं के माध्यम से किसान और आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आया है। किसान को 6 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि मिलने से उसको आगे बढ़ने का हौसला मिला और उसके जीवन में एक उत्साह आया।

मेरे से पहले भी माननीय सदस्य कह चुके हैं, लेकिन मैं मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि मनरेगा योजना को किसान के खेत के साथ जोड़ा जाए। मजदूरों को उससे लाभ मिलेगा। इससे किसान की आय दोगुनी होने का अवसर मिलेगा। ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से निपटने के लिए भी मनरेगा की राशि से जल, जंगल, जमीन और धन के उत्थान करने की योजना बनाई जानी चाहिए। जमीन से मतलब है उत्पादन, धन और उत्थान। अगर मनरेगा से खेत को जोड़ दिया जाता है, तो उसकी रोपाई, कटाई और ढुलाई में भी रोजगार मिलेगा। इससे किसान को सहयोग मिलेगा और उसे जो दो गुना धन कमाना है, उसमें सहायता मिलेगी।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कुछ मांग करना चाहता हूँ, कृषि निर्यात बागवानी फसलों और सब्जी के लिए रायपुर में एक टर्मिनल मार्केट का निर्माण किया जाए। हमारे यहां सीजन में टमाटर को

सड़क पर फेंकते हैं। वहां अच्छे फल और सब्जी का उत्पादन हो रहा है। चीन के बाद अगर ड्रैगन कहीं पैदा हो रहा है तो वह छत्तीसगढ़ की धरती में हो रहा है। यहां से हम लोगों को निर्यात करने में सहूलियत होगी, फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने से लाभ मिलेगा।

हमारे यहां नदियों को जोड़ने की योजना बनाई जाए। महानदी, पेरी, तांदुल और शिवनाथ नदी को एक साथ जोड़ दिया जाए, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ उत्पाद की धरती है, यहां अच्छी फसलें होती हैं। हम देश को चावल खिलाते हैं। सिंचाई की सुविधा होगी। मैंने अपनी बात बहुत ही संक्षिप्त में समाप्त कर दी है।

मैं हाथ जोड़ कर आपसे प्रार्थना करता हूं कि स्वच्छता के ऊपर एक बार सदन में चर्चा कराएं। मैंने इस पर बहुत काम किया है और खुशी के साथ इस बात को कह रहा हूं। देश में पहली बार किसी प्रधान मंत्री ने लालकिले से स्वच्छता की बात की है। मैं उनको मन से धन्यवाद देता हूं। देश में स्वच्छता एक मिशन और आंदोलन बन गया है। आज शहरों के अंदर प्रतिस्पर्धा है। मैं दो बार महापौर रहा हूं। आज नगर पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम और गांव के पंचायत तक स्वच्छता का एक आंदोलन खड़ा हुआ है। हम प्लास्टिक का डिस्पोजलएबल उपयोग करते हैं, वह बंद होना चाहिए। आज देश के अंदर एक अर्थचक्र रुका है, आपके और हमारे जमाने में कागज के ढोंगे में सब्जी खरीदते थे और दर्जी के पास चिंदिया की झोला सिलकर अन्न लाते थे, हजारों करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। प्लास्टिक की डिस्पोजल चीजों को समाप्त करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य बहुत अच्छे वक्ता हैं और पहली बार चुन कर आए हैं।

81* श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): मैं केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास बजट के अनुदान एवं मांग पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ।

आगामी वर्ष 2022 तक वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र में भी निवेश के पुण्य चक्र को शुरू करने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो की काफी सराहनीय है, जैसा कि हमने पहले देखा था, अंतरिम बजट में घोषित 75000 करोड़ की प्रधान मंत्री किसान निधि योजना के माध्यम से कृषि के लिए आबंटन में तेजी से वृद्धि इस दिशा में उठाया गया मजबूत कदम है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कृषि क्षेत्र के उत्थान में भी काफी रुचि ली है। आज तक इस देश में खेती को एक व्यवसाय के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था।

हमारी सरकार ने इसे और अधिक लाभदायक बनाने और अन्य व्यवसायों के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए एक पेशे के रूप में खेती का स्वागत किया है। यह एक बहुत ही जीवंत विचार है, जो किसान भाइयों की आर्थिक स्तर को मजबूत करने में सहयोग करेगी।

हमारी सरकार द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनाने की योजना बनायी गई है। इसके साथ ही सहकारिता के माध्यम से डेयरी के कार्यों को भी बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।

स्फूर्ति की पहल से अतिरिक्त कृषि उत्पादन को ऑक्सीजन मिलेगी जो कृषि क्षेत्र के खाली दिनों में आय का सहायक रूप है। सीएफसी में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण उनके उत्पादन को और अधिक लाभदायक, तथा 50000 शिल्पकारों को रोजगार के अवसर पैदा करने में सक्षम बनाएगा। इस पहल में शामिल होने के लिए तथा युवाओं में अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए 2019 -20 तक 100 नए क्लस्टरों की स्थापना की जाएगी।

81* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हमारी सरकार ने मत्स्य पालन के तरफ जोर देते हुए कहा कि मछली उद्योग ग्रामीण भारत के लिए अहम है. आने वाले समय में हमारी सरकार ग्रामीण किसानों को इससे जोड़कर उनकी दशा-दिशा बदलेगी. इसके लिए सरकार 'प्रधानमंत्री मत्स्य पालन' योजना की शुरुआत करने की योजना बना रही है।

जैसा कि हम सब जानते हैं भारत गांवों का देश है तथा इसकी आत्मा गांव में ही निवास करती है। इसलिए हमारी सरकार द्वारा ज्यादा जोर गांव, गरीब और किसानों पर दिया गया है। सरकार ये मानती है कि गांवों के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। साथ ही कृषि को फायदे का सौदा बनाए बिना देश में बेरोजगारी दूर नहीं की जा सकती।

"आयुष्मान भारत" जो कि विश्व की सबसे बड़ी योजना है, इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर 10 करोड़ परिवारों अर्थात् 50 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, तथा इसका लाभ अभी तक 32 लाख लोगों को मिल चुका है। सस्ती दरों पर दावा उपलब्ध कराने के लिए 5300 से ज्यादा जनऔषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जिसका सीधा लाभ गाँव के गरीब भाइयों को मिल रहा है।

अगर ग्रामीण परिवेश की बात की जाए तो बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बजट में वन नेशन वन ग्रेड प्लान की घोषणा भी की गई है, तथा साथ ही बिजली के ट्रैफिक में भी बड़े सुधार किए गए हैं। [अनुवाद] गांव में डिजिटलीकरण किया जा रहा है जिसके तहत हर गाँव को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, और इसके माध्यम से करोड़ों लोगों को डिजिटल साक्षर भी बनाया जा रहा है, और हमारी सरकार ने आगे 2 करोड़ ग्रामीणों को डिजिटल शिक्षा (डिजिटल शिक्षा) देने का लक्ष्य रखा है।

हमारी सरकार ने महिलाओं के सम्मान तथा गरिमा के लिए गांव के हरेक घर में शौचालय बनवाए हैं, ताकि हमारी माताओं और बहनों को शौच के लिए घर के बाहर नहीं जाना पड़े। 5.6 लाख गांव अब तक खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। हमारी सरकार का यह प्रयास है आगामी 02 अक्तूबर, 2019 को भारत खुले में शौच से मुक्त हो जाए।

हम लोगों को इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ना है कि वर्ष 2022 में जब हम स्वाधीनता की 50 वीं वर्षगांठ मनाएंगे तब नए भारत की हमारी जो परिकल्पना है, किसानों की आय दोगुनी होगी, हर गरीब के

पास अपना घर होगा, हर गरीब के घर बिजली का कनेक्शन होगा, स्वच्छ ईंधन की सुविधा होगी, हर गरीब खुले में शौच की मजबूरी से मुक्त होगा, सभी गरीब को मेडिकल सुविधा मिलेगी, देश का हर गांव सड़क से जुड़ा होगा, गंगा की धारा अविरल और निर्मल होगी, किसानों की आय दोगुनी होगी, हर युवाओं के हाथ में रोजगार होगा तथा हम एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ विश्व के विकास को नेतृत्व देने के लिए कदम बढ़ाएंगे।

धन्यवाद।

82* श्रीमती रमा देवी (शिवहर): भारत गांवों का देश है जहाँ देश की आबादी के लगभग 70 प्रतिशत लोग निवास करते हैं। बापू ने कहा था कि जब तक हम गांव का विकास नहीं करेंगे तब तक भारत का सही मायने में विकास संभव नहीं है। सरकार ने इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि रोजगार और ग्रामीण जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए 1 लाख 30 हजार 485 करोड़ रुपये की बड़ी राशि का प्रावधान किया है। दूसरी ओर ग्रामीण विकास के लिए 1 लाख 17 हजार करोड़ रुपये व्यवस्था की है। इसमें 4.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि इनका मूल उद्देश्य अंत्योदय के केन्द्र बिंदु गांव, गरीब और किसान के आय स्रोत में बढ़ोतरी करके गरीब आर किसानों के जीवन को आत्मनिर्भर बनाना है।

आज से 10 वर्ष पूर्व गांवों में ज्यादातर कच्चे मकान ही देखे जाते थे किन्तु, 2014 में मोदी सरकार आने के बाद गांवों में बड़ी तेजी के साथ एक करोड़ पक्के मकान बने हैं। इस सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक सभी को घर दिये जाएं। इस बजट में ग्रामीण आवास निर्माण हेतु 19 हजार करोड़ रुपये आबंटित किये गए हैं एवं इन मकानों में शौचालय, पानी एवं बिजली की व्यवस्था होगी। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ।

देश के गांवों में कच्ची सड़क से मुक्त करने हेतु मोदी सरकार द्वारा गांव के सम्पर्क मार्गों को पक्का किया जा रहा है तथा ग्रामीण जीवन उन्नत बनाये गये हैं। इस बजट में 80 हजार करोड़ रुपये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के लिए आबंटित गये हैं जिससे कि 1 लाख 25 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण आगामी 5 वर्षों में किया जायेगा। आज हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के तीसरे चरण की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे जो भी बची हुई ग्रामीण सड़कें होंगी उसे पूरा किया जायेगा। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध होगा कि मेरे शिवहर संसदीय क्षेत्रांतर्गत अधूरे सड़कों को भी बनवाने का काम किया जाये।

मनरेगा ने ग्रामीण लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार दिये हैं और सरकार ने मनरेगा को सफल बनाने के लिए मनरेगा को 60 हजार करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि मनरेगा में जो

82* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

शिकायत है और इन शिकायतों को दूर करने की प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको सख्त से सख्त सजा दिये जाने हेतु राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं जिससे मनरेगा के कार्यों को शत-प्रतिशत जमीन पर उतारा जा सके।

गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं देने के लिए उज्ज्वला योजना बनाई जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाओं को भी फ्री एल.पी.जी. कनेक्शन देकर सुविधाएं प्रदान की गई हैं जिसमें धुएं की किल्लत दूर हुई तथा उन्हें दमे और सांस जैसी बीमारियों से मुक्ति मिली है।

इस बजट में सीमावर्ती इलाके के ग्रामों के विकास के लिए जो राशि आबंटित की गई है इससे सीमा क्षेत्र की लम्बित परियोजनाओं को पूर्ण कराना संभव हो सकेगा। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र के पूर्वी चम्पारण एवं सीतामढ़ी जिले के सीमावर्ती इलाके की सड़कों एवं पुलों का निर्माण कराया जाये।

देश महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाने जा रहा है। इस अवसर पर पूरे देश के गांवों को ओ.डी.एफ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो विश्व में एक रिकॉर्ड है। इस सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण में सुधार करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए 4 हजार 66 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जो देश के गांवों को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएगी। मोदी सरकार में वैसे 18 हजार गांव जो आजादी के बाद से बिजली से वंचित थे वहां बिजली पहुंचाने का ऐतिहासिक काम किया गया है।

भारतीय किसान कल्याण के लिए हमारी सरकार ने कृषक कल्याण मंत्रालय का गठन किया है तथा उनको किसान सम्मान निधि से 2 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को हर साल 6 हजार रुपये देने के काम की शुरुआत की है। इस निधि से किसानों को अपने खेतों में बुआई से कटाई तक के लिए अब साहूकारों के दरवाजे नहीं जाना पड़ेगा और न फसल का हिस्सा इन साहूकारों को देना पड़ेगा। इस बजट में किसान सम्मान निधि को 75 हजार करोड़ का आबंटन किया गया है।

कृषि क्षेत्र में आय बढ़ाने के लिए अलग से मत्स्य विभाग का गठन किया है और एक नया मत्स्य पालन विकास फंड बनाया है। इससे देश के मछुआरों की जिन्दगी बदल सकती है। भारत मछली क्षेत्र में रोजगार पैदा करने वाला कृषि के बाद दूसरा क्षेत्र है।

(1) कर्ज बोके खेतों से बालियां निकलती हैं।

खून रो के ज्यों दिल से, ढसरियाँ निकलती हैं

हाये उन गरीबों की, कोई देखें मजबूरी।

(2) खून बेचकर जिनकी रोटियों निकलती

बोलने की आजादी, संविधान देता है

बोलने पर अब मेरे रैलियां निकलती।

[अनुवाद]

श्री पी. रविन्द्रनाथ कुमार (थेनी): माननीय अध्यक्ष, महोदय, वर्ष 2019-20 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत अनुदान की मांगों पर बोलने और उनका समर्थन करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

अपनी पार्टी ए.आई.ए.डी.एम.के., तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की ओर से मैं इस अनुदान मांग का स्वागत और समर्थन करता हूँ। मैं ग्रामीण भारत के कल्याण के लिए इस मंत्रालय की उल्लेखनीय और सामंजस्यपूर्ण कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए हमारे माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी और माननीय मंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ।

मैं मंत्रालय द्वारा 1,17,647 करोड़ रुपये का सकल बजटीय समर्थन आबंटित करने की घोषणा का स्वागत करता हूँ, जो वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 5,244 करोड़ रुपये की वृद्धि है, जो सराहनीय है।

इस अवसर पर, मैं तमिलनाडु राज्य की ओर से अपनी चिंता व्यक्त करना चाहूंगा कि वर्ष 2017-18 के लिए ग्रामीण विकास विभाग के लिए 952 करोड़ रुपये का मूल अनुदान; वर्ष 2018-19 के लिए 1,098 करोड़ रुपये और वर्ष 2019-20 के लिए 2,659 करोड़ रुपये लंबित हैं।

तमिलनाडु राज्य के लिए केंद्रीय सरकार के पास कुल 4,610 करोड़ रुपये की अनुदान धनराशि लंबित है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि लंबित अनुदान जारी करें ताकि तमिलनाडु राज्य सरकार बुनियादी नागरिक कार्यों को प्रभावी ढंग से संपन्न कर सके।

महोदय, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह तमिलनाडु में निम्नलिखित योजनाओं को जल्द से जल्द लागू करने के लिए धनराशि जारी करे:

1. वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन हेतु 9,800 करोड़ रुपये।
2. क्रमशः वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन हेतु 16 करोड़ रुपये।

3. वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन योजना हेतु नोडल अनुमोदन हेतु 5,903 करोड़ रुपये।

4. वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत बीज प्रमाणीकरण विभाग एवं जैविक प्रमाणीकरण विभाग के विभिन्न विंगों को सुदृढ़ करने के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान।

महोदय, हमारे देश में कृषि क्षेत्र में बढ़ते जल संकट को रोकने के लिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे ऐसी नीति बनाएं जिससे किसानों को खेती में जल के कुशल उपयोग के तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

महोदय, तमिलनाडु राज्य सरकार को एमजीएनआरईजीए योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने और आधार सीडिंग तथा कन्वर्शन में जीओ-एमजीएनआरईजीए प्रदर्शन के तहत उठाए गए पहलों के लिए केंद्र सरकार द्वारा पांच पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि कृषि क्षेत्र और मनरेगा के बीच विशेष रूप से बुआई से पहले और कटाई के बाद की गतिविधियों में प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, उन उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं प्रदान की जाएं जो गरीब किसानों की सहायता के लिए कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स स्थापित कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। तदनुसार, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे तमिलनाडु राज्य के लिए मनरेगा श्रमिकों के लिए अतिरिक्त 50 दिनों की अवधि बढ़ाने की तुरंत सिफारिश करें, जो खराब मानसून के कारण गंभीर सूखे का सामना कर रहे हैं।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र थेनी में बहुत सी फसलें जैसे कि आम, अंगूर, नारियल आदि उगाई जाती हैं। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कृषि उत्पादन बाजार स्थापित किया जाए।

महोदय, अंत में, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अभी सदन में शांति है, लेकिन कुछ माननीय सदस्य अभी भी बातचीत कर रहे हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, मेरा अनुभव है, हम पीछे की बेंच पर बैठकर बहुत बातें करते थे। अगर हम ध्यान से सुनें तो सम्पूर्ण देश की जानकारी अलग-अलग लोकसभा क्षेत्रों के माध्यम से मिलती है, अनुभव प्राप्त होता है। यह अनुभव आपकी जिंदगी में नई दिशा देगा, नया अनुभव देगा।

मेरा माननीय सदस्यों और संसदीय कार्य मंत्री जी से भी आग्रह है कि आप सभी सदस्यों से आग्रह करें कि माननीय सदस्य इस संसद के लिए चुनकर आए हैं और वे अधिकतम समय बैठेंगे तो उन्हें पूरे देश की जानकारी मिलेगी। ऐसा उनका सौभाग्य है कि उनको जनता ने चुनकर भेजा है। मेरा आग्रह है कि सभी पार्टियां अपने दल के माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करें कि डिमांड्स फॉर ग्रान्ट्स पर इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, पूरे देश की चर्चा एक साथ सुनने को मिल रही है।

मैं पुनः माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि संक्षिप्त में अपनी बात कहें और अपने मित्रों को बाहर जाकर टेलीफोन कर दें ताकि अधिकतम माननीय सदस्य सदन में आ जाएं।

आप सब अपने लोकसभा क्षेत्र के बारे में बता दीजिए। कुछ दिनों बाद तो स्क्रीन पर लोकसभा क्षेत्र आ जाएंगे, तब माननीय सदस्य एक-दूसरे को जानने लग जाएंगे। माननीय सदस्य, पहली बार अपना लोकसभा क्षेत्र भी बता दें।

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी।

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी (कोडरमा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं झारखंड के कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से आती हूं। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इसके साथ ही मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और पार्टी के माननीय अध्यक्ष का आभार व्यक्त करती हूं।

आज ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा है, मैं माननीय वित्त मंत्री, जो पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री के रूप में सदन में पहली बार बजट पेश किया है।

रात्रि 9.00 बजे

आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। देश की 80 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ग्रामीण क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने समझा कि गांवों एवं किसानों की क्या परेशानी है। उन्होंने पूरे भारतवर्ष को अपने एक परिवार के रूप में सोचा, समझा और उनको आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। पिछले पांच साल में उन्होंने लोगों के बीच में विश्वास, जो एक नारा था सबका साथ, सबका विकास और साथ में सबका विश्वास को भी जोड़ा। लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ, चूंकि देश को काम करने वाला एक ईमानदार प्रधानमंत्री मिला और लोगों ने देखा, विश्वास किया कि पिछले पांच वर्षों का जो कार्यकाल रहा, उसमें आम जनता, किसान और गरीबों के लिए इन्होंने अपना पूरा समय दिया।

साथ ही साथ मैं ग्रामीण विकास विभाग की जो योजनाएं हैं, उनकी ओर भी जाना चाहूंगी। मनरेगा योजना के तहत लोगों को रोजगार मिलता है। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहूंगी कि मनरेगा योजना में मजदूरों की जो मजदूरी है उसे बढ़ाने की कृपा करें ताकि उनकी कुछ मजदूरी बढ़ जाए। साथ ही साथ उन्हें कृषि के साथ टैग करें। अगर मनरेगा को कृषि के साथ जोड़ेंगे तो शायद हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। मनरेगा योजना के तहत बहुत सारा काम, चाहे वह प्लांटेशन का काम हो, तालाब का निर्माण हो या फिर मजदूर ओरिएंटेड काम होते हैं, उनमें किया जाता है। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगी कि आज जलशक्ति मंत्रालय जिस तरह से पूरे देश में, सभी लोगों की यह चिंता है कि पानी की किल्लत है, जलस्तर नीचे जा रहा है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है। आज मनरेगा के तहत भी

तालाब का निर्माण होता है तो मैं यह आग्रह करना चाहूंगी कि उसमें मजदूरों के द्वारा खुदाई होती है, पर जो सरकार की यह योजना है, एक महत्वाकांक्षी योजना है, अपेक्षा है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा पानी रुके तो मजदूर के माध्यम से इसमें बहुत ज्यादा डीप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से लागत लगती है, लेकिन हमें उस तरह का फायदा नहीं मिल पाता है। मैं माननीय मंत्री जी कहना चाहूंगी कि मजदूरों से चार-पांच फीट का काम कराकर शेष काम मशीन से कराने का प्रावधान भी रखें ताकि आज जो जल संचय की समस्या पैदा हो रही है, शायद उससे हमें फायदा मिलेगा।

इसके अलावा प्रधान मंत्री सड़क योजना, जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, आज गांव और शहर की दूरी बिल्कुल नजदीक हो गयी है। आज गांव के लोग दिन भर शहर में आकर काम करते हैं फिर शाम को अपने घर पहुंच जाते हैं। इस योजना से काफी फायदा हुआ है। खासकर, झारखंड प्रदेश में, जहां से हम लोग आते हैं। झारखंड प्रदेश पहले काफी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था। हमें लगता है कि कहीं न कहीं इस सड़क योजना के माध्यम से, चूंकि दूरी कम हो गयी, लोगों को आवागमन की सुविधा हो गयी है, इससे उग्रवाद प्रभावित जिले में भी प्रभाव पड़ा और वैसे क्षेत्रों में उग्रवाद काफी कम हो गया। मुझे लगता है कि शायद एक या दो जिलों में ही उग्रवाद रह गया है। इससे काफी फायदा हुआ है। इस बजट में 1.25 लाख कि.मी. सड़क बनाने की योजना है, जिससे हमें और फायदा मिलेगा। इस योजना में जो सड़कें बन रही हैं, इसके लिए जो एस्टिमेट था, उसमें कुछ कमी हुई है, एक लेयर को बिल्कुल हटा दिया गया है। मैं चाहूंगी कि जो भी टेक्निकल विषय हों, माननीय मंत्री जी उसकी ओर भी ध्यान दें।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत काफी लोगों को फायदा मिल रहा है और लोग इससे जुड़कर सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम जो कमेटियां बन रही हैं, गांव के लोगों को उससे फायदा हो रहा है। जो महिलाएं हैं, जो ग्रुप बनाकर स्वरोजगार के लिए काम करती हैं, उन्हें भी इससे काफी फायदा मिल रहा है। सरकार की ओर से उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता है।

यह बहुत ही अच्छी योजना है, जिसकी वजह से हम आज देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, सर, बस एक मिनट में मैं समाप्त करती हूं। मैं जब ग्रामीण क्षेत्र में जाती हूं चूंकि अधिकतर हम लोगों का

क्षेत्र ग्रामीण है, वहां पर स्वरोजगार के चलते शैक्षणिक स्थिति भी सुधरी है। वे महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल भेज रही हैं, वे अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो ये सरकार के द्वारा ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सी योजनाएं हैं, जिसके तहत ग्रामीणों को आगे आने का अवसर मिल रहा है।

महोदय, मैं कृषि के क्षेत्र में कुछ बोलकर अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगी। भारत देश के लोगों की आत्मा कृषि में ही है। ग्रामीणों की आत्मा खेत-खलिहानों के बीच में ही बसती है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने किसानों को आगे बढ़ाने व नई तकनीकों से खेती करने का अवसर दिया है। उन्होंने किसानों के लिए सोचा है। इस बार माननीय वित्त मंत्री जी ने जीरो बजट खेती की बात की, इससे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। आज हम प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो उससे उनको फायदा मिलेगा। सभी लोग पेस्टिसाइड से परेशान होते हैं, हरी-हरी सब्जियां हमें मिलती हैं, लेकिन उनमें बहुत पेस्टिसाइड होते हैं, तो इससे भी उनको फायदा मिलेगा।

महोदय, मैं झारखण्ड से आती हूं। झारखण्ड में कई ऐसे जिले जैसे रांची, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह में काफी खेती होती है। कुछ सदस्यों ने कहा कि सड़कों पर टमाटर फेंक दिए जाते हैं। हमारे यहां टमाटर की खेती सड़कों पर फेंक दी जाती है, उसका कोई प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि वहां काफी सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, लेकिन किसानों को उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उन किसानों को उन सब्जियों को सड़क पर फेंकना पड़ता है। हमारे मुख्यमंत्री जी श्री रघुबरदास जी ने अभी किसानों को आगे बढ़ाने के लिए और उनको नई तकनीक से खेती कराने के लिए इस्राइल भेजा है। इस्राइल से वे नई तकनीक की खेती सीखकर आए हैं और लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। साथ ही साथ जो प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना है उन्होंने भी मुख्य मंत्री किसान सम्मान योजना के तहत वहां छोटे-छोटे किसानों को, जिनकी एक एकड़ खेती है, उन्हें सितम्बर महीने से 5000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में देना तय किया है। हमें लगता है कि किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, वे बहुत अच्छी हैं। इससे किसान लाभान्वित होंगे, उन्हें फायदा मिलेगा और उन्हें किसी के आगे बीज और खाद के लिए हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

[अनुवाद]

^{83*} श्री एंटो एन्टोनी (पथनमथीट्टा): कुछ मुद्दे हैं जो मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के संज्ञान में लाना चाहता हूँ।

मैं केंद्रीय बजट में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए आबंटित धनराशि के संबंध में कुछ गंभीर चिंताएं उठाना चाहता हूँ।

पी.एम.जी.एस.वाई. के लिए आबंटित धनराशि के अनुसार, मैं यह उल्लेख किए बिना रह नहीं सकता कि केंद्र सरकार ने केरल राज्य की पूरी तरह उपेक्षा की है।

केरल राज्य द्वारा दिए गए कर की तुलना में, मेरा मानना है कि केंद्र सरकार द्वारा मेरे राज्य की इस तरह उपेक्षा करना पूरी तरह अनुचित है, खासकर यह देखते हुए कि केरल हाल ही में एक आपदा प्रभावित क्षेत्र रहा है।

यहाँ तक कि ऐसे राज्य जिनकी आबादी केरल से कम है, उन्हें भी किसी न किसी तरह से केंद्र से अधिक पैकेज मिलते हैं। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि पीएमजीएसवाई के माध्यम से केरल राज्य को विशेष पैकेज प्रदान किया जाए।

केरल की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा युवा है, जिनमें क्षमता होने के बावजूद वे बेरोजगार हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि मनरेगा के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार की कोशिशों को नए सिरे से डिज़ाइन करने की आवश्यकता है, जिसमें मनरेगा को एक ऐसा उपकरण बनाया जाए जो अधिक नौकरियां उत्पन्न कर सके। इसलिए मनरेगा के लिए तत्काल वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।

केरल में लगभग 20 लाख ऐसे छोटे किसान हैं जो एक से तीन गायें पालकर अपना गुज़ारा करते हैं। इन्हें "शीरा कार्षकार" कहा जाता है। लेकिन अफ़सोस की बात है कि ये लोग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसे सरकारी रोजगार कार्यक्रमों से बाहर हैं और इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

^{83*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मैंने बार-बार सरकार से इस पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है क्योंकि ये वे लोग हैं जो दूध बेचने और गाय पालने से प्राप्त आय से अपने घर चलाते हैं। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस बात का जवाब दे कि उन्होंने अभी तक उन्हें शामिल क्यों नहीं किया है या वे ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में, खेल के बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण और कई मामलों में निर्माण के लिए अधिक धन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

एक घर में रहने का सपना आज भी कई लोगों के लिए अधूरा है। सरकार की सभी के लिए घर योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आवास आबंटन को अन्य सभी क्षेत्रों से पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

केरल में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कई महिला समूह सक्रिय हैं। मैं सरकार से यह सिफारिश करता हूँ कि सभी महिला उद्यमियों के लिए ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था की जाए। महिलाओं का सशक्तिकरण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर केंद्र को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और यह एक ऐसी चीज है जिस पर सरकार बिना किसी नुकसान के विचार कर सकती है।

एन.आर.एच.एम. या 'ग्रामीण आरोग्यम' को पूरे देश में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है, लेकिन यदि इसकी जांच की जाए तो पता चलता है कि इसकी ग्रामीण पहुंच अत्यंत दयनीय है, यही कारण है कि मैं दृढ़ता से अनुशंसा करता हूँ कि सरकार इस योजना में अधिक धनराशि लगाए, जो एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है और जरूरतमंद लोगों के लिए मददगार हो सकती है।

[हिन्दी]

श्री एम. बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): सर, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। अगर हमारा किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। किसान जितना आबाद होगा देश उतना ही आबाद होगा। हमारे एक बहुत बड़े कवि ने कहा था कि "आज 2 अक्टूबर का दिन है, आज का दिन बड़ा महान है, आज के दिन दो फूल खिले थे, जिनसे महका हिन्दुस्तान। जय जवान जय किसान " तो यह किसान का मसला है। मैं समझता हूँ पूरे देश का मसला है। 80 से 85 परसेंट लोग किसान हैं और किसान के बिना यह देश कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मंत्री जी से भी मैं कहूँगा कि आप भी बहुत ही पुराने हैं, बहुत ही गंभीरता से गांव, देहातों में किसानों के प्रोजेक्ट को किस तरीके से पहुंचाया जाए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि उनको ज्यादा से ज्यादा सहायता पहुंचे ताकि देश आबाद हो और पूरी दुनिया में इसका नाम मशहूर हो। सर, यह एग्रीकल्चर का मसला है। एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है कि उस जमीन पर सैलाब न हो। एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है कि उस जमीन पर बाढ़ न आए। आज आधा हिन्दुस्तान सूखे की वजह से पीड़ित है और आधा हिन्दुस्तान खासकर पूरे असम में एक किलोमीटर भी जगह नहीं है, जहां सैलाब न हो। पूरा का पूरा असम सैलाब में डूबा हुआ है, इसलिए असम में जब कृषि की बात करनी है तो उससे पहले उस जमीन को ठीक करने के लिए सैलाब की बात करनी भी जरूरी है।

रात्रि 9.10 बजे

(डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी पीठासीन हुए)

असम में इस वक्त तकरीबन 45 लाख लोग सैलाब से पानी के अंदर डूबे हुए हैं। टेलीविजन में मकानात के छत नजर आते हैं, लोग नजर नहीं आते हैं। उनके जानवर बहुत परेशानी में हैं। वे इस हाल में जी रहे हैं। सर, इसलिए हमारी पार्टी ने बार-बार डिमाण्ड की है, मैं 11 साल से मुसल्सल यह डिमाण्ड करता आ रहा हूँ, इस समय तीसरी मर्तबा फिर डिमाण्ड कर रहा हूँ कि इसे नेशनल कैलामिटी डिक्लेयर किया जाए। जब तक ब्रह्मपुत्र को नेशनल कैलामिटी डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, जब तक इसे काबू में नहीं लाया जाएगा, तब तक असम की उन्नति का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसकी वजह से असम की इकोनोमी को

बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इस साल भी असम में फलड आ चुका है। अब तक तकरीबन 30 जिले, 43 लाख लोग मुतास्सिर हो चुके हैं और दर्जनों लोग मर चुके हैं। मेरा क्षेत्र धुबरी, ग्वालपाड़ा, बारपेटा, मोरगांव, नवगांव आदि जिले बुरी तरह मुतास्सिर हैं। मैं अभी कल-परसों वहां एक दिन के लिए गया था, जब मैं बीएसफ की नाव लेकर गया तो बहुत मुश्किल से कुछ इलाके देख पाया, लेकिन आंखों से देखा जाए, ऐसी हालत वहां नहीं है। लोगों की बहुत बुरी हालत है। गांव के गांव डूब गए हैं, पीने का पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है। जानवरों की भी जान जा रही है, उनके लिए भी खाने का इंतजाम करना जरूरी हो गया है। सरकार से मैं बार-बार मांग करता आ रहा हूं कि इसे नेशनल कैलामिटी डिक्लेयर किया जाए, मगर अब तक इस पर कुछ भी नहीं हुआ है। असम के सैलाब की रोकथाम के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड पूरी तरह नाकाम रहा है। असम के सैलाब का डिजास्टर मैनेजमेंट भी फेल हो चुका है। इसलिए सरकार को इस पर एक नई स्टडी करानी चाहिए और जिस तरीके से दामोदर नदी को कंट्रोल किया गया, उसी तरीके से ब्रह्मपुत्र में भी कुछ काम किया जाए। ... (व्यवधान) सर, वक्त की कमी है, इसलिए असम में आए फलड की वजह से जो तबाही हुई है, मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना जल्दी हो सके एक हेलीकॉप्टर से या हवाई जहाज वहां की स्थिति का एरियल व्यू लें और कम से कम 5,000 करोड़ रुपये का एक पैकेज असम को दिया जाए, यह हमारी पार्टी की डिमाण्ड है।

सर, असम में खेती के लिए सिंचाई का इंतजाम 10 प्रतिशत जमीन के लिए भी नहीं है। कुदरती पानी और बरसात के भरोसे किसान खेती करते हैं, जिसकी वजह से या ता वक्त पर पानी न होने की वजह से या सैलाब आने की वजह से खेती तबाह और बर्बाद हो जाती है। यह बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है। इसकी वजह से किसानों को उनके अनाज की सही कीमत नहीं मिल पा रही है। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: कृपया समाप्त करें। हमारे पास सदस्यों की एक बहुत लंबी सूची है। [हिन्दी] आपके तीन मिनट हो गए हैं।

श्री एम. बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): इसलिए असम जैसे इलाकों में खास तौर से एमएसपी के बदले धान और जूट पर ... (व्यवधान) सर, बहुत से लोग अपनी खेती को खुद जला देते हैं, ऐसा वाक्या हुआ हमारे यहां बैसीमारी में। जब उन लोगों ने मिसिल निकाला तो उनको गोलियों से भून दिया गया। पांच-छः लोग उसमें मर गए। ... (व्यवधान)

सर, बहुत-बहुत शुक्रिया देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मुझे मंत्री जी से यह उम्मीद है कि वह असम की तरफ जरूर ध्यान देंगे, प्रधान मंत्री को वहां जरूर भेजेंगे, ताकि वे असम को देखें और उसकी हालत पर उनको रहम आए।

نے آپ کہ ہوں گزار شکر کا آپ میں صاحب، اسپیکر: (دھبری) اجمل بدرالدین جناب ملک تو ہوگا مضبوط کسان ہمارا اگر دیا۔ موقع کا بولنے پر موضوع اہم اتنے مجھے بڑے بہت ایک ہمارے ہوگا۔ آباد ہی اتنا ملک ہوگا، آباد جتنا کسان ہوگا۔ مضبوط بھی کہ تھا کہانے کو

مہان بڑا ہے دن کا آج دن، کا اکتوبر 2 ہے آج

ہندوستان مہکا سے جن کھلے، پھول دو دن کے آج

کسان جے، جوان جے

فیصد 85 سے 80 ہے۔ مسئلہ کا ملک پورے ہوں سمجھتا میں ہے، مسئلہ کا کسان یہ تو میں لئے اس سکتا۔ ہو نہیں مضبوط بھی کبھی ملک یہ بنا کے کسان اور ہیں کسان لوگ بھی آپ کہ گا کہوں میں بھی سے جی منتری ہے۔ موضوع اہم بہت یہ کہ ہوں سمجھتا پروجیکٹ کے کسانوں میں دیہاتوں گاؤں، ساتھ، کے سنجیدگی ہی بہت ہیں، پرانے بہت زیادہ کو ان کہ گا چاہوں کہنا سے ذریعہ کے آپ میں جائے۔ پہنچایا سے طرح کس کو یہ سر، ہو۔ روشن نام کا اس میں دنیا پوری اور ہو آباد ملک تاکہ پہنچے مدد زیادہ سے نہ سیلاب پر زمین اس کہ ہے ضروری لئے کے ایگریکلچر ہے۔ مسئلہ کا ایگریکلچر

آدھا آج [हिन्दी] آئے۔ نہ باڑھ پر زمین اس کہ ہے ضروری لئے کے ایگریکلچر ہو۔ میں آسام پورے کر خاص ہندوستان آدھا اور ہے، متاثر سے وجہ کی سوکھے ہندوستان ڈوبا میں سیلاب آسام پورا کا پورے ہو۔ نہ سیلاب جہاں ہے نہیں جگہ بھی میٹر کلو ایک کو زمین اس پہلے سے اس تو ہے کرنی بات کی کھیتی جب میں آسام لئے اس ہے۔ ہوا ہے۔ ضروری کرنا بھی بات کی سیلاب لئے کے کرنے ٹھیک

ٹیلی ہیں۔ ہوئے ڈوبے اندر کے پانی سے سیلاب لوگ لاکھ 45 تقریباً وقت اس میں آسام بہت جانور کے ان ہیں۔ آتے نہیں نظر لوگ ہے، آتی نظر چھت کی مکانات میں ویزن بار نے پارٹی ہماری لئے اس سر ہیں۔ رہے جی میں حال اس وہ ہیں۔ میں پریشانی ہی تیسری وقت اس ہوں، رہا کرتا مانگ یہ مسلسل سے سال 11 میں ہے۔ کی ڈیمانڈ بار کو برہمپتر تک جب جائے۔ کیا ڈیکلٹر کیلیمٹی نیشنل اسے کہ ہوں رہا کر ڈیمانڈ پھر بار تب گا، جائے کیا نہیں میں قابو اسے تک تب گا، جائے کیا نہیں ڈیکلٹر کیلیمٹی نیشنل کی آسام سے وجہ کی اس ہے۔ ہوتا نہیں پیدا ہی سوال کوئی کا ترقی کی آسام تک تک اب ہے۔ آچکا فلڈ میں آسام بھی سال اس ہے۔ پہنچتا نقصان زیادہ بہت کہ ایکونومی چکے مر لوگ درجنوں اور ہیں، چکے ہو متاثر لوگ لاکھ 43 میں ضلعوں 30 تقریباً بری ضلعے وغیرہ نوگائوں مورگائوں، پیٹا، بار گوالپاڑہ، دھیری، علاقہ میرا ہیں۔ میں جب تھا، گیا لئے کے دن ایک وہاں پرسوں کل ابھی میں ہیں۔ متاثر طرح آنکھوں لیکن پایا۔ دیک علاقے کچھ سے مشکل بہت تو کر لے ناؤں کی بی۔ایس۔ایف۔ کے گاؤں ہے۔ حالت بری بہت کی لوگوں ہے۔ نہیں وہاں حالت ایسی جائے دیکھا سے جانوروں ہے۔ نہیں کھانا لئے کے کھانے ہے، نہیں پانی کا پینے ہیں، گئے ڈوب گاؤں ہے۔ گیا ہو ضروری کرنا انتظام کا کھانے بھی لئے کے ان ہے، رہی جا جان بھی کی جائے، کیا ڈیکلٹر کیلیمٹی نیشنل اسے کہ ہوں رہا کرتا مانگ بار بار میں سے سرکار برہمپتر لئے کے روکتھام کی سیلاب کے آسام ہے۔ ہوا نہیں بھی کچھ پر اس تک اب مگر

چکا ہو فیل بھی مینجمنٹ ڈائریکٹر کا سیلاب کے آسام ہے۔ رہا ناکام طرح بری بورڈ سے طریقے جس اور چاہئے کرانی اسٹڈی نئی ایک پر اس کو سرکار لئے اس ہے۔ جائے۔ کیا کام بھی میں برہمپتر سے طریقے اسی گیا، کیا کنٹرول کو ندی دامودر ہوئی تباہی جو سے وجہ کی فلڈ آئے میں آسام لئے اس ہے، کمی کی وقت سر۔ (مداخلت) س صاحب داخلہ وزیر اور صاحب اعظم وزیر سے ذریعہ کے آپ میں ہے، وہاں سے جہاز ہوائی یا کوپٹر ہیلی ایک سکے ہو جلدی جتنا کہ ہوں کرتا درخواست کو آسام پیکیج ایک کا روپے کروڑ 5000 کم سے کم اور لیں ویو ایریل کا حالات کے ہے۔ ڈیمانڈ کی پارٹی ہماری یہ جائے، دیا

ہے۔ نہیں بھی لئے کے زمین فیصر 10 انتظام کا سینچائی لئے کے کھیتی میں آسام سر، تو یا سے وجہ کی جس ہیں، کرتے کھیتی کسان بھروسے کے برسات اور پانی قدرتی ہو برباد و تباہ کھیتی سے وجہ کی آنے سیلاب یا سے وجہ کی ہونے نہ پانی پر وقت قیمت سہی کی اناج کے ان کو کسانوں سے وجہ کی اس ہے۔ ایشیو اہم بہت یہ ہے۔ جاتی (مداخلت) ہے۔ رہی پا مل نہیں

جوٹ اور دھان بدلے کے ایم۔ایس۔پی۔ سے طور خاص میں علاقوں جیسے آسام لئے اس ہمارے ہوا واقع ایسا ہیں۔ دیتے جلا خود کو کھیتی اپنی لوگ سے بہت سر۔ (مداخلت) پر پانچ، گیا، دیا بھون سے گولیوں کو ان تو نکالا مثل نے لوگوں ان جب میں۔ بیماری یہاں (مداخلت) گئے مارے میں اس لوگ چھ

منتری مجھے دیا۔ موقع کا بولنے مجھے نے آپ کہ ہوں کرتا ادا شکریہ بہت بہت سر، جی منتری پردھان گے، دیں دھیان ضرور طرف کی آسام وہ کہ ہے امید یہ سے جی رحم کو ان پر حالت کی اس اور دیکھیں کو آسام وہ کہ تا گے، بھیجیں وہاں ضرور کہ شکریہ آئے۔

(شد ختم)

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): सभापति महोदय, मैंने केवल सुझाव के रूप में अपनी बात कहने का निश्चय किया है। कृषि से संबंधित मुद्दों को मैंने लिखित वक्तव्य में दिया है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि माननीय कृषि मंत्री आदरणीय नरेन्द्र सिंह जी ने पिछले वर्ष जो एक लेख लिखा था, उनके दो-तीन लेख हैं, अगर उनको पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से उनके सारे शक-शुबहा दूर हो जाएंगे।

मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा कि किसान दिन-रात मेहनत कर रहा है और मोदी जी की नीतियों की वजह से निश्चित रूप से 2022 तक उसकी आमदनी होगी, इसमें कहीं कोई शुबहा नहीं है, लेकिन आवारा पशुओं से किसान परेशान हैं। मध्य प्रदेश में विधान सभा चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वे गांव-गांव में गौशाला बनाएंगे, लेकिन उनका जो बजट आया है, उसमें इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। जिस तरह से उन्होंने कर्ज माफी के मामले में किसानों को धोखा दिया, उसी तरह गौशाला निर्माण के मामले में मध्य प्रदेश सरकार धोखा दे रही है।

मेरा इस मामले में केन्द्र सरकार एवं आदरणीय मंत्री जी से निवेदन है कि 'मनरेगा' के तहत तार बाउंड्री का प्रावधान है। इसलिए किसानों के साथ एग्रीमेंट करके कँटीले तारों की बाउंड्री बना दी जाए। जहां शासकीय जमीन मिले, वहां शासकीय जमीन पर और अगर शासकीय जमीन नहीं है तो किसी भी किसान से तीन साल और पांच सालों के लिए अनुबंध किया जा सकता है कि वे मवेशियों का गोबर ले लें और जमीन दे दें और पांच सालों के बाद वह तारबाड़ी भी उसकी हो जाए।

महोदय, इसके साथ ही उसकी देख-रेख के लिए एक या दो आदमी लगेंगे, उन्हें भी 'मनरेगा' के तहत मजदूरी दी जा सकती है और मजदूरी के आधार पर वे देख-रेख करने वाले, चारा-पानी देने वाले नियुक्त हो सकते हैं। पानी की समस्या आएगी। मैं सदन के माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि पेय जल के लिए जितना भी पैसा लगेगा, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में हैंड पंप की व्यवस्था सांसद निधि से करूंगा। इसलिए इस पर विचार हो। किसानों की फसल वन्य प्राणियों द्वारा नुकसान की जाती है। इस सदन में आज हमारे स्वर्गीय नेता दवे जी नहीं हैं, लेकिन जब वह मंत्री थे तो उन्होंने प्रयास करके वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में संशोधन कराया था। राज्य सरकार गांवों को नोटिफाई कर सकती है। जो गांव

नोटिफाई हो जाएंगे, उसमें किसान जिस तरह से चाहे, जंगली पशुओं से किसान अपनी फसल की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे सुझाव पर विचार हो और आवारा पशुओं से किसानों की फसल की सुरक्षा की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं बजट प्रावधानों का समर्थन करते हुए, अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।

माननीय सभापति: सभी आदरणीय सांसदों से मेरी अपील है, मेरा निवेदन है कि ढाई से तीन मिनट में अपनी बात को समाप्त कीजिए।

कुमारी अगाथा के. संगमा जी।

[अनुवाद]

कुमारी अगाथा के. संगमा (तुरा): सभापति महोदय, इन अनुदान की मांगों पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। महोदय, मेरे पास प्रस्तुत करने के लिए कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

मैं मेघालय राज्य से संबंध रखती हूँ जो मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य है। हमारी 22 प्रतिशत जी.डी.पी. कृषि से है और हमारी 80 प्रतिशत आबादी किसी न किसी रूप में अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। मेरे राज्य में वर्तमान में दो कृषि महाविद्यालय हैं, दोनों खासी पहाड़ियों में शिलोंग में हैं। एक कृषि स्नातकोत्तर महाविद्यालय है और दूसरा एक कृषि महाविद्यालय है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमारा राज्य कृषि पर इतनी अधिक निर्भरता रखता है, यह वास्तव में पर्याप्त नहीं है कि हमारे पास वहां केवल दो कृषि महाविद्यालय ही हों। वास्तव में, 2009 में एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय का प्रस्ताव था और केंद्र सरकार ने एक बात कही थी कि यदि मुफ्त में भूमि प्रदान की जाएगी, तो एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

महोदय, यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। संक्षेप में मैं यह कहना चाहूंगी कि 2014 में हमारी राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए निःशुल्क भूमि प्रदान की गई थी। लेकिन इसके बजाय, 2015 में कृषि महाविद्यालय मेरे राज्य को दिया गया। महोदय, आपके माध्यम से हमारे माननीय मंत्री जी से मेरी विनम्र अनुरोध है कि इस केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना में हमारी मदद करें। राज्य सरकार द्वारा जमीन की पेशकश की गई है। यह एक वादा था जो केंद्र सरकार ने हमसे किया था। मैं सरकार से इस मामले पर गौर करने का आग्रह करती हूँ। ऐसा कुछ होने के लिए, एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए, संसद में एक अधिनियम पारित होना चाहिए तथा इसे सूची-1 की प्रविष्टि-64 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो कि संघ सूची है, तथा इसे राष्ट्रीय महत्व का मामला माना जाना चाहिए। इसलिए, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि इसे स्थापित करने में हमारी मदद करें।

दूसरा, हमारे राज्य में झूम खेती नामक परंपरागत कृषि पद्धति प्रचलित है, जिसमें कृषि हेतु भूमि और पर्वतों को जलाकर खेती की जाती है। एक समय यह कृषि पद्धति अत्यंत स्थायी और प्रभावी थी। लेकिन वर्तमान समय में यह टिकाऊ नहीं रह गई है। इस विधि से भारी मात्रा में धुआं, प्रदूषण और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह हमारी राज्य सरकार की सहायता करने के लिए एक समाधान ढूंढे तथा हमारे किसानों को झूम खेती से कृषि के एक उचित टिकाऊ रूप में बदलने का रास्ता खोजने में मदद करे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि इस प्रथा का समाधान ढूंढने में हमारी सहायता करें, जो अब टिकाऊ नहीं रह गई है। पहले भूमि को 20 से 25 वर्षों तक बंजर छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब केवल एक वर्ष के भीतर भूमि को पुनः जलाया जा रहा है।

तीसरा, जैसा कि आप जानते हैं, महोदय, मेरे राज्य का नाम मेघालय है। इसे 'मेघों का निवास' कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है। चावल उत्पादन के संदर्भ में, हमारी खेती की गई भूमि का 60 प्रतिशत हिस्सा चावल की खेती के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करती हूं कि वह हमें चावल और मछली पालन दोनों के लिए एक ही समय पर अभ्यास करने या समाधान ढूंढने में मदद करे। यह एक ऐसी प्रथा है जो वियतनाम जैसे कई देशों में अपनाई जा रही है। मेरा मानना है कि खेती के ये तरीके मेघालय के लिए तथा इसी प्रकार की खेती करने वाले अन्य राज्यों के लिए भी लाभदायक होंगे।

माननीय सभापति : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

कुमारी अगाथा के. संगमा: अंत में, मेरे पास मूल्य संवर्धन से संबंधित एक संक्षिप्त सुझाव है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि कृपया हमारी सहायता करें ताकि अधिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जा सकें। यद्यपि हमारे पास अच्छी कृषि उपज है, लेकिन यदि हम अच्छी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने और उनके उत्पादों का उचित विपणन करने में सक्षम नहीं हैं, तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। हमें अपने उत्पादों का विपणन करना आवश्यक है और साथ ही स्थायी एवं पर्यावरण-हितैषी पैकेजिंग

के तरीकों को अपनाना भी जरूरी है, जैसा कि मेरे सम्माननीय सहयोगी ने अभी उल्लेख किया है। मैं भी सरकार से निवेदन करता हूँ कि वे हमें पर्यावरण-हितैषी पैकेजिंग में सहायता प्रदान करें।

महोदय, इन चंद शब्दों के साथ मैं आपको यह अवसर देने के लिए धन्यवाद देती हूँ।

[हिन्दी]

श्री राहुल कस्वां (चुरु): महोदय, मेरा निवेदन रहेगा कि आप साढ़े तीन मिनट का समय बढ़ाकर सात मिनट का कर दीजिए।

माननीय सभापति: नहीं, आप ढाई से तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए। कृपया समय बर्बाद न करें। अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी बात कहनी है।

श्री राहुल कस्वां: महोदय, इस चर्चा में बहुत से माननीय सदस्यों ने अनेक बातें कही हैं, लेकिन मैं केवल उन मुद्दों पर बात करना चाहूंगा जो माननीय प्रधान मंत्री जी का सपना है। किसान की आय को वर्ष 2022 तक डबल करने की बात थी। उसके लिए जो स्टैप्स लिए गए, वे ऐतिहासिक हैं। आज तक हिंदुस्तान की आजादी के पश्चात् किसी प्रधान मंत्री ने इस रूप में कार्य नहीं किया। एक युवा सांसद होने के नाते मैं यह मानता हूँ कि ये स्टैप्स धरती पर सही मायने में काम कर रहे हैं चाहे एमएसपी का बढ़ाना हो या प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना हो, हर योजना से देशवासियों को लाभ मिल रहा है।

महोदय, मैं उस क्षेत्र से आता हूँ, जहां गर्मी में टेम्प्रेचर 50.3 डिग्री टच किया और सर्दियों में टेम्प्रेचर माइनस में चला जाता है। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना बहुत ऐतिहासिक है और हमारे क्षेत्र के लोगों को इसका बहुत लाभ मिला है। ऐसी अनेक योजनाएं और भी हैं। मेरा मानना है कि जब लागत से डेढ़ गुना एमएसपी देने की बात कही गई, उसमें 23 नोटिफाइड फसलें हैं। राजस्थान का चुरु जिला और नार्थ राजस्थान की यदि मैं बात करूँ, वहां ग्वार पैदा होता है, जिससे ग्वारगम बनता है। इसमें ग्वार की फसल को नहीं लिया गया है। जब डेढ़ सौ डॉलर के करीब ऑयल चला गया था, तब इसकी बहुत जबरदस्त डिमांड हुई और लोगों ने इसकी खेती को अपनाया। बीते सालों में इसकी डिमांड घटी, क्योंकि कूड ऑयल के दाम

घटे। मेरा मानना है कि 23 फसलें जो नोटिफाइड हैं, उसमें ग्वार को भी शामिल किया जाए। चुरु जिले के साथ बीकानेर है और पूरे शेखावटी बेल्ट को इससे फायदा मिले।

महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि एमएसपी पर जो खरीद होती है, उसमें पारदर्शिता की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब भी खरीद शुरू होती है, हमारे पास सांसद के रूप में बहुत शिकायतें आती हैं। जो टोकन इश्यु किया जाता है, वह नेफेड राजफेड को खरीदने के लिए देता है और राजस्थान में पारदर्शिता बिल्कुल नजर नहीं आती है। किसान की फर्द की कॉपी ब्रोकर्स पहले ही ले जाते हैं और अपने नाम पर टोकन इश्यु कर लेते हैं। सेंटर्स में उन्हीं के नाम पर बिक्री हो जाती है। यह बहुत प्रॉब्लम की बात है और मैं समझता हूँ कि ट्रान्स्पेरेंसी जरूर होनी चाहिए। यदि बुआई से पहले यह तय हो जाए कि कौन-सी फसल की क्या एमएसपी रहेगी, चाहे टीवी के मार्फत या अखबार के मार्फत हो तो किसान को फसल बोने में बहुत फायदा मिलेगा। मेरा निवेदन है कि एमएसपी एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम है और मेरे क्षेत्र में काफी खरीद भी हुई है, लेकिन किसान को समय पर पैसा नहीं मिलता है। इस वजह से किसान ब्रोकर को अपनी फसल बेच देता है और इसका नुकसान किसान को होता है। मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी इस विषय पर जरूर ध्यान दें।

महोदय, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना बहुत ऐतिहासिक योजना है। मेरा क्षेत्र हनुमानगढ़ के पश्चात् केनाल सिस्टम बंद हो जाता है। इंडिया में 49 परसेंट लैंड आज इरीगेटेड हो रही है, जिसमें से 24 परसेंट केनाल द्वारा हो रही है। हमारा एग्रीमेंट पंजाब और हरियाणा के साथ है, जिसके हिस्से का पानी हमें आज तक नहीं मिल रहा है। हमारे पंजाब के सांसद ने कुछ दिन पहले संसद में कहा कि राजस्थान को किस बात का पानी दिया जाए।

कुछ दिन पहले पंजाब के एक सदस्य महोदय ने इसी संसद में कहा कि राजस्थान को किस बात के लिए पानी दिया जाए। सर, वह हमारे हक का पानी है, आज भी लोग उस पानी के लिए तरस रहे हैं। आज की तारीख में इरीगेशन के नाम पर दुनिया में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, लोगों ने स्प्रिंकलर इरीगेशन और ड्रिप इरीगेशन और सेंसर बेस्ड इरीगेशन की बात की।

माननीय सभापति: अब आपका समय समाप्त हो गया है, आप अपने प्रमुख मुद्दे रखिए।

श्री राहुल कर्वा: आज की तारीख में भी जहाँ पर कैनाल सिस्टम है, वहाँ पर फ्लड इरीगेशन होती है। मेरा सरकार से निवेदन है कि फ्लड इरीगेशन एक क्राइम है। सौ किलोमीटर्स के बाद लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है और हम फ्लड इरीगेशन आज भी इस देश में कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर पूरी तरह से फोकस करेगी।

मेरे क्षेत्र में एक सिधमुख कैनाल है, वर्ष 1991 में उसके नाम पर नहर बनी, उसमें आज तक एक बूंद भी पानी नहीं आया। हमारे हक का मिलने वाला पानी हमें हरियाणा और पंजाब से दिलायी जाए। राजस्थान इसके लिए बहुत वर्षों से लड़ रहा है। हमने पैसे तक जमा करवाए हैं, लेकिन हरियाणा और पंजाब सरकार हमारे हक का पानी नहीं दे रही है।

मेरा निवेदन है कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के लिए बैंकिंग स्ट्रक्चर में किसान की केसीसी के समय पर फसल दिखा दी जाती है, बैंक उसी का प्रीमियम काटता है। इसको चेंज करना चाहिए और किसान का एक लिखित में एग्रीमेंट होना चाहिए।

अंत में, मैं परम्परागत खेती की बात कहना चाहूँगा। चुरू जिले में 85 पर्सेंट रेन फेड खेती होती है। वहाँ पर आईसीएआर की जो फैसिलिटीज हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ और मंत्री जी आपसे से भी निवेदन करना चाहूँगा कि एक कमेटी का गठन करें ताकि सांसद के रूप में उसकी मॉनिटरिंग की जा सके, जिससे पता चल सके कि आईसीएआर ने हमारे संसदीय क्षेत्र में क्या काम किया है।

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): माननीय सभापति महोदय, मैं किसान का बेटा हूँ और खेती से प्यार करता हूँ। जब हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही, तो मिट्टी से प्यार करने वाले हर आदमी को, किसान को खुशी हुई। जब इस बजट में इनके काम करने के तरीके को देखते हैं, तो इसमें यह नहीं दिखता है कि कहीं भी सुहृदयता के साथ सरकार इस तरफ बढ़ी है।

पंजाब लगभग 60 पर्सेंट पैडी सेन्ट्रल पूल में देता है। उसकी लागत कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन सरकार ने सिर्फ 3.6 पर्सेंट ही पैडी का एमएसपी बढ़ाया है, जो 65 रुपये बनता है। उधर ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हुए डीजल के दाम दो रुपये तीस पैसे बढ़ा दिए गए। किसान कैसे गुजारा करेगा? हम तो चाहते थे

कि किसान अपने गले में फंदा न डाले, वह सरकार के गले में हार डाले, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बजट में जो देखा गया है, उससे यही लगता है कि बेचारे किसानों के हाथ में इन्होंने फंदा पकड़ा दिया है।

अभी राजस्थान के सांसद, मेरे भाई पंजाब से पानी लेने की बात कह रहे थे। मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि हमें पानी नहीं देना है, राजस्थान, पंजाब आदि हिन्दुस्तान के सभी स्टेट्स भाई हैं, लेकिन हमारे पास देने के लिए पानी है ही नहीं। उसका कारण यह है कि पंजाब की जो नदियाँ हैं, वे मूल रूप से ग्लेशियर से और वर्षा से सिंचित होते हैं। अगर आप ग्लेशियर के संबंध में पिछले 20-25 साल का डेटा उठाएँ, तो बारिश कम हो गई है। हमारे यहाँ की अपनी जमीन और खेत पानी के लिए तरस रहे हैं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरी सरकार से यह गुजारिश है कि यह जो एमएसपी है, इसे 500 रुपये बढ़ाया जाए और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए। महोदय, मेरा एक और पॉइंट है। यह पॉइंट मेरे स्टेट के लिए नहीं, बल्कि सारे देश के लिए है। आज सांसद यहां अपने क्षेत्र की बात बोल रहे हैं कि किसी ने जूट को जलाया, किसी ने कहा कि हमने टमाटर गिराए। सरकार को इसका ऑडिट करना चाहिए। स्टेट्स में एक रेंज फिक्स करनी चाहिए कि इतने एकड़ में टमाटर लगाया जाए, इतने एकड़ में गन्ना या अन्य कोई सब्जी लगाई जाए, ताकि कोई भी सब्जी खराब न हो। धन्यवाद।

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी) : सभापति महोदय, धन्यवाद।

मैं सबसे पहले हमारे देश के प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। देश के इतिहास में पहली बार कृषि के ऊपर इतने बड़े पैमाने पर बजट में आबंटन किया गया है। मुझे मेरे स्कूल का वक्त याद आ रहा है। हमें ज्योग्राफी की किताब में यह पढ़ाया जाता था, किसानों को उत्तम बताया जाता था, नौकरी को मध्यम बताया जाता था और व्यापार को कनिष्ठ बताया जाता था। अब सब उल्टा हो गया है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने फिर से किसानों को उत्तम बनाने के लिए बजट में यह प्रावधान किया है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।

सभापति महोदय, हमारे देश की आबादी, जब हमें आज़ादी मिली, उस वक्त 35 करोड़ थी और हमारा एग्रीकल्चर का जीडीपी 70 परसेंट था। अब हमारा एग्रीकल्चर का जीडीपी 18 परसेंट है। कांग्रेस ने इतने सालों तक इस देश पर राज किया, इनकी सत्ता थी। एग्रीकल्चर की जीडीपी 70 परसेंट से 18 परसेंट पर आ गई। ये लोग अब हमें बता रहे हैं कि इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली, उनके साथ ये-ये हुआ। इसकी सारी जिम्मेदारी तो इनकी ही है। इनको यह बात समझ में नहीं आती है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए वर्ष 2014 से लेकर अब तक जो योजनाएं लाई हैं, उन योजनाओं का लाभ उठाकर हमारा किसान आने वाले दिनों में सक्षम होने वाला है। इसमें प्रधान मंत्री सिंचाई योजना है, अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने की स्कीम है, कोऑपरेटिव के जरिए डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है, दलहन में किसानों को क्रांति करने के लिए योजना है, अगले पांच वर्षों में दस हजार नए किसान उत्पादक संगठन बनाने की योजना है, ज़ीरो फार्मिंग की योजना है। 14 तारीख के महाराष्ट्र के पेपर मुंबई सकाल में एक न्यूज़ छपी थी। उसमें सुभाष पालेकर की बहुचर्चित किसान पद्धति का ज़िक्र है, जिसका हमारे नीति आयोग ने भी प्रेजेंटेशन देखकर कुछ सुझाव उनके माध्यम से लिए हैं।

इसी तरह हमारे यहां बारामती का एक किसान है, जिसका नाम मिलिंद सावंत है। मिलिंद सावंत ने चार सालों से ज़ीरो बजट खेती करने का काम किया है। उनका दावा है - मैं नहीं बोल रहा हूँ, पेपर में न्यूज़ छपी है - कि इससे किसान का उत्पादन डेढ़ गुना हो गया है और आने वाले दिनों में वह दोगुना हो जाएगा।

ये सारी स्कीम्ज़ जो हमारे प्रधान मंत्री जी लाए हैं, इनकी स्कीम्ज़ की वजह से हमारा किसान आने वाले दिनों में सक्षम होने वाला है। इसलिए किसानों को बढ़ावा देने के लिए हमारे मुख्य मंत्री सम्माननीय देवेन्द्र फडनवीस जी ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से किसान सम्मान योजना चलाई। उसमें 30 हजार करोड़ रुपये का हमारे किसानों का ऋण माफ कर दिया गया।

माननीय सभापति : अब आप एक या दो वाक्यों में अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील : सभापति महोदय, मैं समाप्ति की ओर ही जा रहा हूँ। मेरे क्षेत्र में 35 साल पहले भात्सा डैम बना था। उस डैम में इरीगेशन के लिए पानी का रिज़र्व कोटा रखा गया था, लेकिन हमारे राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने कैनाल को ही पूरा नहीं किया, जिससे किसानों के खेतों में पानी नहीं जा सका।

मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से विनती करूंगा कि इस कैनाल के लिए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना में आप प्रावधान करें और इस कैनाल को बनाकर किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का काम करें।

दूसरी बात मैं यहां पर कहूंगा कि जब ये सारी योजनाएं कार्यान्वित होंगी तो हमारा किसान कहां जाएगा, उसके लिए मैं आपको एक वाक्या बताता हूँ। हमारे प्रधान मंत्री जी इतनी सारी योजनाएं लाए हैं। आने वाले 5 सालों में हमारे प्रधान मंत्री जी के मन में एक सवाल उठेगा कि हमारा किसान कहां पहुंचा है, उसे जाकर देखा जाना चाहिए। हमारे प्रधान मंत्री जी एक किसान के पास गए और उसके कंधे पर हाथ रखकर प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम दोनों में से ताकतवर कौन है? हमारे किसान ने कहा कि मैं ताकतवर हूँ। प्रधान मंत्री जी को आश्चर्य हुआ कि मैं प्रधान मंत्री हूँ, लेकिन हमारा किसान बोलता है कि मैं ताकतवर हूँ। प्रधान मंत्री जी उस किसान के पास से थोड़ा आगे चले गए और पीछे मुड़कर पूछा कि अब बताओ हम दोनों में ताकतवर कौन है? किसान ने कहा कि आप ताकतवर हो। उन्होंने कहा कि पहले तो आपने कहा कि मैं ताकतवर हूँ। यह कैसे आपने बताया है। उस वक्त आपने कहा कि मैं खुद ताकतवर हूँ। किसान ने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया कि आपकी योजनाओं का हाथ मेरे कंधे पर था, इसलिए मैं ताकतवर था। आने

वाले दिनों में हमारे किसान के कंधे पर प्रधान मंत्री जी का हाथ रहेगा, इसलिए हमारे देश का किसान ताकतवर बनने वाला है। कांग्रेस सरकार के समय में हमारे किसान के कंधे पर हाथ नहीं रखा गया था। उसके सिर को दबाकर काम करने का काम कांग्रेस सरकार करती थी।

[अनुवाद]

^{84*} **डॉ. थोल तिरुमावलवन (चिदम्बरम)** : मुझे नहीं लगता कि सरकार ने कृषि को पर्याप्त महत्व दिया है। यह गलत धारणा है कि औद्योगिक विकास ही हमारे देश की प्रगति का मार्ग है। इसी कारण हमारी सरकार कॉर्पोरेट कंपनियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित कर रही है। यह सरकार कई ऐसी योजनाओं को लागू करने में इतनी गंभीर है जो न केवल कृषि के खिलाफ हैं बल्कि उसे विनाश की ओर ले जा रही हैं। विशेष रूप से तमिलनाडु के डेल्टा जिलों में, जिसमें मेरा चिदम्बरम निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है, यह बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि सरकार हाइड्रोकार्बन परियोजना को लागू करने में इतनी गंभीर है। हालांकि तमिलनाडु के नेदुवासल और कठिरामंगलम क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन परियोजनाओं के विरोध में लोग रोज़ाना लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी केंद्र सरकार ने वेदांता लिमिटेड को हाइड्रोकार्बन खोज के लिए 254 कुओं की खुदाई की अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार ने कडलोर और नागपट्टिनम क्षेत्रों में 158 हाइड्रोकार्बन कुओं की खुदाई तथा विल्लुपुरम और पुडुच्चेरी में 116 हाइड्रोकार्बन कुओं की खुदाई की अनुमति भी दी है। 2500 फीट की गहराई पर कुएं खोदने के कारण भूजल स्तर नीचे चला जाएगा और भूजल प्रदूषित हो जाएगा। रसायनों से भूजल भी दूषित होगा। कृषि गतिविधियाँ अत्यंत प्रभावित होंगी। तमिलनाडु में हाइड्रोकार्बन खोज के लिए दी गई अनुमति तुरंत रद्द की जानी चाहिए। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि तमिलनाडु के डेल्टा जिलों को कृषि संरक्षित जिले घोषित किया जाए। किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना, पीएम-किसान योजना, एक स्वागत योग्य कदम है। मैं इसकी सराहना करता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सरकार देश के करोड़ों कृषि मजदूरों के कल्याण के प्रति सचमुच गंभीर है। अतः मैं आग्रह करता हूँ कि किसानों के लिए प्रदान की गई इस वित्तीय सहायता योजना को देश के कृषि मजदूरों तक भी विस्तारित किया जाए, जिससे वे भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। केंद्र सरकार ने चेन्नई और सेलम के बीच 8 लेन हाइवे के निर्माण की घोषणा की है। माननीय न्यायालय में इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ मामला दायर किए जाने और न्यायालय द्वारा अधिग्रहण की कार्यवाही को रद्द किए

^{84*} मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

जाने के बावजूद, यह चिंता का विषय है कि केंद्र सरकार इस 8 लेन हाइवे परियोजना को लागू करने के प्रति इतने दृढ़ है। यह लगभग 1000 एकड़ उपजाऊ भूमि को प्रभावित करेगा। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि चेन्नई और सलेम के बीच 8-लेन राजमार्ग परियोजना को बंद कर दिया जाए। केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से खेतिहर मजदूरों के कल्याण को भी महत्व दे। इस अवसर के लिए धन्यवाद। वणक्कमा।

[हिन्दी]

श्री देवसिंह चौहान (खेड़ा): धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। ग्रामीण विकास की डिमांड फॉर ग्रांट्स के समर्थन में मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। पूज्य महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और जब तक गांव का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। हम सबके श्रद्धेय प्रधान मंत्री, देश के विकास पुरुष माननीय नरेन्द्र मोदी भाई जी के नेतृत्व में देश आज नवभारत के निर्माण की ओर चल पड़ा है। आज भारतीय पटल पर कार्य आधारित सुशासन एवं विकास की राजनीति का उदय हो गया है। आज भारत पूरे विश्व में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में छठे स्थान पर है, जिसका हम सबको गर्व है।

महोदय, विश्व के सम्माननीय नेता श्रद्धेय मोदी जी ने अपने जीवन में समर्पित भाव के साथ मां भारती की सेवा का यज्ञ शुरू किया है और ग्रामीण विकास के रूप में अंत्योदय की अवधारणा की जो हमारी विचारधारा है, उनके प्रति अपना जीवन समर्पित करने का कार्य प्रारम्भ किया है। हमारे देश में करीब 2 लाख 53 हजार पंचायतें हैं और करीब 6 लाख से ज्यादा गांव हैं। भारत के विकास के लिए जब हम इस गांव का विकास करना चाह रहे थे, तब वर्ष 2014 में देश की जनता ने गांव के गरीब बेटे को, जिनका बचपन, जिनका जीवन गांव की गलियों में गुजरा है, उन श्रद्धेय प्रधान मंत्री जी को आशीर्वाद दिया और मोदी जी ने प्रधान मंत्री होते ही अपना संकल्प और अपनी संकल्पना के तहत अपनी सभा में बताया कि – ‘मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान और मजदूर के कल्याण के लिए कार्यरत रहेगी’ और हम देख रहे हैं भारतवर्ष के इतिहास के कालखंड में पहली बार एक ऐसे प्रधान मंत्री आए, जिनके पास करीब तेरह साल से ज्यादा मुख्य मंत्री का दायित्व वहन करने का और एक अच्छे सुशासन का अनुभव रहा है। एक ऐसे प्रधान मंत्री आए जिन्होंने इस देश के 400 से ज्यादा जिलों में रातें गुजारी हों। उन्होंने इस देश की परम्परा को जाना है। उन्होंने यह भी जाना है कि देश की समस्याओं का समाधान कैसे निकालना है, चाहे वह किसी भी तबके की समस्या हो। इसलिए उन्होंने आते ही सबका साथ, सबका विकास का एक मूलमंत्र देकर इस देश में विकास का कार्य प्रारंभ किया और आज उसी दिशा में, देश में एक होड़ लगी है। राज्यों के बीच भी एक होड़ लगी है। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि गरीबी को हटाना है तो विकास करना पड़ेगा, अशिक्षा को दूर करना है तो है तो विकास

करना पड़ेगा, बेरोजगारी को दूर करना है तो विकास करना पड़ेगा। मतलब विकास ही एक ऐसा मंत्र है जो इन सारी समस्याओं का समाधान है।

माननीय सभापति: श्री देवसिंह चौहान जी, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री देवसिंह चौहान: महोदय, यह तो केवल भूमिका है।

माननीय सभापति: बहुत सारे वक्ता हैं, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री देवसिंह चौहान : माननीय सभापति महोदय, मैंने ग्रामीण विकास की योजनाओं पर तो एक वाक्य भी नहीं बोला। यह देश बहुत भाग्यशाली है और उनके समर्पित भाव, सेवाभाव और कठिन परिश्रम के कारण सत्ता की परिभाषा बदल गई है।

माननीय सभापति: आप केवल अपनी बात रखिए।

श्री देवसिंह चौहान: बात यह है कि देश की जनता डेवलपमेंट सेंट्रिक पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस और सिटिजन सेंट्रिक पॉलिटिक्स को समझ रही है। गांव की जनता का ईज ऑफ लिविंग कैसे हो, इसके लिए हमारे प्रधान मंत्री जी ने इकोनॉमिक सर्वे में बताया कि जो योजनाएं सबसे ज्यादा गांवों में और जमीन तक पहुंची हैं, उसमें उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधान मंत्री आवास योजना का प्रथम दृष्टि में उल्लेख किया गया है। चूंकि समय की मर्यादा है।

माननीय सभापति : आप कनक्लूड कीजिए।

श्री देवसिंह चौहान : सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि जो राशि दी गई है, पहली बार इतिहास में गांव के गरीब, किसानों और मजदूरों को मद्देनजर रखते हुए इस राशि का आबंटन किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

85* श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़ (पंचमहल): मैं लोक सभा में होने वाले केन्द्रीय बजट 2019-2020 के लिए ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा के अधीन विवरण सभा पटल पर रखता हूं। इस केन्द्रीय बजट में सरकार के द्वारा किसानों के प्रति काफी सुविधाएं दी गई हैं जिसमें किसानों की दोगुनी आय की पहल काफी सराहनीय है एवं पहले देश के किसान आत्महत्या करने को मजबूर थे वही आज खुशहाली से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय नरेन्द्रभाई मोदी जी की सरकार को बधाई देता हूं एवं आगे इसी प्रकार से आप आने वाले कल के लिए भी प्रयास करते रहें इसके लिए मैं सरकार को शुभकामनाएं देता हूं। मैं माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र पंचमहल, गुजरात में स्थिति तालुका कपड़वंज एवं कठलाल की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां पर खेतों की सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है जब कि गुजरात सरकार की सुजलाम सुफलाम योजना के तहत नर्मदा नदी से नहर निकलने के बावजूद भी उपरोक्त तालुकों के किसानों को सिंचाई के लिए उचित व्यवस्था न होने से करीब 60,000 (साठ हजार) किसान प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि जनहित में उपरोक्त तालुकों में सिंचाई के लिए उचित व्यवस्था करने की कृपा करें।

सधन्यवाद।

85* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

श्री हाजी फजलुर रहमान (सहारनपुर) : माननीय सभापति जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मौजूदा केन्द्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का वादा किया था, जो कि एक अच्छी बात है। मैं इसी के संबंध में यह कहना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार सीएसीपी द्वारा किसानों की फसलों की कीमतें तय करती है, जैसे गेहूँ, चावल, दाल, बाजरा, आलू, प्याज आदि। इनकी कीमतें केन्द्र सरकार तय करती है और इनको खरीदती भी है। इनकी कीमत केन्द्र सरकार चेक द्वारा फौरन अदा कर देती है। इसके उलट गन्ने की कीमत केन्द्र तथा राज्यों की सरकारें तय करती हैं। किसानों के 100 प्रतिशत गन्ने को गन्ना मिल मालिक खरीदते हैं और गन्ने का भुगतान करने में एक साल की देरी तक हो जाती है, जिसका सूद भी किसानों को नहीं मिल पाता है।

मान्यवर, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के बारे में और विशेष रूप से सहारनपुर मंडल के किसानों के बारे में बताना चाहता हूँ कि पिछले साल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सहारनपुर में गन्ने का भुगतान 14 दिनों के अंदर करने का वादा किया था। यही आदेश वर्ष 1966 में केन्द्र सरकार द्वारा जारी किया गया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसानों को गन्ने का भुगतान एक साल से भी ज्यादा की देरी में किया जाता है, जो कि एक आम बात है। किसानों को देरी से किए गए भुगतान पर सूद भी नहीं मिलता है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने भी 14 दिनों के बाद गन्ने का भुगतान करने पर किसानों को उनकी असल रकम के साथ सूद देने के लिए भी कहा था। लेकिन इस पर अमल नहीं किया जाता है। जबकि पिछले 50 वर्षों में केवल एक बार एक साल के लिए बसपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश में किसानों को सूद देने का काम किया है।

मान्यवर, जब किसान खेती के लिए कर्ज लेता है, तो उसको सरकार, बैंक और साहूकार को सूद अदा करना पड़ता है। लेकिन उसको सूद नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। मैं मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर के बारे में कहना चाहूंगा कि वहां पर किसानों ने इस तरह की आत्महत्या की है।... (व्यवधान)

मान्यवर, सहारनपुर मंडल में पिछले साल तक किसानों का 1,890 करोड़ रुपये चीनी मिलों पर बकाया है। केवल सहारनपुर में ही किसानों का 462 करोड़ रुपया चीनी मिलों पर बाकी है। सिर्फ देवबंद चीनी मिल पर ही किसानों का 45 करोड़ रुपया सूद की शकल में बकाया है। जबकि वह और मिलों के मुकाबले अच्छी तरह से पेमेंट करती है। अगर केन्द्र सरकार किसानों की हालत को सुधारना चाहती है और उनकी आय को दोगुना करना चाहती है, तो गन्ने का भुगतान 14 दिनों के अंदर किया जाए... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब समाप्त कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री हाजी फजलुर रहमान : सभापति जी, अगर भुगतान में देरी होती है, तो असल रकम के साथ सूद भी अदा किया जाए। इसके साथ ही साथ गन्ने के दाम में बढ़ोतरी होनी चाहिए और किसानों को बिजली तथा डीजल पर सब्सिडी मिलनी चाहिए... (व्यवधान)

بہت بہت کا آپ صاحب چیرمین محترم، : (سہارنپور) صاحب الرحمن فضل حاجی جناب کرنے دوگنا کو آمدنی کی کسانوں تک 2022 سال نے سرکار مرکزی موجودہ شکریہ۔ کہ ہوں چاہتا کہنا یہ متعلق سے اسی میں ہے۔ بات اچھی ایک جو ، تھا کیا وعدہ کو ہے، کرتی طے قیمتیں کی فصلوں کی کسانوں ذریعہ کے سی۔ایس۔پی۔ سرکار مرکزی طے سرکار مرکزی قیمتیں کی ان وغیرہ۔ پیاز آلو، باجرہ، دال، چاول، گیہوں، جیسے ذریعہ کے چیک سرکار مرکزی قیمتیں کی ان ہے۔ بھی خریدتی کو ان اور ہے کرتی حکومتیں صوبائی اور مرکزی قیمت کی گئے برعکس کے اس ہے۔ کردیتی ادا فوراً کا گئے اور ہیں خریدتے مالک مل گنا کو گئے فیصر 100 کے کسانوں ہیں۔ طے کرتی نہیں کو کسانوں بھی سود کا جس ہے، جاتی ہو دیری کی سال ایک میں کرنے بھگتان ہے۔ پاتا مل

سے طور خاص اور میں بارے کے کسانوں گنا کے پردیش اتر مغربی محترم، پردیش اتر سال پچھلے کہ ہوں چاہتا بتانا میں بارے کے کسانوں کے منڈل سہارنپور بھگتان کا گنے میں سہارنپور نے جی ناتھ آدتیہ یوگی جناب اعلیٰ وزیر محترم کے ذریعہ کے سرکار مرکزی میں 1996 سال آدیش یہی تھا۔ کیا وعدہ کرنے میں دنوں 14 سے سال ایک بھگتان کا گنے کو کسانوں کہ ہے بات کی افسوس لیکن تھا۔ گیا کیا جاری کئے سے دیری کو کسانوں ہے۔ بات عام ایک کہ جو ہے، جاتا کیا سے دیری زیادہ بھی دن 14 بھی نے الا آباد کورٹ ہائی ماننٹے جبکہ ہے، ملتا نہیں بھی سود پر بھگتان گنے کے دینے سود ساتھ کے رقم اصل کی ان کو کسانوں پر کرنے بھگتان گنے کا بعد کے صرف میں سالوں 50 پچھلے جبکہ ہے۔ جاتا کیا نہیں عمل پر اس لیکن تھا کہا بھی لئے سود کو کسانوں میں پردیش اتر نے سرکار کی بی۔ ایس۔ پی۔ لئے کے سال ایک بار ایک ہے۔ کیا کام کا دینے

سابوکار اور بینک سرکار، کو اس تو ہے لیتا قرض لئے کے کھیتی کسان جب جناب، خود کسان کہ ہے وجہ یہی ہے۔ پاتا مل نہیں سود کو اس لیکن ہے۔ پڑتا کرنا ادا سود کو میں بارے کے بنجور اور نگر مظفر میرٹھ، میں ہیں۔ جاتے ہو مجبور پر کرنے کشی --(مداخلت) ہے۔ کی کشی خود طرح اس نے کسانوں پر وہاں گاکہ چاہوں کہنا

ملوں چینی روپے کروڑ 1890 کا کسانوں تک سال پچھلے میں منڈل سہارنپور جناب، باقی پر ملوں چینی روپیہ کروڑ 462 کا کسانوں ہی سہارنپور میں صرف ہے۔ بقایا پر بقایا میں شکل کی سود روپیہ کروڑ 45 کا کسانوں ہی پر مل چینی بند دیو صرف ہے۔ مرکزی اگر ہے۔ کرتی پیمینٹ سے طرح اچھی مقابلے کے ملوں اور وہ جبکہ ہے۔ ہے چاہتی کرنا دوگنا کو آمدنی کی ان اور ہے چاہتی سدھارنا حالت کی کسانوں سرکار --(مداخلت) جائے کیا ک اندر کے دنوں 14 بھگتان کا گنے تو

کیا ادا بھی سود ساتھ کے رقم اصل تو ہے ہوتی دیری میں بھگتان اگر صاحب، چیرمین کو کسانوں اور چاہئے ہونی بڑھوتری میں دام گئے کے ساتھ ہی ساتھ کے اس جائے۔
... (مداخلت) چاہئے۔۔ ملنی سبسڈی پر ڈیزل اور بجلی

(شد ختم)

श्री आर. के. सिंह पटेल (बांदा): सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने पर का मौका दिया है। महोदय, हमारे देश में 80 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं। आज हम गर्व से एक नारा देते हैं, - 'जय जवान, जय किसान' का नारा हमारे लिए गर्व की बात है। एक घाघ कवि हुआ करते थे। उन्होंने एक कहावत कही थी कि - उत्तम खेती, मध्यम बान, निखत चाकरी, भीख निदान। घाघ की कहावतों के अनुसार पहले हमारे देश में खेती-बाड़ी का काम हुआ करता था। खेती हमारी उत्तम हुआ करती थी। चाकरी को निकृष्ट कहा था। लेकिन आज खेती निकृष्ट हो गई है और चाकरी उत्तम हो गई है। आज किसान का बेटा खेत में काम करने के लिए तैयार नहीं है। जिसका कारण इस देश में आजादी के बाद जिनके हाथों में सत्ता आई, वे नामदार लोग सत्ता में बैठे। कामदार सरदार पटेल के हाथों में, किसान के बेटे के हाथों में सत्ता नहीं गई। इसका कारण रहा कि दिनोंदिन किसान किसान होता गया और आज किसान की हालात सुधारने के लिए आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने एक बहुत सराहनीय प्रयास किया है। इस बजट में उन्होंने एक लाख तीस हजार 85 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान किया है। किसानों की आय दोगुनी करने का उनका जो संकल्प है, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में फिर से हमारी खेती उत्तम हो रही है। किसान का बेटा फिर से खेत में काम करने के लिए तैयार हो रहा है। आज मोदी जी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का साहसिक निर्णय लिया है। माननीय सभापति जी, मैं 15वीं लोक सभा में उधर बैठता था। मैं लगातार इस बात की मांग करता रहा कि किसान का समर्थन मूल्य तय करते समय ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आपका समय पूरा हो गया है, अब आप अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

श्री आर. के. सिंह पटेल: सभापति महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा। किसान का समर्थन मूल्य तय करते समय किसान के श्रम को भी जोड़ा जाए। किसान जो 24 घंटे खेत-खलिहान में काम करता है, उसका बेटा-बेटी, बहु, पोता-पोती, सभी खेत-खलिहान में काम करते हैं। कम से कम उनके श्रम को जोड़ कर फिर लागत मूल्य तय की जाए। लेकिन पिछली सरकार ने उसको नहीं सुना। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: संक्षिप्त में कह कर समाप्त करें।

...(व्यवधान)

श्री आर. के. सिंह पटेल : सभापति महोदय, जो आज इस बात को कह रहे हैं कि कैसे समर्थन मूल्य, कैसे दोगुनी आमदनी होगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मैं लगातार पांच साल इस बात की मांग करता रहा, उस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने किसान की उस मेहनत को मजदूरी को, जो स्वयं खेत में काम करता है, उनको भी समर्थन मूल्य में जोड़ कर उनको देने का काम किया है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: अब आपका समय समाप्त हुआ।

...(व्यवधान)

श्री आर. के. सिंह पटेल : सभापति महोदय, हमारे यहां की बात कही गई। गौ-सेवा भत्ता दिए जाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तीस रुपये प्रति गाय के हिसाब से देने का एक निर्णय लिया है। मैं मोदी जी और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार को और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहां पर मनरेगा में गोवंश को चलाने के लिए गोवंश भत्ता दिया जाए।

महोदय, मैं एक बात कह कर समाप्त करना चाहता हूँ।

"हे किसान देवता नमस्कार, तूने सोने-चांदी से नहीं किंतु तूने मिट्टी से किया प्यारा।

हे किसान देवता नमस्कार। खुद टूटा-फूटा और छंटा-बचा अन्न खा लेता है।

अपना पेट भर लेता है। अच्छा दाना देश को दे कर गर्व से हर्षित होता है।
हे किसान देवता नमस्कार। जाड़ा, गर्मी, बरसातों की रातें, खेतों में ही सो लेता है।
देश को अच्छा दाना दे कर गर्व से हर्षित होता है। हे किसान देवता नमस्कार। हे ग्राम देवता
नमस्कार। "

[अनुवाद]

^{86*} श्री टी. एन. प्रतापन (त्रिस्सूर): मैं बजट पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ।

देश के किसी भी अन्य आम आदमी की तरह मैं भी इस सरकार के पहले बजट से बहुत हताश हूँ। यह केवल मोदी सरकार के निजी और कॉरपोरेट क्षेत्र के प्रति नरम या कड़ा रुख दर्शाता है, जबकि आम जनता पर अत्यधिक करों का बोझ छोड़ दिया गया है। यह स्पष्ट है कि इस बजट में हमारी अर्थव्यवस्था और समाज की गंभीर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। हमारी जी.डी.पी. विकास दर गिर रही है, कृषि विकास दर गिर रही है। और विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह भी कम हो रहा है।

बीजेपी इस विचार में लिस है कि 2014 से पूर्व भारत का कोई अस्तित्व नहीं था। यह अत्यंत निंदनीय है और देश की समृद्ध विरासत तथा परंपराओं का अनादर है। कैसे यह संभव है कि आप जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और डॉ. मनमोहन सिंह जैसे महान नेताओं के अमूल्य योगदानों को भूल जाएं?

क्या आप जानते हैं कि आप लोग देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और राष्ट्र के निर्माता राष्ट्रीय नेताओं का अपमान कर, अपनी फासीवादी मानसिकता के कारण विश्व के सामने हँसी का पात्र बन रहे हैं?

केन्द्रीय बजट के जवाब में, मैं मुख्य रूप से कृषि, मत्स्य पालन और ग्रामीण विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना चाहूंगा।

मैंने आबंटन में 81.81% की वृद्धि के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन में भारी वृद्धि देखी। इस उदारता के लिए धन्यवाद करने से पहले, मुझे इस बात पर संदेह है कि हम इस राशि का उपयोग कैसे करेंगे, क्योंकि 2018 के नवंबर के कैग रिपोर्ट के अनुसार यह परियोजना कमजोर अनुबंध और खराब प्रबंधन के कारण ठीक से संचालित नहीं हुई है।

^{86*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

इस सरकार के हमेशा से प्रशंसित कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन को इस बार भी अनदेखा किया गया है। इस प्रमुख कार्यक्रम के ग्रामीण हिस्से के लिए आबंटन में केवल 0.07% की मामूली वृद्धि हुई है, जबकि पूरे मिशन (शहरी और ग्रामीण दोनों) के लिए आबंटन में कुल मिलाकर केवल 0.7% की वृद्धि हुई है। यह चिंता का विषय है कि यह योजना अपेक्षित परिणाम, अर्थात् एक खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) भारत प्राप्त करने में असफल हो रही है। सरकार के एक अध्ययन में पाया गया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए लगभग 6 में से 10 शौचालयों में उचित जल आपूर्ति नहीं है, जिससे वे उपयोगी नहीं बन पाते।

कृषि संकट आने वाले वर्षों में पिछले कुछ वर्षों से भी अधिक गंभीर होने वाला है। किसानों की इस स्थिति में कोई सुधार तब तक संभव नहीं है, जब तक हम अपनी कृषि नीति में मूलभूत सुधार लागू करने के लिए तैयार नहीं होते। हम जानते हैं कि प्रतिष्ठित प्रधान मंत्री मंत्री किसान सम्मान निधि से भी राहत नहीं मिलने वाली है। इस योजना के तहत मिलने वाली धनराशि और किसानों की संख्या के अनुसार, 5 सदस्यों वाले औसत किसान परिवार के लिए 3.33 रुपये प्रतिदिन की धनराशि, मनरेगा के माध्यम से अर्जित की जाने वाली धनराशि से बहुत कम है।

और मनरेगा को 1.7% की कमी के साथ कम किया गया है। इसे 2018-19 के बजट के दौरान आबंटन में 18,000 करोड़ रुपये बढ़ाने की मंत्रालय की मांग के साथ जोड़ा जाना चाहिए। तो अब कमी 14,000 करोड़ रुपये की है। इसके अलावा, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, कुल 12.8 करोड़ कार्डों में से 7.4 करोड़ सक्रिय मनरेगा जॉब कार्ड हैं। प्रतिदिन 222 रुपये की औसत मजदूरी दर पर, इन सभी लोगों को 100 दिन का काम प्रदान करने पर 1,64,280 करोड़ रुपये की लागत आएगी। वर्तमान आबंटन इस आवश्यकता का 50% भी पूरा नहीं करता है। इसके अलावा, एनडीए सरकार राज्यों को भुगतान में लगातार देरी करती रहती है, जिससे गरीब लोग जीवन रेखा के रूप में मनरेगा पर निर्भर रहने से हतोत्साहित होते हैं।

मैं किसान सम्मान निधि के बारे में एक और बात बता दूँ कि यह प्रस्तावित हस्तांतरण 2 हेक्टेयर के किसानों की औसत वार्षिक ऋणग्रस्तता 47,000 रुपये प्रति वर्ष को साधने में बहुत कम मदद करेगा। और

यह कदम भूमिहीन श्रमिकों या किराएदार किसानों या बटाईदार किसानों के लिए बहुत कम है, जो ग्रामीण संकट का खामियाजा भी भुगत रहे हैं। 57.74% ग्रामीण परिवार भूमिहीन हैं।

देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्पष्ट रूप से निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं को लाभ पहुंचा रही है। भारत के बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 11 निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने 11,906 करोड़ रुपये की प्रीमियम धनराशि एकत्रित की, जबकि उन्हें केवल 8,832 करोड़ रुपये के दावे चुकाने पड़े। इससे निजी कंपनियों को लगभग 3,000 करोड़ रुपये का अत्यधिक लाभ हुआ। वहीं, सरकारी उपक्रम अभी भी नुकसान में हैं।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 से अगले 5 वर्षों के लिए 50,000 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली योजना थी, जो लगभग 10,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष थी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। और इस वर्ष जल शक्ति को कम आबंटन के बावजूद यह मात्र 3,500 करोड़ रुपये है। बजट में आबंटन, योजना के लिए जल संसाधन विभाग को आबंटित धनराशि सहित, पिछले 4 वर्षों की तरह इस प्रारंभिक लक्ष्य से बहुत कम रहा है।

मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भाजपा सरकार को देखकर मुझे मलयालम के एक प्रसिद्ध कहानीकार, वैकोम मुहम्मद बशीर की एक लघु कहानी का एक प्रसिद्ध पात्र हमेशा याद आता है। उसका नाम 'इत्तुकली माम्मूज' है। आप जानते हैं कि वह क्या करता है? अपने क्षेत्र में जो कुछ भी होता है, वह इसका पूरा उत्तरदायित्व स्वीकार करता है और कहता है कि वह इसके पीछे है। यदि उसे अपने गांव में किसी गर्भवती महिला के बारे में जानकारी मिलती है, तो वह गांव की चाय की दुकान पर जाकर यह व्यक्त करता है कि वह इसके लिए जिम्मेदार है। मैं इसका जिम्मेदार हूँ। एक दिन लोगों ने कहा कि पारुकुट्टी गर्भवती है। अचानक इत्तुकली माम्मूज ने कहा: मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। लेकिन वह पारुकुट्टी एक हाथी थी।

यही हाल है नरेंद्र मोदी सरकार का। वे केवल कांग्रेस सरकारों और कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकारों के 1975 से 2014 तक के योजनाओं के नाम बदल रहे हैं। क्या आपको शर्म नहीं आती? मेरे भाजपा के

साथी सदस्यों, क्या आप सचमुच खुद को इत्तुकली माम्मूज महसूस नहीं करते? निर्मल भारत अभियान स्वच्छ भारत मिशन बन गया।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को दीनदयाल अंत्योदय योजना में बदला गया। भारत नेट पहले भी मौजूद था, जिसे राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कहा जाता था। 'मेक इन इंडिया' राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का ही एक नया नाम है। राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम अब कौशल भारत है। डिजिटल इंडिया राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना थी। इंदिरा आवास योजना को अब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के रूप में पुनः नामित किया गया है। यह केवल नाम परिवर्तन करने वाली सरकार है, वास्तविक कार्य में कोई नया परिवर्तन नहीं।

बिल्कुल, यदि आप दूसरों के बच्चों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, तो आप ऐसा निःसंकोच कर सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण शर्त है—कि आप उनके भविष्य को खतरे में न डालें। दुर्भाग्यवश, और इसमें कोई संदेह नहीं है, यह बजट उस जिम्मेदारी को निभाने में विफलता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।

अपने समय के भीतर, मैं मुख्य रूप से सरकार और संबंधित मंत्रियों का ध्यान मत्स्य पालन क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जो अभी भी उपेक्षित है।

मुझे लगता है कि हममें से कई लोग जानते हैं कि मत्स्य पालन क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे देश में इसे एक पृथक विभाग के रूप में देखा जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान एक विशेष मंत्रालय के गठन का वादा बड़े जोर-शोर से किया गया था। भले ही भाजपा ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया हो, लेकिन तमिलनाडु और केरल को छोड़कर सभी तटीय सीटें जीतने के बाद, इस भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने अपने अन्य वादों की तरह इस वादे को भी आसानी से भुला दिया। यह विभाग एक बार फिर पशुपालन के साथ जोड़कर सहायक और संलग्न विभाग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जबकि पशुपालन और डेयरी एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, इन विभागों को अलग किया जाना चाहिए था। और बजट में क्या हुआ? मछुआरा समुदाय की दशकों पुरानी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं है।

समेकित बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ, इन समुदायों की मूलभूत आवश्यकताओं को भी संबोधित किया जाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यवश, ऐसा नहीं हुआ। यह दुःख की बात है कि इस क्षेत्र के लिए वास्तव में आवश्यक मांगों को पूरा करने के लिए नीली क्रांति योजना के लिए आबंटन पर्याप्त नहीं है। क्योंकि, मछुआरे हमारी आबादी का 186 मिलियन होंगे। हमारे देश के सभी हिस्सों के मछुआरों के बीच अपने अनुभव के साथ मैं कह सकता हूँ कि आर्थिक सर्वेक्षण में मछुआरों की आबादी का जो आंकड़ा दिया गया है, वह एक गलती है। वे अंतर्देशीय और समुद्री दोनों क्षेत्रों में हैं। ये सभी कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पूरी तरह से संकट में हैं।

मत्स्य विभाग के लिए आबंटन केवल 560 करोड़ रुपये है। और मत्स्य पालन क्षेत्र को पर्याप्त देखभाल प्रदान करना शायद ही पर्याप्त है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मत्स्यपालन क्षेत्र की उपेक्षा कैसे कर रहे हैं। हम कृषि निर्यात में सबसे बड़े आय वर्ग को कैसे नजरअंदाज करते हैं। देखिए पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान यह 47,620 करोड़ रुपये है। क्या यह आपका तरीका है मत्स्य पालन क्षेत्र जो कि जीडीपी में एक बड़ा योगदानकर्ता है, से बर्ताव करने का?

अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह जीवनशैली के विकास और बुनियादी ढांचे पर विशेष रूप से केंद्रित करते हुए अधिक धनराशि आबंटित करे।

श्री कुरुवा गोरांतला माधव (हिन्दुपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं एक मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा और अपनी बात समाप्त करूंगा।

छोटे जुगाली पशु, विशेष रूप से भेड़ें, प्रायः सड़क और रेल दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, जिससे उनकी तत्काल मृत्यु हो जाती है।

यह भेड़, एक मासूम और छोटा जानवर है, जो स्वयं निर्णय नहीं ले पाती और केवल आगे चल रही पहली भेड़ का अनुसरण करती है। यही भेड़ का स्वभाव है कि वे जिसको भी आगे चलते हुए देखती हैं, उसी के पीछे चल पड़ती हैं। इसी प्रवृत्ति के कारण वे सभी कभी-कभी किसी गहरे कुएं में गिर जाती हैं या किसी ट्रेन के नीचे आ जाती हैं।

महोदय, इन जुगाली करने वाले जानवरों के स्वभाव के कारण भेड़ पालकों को अपना पूरा आजीविका का साधन खोना पड़ता है। अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूँ कि जब इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, तो भेड़ पालकों और चरवाहों को उचित मुआवजा दिया जाए।

धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

माननीय सभापति: श्री पल्लब लोचन दास। उनका माइक ऑन कीजिए।

श्री पल्लब लोचन दास (तेजपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

रात्रि 9.56 बजे

(डॉ. काकोली घोष दस्तीदार पीठासीन हुईं)

ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालयों की अनुदान मांग के समर्थन में मैं बोलना चाहता हूँ। महोदय, मैं पहली बार सांसद चुन कर आया हूँ। जब हमने प्रधान मंत्री जी को सुना तो उन्होंने एक बात रखी कि 'सब का साथ, सब का विकास और सब का विश्वास'। हमें लगता है कि जो हमारा समर्थन करते हैं, हम उनके लिए भी हैं और जो हमारा समर्थन नहीं करते हैं, हम उनके लिए भी हैं। उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। उसके बाद जब महामहिम राष्ट्रपति जी को हमने सुना तब उन्होंने बोला कि हम मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस करेंगे। हम लोग सब को साथ लेकर डेवलपमेंट करेंगे। इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अभी तीन ट्रिलियन डॉलर से पाँच ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ेंगे। हम उसको कैसे आगे बढ़ाएँगे, उसका पूरा एक रोड-मैप, सिस्टेमैटिक तरीके से श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। आप अगर देखेंगे कि लोगों की एग्रीकल्चर इनकम डबल करने के लिए, फार्मर्स को क्या-क्या बेनिफिट्स देना चाहिए। सिस्टेमैटिक तरीके से पीएम किसान से लेकर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन तक, वे 11 ऐसी स्कीम्स लाए, जिन स्कीम्स के थ्रू सब को बेनिफिट देने का सिस्टम लागू किया। हम लोग कैसे एग्रीकल्चर इनकम में सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ सकें, सेल्फ सफिशिएंट हो सकें, उसके ऊपर काम किया।

मैं असम के संदर्भ में दो बातें कहना चाहूँगा। मैं असम से आता हूँ। वहाँ पर बाढ़ से बहुत ही हालत खराब है। वहाँ पर बहुत फ्लड है। वहाँ पर जो भी किसान हैं, उनकी बहुत प्रॉब्लम है। भारत के प्रधान मंत्री जी ने अभी 250 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकार किया है। उन्होंने बताया है तो हम उनका आभार प्रकट करते हैं। हम चाहते हैं कि फसल बीमा योजना हो या हमारे जो भी किसान हैं, जो नदी का कटाव होता है तो वहाँ पर उनकी जमीन इरोड हो जाती है। उसके लिए उनको कोई बेनिफिट दिया जा सकता है कि नहीं? उनके लिए थोड़ी सी चिन्ता करने से मुझे अच्छा लगेगा।

दूसरी एक और बात है कि हमारे वहाँ पर बहुत सारी इन्सर्जेंसी प्रॉब्लम था, लेकिन एक ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। हमारे स्मॉल टी ग्रोअर्स हैं, वे करीब एक लाख स्माल टी ग्रोअर्स हैं। आज उन स्मॉल टी ग्रोअर्स की ऐसी हालत है, उनको ग्रीन लीप का मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता नहीं है क्योंकि एग्रीकल्चर में टी को शामिल नहीं किया गया है। यहां पर मंत्री जी हैं, हम चाहते हैं कि टी को एग्रीकल्चर में इन्क्लूड करें।

हमारे यहां जो टी प्लांटेशन है, उनको एग्रीकल्चर में लाना चाहिए और टी बोर्ड जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में है, वहाँ से हटाकर उनको लेकर आना चाहिए।

रात्रि 9.00 बजे

मैं एक बात और कहना चाहूँगा... (व्यवधान)

महोदया, मुझे सिर्फ दो मिनट का समय और दीजिए... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप केवल एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री पल्लब लोचन दास : ठीक है, मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी करता हूँ। हमारी जो पीएमएवाई स्कीम है, इससे पूरे भारत में एक नया जागरण हुआ है, ऐसा हम देख रहे हैं। अभी सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट सेंसस में बहुत से गरीब लोगों का नाम नहीं है। असम में हम लोगों ने एक सिस्टम किया था, वहाँ पर हम लोगों ने आवास मोबाइल ऐप के थ्रू फ्री असेसमेंट किया था। उस असेसमेंट में हम लोगों को 23.94 लाख लोगों का नाम मिला... (व्यवधान) इन लोगों को भी पीएमएवाई स्कीम से जोड़ने का मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ... (व्यवधान) हमारे असम में एनएसएपी की प्रथम किस्त दी जाए... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप एक मिनट रुकिए।

...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: सभापति महोदया, 10 बजे तक का समय था। आप हाउस का सेंस ले लें। अगर बोलने वाले माननीय सदस्य हों तो हाउस का समय 1 घंटा बढ़ा दिया जाए... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, अगर आप सभी सहमत हों तो सभा की कार्यवाही 1 घंटे के लिए बढ़ा दी जाए।

अनेक माननीय सदस्य : महोदया, ठीक है।

माननीय सभापति : ठीक है, सभा की कार्यवाही 1 घंटे के लिए बढ़ा दी जाती है।

माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री पल्लब लोचन दास : महोदया, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप समाप्त कीजिए। हमें 1 घंटे में चर्चा खत्म करनी है।

...(व्यवधान)

श्री पल्लब लोचन दास : महोदया, हमें 14वें वित्त आयोग की बेसिक ग्रांट और परफॉरमेंस ग्रांट नहीं मिली है... (व्यवधान) हम चाहते हैं कि वह जल्दी से जल्दी रिलीज की जाए... (व्यवधान) हम चाहते हैं कि जो पीएमएवाई की एडिशनल लिस्ट है, वह भी रिलीज की जाए... (व्यवधान) मैं ऐसी आशा करता हूँ। हमारे यहाँ मनरेगा में मैटेरियल की पेंडिंग लाइबिलिटी है, उस पेंडिंग लाइबिलिटी को दिया जाए, मैं ऐसी माँग करता हूँ। धन्यवाद।

87* श्री राजकुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी): कृषि एवं ग्रामीण विकास एवं किसान कल्याण की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूँ।

माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को आभार एवं कोटि-कोटि धन्यवाद जिन्होंने ग्रामीण भारत के भले की ठानी एवं किसान व मजदूरों के कल्याण के लिए संकल्प किया है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को बड़ी ऐतिहासिक मदद की है और गांव-गरीब किसान, आज मोदी जी का हृदय से अभिनंदन कर रहा है। सही मायने में प्रधानमंत्री मोदी जी धरती पुत्र हैं। आने वाले भविष्य में किसान, गांव, मजदूर, गरीब उन्नति की और अग्रसर हो पाएगा।

मेरा सुझाव एवं मांग है कि किसानों के हित में एक निर्णय अवश्य किया जाए जिस प्रकार से आयकरदाता जब कार आदि खरीदता है तो उसके (खरीददार) के तीन वर्ष के आयकर रिटर्न जमाकर एवं गारंटी के आधार पर कोई भी बैंक ऋण दे देता है। जमीन जायदाद गिरवी नहीं रखे जाते हैं। वहीं किसान जब ट्रैक्टर खरीदता है और बैंक से ऋण लेता है तो महंगी ब्याज पर खेत को बंधक रखकर ही ऋण लेता है और ट्रैक्टर आदि खरीद पाता है, ये नियम कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में लागू किया गया था। जो किसानों के हित में नहीं है।

सरकार से अनुरोध है कि किसान के ट्रैक्टर आदि मशीनरी खरीदने पर उसके खेत गिरवी न रखे जाएं उसके स्थान पर जो कृषि कार्य हेतु किसानों को के.सी.सी. के तहत ऋण दिया जाता है उसके तीन वर्ष के ऋण वापसी के रिकार्ड के आधार पर ही बिना जमीन बंधक गिरवी रखे ऋण दिलाने की व्यवस्था कराने की कृपा करें। देश के करोड़ों किसानों को खेत गिरवी रखने से मुक्ति मिलेगी। किसान निर्भीक होकर खेती कृषि का कार्य कर सकेगा। सरकार की जय-जयकार होगी। यह ऐतिहासिक निर्णय किसानों की पीढ़ियां याद रखेंगी।

87* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

यह बजट नए भारत के निर्माण हेतु नींव को सशक्त करने वाला बजट है। देश जिलों की पहचान के विकास को बढ़ाने वाला बजट है, 21वीं सदी के लिए बेहतर इनफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाला बजट है।

कृषि को हमारे समाज में प्राचीन समय से सर्वोच्च दर्जा प्राप्त था। इसलिए कहावत भी थी "उत्तम खेती मध्यम बांध (व्यापार) निश्चित चाकरी भीख निधान" लेकिन कालांतर में शायद हमारे सरकारों की नीतियों की कमियां थी जिसकी वजह से कृषि जिसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, आज घाटे का सौदा बन कर के रह गयी है। आज किसान जो हमारा अन्नदाता है उसके हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत नीचे से उठकर के देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे हैं। इसलिए गाँव, गरीब और किसान के दुख दर्द को समझते हुए ठोस नीतियाँ और योजनाएँ लाए हैं। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना, ग्रामीण क्षेत्र में 1.95 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। किसानों का जीवन और व्यवसाय आसान बनाने के लिए काम किए जाएंगे। हमारी सरकार कृषि अवसररचना में निवेश करेगी।

आगरा जनपद के आर. वी. एस. कालेज बिचपुरी जो मेरे लोकसभा क्षेत्र में आता है के अंतर्गत इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम रिसर्च (एकीकृत कृषि प्रणाली अनुसंधान) वर्ष 1953 से चल रहा था। जिसमें किसान की आमदनी बढ़े इस पर योजना बनाना। किसानों से सीधे संवाद कर उनको तकनीकें बताना व सुझाव देना।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प लिया है। परंतु बिचपुरी स्थिति (समन्वित कृषि प्रणाली अनुसंधान) 31 मार्च 2018 को बंद कर दिया गया है। इस परियोजना को बंद करने से किसानों का अहित हो रहा है, वहीं परियोजना में कार्यरत कर्मचारीगणों के परिवारों के भरण पोषण का भी सवाल हो गया है। मैं ये मांग करता हूँ की किसान हित में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम रिसर्च (एकीकृत कृषि प्रणाली अनुसंधान) को अतिशीघ्र पुनः शुरू कराने की कृपा करें।

आदर सहित,

श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी (मल्काजगिरी): महोदया, आपने मुझे ग्रामीण विकास तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

[अनुवाद]

महोदया, कृषि हमारी संस्कृति है। यह हमारे रक्त में है। वर्ष 1951 में लगभग 71 प्रतिशत भारतीय जनता कृषि पर निर्भर थी। अब यह प्रतिशत घटकर लगभग 55 प्रतिशत रह गया है। वर्ष 1951 में कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान 51 प्रतिशत था, जो अब घटकर लगभग 19 प्रतिशत रह गया है। [हिन्दी] इसकी वजह के बारे में इस सभा को सोचने का वक्त आ गया है, क्योंकि किसान धीरे-धीरे गरीब होते गए और आत्महत्या के मामले बहुत बढ़ते गए। बजट में एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा एलोकेशन करना जरूरी है यानी एग्रीकल्चर को ज्यादा बजट देना जरूरी है। अभी बजट में एग्रीकल्चर के लिए 1 लाख 33 हजार करोड़ रुपये का एलोकेशन किया गया है। [अनुवाद] यह हमारे बजट का 5 प्रतिशत है। यह बहुत कम है। हम कृषि पर निर्भर 55 प्रतिशत आबादी के लिए बजट का 5 प्रतिशत आबंटित कर रहे हैं। यह अनुचित है। [हिन्दी] इसीलिए बजट एलोकेशन ज्यादा करना जरूरी है और इस पर सभा को सोचना चाहिए। क्वालिटी सीड किसानों को नहीं मिल पा रहा है। वाटर सप्लाई मतलब जो भी इरीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, उनका कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। इरीगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाले ग्रांट बढ़ाने की आवश्यकता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकार को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मोदी जी ने वर्ष 2014 के चुनाव में इसका वादा किया था, लेकिन आज तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए इस सरकार ने कोई कार्य शुरू नहीं किया है। अब इस बारे में सोचने का वक्त आ गया है। बजट एलोकेशन बढ़ाने के बारे में भी सोचना चाहिए। बजट एलोकेशन में भी सरकार ने दिखाया ज्यादा है, लेकिन यूटिलाइजेशन बहुत कम है।

इसमें 'एलोकेशन रिलीज्ड' और 'यूटिलाइजेशन' दिया हुआ है। 'एलोकेशन' में तो बहुत ज्यादा दिखाते जा रहे हैं, पर 'यूटिलाइजेशन' में बहुत कम है। इसके ऊपर भी ध्यान देना है।

सभापति महोदया, मैं तेलंगाना राज्य के एक छोटे-से गांव से आया हूं। जब मैं दिल्ली आया तो दिल्ली एयरपोर्ट पर किताब की दुकान में गया। मैंने उस दुकानदार से यह पूछा कि दुनिया में सबसे ज्यादा ... ⁸⁸ कहानियों की अगर कोई किताब है तो मुझे दो। उस दुकानदार ने यह कहा कि एक नहीं, ऐसी दो-दो किताबें हैं और उसने मुझे वे दिए, जो हैं – ‘बीजेपी मैनिफेस्टो 2014’ और ‘बीजेपी मैनिफेस्टो 2019’। ये ... * कहानियां हैं। मैं एग्रीकल्चर के बारे में बात कह रहा हूं। इस किताब के पेज नं. 28 में बीजेपी सरकार ने यह वायदा किया- [अनुवाद] न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ और उच्च उपज वाले बीज सुनिश्चित करना और मनरेगा को कृषि से जोड़ना।

[हिन्दी]

माननीय सभापति : आपके भाषण का टाइम खत्म हो गया।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी: महोदया, यह मेरा पहला भाषण है। [हिन्दी] मैं पहली बार यहां चुन कर आया हूं। मैं किसान का बेटा हूं। मैं एग्रीकल्चर के बारे में बोल रहा हूं। मुझे तो बोलने का वक्त दीजिए।

माननीय सभापति: आप अपना भाषण एक मिनट में खत्म कीजिए, और भी लोग हैं।

श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी: महोदया, हमारे गांव में लोग पूछ रहे हैं कि आप दिल्ली जाकर कहां गोल हो जा रहे हैं, क्या आपको संसद में कभी कुछ बोलने का भी वक्त नहीं मिल रहा है? मुझे अपने गांव वापस जाकर उन लोगों से तो कुछ कहना है।

माननीय सभापति: आपके भाषण का वक्त खत्म हो गया। आपको जो बोलना है, वह आप एक मिनट में बोलकर खत्म कीजिए।

⁸⁸ कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी: महोदया, इसमें पेज नं. -13 पर [अनुवाद] किसानों की आय दोगुनी करना लिखा है। इसके अलावा, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। [हिन्दी] इलेक्शन मैनिफैस्टो में मोदी जी ने इतना कहा, पर आज की तारीख में केवल एक लाख तीस हजार करोड़ रुपये दे चुके हैं।

सभापति महोदया, बीजेपी की सरकार आने के बाद वर्ष 2014 में 1,31,666 फार्मर्स ने सुसाइड किया। इसके बाद वर्ष 2015 में 1,33,623 फार्मर्स ने सुसाइड किया। यह सुसाइड्स नहीं, यह ...⁸⁹ हत्या है। सरकार ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं। यह हिसाब-किताब मेरा नहीं है।

महोदया, मैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट को क्वोट कर रहा हूँ। वर्ष 2016 के बाद एन.सी.आर.बी. ने यह रिपोर्ट देनी बंद कर दी। इसकी वजह केन्द्र सरकार है।

सभापति महोदया, मैं कन्क्लूजन में यह कहना चाहता हूँ कि एक बादशाह का दरबार चल रहा था। वहां पर गाना गाने वाला आया। वह अच्छा गाया। उसे 100 किलो सोना दिया गया। वह और अच्छा गाया। उसे 100 किलो चाँदी दी गयी। वह और अच्छा गाया। उसे ज़ेवर दी, जमीन दी, जायदाद दी, जागीर आदि सब कुछ दिया गया। उसके बाद गाना गाने वाला घर चला गया। उसने अपने बीबी-बच्चों से कहा कि आज बादशाह ने बहुत कुछ इनाम दिए हैं, अपनी पूरी जिन्दगी बन जाएगी। उसके बाद एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, हफ्ते का समय हुआ, तीस दिन हो गए, पर उसे कुछ नहीं मिला। फिर वह गाना गाने वाला बादशाह के पास वापस आया... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आपका भाषण हो गया।

श्रीमती भारती पी. पवार, आप बोलिए।

⁸⁹ कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

^{90*} **डॉ. (प्रो.) श्री किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम):** मैं ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालयों के तहत अनुदान की मांगों पर अपने विचार रखना चाहता हूँ।

एनडीए सरकार की हाल की लोक सभा चुनाव में जीत भारतीय किसानों के सरकार में विश्वास और आस्था को दर्शाती है। सरकार ने विभिन्न योजनाओं की घोषणा करके किसानों को आशा और विश्वास दिया है। यह आजादी के बाद पहली बार है जब सरकार ने अपना झुकाव खाद्य उत्पादन/खाद्य सुरक्षा से किसानों की आय की ओर किया है। हमने भोजन उत्पादन में स्वावलंबन बहुत पहले ही हासिल कर लिया था, लेकिन किसानों की आय की ओर ध्यान केंद्रित करने में हम असफल रहे, जिससे किसानों की आय स्थिर बनी हुई है। पिछली सरकारों की इस उपेक्षा के कारण यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ग्रामीण परिवारों में से लगभग एक-पांचवाँ हिस्सा, जो कृषि में स्वरोजगार पर निर्भर हैं, गरीबी रेखा से नीचे की आय प्राप्त करता है।

इस प्रकार, श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में इस सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता के 75^{वें} वर्ष यानी वर्ष 2022-23 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य घोषित किया है। यह अच्छी योजना हमारे किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखती है, जो कृषि उत्पादकता बढ़ाने, उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर विविधीकरण, फसल चक्र की तीव्रता बढ़ाने और किसानों के लिए व्यापार के लाभकारी शर्तों को सुधारने के माध्यम से संभव होगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के एवज में सरकार ने कई आय केंद्रित योजनाएं शुरू की हैं जैसे: मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एस.एच.सी) योजना; नीम लेपित यूरिया (एन.सी.यू); प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई); परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई); राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना (ई-एन.ए.एम); प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई); राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम); एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच); तिलहन और ऑयलपाम पर राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.ओ.ओ.पी); सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.एस.ए);

^{90*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन (एन.एम.ए.ई.टी) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई)।

यह देखते हुए कि बड़ी संख्या में योजनाएं हमारे गरीब किसानों के लिए हैं, इस बजट में किसानों के लिए बजटीय आबंटन में 85% की वृद्धि की गई है। इसमें से प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-के.आई.एस.ए.एन.) योजना को 75,000 करोड़ रुपये का आबंटन प्राप्त हुआ है जो कुल आबंटन का 54% है। जैसा कि हमारे मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने अंतरिम बजट प्रस्तुत करने के दौरान कहा कि यह योजना हमारे किसानों को एक ढांचागत आय सहायता प्रदान करने में मदद करेगी, जो खाद्य कीमतों में गिरावट और भूमि जोतों के छोटे आकार के कारण कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यह आय सहायता उन्हें बीज, उर्वरक, उपकरण जैसे निवेश की खरीद में मदद करेगी और उन्हें अपने श्रमिकों को मजदूरी देने में भी सक्षम बनाएगी। यह उन्हें ऋणग्रस्तता से बाहर आने में भी मदद करेगा और उन्हें साहूकारों के चंगुल में पड़ने से रोकेगा। महोदय, इस प्रकार इस योजना के तहत किसानों के लिए आबंटन में वृद्धि से देश में कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। उपरोक्त वर्णित अन्य योजनाओं को भी 63,564 रुपये का आबंटन प्राप्त हुआ है जो पिछले वर्ष से 14% ज्यादा है।

ब्याज सब्सिडी योजना प्रदान करके इस सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए हैं कि किसान ऋण के औपचारिक स्रोतों पर अधिक भरोसा करें। 3 लाख तक के अल्पकालीन ऋण लेने वाले किसानों को 2% की ब्याज सब्सिडी प्रदान करने वाली इस योजना को 20% तक का आबंटन बढ़ाया गया है। महोदय, इस प्रकार यह किसानों को औपचारिक ऋण स्रोतों की ओर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मैं यहां प्रकाश डालना चाहूंगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 उत्तर पूर्वी, पहाड़ी और पूर्वी राज्यों में कृषि ऋण के धीमे वितरण के बारे में बात करता है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इन क्षेत्रों में भी वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.आई.) के लिए आबंटन में भी 8% की वृद्धि हुई है। यह एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि यह योजना हमारे गरीब किसानों को फसल बोनस से पहले से लेकर

कटाई के बाद तक प्राकृतिक आपदाओं/जोखिमों से बचाती है। इस योजना के बड़े उद्देश्य के बावजूद यह (क) जागरूकता की कमी और (ख) समय पर निपटान की कमी से जूझती है। जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में देखा गया है कि अपनी फसलों का बीमा करने वाले किसानों का प्रतिशत कम है। इस प्रकार, कृषि परिवारों के बीच फसल बीमा की कवरेज दर बढ़ाने के लिए, बेहतर भौगोलिक कवरेज और प्रक्रियाओं के सरलीकरण के साथ उचित जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। दूसरा, इस योजना की सफलता के लिए बीमा का समय पर वितरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। फसल बीमा कंपनियों द्वारा उपज डेटा के विलंबित प्रसारण, उपज डेटा पर बीमा कंपनियों द्वारा उठाए गए विवाद, बैंक शाखाओं द्वारा पोर्टल पर व्यक्तिगत किसान डेटा का मिलान, कुछ राज्यों द्वारा प्रीमियम सब्सिडी में अपने हिस्से की देरी से जारी करने और एनईएफटी से संबंधित विभिन्न कारणों से देरी होती है। बीमा का समय पर वितरण प्राप्त करने के लिए मुद्दों आदि का समाधान किया जाना चाहिए।

बाजार तक पहुंच एक महत्वपूर्ण विशेषता है क्योंकि इससे किसान को अपनी उपज के लिए सही मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि मेरे राज्य गुजरात ने नीति आयोग द्वारा तैयार "कृषि विपणन और किसान हितैषी सुधार सूचकांक (ए.एम.एफ.आर.आई.)" में दूसरा स्थान हासिल किया है। 71.5 अंक के साथ गुजरात ने विपणन सुधारों को आगे बढ़ाने और कृषि-व्यवसाय करने के लिए सर्वोत्तम वातावरण प्रदान करना सुनिश्चित किया है।

मैं सरकार से कृषि में अनुसंधान के लिए आबंटन बढ़ाने का आग्रह करता हूँ। आई.सी.ए.आर. (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) के लिए मौजूदा आबंटन पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 3.7% कम कर दिया गया है। यह ब्राजील (1.8%), मैक्सिको (1.05%), मलेशिया (0.99%), और चीन (0.62%) जैसे अन्य देशों की तुलना में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कम है, क्योंकि भारत अपने जी.डी.पी. का केवल 0.3% कृषि पर खर्च करता है। मैं चाहूंगा कि सरकार तिलहन उत्पादन पर अधिक शोध करे, क्योंकि भारत वर्तमान में इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे अन्य देशों से बड़ी मात्रा में पाम ऑयल का आयात कर रहा है। मैं माननीय मंत्री से गुजरात में तिलहन उत्पादन की संभावनाओं का पता लगाने का आग्रह करूंगा क्योंकि राज्य कपास के बीज के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है।

[हिन्दी]

^{91*} **श्रीमती रंजीता कोली (भरतपुर) :** भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में केन्द्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना हो जिससे क्षेत्र के नौजवान लोगों को कृषि संबंधी शिक्षा प्राप्त हो सके और भी कृषि के नई तकनीक सीखकर कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में सिंचाई के पानी की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण दिन प्रतिदिन किसानों को कृषि करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः लोकसभा क्षेत्र में पक्की नहर की स्थापना कर यमुना चंबल के पानी से कृषि क्षेत्र में पानी की पूर्ति की जाए जिससे भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के किसान भी समृद्धि हो सकें। किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए मैं मांग करती हूँ भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में आवारा गाय और पशुओं से फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है जिससे किसान काफी आक्रोशित रहते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि प्रत्येक 45 ग्राम पंचायतों को मिलाकर गौशालाओं का निर्माण कराया जाए जिससे आवारा पशुओं को परिसर में रख कर किसानों की फसलों को नुकसान होने से बचाया जा सके।

माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं तहेदिल से धन्यवाद करती हूँ कि कृषि मंत्रालय का बजट बढ़ाकर उनकी समस्याओं का समाधान किया।

धन्यवाद।

^{91*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

माननीय सभापति: श्रीमती भारती पी. पवार, आप बोलिए।

डॉ. भारती प्रवीण पवार (दिन्डोरी): माननीय सभापति महोदया, धन्यवाद।

महोदया, मैं मराठी में बोलने की आपकी अनुमति चाहती हूँ।

माननीय सभापति: हाँ, ठीक है।

[अनुवाद]

^{92*} **डॉ. भारती प्रवीण पवार :** मैं मराठी में बोलना चाहूंगी। सबसे पहले, मैं माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी और माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को इतना अच्छा बजट लाने के लिए बधाई देना चाहती हूँ। इस बजट में शहरी और ग्रामीण भारत के बीच संतुलन बनाकर रखा गया है। और हमारे समाज के सभी वर्गों जैसे गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, आदिवासी, सभी पिछड़े लोगों, महिलाओं, युवाओं और मजदूरों का ध्यान रखा गया है। यह सभी के साथ न्याय करने का एक प्रयास है।

महोदया, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, जन-धन योजना, प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना, फसल बीमा योजना, किसान पेंशन योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना जैसी कुछ बहुत अच्छी योजनाएं इस सरकार के द्वारा डी.बी.टी. के माध्यम से लाई गई हैं और मैं पारदर्शिता लाने के लिए आभारी हूँ। महोदया, मेरा निर्वाचन क्षेत्र दिन्डोरी, कृषि प्रधान है और इस क्षेत्र में प्याज, अंगूर, अनार, टमाटर, मक्का प्रमुख फसलें हैं। इसे ध्यान में रखते हुए मेरे निर्वाचन क्षेत्र में किसानों की आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में प्याज प्रमुख फसल है। कैसलगांव ए.पी.एम.ए. एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ए.पी.एम.ए. है। इसलिए, यहां अधिक प्रसंस्करण इकाइयां और कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। रेल वैगन की उपलब्धता भी बढ़ाई जानी चाहिए। कार्गो और परिवहन सेवाओं में भी सुधार किया जाना चाहिए। निफाड में प्रस्तावित ड्रिप पोर्ट को भी जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए। यह

^{92*} मूलतः मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

निश्चित रूप से किसानों और कृषि की वित्तीय स्थिति में सुधार करने में मदद करेगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसान कृषि व्यवस्था के केंद्र में है।

हम कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के बिना अपने देश के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति या परिवार का बुनियादी डेटा उपलब्ध कराया जाना चाहिए और 7/12 प्रमाणपत्र की कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए। बिजली, पानी और सड़क किसानों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा हैं। और बिजली की कमी को दूर करने के लिए, अधिक से अधिक सौर ऊर्जा परियोजनाओं को लागू किया जाना चाहिए। कृषि आय बढ़ाने के लिए अन्य सहायक और संबद्ध व्यवसाय को भी विकसित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त फसल पैटर्न का चयन करने के लिए जागरूक और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

मैं ग्रामीण क्षेत्र में महिला स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए सरकार को बधाई देना चाहती हूँ। ग्रामीण विकास के लिए लघु उद्योगों के माध्यम से सृजित रोजगार में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पर्यटन से भी ग्रामीण विकास में मदद मिल सकती है। स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और कुपोषण के खतरे को खत्म करने के लिए अधिकतम प्रयास किए जाने चाहिए। यह निश्चित रूप से लोगों की शिक्षा और उत्पादकता के स्तर में वृद्धि करेगा। बैंक अधिकारियों की उदासीनता के कारण संभवतः किसान सम्मान योजना और मुद्रा योजना का लाभ लेते समय लोगों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसका ध्यान रखा जाना चाहिए।

मैं ऋण माफी के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र जी फड़नवीस जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। महोदया, पानी की किल्लत की वजह से गाँव-गाँव में लोग लड़ रहे हैं। सरकार को आगे आना चाहिए और हर घर को पानी उपलब्ध कराना चाहिए। मैं जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना के लिए हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे निर्वाचन क्षेत्र दिन्डोरी में, कई गाँवों में 20-25 दिनों के अंतराल के बाद ही पानी की आपूर्ति हो पा रही है। केंद्र सरकार नर-पार, वंजलपानी, दमंगना, मंजर पाड़ा-॥ जैसी सिंचाई परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करे। नासिक, जलगांव और अहमदनगर जिलों

और मराठवाड़ा क्षेत्र में पानी की भारी कमी से राहत दी जानी चाहिए। इस वर्ष महाराष्ट्र मध्यम वर्षा की समस्या से जूझ रहा है। इसलिए, मैं केंद्र सरकार से और राहत निधि उपलब्ध कराने का अनुरोध करना चाहती हूँ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में प्रमुख फसल 'लस्कर कीट' से प्रभावित है, इसलिए किसानों को उचित सहायता प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही, मैं हमारे माननीय प्रधान मंत्री को किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के लिए उठाए गए स्वागत योग्य कदम के लिए बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं हर घर जल योजना शुरू करने और कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए धन्यवाद देती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करती हूँ।

धन्यवाद

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे (रायगढ़): महोदया, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बहुत आशा और विश्वास के साथ देश ने दूसरी बार उन्हें सत्ता में आने का जनादेश दिया है, लेकिन कृषि समुदाय का 63 प्रतिशत हिस्सा पूरी तरह से निराश है।

महोदया, 15 वर्ष पहले हम खाद्यान्न का आयात कर रहे थे। उस समय मेरे गुरु और नेता श्री शरद पवार जी कृषि मंत्री थे। यह उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रय प्रणाली को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की स्थापना के लिए उनकी पहलों, स्वामीनाथन समिति की नियुक्ति के उनके प्रयासों और दूरदर्शी नेतृत्व के कारण है कि 10 वर्षों के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया।

मैं धान उत्पादन वाले क्षेत्र से हूँ। वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है। अतः मैं माननीय मंत्री से विनम्र निवेदन करता हूँ कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की कृपा करें।

हमारे पास महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में 720 किलोमीटर तटीय क्षेत्र है। मछुआरों का कर्जा कभी माफ नहीं हुआ है। इसलिए, मछुआरों का ऋण माफ किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में एन.सी.डी.सी. की मत्स्य योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कई प्रस्ताव अभी भी लंबित हैं। मत्स्य घाटों का निर्माण किया जाना आवश्यक है। कोंकण क्षेत्र के तटीय क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज चेन स्थापित की जानी चाहिए। एल.ई.डी. मछली पकड़ने की गतिविधि, जिसकी विशेष रूप से रत्नागिरी जिले, हरने और दापोली क्षेत्रों में अनुमति दी गई थी, पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और स्थानीय मछुआरों को इसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में हमें पंचायती राज व्यवस्था के कामकाज में सुधार करना होगा। पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत सड़कों के निर्माण के लिए महाराष्ट्र राज्य को पिछले तीन वर्षों से बहुत कम धनराशि का आबंटन हो रहा है। इसलिए, यदि आपको पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत आबंटन बढ़ाना है, तो आपको हमारे राज्य के लिए अधिक धन आबंटित करना चाहिए। चौदहवें वित्त आयोग द्वारा ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत राज के सुदृढ़ीकरण के लिए निधि आबंटन बढ़ाया जाए ताकि उन्हें पर्याप्त धनराशि मिल सके।

हम हमेशा पंचायती समिति और जिला परिषदों में महिला सशक्तिकरण का उल्लेख करते रहे हैं। मैं अपने मार्गदर्शक श्री शरद पवार जी का आभारी हूँ कि 30 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र राज्य में महिला एवं महिला आरक्षण नीति बनाई गई। इसलिए, पंचायत राज प्रणाली, पंचायत समिति और जिला परिषद को और मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र राज्य के लिए चौदहवें वित्त आयोग का आबंटन बढ़ाया जाना चाहिए।

पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत हमें महाराष्ट्र के लिए कम फंड मिल रहा है। इसे बढ़ाया जाना चाहिए। मुझे अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर): माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने आजादी के बाद वर्ष 2014 से लेकर अब तक, इस देश के गांव और किसान के विकास की धुरी को चुनकर वर्ष 2022 तक किसानों की आय दो गुनी करने का लक्ष्य रखा है।

महोदया, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि देश के विकास का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर जाता है। आज मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के गांव, गरीब और किसान का विकास हो रहा है और देश आगे बढ़ रहा है। किसानों के हित में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद किसानों की आय को दो गुना करने के लिए, गांव के विकास के लिए अनेकों योजनाएं शुरू की गई हैं। अगर हम पिछली सरकारों से कम्पेयर करें, तो पहले किसान की सबसे बड़ी समस्या खाद की होती थी, लेकिन वर्ष 2014 के बाद जितनी उपलब्धता किसान को खाद की चाहिए, उतनी बिना किसी ब्लैक मार्केटिंग के माननीय मोदी जी की सरकार में मिल रही है। कम प्रीमियम पर किसान को बीमे की सुविधा मिल रही है। पहले किसान को खेती में नुकसान होता था। उस नुकसान को पूरा करने के लिए एक मजाक किसान के साथ होता था। माननीय मोदी जी ने उसमें बदलाव करके, किसान जिस दिन से अपनी फसल बोता है, उस दिन से 14 दिन फसल कटने के बाद तक पूरी धनराशि देने का निर्णय किया है, इससे निश्चय ही किसानों को फायदा हो रहा है।

इसके साथ-साथ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा 6 हजार रुपये की राशि देकर किसानों का कल्याण करने का कार्य सरकार के द्वारा हो रहा है।

सभापति महोदया, पिछले पांच सालों का कम्पेयर करें और वर्ष 2014 से पहले देखें तो किसान के फसल की जितना पैदावार का समर्थन मूल्य बढ़ा है, वर्ष 2014 से पहले कभी इतना नहीं बढ़ा। किसानों की 60 वर्ष की आयु के बाद प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई पेंशन योजना, अपनी फसल को किसान घर बैठे

पूरे देश में बेचने के लिए ई-नाम मंडी योजना, अन्नदाता ऊर्जा दाता बने यह सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। इसके साथ-साथ गांवों के विकास के लिए वर्ष 2014 से पहले जो पैसा जाता था वह मात्र 75,000 करोड़ रुपये ही मिलता था। लेकिन वर्ष 2014 के बाद आज 225 हजार करोड़ रुपये गांव के विकास के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दिए जा रहे हैं, इससे गांव का विकास हो रहा है, पूरे क्षेत्र का विकास हो रहा है। कांग्रेस और यूपीए सरकार के पूर्व प्रधान मंत्री कहते थे कि जब दिल्ली से विकास का पैसा गांव की तरफ जाता है तो एक रुपये की जगह वहां मात्र पन्द्रह या बीस पैसे ही पहुंचते हैं, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर अब तक अगर एक रुपया गांव के विकास के लिए जाता है तो एक रुपया ही लगता है, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है।

सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए और गांव के विकास करने के लिए पशुपालन, मत्स्य और डेयरी के गठन इत्यादि के लिए साढ़े तेरह करोड़ एफएमडी वैक्सिनेशन के लिए दिए हैं, जो सराहनीय है। मैं कुछ महत्वपूर्ण सत्य आपके समक्ष रखना चाहता हूं। वर्ष 1966 में जब हरित क्रांति का दौर शुरू हुआ तब एक ट्रैक्टर की कीमत मात्र ग्यारह हजार रुपये होती थी और डीजल चालीस पैसे प्रति लीटर होता था लेकिन आज ट्रैक्टर की कीमत पांच लाख रुपये है और डीजल 65 रुपये लीटर हो चुका है। उर्वरक, कीटनाशक और बीज की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 1966 में गेहूं का एमएसपी 76 रुपये प्रति क्विंटल होता था, एक क्विंटल गेहूं में किसान आठ-नौ बैग सीमेंट का खरीद सकता था, लेकिन आज वर्ष 2019 में गेहूं का एमएसपी 1840 रुपये प्रति क्विंटल है और एक क्विंटल गेहूं में मात्र पांच बैग ही सीमेंट के खरीदे जा सकते हैं। वर्ष 1966 में सोने का मूल्य 250 रुपये प्रति दस ग्राम होता था। किसान तीन क्विंटल गेहूं में एक तोला सोना खरीद लेता था। आज वर्ष 2019 में सोने का मूल्य 34,000 रुपये है और एक तोला सोना खरीदने के लिए किसान को 29 क्विंटल गेहूं खर्च करना पड़ता है। वर्ष 1966 में गन्ने का समर्थन मूल्य 135 रुपये प्रति क्विंटल होता था और आज 19 क्विंटल गन्ने में एक तोला सोना खरीदा जाता था और वर्ष 2019 में 108 क्विंटल में एक तोला सोना खरीदा जाता है।

इस देश के अन्नदाता के हित में आपके माध्यम से सरकार से एक महत्वपूर्ण मांग रखता हूं, किसानों के फसल का जब न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो तो उसे महंगाई की दर से जोड़ा जाए। गांव में जो भूमिहीन मजदूर हैं उनके विकास के लिए सरकार ने मछलीपालन, सुअरपालन, बकरीपालन का मंत्रालय शुरू किया है, इसके लिए उनको विशेष वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। एक समस्या पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मेरे क्षेत्र की है। प्रधान मंत्री आवास सरकार के माध्यम से दिए जाते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना हुई थी उसमें बहुत सारे गरीब ऐसे बचे हैं जिनको उस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उन्हें प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए कोई अन्य योजना शुरू करें।

[अनुवाद]

श्री रघु राम कृष्ण राजू (नरसापुरम): माननीय सभापति जी, मुझे वर्ष 2019-20 के लिए ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

महोदया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन मैं माननीय मंत्री का ध्यान बीज की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो कृषि में खेती का मुख्य घटक है। आज मुख्य समस्या बीज की गुणवत्ता की है। कृषि राज्य का विषय है। यदि कोई बीज कंपनी किसी विशेष राज्य में है और किसी अन्य राज्य में समस्या है, तो इस मुद्दे पर कोई उचित नियंत्रण नहीं है। पिछले कई वर्षों से भारत सरकार से एक एजेंसी स्थापित करने की मांग की जा रही है। ...*(व्यवधान)*

महोदया, यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके लिए पिछले कई वर्षों से मांग की जा रही है। केन्द्र सरकार को बीजों की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए एक एजेंसी गठित करने की पहल करनी चाहिए, जो आज किसानों की मृत्यु का मूल कारण है। महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री जी ऐसी एजेंसी को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में स्थापित करने पर विचार करें और इसकी बिल्कुल भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

महोदया, माननीय प्रधान मंत्री जी 'मेक इन इंडिया' की बात कर रहे हैं। कृषि में कई तरह के कृषि उपकरण और यंत्र होते हैं। हालांकि, हमारा ध्यान मुख्य रूप से ट्रैक्टर और कुछ अन्य उपकरणों पर केंद्रित रहा है। उदाहरण के लिए, आम के बागान में उपयोग होने वाला एक विशेष स्प्रे होता है। फिर भी इसे ताइवान से करीब 15,000 रुपये की दर से आयात किया जा रहा है। यदि हम इसे भारत में निर्मित करें तो इसकी कीमत 4,000 से 5,000 रुपये हो सकती है। इसलिए, इस प्रकार की चीजों के निर्माण के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

अब मैं अपने अंतिम मुद्दे पर आता हूँ। मनरेगा के तहत लोगों को लगभग 150 दिनों का वेतन दिया जा रहा है। यदि कोई तरीका खोजा जाए ताकि इसे कृषि के साथ जोड़ा जा सके, तो यह बेहतर होगा। हो

यह रहा है कि इसका खामियाजा गरीब किसानों को भुगतना पड़ रहा है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो सूखे से प्रभावित हैं जहाँ यह अत्यंत आवश्यक है, लेकिन कुछ अन्य क्षेत्रों में जहाँ श्रम की कमी है, वहाँ इस छोटे से भुगतान के कारण मजदूर काम के लिए भी नहीं आते। यदि इसे कृषि से जोड़ा जाए, तो यह किसानों के लिए मददगार साबित होगा।

किसान 300 या 400 रुपये खर्च कर रहा है। किसान को सरकार द्वारा दी जा रही धनराशि - 190 रुपये - की सब्सिडी दी जा सकती है तथा शेष धनराशि का भुगतान किसान स्वयं कर सकता है। चूंकि ग्रामीण विकास और कृषि विषयों को एक साथ लिया गया है और दोनों मंत्रालयों के लिए एक ही मंत्री हैं, मैं यह प्रस्तावित करना चाहता हूँ कि इससे न केवल किसानों को बल्कि उन लोगों को भी काफी राहत मिलेगी जो इस राशि 190 रुपये के लिए लगभग निष्क्रिय बैठे रहते हैं। उस व्यक्ति को काम मिलेगा और किसान को राहत मिलेगी। इस प्रक्रिया में उसे अधिक आय भी प्राप्त होगी।

महोदया, आपके माध्यम से माननीय मंत्री को यह निवेदन प्रस्तुत करते हुए, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

[हिन्दी]

श्री संतोष पाण्डेय (राजनंदगाँव): सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं रूरल डेवलपमेंट की डिमांड फार ग्रांट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वास्तव में, 1947 के बाद और जो अनेक क्रांतिकारी देश के लिए खप गये, मिट गये, उनके तराने यही थे, उन्होंने कल्पना की थी, बहुत अच्छे स्वप्न देखे थे-

कभी वह दिन भी आएगा कि हम स्वराज देखेंगे,

दायरे हिन्द में फिर हिन्दियों का राज देखेंगे।

भूखे के पेट में आएगी पेट भर रोटी,

यतीमों को न दाने-दाने का मोहताज देखेंगे।

यह कल्पना लेकर वे अपने देश के लिए समर्पित हो गए। जब देश स्वतंत्र हुआ, जिस प्रकार की सुशासन व्यवस्था यहां आनी थी, स्वराज तो मिला किन्तु सुराज नहीं मिला था। वास्तव में देखें तो अटल जी की गांव-गांव में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में विकास हुआ और उसके बाद एक-एक बिन्दु की चिन्ता की गई, चाहे वह स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सिंचाई या सड़क की चिन्ता हो, हम सब जानते हैं कि वर्ष 2014 से पहले इस देश की स्थिति क्या थी। मोदी जी के आने के बाद यह तस्वीर बदली है। आज इस देश के अंदर जब लोग नेता कहते थे तो अपने आप में शर्म की स्थिति आती थी। हम सोचते थे कि नेताजी कहकर हमको चिढ़ा रहे हैं। नेताजी शब्द का प्रयोग सुभाष चन्द्र बोस से शुरू हुआ था। सुभाष चन्द्र बोस के ऊपर हम सबने पाठ्यक्रम में एक अध्याय पढ़ा था- 'नेताजी का तुला दान'। जब तुला दान हुआ था तो माताओं ने उसमें अपने कर्णफूल, बाजूबंद यहां तक कि अपने मंगलसूत्र भी नेताजी के लिए तुला में रखे थे। उन्होंने सभी प्रकार से समर्पण की भावना केवल नेताजी के लिए की थी। नेताजी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के आह्वान पर इस देश ने उसको स्वीकार किया और एक जून भोजन बंद कर दिया।

आज पहली बार इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में, जब उन्होंने अपने देशवासियों के लिए आह्वान किया कि गरीबों के घर में जो धुआं निकलता है, वह बंद होना चाहिए, इससे माताओं, बहनों को जो बीमारी

होती है, उसमें कमी आनी चाहिए। उज्ज्वला योजना के तहत इनको भी गैस सिलेण्डर मिले। यह उनकी धारणा थी। लोगों ने उनके आह्वान को स्वीकार किया। एक करोड़ से ज्यादा लोगों ने सब्सिडी छोड़ी, जिसमें राजस्थान के लगभग साढ़े छः लाख लोग हैं। आज फिर से उस कीर्तिमान को, उस सम्मान को स्थापित करने का काम यदि किसी ने किया है तो वह नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। आज एक लाख चालीस हजार करोड़ रुपये कृषि में देना बहुत बड़ी बात है। वास्तव में कृषि संस्कृति हमारी थी, चाहे कितने ही बड़े राजा का बेटा क्यों न हो, जब वे ऋषि के यहां जाते थे, सन्यासी के यहां जाते थे, तो वे शिष्य बनकर कृषि का काम किया करते थे, परीक्षाएं होती थीं। वह श्रेष्ठ काम था, यानी कृषि से ऋषि और ऋषि रिसर्च किया करते थे। आज यहां मेरे मित्रों ने भी कहा कि 'उत्तम खेती मध्यम बाण, अधम नौकरी भीख निदान' मतलब 'खेती' नौकरी होती थी। आज जब हमारी बेटी या बहन की शादी की बात होती है तो पहले कहते थे कि कितनी बीघा जमीन है या कितनी एकड़ जमीन है। अब कहते हैं कि किस नौकरी में है, नौकरी किस प्रकार की है, फर्स्ट क्लास की है या सेकण्ड क्लास की है। आज फिर से मोदी जी ने खेती को महत्व दिया है। वास्तव में आज स्वतंत्र भारत में यह पहली सरकार है।

महोदया, किसानों के लिए 10 हजार नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे, इससे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। इस बार कृषि और संरचना में व्यापक निवेश करेगी। आने वाले समय में किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि आज जब रूरल डेवलपमेंट की बात हमारी सरकार कर रही है तो छत्तीसगढ़ के अन्दर जिस तरह से चल रहा है, यहां महाराष्ट्र के कई मित्र बात कर रहे थे, तो मैं बताना उचित समझता हूं और इसलिए भी कि हमारे राजनंद गांव के जिले में प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों को भुगतान में बहुत कठिनाई हो रही है, वहां बिचौलिए सभी प्रकार से काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ले आउट देने के बाद, दो किश्त देने के बाद भी उनके घर तोड़ दिए गए हैं। मैं आज यहां सदन से चाहूंगा कि इस पर कार्यवाही हो। ... (व्यवधान) महोदया, मैं केवल एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। महोदया, मैं समाप्त कर रहा हूं। आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है। मैं समाप्त कर रहा हूं। गुरु पूर्णिमा का अवसर है... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वी.के. श्रीकंदन (पालक्काड़): आदरणीय महोदया, इस अवसर के लिए धन्यवाद।

सबसे पहले, मैं अपनी बात की शुरुआत इस निवेदन से करना चाहता हूँ कि हमारी राष्ट्र और हमारे किसान जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान की स्थिति में हमारे किसानों को उचित राहत और मुआवजा दिया जाना चाहिए। किसान एक उचित और लाभकारी मूल्य चाहते हैं जो एम.एस. स्वामीनाथन समिति के प्रतिवेदन की सिफारिश के आधार पर खेती की लागत से 50 प्रतिशत अधिक है। किसान कर्ज माफी की भी मांग कर रहे हैं। किसानों का कम से कम 5 लाख रुपये तक का कृषि ऋण तत्काल माफ किया जाना चाहिए ताकि हम किसानों को आत्महत्या करने से रोक सकें।

मैं सरकार से सभी कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का आग्रह करता हूँ।

अब, मैं कुछ मुद्दों पर आता हूँ जो मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, केरल के पालक्काड़ से संबंधित हैं। केरल के चावल की मांग का लगभग चालीस प्रतिशत हिस्सा पालक्काड़ जिले द्वारा पूरा किया जाता है क्योंकि इस जिले में 65,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पर मुख्यतः चावल उगाया जाता है। इस प्रकार इस जिले को केरल को धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है। उनमें से लगभग 80 प्रतिशत छोटी जोत वाले किसान हैं और तीन लाख से अधिक लोग हैं जो पालक्काड़ में खेती की गतिविधियों पर निर्भर हैं।

हालांकि, पिछले साल के दौरान बाढ़ के कारण, हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि क्षतिग्रस्त हो गई थी और अनुपयोगी हो गई थी। इसलिए, खेती की गतिविधि में भारी कमी आई है। जिन किसानों ने कर्ज लिया, वे उसे चुका नहीं सके। खेतिहर मजदूर बेरोजगार हो गए हैं जिससे वहां सामाजिक असंतुलन पैदा हो गया है।

इसलिए, मैं सरकार से पालक्काड़ जिले के किसानों के लिए तत्काल एक विशेष कृषि पैकेज प्रदान करने का आग्रह करता हूँ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री सुरेश कश्यप (शिमला): मैडम, मैं पहली बार सांसद बना हूँ और इस सदन में मुझे बोलने का मौका मिला है। आज मुझे कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूँ।

इस बार जो बजट इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र की दशा को बदलने का लक्ष्य रखा गया है। मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को, कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी को, जिन्होंने एक बेहतरीन बजट इस बार प्रस्तुत किया है। इस बजट में गांव, गरीब और किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है।

यह बात सत्य है कि कृषि का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हम अपने देश की बात करें, यहां पर भी देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी ऐसी है, जो या तो कृषि पर या कृषि से जुड़े कारोबार पर निर्भर है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ कि हमारे देश में कृषि के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। इससे पहले भी कृषि के विकास के लिए कई बार प्रयास किए गए हैं, लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का प्रयास हुआ है, निश्चित रूप से एक गंभीर प्रयास हुआ है और उसके नतीजे बहुत ही सकारात्मक और उत्साहवर्धक रहे हैं। इस देश में अगर किसी ने किसानों के बारे में पहली बार सोचा कि किसानों का सम्मान हो, किसानों के खाते में सीधे प्रतिवर्ष 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि योजना के तहत खाद, बीज और दवाइयां खरीदने के लिए जाएं, ताकि वे किसान अपनी जरूरत के हिसाब से उस पैसे का प्रयोग कर सकें। बिना किसी भ्रष्टाचार के किसानों के खातों में यह पैसा डालने का निर्णय अगर किसी ने लिया तो हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने लिया। बहुत सारे मित्र कह रहे थे कि 6,000 रुपये कम हैं, लेकिन जिन्होंने 60 वर्ष तक इस देश में राज किया, उन्होंने कभी किसानों को 60 पैसे भी नहीं दिए, वे लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। चुनाव के समय बहुत सी बातें हुई थीं, कोई कहता था कि 72,000 रुपये देंगे, 72,000 करोड़ रुपये देंगे, लेकिन इससे पहले जब उनकी

सरकार थी, एक भी पैसा किसानों नहीं मिला। यह मोदी जी हैं, जिन्होंने किसानों के बारे में सोचा और देश के लगभग 14.5 करोड़ किसानों को करीब 75,000 करोड़ रुपये देने का लक्ष्य रखा।

इतना ही नहीं, इस देश में पहली बार ऐसा हुआ कि किसानों को भी पेंशन मिलेगी। सरकारी कर्मचारी-अधिकारी को पेंशन मिलती है, लेकिन जब किसान बूढ़ा हो जाता है, 60 वर्ष की आयु के बाद जब किसान कमाने लायक नहीं रहता है, उस समय अपना जीवनयापन करने के लिए, वह भी अपना जीवन सम्मान के साथ जी सके, उसके लिए उनको 3,000 रुपये प्रतिमाह देने का निर्णय अगर किसी ने लिया तो वह हमारे देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी ने लिया।

वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं, जैसे ज़ीरो बजट खेती को बढ़ावा देना, जैविक खाद और परम्परागत बीजों का उपयोग करना आदि। हमारा देश दलहन की खेती में आत्मनिर्भर हो गया है। तिलहन की खेती को बढ़ावा देना, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाना, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, सोलर पैनल लगाकर बिजली का उत्पादन करना, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी देना, एक-एक बूंद पानी का सदुपयोग हो और इसी प्रकार से किसान किस प्रकार की जमीन पर किस प्रकार की खेती करे, उसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनाना आदि बहुत सारे निर्णय हैं जो किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सार्थक सिद्ध हो रहे हैं।

निश्चित रूप से इस बजट में किसानों की आर्थिकी को बढ़ावा देने और उनकी दशा को सुधारने के लिए बहुत ही सार्थक प्रयास किए गए हैं।

माननीय सभापति जी, जिस प्रकार से लक्ष्य रखे गए हैं अगले कुछ वर्षों में हर व्यक्ति को घर, घर में नल, नल में जल, घर में 'उज्ज्वला योजना' के तहत कनेक्शन, हर घर में शौचालय और बिजली का कनेक्शन हो, ये हमारे देश के किसानों और ग्रामीण विकास के लिए बहुत सार्थक सिद्ध हो रहे हैं... (व्यवधान)

माननीय सभापति: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आपकी पार्टी के और भी लोग बोलने वाले हैं।

श्री सुरेश कश्यप (शिमला): सभापति महोदया, मैं अपने क्षेत्र की थोड़ी-सी बात सदन में रखना चाहता हूं। मैं हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी राज्य से चुन कर आया हूं। यहां पर बहुत-सी छोटी-छोटी नदियां और नाले हैं,

जहां जल संरक्षण के लिए साधन उपलब्ध हैं, लेकिन अभी भी यहां की 80 प्रतिशत भूमि असिं है। जल शक्ति मंत्रालय बना है, इसके लिए मैं पहले प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और आग्रह करना चाहूंगा कि यहां पर जल संरक्षण के लिए बहुत स्कोप है। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं आई हैं। जैसे, कांडी प्रोजेक्ट, मीड हिमालयन प्रोजेक्ट। अभी इंटीग्रेटेड वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके तहत पहले कुछ काम हुए हैं।

मैं माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के लिए इस प्रकार का एक स्पेशल प्रोजेक्ट बनाया जाए, ताकि केवल डैम बना कर इन नदियों के जल का संरक्षण किया जाए। इससे न केवल हिमाचल प्रदेश के लिए सिंचाई की सुविधा होगी बल्कि हमारे जो दूसरे राज्य पंजाब, हरियाणा या राजस्थान में जो वाटर लेवल डाउन हो रहा है, तो जल संरक्षण से वाटर रिचार्ज होगा, हमारे सोर्सोज रिचार्ज होंगे और वाटर लेवल हाई होगा।

इसके साथ-साथ, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जीरो बजट खेती को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसके लिए किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी तो किसान जीरो बजट खेती को अपनाएंगे... (व्यवधान) मेरे क्षेत्र में सेब का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। मैं चाहूंगा कि अभी वहां इम्पोर्ट ड्यूटी 50 प्रतिशत है, उसे 75 प्रतिशत किया जाए। इसके साथ-साथ वहां लहसून की खेती होती है। चीन से लहसून स्मगल हो कर आता है। उसके आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए, ऐसा भी मैं आग्रह करना चाहूंगा। मैं इस अनुदान मांग का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

^{93*} **डॉ. ए. चेलाकुमार (कृष्णागिरी):** भारत के इतिहास को याद करते हुए, जब वर्ष 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, भारत सभी आवश्यक सेवाओं और जरूरतों में संसाधन रहित था। भुखमरी से लाखों लोगों की मौत हो गई।

प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में अपने प्रयास आरंभ किए। उन्होंने देश में बड़े पैमाने पर बांधों का निर्माण करवाया, औद्योगीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया और उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। उन्होंने इन विकास परियोजनाओं को राष्ट्र के मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे की उपमा देते हुए इन्हें भारत की प्रगति के प्रतीक स्वरूप बताया। इसके आगे, भारत की लौह महिला, उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारतीय कृषि पर ध्यान केंद्रित किया और हरित क्रांति आंदोलन की शुरुआत की। इस परियोजना के माध्यम से हम आत्मनिर्भर और संसाधन-संपन्न बन गए।

किसान समुदाय के लिए संकट और प्राकृतिक आपदाओं के समय में, यूपीए ने देश भर के किसानों के 70,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण माफ करके सहायता और राहत प्रदान की थी। ऐसी ही स्थिति अब सामने आ गई है। बहुत सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से किसानों के ऋण को माफ करने का अनुरोध करता हूँ। सरकार के समक्ष संप्रग सरकार की एक मिसाल उपलब्ध है; अतः उसे पूरे देश के किसानों के ऋण माफ करने पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

सरकार ने 2015 के बाद कृषि में हुए नुकसान और कर्ज से देश में कितने किसानों ने आत्महत्या की है, इसका सर्वेक्षण कराने का भी कष्ट नहीं उठाया।

^{93*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसानों की भी यही स्थिति है। तत्कालीन यूपीए सरकार ने 2011-12 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एन.एस.एस.ओ.) के माध्यम से एक बड़ा प्रतिदर्श सर्वेक्षण कराया।

तमिलनाडु में पंडित नेहरू के पदचिन्हों पर चलते हुए क्रांतिकारी नेता श्री के. कामराज ने कई बांधों का निर्माण कराया, जिनमें कृष्णागिरी में स्थित कृष्णागिरी बांध भी शामिल है। आज यह बांध मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जीवनरेखा बन चुका है।

नारियल का पेड़ हर किसान के लिए उसके बच्चे के समान होता है। जिस प्रकार एक बच्चा 20 वर्षों की कठिन परवरिश के बाद परिपक्व होता है, उसी प्रकार नारियल का पेड़ भी 20 वर्षों में फल देना शुरू करता है। जल संकट और सूखे के कारण फल देने वाला यह पेड़ सूखकर मर जाता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पानी की भारी कमी होने के कारण किसानों को पानी खरीदकर नारियल के पेड़ों को सींचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इससे किसान समुदाय को भारी नुकसान हो रहा है। इसके बावजूद, कई पेड़ सूख जाते हैं। नारियल के पेड़ की उपज नारियल उत्पादकों के लिए एकमात्र जीवन स्रोत है। जिस दिन वह किसी भी रूप में उत्पादन करने में असमर्थ हो जाएगा, उसके जीवन पर पूर्ण विराम लग जाएगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उनके नुकसान की भरपाई करे और उनके अस्तित्व के लिए समाधान लागू करे।

गन्ना किसान गहरे संकट में हैं और उनके आंसू इस बात का प्रमाण हैं कि उनकी कड़ी मेहनत से अर्जित आमदनी गन्ना मिलों द्वारा भुगतान में देरी के कारण अटकी हुई है। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूँ कि वह शीघ्र संभव कदम उठाकर गन्ना मिलों से किसानों का लंबित भुगतान तुरंत सुनिश्चित करे, ताकि वे अपनी रोजी-रोटी निर्बाध रूप से चला सकें।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मूंगफली उत्पादक बड़ी संख्या में हैं। पिछले वर्षों में यह राजस्व पैदा करने वाली फसल थी। वर्तमान में, इस फसल का विपणन केंद्र सरकार के कर ढांचे के कारण लाभकारी नहीं है।

कृष्णागिरी में, 2 लाख हेक्टेयर भूमि में आम की खेती होती है। प्रति वर्ष लगभग 10 लाख टन आम की खेती की जाती है। बड़ी मात्रा में इमली की पैदावार भी होती है। कृष्णागिरी इमली बाजार भारतीय इमली

की कीमत तय करता है। किसानों द्वारा प्रति वर्ष 30 टन टमाटर/एकड़ उत्पादन के साथ 6000 एकड़ में टमाटर की खेती की जाती है। इसी तरह पुदीना, धनिया, पत्ता गोभी, फूलगोभी, केला, बटन गुलाब, शिमला मिर्च, अंग्रेजी खीरे की खेती बड़ी मात्रा में होती है। मेरा सरकार से कृष्णागिरी जिले के कृष्णागिरी, शूलगिरी, थल्ली और रायकोत्ताह क्षेत्रों में कोल्ड स्टोर्स को स्थापित करने का अनुरोध है।

कृष्णागिरी में लगभग 2000 एकड़ पॉलीहाउस (संरक्षित खेती) और लगभग 1000 एकड़ छायागृह हैं। इन घरों में मुख्य फसल गुलाब, जरबेरा फूल और शिमला मिर्च है। प्रतिदिन लगभग 20 लाख गुलाब की टहनियां और 4 लाख जरबेरा फूल उत्पादित होते हैं। इसके अतिरिक्त, चमेली की खेती भी बड़े पैमाने पर की जाती है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि कृष्णागिरी में एक इत्र निर्माण उद्योग स्थापित किया जाए ताकि किसान अपनी उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।

केंद्र की कांग्रेस सरकार किसान क्रेडिट कार्ड योजना लेकर आई थी, जिसमें कोई भी किसान बिना जमानत प्रतिभूति के 1 लाख रुपये ऋण ले सकता है। वर्तमान सरकार ने इसे 1.6 लाख रुपये तक बढ़ा दिया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इसे आज के मौद्रिक मूल्य के अनुसार बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया जाए। इसे बीमा से जोड़ा गया है। इससे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि चुनिंदा किसानों की फसलों को चुनिंदा बीमारियों के कारण नुकसान होता है, तो बीमा कंपनियां किसानों को मुआवजा देने से इनकार कर देती हैं।

मनरेगा योजना कांग्रेस सरकार का अद्वितीय प्रमुख कार्यक्रम है। यह करोड़ों ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहा है। यह उनके लिए आजीविका बन गया है। सरकार ने इस योजना के लिए धन का आबंटन कम कर दिया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह आबंटन बढ़ाए और उन्हें 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन का रोजगार उपलब्ध कराए तथा उनकी मजदूरी भी बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन करे।

[हिन्दी]

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): सभापति महोदया, आपने मुझे कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास बजट के अनुदान एवं मांग पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

महोदया, किसानों की आय दोगुना करने के लिए हमारी सरकार ने कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए अगले पांच वर्षों में 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनाने का लक्ष्य रखा है। आज तक देश में कृषि को एक व्यवसाय के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। इसे और अधिक लाभदायक बनाने और अन्य व्यवसायों के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यवसाय के रूप में खेती का हम स्वागत करते हैं।

महोदया, आज देश में दुग्ध की जितनी मात्रा है, उसकी मांग के अनुसार दुग्ध की पूर्ति नहीं हो पा रही है। इसके लिए सरकार डेयरी उद्योग को सहकारिता के माध्यम से बढ़ावा दिया जाए।

महोदय, प्रधान मंत्री जी ने हमारे देश के किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने का संकल्प लिया है, उसका प्रतिबिंब इस बजट में दिख रहा है। किसान भाइयों के लिए 'प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के तहत सालाना छः हजार रुपये उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे।

प्रधान मंत्री किसान पेंशन योजना में 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले किसान भाइयों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहयोग दिया गया है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना बनायी है, यह भी बहुत लाभकारी हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत गांवों का देश है तथा इसकी आत्मा गांवों में ही निवास करती है। प्रधान मंत्री जी ने गांव, गरीब, किसान और मजदूरों के लिए काम किया है, इसके लिए मैं यशस्वी प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। प्रधान मंत्री जी ने जैसे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों का निर्माण किया है, उसकी वजह से माल को इधर से उधर ले जाने के लिए बहुत आसानी हुई है। अगर ग्रामीण परिवेश की बात की जाए, तो बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी है। जिन्होंने 60 सालों तक शासन किया है, मैं इन लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने देश के लिए क्या किया? जब अकाल पड़ता था, तब उन्होंने कुछ नहीं

किया, सूखे में उन्होंने कुछ नहीं किया। बाढ़ के समय भी कुछ नहीं किया। साइक्लोन के समय भी उन्होंने देश के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। मोदी जी ने सूखे, बाढ़ और साइक्लोन के समय देश के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। ये लोग चुनाव के समय कुछ-कुछ बातें देशवासियों के हित की करते हैं, लेकिन बाद में इन्होंने कभी कुछ नहीं किया।

महोदय, मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान को इंश्योरेंस नहीं मिलता है, क्योंकि किसान फसल के लिए ऋण लेता है। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि एमएसपी में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं अपने क्षेत्र की बात बताना चाहता हूँ कि किसानों की फसल की केवल 40 परसेंट खरीदी हुई है और 60 परसेंट फसल की खरीदी बाकी है। यह खरीदी भी जल्द होनी चाहिए। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि रण क्षेत्र की जमीन खारी है। डेजर्ट आगे न बढ़े, इसके लिए भी कृषि मंत्रालय को कुछ करना चाहिए। खारी जमीन को मीठी जमीन बनाने के लिए भी कुछ करना चाहिए। कृषि क्षेत्र में नरेगा योजना किसानों के साथ जोड़नी चाहिए।

महोदय, प्रधान मंत्री आवास योजना में वर्ष 2011 के आधार पर मकान मिले हैं। यदि किसी के तीन बेटे हैं, तो उनका क्या होगा? उन्हें प्लॉट भी नहीं मिलता है, मकान भी नहीं मिलता है, इसलिए सरकार को सोचना चाहिए कि उन्हें भी मकान मिले।

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): सभापति महोदया, आज हमारे देश में कृषि से जुड़े किसानों की हालत बहुत खराब है। कभी सूखे के कारण और कभी बेमौसम बरसात के कारण किसान को सहारा देने वाली फसल नष्ट हो जाती है। इसी कारण किसान भारी कर्जे में डूब जाता है और पूरे देश में किसानों की आत्महत्या का प्रकरण चल रहा है। सरकार को इस तरफ गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। किसानों की आमदनी दोगुना करने का सरकार का जो विचार है, इस बारे में मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि किसानों के कृषि यंत्र डीजल और पेट्रोल के सहारे चलते हैं, लेकिन डीजल, पेट्रोल के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। हमारी सरकार से मांग है कि डीजल, पेट्रोल को जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए।

किसानों के कृषि यंत्र, कीट नाशक, खर-पतवार नाशक, जैव उत्प्रेरक सरकारी गोदामों से पूरी कीमत देकर खरीदनी पड़ती है। सरकार डेबिट के माध्यम से किसानों का ही जमा धन उसे वापस करती है, जिससे समय व बैंक की कमी के कारण सरकार का मुख देखना पड़ता है। हमारी माँग है कि सरकार उक्त सभी चीजों पर अनुदानों को काटकर सीधे किसानों को इसकी बिक्री करे। पूर्वांचल में विगत कई वर्षों से सरकारी गोदामों में केवल डाईअमोनियम फॉस्फेट की सप्लाई होती है, जिसमें पोटैश की मात्रा शून्य होती है। इसलिए सरकार से हमारी माँग है कि सरकारी गोदामों में समुचित एनपीके खादों का प्रबंध करे। सरकार उर्वरक बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ पहुँचाने के लिए सीधे अनुदान प्रदान करती है। हमारी माँग है कि सरकार उक्त अनुदानों को सीधे किसानों को प्रदान करे।

किसानों के सारे कृषि उत्पादों को खरीदने के लिए क्रय-मण्डियों की व्यवस्था की जाए अन्यथा बिचौलिए किसानों से औने-पौने दामों पर फल-सब्जियाँ आदि खरीद लेते हैं। हमारी माँग है कि इस क्रय हेतु सीधे किसानों के घर से खरीद की जाए ताकि किसानों को मण्डियों के चक्कर न लगाने पड़ें और उनका सही मूल्य किसानों को मिल सके।

सरकार ने बीमा क्षेत्रों को प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया है, जिससे तमाम प्राइवेट कंपनियों की मिली-भगत से फसल बीमा का पैसा किसानों तक नहीं पहुँच पाता है। इसलिए हमारी माँग है कि फसल बीमा का प्रीमियम सरकार स्वयं ग्रहण करे ताकि किसानों को सीधा लाभ मिल सके।

किसानों को माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा किसान सम्मान निधि के तहत जो व्यवस्था की गई है, उसमें विभिन्न कार्यवाहियों से गुजरना पड़ता है। मेरी माँग है कि जिन किसानों के नाम खतौनी में हैं, उन्हीं किसानों के खाते में सरकार धनराशि ट्रांसफर करे।

मेरे संसदीय क्षेत्र में अब तक केवल 30 प्रतिशत ही भुगतान हो पाया है, शेष भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। सरकार इसकी जाँच कराकर जल्द-से-जल्द भुगतान कराने का प्रबंध करे।

मेरे क्षेत्र में तमाम गरीब किसान और मजदूर हैं, जो कृषि कार्य में निपुण हैं और बंटाई खेती का काम करते हैं। सरकार उनकी जाँच कराकर किसान सम्मान निधि से सम्मानित करने का काम करे।

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) (एटा): माननीय सभापति महोदया, आपने इस हाउस में एक चस्का लगा दिया कि जो बैठेगा, उसको बोलने का मौका जरूर मिलेगा। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप चेयर को अड्रेस कीजिए।

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) : मैडम, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीया वित्त मंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आपस में बात मत कीजिए।

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या): मैं बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा बजट इस सदन में प्रस्तुत किया है। यह देश किसानों का है। यह कृषि प्रधान देश है। जब तक किसान सम्पन्न नहीं होगा, तब तक इस देश की कल्पना करना व्यर्थ है। बहुत-से लोगों ने किसानों के बारे में बात की। हम सब तो किसान हैं, गरीब हैं, लेकिन इधर सभी किसानों की बात कर रहे थे, लेकिन इनमें से एक भी व्यक्ति किसान नहीं था। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप लोग बहस न करें। आप चेयर को अड्रेस कीजिए।

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) : मैडम, हमारी तीन पीढ़ियों ने खेती की है और हम आज भी खेती करते हैं। मैं एक छोटा-सा उदाहरण दूँगा। मेरे बाबाजी खेती करते थे, बहुत कम खेती थी। मेरे पिता माननीय कल्याण सिंह जी भी इस हाउस के सदस्य रहे हैं। मेरे बाबा के पास दो बैल थे, जिनमें से एक बैल मर गया। उससे पहले मेरे पिताजी के भाई मरे थे।

मैडम, मेरे बाबा अपने बेटे के मरने पर उतना नहीं रोए थे, जितना उस बैल के मरने पर रोए थे। उन्होंने यह कहा था कि आज मेरा असली बेटा मरा है। बैल के मरने के अभाव में मेरे पिताजी, माननीय कल्याण सिंह जी की पढ़ाई छूट गई। वे न खेती कर पाए, न दूसरों की मज़दूरी कर पाए। मैं उस परिवार से आता हूँ। इस सरकार ने किसानों के लिए बहुत किया है। मैंने 40 साल की एज में टॉप टू बॉटम देखा है। गरीबी क्या होती है, किसान क्या होता है, 'जाके पैर न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई'। मैं उस परिवार से आता हूँ। किसानों के लिए जितना हुआ, इस बारे में जितनी भी बात की जाए, उतनी कम है।

रात्रि 10.56 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

किसान अन्नदाता है। वह दुनिया का पेट भरता है, लेकिन अपना पेट खाली रखता है।

माननीय अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) : अध्यक्ष जी, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने एक बात कह दी कि किसान अन्नदाता है। इसमें सब बातें आ गई हैं।

...(व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) : ठीक है महोदय, धन्यवाद।

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, देश की आज़ादी के बाद हमारे यहां गांव छोटे, छोटे और छोटे होते गए और शहर लगातार बड़े, बड़े और बड़े होते गए। इस समस्या का निदान अगर किसी ने किया, इस समस्या को अगर किसी ने समझा तो हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने समझा। उन्होंने गांवों के लिए सड़कें, बिजली, पानी, गरीबों के लिए मकान, उनके लिए गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, उज्ज्वला योजना और यहां तक की उनके इलाज की व्यवस्था की।

किसान को उसके पैरों पर खड़ा करने के लिए छः हजार रुपये का पुरस्कार दिया। ये सारी की सारी योजनाएं गांव, गरीब और मज़दूर को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए की गईं। जो ये सारे के सारे काम किए गए हैं, ये आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। इसके लिए मैं उन्हें बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ ही उन्होंने और भी कई नवाचार किए हैं, जैसे मिट्टी का परीक्षण।

देश में पहली बार हर किसान के बारे में विचार हुआ। हर किसान अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाए, लेकिन इसमें कुछ विसंगतियां हैं, जिनका हम थोड़ा ध्यान रखें। सरकार उस पर थोड़ा और विचार करे कि मिट्टी का जो परीक्षण होता है, दरअसल इसका सत्यापन करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, नहीं

तो यह जो नवाचार हो रहा है, इसके प्रति किसानों का आकर्षण भंग होगा, जिससे यह जो लोच है, व्यवस्था है, यह कहीं अधर में न रह जाए। इसलिए कहीं न कहीं इसका पुनर्सत्यापन होना चाहिए।

अगर हमें किसान की आय को दोगुना करना है, जो प्रधान मंत्री जी का सपना भी है, सरकार की योजना भी है, हम उस दिशा में बढ़ भी रहे हैं, लेकिन किसान के पास जिन चीजों की उपलब्धता है, उसका पूरा का पूरा उपयोग कैसे हो, इस पर ध्यान दिया जाए। किसान अनाज पैदा कर लेता है, लेकिन अनाज पैदा करने के बाद जो कृषि अवशिष्ट बचता है, उसका भी उपयोग होना चाहिए। उससे जैविक खाद कैसे बने, इसकी व्यवस्था विशेष सहयोग देकर, अनुदान देकर हर किसान को जैविक खाद बनाने के लिए कहीं न कहीं प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसी के साथ गोबर गैस पर भी सब्सिडी, विशेष अनुदान देने की आवश्यकता है। इसी के साथ-साथ किसान आज भी परंपरागत बीज बो रहा है, लेकिन जितनी बीज उत्पादन कंपनियां हैं, वे किसान को उतना बीज उपलब्ध नहीं करवा पाती हैं, जिस कारण किसान अपने घर का बीज ही बोता है। उसको अच्छे बीज कैसे मिलें, इसकी भी व्यवस्था हमको करनी चाहिए।

रात्रि 11.00 बजे

इसी के साथ-साथ गाय के गोबर, गोमूत्र और नीम की निमोली आदि के द्वारा के.वी.[हिन्दी] के. के माध्यम से कीट नियंत्रक दवाइयां कैसे बनें, इसका प्रशिक्षण भी किसानों को दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण अगर सभा की सहमति हो तो 12 बजे तक सभा की कार्यवाही बढ़ा दी जाए।

अनेक माननीय सदस्य: जी हाँ, ठीक है।

माननीय अध्यक्ष: सदन का समय 12 बजे तक बढ़ाया जाता है।

माननीय सदस्यों से मेरा इतना आग्रह है कि सारगर्भित भाषण तो आप सभी ने सुन लिया है। अगर आपके इलाके की कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए।

[अनुवाद]

^{94*} श्री गुरजीत सिंह औजला (अमृतसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सभा देर रात तक चल रही है और इसका सारा श्रेय आपको जाता है। आप सभी सदस्यों को इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति दे रहे हैं। मैं इस प्रयास के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

महोदय, देश की 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। पंजाब में 12,278 गाँव हैं, और कृषि के तहत क्षेत्र कुल क्षेत्र का केवल 1.5% है। हालांकि, हम पूरे देश के लिए केन्द्रीय अन्न भंडार पूल में खाद्यान्नों के बड़े हिस्से का योगदान करते हैं। अफसोस की बात है कि महोदय, चूंकि कृषि को अब लाभकारी नहीं माना जाता है, इसलिए पंजाब के युवा रोजगार की तलाश में विदेशों में पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। पंजाब के युवक विदेशों में गोरे लोगों के खेतों में हल चला रहे हैं। यहां एक विडंबना यह है कि हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इन विदेशी लोगों को अपने देश से निर्वासित किया था।

महोदय, किसान अशिक्षित हैं लेकिन इसकी चिंता किसी को नहीं है, महोदय, बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए और आबंटित धन का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि किसानों के बच्चे शिक्षित हो सकें। तभी उन्हें लाभकारी खेती के बारे में कुछ पता चलेगा। पंजाब में जिला स्तर पर अधिक अनुसंधान और विकास केंद्र खोले जाने चाहिए ताकि यह राज्य में कृषि को बढ़ावा दे सके। किसानों को ट्रैक्टर और अन्य उपकरण आसानी से उपलब्ध कराए जाने चाहिए और जी.एस.टी. को माफ किया जाना चाहिए।

महोदय, पंजाब में भारत-पाक सीमा पर कंटीली तारों की बाड़ के बाहर बहुत सारी खेती योग्य भूमि स्थित है। किसानों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है और इस क्षेत्र में खेती करने के लिए बहुत

^{94*} मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

कम समय मिलता है। इसलिए, सरकार को विशेष रूप से इस मामले पर ध्यान देना चाहिए और ऐसे किसानों को राहत देनी चाहिए।

महोदय, पंजाब बहुत सारे कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, जिसका असर कई वर्षों और उससे भी अधिक समय से आतंकवाद के दौर से चला आ रहा है। मैं सरकार से इस संचित ऋण को माफ करने और पंजाब को राहत देने का आग्रह करता हूँ।

महोदय, पंजाब में जिला स्तर पर आधुनिक प्रयोगशालाएं खोली जाएं।

नकली दवाओं और उर्वरकों का परीक्षण करना आवश्यक है। पंजाब में भू-जल स्तर काफी नीचे चला गया है। 15 लाख ट्यूबवेल सिंचाई के लिए पानी निकाल रहे हैं। यह पानी पूरे देश के लिए खाद्यान्न उगाने के लिए आवश्यक है। पंजाब में भूजल पुनः भराव नहीं हो रहा है। हमारा हरियाणा के साथ नदी के पानी को लेकर लम्बे समय से विवाद चल रहा है। इसका भी जल्द से जल्द समाधान किया जाना चाहिए। जब समझौता हुआ था स्थिति वर्तमान स्थिति से अलग थी।

महोदय, अमृतसर में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सरकार द्वारा बाजार उपलब्ध कराए जाने चाहिए। पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री के सहयोग एवं प्रोत्साहन से फल और सब्जियां उगाई जा रही हैं। ये नाशवान वस्तुएं हैं जिन्हें शीघ्र निर्यात किया जाना चाहिए। अतः पंजाब में ऐसी वस्तुओं के लिए कोल्ड स्टोरेज की सुविधा भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

महोदय, इन दिनों करतारपुर साहिब कॉरिडोर चर्चा में है। अपने अंतिम वर्षों में गुरु नानक देव जी भी एक किसान बन गए थे। रामदास और डेरा बाबा नानक के बीच उनके नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। यह केंद्र श्री गुरु नानक देव जी को समर्पित होना चाहिए।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

डॉ. सुकान्त मजूमदार (बालूरघाट): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं, जो बंगाल से हैं।

डॉ. सुकान्त मजूमदार: अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार चुनकर आया हूँ और यह मेरी जिन्दगी का पहला चुनाव था। मुझे जिन्दगी में कभी चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं मिला। आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए धन्यवाद। हम भूखे बैठे रहे हैं और सोच रहे थे कि सदन में बोलकर ही खाना खायेंगे। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय अर्थ मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी उनको शुभकामनाएं हैं कि उन्होंने फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर होकर बजट पेश किया है। अभी तक सारी बातें हो चुकी हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री कृषि सम्मान निधि स्कीम जो इस बजट में आई और इसके बहुत पहले से वह चालू भी हो चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि इस देश में सब कुछ स्मूथली चलता है, लेकिन जब योजना पश्चिम बंगाल में जाती है तो वहां स्पीड ब्रेकर में जाकर अटक जाती है।

इस सम्मान निधि की जो बात है, उसमें पैसा किसानों को अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि वहां जो लिस्ट आनी थी, वह लिस्ट नहीं आई है। यही प्रॉब्लम है। पश्चिम बंगाल में जो किसान हैं वह बहुत दुखी हैं। हमारे दोस्त जो कभी उधर बैठते हैं, कभी नहीं बैठते हैं, उनकी सहायता अगर इनको मिल जाए, उनको अगर थोड़ी सी दया कृषकों पर आ जाए तो कृषकों की जिंदगी में थोड़ी आसानी होगी।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो मैं बोलना चाहता हूँ, वह है प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना। अगर कोई बंगाल की बात करें और मछली यानी फिश के बारे में बात नहीं करे तो वह बंगाली नहीं है। प्रधान मंत्री जी वैसे तो वेजीटेरियन हैं, वह मछली नहीं खाते। हम तो खाते हैं, लेकिन अच्छा लगा कि उन्होंने 'न खाऊंगा, न खाने दूंगा' यहां पर इम्प्लाइ नहीं किया। यह विभाग, जो उन्होंने बनाया है, इसमें 805 करोड़ रुपये उन्होंने दिए हैं।

मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा संसदीय क्षेत्र बालूरघाट है, जो उत्तर बंगाल क्षेत्र में आता है। यह फिश के लिए बहुत ही फेमस है। गंगारामपुर नाम की एक जगह है, जहां की फिश थ्रू आउट नॉर्थ बंगाल में मिलती है। आप सिलीगुड़ी में जाएंगे, कभी मैं वहां पर पढ़ाता था, तो वहां पर जो मछली मिलेगी उसे बोलेंगे कि

गंगारामपुर की मछली है। अगर वहां पर एक रिसर्च कम प्रोडक्शन सेंटर खुलवा दिया जाए तो वहां के जो फिशरीज के लोग हैं, उनको बहुत सुविधा होगी।

तीसरी बात, जो मैं बोलना चाहता हूं, वह यह है कि मेरा जो एरिया है, यह एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया है। यहां पर कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। लोगों की जो इन्कम होती है, वह पूरी इन्कम वेजीटेबल्स, फ्रूट्स से आती है। अतः वे इन वेजीटेबल्स को कुछ समय के सुरक्षित लिए रख पाएं तो इसके लिए कोल्ड स्टोरेज की बहुत जरूरत है। अगर कोल्ड स्टोरेज का इंतजाम वहां किया जाए तो वहां पर जो किसान हैं, उनको अपने काम में बहुत सुविधा होगी।

महोदय, इसके पश्चात मैं बोलना चाहता हूं कि जो 10 हजार से ज्यादा फार्मर्स न्यू प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद बोलना चाहता हूं। अंत में जो रूरल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है और जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वह है स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय शुरू हुई प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना। मैं अपने घर के पास एक स्कूल में नौकरी करता था। मेरी जिंदगी की शुरुआत उस स्कूल की नौकरी से हुई थी। अभी मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं। मैं जब बारिश के समय स्कूल आता था, तो उस स्कूल के जो सीनियर टीचर्स थे, वे हफ्ते में दो दिन आते थे, बाकी समय स्कूल नहीं आ पाते थे, क्योंकि आने और जाने के लिए कोई रोड नहीं थी। प्रधान मंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब वर्ष 2004 में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की तो उसके बाद उस स्कूल तक रास्ता पहुंचा और टीचर्स स्कूल जाने लगे। इससे रूरल डेवलपमेंट में तेजी आई। रूरल डेवलपमेंट की जो बात है, हमारा जो क्षेत्र है, उसके बारे में अगर बात करें, तो वहां पर पैसा अलॉट होता है, आप सबको पता है कि लॉकेट जी ने कट मनी कर दिया है। कट मनी इशू होने के कारण जो रोड बनती हैं, वे बारिश के कारण कुछ दिन बाद ही नष्ट हो जाती हैं। अगर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से वहां के लिए ज्यादा फंडिंग की बात होती है, तो काफी आसानी हो जाएगी। इसके साथ ही आप सबको धन्यवाद देकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज हम जिस किसान की बात करते हैं, असल में जो फार्म हाउस का मालिक है, वह किसान है, बाकी जो खेती करने वाला है वह सारा मजदूर है और मजदूर खुद भूखा रहकर न केवल देश का पेट भरता है, बल्कि देश की सुरक्षा करने वाला सैनिक भी उसी के परिवार में पैदा होता है। आजादी से पहले खेत में काम करने वाले लोगों की पोजीशन बहुत बढ़िया थी। बीच के 50-60 सालों के दौरान, जब सरकार दूसरी पार्टी की थी, खेती करने वाले मजदूर की हालत और ज्यादा पतली हो गई। इसलिए अब जो नया बजट दिया गया है, खासकर खेती-बाड़ी के बारे में, ग्रामीण विकास के बारे में, सिंचाई के बारे में, तो इसकी अनुदान मांगों के बारे में हम बोलना चाहते हैं।

महोदय, मेरी प्रार्थना है कि जिस प्रकार से एमएसपी बढ़ाया गया है, खासकर हमारे इलाके में, सरसों, बाजरा ज्यादा पैदा होता है और दोगुने से ज्यादा इसका भाव दिया गया, लेकिन इसके साथ-साथ इसके दाने-दाने की खरीद का प्रबंध भी हो। केवल 25-30 प्रतिशत ही सरसों और बाजरा खरीदा जाता है। यह मेरी अनुदान मांगों में एक छोटी सी डिमांड है। इसके अलावा, चूंकि आजकल कहीं पर सूखा ज्यादा है और कहीं बाढ़ ज्यादा है, इसलिए जब तक नदियों का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, तब तक सारे प्रदेश आपस में लड़ते रहेंगे।

मेरा हाउस से भी, आपसे भी और मंत्री जी से भी प्रार्थना है कि देश की नदियों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इसके अलावा बहुत-सी ऐसी चीजें हैं कि जो मजदूर है, जब वह मजदूरी करता है, इसके बाद वैल्यू एडिशन के लिए फूड प्रोसेसिंग का एग्रीकल्चर के माध्यम से एक अलग डिपार्टमेंट है। हमारे इलाके में बहुत-सा प्याज और टमाटर एक रुपये किलो के भाव से बिकता है। हम दिल्ली के बिल्कुल नजदीक हैं। अगर हरियाणा प्रदेश को भी, जैसे गुजरात और आन्ध्र प्रदेश को टमाटर और प्याज का फूड पार्क दिया है, कोल्ड चेन दी गई है। इसी प्रकार से हर प्रदेश को जिलेवार छोटे फूड पार्क मिल जाएं। इस प्रकार की चेन हो जिसमें कोल्ड स्टोरेज भी हों, खासकर टमाटर और प्याज के प्रोसेसिंग के लिए हरियाणा प्रदेश को जरूर मिलना चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है।

इसी प्रकार से कुछ स्कीमें ऐसी हैं, जैसे 6,000 रुपये जो दिए गए हैं, बहुत से राज्यों ने अपना भी फंड दिया है। मैं आपके माध्यम से उन राज्यों से भी प्रार्थना करता हूं कि इसमें वे भी अपना कुछ न कुछ अनुदान दें, क्योंकि यह जो 6,000 रुपये वाला है, इसमें सारे बड़े-छोटे किसान और मजदूर ले लिए गए हैं, परंतु कई पोर्टल बंद होने की वजह से अभी-भी बहुत बड़ी संख्या उसमें शामिल नहीं है। उनको दोबारा से आदेश दिया जाए। इसी प्रकार से आयुष्मान भारत की जो पॉलिसी है, वह अभी बहुत धीरे चल रही है। इसको सरल भाषा में किया जाए, ताकि गांव का मजदूर और किसान इसके अंदर है, उसको भी इसमें शामिल किया जाए।

तीसरे, यह जो यूरिया, डीएपी और इस प्रकार की जो कीटनाशक दवाइयां हैं, इनकी वजह से आज हर आदमी जहर खाता है। हम जब गाय और भैंस का दूध पीते हैं, तो उसमें भी कहीं न कहीं जहर की मात्रा अपने आप शामिल हो जाती है। कृषि मंत्रालय के माध्यम से यह कोशिश की जाए कि डीएपी की सब्सिडी, यूरिया की सब्सिडी और कीटनाशक दवाइयों की सब्सिडी का पैसा सभी किसानों को सीधे दिया जाए। उसमें हम आर्गेनिक फसल पैदा करें, उसके बाद इन दवाइयों के ऊपर खर्च होने वाला पैसा, जो बीमारियों पर खर्च होता है, उससे बचने वाला पैसा, यह देश दोबारा से एक अच्छा इंसान पैदा करे। आज हकीकत यह है कि कई बार कुत्ते भी हमारी गिरी हुई रोटी को नहीं खाते हैं। वे भी सूंघकर चले जाते हैं। उनको पता है कि इसमें जहर है। लेकिन इंसान बेचारा क्या करे? हमें उसी जहर को खाना पड़ता है। इसलिए यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

महोदय, वाटर रिचार्ज के लिए मेरी एक छोटी-सी प्रार्थना है कि मनरेगा के अंदर जो 60-40 का अनुपात है, किसी प्रकार से जब तक आप वहां पर मशीनरी को इजाजत नहीं देंगे, वे तालाब एक रबड़ का रूप ले चुके हैं, उनको खोदा नहीं जा सकता है। जब तक उनकी खुदाई नहीं होगी, तो पानी का रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। इसलिए, आप कोशिश करें कि उसमें किसी प्रकार से जेसीबी से भी खुदाई का प्रावधान हो सके।

श्री बसंत कुमार पांडा (कालाहाण्डी) : माननीय स्पीकर महोदय, मैं पहली बार सांसद बनकर आया हूँ और मेरा प्रदेश ओडिशा है।

माननीय अध्यक्ष : आप सदन में कई बार बोल चुके हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस सदन में जो पहली बार सदस्य बनकर आए हैं, कई सदस्य 15 दिनों के अंदर पांच से सात बार बोल चुके हैं।

...(व्यवधान)

श्री बसंत कुमार पांडा : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बोला है कि मैं पहली बार जीतकर आया हूँ आपके आशीर्वाद से बोल भी चुका हूँ। मैं ग्रामीण विकास तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर पहली बार बोल रहा हूँ। मैं जिस प्रदेश से आया हूँ, वहां कभी बाढ़ आती है, कभी सुखाड़ होता है और कभी चक्रवात आता है। इस साल भी फेनी चक्रवात से हमारे प्रदेश के पांच जिले बहुत बुरे ढंग से प्रभावित हुए हैं। लेकिन हमारे संवेदनशील यशस्वी प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि फेनी चक्रवात आने के पहले और उससे समाज को बचाने के लिए पैसा अलॉट किया था। वह खुद फेनी चक्रवात आने के बाद वहां पर देखने के लिए गए थे और फिर पैसे दिए थे। अभी-अभी घोषणा हुई है कि जितने भी मकान टूट गए हैं, प्रधान मंत्री आवास योजना में उनको जोड़ दिया जाएगा। इसलिए, मैं पहले धन्यवाद देता हूँ। मैं माननीय प्रधान मंत्री के प्रति कृतज्ञ हूँ। चाहे वह प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, चाहे वह प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना हो, उसमें बहुत सारे लोग नहीं हैं।

कैसे किसान की इनकम दोगुनी की जाती है। वह सब बहुत सारे लोग बोल चुके हैं। उसमें प्रधान मंत्री आवास भी आता है, सौभाग्य योजना में बिजली भी आती है। आयुष्मान योजना में दवाई भी आती है। दीन दयाल ज्योति योजना में लाइट की बात की भी आती है। उज्जवला योजना में एलईडी बल्ब की भी बात आती है। उज्जवला योजना में गैस सिलेंडर की भी बात आती है। हर तरीके से किसान का खर्चा कैसे कम हो और आसानी से हंसी-खुशी से साधन-संपन्नता के साथ जिंदगी जिए, यह कोशिश हमारी सरकार कर

रही है। उद्यम, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम और पुरुषार्थ लगाते हुए, जो देश बहुत सालों से साधु, नेता, दादा, बाबू, लाला, झोला, टाउटर एवं दलालों के चंगुल में कराह रहा था, उसको बचाते हुए गांव, गरीब, किसान और मजदूर का भला कैसे हो, शिक्षा, शस्त्र, सम्मान से कैसे जनता वंचित न हो, कैसे गांवों से पलायन न हो, कैसे गांव फिर से आबाद हों, मैं एक लाइन बोल कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र की यह बात है। आज 16 जुलाई है और मंडी में अनाज पड़ा हुआ है। ओडिशा सरकार खरीद ही नहीं है। आज यहां पर हम 16 जुलाई और 17 जुलाई के बीच में बैठे हैं। अभी भी धान मंडी में है क्योंकि ओडिशा सरकार मिल मालिकों के चंगुल में फंसी हुई है। धान खरीदी नहीं की है। आरोप लगा रहे हैं, आज मेरे पास फोन आया था कि केन्द्र सरकार अनुमति नहीं दे रही है, इसीलिए हम धान खरीद नहीं पा रहे हैं। इसका क्लैरिफिकेशन माननीय कृषि मंत्री जी को देना चाहिए। मेरा यह निवेदन है। मेरा एक और निवेदन है कि हमारे उडिया में बोलते हैं कि खेत के मुड़ा, घर के बूढ़ा। इसका मतलब यह होता है कि घर में बुजुर्ग और जमीन में एक तालाब। मैं निवेदन करूंगा कि मनरेगा के माध्यम से देश के हर किसान के खेत में एक तालाब अगर खुदवाया जाए तो जल संचय की जो भावना मन की बात के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी ने की है, वह बहुत जल्दी सफल होगी। मैं ग्रामीण विकास मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने एक करोड़ 95 लाख रुपये प्रधान मंत्री आवास आने वाले दिनों में लोगों को दे कर के सन् 2022 तक हर घर पक्का घर बनाने जा रहे हैं। मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा। और ज्यादा समय मिलता तो और भी बहुत कुछ बोलता। लेकिन मैं आखिर में धन्यवाद दूंगा कि फार्मर प्रोड्यूसर सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो बनाने जा रहे हैं, इसके प्रति भी ज्यादा ध्यान दिया जाए और अच्छे तरीके से इसमें महिलाओं भी भागीदारी हो, महिला शक्ति का मूल्यांकन करते हुए इतना निवेदन कर के मैं आपको धन्यवाद दे कर कृतज्ञता के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री गुहाराम अजगल्ले (जांजगीर-चांपा): माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए मैं अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। हमारी वित्त मंत्री महोदया ने बजट भाषण में स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार की कोई भी योजना है, नीति है, उसका केन्द्र बिंदु गांव, गरीब और किसान है। महात्मा गांधी का सपना था कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है।

महोदय, गांवों में अधिकांश रहने वाले लोग किसान होते हैं। उनके रोजमर्रा के कामकाज और जीवन-यापन खेती-किसानी पर आधारित होते हैं।

महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष मनाने वाले हैं। श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने इस महात्मा गांधी जी के जयंती वर्ष में किसानों की आय दोगुनी हो, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल प्रारम्भ की है। मैं कुछ बिन्दुओं पर अपने विचार इस सदन में निश्चित रूप से रखना चाहता हूँ। मैं किसानों को दो श्रेणी में देखता हूँ- साधारण किसान और उन्नत किसान। उन्नत किसान कौन हैं, इस पर मैं अपना विचार एक उदाहरण के रूप में आपके सामक्ष रखना चाहूँगा। मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक किसान के पास मात्र आधा एकड़ जमीन है। वह प्रतिवर्ष उस आधे एकड़ जमीन में पाँच लाख रुपये की आमदनी करता है, फूलों की खेती करता है। जिन किसानों के पास सुविधा है, वे उन्नत हैं, सम्पन्न हैं। जिन किसानों के पास सुविधा नहीं है, वे आज दीन-दुःखी ज़िन्दगी जी रहे हैं।

महोदय, मैं कम समय में अपने विचार इस सदन में रखना चाहता हूँ। जिस प्रकार किसी शहर और नगर की प्लानिंग की जाती है और उस नगर और शहर की प्लानिंग में यह देखा जाता है कि पानी कहाँ से आएगा, पानी कहाँ जाएगा, कहाँ पर स्कूल रहेगा, कहाँ पर खेल का मैदान रहेगा, आज खेतों की स्थिति को देखिए, किसानों की स्थिति को देखिए, एक किसान आज अपने खेत में काम करने के लिए नहीं पहुँच सकता। उसे 15 अन्य किसानों के खेतों से गुजरते हुए अपने खेत में जाना पड़ता है। किसानों के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। आज नहीं तो दस साल के बाद सरकार को प्लानिंग बनानी पड़ेगी और व्यवस्थित खेती के लिए किसानों को सुविधा मुहैया करानी पड़ेगी। आज किसान सरकार के ऊपर पूर्णतः आश्रित है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अच्छा बोल रहे हैं।

श्री गुहाराम अजगल्ले: महोदय, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। आप किसानों को बेहतर सुविधा मुहैया करा दीजिए। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि किसान खुश होकर अधिक लाभ कमाते हुए सरकार को टैक्स के रूप में अपना सहयोग देगा, उसी पर सरकार चल सकती है। एक न एक दिन किसानों के हित के लिए उनको अधिक लाभ दिलाने के लिए देश में प्लान बनाने की नितान्त आवश्यकता है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री गुहाराम अजगल्ले: बहुत सारे मैटर्स, बिन्दु हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात अन्य किसी मौके पर उठा लीजिएगा।

...(व्यवधान)

श्री गुहाराम अजगल्ले: महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री राजीव प्रताप रूडी।

मैं चाहूँगा कि आप संक्षेप में अपनी बात कह दें। मुझे घंटी नहीं बजानी पड़े। आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने कहा था कि भाषण से पहले परिचय दे दें। मैं सारण जिला, बिहार, छपरा से जीत कर आता हूँ। चौथी बार लोक सभा में और बाकी समय राज्य सभा में रहा हूँ। महोदय, आज अपना परिचय देना भी, मैं इसलिए प्रासंगिक महसूस करता हूँ कि इसके पहले मैं जब-जब लोक सभा में जीत कर आता था, या तो मैं ज्यादा समय दिल्ली में रहता था, कुछ उससे ज्यादा आगे निकला तो पटना तक पहुँच गया। लेकिन आज का मेरा जो पता है, वह मेरे गाँव का पता है। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, बाकी जो हमारे बिहार के मित्र हैं, अगर आज इस देश में किसी को मुझसे मिलने आना है तो उसको गाँव में आना पड़ता है।

इसके पीछे कारण यह है कि 5 साल में मेरा गाँव बहुत साधन, सम्पन्न हो गया है। आप उदाहरण देख लें, महोदय, आपके आगमन का भी एक बार मौका मिला था।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: मुझे भी मिला है।

श्री राजीव प्रताप रूडी: आपको भी मिला है। आज मैं अपने गाँव में क्यों न रहूँ, आज यह देश प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को इसीलिए याद करता है और मेरे जैसा गाँव आज भारतवर्ष में हजारों की संख्या में हैं। जहाँ 24 घंटे बिजली हो, जहाँ इंटरनेट की सुविधा हो, जहाँ चमचमाती हुई सड़क हो, जहाँ एम्बुलेंस की सेवा हो, जहाँ नहर में पानी हो और जहाँ पूरा वातावरण वृक्षों से भरा हो, तो आखिर ऐसे गाँव में इस देश में लोग जाना क्यों नहीं चाहेंगे? हमने पिछले 5 वर्षों में साबित कर दिया कि आज शहर के लोग देहात की तरफ चले। यह देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की देन है और यह सच्चाई है। मेरे जैसा आदमी, मैं पेशे से प्रोफेसर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं हवाई जहाज उड़ाता हूँ, लेकिन आज मैं वापस लौटकर अपने गाँव जाता हूँ और अगर मुझे सबसे ज्यादा सुकून कहीं मिलता है, तो वह अपने गाँव में मिलता है। अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है, तो वह देश के प्रधान मंत्री जी हैं। मैं आपके और सदन के सामने 2-3 छोटे-छोटे तथ्य और रखूँगा।

महोदय, बिहार में प्रधान मंत्री सड़क योजना बहुत एंबिशियस है। किसी कारण से पुरानी सरकारों ने हमारी सड़कों का निर्माण लंबित रखा। पूरे भारतवर्ष में फेज वन खत्म हो गया, फेज टू खत्म हो गया और इस बार तोमर साहब, आप लोगों ने घोषणा की कि फेज थ्री शुरू हो गया है। दुर्भाग्य से जो भी कारण हो, बिहार में केवल फेज वन समाप्त हुआ है, अभी फेज टू की सिर्फ शुरुआत ही हुई है और हमें फेज थ्री तक पहुँचना है।

माननीय मंत्री जी, आज पूरे भारतवर्ष में बिहार में सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ है। पहले महाराष्ट्र की बात करते थे, पंजाब की बात करते थे, गुजरात की बात करते थे, आज हाईएस्ट जीडीपी अगर पूरे भारत में किसी प्रान्त की है, अब वह प्रान्त पंजाब नहीं है, अब वह प्रान्त बिहार है। कृपया, हमारे रोड्स की जो संख्या है, उसके अनुसार वह राशि दे दीजिए। फेज टू और फेज थ्री की योजना को साथ जोड़कर काम करा दें, तो हमें उसका लाभ मिल सकेगा और बिहार में हम उसका लाभ उठा सकेंगे। सड़कों की गुणवत्ता में आपने थ्री टियर मैकेनिज्म बनाया है, बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, लेकिन ग्रामीण सड़क योजना में जो सड़कों का निर्माण होता है, भारत में कहीं भी सड़क निर्माण के लिए सरकार कम पैसा नहीं देती है, लेकिन अगर निम्न कोटि का निर्माण होता है, तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि फिर दोबारा 5 साल तक वह सड़क नहीं बनती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ।

महोदय, आपको और सदन को यह जानकर सदमा लग जाएगा और इस पर आपको लॉक लगाना होगा। हमारे यहाँ एक परम्परा है, अगर कहीं 1 या 2 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है, उसका 3 करोड़ का टेंडर होना है, तो वहाँ के 10 लोग एकत्रित होकर टेंडर करते हैं और उसको 10 परसेंट ज्यादा डालते हैं। वे सब लोग टेंडर में एक ही दाम देते हैं। जब सबका टेंडर एक हो जाता है, तो फिर वहाँ लॉटरी होती है। बिहार में ग्रामीण सड़क निर्माण में 95-98 और 100 फीसदी तक सभी टेंडर लॉटरी पर डिसाइड होते हैं। यह खतरनाक चीज है। इससे देश के राजस्व का भी नुकसान होता है। मुझे पता नहीं है कि इसके बारे में किसी ने पता लगाया या नहीं, हमारे यहाँ 95 परसेंट टेंडर लॉटरी के द्वारा निर्धारित होते हैं। सब ठेकेदार मिलकर टेंडर डालते हैं और उसमें बढ़ी हुई राशि की जो आमदनी होती है, उसे वे लोग आपस में बाँट लेते हैं।

महोदय, इसकी जाँच कराई जाए। मैंने यह मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दिया है और माननीय मंत्री जी मैं इस मामले को आपके संज्ञान में भी देता हूँ। सारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय आदि तमाम जिलों में ऐसा हो रहा है। इन जिलों में 8-10 ठेकेदार हैं, वे सभी सड़कों के लिए टेंडर डालते हैं। वे टेंडर में एक ही दाम डालते हैं और फिर वे उस बढ़ी हुई राशि का बँटवारा करते हैं। संजय जायसवाल जी हमारे चीफ व्हिप साहब हैं, आप उनसे भी इस बारे में पूछिए। उस टेंडर के लिए लॉटरी होती है। भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर एक बार जाँच की जरूरत है।

महोदय, मैं अपना अंतिम विषय कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। मनरेगा के लिए हमारी सरकार ने इस बार 60 हजार करोड़ रुपये दिए हैं। मनरेगा में वृक्षारोपण का कार्य हो रहा है और देश के प्रधान मंत्री जी ने इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कहा है। वृक्षारोपण के कार्य में हम सब लोगों को एक नीतिगत परिवर्तन लाना होगा। अभी हम जितना कुछ भी पैसा देते हैं, वह वृक्ष लगाने के लिए देते हैं, उसकी देखरेख के लिए देते हैं। अगर इस योजना में यह मूलभूत परिवर्तन किया जाए कि अगर किसान की 1 एकड़ जमीन है, वह उसमें 1 हजार पेड़ लगाना चाहता है, 3 साल की आयु तक उन 1 हजार पेड़ों का क्या खर्च आता है, मैं उसके खेत में पेड़ लगाने दूँगा, 3 वर्षों का उसके एकाउन्ट के सामने डेबिट करूँगा और अगर 3 वर्ष के बाद कर्मचारी, सीओ जाकर 1 हजार पेड़ों की गिनती कर लेगा, तो उस अनुपातिक राशि से मैं उसके खाते में इतने पैसे जमा कर दूँगा और वह 10-20 साल के बाद उसकी सम्पत्ति होगी। अगर इसमें यह मूलभूत परिवर्तन किया जाए, तो भारत में वृक्षारोपण का कार्य, जो मनरेगा से हो रहा है, उसमें एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है और देश में एक बड़ी क्रान्ति हो सकती है। मैं इस बारे में विस्तार से माननीय मंत्री जी और सदन को बताना चाहूँगा।

महोदय, 'दिशा' समिति एक अचूक व्यवस्था है। 'दिशा' की बैठकों को माननीय मंत्री जी और मजबूत करें। अगर अधिकारी 'दिशा' के निर्णयों की सुनवाई नहीं करते हैं या उसकी बैठकों में उपस्थित नहीं होते हैं तो यह अच्छा नहीं है। इसलिए अगर आप 'दिशा' के समन्वय की कार्रवाई को जितना मजबूत करेंगे, उतनी ही हम सांसदों को ताकत मिल सकेगी, उतनी ही मजबूती से हम काम कर सकेंगे। यदि हम लिखित रूप से

उसके एजेंडा के अनुपालन के बारे में जानकारी देते हैं तो भारत सरकार अगर उस पर अपना निर्देशन देगी, उस पर कार्रवाई करेगी तो हम सभी सांसदों को ताकत मिलेगा और क्षेत्र की जनता को लाभ होगा।

महोदय, इतना ही कह कर, बस ये तीन-चार विषय हैं, इस मंत्रालय के बजट को मेरा समर्थन है।

महोदय, माननीय तोमर जी सभी विषयों को बड़े सब्र के साथ सुनते और समझते हैं। इस देश के निर्माण में ग्रामीण विकास की एक बड़ी भूमिका है। हम सब आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

महोदय, अपने इतिहास का स्मरण करना अच्छा होता है। ग्रामीण सड़कों की योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में प्रारम्भ हुई, लेकिन इस योजना का रंग-रूप तैयार करने वाले वेंकैया नायडू जी थे, जो आज दूसरे सदन में हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इस बड़ी योजना से देश को बड़ा लाभ हुआ।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी।

रीता बहुगुणा जी उत्तर प्रदेश में मंत्री थीं और मंत्रिपद को छोड़ कर संसद में आई हैं। इससे संसद का सम्मान बढ़ा है।

प्रो. रीता बहुगुणा जोशी (इलाहाबाद): आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान माँगों पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ।

महोदय, कुछ वर्ष पूर्व और अभी कुछ समय तक, इस सदन का लोगों के मन में जो एक चित्र था, वह यह था कि यह एक राजनीतिक दंगल है। पर, जब से आपने कुर्सी संभाली, तब से मैं समझती हूँ कि जिस सौहार्द के साथ यह सदन चल रहा है, यह बिल्कुल अच्छी अनुभूति दे रहा है। हमारे सदन के बारे में परसेप्शन बदल रहा है। इसके लिए हम आपके प्रशंसक हैं।

महोदय, हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो जो पहला पाठ हम सबको पढ़ाया गया होगा, वह यह है कि 'भारत एक सोने की चिड़िया थी।' जब हम गीत सुनते हैं तो बहुत सुन्दर-सुन्दर गीत हैं कि 'मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे-मोती।' साथ ही साथ, जब हमारे देश को दुनिया में दिखाया जाता है तो हरे-भरे खेतों के बीच खड़ा हुआ किसान दिखाया जाता है। हम यह भूल जाते हैं, अक्सर लोगों ने चिंताएं व्यक्त की हैं कि हम वर्ष 1947 में 33 करोड़ थे और आज हम 133 करोड़ पहुंच रहे हैं। अगर उस समय हमारी 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित थी और तब यह 25 करोड़ थी तो आज यह 80 करोड़ के लगभग पहुंच गयी है। आप जरा एरिया के मैग्नीट्यूड को देखिए, जिसे हमें एड्रेस करना है। सब लोग कहते हैं कि प्रधान मंत्री जी की योजना कैसी होगी, भारत 'सोने की चिड़िया' कैसे बनेगा? अगर प्रधान मंत्री जी भारत की अर्थव्यवस्था को ग्यारहवें नम्बर से छठे नम्बर पर लाए हैं तो भारत फिर से 'सोने की चिड़िया' बनेगा क्योंकि शीघ्र ही हम पहले और दूसरे पायदान पर आने की क्षमता रखते हैं। हम यह क्षमता इसलिए रखते हैं क्योंकि ये प्रधान मंत्री वह प्रधान मंत्री हैं, जिन्होंने तीन दशकों से देश के हर कोने को देखा है। उन्होंने पहाड़ से लेकर रेगिस्तान तक, रेगिस्तान से लेकर समुद्र तक देखा है। गांवों में क्या समस्याएं हैं, उन्हें समझा है।

महोदय, हम लोग जब भी बात करते हैं, हम 'ईज-ऑफ-डूइंग-बिजनेस' की बात करते हैं, लेकिन प्रधान मंत्री जी ने 'ईज-ऑफ-लिविंग इन रूरल इंडिया' का नारा देकर पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया है। उनकी जो योजनाएं हैं, इनमें 18 प्रमुख योजनाएं हैं। उन्हें लागू करते जा रहे हैं। बहुत से प्रदेश इसे अच्छे से लागू कर रहे हैं। मुझे बंगाल पर बहुत ही अफसोस होता है। लेकिन, अभी कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश की बात की। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको यह देखना है कि किसानों को कैसे संरक्षण और प्रोत्साहन मिल रहा है तो उत्तर प्रदेश को देखिए। विगत ढाई वर्षों में उत्तर प्रदेश ने इतिहास रचा है। हमने 86 लाख किसानों की ऋण माफी ही नहीं की, बल्कि केन्द्र सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया, उसमें हम लगभग 8,000 करोड़ रुपये किसानों को डी.बी.टी. के माध्यम से दे चुके हैं। हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने कुल 8 मिलियन टन गेहूं की खरीद की थी और हमारी योगी सरकार ने वर्ष 2018-19 में, एक साल में, 56 लाख मीट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट किया। यही स्थिति धान की थी। आप सोचिए कि पहले आलू सड़ जाते थे, लेकिन हमने आलू के लिए भी एम.एस.पी. निर्धारित किया। यह प्रधान मंत्री जी की प्रेरणा से हुआ। वे गन्ने की बात कर रहे थे। अगर गन्ने का सबसे ज्यादा भुगतान कभी हुआ तो वह 16,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नहीं हुआ और उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ने 40,000 करोड़ रुपये दिए।

गन्ने के उत्पादन में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ... (व्यवधान) महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगी। मैं सिर्फ अपने क्षेत्र की बात करूंगी। अभी जो बातें यहां कही गई हैं, उनसे संबद्ध करते हुए, मैं एक और बात करूंगी। जिन योजनाओं की यहां प्रशंसा हुई है, मैं कहूंगी कि आकांक्षा योजना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हर ग्राम पंचायत में सुविधा केन्द्र बनाया गया है और ई-मार्केटिंग की व्यवस्था भी की गई है। आप देख लीजिए कि इन सभी सुविधाओं के माध्यम से किसानों को आगे बढ़ाने की बात की गई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र की तीन महत्वपूर्ण बातें कहना चाहती हूँ। मैं प्रयाग नगरी से आती हूँ। उसको गंगा-यमुना की नगरी तथा संगम नगरी भी कहा जाता है। अभी प्रधान मंत्री जी के आशीर्वाद से माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक अभूतपूर्व महाकुंभ का आयोजन किया था। मेरा क्षेत्र करीब-करीब बुंदेलखंड की तर्ज पर है। वह विंध्याचल की पहाड़ियों से सटा हुआ है। इसके दूसरी तरफ बुंदेलखंड के बांदा तथा चित्रकूट से जुड़ता है और यह क्षेत्र मिर्जापुर से लेकर सोनभद्र तक जाता है। इस इलाके में पत्थर ही पत्थर हैं। अगर वहां कुछ वेजिटेशन हैं, तो ज्यादातर क्षेत्रों में कंटीली झाड़ियां हैं। यहां गरीबी बहुत है। यहां बड़ी संख्या में गरीब कोल एवं दलित हैं। ये ऐसे लोग हैं, जिन्होंने अभी तक विकास की रोशनी नहीं देखी है। वहां करीब 60 प्रतिशत लोगों को पीने के लिए साफ जल उपलब्ध नहीं है।

इसके अलावा, मेरा क्षेत्र तीन नदियों को छूता है। ये नदियां गंगा, यमुना और टोस हैं, फिर भी वहां जल की कमी है। वहां तीन बड़ी परियोजनाएं 70 से 80 के दशक में डाली गई थी, लेकिन आज वे सभी परियोजनाएं दम तोड़ रही हैं। मेरी मांग है कि उन परियोजनाओं को थोड़ा-सा गतिमान कर दिया जाए। ये परियोजनाएं बागला पम्प कैनाल, बाणसागर पम्प कैनाल और टोस पम्प कैनाल हैं। मेरे पिता जी हेमन्ती नन्दन बहुगुणा जब मुख्य मंत्री थे, तो उन्होंने बहुत ही ऐम्बिशस प्रोजेक्ट शुरू किये थे, लेकिन 50 सालों के बाद आज उनके नवीनीकरण की आवश्यकता है। साथ ही साथ आपसे मेरा यह भी निवेदन है कि वहां की सड़कों को भी ठीक किया जाए। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मेरी नौ सड़कें हैं। 9 सड़कों के संबंध में अध्यक्ष महोदय से मैंने कहा था कि यदि पढ़ा मान लें तो मैं जमा कर दूँ। उन्होंने अनुमति भी दी थी। मैंने जमा भी किया। कृपया मेरी सड़कें जोड़ दें। अगर आप उनकी लिस्ट मांगेंगे, तो मैं उसे दे दूंगी। इनको बनाना बहुत ही आवश्यक है। हमारे यहां के मेजा, मांडा, कोरांव और शंकरगढ़ का क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इनका विकास करने की आवश्यकता है।

क्षेत्र की प्रथम मांग है कि इसे बुंदेलखण्ड जैसी सुविधाएं प्रदान की जायें ताकि बिजली, पानी, आवास, सड़क, अस्पताल, कृषि, वैकल्पिक व्यवसायों आदि की सुविधा बुंदेलखण्ड के तर्ज पर यहां की गरीब जनता को मिल सके।

मेरा क्षेत्र जिसे जमुनापार पुकारते हैं इसमें औषधियुक्त पौधों को उगाने की अपार संभावनाएं हैं। प्रयागराज में लगभग 500 हैक्टेयर में किसान तुलसी, सफेद मूसली, एलोविरा, सतावर आदि औषधियुक्त पौधें उगा रहे हैं परन्तु सबसे बड़ी समस्या है कि इनके लिए बाजार उपलब्ध नहीं है। मेरी मांग है कि इस प्रकार के किसानों के लिए 'मार्केट लिंकेज' की व्यवस्था की जानी चाहिए।

सरकार द्वारा 'किसान समूहों का गठन' किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रयागराज जनपद को केवल 8 किसान समूह उपलब्ध कराये गये हैं जिनमें से 4 जमुनापार में गठित हैं। इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि 'सहकारी कृषि' को बढ़ावा मिल सके। मेरे क्षेत्र में वर्तमान में गठित समूहों ने अच्छा काम शुरू किया है।

किसान 'कृषि यंत्र बैंकों' की संख्या भी बढ़ायी जानी चाहिए। वर्तमान में प्रयागराज जिले में मात्र 3 बैंक स्वीकृत हैं। मेरा सुझाव है कि इनका विस्तार करते हुए प्रत्येक ब्लॉक में 2 से 4 किसान कृषि यंत्र बैंक बनाए जाना उपयुक्त होगा।

मेरे क्षेत्र के सभी 'सीड बैंक' जर्जर हालत में हैं, उनका नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण किसानों के लिए अत्यंत आवश्यक है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा छोटे तालाबों में जल संरक्षण का भी कार्य चलता है, इसका बजट बढ़ाते हुए योजना को गतिमान करने से ग्रामीणों को विशेष लाभ मिलेगा।

अंत में, मेरी पुनः मांग है कि इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में स्थित चार विधानसभाओं को बुंदेलखण्ड जैसा विशेष दर्जा प्रदान किया जाये।

प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना अपने ग्रामीण क्षेत्र जमुनापार में निम्न सड़कों की नितांत आवश्यकता है ताकि विभिन्न ग्रामों को जोड़ते हुए क्षेत्र का विकास तेजी से संभव हो सके।

1. करमा से बेलसारा तक 06 कि.मी.
2. ऊंचडीह मदरा मुकुन्दपुर मार्ग 10 कि.मी.

3. चैनपुरवा आम्बा से पिपरहटा जारी कौंधियारी देवरा होते हुए राम का पुरा बाजार से कौआ बाजार तक 15 कि.मी.
4. रीवा रोड ग्राम कांटी खटिकान बस्ती से भीवा नहर की पटरी से नउवा का पुरवा बेलवा वड़ी नहर एवं गिरगिता होते हुए बकरावां बेलसारा तक 10 कि.मी.
5. भीरपुर से भगनपुर तक सड़क चौड़ीकरण एवं जीर्णोद्धार के लिए 20 कि.मी.
6. मोहब्बतपुर से पालपुर बसवार तक मार्ग 20 कि.मी.
7. रिगवा से लालापुर तक लगभग 11 कि.मी.
8. गौहनिया से बेलसारा एकौनी, आम्बा, दीवान का पुरा होते हुए धधुआ घाट तक लगभग 20 कि.मी.
9. सड़वा से बरइयवा लम्बाई 12 कि.मी.

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण मांग सरकार से करना चाहती हूं। आदरणीय तोमर जी से करना चाहती हूं। तोमर जी, मेरा क्षेत्र हर मायने में बुंदेलखंड के समकक्ष है। कभी-कभी जब वहां अकाल तथा सूखा पड़ता है, तो हमारे क्षेत्र को भी बुंदेलखंड की तर्ज पर सहयोग मिलता है। मैं चाहती हूं कि बुंदेलखंड की तर्ज पर उसकी स्वीकृति देते हुए, जिस प्रकार की योजनाएं और सुविधाएं बुंदेलखंड को मिलती हैं, वही सुविधाएं मेरे क्षेत्र को भी दी जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्री एच. वसंतकुमार (कन्याकुमारी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के संबंध में अनुदान मांगों पर बोलने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। कृषि हमारे अधिकांश लोगों का मूल व्यवसाय है। लगभग 60-70 प्रतिशत लोग किसान हैं।

फसल बीमा के पैसे का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए। यह हमारे लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही, न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया जाना चाहिए। कन्याकुमारी निर्वाचन क्षेत्र में सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस कॉलेज ऑफ़ ऑर्गेनिक खोला जाना चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में विशेष रूप से विलावनकोडे तालुके के विलाथुरई में लिफ्ट सिंचाई के लिए विशेष निधि के आबंटन की आवश्यकता है। कन्याकुमारी में शहद भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए, मैं मंत्री जी से शहद मधुमक्खी विकास बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड और केला विकास बोर्ड की स्थापना कराने का अनुरोध करता हूँ।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना 100 दिनों का रोज़गार प्रदान करती है। हमारी सरकार को इसे बढ़ाकर वर्ष में 150 दिन करना चाहिए। मजदूरी भी बढ़ा कर 300 रुपये प्रति दिन कर देनी चाहिए। यह योजना उन नगर पंचायत लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ग्रामीण संपर्क सड़क विकसित की जानी चाहिए। कन्याकुमारी जिले में हस्तशिल्प के लिए विशेष निधियों के आबंटन की आवश्यकता है।

कन्याकुमारी जिले में कई लोग हस्तशिल्प का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसमें अधिक निवेश करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, यहाँ एक एवीएम चैनल भी है, जिसका पहले सार्वजनिक परिवहन और माल ढुलाई के लिए उपयोग होता था। अब, इसकी स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए, सरकार को धन आबंटित करना चाहिए और उस ए.वी.एम चैनल को साफ करना चाहिए। तब, लोग इसका उपयोग करेंगे। इससे सरकार को पेट्रोल और डीजल की भी काफी बचत होगी।

मुझे समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री राम कृपाल यादव।

श्री राम कृपाल यादव जी इस विभाग के मंत्री रहे हैं। आप एक घंटा बोलना चाहें, तो शायद वह भी कम है। आज दो मिनट में आप कैसे खत्म करेंगे?

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): महोदय, मैं सबसे पहले आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने विशेष कृपा की है।

माननीय अध्यक्ष : मैंने कोई कृपा नहीं की है। यह आपका सदन है। यहां बोलना आपका अधिकार है, लेकिन 12 बजने वाले हैं।

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े शब्दों में अपनी बात रखूं। मैं माननीय लोकप्रिय प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्री थे। मैं बताना चाहूंगा कि मैंने राजनीतिक जीवन का लंबा अवसर निकाला है। मैं पांच बार लोक सभा का सदस्य रहा, एक बार राज्य सभा का सदस्य रहा, कुल छः बार सदस्य रहा, दो बार काउंसिल का मेंबर भी रहा, लेकिन मंत्री कभी नहीं बना। मैं एक छोटे किसान परिवार से संबंध रखता हूँ। चूंकि गांव, गरीब और किसान की बात हो रही है, तो मुझे स्मरण हो गया कि मेरे पिता जी छोटे किसान थे और हमारे यहां दूध का व्यापार होता था। हमने गरीबी को देखा है, फटेहाली को देखा है और किसानों की जिंदगी को भी देखा है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं जिस दल में था, वहां कभी मंत्री नहीं बना, लेकिन जब इस दल में आया, तो भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी का आशीर्वाद मिला। एक चाय बेचने वाले का बेटा जब देश का प्रधान मंत्री बनता है, दूध बेचने वाले किसान का, एक गरीब परिवार का बेटा देश का मंत्री बनता है, यही तो परिवर्तन है।

महोदय, आपने ग्रामीण विकास की बात कही, इसलिए मुझे यह चर्चा करनी पड़ी। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने गरीबी को देखा है, बदहाली को देखा है, इसलिए वे गांव, गरीब और किसान की बात करते हैं। चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधान मंत्री होता है। स्वाभाविक है, उन्होंने गरीबी को स्कूल में जाकर नहीं पढ़ा नहीं है, हमारे प्रधान मंत्री

जी नाटक करने वाले नहीं हैं। कुछ लोग गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने इसका एहसास किया है, भोगा है, इसलिए उन्हें गरीबों की चिंता है, किसानों की चिंता है। जब वे वर्ष 2014 में प्रधान मंत्री बने, तो उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता होगी - गांव, गरीब और किसान। अपने बजट में उन्होंने इनके लिए प्रावधान रखा।

महोदय, आपने मुझे समय के लिए हिंट कर दिया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी। हमारे मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में मैंने अपनी पूरी टीम के साथ निष्ठापूर्वक पिछले पांच सालों में काम किया। प्रधान मंत्री जी ने टास्क दिया कि गरीबी से गांवों को मुक्त करो। गरीबी से गांवों को मुक्त करने के लिए सिर्फ कहा ही नहीं, धनराशि भी दी।

मैं एक छोटा सा उदाहरण पेश करना चाहता हूं। यूपीए सरकार, कांग्रेस पार्टी के नेता लोग यहां बैठे हुए हैं, किसान भी यहां बैठे हुए हैं। यूपीए सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 2013-14 में 58,623 करोड़ रुपये की राशि आबंटित करती है, वहीं एनडीए सरकार वर्ष 2019-20 में 1,17,674 रुपये आबंटित करती है। यही है परिवर्तन।

सर, कृषि को इसमें क्लब किया हुआ है। किसान, कृषि, ग्रामीण विकास सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। यूपीए गवर्नमेंट कृषि विभाग में, वर्ष 2009 से वर्ष 2014 में 1,21,000 करोड़ रुपये खर्च करती है, तो हमारी सरकार, जब मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनती है, जिनको किसानों के लिए चिंता है, वर्ष 2014 से 2019 तक 2,11,694 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने के लिए सरकार आबंटित करती है।

सर, मैं काम की बात कर रहा हूं कोई अनाप-शनाप बात नहीं कर रहा हूं। वर्ष 2019-20 में कृषि मंत्रालय को 1,30,484 करोड़ रुपये का आबंटन हुआ है, इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय ऐसे सदस्य ओपनिंग कराया कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, मुझे पता है कि समय का अभाव है, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, आपसे अनुरोध कर रहा हूं। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में था, यूपीए सरकार ने 65,000 करोड़ रुपये दिए, और हमने चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 2,002,92 करोड़ रुपये देने का काम किया है, हिंदुस्तान का आजादी के बाद पहली दफा पंचायतों को सीधा पैसा दिया गया। इतनी बड़ी राशि दी है। मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा, घंटों भर नहीं बोलूंगा।

महोदय, मैं दो-तीन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की चर्चा करके अपनी बात समाप्त कर दूंगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी का क्लासिक प्रोग्राम है। मनरेगा योजना, दीन दयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिसकी चर्चा रूडी जी कर रहे थे, इन सभी में अद्भुत काम हुआ है। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करना चाहता हूं। गरीबों के जीवन में कितना बदलाव हुआ है, पहले 70 हजार रुपये मिलते थे, प्रधानमंत्री जी ने कहा 70 हजार रुपये में काम नहीं चलेगा, पहले 20 वर्गमीटर में मकान बनता था, हम लोगों ने इसे 25 वर्गमीटर करने का काम किया है। इतना ही नहीं, हमने कहा कि उसमें शौचालय बनाएंगे, प्रधानमंत्री के निर्देश पर हम उसमें बिजली देंगे, रसोई घर बनाएंगे, प्रति मकान 1,50,000 रुपये की राशि का आबंटन करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम लोग उस काम को पूरा कर रहे हैं, हमारी सरकार पूरा कर रही है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी के निर्देश पर मंत्री जी पूरी टीम के साथ काम कर रहे हैं। पांच सालों 1,54,00,000 मकान बन गए हैं। वर्ष 2022 तक मोदी जी का कमिटमेंट है, एक भी गरीब आदमी नहीं होगा जिसे मकान से अछूता रखने का काम करेंगे। इससे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। मैं कह सकता हूं कि हमारे अधिकारीगण बहुत इफिशिएंट हैं। ... (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं।

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना का थर्ड फेज देने जा रहे हैं, बजट में एनाउंस भी कर दिया है। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना का एक मानक है कि एक तरफ से गांव को जोड़ेंगे और अंदर इंटरनल गांव को जोड़ने का काम नहीं करेंगे। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा, अब हल-बैल समाप्त हो गया है, अब ट्रैक्टर भी जा रहा है, हारवेस्टर भी जा रहा है, सारे उपकरण जा रहे हैं। जब कच्ची रोड है उसमें जाने में अव्यवस्था है और लोगों को एक रोड से दूसरी रोड पर बहुत घूम कर जाना पड़ता है। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत अंदर इंटरनल रोड की प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में व्यवस्था नहीं है, उसको भी जोड़ने का काम करें, उसे भी पक्कीकरण करने का काम करें, सरकार की जो प्रतिबद्धता है, गांव गरीबी को दूर करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। [अनुवाद] गरीबी को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया है ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री अजय भट्ट : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवार, मैं उत्तराखंड के नैनीताल, उधमसिंह नगर ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य आपका समय समाप्त होने वाला है।

...(व्यवधान)

श्री अजय भट्ट: मैं अपनी बात पर आ रहा हूँ। चूंकि रात के 12 बजने वाले हैं और इसके बाद ग्रहण भी प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए मैं अधिक नहीं बोलूंगा। मंत्री जी ने पूरी बात बोल दी है। मैं किसी भी विषय पर नहीं, मैं सिर्फ आपका, प्रधान मंत्री जी, माननीय नरेन्द्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री जी का तथा वित्त मंत्री जी का धन्यवाद अदा करते हुए सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूँ। ... (व्यवधान) उत्तराखंड राज्य बहुत नवोदित राज्य है। यह 17-18 साल का राज्य है। यहां पर लोगों की कुछ परेशानियां हैं। हमारे राज्य में वर्ष 2013 की जो त्रासदी थी, केदानाथ में जो घटना घटी, वह किसी से छिपी हुई नहीं है। अगर उस समय हमारे यहां सड़क, पुल, पुलिया बनी होती तो बड़ी संख्या में जो लोग हताहत हुए थे, वे बच सकते थे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय मंत्री जी जो फेज-3 चलाने वाले हैं, उसमें पहाड़ की अंतरवेदना को जरूर मद्देनजर रखा जाना चाहिए क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में दस मकान इस पहाड़ पर, दस मकान उस पहाड़ पर होते हैं। 30 घरों तक जाने में पूरा एक दिन निकल जाता है। इसलिए जहां दस-दस परिवार भी हैं, वहां पर भी पीएमजेएसवाई की सड़कें बननी चाहिए। हमने जो त्रासदी झेली है, वह रास्ते और सड़कों की वजह से ही झेली है। समय का अभाव है। मैं एक बात और आपके सामने कहना चाहता हूँ कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि विभाग योजना, जिसमें डेयरी, पशुपालन, मछली पालन, मंडी परिषद्, रेशम विकास, जड़ी-बूटी एवं एरोमैटिक प्लांट आदि आते हैं, इस योजना के बजट को बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि पलायन हमारी बहुत बड़ी समस्या है। पलायन को रोकने के लिए ये सारी चीजें को करना बहुत आवश्यक है। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ क्योंकि मुझे 12 बजे का ध्यान है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, ग्रामीण विकास और कृषि कल्याण मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए आपका ध्यान करते हुए मैं बिना भूमिका के टू दी प्वाइंट बात करूंगा और विषय पर ही बात करूंगा।

माननीय अध्यक्ष: मैं एक मिनट से ज्यादा किसी माननीय सदस्य को समय नहीं दे रहा हूँ। एक मिनट के अंदर जो बोलना चाहते हैं, वे खड़े हो जाएं।

श्री सुशील कुमार सिंह: महोदय, मेरा एक मिनट तो खत्म हो गया, मैं भूमिका नहीं दे रहा हूँ। मैं बिहार के औरंगाबाद से चुनकर आता हूँ। औरंगाबाद और गया जिला सूखा प्रभावित इलाका है और पानी की कमी वाला क्षेत्र है। मनरेगा के तहत जो योजनाएं चलती हैं, मैं सरकार को आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि मनरेगा के तहत जो जल संरक्षण की योजनाएं हैं, जैसे तालाबों की खुदाई है, इस कार्य को अनिवार्य किया जाए और प्राथमिकता के आधार पर इस योजना को लिया जाए। [अनुवाद] साथ-साथ सरकार इसमें पोकलेन मशीन या अन्य किसी मशीन के उपयोग का प्रावधान करे। यह मेरा एक सुझाव है, क्योंकि यह जरूरी है।

दूसरा, मनरेगा योजना के तहत स्थायी सम्पत्तियों का निर्माण हो, जिससे इन योजनाओं में भ्रष्टाचार की जो शिकायतें आती हैं, वे भी कम होंगी और ड्यूरेबल और परमानेंट एसेट्स भी क्रिएट होंगे। महोदय, मैं हमेशा अपने क्षेत्र के गांव में घूमता रहता हूँ। गांव में गरीब लोग जो वृद्ध, दिव्यांग और विधवा हैं, उनके लिए पेंशन की योजना है।

माननीय अध्यक्ष: मैंने एक-एक मिनट के समय के लिए पहले ही आग्रह किया था। जो माननीय सदस्य एक मिनट में बोलना चाहें, वही बोलें।

श्री सुशील कुमार सिंह: महोदय, मैं खत्म कर रहा हूँ। पहले बीपीएल सूची होती थी, आजकल एसईसीसी की सूची होती है। बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने स्वयं देखा है, जो गरीब हैं, इनके घर की दीवार मिट्टी की और फूस की छत है।

लेकिन उनका नाम एसईसीसी की सूची में नहीं है, जिससे उनको प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलता। जो सरकारी कर्मी हैं, जो तंत्र है, जिसने ऐसे लोगों का नाम छोड़ा है, उनकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए कि ऐसे लोगों का नाम क्यों छोड़ा और धनी लोगों का नाम सूची में जोड़ दिया मैं अपनी बात जल्दी ही खत्म कर रहा हूँ।

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): स्पीकर सर, पहले तो आपका धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद रहने दीजिए आप तो बोलिए।

श्री रवनीत सिंह : दूसरी बात यह कि लोग हमें देख रहे हैं। [हिन्दी] लोग चाहते थे कि सेशन चले, क्योंकि यह सुनने में आता था कि लाखों रुपये खर्च हो गए और सेशन चला नहीं, तो आज यह मील का पत्थर आपने साबित किया है। यह सेशन दिन-रात चल रहा है, 12 बजे के बाद भी यह रिकॉर्ड रहेगा।

स्पीकर सर, आपने हाउस चलाया इसलिए यह कहना मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी बनती थी। उसके बाद मैं पंजाब की बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। 15 मिनट बढ़ जाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह आपकी ताकत है सर।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, तकनीकी कारण से सदन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, नहीं तो रात के 3 बजे तक सदन चलाया जाता। चूंकि 12 बजे समाप्त करना है, इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री रवनीत सिंह: स्पीकर सर, 15 मिनट और आगे चला दीजिए।

माननीय अध्यक्ष: नहीं, और आगे नहीं बढ़ सकता।

श्री रवनीत सिंह: सर, मैं पंजाब से आता हूँ और पंजाब की बात करूँगा। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंजाब में बनी। जब देश तकलीफ में था, देश को जरूरत थी और विदेशों ने भी मदद के लिए मना कर दिया था, उस समय पंजाब में सिर्फ हमारे पास मल्टी क्रॉप सिस्टम था। सब्जियां, गेहूं सब कुछ पैदा होता था, मल्टी क्रॉप सिस्टम था। [अनुवाद] लेकिन देश के लिए पंजाब ने टू क्रॉप सिस्टम शुरू किया। [हिन्दी] उसका

मतलब गेहूं और चावल था। सर, पंजाब के पास क्या था, पंजाब का मतलब 5 दरिया और 5 नदियां। दूसरा, हमारी जो उपजाऊ जमीन थी, दोनों चीजें हमने देश के लिए गंवा दीं। आज न हमारे पास पानी रहा और न हमारे पास जमीन रही, जो इतनी ताकतवर थी। आज पंजाब को क्या मिला? क्या आप सोच सकते थे कि पंजाब का किसान खुदकुशी करेगा और कर्जमाफी की बात करेगा? इसका मतलब कितना परेशान और तंग होगा वह किसान, जिसने सारे देश की सेवा की। तो क्या सरकार का अब फर्ज अब नहीं बनता कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाए?

माननीय अध्यक्ष : श्री उन्मेश बी पाटिल।

श्री उन्मेश भैयासाहेब पाटिल (जलगाँव): अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे भाई बोल रहे थे... .(व्यवधान)

श्री रवनीत सिंह: सर, मैं अपनी यूनिवर्सिटी के लिए फण्ड चाहता हूँ, क्योंकि जिसने ग्रीन रेग्यूलेशन लेकर आया, वहां के साइंटिस्ट तरस रहे हैं कि हमें अगर पैसा मिले। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब को आदेश किया कि अपना फैसला कीजिए। सर, हमारे पास देने के लिए पानी नहीं है, क्योंकि एक समय वहां पर 72 लाख एकड़ पानी था। यह फैसला हुआ कि 35-35 लाख हेक्टेयर पानी हरियाणा और पंजाब को देना है और 2 लाख हेक्टेयर दिल्ली को देना है। लेकिन, सर आज पानी नहीं है। अगर हमारा पानी चला गया तो पंजाब की पीढ़ियों को काफी नुकसान हो जाएगा। अतः सरकार इस बारे में सोचे और इंटरवीन करे।

[अनुवाद]

^{95*} **श्री एस. मुनिस्वामी (कोलार):** मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि कोलार में देश का दूसरा सबसे बड़ा ए.पी.एम.सी. बाजार है। यह दूध, रेशम और सब्जियों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। कोलार निश्चित रूप से सोने की खदानों की धरती है।

यह देश की सबसे शुष्क भूमि में से एक है और लगभग दो दशकों से गंभीर सूखे का सामना कर रहा है। जलस्तर में भारी गिरावट आ गई है और किसानों द्वारा राहत पाने के लिए गहरे बोरवेल खोदने के प्रयास सफल नहीं हुए हैं।

मेरा मानना है कि सरकार को कोलार जैसे जिलों के लिए कुछ विशिष्ट योजनाएं लानी चाहिए ताकि किसानों की समस्याओं का दीर्घकालिक समाधान निकाला जा सके।

लगभग सभी कृषि उत्पाद पानी पर निर्भर होते हैं। कर्नाटक के 26 जिलों के लगभग 130 तालुका कोलार सहित इस वर्ष भयंकर सूखे से पीड़ित हैं। इसलिए किसान कुछ भी नहीं उगा पा रहे हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में कोई सिंचाई योजना नहीं है। इसलिए किसान नेताओं की मांग है कि सरकार सूखे का मुआवजा दे।

कोलार और चिकबल्लापुर जिलों में प्रति वर्ष औसतन 748 मि.मी. बारिश होती है, जबकि बेंगलुरु में 867 मि.मी. बारिश होती है। किसान पहले मौसमी फसलों जैसे सब्जियों के साथ-साथ वर्षा आधारित फसलों जैसे बाजरा आदि की खेती भी भूजल का उपयोग करके करते थे। जल स्तर के 1600 फीट से भी नीचे चले जाने के कारण खेती अलाभकारी होती जा रही है।

इसके अलावा, उपलब्ध भूजल भी फ्लोराइड की अधिकता के कारण पीने योग्य नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार एटिनाहोल परियोजना के माध्यम से कोलार और चिकबल्लापुर की पानी की समस्याओं का स्थायी समाधान करने के बारे में सोच रही है।

^{95*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

योजना यह है कि नेत्रवती नदी की सहायक नदियों से पम्प करके पश्चिमी घाट के एटिनाहोल से 24 टी.एम.सी. पानी प्राप्त किया जाए। इसमें से 7 टी.एम.सी. पानी कोलार और चिकबल्लापुर तक पहुंच जाएगा।

हालांकि, इसे दक्षिण केनरा जिले के प्रदर्शनकारियों द्वारा अवैज्ञानिक और अस्वीकार्य करार दिया गया है, जो कृषि और सिंचाई के लिए नेत्रवती नदी पर निर्भर हैं।

सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और कोलार जिले के किसानों के लिए स्थायी समाधान का प्रयास करना चाहिए।

कोलार जिला भारत के कर्नाटक राज्य के दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में स्थित है। यह 770 21' से 780 35' पूर्वी देशांतर और 120 46' से 130 58' उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है और 8,225 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में फैला हुआ है। 1991 में (जनगणना रिपोर्ट के अनुसार) जनसंख्या 22.17 लाख थी। प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए जिले को 11 तालुकों में विभाजित किया गया है। जिले में 15 शहर और 3,325 बसे हुए गांव हैं।

कोलार कर्नाटक के अर्धशुष्क क्षेत्र से संबंधित है। इस अर्धशुष्क क्षेत्र में कुल मौसमी वर्षा में साल-दर-साल उतार-चढ़ाव के अलावा, बुवाई के लिए पर्याप्त वर्षा के आरंभ के समय में भी बड़े बदलाव होते हैं, साथ ही फसल उगाने के मौसम के भीतर सूखे की अवधि के वितरण में भी काफी भिन्नता होती है। कोलार जिला दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पूर्व मानसून मौसम के दौरान वर्षा के वितरण पर निर्भर करता है। कृषि योग्य लगभग 280 हजार हेक्टेयर भूमि में से 35% भूमि पर कुआं और टैंक सिंचाई होती है। जिले में लगभग 951 बड़े तालाब और 2934 छोटे तालाब हैं, जिससे कई क्षेत्रों में कृषि समृद्धि संभव हुई है।

जिले का औसत जनसंख्या घनत्व 2.09 व्यक्ति/हेक्टेयर (ग्रामीण) और 2.69 व्यक्ति/हेक्टेयर (ग्रामीण+शहरी) है। जनसंख्या घनत्व 1.44 (बागेपल्ली) से लेकर अधिकतम 2.55 (कोलार) तक है। चिकबल्लापुर तालुके का जनसंख्या घनत्व 1.92 है।

प्राकृतिक संसाधनों की कमी, सीमित ऊर्जा आपूर्ति की वर्तमान प्रवृत्तियाँ इस क्षेत्र के विकास में प्रमुख बाधाएं हैं। कई बार पानी कृषि उत्पादन को सीमित करने वाला कारक बन जाता है, ऊर्जा की कमी कृषि के साथ-साथ औद्योगिक उत्पादन को सीमित कर देती है (वास्तव में औद्योगिक क्षेत्र में अल्प विकसित है और

इसकी वृद्धि मुख्य रूप से अनियमित और रुक-रुक कर होने वाली बिजली की आपूर्ति के कारण सीमित होती है। इस क्षेत्र में पर्यावरणीय समस्याएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए, ऊर्जा की कमी से वन क्षरण होता है, जो मिट्टी के कटाव का कारण बनता है, जो आगे निचले क्षेत्रों में टैंकों और झीलों की गाद का कारण बनता है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः टैंकों की भंडारण क्षमता कम हो जाती है। दूसरी ओर, वनों के क्षरण से पृथ्वी की कार्बन सोखने की क्षमता में कमी आती है और पारिस्थितिक सुदृढ़ता बाधित होती है। ये स्थानीय समस्याएं वैश्विक समस्याओं जैसे- ओजोन क्षरण, ग्लोबल वार्मिंग आदि को बढ़ावा देती हैं।

संसाधनों की उपलब्धता और खपत पैटर्न को ध्यान में रखते हुए कोलार जिले को एकीकृत क्षेत्रीय ऊर्जा योजना विकसित करने के लिए चुना गया है। इस क्षेत्र में ऊर्जा एक दुर्लभ संसाधन बन गई है, जिसका मुख्य कारण एकल प्रकार के ऊर्जा स्रोत अर्थात् ईंधन लकड़ी पर व्यापक निर्भरता तथा ईंधन के जलने में अत्यंत न्यून तापीय दक्षता है। अन्य कारणों में तेजी से जनसंख्या वृद्धि, ईंधन की आसान और मुफ्त उपलब्धता शामिल हैं, जिससे यह संसाधन एक खतरे की सीमा तक क्षतिग्रस्त हो गया है। इस संदर्भ में, भारत सरकार के गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने इस क्षेत्र में ऊर्जा संकट को हल करने के लिए बायोगैस विकास राष्ट्रीय परियोजना के तहत बायोगैस प्रसार कार्यक्रम शुरू किया है। गृह सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि जिले में कई परिवार सफलतापूर्वक बायोगैस संयंत्र चला रहे हैं और इस कार्यक्रम की सफलता दर लगभग 70-80% है।

आईआरएस-1सी एल.आई.एस.एस.-II उपग्रह इमेजरी के आधार पर कोलार और चिकबल्लापुर दो तालुकों के जैव संसाधन मूल्यांकन से पता चला है कि यह क्षेत्र जैव संसाधन की कमी वाला क्षेत्र है। अनुमानों से पता चलता है कि कोलार तालुका के लिए जैव संसाधन (वन, कृषि और वृक्षारोपण से) क्षमता लगभग 768.83 लाख किलोवाट घंटा है और चिकबल्लापुर तालुका के लिए लगभग 1675.45 लाख किलोवाट घंटा है। जबकि संबंधित तालुके की अनुमानित मांग 6891.82 और 4105.63 थी, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि क्षेत्र में जैव संसाधन की कमी है। क्षेत्र की बायोगैस क्षमता (वर्तमान पशुधन आबादी के आधार पर), घरेलू ऊर्जा की आवश्यकता का अनुमानतः 30-40% पूरा कर सकती है।

यदि विश्व के गरीबों को सम्मानजनक जीवन स्तर प्राप्त करना है, तो उनके मूल मानव आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की पूर्ति आवश्यक है। यह स्थिरता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मानदंड है क्योंकि यह पृथ्वी पर मानव जीवन के अस्तित्व को उनकी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति द्वारा सुनिश्चित करता है। संधारणीयता मानदंडों की पहचान करने और फिर चिह्नित मानदंडों के संकेतकों का पता लगाने के लिए दो पारिस्थितिकीय रूप से अलग क्षेत्रों में गांवों के समूहों को चुना गया था।

एंथ्रागांगे, छह गांवों का एक समूह कोलार शहर के बाहरी इलाके में एक पहाड़ी क्षेत्र है जो वर्तमान में पर्यावरण की दृष्टि से क्षरित क्षेत्र है और एंथ्रागांगे राज्य वन का हिस्सा है। सभी छह गाँव आर्थिक रूप से गरीब हैं, जहां किसी भी परिवहन सुविधा का अभाव है और कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भरता है। कुछ घरों में रेशम की खेती को द्वितीयक व्यवसाय के रूप में अपनाया जाता है। अंतरगंगे राज्य वन वहां रहने वाले 120 परिवारों और आसपास के इलाकों के लिए ईंधन का एकमात्र स्रोत है, जिससे बड़े स्तर तक वन संसाधनों का दोहन होता है, क्योंकि इस क्षेत्र ने अपना पारिस्थितिक संतुलन खो दिया है। दुर्भाग्य से, अभी भी इस क्षेत्र में ऊर्जा क्षेत्र में कोई सुधार नहीं हुआ है। जीवन स्तर और पारिस्थितिक संतुलन में सुधार के लिए गैर-पारंपरिक ऊर्जा प्रौद्योगिकियों जैसे विकल्पों की तलाश करने की तत्काल आवश्यकता है। इन परिवारों में किए गए ऊर्जा सर्वेक्षण, ईंधन पर उच्च स्तर की निर्भरता दिखाते हैं। घरेलू जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रति दिन लगभग 2.5 किलो है, जो राज्य के औसत 1.7 किलो/व्यक्ति/दिन से बहुत अधिक है। इस उच्च स्तर की खपत मुख्य रूप से अक्षम पारंपरिक चूल्हों के कारण है। केरोसीन और बिजली का उपयोग आर्थिक और उपलब्धता की सीमाओं के कारण सीमित है, तथा आवश्यकता क्रमशः 0.72 लीटर/व्यक्ति/माह और 1.16 किलोवाट-घंटा/व्यक्ति/माह है। इस प्रकार, गैर-वाणिज्यिक ऊर्जा का हिस्सा लगभग 96% है जबकि घरेलू गतिविधियों में कुल ऊर्जा उपयोग में वाणिज्यिक ऊर्जा का योगदान केवल 4% है।

चिकबल्लापुर तालुके में स्थित आंध्राहल्ली, जो चिकबल्लापुर से 6 कि.मी. दूर है और जिसमें 200 परिवार रहते हैं, को तुलनात्मक विश्लेषण के लिए चुना गया। एक समृद्ध गतिविधि के रूप में रेशम उत्पादन के विकास ने कृषि अवशेषों को जलाऊ लकड़ी के विकल्प के रूप में उपलब्ध कराया। क्षेत्र में ऊर्जा खपत

पैटर्न से पता चलता है कि यह क्षेत्र कृषि अपशिष्ट (शहतूत, नारियल, अंगूर, आदि) और जानवरों के गोबर जैसे जैव संसाधनों से समृद्ध है। यद्यपि इस क्षेत्र में वनों का क्षरण हुआ है, फिर भी वनों पर दबाव, एंथ्रागंगे वन की तुलना में बहुत कम है। कुल घरेलू ऊर्जा जरूरतों में से 55% जरूरत जलाऊ लकड़ी से, 20% कृषि अवशेष से, 20% बायोगैस से और शेष 5% वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोतों जैसे केरोसिन, बिजली और एल.पी.जी. से पूरी होती है। सर्वेक्षण के परिणाम बताते हैं कि शिक्षा ने ऊर्जा कुशल उपकरणों की स्वीकृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा, विकेन्द्रीकृत योजना मशीनरी - पंचायत राज प्रणाली बायोगैस प्रणालियों के सफल प्रसार में सहायक है।

प्रति व्यक्ति दैनिक कैलोरी सेवन खाद्य समृद्धि का सूचक है और खाद्य उत्पादन कृषि उपयोग के लिए उपलब्ध ऊर्जा पर निर्भर करता है। इसलिए, यदि खाद्य समृद्धि प्राप्त करनी है, तो पर्याप्त अनाज उत्पादन की आवश्यकता होती है, जिसे केवल उचित ऊर्जा आपूर्ति के साथ प्राप्त किया जा सकता है।

अंतरगंगे क्षेत्र कृषि कार्यों के लिए मुख्यतः पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों, विशेषकर मानव और पशु शक्ति, पर निर्भर है, जो केवल जीवन यापन भर की आवश्यकता को पूरा करती है। वहीं आंध्राहल्ली में जुताई, मड़ाई और सफाई जैसे कृषि कार्यों में मानव/पशु शक्ति से मशीन ऊर्जा की ओर तेजी से परिवर्तन हो रहा है। वाणिज्यिक ऊर्जा की दिशा में प्रगति के संदर्भ में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। हालाँकि कृषि में वाणिज्यिक ऊर्जा के उपयोग से कृषि उत्पादन में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन इससे जुड़ी "अवसर लागत" — यानी समय की बचत — का उपयोग रेशम पालन जैसी आर्थिक रूप से लाभकारी गतिविधियों में किया जा रहा है, जो लोगों के जीवन स्तर को उठाने में अत्यंत सहायक सिद्ध हो रही है।

संधारणीय जीवन के लिए आवास एक और महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसके लिए प्रति व्यक्ति पर्याप्त निवास स्थान होना आवश्यक है। यद्यपि ग्रामीण कोलार और चिक्कबल्लापुर में यह विषय वर्तमान में अधिक गंभीर चिंता का कारण नहीं है, लेकिन जिस तेजी से शहरीकरण हो रहा है, उसे देखते हुए इस पहलू पर ध्यान देना आवश्यक है। कोलार शहर से निकटता और इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण अंतरगंगे में भूमि रूपांतरण की संभावना अधिक है, जिसने हॉलिडे रिसॉर्ट्स, होटल आदि जैसी कई व्यावसायिक

परियोजनाओं को आकर्षित किया है। इस संबंध में आंध्राहल्ली सुरक्षित है क्योंकि यहां कोई भी प्राकृतिक कारक नहीं है जो बड़े पैमाने पर भूमि परिवर्तन को प्रभावित करता हो।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण स्थिरता मानदंड लोगों को न्यूनतम चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना है, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों क्षेत्र इस सुविधा से वंचित हैं और लोगों को निकटतम चिकित्सा केंद्र तक पहुंचने के लिए 6-8 किमी की यात्रा करनी पड़ती है। चिमनी वाले उन्नत चूल्हों का उपयोग करने वाले परिवारों में श्वसन तंत्र संक्रमण और नेत्रशोथ (आंखों की जलन/सूजन) की घटनाएं पारंपरिक चूल्हों का उपयोग करने वाले परिवारों की तुलना में कम पाई गई हैं।

शिक्षा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन घरों में किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि शिक्षित महिलाएं ऊर्जा कुशल उपकरण अपनाने के प्रति अधिक इच्छुक हैं और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसका उदाहरण आंध्राहल्ली से देखा जा सकता है, जहां 50% से अधिक लोगों के पास कम से कम प्राथमिक और उच्च शिक्षा है, लेकिन अंतरंगंगे में साक्षरता का स्तर सिर्फ 30% है। यही कारण है कि आंध्राहल्ली में बायोगैस जैसी गैर-परंपरागत ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का सफल प्रसार और प्रबंधन हो रहा है, जबकि अंतरंगंगे में एक भी परिवार के पास बायोगैस संयंत्र या कोई अन्य नई ऊर्जा प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं है।

रोजगार किसी भी राष्ट्र के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय रहा है, और विकास में इसकी भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। गैर-पारंपरिक ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की शुरुआत ने इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित किए हैं — जैसे इन तकनीकों का प्रसार, साथ ही इनके रखरखाव हेतु सेवा इकाइयों की स्थापना, जिससे स्थानीय लोगों को आजीविका के साधन उपलब्ध हो रहे हैं। इनके अलावा, आंध्राहल्ली में कृषि और व्यापार के क्षेत्र में अच्छे रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, जिसका मुख्य कारण शहर तक परिवहन की सुगमता है। शिक्षित युवाओं ने रेशम उत्पादन (सेरीकल्चर) की ओर रुख किया है, जिसने आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके विपरीत, अंतरंगंगे क्षेत्र में परिवहन नेटवर्क और साक्षरता स्तर अच्छा नहीं है, जिसने व्यावसायिक क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं को अवरुद्ध कर दिया। कृषि में रोजगार

मौसमी है और मुख्य रूप से आर्थिक स्थिति - वित्त की कमी से प्रभावित होता है। अंतरंगों के लिए सड़क नेटवर्क प्रगति पर है, जिससे क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में सुधार होने की उम्मीद है।

उपकरणों की कार्यक्षमता में सुधार ऊर्जा संसाधनों (जैविक संसाधन आदि) के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए यदि ऊर्जा का कुशलता से उपयोग किया जाता है तो यह स्वचालित रूप से संरक्षण की ओर जाता है, जो संधारणीय विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। लकड़ी आधारित ऊर्जा प्रणाली से बायोगैस आधारित ऊर्जा प्रणाली में बदलाव से आंध्रप्रदेश में काफी मात्रा में ऊर्जा की बचत हुई। यह मुख्य रूप से ऊर्जा उपयोग में बढ़ी हुई दक्षता के कारण है। जलाऊ लकड़ी 8-10% की कम दक्षता के साथ इसके उपयोग में अत्यधिक अक्षम है, जबकि बायोगैस में लगभग 60% दक्षता है, जो जलाऊ ईंधन के रूप में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की बचत में योगदान देता है? यदि ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस का उपयोग किया जाता है तो प्रति वर्ष अनुमानित 0.7 टन जलाऊ लकड़ी को बचाया जा सकता है। दूसरी ओर, बायोगैस का उपयोग ऊर्जा क्षेत्र में गैर-प्रदूषणकारी, आसानी से उपलब्ध ऊर्जा स्रोत के रूप में लाभ में वृद्धि करता है तथा कृषि उपयोग के लिए ऊर्जा समृद्ध जैव खाद उपलब्ध कराता है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से हटकर गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग सतत विकास का एक प्रमुख संकेतक माना जाता है।

किसी भी तकनीक या कार्यक्रम के प्रसार के लिए जागरूकता ही सबसे महत्वपूर्ण कुंजी होती है। क्षेत्र के लोग सौर ऊर्जा, बायोगैस जैसी ऊर्जा तकनीकों के प्रति जागरूक हैं। नई ऊर्जा तकनीकों की जानकारी लोगों तक पहुँचाने में शिक्षा की भूमिका होती है, जिसे वे समाचार और मुद्रित मीडिया जैसे स्रोतों से प्राप्त करते हैं। यह देखा गया है कि क्योंकि शिक्षा 'जागरूकता' स्तर तक ही सीमित थी, इसलिए इन ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के उपयोग में आगे कोई प्रगति नहीं हुई, जैसा कि अंतरंगों के मामले में हुआ। पर्यावरण शिक्षा के मूल तत्व जैसे जागरूकता, ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल मिलकर किसी भी पर्यावरण समस्या में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। 'जागरूकता' के रूप में ऐसा बदलाव की लहर पहले ही देखने को मिली है। एक बार जब लोग किसी तकनीक के प्रति जागरूक हो जाते हैं, तो वे उस तकनीक के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, जिसे 'ज्ञान' कहा जाता है। ज्ञान लोगों के दृष्टिकोण और सोच में बदलाव लाता है, जो

कई बार नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कुशल कर्मियों की मांग करता है। दृष्टिकोण और कौशल इस प्रणाली के दो अत्यंत महत्वपूर्ण घटक हैं, जो किसी भी नई तकनीक की सफलता में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा, किसी नई तकनीक की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसे लोगों के बीच कैसे प्रस्तुत किया जाता है। आंध्राहल्ली ने जैव गैस कार्यक्रम का उपयोग और प्रचार करने के लिए ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल प्राप्त करके स्थिरता का संकेत दिया है। दोनों क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तकनीक अभी जागरूकता के स्तर पर है। लोग सौर ऊर्जा तकनीकों के उपयोग को लेकर उत्साहित दिखते हैं, लेकिन वे आर्थिक और पहुंच संबंधी बाधाओं से प्रभावित हैं। ऐसी स्थिति में यदि सरकार सब्सिडीयुक्त कीमत पर, विश्वसनीय आपूर्ति और सेवा समर्थन के साथ इन तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए पहल करे, तो सौर ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा बन सकती है।

[हिन्दी]

श्री उन्मेश भैयासाहेब पाटिल (जलगाँव): अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात मराठी में कहना चाहता हूँ। माननीय प्रधान मंत्री जी की, किसानों की और पूरे देश की इच्छा है कि हमें सुसाइड फ्री कंट्री करनी है। इसके लिए नरेगा में जो सेफ मजदूरी है, वह लानी चाहिए। मैं दो बातें मराठी में कहूँगा। मैं सरकार का अभिनन्दन करता हूँ। वहाँ कमीशन बहुत हो गया है, सबमिशन भी बहुत हो गया है। आयोग की सिफारिशों पर कोई अमल नहीं हो रहा है। मैं सरकार का अभिनन्दन करता हूँ कि उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश की। राहत और पुनर्वास करने के बजाय, मेरी सरकार सतत विकास कर रही है। यह मेरे लिए और किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहता हूँ कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पर टेक्नोलॉजी डवलप हो रही है, लेकिन लैब से लैंड तक नहीं आ रही है। दूसरी बात मैं यह रखना चाहता हूँ कि स्पेस में, डिफेंस में और रोड में टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर में क्यों नहीं? सर, जी.एम टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करना है या नहीं करना यह क्लीयर होना चाहिए।

[अनुवाद]

^{96*} **डॉ. उमेश जी. जाधव (गुलबर्गा):** सबसे पहले मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी को पी.एम. किसान सम्मान निधि योजना के लिए बधाई देना चाहता हूं। मैं उर्वरक राजसहायता भुगतान के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) प्रणाली शुरू करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देना चाहूंगा। उर्वरक डी.बी.टी. प्रणाली के अंतर्गत, खुदरा विक्रेताओं द्वारा लाभार्थियों को की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर, विभिन्न उर्वरक ग्रेडों पर 100% सब्सिडी उर्वरक कंपनियों को जारी की जाएगी। मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए भी बधाई देना चाहूंगा, इस नई फसल बीमा योजना के माध्यम से एक राष्ट्र-एक योजना थीम के अनुरूप है। इसमें सभी पिछली योजनाओं की सर्वोत्तम विशेषताओं को शामिल किया गया है तथा साथ ही, पिछली सभी कमियों/कमजोरियों को दूर कर दिया गया है।

मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि हमें सूक्ष्म सिंचाई की सहायता के साथ-साथ शुष्क भूमि खेती को और अधिक अवसर प्रदान करना होगा। तभी देश में शुष्क भूमि खेती कायम रह सकेगी। किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना, क्योंकि कई बीज कंपनियां बहुत खराब गुणवत्ता वाले बीज बेच रही थीं, जिससे समग्र उत्पादन प्रभावित हो रहा था। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वे बीज उत्पादन उद्योग को विनियमित करें तथा देश में गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादक किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि शुरू करें। विभिन्न कारणों से जल प्रवाह में बाधा उत्पन्न होने के कारण नदी का पानी दिन-प्रतिदिन सूखता जा रहा है। इसलिए मैं सरकार से नदी संरक्षण प्राधिकरण बनाने का आग्रह करना चाहूंगा।

भारत सरकार कृषि प्रयोजन के लिए बिजली आपूर्ति के बदले बिजली कंपनियों को 100 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही है, लेकिन बिजली कंपनियों द्वारा इस सब्सिडी धनराशि का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है। मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि विद्युत आपूर्ति हेतु किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) के लिए तंत्र बनाएं।

^{96*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मैं अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित विशेष मांग प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गुलबर्गा तूर दाल/लाल चना के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कलबुर्गी को "भारत का दाल का कटोरा" भी कहा जाता है, इस क्षेत्र में लगभग 70% किसान इस फसल की खेती करते हैं। कलबुर्गी में ही 400 से अधिक दाल मिलें हैं। लेकिन 2015 में लाल चना और काले चने की कीमतों में वृद्धि के कारण लाल चने की आपूर्ति बनाए रखने के लिए इन दाल मिलों ने कच्ची दाल खरीदने के लिए भारी कर्ज लिया है। लेकिन बाद में कीमतें घटाकर 140 रुपये प्रति किलोग्राम से 70 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी गई, जिसके परिणामस्वरूप दाल मिलों को भारी नुकसान हुआ, जिसके कारण वे बैंकों को ऋण धनराशि वापस करने में असमर्थ हो गए और एनपीए उद्योग बन गए, जिसके कारण उन्हें बंद करना पड़ा। इस प्रकार 400 दाल मिलों में से 300 से अधिक बंद हैं।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, देश में दाल मिल उद्योग को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। मैं दाल मिल उद्योग को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाना चाहता हूँ:

दाल मिल एम.एस.एम.ई. उद्योग का कृषि आधारित उद्योग में वर्गीकरण दाल उद्योग की एक बड़ी समस्या के रूप में किसान को ऋण सुविधा देना है। इसे इस उद्योग को 4% ब्याज दर पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस उद्योग को कृषि आधारित उद्योग के रूप में वर्गीकृत करने का कष्ट करें।

सरकार द्वारा किसानों से दालों की एम.एस.पी. आधारित सीधी खरीद की निरंतर नीति के रूप में दालों के लिए भारत सरकार की योजना मूल्य कमी भुगतान योजना (भावांतर भुगतान योजना) की शुरुआत की। अतः दालों के लिए भावांतर भुगतान योजना भारत सरकार की योजना शुरू करने की आवश्यकता है, जिसमें ए.पी.एम.सी. (कृषि उपज बाजार समिति) यार्ड में एम.एस.पी. और औसत बाजार मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाता है, जिसे श्री शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

ए.पी.एम.सी. उपकर को समाप्त करना, क्योंकि हरियाणा सरकार ने ए.पी.एम.सी. उपकर को समाप्त कर दिया है, जिससे ए.पी.एम.सी. व्यापार और दाल मिल उद्योग को मजबूती मिलेगी। इसलिए अनुरोध है

कि सभी राज्य सरकारों को सलाह दी जाए कि वे ए.पी.एम.सी. उपकर को भी समाप्त करें, ताकि औद्योगीकरण को बढ़ावा मिले, रोजगार सृजन हो, राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार हो और किसानों को उनकी उपज का बेहतर खरीद मूल्य मिल सके।

हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए-1 ने पहले के केन्द्रीय बजट में किसानों की आय दोगुनी करने के महत्वाकांक्षी प्रस्ताव की घोषणा की है, इसलिए उर्वरकों, कीटनाशकों जैसे कृषि इनपुट के लिए जी.एस.टी. से छूट दी गई है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसानों को अनेक प्रोत्साहन और रियायतें देना आवश्यक है। अत्यंत आवश्यक उर्वरकों और कीटनाशकों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और उन्हें जी.एस.टी. के दायरे से बाहर रखा गया है ताकि किसानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर प्राप्त कर सके। वर्तमान में किसानों द्वारा आवश्यक सभी कृषि आदानों के लिए जी.एस.टी. 5% से 28% की सीमा में है। इसलिए हम सरकार से इसे जी.एस.टी. से पूरी तरह से छूट देने का अनुरोध करते हैं। इसलिए हम सरकार से उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे कृषि आदानों और कृषि मशीनों और उपकरणों को जी.एस.टी. के भुगतान से छूट देने का अनुरोध करते हैं।

तूर पौधे/पेड़ के अवशेषों से उर्वरक का उत्पादन किया जाना चाहिए, क्योंकि तूर की कटाई के बाद पौधे के अवशेषों को जलाना एक सामान्य प्रथा है, जो भारी प्रदूषण का कारण बनती है। जबकि सरकार इस क्षेत्र में एक ऐसा उद्योग स्थापित कर सकती है जहाँ इन अवशेषों को कुचलकर पाउडर बनाया जाए, जिसे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उर्वरक में परिवर्तित किया जा सके।

हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र विकास बोर्ड (एच.के.आर.बी.डी) को केन्द्रीय सहायता का प्रावधान, माननीय प्रधान मंत्री ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र को केन्द्रीय सहायता में 21% की वृद्धि की घोषणा की है। हमारा हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र विकास के मामले में पूर्वोत्तर राज्य से काफी पिछड़ा हुआ है और न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यह सलाह दी जाती है कि हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के विकास और विकास के मुद्दे का ईमानदारी से समाधान करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करने के लिए हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र विकास

बोर्ड (एच.के.आर.डी.बी.) को केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की जाए। मैं सरकार से एच.के.आर.डी.बी. को केन्द्रीय सहायता की घोषणा करने का अनुरोध करता हूँ।

कलबुर्गी जिले में राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र (एन.आई.एम.जेड.) की स्थापना, क्योंकि भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सैद्धांतिक रूप से कर्नाटक राज्य के कलबुर्गी और तुमकुर में एन.आई.एम.जेड. की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह वर्ष 2013 में हुआ था। कर्नाटक सरकार ने कलबुर्गी के लिए परियोजना का तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सर्वेक्षण किया है और आई.एल.एफ. द्वारा किए गए सर्वेक्षण ने इस के हक में सिफारिश की है। 12500 एकड़ क्षेत्र पर 25000 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना क्षेत्र के औद्योगीकरण में काफी मदद करेगी और क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी, जिसका उद्देश्य क्षेत्र की गरीबी को दूर करना और क्षेत्रीय असंतुलन को भी दूर करना है जैसा कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त डॉ. नानजुंडप्पा समिति द्वारा अनुशंसित है।

हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की मंजूरी क्योंकि हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र औद्योगिकीकरण में पिछड़ रहा है जिसके बिना बेरोजगारी की समस्या और क्षेत्र की गरीबी को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं सरकार से हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए कुछ एस.ई.जेड. की घोषणा करने का अनुरोध करता हूँ जो इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास में एक लंबा सफर तय करेगा।

अल्मट्टी बांध से कलबुर्गी शहर के लिए पीने के पानी की सुविधा, क्योंकि कलबुर्गी शहर, जो क्षेत्रीय प्रशासन का केंद्र है, की आबादी 10 लाख है, को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अल्मट्टी बांध कलबुर्गी शहर के आसपास है और इसकी कई नहरें कलबुर्गी जिले से गुजरती हैं। पीने के पानी की समस्या का स्थायी समाधान हमेशा के लिए खोजने के लिए पास के अल्मट्टी बांध से पानी बढ़ाना संभव है।

मैं सरकार से कलबुर्गी में कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना का भी आग्रह करना चाहता हूँ। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में औद्योगिक विकास, स्टार्ट-अप और कौशल विकास की समस्या को दूर करने के लिए हमारे शहर में कलबुर्गी में कौशल विकास स्थापित करने की आवश्यकता है। मैं आपसे कलबुर्गी शहर के लिए एक कौशल विकास विश्वविद्यालय की घोषणा करने का अनुरोध करता हूँ।

हमारे क्षेत्र में प्याज और टमाटर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, लेकिन यहां कोल्ड स्टोरेज की कमी के कारण अधिकतर प्याज की फसल जलवायु की अत्यधिक गर्मी के कारण खराब हो जाती है। इसलिए, मैं ब्लॉक स्तर पर कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु तत्काल कदम उठाने का आग्रह करता हूँ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए कार्यशाला (वर्कशेड) का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि दैनिक मजदूरों का निकटवर्ती राज्यों की ओर पलायन रोका जा सके। इसके साथ ही सरकार को डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग जैसी योजनाएं बनानी चाहिए, जो उन्हें गैर-कृषि मौसम के दौरान रोजगार उपलब्ध कराने में मदद करें।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि अभी भी मनरेगा योजना में भारी अनियमितता है। इसे ठीक से लागू किया जाना चाहिए और मजदूरों को साप्ताहिक आधार पर भुगतान किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से अपना अनुरोध समाप्त करना चाहूंगा।

[हिन्दी]

^{97*} **श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती):** मैं कृषि और किसान कल्याण के अनुदान मांगों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ।

यह बजट देश के किसानों के लिए अनोखा है। सभ्यता का सारा बोझ किसानों के सिर पर डाल दिया गया है। पर्यावरण सुधार का काम, भूमि सुधार का, सब किसान करेंगे। कहा जा रहा है कि जीरो बजट फार्मिंग की स्थिति लाने की कोशिश की जाएगी, जिससे हम उस स्थिति में वापस आ जाएंगे। जब किसानों के लिए बजट आबंटित करने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार को बताना चाहिए कि क्या हकीकत की जमीन पर ऐसी स्थिति संभव है? जैविक खेती के बाजार कहाँ है। आर्गेनिक खेती में फिर प्रमाणीकरण की समस्या आएगी, उसे दूर कैसे करेंगे?

यह सच्चाई है कि सरकार को खेतिहर किसानों को कुछ देना नहीं है, केवल लेना है। यह अजीब सी बात है सरकार जब अन्य क्षेत्रों को सुविधाएं देती है तो कहती है कि प्रोत्साहन दे रहे हैं। लेकिन जब कृषि क्षेत्र को यह सहयोग दिया जाता है तो कहा जाता है कि सब्सिडी दी जा रही है। इस बजट में कृषि क्षेत्र में कोई सब्सिडी देने की बात नहीं है। जरूरत इस बात की थी कि खेती किसानों को बढ़ावा देने के लिए सरकार रोड मैप बनाए, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मानवीय किया जाए, लेकिन कुछ न हुआ। किसान जानता है कि उत्पादन कैसे बढ़ानी है, सरकार को केवल मदद करनी चाहिए।

बजट किसानों के लिए कुछ नहीं है। किसानों की आय दोगुनी करने, फसल बीमा की विसंगतियां दूर करने, सूखे से राहत देने के उपाय, किसान क्रेडिट कार्ड पर एक साल तक ब्याज मुक्त करने जैसी किसी भी बात को नहीं कहा गया। गाँव, गरीब व किसानों की बात करने वाली सरकार के आम बजट में हकीकत में किसानों को ठगा गया है। एक दर्जन से अधिक राज्यों में सूखा रहा, हमारे लोक सभा क्षेत्र श्रावस्ती में बाढ़

^{97*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

से हजारों लोग बेघर हो गये और सड़क पर सोने के लिए मजबूर है। पशुओं को खाने के लिए चारे की व्यवस्था नहीं है। क्षेत्र की स्थिति अत्यन्त भयानक है, परन्तु बजट में इसका जिक्र तक नहीं हुआ है।

धन्यवाद,

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 17 जुलाई, 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

रात्रि 11.59 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 17 जुलाई, 2019 / 26 आषाढ़ (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

<https://sansad.in/ls>

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2019 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के
अन्तर्गत प्रकाशित
